राजस्थान सेवा नियम
(Rajasthan Service Rules)

खण्ड प्रथम (भाग द्वितीय)

बुद्धपालचन्द भण्डारी
लेखाधिकारी
महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान
एवं
रणवीरसिंह गहलोत

यूनिक ट्रेडर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3.

राजस्थान सेवा नियम

खण्ड प्रथम भाग द्वितीय

पेन्शन नियम

विषय सूची

खण्ड 2 प्रथम शत

खण्ड 3 दूसरी शत
सामान्य सिद्धान्त

अध्याय 19

खण्ड 1 अवकाश एव प्रशिक्षण की अवधियां

खण्ड 2 सेवा मे निलम्बन, त्याग पत्र, सेवा भग एव कमियां

अध्याय 20 पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें

खण्ड 1 पेंशनो का वर्गीकरण

खण्ड 2 क्षतिपूरक पेंशनें (Compensation Pensions)

खण्ड 3 अयोग्य पेंशन

अध्याय 23-क

नई परिवार पेंशन (New Family pension)

अध्याय 23-ख पेंशन सम्बन्धी विशिष्ट पुरस्कार

अध्याय 24

असाधारण पेंशनें (Extraordinary Pensions)

अध्याय 25
पेंशन स्वीकार करने हेतु आवेदन पत्र
अनुभाग-1-सामान्य

अध्याय 26
पेंशनों का भुगतान (Payment of Pensions)

शेष

अध्याय 27

पेंशन का रूपान्तरण (Commutation of Pension)

अध्याय 28

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति (Re-employment of pensioners)

खण्ड 1 सामान्य

खण्ड 2 असैनिक पेंशनर

खण्ड 3 सैनिक पेंशनर (Military Pensioner)

खण्ड 4 नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service)

खण्ड 5 सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा

खण्ड 6 पुनर्नियुक्ति के बाद भारत के बाहर सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति

पेन्शन नियम (Pension Rules)

सामान्य नियम

(General Rule)

खण्ड 1—सामान्य

[1]प्रभावशीलता की सीमा (Extent of Application)—इस भाग म वर्णित नियम

नियम 168 सभी राज्य कमचारियो पर लागू होग । केवल सेवा पेन्शन की स्वीकृति से सम्बन्धित नियम उन राज्य कमचारियो पर लागू नही होंगे, जो कि पेन्शन के बदले म अशदायी भविष्य निधि प्राप्त करन के अधिकारी होगे, यदि एक राज्य कमचारी उन सेवा नियमो के अन्तगत सेवा करता हो जिसके अन्तगत पेन्शन के बदले म, राज्य कमचारी द्वारा चन्दा देने पर सरकार द्वारा राजकीय अशदान भविष्य निधि म देना पडता हो, तो उसे इन नियमो के लागू होने की तारीख स 6 माह के भीतर या यदि वह उस तारीख को अवकाश पर है तो अवकाश से लौटने की तारीख म 6 माह के भीतर इस भाग के नियमो के अनुसार अपना विकल्प भर कर दना चाहिए। उसके द्वारा पेन्शन के लिए विकल्प दिये जान पर सरकार द्वारा अशदान की राशि बन्द कर दी जावेगी तथा जो अशदान पहिले जमा हो चुका है वह उसक ब्याज सहित सरकार म जमा रह जावेगा ।

टिप्पणिया—(1) विकल्प लिखित म उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर भर कर दिया जाना चाहिए तथा उसे निम्न के पास भिजवाया जाना चाहिए—

(i) अराजपत्रित अधिकारियो के मामले म कार्यालयाध्यक्ष ।

(ii) राजपत्रित अधिकारियो के मामल म महालेखाकार ।

[2](2) अध्याय 24 म दिए गए असाधारण पेन्शन नियम उन राज्य कमचारियो पर भी लागू होग जो कि अशदायी भविष्य निधि के सदस्य है ।

[3](यह 1-4-51 स प्रभावशील माना जावेगा ।)

जब एक अराजपत्रित अधिकारी से घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त कर लिया जाता है तो कार्यालय के अध्यक्ष को उस पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने चाहिए तथा उसे सेवा पुस्तिका म रख देना चाहिए । विकल्प भर कर देने वाले राज्य कमचारी की यह निश्चित करन की जिम्मेदारी होगी कि उसके घोषणा पत्र की प्राप्ति की रसीद कार्यालय के अध्यक्ष या महालेखाकार द्वारा, जसी भी स्थिति हो दी गई है तथा उस यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसका उचित उल्लेख कर दिया गया है ।

[4]सरकारी निर्णय स (1)—राजस्थान सेवा नियमो के जारी होने के पहिले पेन्शन के बदले म अशदायी भविष्य निधि प्रदान करने वाले नियमो के अन्तगत जो राज्य कमचारी सेवा कर रहे थे उन्हे राजस्थान सेवा नियमो म दिए गए पेन्शन नियमो को अपनाने के लिए अपना विकल्प नियम 168 के अन्तगत लिखित मे भर कर देना था तथा उसे लेखा कार्यालय के परिपत्र सख्या डी 67/1236 दिनाक 11-5-51, जो कि राजस्थान राज पत्र भाग II दिनाक 19-5-51 मे छपा था, के अनुसार दिनाक 31-9-51 तक महालेखाकार के पास राजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध म सीधे तथा अराजपत्रित कमचारियो के सम्बन्ध म उनके कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भेजा जाना था ।

---

1 वि वि आज्ञा स एफ 7 A (36) वि वि (क) नियम/60 दि 28-12-1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2 वि वि आज्ञा स एफ 7 A (36) वि वि (क) नियम 60 दि 21-11-60 द्वारा निविष्ट ।

3 वि वि आज्ञा स एफ 7 A (36) वि वि (क) नियम/63 दि 23-3-61 द्वारा निविष्ट ।

4 वि वि आज्ञा स डी 4298 II/53 दि 17 6 1953 द्वारा निविष्ट ।

(2) उसम से कुछ अधिकारियो ने उस विशिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर अपना विक भर कर दन म अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि उस समय तक राजस्थान सेवा नियमो में वर्णि पेशन सगणन तालिका भी तयार नही हुई थी।

(3) चू कि पेशन कम्युटशन टेबिल वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या एफ 35 (5) एफ I 53 दिनाक 11–4–53 (परिशिष्ट 11 के रूप म सम्मिलित) द्वारा जारी की जा चुकी है इसलि जिन राज्य कमचारियो ने पेशन कम्यूटेशन टेबिल के प्रकाशन की अवधि तक निर्धारित तिथि के भीत *अपना विकल्प भर कर दने मे असमर्थता प्रकट की है वे अब अपना विकल्प यथा शीघ्र भर सकत* लेकिन किसी भी मामले म 15 सितम्बर 1953 के बाद नही भरे जाने चाहिए। यह विकल्प निय 168 के नीचे दी गई टिप्पणी म वर्णित तरीके के अनुसार तथा उक्त अवतरण 1 मे वर्णित महालेख कार के परिपत्र क अनुसार भरा जाना चाहिए।

[1]सरकारी निर्णय (2) –क्या भूतपूर्व बासवाडा डूगरपुर एव प्रतापगढ राज्यो क कमचारि की सेवायें जो कि वे उन राज्यो के नियमो के अन्तर्गत पेंशन के बदले म अशदायी भविष्य निधि प्रा करने के हकदार थे दिनाक 1–2–49 को जारी किए गए पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रगुलेश के अनुसार पेंशन योग्य सेवा गिनी जानी चाहिए इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है। यह र किया गया है कि ऐसे राज्य कमचारियो की सेवायें जो भूतपूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स अन्तर्गत पेंशन लाभ के लिए अपना विकल्प भर कर देते हो उनकी सवायें इन रेगुलेशन्स के अन्तर पेंशन योग्य सेवा गिनी जा सकेगी तथा राजकीय अशदायी भविष्य निधि की राशि मय ब्याज वापिस जमा कराई जावेगी तथा उन राज्यो के राज्य कमचारियो के अशदान की राशि मय ब्याज उन्हे लौटा दी जाएगी या राज्य क सामान्य भविष्य निधि के स्थापित होने पर उसमे स्थानान्तरित क दी जावेगी।

यह विकल्प इस आज्ञा के जारी होने की तारीख स तीन माह की अवधि के भीतर भर क दिया जाना चाहिए तथा उस अराजपत्रित कमचारियो के सम्बन्ध म कार्यालय के अध्यक्ष को त राजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध मे महालेखाकार को भिजवा देना चाहिये।

[2]सरकारी निर्णय (3)—वित्त विभाग क आज्ञा सख्या डी 4298/II/53 दिनाक 17–3 53 (निर्णय स 1) के अन्तर्गत अशदायी भविष्य निधि एव पेंशन के लिए विकल्प भर कर देने की अन्तिम तारीख 28 फरवरी 1954 तक बढा दी गई है।

[3]सरकारी निर्णय (4)—राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (II) के ज्ञापन सख्या डी 3810/एफ II/53 दिनाक 16–7–53 (निर्णय सख्या 2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता जिसमे यह दिया हुआ था कि कमचारियो के अशदान (मय ब्याज) उन्हे लौटा दिए जावगे। स्थापित होन पर राज्य के सामान्य भविष्य निधि म स्थानान्तरित कर दिए जावगे बशर्ते कि व पेंश लाभ के लिए अपना विकल्प भर कर द। इस सम्बन्ध म एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या राज्य कमचारी पेंशन का विकल्प दत हैं उन्हें अपने अशदान का हिस्सा जब व चाहे तब लौटाया ज सकता है या वह सेवा के त्यागन क समय पर ही लौटाया जा सकता है।

(2) मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि राज्य कम चारियो के स्वय के चन्दे का हिस्सा यदि वह राज्य के सामान्य भविष्य निधि म स्थानान्तरित न किया गया है तो राज्य कमचारियो के सेवा निवत्त होन पर ही लौटाया जावेगा इससे पहिले नही।

[4]सरकारी निर्णय ( )—पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प के प्रभावशील होन की तारी के बाद राज्य कमचारियो के वतन बिना स भविष्य निधि की जो भी कटौती की जावेगी वह उ विज्ञप्ति क प्रावधानो द्वारा शासित नही होगी तथा उस राज्य कमचारी द्वारा मागी जाने पर लौट दी जावेगी। जो हिस्सा उस लौटाया जाता है उसका ब्याज विकल्प देने की तारीख स बन्द कर दिय जाएगा।

[5]निर्णय स 6—वित्त विभाग (II) के आदेश दिनाक 4–12–53 (निर्णय सख्या 3)

---

1 वि वि विज्ञप्ति स डी 3810 एफ II 53 दि 16 7 53 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि आज्ञा स एफ 13 (49) 53/7430 दि 4 12 53 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि आज्ञा स डी 7803 एफ II/53 दि 23-1 54 द्वारा निविष्ट।
4 वि वि विज्ञप्ति स डी 1270 II/54 दि 25 5 54 द्वारा निविष्ट।
5 वि वि आज्ञा स एफ 13 (49) एफ II/53, दि 16 7 54 द्वारा निविष्ट।

श्रम म जो अंशदायी भविष्य निधि एव पेन्शन के लिये विकल्प भरने की तारीख 28 फरवरी 1954 तक बढाई गई थी वह अब राजप्रमुख द्वारा 30-9-54 तक बढा दी गई है जिन लोगो ने पहिले पेन्शन कम्यूटेशन टेबिल प्रकाशित होने की तारीख तक निर्धारित निधि के भीतर विकल्प भर कर देने म अपनी असमर्थता व्यक्त नही की थी, उन्ह अपना विकल्प उक्त तिथि तक भर कर देने की आज्ञा दी जाती है।

[1]निर्णय स 7-(1) वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 3810/एफ II/53 दिनांक 16-7-53 (निर्णय सख्या 2) म यह तय किया गया था कि भूतपूर्व बासवाडा, डूगरपुर व प्रतापगढ राज्यो के कर्मचारी जो कि पूर्व राजस्थान असैनिक सेवा विनियम (रगुलेशन्स) के अन्तर्गत पेन्शन का लाभ उठाने के लिए विकल्प भर कर देते है उनकी सेवाये इन नियमो के अनुसार पेन्शन योग्य सेवा मान ली जाएगी तथा अंशदायी भविष्य निधि लेखे म जो राजकीय अंशदान दिया गया वह मय ब्याज के वापिस ले लिया जावगा एव उन राज्यो के राज्य कर्मचारियो के अंशदान की राशि (मय ब्याज के) उन्हें लौटा दी जावेगी या राज्य के सामान्य भविष्य निधि के स्थापित होने पर इसमे स्थानान्तरित कर दी जावेगी। यह विकल्प इस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख स तीन माह के भीतर भर कर देना चाहिये था।

(2) महालेखाकार ने इस सम्बन्ध म एक स्पष्टीकरण चाहा है कि इन भूतपूर्व राज्यो के उन कर्मचारियो के मामले किस प्रकार नियमित होग जो दिनाक 1-2-49 स 1-4-51 तथा 1-4-51 स 16-7-53 अर्थात् उस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख तक बीच म सेवा निवृत्त कर दिए गए हैं तथा जिन्होने कोई विकल्प नही भरा है। किसी भी निर्णय के अभाव म वे न तो पेन्शन प्राप्त करने हेतु और न ही अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प भर सके। इसलिए राजप्रमुख न आदेश दिया है कि किसी भी विपरीतता के अभाव म सम्बन्धित राज्य कर्मचारियो द्वारा पेन्शन प्राप्त करन के लिए अपना विकल्प उक्त वित्त विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार भर कर दिया हुआ समझना चाहिए तथा उनका पूर्ण सेवा काल मय 1-2-49 से 1-4-51 अर्थात् राजस्थान सेवा नियमो के जारी होने की तारीख तक की सेवा के पेन्शन योग्य सेवा के लिए मान लिया जावे तथा जो राजकीय अंशदान पहिले जमा किया जा चुका ह, मय ब्याज के रोक लिया जावे।

[2]निर्णय सख्या 8—निर्णय सख्या 2 के अवतरण 2 के अनुसार बासवाडा, डूगरपुर एव प्रतापगढ राज्यो के राज्य कर्मचारियो को पेन्शन के लिए अपना विकल्प उक्त आज्ञा जारी होने की तारीख स तीन माह के भीतर भर कर देना था। बाद म यह समयावधि सितम्बर 1954 तक बढा दी गई थी।

महालेखाकार न अब यह सूचित किया है कि 981 अंशदान देने वाले व्यक्तियो म से केवल एक ही व्यक्ति अब भी फण्ड म अंशदान दे रहा है तथा 246 अंशदान देने वालो ने ही पेन्शन के लिए अपना विकल्प भर कर दिया है। शेष 734 व्यक्तियो ने न तो पेन्शन के लिए ही अपना विकल्प भर कर दिया है और न वे भविष्य निधि योजना म अंशदान दे रहे है।

वित्त विभाग म वस्तु स्थिति की पुन जाच की गई तथा सभी सम्बन्धितो को मार्ग प्रदर्शन के लिए सूचित किया जाता है कि इन भूतपूर्व राज्यो के वे राज्य कर्मचारी, जिनका प्रश्न विवादग्रस्त है एव जिन्होंने भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान देना बन्द कर दिया है उन्ह पेन्शन के लिए अपना विकल्प दिया हुआ समझा जावेगा जब तक कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर भविष्य निधि योजना को चुनने का लिखित म विकल्प नही देते हैं तथा उसी समय में अपना बकाया भी नहीं चुका देते हैं। इसके बाद विभागाध्यक्ष अपने प्रमाणीकरण सहित उन राज्य कर्मचारियो की सर्विस बुको म इस सबध की एक टिप्पणी लिखेंगे तथा इसके सबध की सूचना साथ में महालेखाकार को भी देंगे।

[3]निर्णय सख्या 9—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या भूतपूर्व अजमेर बम्बई एव मध्य भारत राज्यो के उन राज्य कर्मचारियो को उन लागू पर होने वाले पुनर्गठन के पूर्व यूनिट नियमो के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृत की जा सकती है जिन्ह राज्य सरकार के आदेश सख्या 11/272 ए सी/56 दिनांक 14 1 56 द्वारा उनका मूल स्थाई वेतन स्वीकृत कर दिया गया है तथा जो राजस्थान पुनर्गठन के बाद अर्थात्

---

1 वि वि आज्ञा स एफ 13 (77) F II/54, दि 6-11 54 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि स डी 4202/F 21 (82) नियम/52, दि 25 10 56 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि आज्ञा स डी 4685/एफ 7 ए/(19) वि वि/ए/नियम/57, दि 12 7 57 द्वारा निविष्ट।

1 11 56 के बाद सेवा निवृत्त कर दिये गये हैं। इसकी जाच की जा चुकी है। राज्यपाल ने आदेश दिया है कि पुनर्गठन की तारीख के पूर्व ऐसे राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की रक्षा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो गए हैं उन्हें अस्थाई आधार पर पुनर्गठन के पूर्व शीघ्र उन पर लागू होने वाले किसी भी नियमों को चुनने की आज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की जो पेंशन स्वीकृत की जावेगी वह अस्थाई मानी जावेगी।

(2) इसी प्रकार से ऐसे अधिकारियों के अंतिम अवकाश वेतन की राशि भी अस्थाई रूप से इस शर्त पर चुकाई जानी चाहिए कि यदि वेतन अधिकाश मे लिया गया तो उचित वसूली करली जावेगी तथा संबंधित अधिकारियों से इस सम्बन्ध का लिखित में एक प्रतिज्ञा पत्र भरवा लेना चाहिए।

[1]निर्णय सं (10)—वित्त विभाग के परिपत्र सं एफ डी 4202/एफ 21 (82) आर/52 दिनांक 25 10 56 (निर्णय संख्या 8) के स्पष्टीकरण में संबंधितो की सूचना के लिए यह विज्ञप्त किया जाता है कि उक्त परिपत्र के प्रावधान (1) उन अंशदान देने वाले लोगों के विचाराधीन मामलों पर भी लागू होंगे जिन्होने अपना भविष्य निधि अंशदान 1-2-49 को या उसके बाद से देना बन्द कर दिया है तथा जो भविष्य निधि अंशदान के लिए किसी प्रकार का विकल्प भरे बिना ही या तो सेवाकाल में या सेवा से निवृत्त होने के बाद स्वर्गवासी हो गये हैं एवं (2) उन व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगे जहा राज्यकीय हिस्से सहित भविष्य निधि अंशदान की राशि वास्तव में मृत व्यक्ति के आश्रित लोगों को दी जा चुकी है।

[2]निर्णय सं (11)—जो राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के जारी किए जाने के पूर्व पेंशन लाभ के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि अंशदान संबंधी नियमों के अंतर्गत सेवा कर रहे थे उन्हें अपना विकल्प राजस्थान सेवा नियमों में दिये गये पेंशन नियमों को चुनने के लिए आदेश दिनांक 16-7-54 (निर्णय सं 6) द्वारा 30-9 54 तक लिखित में भर कर देना था। 30-9-54 के बाद पेंशन नियमों में अधिकतम उदारता बरती गई तथा पेंशन की राशि को बढ़ाई (राजस्थान सेवा नियमों के नियम 256 के नीचे सूची का संशोधित कर) जा चुकी है तथा उदारता पूर्ण पेंशन लाभ मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रदान की गई है। सरकार के समक्ष निवेदन किया गया है कि पेंशन नियमों से शासित राज्य कर्मचारियों को प्राप्य अधिकतम पेंशन लाभों को ध्यान में रखते हुए अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले कर्मचारियों को पुन एक बार पेंशन नियमों के लिए विकल्प भरने की आज्ञा दी जावे। मामले की जाच कर ली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अंशदायी भविष्य निधि के सदस्यों को पेंशन नियमों के लिए अन्य विकल्प भरने की स्वीकृति दी जाती है।

पेंशन नियमों के लिए विकल्प भरने की अन्तिम तारीख 30 मार्च 1960 होगी। एक बार भरा गया विकल्प अन्तिम होगा। विकल्प सीमित अवधि में लिखित में दिया जाना चाहिए तथा उन्हें अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत तथा राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सीधे महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिए।

यह नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो कि इस आदेश के जारी होने की तारीख को राजकीय सेवा में होंगे।

जो पेंशन नियमों के लिए विकल्प देंगे उनकी सेवा नियम 168 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के उप-अवतरण (3) के अनुसार पेंशन योग्य माना जावेगी।

राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेंशन नियमों को चुनने पर ऐसे राज्य कर्मचारियों की अंशदान की जो भी राशि अंशदायी भविष्य निधि में जमा पाई जावेगी वह मय ब्याज के सामान्य भविष्य निधि में उनके नाम जमा करने के लिए हस्तान्तरित कर दी जावेगी। राज्य सरकार के हिस्से की राशि जो भी निधि में जमा होगी वह पूर्ण ब्याज के राज्य के सामान्य राजस्व में जमा दी जावेगी।

[3]स्पष्टीकरण-हिज हाइनेस राज प्रमुख ने वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 3810/एफ II

---

1 वि वि आज्ञा सं डी 4904 एफ 21 (82) नियम/52 दि 30 7 57 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि सं डी 7790/एफ 1 (36) वि वि ग/नियम/59 दि 13 1-60 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि आज्ञा सं एफ 23 (5) नियम/52 दि 23 4 55 द्वारा निविष्ट।

53 दिनांक 16-7-53 व डी 7803 एफ II/53 दिनांक 23-1-54 (निर्णय संख्या 2 एव 4) के क्रम म निम्नलिखित स्पष्टीकरण और किये हैं ।

(i) विकल्प देने की तारीख को अंशदायी भविष्य निधि म ऐसे राज्य कर्मचारियों के खाते में जो भी अंशदान की राशि होगी वह मय उस पर ब्याज के, कर्मचारी द्वारा, राजस्थान सेवा नियमों के भाग 8 मे दिए गये पेंशन नियमो से शासित होने का विकल्प दिये जाने पर सामान्य भविष्य निधि मे उसके जमा मे हस्तान्तरित कर दी जावेगी ।

(ii) उक्त तारीख को निधि मे राज्य सरकार द्वारा अंशदान की राशि जो भी खाते मे जमा होगी वह मय उस पर ब्याज के सामान्य राजस्व म जमा करा दी जावेगी ।

(iii) इसके बदले म, राज्य कर्मचारी की इस तिथि के पूर्व की गई अवधि को निम्नलिखित सीमा तक पेंशन योग्य सेवा म शामिल किया जावेगा । इसे इस रूप म माना जावेगा जैसे मानो यह सेवा सरकार के अधीन पेंशन योग्य स्थापन म की गई हो । परन्तु शर्त यह है कि जितने समय के लिए राजकीय अंशदायी भविष्य निधि मे उसने अंशदान किया है, उतने ही समय की सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जावेगा ।

(क) कुल स्थायी सेवा

(ख) सम्पूर्ण कार्यवाहक या अस्थाई सेवा जो कि पेंशन योग्य मानी जाती, यदि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 180 व 188 के प्रावधान लागू किये जाते, एव

(ग) नियम 188 क म वर्णित शर्तों के आधार पर शेष बची कार्यवाहक/या अस्थायी सेवा की आधी सेवा ।

[1]निर्णय संख्या 12—पेंशन नियमो के पुन सरलीकरण को ध्यान म रखते हुए राज्यपाल महोदय ने प्रसन्न होकर निर्णय दिया है कि—सरकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने अंशदायी प्राविधिक निधि के परिलाभो को रखा है उनको राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेंशन नियमो मय नवीन पारिवारिक पेंशन नियमो के जो समय समय पर संशोधित किये गये हैं, के लिये दूसरे विकल्प की अनुमति दी जा सकती है । यह विकल्प इन आदेशो के राजपत्र मे प्रकाशित होने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर निम्नांकित प्रपत्र मे लिखित म प्रयोग किया जावेगा । एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा ।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन स 1 (65) नियम 68 (II) दिनांक 29 जून 1971 के अनुसरण म मैं (नाम) पुत्र श्री पद तथा अंशदायी प्राविधिक निधि लेखा स० का अंशदाता एतद् द्वारा राजस्थान सेवा नियमो म वर्णित पेंशन नियमो मय समय समय पर संशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियम 1964 के, इस समय अनुमेय अंशदायी प्राविधिक निधि के परिलाभो के बदले म विकल्पित करता हू ।

साक्षी हस्ताक्षर
हस्ताक्षर दिनांक
दिनांक पूरा नाम (बड़े अक्षरो म)
पूरा नाम पद
पद कार्यालय कार्यालय

2 यदि वह व्यक्ति अराजपत्रित अधिकारी है तो वह अपना विकल्प सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को सम्प्रेषित करेगा और यदि राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार, राजस्थान को । जब एक अराजपत्रित अधिकारी से विकल्प प्राप्त होगा तो उसे कार्यालयाध्यक्ष प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका म चिपका देगा ।

3 समय समय पर संशोधित राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय (8) मे वर्णित पेंशननियमो के अनुसार विकल्प देने वाले व्यक्तियों की सेवायें उन पेंशन नियमो के अनुसार योग्यता प्राप्त करेंगी ।

4 ऐसे सरकारी कर्मचारी की अंशदायी प्राविधिक निधि मे जमा अंशदान की राशी मय ब्याज के उसके खाते म सामान्य प्राविधिक म स्थानान्तरित कर जमा करदी जावेगी, जब कि वह राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत पेंशन नियमो से शासित होने का विकल्प दे देता है । राज्य सरकार

द्वारा अ शदान की राशी मय ब्याज के जो उस निधि म उसके नाम जमा है वह सरकार के सामाय राजस्व म जमा कर दी जावेगी ।

5 ये आदेश उन सरकारी कमचारियो पर प्रभावशील होंगे, जो दिनाक 1 9 1968 को सेवा मे थे ।

6 व व्यक्ति जो दिनाक 1 9 1968 को या इसके बाद, कि तु इन आदेशो के जारी होने स पहले सवानिवत्त हो गय, उनके प्रकरण पुन खाले जाकर इन आदेशा क अनुसार निर्णीत किये जावेंगे। उसके अ शदायी प्राविधिक निधि के लये की ओर सरकार के अ शदान की राशि+उस पर ब्याज जो उस सरकार ने भुगतान किया वह उसकी पेंशन/गच्युटी म समायोजित कर लिये जावेगे, जो इन आदेशो के आधीन पे शन का विकल्प दन पर नियमानुसार उसे अनुमय होगे ।

[1]निणय सख्या 13—वित्त विभाग क ज्ञापन स० एफ० 1 (65) वि वि (नियम)/68 II दिनाक 29 6 1971 के परा 2 म वर्णित उपब धो के अनुसार जब एक अराजपत्रित अधिकारी से विकल्प प्राप्त होता है, कायालयाध्यक्ष उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और सम्ब धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका म चिपका दगा ।

अ शदायी प्राविधिक निधि के सदस्यो द्वारा सही रूप से विकल्प का प्रयोग करने का विश्वस्त करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षो को आग्रह किया जाता है कि व समस्त प्रकरणो मे विकल्प को मूल रूप म जो अ शदाता द्वारा प्रयोग किया गया है महालेखाकार राजस्थान मे इसकी अनुमेयता और अ शदायी प्राविधिक निधि खाते के सामा य प्राविधिक निधि खाते मे हस्ता तरण हेतु भिजावें ।

अराजपत्रित अ शदाताओ के प्रकरण म एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त कर सेवा पुस्तिका म चिपका दिया जावे । महालेखाकार राजस्थान से सूचना प्राप्त होने पर ही विकल्प की स्वीकृति आदि की प्रविष्टिया सेवा पुस्तिका म अभिलिखित की जावगी । विकल्प का प्रयोग उपरोक्त ज्ञापन म दिये प्रपत्र म ही किया जावेगा ।

[2]निणय सख्या 14—राज्यपाल महोदय ने प्रस न होकर यह निश्चय किया है कि—सरकारी कमचारी जिन्होने अ शदायी प्राविधिक निधि परिलाभो को रखा है, उनको राजस्थान सेवा नियमो के अ तगत पेंशन नियमो के लिये मय नवीन पारिवारिक पेंशन के, यथा सशाधित विकल्प देने का एक और अवसर दिया जा सकता है ।

यह विकल्प इस आज्ञा क राजपत्र म प्रकाशित होने से छ माह की अवधि के भीतर लिखित म नीचे दिये हुए प्रपत्र म देना होगा । एक बार प्रयुक्त किया गया विकल्प अ तिम होगा ।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन स-एफ 1 (13) वि वि (श्रे० 2)/74-II दिनाक 22 6 75 के अनुसरण म मै ... ... आत्मज ...
पद ... एव अ शदायी प्राविधिक निधि लेखा स० ... का अ शदाता, एतद्द्वारा अभी ग्राह्य अ शदायी प्राविधिक निधि के परिलाभो के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमो म वर्णित पेंशन नियमो मय नवीन परिवार पेंशन नियमो के, समय समय पर यथा सशोधित, का विकल्पित (opt) करता हू ।

साक्षी—

हस्ताक्षर ...	हस्ताक्षर ...
दिनाक ...	दिनाक
पूरा नाम (बड़े अक्षरो म)	पूरा नाम (बड़े अक्षरो म)
पद ...	पद
कार्यालय	कार्यालय

2 यह विकल्प सम्ब धित व्यक्ति द्वारा यदि वह अराजपत्रित अधिकारी है तो कार्यालयाध्यक्ष को और यदि वह राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार राजस्थान को सम्प्रेषित किया जावेगा। अराजपत्रित अधिकारी स प्राप्त विकल्प पर कार्यालयाध्यक्ष प्रतिहस्ताक्षर करके सम्ब धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका म चिपकवा दगा ।

---

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (65) वि वि (नियम)/68 दि 6 4 1972 द्वारा निविष्ट ।
2 वि वि आदेश स एफ 1 (53) वि वि (श्र 2)/74 II दि 22 6 1975 द्वारा निविष्ट ।

3 उन व्यक्तियों की सेवा जो पेंशन नियमों के लिए विकल्प देते हैं राजस्थान सेवा नियमों के भाग VIII, समय समय पर संशोधित में वर्णित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के लिए मान्यता प्राप्त होगी।

4 अंशदान की राशि मय उस पर ब्याज जो ऐसे सरकारी कर्मचारियों के अंशदायी प्राविधिक निधि मे जमा है उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेंशन नियमों से शासित होने का उसके द्वारा चयन करने पर सामान्य प्राविधिक निधि में जमा कर जावेगी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान की राशि मय उस पर ब्याज के जो निधि जमा है सरकार के सामान्य राजस्व में जमा कर जावेगी।

5 ये धारायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो दि 31 10 1974 को सेवा में थे।

6 ऐसे व्यक्तियों के मामले जो 31-10 1974 को या उसके बाद में परन्तु इन आज्ञाओं के जारी होने से पहले सेवा निवृत्त हो गये है, वापस खोल जाकर इन आज्ञाओं के अधीन विनिश्चित किये जा सकेंगे।

उनकी अंशदायी प्राविधिक निधि के लेखा (खाते) मे सरकार के अंशदान की दी गई राशि मय ब्याज के जो उसको सरकार द्वारा दी गई उसे पेंशन/उपदान जो नियमों के अधीन उसके द्वारा इन आज्ञाओं के अधीन पेंशन के लिये विकल्प देने पर ग्राह्य है उसमें से समायोजित करली जावेगी।

नियम 168क

[1]इन नियमों के प्रयोजन मे वेतन का तात्पर्य मासिक स्थाई वतन से है। इसमें सर्वाधिक पद पर प्राप्त किया गया वेतन शामिल नही है।

टिप्पणियां (1)—नियम 250 (1) के खण्ड (ग) में वर्णित परिस्थितियों में व्यक्तिगत भत्ता (Personal Allowances) को पेंशन की राशि में शामिल किया जावेगा

(2) पेंशन गिनने में धनराशि के प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति वेतन या विशेष वेतन को वेतन के रूप में माना जाता है। विशेष वेतन (Special Pay) स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्देश करना चाहिये कि विशेष वेतन के कौन से भाग को पेंशन के लिए स्वीकृत किया जावेगा।

[2](3) राज्यपाल महोदय ने प्रमुदित होकर आदेश दिया है कि—जे० डी० सी० भत्ता (विशेष वेतन) जो अध्यापक स्थापना को जनियर डिप्लोमा क्लासेज में अध्यापन के लिए स्वीकृत किया जाता है, को पेंशन और/या ग्रेच्युटी के संगणना के प्रयोजन के लिए वेतनादि में संगणित किया जावेगा।

[3](4) महगाई वेतन को राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 24 के अन्तर्गत देय असाधारण पेंशन, ग्रेच्युटी के संगणना के प्रयोजन के लिए वेतन में संगणित किया जावेगा। (यह 1 12 1968 से प्रभावशील होगा।)

नियम 168ख

[4]1 जून 1969 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियम 168 क में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इन नियमों के प्रयोजनार्थ वेतन से तात्पर्य उस वेतन से है जो नियम 7 (24) मे परिभाषित है।

टिप्पणी—प्रतिनियुक्ति वेतन या प्रतिनियुक्ति भत्ता (विशेष वेतन) इस नियम के प्रयोजनार्थ वेतन के रूप में नहीं समझा जाता है।

[5]सरकारी निर्णय–नियम 168 ख के प्रावधान (जो वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1(40) वित्त वि० (नियम) 67 दिनांक 12–8–69 द्वारा शामिल किए गए है) दिनांक 1–9–68 से प्रभाव में आयेंगे। यह वह दिनांक है जिसको नवीन वेतनमान नियम लागू हो गये।

---

1 वि वि आदेश स एफ 7 (9)/55 दि 10 6 56 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि आज्ञा स एफ 1 (50) वि वि (नियम)/72 दि 9–11–1972 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि स एफ 1 (7) वि वि (व्यय नियम)/69 दि 12–7–1973 द्वारा निविष्ट एवं 1–12–1968 से प्रभावशील।
4 वित्त विभाग के आदेश स० एफ 1 (40) वित्त वि० (नियम) 67 दिनांक 12–8–69 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1–6–69 से प्रभावी।
5 वि वि के आदेश स एफ 1 (40) वित्त विभाग (नियम) 67 दिनांक 10-8–70 द्वारा निविष्ट।

इन आदेशों के जारी किये जाने से पूर्व निर्णीत मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा तथा उन्हें इन नियमों के अनुसार निर्णीत किया जायेगा।

नियम 169

[1](1) भावी सदाचरण पेंशन की प्रत्येक स्वीकृति के लिए एक अभिनिहित शर्त होगी। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक या आस्थगित या प्रत्याहरित कर सकता है यदि पेंशनर गम्भीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो जाये या वह गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया जाये।

परन्तु यह है कि सरकारी सेवा से उसकी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व पेंशनर द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस खण्ड के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा। [2]

(2) जहां पेंशनर किसी विधि न्यायालय द्वारा गम्भीर अपराध के लिए दोषी पाया जावे वहां, ऐसे सजा से सम्बन्धित न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए खण्ड (1) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन न आने वाले मामले में यदि खण्ड (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी यह विचारता है कि पेंशनर प्राथमिक रूप से ही गम्भीर दुराचरण का दोषी है तो वह खण्ड (1) के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व—

(क) पेंशनर को एक नोटिस देगा जिसमें उसके विपरीत की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का तथा उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिन पर वह कार्यवाही की जाती है तथा उनसे नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर या ऐसे अग्रिम समय के भीतर जो पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा दिया जाये, ऐसा अभ्यावेदन जिसे वह प्रस्ताव के विरुद्ध रखना चाहे प्रस्तुत करने के लिए कहा जायगा—

(ख) खण्ड (क) के अधीन याचिका प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो पर विचार करेगा।

(4) जहां खण्ड (1) के अधीन आदेश जारी करने में सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल हो तो आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त की जायेगी।

(5) राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गए खण्ड (1) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जायगी या राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श कर अपील पर ऐसे आदेश जिन्हें वह ठीक समझे जारी करेगा।

[3]स्पष्टीकरण—इस नियम में अभिव्यक्ति गम्भीर अपराध (Serious Crime) में ऐसा अपराध भी शामिल है जिसमें कि आफिशियल सिक्रेट्स एक्ट (23) (अधिनियम सं. 19 सन् 1923) के अधीन भी अपराध शामिल है और अभिव्यक्ति गम्भीर कदाचरण (ग्रेव मिसकन्डक्ट) में किसी भी ऐसे गोपनीय सरकारी कोड या पास वर्ड या कोई नक्शा प्लान माडल आर्टीकल नोट दस्तावेज या सूचना जो कि उक्त अधिनियम की धारा 5 में वर्णित है की इस प्रकार से सूचना देना या बतलाना भी शामिल है (जो कि सरकार के अधीन पद धारण करते समय उसने प्राप्त किये हों) जिससे कि जन हित या राज्य की सुरक्षा पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता हो।

(2) देखिए नियम 248 के नीचे टिप्पणी सं. (3) एवं (5)।

सरकारी निर्णय (1)—राजस्थान पेंशन एक्ट 1958 की धारा 9 के अनुसार किसी राज्य सेवा से निवृत्त राज्य कर्मचारी से सरकारी बकाया को उससे या उसके परिवार को यथा स्थिति देय/दी गई उपदान (ग्रेच्युटी) पेंशन की राशि में से बिना उसकी सम्मति या उसके परिवार के सदस्यों की सम्मति प्राप्त किये ही वसूल किया जाना स्वीकार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया गया है कि सेवा निवृत्ति के समय राज्य कर्मचारी पर पाये गये राजकीय बकायों को या ऐसे बकायों जो बाद में पाए जाते हों की राशि पेंशन/उपदान (ग्रेच्युटी) में से सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों की यथास्थिति स्वीकृति लिए बिना ही वसूल की जा सकती है।

---

1 वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1 (52) वित्त वि (नियम) 68 दिनांक 6-12-68 द्वारा नियम 169 के टिप्पणी सं. 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ. 1 (16) वित्त वि (नियम) 69 दि. 19 4 69 द्वारा निविष्ट।

3 वि. वि. की आज्ञा सं. एफ. 1 (59) एफ. डी. (व्यय नियम) 65 दि. 3-11-65 द्वारा परिवर्तित किया गया।

[1]स्पष्टीकरण—वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 3 11 65 (नियम 169 के नीचे राज स्थान सरकार के निर्णय स 1 क रूप म निविष्ट) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अभि व्यक्ति सरकारी बकाया जो उसमे प्रयोग की गई है उसमे केवल वही बकाया आती हैं जो सरकार को भुगतान योग्य हो तथा उसम व बकाया शामिल नहीं हैं जो प्रतिनियुक्ति क समय सरकारी कमचारी द्वारा किसी स्वतत्र सगठन को भुगतान योग्य हो। दूसर शब्दो म किसी स्वतन्त्र सगठन को भुगतान योग्य अधिकारी के प्रति बकाया सरकारी बकाया नहीं है तथा वह सरकारी कमचारी को सरकार द्वारा भुगतान योग्य मत्यु एव सेवा निवत्ति उपदान म स वसूल नही किया जा सकता है सिवाय इसक कि जहा सरकारी कमचारी न उस भुगतान योग्य होन वाल उपदान की राशि म स वसूल करन हतु लिखित म अपनी सहमति न द दी हो।

[2]अन्वेक्षण निर्देशन—विनापित

[3]अपवाद—वित्त विभाग की आज्ञा दिनाक 1 5 68 (निर्णय स 1 नीच स्पष्टीकरण क रूप म प्रयुक्त) के अपवाद स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल म प्रतिनियुक्ति सरकारी कमचारी की तरफ बकाया कोई भी राशि सम्बन्धित सरकारी कमचारी को भुगतान योग्य मत्यु एव निवत्ति उपदान म स वसूल की जा सकगी।

[4]निर्णय स (2)—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि सरकार की सेवा निवृत्त सरकारी कमचारी द्वारा ली गई राशि की वसूली उस अथवा जमी भी स्थिति हो उसक परिवार क सदस्यो को भुगतान योग्य मत्यु एव सेवा निवृत्ति की राशि म स किया जाना स्वीकाय हो या नही।

यह निश्चय किया गया है कि उपदान राजस्थान पेशन अधिनियम 1958 म प्रयुक्त शब्द पेंशन क अन्तगत नही आता है। अत उस अधिनियम क विभिन्न प्रावधानो द्वारा प्रदत्त सरक्षण उन्ह प्राप्त नही है।

पूर्वोक्त परा म वर्णित प्रतिफल को ध्यान म रखत हुए यह निश्चय किया गया है कि सरकारी बकाया की वसूली सरकारी कमचारियो क सम्बन्ध म उसकी स्वाकृति प्राप्त किए बिना भी या जसी भी स्थिति हो सरकारी कमचारी की मत्यु की दशा म उसक परिवार क सदस्यो की स्वीकृति प्राप्त किए बिना भी मत्यु एव सेवा निवत्ति उपदान म स करना स्वीकाय है।

[5]निर्णय स 13]—वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 3-11-1965 [जो नियम 169 के नीच सरकार के निर्णय स 1 क रूप म निविष्ट क अधीन यह निश्चय किया गया है कि बकाया नही का प्रमाण पत्र प्राप्त नही होन क कारण राज्य कमचारी को देय पेंशन/ग्रेच्युटी को नही रोका जाव और सेवा निवत्ति के समय अथवा बाद म यदि कोई वसूली ध्यान म लाई गई हो तो उसे राज्य कमचारी को दय प शन/ग्र च्युटी स वसूल कर ली जावे।

इस मामले की जाच महालेखाकार राजस्थान जयपुर क साथ विचार विमश करने की गई और यह विनिश्चिय किया गया कि जिन मामलो म राज्य कमचारी द्वारा भवन निर्माण/वाहन अग्रिम आदि लिया गया है उनम ग्र च्यूटी की राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जावे जब तक कमचारी स बकाया अग्रिम की सही राशि ज्ञात नही हो जाव। इन नियमो के अधीन स्वीकाय ग्र च्यूटी म से ऐसा सम्पूर्ण बकाया अग्रिम मय ब्याज की राशि को समायोजित कर ली जाव। यदि ऐसे समायोजन के पश्चात भी बकाया की राशि शेष रह जाती है तो उसे मासिक प शन की 1/3 किश्त के रूप म पेंशन म स समायोजन करना जाव। फिर भी जहा यह पाया जावे कि बकाया की शेष राशि अधिक है महालेखाकार प शन स्वीकृत करन वाले अधिकारी स परामश करने के पश्चात पेंशन से मासिक वसूली की दर म वद्धि कर दी जाव। यदि भवन निर्माण/वाहन अग्रिम आदि की बकाया

---

1 वि वि क ज्ञापन स एफ 1 (9) वित्त वि (नियम) 68 दि 1-5-68 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि आज्ञा स एफ 1 (62) वि वि क [नियम] 62 दिनाक 12-11-1963 द्वारा विलोपित।
3 वि वि आज्ञा स एफ 1 [9] वि वि [नियम]/68 दि 18-3-1969 द्वारा निविष्ट।
4 वि वि ज्ञापन स डी 6171/59/F 7 A (46) वि वि ग/(नियम)/59-I दि 15-12-69 द्वारा निविष्ट।
5 वि वि आज्ञा स एफ 1 (59) वि वि (व्यय नियम)/65 दि 1-12 1973 द्वारा निविष्ट।

शेष राशि का मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान (Death cum Retirement Gratuaity) से समायोजन करने के बाद भी बकाया शेष रह जाता है तो उसे जब कभी महालेखाकार के कार्यालय द्वारा पेंशन के रूपान्तरण मूल्य (Commuted value of pension) को पूर्ण अधिकृत किया जावे तो उस पेंशन के रूपान्तरण मूल्य की सम्पूर्ण राशि में से भी एक मुश्त वसूल कर लिया जावे।

यह और भी निश्चय किया गया है कि जिन मामलों में "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" जारी नहीं किया गया है वहां बकाया नहीं प्रमाण पत्र की प्रतिक्षा किए बिना पेंशन/ग्रेच्यूटी दी जावे और यदि राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई बकाया पाई जावे तो उस पेंशन में से मासिक किस्तों में से जो पेंशन की 1/3 से अधिक न हो वसूल कर ली जावे।

[1]सरकारी निर्देश—जो सरकारी बकाया राज्य कर्मचारियों के प्रति निकलती है, उनको वसूल किए जाने में राज्य कर्मचारी अपनी पेंशन में से उनकी रकम काटने में सहमति नहीं दे रहे हैं इस कारण उनकी सहमति के अभाव में बहुत से ऐसे पेंशन के मामले पड़े हैं जिनमें अंतिम रूप से निर्णय नहीं दिया जा रहा है। महालेखाकार ने सूचित किया कि बकाया रकम का निर्देशन या तो अधिशासी अधिकारियों (Executive Authorities) द्वारा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में कर दिया जाता है या ये सेवा के सत्यापन के समय में उसके कार्यालय में ढूंढ लिए जाते हैं। इसमें अब तक की प्रक्रिया P P Os/G P Os (पेंशन पेमेन्ट आर्डर्स/जनरल प्रोविडेन्ट फण्ड्स) जारी न करने की रही है जब तक कि पेंशन प्राप्त करने वाले से पेंशन से वसूली करने की सहमति प्राप्त न करली जाय। नियम 169 के नीचे आडिट निर्देशन संख्या 1 में दिया गया है कि जहां पेंशन प्राप्त कर्त्ता अपने बकाया की रकम को पेंशन में से काटने की स्वीकृति नहीं देता है वहां अधिशासी अधिकारी को सरकारी बकाया पेंशन से वसूली करने के बजाय अन्य तरीकों से वसूल करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी पेंशन की राशि से बकाया की वसूली करने की सहमति की प्राप्ति को विचाराधीन रखने हुए आडिट में P P Os/G P Os को जारी करने से नहीं रोका जावेगा, इसलिए अधिशासी अधिकारियों का दायित्व पेंशन प्राप्त कर्त्ता से वसूली करने के प्रति और भी अधिक हो गया है। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि उन्हें पेंशन प्राप्त कर्त्ता से उसके प्रति बकाया रकमों को वसूल करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें या तो पेंशन की राशि से रकम काटने में उसकी सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए या अन्यथा प्रकार से रकम वसूल कर लेनी चाहिए जैसे पेंशन जारी करने से पूर्व जो कोई बकाया रकम राज्य कर्मचारी को देनी हो उसमें से वसूल कर लेनी चाहिए। वसूली करने में असफल रहने पर सरकार को पहुंचने वाले नुकसान के प्रति वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जावेंगे।

[2]पेंशन से हानियों की वसूली (Recoveries of losses from the pension)—राज्यपाल

नियम 170 को पेंशन या उसके किसी भाग को, स्थाई रूप में या किसी एक विशेष समय तक, रोकने एवं वापिस वसूल करने का अधिकार है तथा यदि किसी विभागीय या न्यायिक (Judicial) जांच में पेंशन प्राप्तकर्त्ता अपने सेवाकाल में गम्भीर दुर्व्यवहार तथा सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति काल में या उदासीन रहने के कारण अपराधी पाया जाता है तो राज्यपाल सरकार को पहुंचाई गई आर्थिक हानि का पूर्ण या आंशिक रूप में पेंशन में से वसूल करने के आदेश देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

(क) परन्तु शर्त यह कि यदि विभागीय जांच उस समय आरम्भ की गई हो जब राज्य कर्मचारी सेवा में था चाहे वह सेवा निवृत्त के पूर्व हो या पुनर्नियुक्ति के समय में हो तो उसे अधिकारी के अंतिम रूप से सेवा निवृत्त कर दिए जाने के बाद भी इस नियम के अंतर्गत जांच के रूप में ही माना जावेगा तथा वह जांच उस अधिकारी द्वारा, जिसने इसे प्रारम्भ किया है उसी रूप में लागू रखी जावेगी तथा पूर्ण की जावेगी जैसे माना वह अधिकारी सेवा में चला आ रहा हो।

[3]स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 के परन्तुक (क) के अनुसार विभागीय जांच कार्यवाही उस समय जब अधिकारी सेवा में था उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व या बाद में प्रारम्भ की गई हो तो उस अधिकारी की अंतिम रूप से सेवा निवृत्ति के बाद उक्त नियम के अधीन जांच की हुई समझी जायगी तथा वह जांच कार्यवाही उस प्राधिकारी द्वारा जिसके द्वारा वह प्रारम्भ

1 वि वि आज्ञा स डी 3327/एफ 1(76) आर/56 दि 12 11 1956 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि आज्ञा स एफ 1 (88) वि वि क/आर/6 दि 6 8-1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
3 वि. वि ज्ञापन स एफ1(54) वि वि (नियम)/67 दिनांक 30-10 68 द्वारा निविष्ट।

की गई थी, उसी तरीके म जस कि माना अधिकारी सेवा म बना रहा की जायेगी एव समाप्त की जाएगी। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या एस अधिकारी के मामले म जिसका कि मामला उपयु क्त परतुक के क्षेत्राधिकार म आता है तथा जिसके विरुद्ध जाच कायवाही राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई थी, पेशन को रोकने या प्रत्याहरित करने के आदेश जाच कायवाही के पूरे होने पर अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते है या उस प्राधिकारी के मामले को राज्यपाल के पास अन्तिम आदेश हेतु भेजना चाहिए। मामले पर विचार कर लिया गया है तथ यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 170 मे सन्दर्भित विभागीय जाच कायवाही के सम्बन्ध म अनुशासनिक प्राधिकारी का कतव्य केवल आरोपों पर जाच निष्कष तक पहुचना है न कि सरकार को उसके जाच निष्कर्षो के अनुसार रिपोट प्रस्तुत करना है। इसके बाद सरकार पर निभर करता है कि वह जाच निष्कर्षो पर विचार करे तथा राजस्थान सेवा नियमो के नियम 170 के अनुसार उस पर निणय लें। यदि सरकार अनुशासनिक प्राधिकारी के जाच निष्कर्षों को ध्यान म रखते हुए राजस्थान सेवा नियमो के नियम 170 के अधीन कायवाही करने का विचार करती है तो सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देगी जिसम राजस्थान सेवा नियमो के नियम 170 के अधीन की जाने वाली प्रस्तावित कायवाही का उल्लेख किया जायगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नाटिस का जवाब ऐसे समय के भीतर, जिसे सरकार विनिर्दिष्ट करे देने हेतु कहा जायेगा। सरकार उत्तर पर विचार करेगी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामश करेगी। यदि आयोग से परामश करने के फलस्वरूप, नियम 170 के अधीन आदेश जारी करने का निश्चय किया जाय तो आवश्यक आदेश राज्यपाल के नाम पर जारी किये जायेंगे।

(ख) ऐसी विभागीय जाच, यदि उस समय प्रारम्भ न की गई हो, जब अधिकारी सेवा मे था चाहे वह निवृत्ति से पूव हो या पुनर्नियुक्ति काल म हो तो—

(i) जाच राज्यपाल की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ नही की जा सकेगी।

(ii) तथा यदि जाच प्रारम्भ करते समय किसी घटना को हुए 4 वष से अधिक समय हो गया हो तो उस घटना के सम्बन्ध म कोई जाच नही की जावेगी, तथा

(iii) यह जाच ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसे स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी जिसके लिए राज्यपाल निर्देश दे तथा उन विभागीय जाचो पर लागू होने वाले तरीके के अनुसार की जावेगी जिनमे कि एक राज्य कमचारी को उसके सेवाकाल म सेवा से निष्कासित (बर्खास्त) किया जा सकता था।

(ग) ऐसी कोई भी न्यायिक जाच यदि अधिकारी के सेवा काल म उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व या उसकी पुनर्नियुक्ति के समय म प्रारम्भ नही की गई हो तो किसी एक ऐसी क्रिया के सम्बन्ध म या घटना के सम्बन्ध म प्रारम्भ नही की जावेगी जिसको कि समय जाच प्रारम्भ करने से पूव 4 साल से अधिक का हो गया हो।

(घ) अन्तिम आदेश जारी करने से पूव राजस्थान लोक सेवा आयोग स परामश लिया जावेगा।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजन के लिए—

(क) एक विभागीय जाच उसी तारीख को प्रारम्भ की हुई समझी जाएगी जिसको कि अधिकारी या पेशन प्राप्त कर्ता को [1][आरोप एव अभियोगो का एक ऐसा विवरण पत्र, जिन पर कि वे आरोप आधारित हैं या अनुशासनिक कायवाही करने का राज्य सरकार का एक प्रस्ताव मय उन अभियोगों के जिन पर कि उक्त अनुशासनिक कायवाही किए जाने का प्रस्ताव है][2] [जारी किया] जाता है। यदि अधिकारी एक पूव तिथि मे निलम्बित किया गया हो तो उस तारीख से जाच की हुई समझी जाएगी।

(ख) एक न्यायिक जाच

(i) फौजदारी जाच के मामला म उस तारीख को प्रारम्भ की हुई समझी जाएगी जिसको कि पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोट जिस पर मजिस्ट्रेट सज्ञान लेता है, की जाती है, एव

(ii) दीवानी जाच (Civil Proceedings) के मामले मे अदालत म मुकदमे के पेश करने की तारीख से प्रारम की हुई समझी जावगी।

---

1 वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (78) एफ डी/(व्यय नियम) 66 दिनाक 28-10-66 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2 आज्ञा स KSK एफ 1 (40) वि वि (श्र 2)/76 दि 8 9 1976 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 28 10 1966 से प्रभावशील।

[1](1) जहा नियम 170 क अ तगत कोई विभागीय या यायिक जाच प्रारम्भ की गई हो या जहा उस नियम

नियम **170क** के प्रावधान के खण्ड (क) के अ तगत एक ऐसे अधिकारी के विपरीत विभागीय जाच प्रारम्भ कर दी गई हो जो कि अनिवाय सेवा निवत्ति की उम्र पर या अ यथा प्रकार से सेवा निवत्त हो चुका हो तो उस सवा निवत्ति की तारीख से लेकर उस तारीख तक जिसको कि एक ऐसी जाच की समाप्ति पर अ तिम आदेश जारी कर दिए गए है, अस्थाई पेशन की राशि दी जावगी, जो कि उस अधिकतम पेशन की राशि से ज्यादा नहा हागी जो कि उसे अपनी सेवा निवत्ति की तारीख तक पेशन योग्य सेवा पर प्राप्य हो सकती हो या यदि वह सेवा निवत्ति की तारीख को निलम्बित होने की तारीख से पूव दिन स दी जावेगी लेकिन उस कोई भी ग्रेच्युटी या मृत्यु एव सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी उस समय तक नही मिलगी जब तक कि एसी जाच समाप्त नही हो जाती है तथा उस पर अ तिम आदेश जारी नही कर दिए जाते है।

(2) उपनियम (1) के अधान अस्थाई पेशन (Provisional Pension) के भुगतान का समायोजन पूर्वोक्त जाच की समाप्ति पर ऐसे अधिकारी के लिए स्वीकृत अ तिम सेवा निवत्ति लाभो म कर लिया जावेगा। लेकिन जहा अ तिम रूप म स्वीकृत पेशन की राशि अस्थाई पेशन की राशि से कम है अथवा जहा पेशन स्थाई या किसी निर्दिष्ट समय क लिए कम कर दी जाती हो या रोक ली गइ हो वहा कोई वसूली नही की जावेगी।

टिप्पणी—इस नियम के अ तगत अस्थाई पेशन की स्वीकृति, नियम 248 के लागू होने म उस समय पक्षपातपूण नही होगी जबकि जाच के पूण हो जान पर अ तिम पेशन स्वीकृत कर दी गई हो।

[2]स्पष्टीकरण—यह सदह प्रकट किया गया कि—रा स नि के नियम 170 क के अधीन *अस्थायी पेशन अधिकतम ग्राह्य [पेशन] हो सकती है या नही?* महालेखाकार, राजस्थान के परामश स इस प्रकरण की परीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 170-क से श दावली अधिकतम पेशन स अधिक नही का प्रयोग किया गया है क्योकि जो पेशन की राशि अधिकृत की जावेगी वह आपेक्षित पेशन होन से और सेवा की कुछ अवधि के सत्यापन न होन आदि के कारण स अस्थाई होगी। अधिकतम अधिकृति के नीचे पेशन की कटाती [उस] अधिकारी के विरुद्ध कायवाही की विषय सामग्री के कारण नही हो सकती क्योकि यह अनुचित और अवध दोनो होगा कि किसी कायवाही के परिणाम को पहले ही अपक्षित मान लिया जाय और पहले ही पेशन मे कमी कर दी जाय।

अत ऐसे प्रकरण म जाच के कारण अस्थायी पेशन ग्राह्य (admissible) होगी।

खण्ड 2 वे मामले, जिनमे मागें (Claims) स्वीकार नही की जा सकती

पेशन की माग कब अस्वीकृत होती है (Claim to pension when Inadmissible)—

नियम **171** निम्नलिखित मामलो मे पेशन की कोइ माग स्वीकार नही की जा सकती है—

(क) जहा एक राज्य कमचारी केवल सीमित अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है या किसी एक विशिष्ट काय के लिए नियुक्त किया जाता है जिसके कि पूण हो जान पर उसे कायमुक्त कर दिया जाता है।

(ख) जहा एक यक्ति मासिक मजदूरी के आधार पर अस्थाई रूप से बिना किसी विशिष्ट निर्धारित समय या सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है लेकिन उस व्यक्ति को सेवा मुक्त करन के लिए एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है तथा जहा दिए गए नोटिस का समय महीने से कम पडता है तो उस समय की उसे अपनी मजदूरी दी जानी होती है।

(ग) जहा किसी यक्ति को पूण समय क लिए सावजनिक सेवा म नही रखा जाता हो लेकिन उस राजकीय काय के अनुसार भुगतान किया जाता हो।

टिप्पणी—यह खण्ड अ यो म राजकीय सलाहकार (Govt Advocates) एव अ य कानून अधिकारियो पर लागू होता है जिन्हे कि प्राइवेट प्रेक्टिस स वचित नही किया गया है।

(घ) जब सावजनिक कमचारी किसी अ य पेशन वाल पद पर काय करता हो तो वह खण्ड (ग) म कहे गये प्रकार क किसी भी एक पद पर काम करन म या क्षतिपूरक या अ य भत्तो द्वारा भुगतान की जान वाली सेवा के सम्बन्ध म कोई पेशन प्राप्त नही करेगा।

---

1 वि वि आज्ञा स एफ 1 (88) वि वि-क (आर)/62 दि 6 8 1963 द्वारा निविष्ट।
2 विज्ञप्ति स एफ 1 [25] वि वि [अ 2]/74 दि 28 8 74 द्वारा निविष्ट।

(ड) जब कोई राज्य कर्मचारी किसी ऐसी संधि (Covenant) पर सेवा करता हो जिसमे पेन्शन के सम्बन्ध मे कोई शर्त नही दी हुई हो ऐसे मामलो मे जब तक कि सरकार विशेष रूप से राज्य कर्मचारी की उसकी सेवा पेन्शन योग्य सेवा गिनने के लिए प्राधिकृत नही करती है।

[2]टिप्पणी—अनुबन्ध (Agreement) इतने स्पष्ट शब्दो मे लिखा जाना चाहिए कि जिससे समय समय पर नियमो मे सशोधन करने के राज्य सरकार के आवश्यक अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके ताकि वह उन नियमो का लाभ उठाने का क्लेम न कर सके जो कि किसी विशिष्ट अनुबन्ध (शर्त) की तारीख को प्रभावशील थे।

दुर्व्यवहार अथवा अदक्षता (Misconduct or Inefficiency)

करुणता भत्ता (Compassionate Allowance) एक राज्य कर्मचारी जो दुर्व्यवहार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण सेवा से बर्खास्त (dismiss) या हटा दिया (Removed) जाता है तो उसे अध्याय 22 व 23 के खण्ड 2 के अन्तर्गत कोई भी ग्रेच्युटी या पेन्शन स्वीकृत नही की जा सकती है लेकिन इस प्रकार से बर्खास्त किए गए या हटाए गए राज्य कर्मचारियो के लिए करुणता भत्ता उनके साथ विशेष विचार किए जाने पर स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि किसी राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किया गया करुणता भत्ता उस पेन्शन की राशि के दो तिहाई भाग से अधिक नही होगा जो कि उसे प्राप्य होता यदि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र पर रवाना हो गया होता।

नियम 172

टिप्पणी 1 इस नियम के अन्तर्गत करुणता भत्ते की स्वीकृति दिया जाना पूर्ण रूप से सरकार के निर्णय पर आश्रित विषय है। इस निर्णय के प्रयोग मे प्रत्येक मामले मे उसके गुणो को ध्यान मे रखते हुए विचार किया जावेगा तथा उसी के आधार पर यह परिणाम निकाला जाएगा कि क्या मामले मे कोई ऐसी लघु विशिष्टतायें अवश्य थी जिनसे कि सरकारी हित मे दण्ड दिया जाना न्यायोचित था परन्तु इस प्रकार का दण्ड दिया जाना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुचित नुकसान पहुचाना था। मामले पर विचार करते समय केवल उन वास्तविक दुराचरण या दुराचरण के कारणो को ही ध्यान मे नही रखा जाएगा जिनके कारण वह बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है बल्कि उसके द्वारा की गई सेवा के प्रकार को भी ध्यान मे रखा जावेगा। जहां दुराचरण के कारण मे भी यह वध प्रमाण मिलता हो कि राज्य कर्मचारी का चरित्र बेईमानी का रहा है तो शायद ही किसी मामले मे मुश्किल से करुणता भत्ते के लिए विचार किया जा सकता है। करुणता भत्ते की स्वीकृति देने मे गरीबी कोई आवश्यक विचारणीय बात नही होगी परन्तु किन्ही अवसरो पर विशेष ध्यान इस तथ्य पर दिया जा सकता है कि राज्य कर्मचारी पर बहुत से व्यक्ति आश्रित हैं। केवल बहुत ही अपवाद स्वरूप परिस्थितियो को छोड़कर, केवल अकेला एक यही तथ्य करुणता भत्ता स्वीकृति कराने के लिए पर्याप्त नही समझा जावेगा।

2—दुराचरण को ध्यान मे रखते हुये जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति की जावेगी वह इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दुराचरण के कारण हटाया गया हुआ समझा जावेगा।

3 करुणता भत्ते के भुगतान मे देरी को बचाने के लिए सेवा मे हटाये गए राज्य कर्मचारियों के मामलो मे निम्नलिखित तरीका अपनाया जावेगा।

(i) दुर्व्यवहार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण राज्य कर्मचारी को सेवा से हटाने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने पर कार्यालय के अध्यक्ष को यदि वह करुणता भत्ता स्वीकृत करने के लिए सिफारिश का प्रस्ताव करता है तो उसे पेन्शन के प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अपनी सिफारिश लिखनी चाहिये तथा उसे महालेखाकार के पास पेन्शन का टाइटिल प्राप्त करने के लिए भिजवा दिया जाना चाहिये। कार्यालय के अध्यक्ष को राज्य कर्मचारी के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए इन्तजार नही करना चाहिये।

(ii) यदि सक्षम प्राधिकारी हटाए जाने के आदेश मे यह उल्लेख करता है कि अयोग्य पेन्शन (Invalid pension) का कुछ भाग करुणता भत्ते के रूप मे स्वीकृत किया जाना है तो पेन्शन के लिए और अग्रिम स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नही रहगी तथा बाद मे जो कुछ चाहिए वह यह है कि उपरोक्त खण्ड (i) मे वर्णन किए गए अनुसार महालेखाकार को कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा पूर्ण भर कर व हस्ताक्षर कर भेजे गए पेन्शन के प्रार्थना पत्र पर पेन्शन की स्वीकृति प्रमाणित करनी चाहिये।

---

2 वि वि स एफ 5 [1] एफ [आर]/56 दि 11 1 1956 द्वारा निविष्ट।

(4) जहां सेवा से बर्खास्त किए गए या हटाए गए राज्य कर्मचारियों के लिए नियम 172 के अन्तर्गत करुणता भत्ता स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो उन मामलों में स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को नियम 213 के अनुसार ऐसी पेंशन की राशि निश्चित करने के लिए सेवा की कमियों को कन्डोन नहीं करना चाहिए जो कि उसे प्राप्य होती यदि वह उस चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सेवा निवृत्त होता जिसके आधार पर कि करुणता भत्ता निकाला जाता है।

(5) करुणता भत्तों की स्वीकृति वाले सभी मामलों में महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करना जरूरी है।

अंकेक्षण निर्देशन – एक करुणता भत्ता ऐसी पेंशन नहीं है जो कि उत्तरदायित्व आडिट अधिकारी द्वारा स्पष्ट एवं कठोर रूप में नियमों के अनुसार प्रमाणित की गई हो, एवं इसलिए नियम 293 के प्रावधान इस भत्ता पर लागू नहीं होंगे।

[1]नियम 172क (1) एक राज्य कर्मचारी जिसे दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है उसके लिए ऐसा दण्ड देने वाला सक्षम अधिकारी पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों ही ऐसी दर पर स्वीकृत कर सकता है जो उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को उसे प्राप्य पूर्ण अयोग्य पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों ही की राशि के दो तिहाई भाग से कम नहीं होगी तथा प्राप्य पूर्ण अयोग्य पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों की राशि से अधिक नहीं होगी।

(2) जब कभी राज्य कर्मचारी के मामले में राज्यपाल महोदय द्वारा इन नियमों के अधीन देय पूर्ण अयोग्य पेंशन से पेंशन की राशि को कम अभिनिर्णित (चाहे मूल अपील में या पुनर्विलोकन करने के अधिकार के तहत) करनी जाती है तो ऐसे मामलों में ऐसी आज्ञा जारी करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त करनी होगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम में उल्लेखित शब्द 'पेंशन' में ग्रेच्युटी भी सम्मिलित है।

विधवा की मांगें (हक) (Claims of Widow)

विधवा के हक नियम 173 (क) प्रत्येक कर्मचारी का स्वयं का कर्तव्य परिवार की सेवा करना होने से सरकार एक विधवा के हक को उसके पति द्वारा की गई सेवा के बदले में मानने को तैयार नहीं है तथा इस नियम के विपरीत उसके क्लेम के लिए जो भी सिफारिश की जावेगी उसे आवश्यकीय रूप से रद्द कर दिया जायगा।

[2]टिप्पणी–(1) दिनांक 1-9-69 को या उसके बाद सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपार्जित अवकाश जो मृत सरकारी कर्मचारी को उसकी मृत्यु की तारीख को उसे देय हो, किन्तु जो 120 दिन के उपार्जित अवकाश से अधिक नहीं होगा उसके सम्बन्ध में स्वीकार्य अवकाश वेतन की राशि के बराबर की एक मुश्त राशि का भुगतान मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी/बालकों को किया जा सकता है। परन्तु शर्त यह है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी/बच्चे राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अधीन परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं हो तो भुगतान योग्य एक मुश्त राशि का ऐसे दिनों जिसके लिए एक मुश्त भुगतान किया गया है के लिए भुगतान योग्य परिवार पेंशन की राशि में से घटा दिया जायेगा। अन्य मामलों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(2) उपर्युक्त परा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए एक मुश्त भुगतान सरकारी कर्मचारी की विधवा पत्नी/बच्चा को भी दिया जा सकता है यदि वह निम्न में से किसी भी परिस्थिति में मरता है—

(i) अस्वीकृत अवकाश का उपभोग करते समय/एक मुश्त भुगतान मृत्यु के कारण वास्तव में नहीं लिए गए अस्वीकृत अवकाश की राशि तक ही सीमित होगा जिसमें से स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि को यदि कोई हो घटा दिया जायगा।

(ii) सेवा में वृद्धि के समय

(iii) सेवा निवृत्ति के ठीक बाद पुनर्नियुक्ति के समय, यदि उसने मृत्यु के समय एक पुनर्नियोजन की अवधि में अस्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं किया हो।

---

1 वि वि आज्ञा स एफ 1(60) वि वि (श्रेणी 2) 27/74 दिनांक 18 8 75 द्वारा वर्तमान नियम 172 क और उसके नीचे सरकारी निर्णय और टिप्पणी के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 वि वि की आज्ञा सख्या एफ 1 (60) वि वि (नियम) 70 दि 29-9-70 द्वारा निविष्ट। तथा 1 9 1969 से प्रभावशील।

[1](3) इस टिप्पणी के भुगतान योग्य इकट्ठी राशि से महगाई भत्ते और क्षतिपूरक भत्ता के तत्व शामिल नहीं होंगे।

[1](4) मृत सरकारी कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस टिप्पणी के अधीन भुगतान योग्य इकट्ठी राशि की भी स्वीकृति देगा।

(5) इस टिप्पणी के प्रावधान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। ये दिनांक 1-9-69 से प्रभावी होंगे।

(ख) केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, इस प्रकार की सिफारिशें करना अनुमोदित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल उन आशाओं को बढ़ावा देता है जो पूर्ण नहीं की जा सकती।

[2]टिप्पणी—विशेष रूप से विचार करने योग्य मामलों में गरीब स्थिति में छोड़े गए राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को करुणता निधि (Compassionate Fund) में से उसे नियमित करने वाले नियमों के अन्तर्गत जो परिशिष्ट में वर्णित है, सहायता दी जा सकती है।

यह निधि (फण्ड) नियमों में दिये गए पेंशनों एवं ग्रेच्युटी के वर्तमान प्रावधानों के पूरक रूप में नहीं रखी गई है। इसलिए इस निधि से स्वीकृतियां केवल अपवाद स्वरूप (Exceptional) मामलों में ही दी जाती है तथा इस निधि से ग्रेच्युटी की स्वीकृति की सिफारिश प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक राज्य कर्मचारी को प्रार्थना पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लेनी चाहिए तथा अपने आपको इसमें संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वास्तव में उसका मामला विचारणीय है। अन्यथा इस प्रकार की सिफारिशों से प्रार्थी के दिमाग में ऐसी आशायें उत्पन्न होती हैं जो प्रायः निराशा में परिणित होती हैं। इसलिए प्रार्थना पत्रों को उन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए तथा उन पर विचार कर लेना चाहिए।

[3]नियम **173 ग** यदि राज्य कर्मचारी की मृत्यु सरकारी वायुयान में राजकीय ड्यूटी पर रहते, यात्रा करते समय अथवा राजकीय ड्यूटी पर भाड़े के वायुयान से, जो निर्धारित उड़ान पर न हो हवाई यात्रा करते समय वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप हो जाती है तो उसके परिवार को रुपया 42000/ अनुग्रह धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जावेगी।

परिशिष्ट

(नियम 173 की टिप्पणी के नीचे)
करुणता निधि को नियमित करने वाले नियम
(Rules regulating the Compassionate Fund)

1—करुणता निधि उन राज्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को राहत देने के लिए है जिनको भुगतान राज्य के राजस्व से किया जा सकता है यदि वे असामयिक मृत्यु के कारण अपने परिवार को गरीब स्थिति में छोड़ जाते हैं परन्तु किसी प्रार्थना पत्र पर साधारणतया विचार नहीं किया जावेगा।

(i) जो ऐसे राज्य कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा पेश किया जावे जो कि अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करते थे या

(ii) जो ऐसे राज्य कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा पेश किया जावे जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 257 के अन्तर्गत उपकर्म रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए योग्य हो चुके थे, या

(iii) जो सम्बन्धित कार्यालय के अध्यक्ष को राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक साल के भीतर पेश नहीं की गई हो जब तक कि देरी से प्रस्तुत किए जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से न

---

1 विज्ञप्ति सं एफ 1 (60) वि वि [नियम]/70 दि 13-12-1971 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 1-9-1969 से प्रभावशील माने गये।

नियम 173 के उपनियम [क] के नीचे की 'टिप्पणी' [जो वित्त विभाग की विज्ञप्ति सं एफ 1 [60] वि॰ वि॰ [नियम]/70 दि॰ 29-9-1970 द्वारा निविष्ट की गई थी] में वर्तमान पैरा [3] को पैरा [5] किया जावे और उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा पैरा [3] व 4 जोड़ा गया।

2 वि वि आज्ञा सं एफ 7 क [13] वि वि/ए/नियम/59 I दि 8-10-1960 द्वारा निविष्ट।

3 वि वि की आज्ञा सं एफ 1 (55) वि वि (श्रेणी 2) 75 दिनांक 5-2-76 द्वारा निविष्ट।

बतलाया जावे। (यह अत्यन्त वाञ्छनीय है कि राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाना चाहिए)।

[1]2—निधियों के किए गए भुगतान '65 पेन्शन एण्ड अदर रिटायरमेंट बेनीफिट कम्पसीनेट एलाउन्स' शीर्ष, के अन्तर्गत लिखे जाएंगे।

3—निधि (फण्ड) से अनुदान (Grants) निम्न सामान्य नियमों द्वारा शासित होंगे—

(1) फण्ड से अनुदान केवल अपवादस्वरूप प्रकृति के मामलों में ही दिए जाएंगे।

(2) मृत राज्य कर्मचारी द्वारा लगातार एवं उत्तम सेवा की गई हो। प्रशंसनीय सेवा (Meritorious Services) पर विशेष रूप से विचार किया जाता है।

(3) सेवा में विशेष तल्लीनता के कारण मृत्यु होने पर विचार करने के लिए ठोस मांग स्थापित होती है।

(4) अधिक साधारण मामलों में, उन लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने अधिक समय तक सेवायें की है लेकिन जो किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी एवं/या पेन्शन प्राप्त करने में असफल रहे है।][2] [लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के लिए स्वीकृत की गयी पेंशन/उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि परिवार की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है तो वास्तविक विचारणीय मामला में निधि में से उसे अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है]

(5) अन्य सब चीजें समान होने पर प्राथमिकता उन लोगों को दी जावेगी जिनकी वेतन दर निम्न रही है।

[3](6) सामान्य नियम के रूप में अनुदान नहीं दिया जाएगा यदि मृत सरकारी कर्मचारी का परिवार पेन्शन के लिए अधिकृत है तथा मृत सरकारी कर्मचारी का अन्तिम वेतन 750 रु० प्रति माह से अधिक है। यदि परिवार, परिवार पेन्शन के लिए अधिकृत नहीं है तथा मृत सरकारी कर्मचारी का अन्तिम वेतन 750 रु० प्रति माह से अधिक है तो निधि में से अनुदान उचित मामलों में ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

4—(1) निधि से जो अनुदान दिये जाते है वे सामान्यतः ग्रेच्युटियों के रूप में होंगे। साधारणतया फण्ड में कोई पेन्शन स्वीकृत नहीं की जावेगी लेकिन कुछ मामलों में बच्चों की शिक्षा के व्यय को सहन करने के लिये मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) किसी भी व्यक्तिगत मामले में अधिकतम दी जा सकने वाली राशि की सीमा 5000) रु० होगी। सही रकम परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तथा मामले की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जावेगी। मृत व्यक्ति के एक वर्ष के वेतन के बराबर की राशि उन मामलों में अधिकतम उचित राशि मानी जायगी जिनमें कि परिस्थितियां उदारता पूर्वक विचार करने के लिए बाध्य करती हों, लेकिन अधिकतर मामलों में 6 माह के वेतन के बराबर की राशि को ही पर्याप्त माना जावेगा।

[4]एक वर्ष से अधिक वेतन के बराबर की राशि भी निधि में से अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि कमेटी इससे सन्तुष्ट हो जाये कि मामले में उसके स्वरूप को देखते हुए अधिक उदारता बरती जानी चाहिए तथा इसके लिए कारणों को स्वीकृति में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

[5]5—भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही (करुणता निधि से स्वीकृत) यदि ग्रेच्युटी स्वीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जावेगा जिसे कि नियम 6 में वर्णित कमेटी द्वारा प्राप्त करने वाला अधिकारी माना जावेगा।

---

1 वि वि के आदेश संख्या एफ 1 (55) एफ डी (व्यय नियम) 66 दिनांक 2-10-66 द्वारा परिवर्तित किया गया।

2 वि वि की आज्ञा सं एफ 1 (28) एफ डी (व्यय नियम) 65 दि 3-6-65 द्वारा संशोधित किया गया।

3 वि वि की आज्ञा सं एफ 1 (9) वि वि (नियम) 70 दि 20 2 70 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 वि वि की आज्ञा सं एफ 1 (9) वि वि (नियम) 70 दि 20-2 70 द्वारा निविष्ट।

5 नियम 5 वित्त विभाग की आज्ञा सं एफ 7 A (13, वि वि (A) R/59 दि 29 8 61

6—फण्ड से अनुदानों की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी द्वारा सिफारिश करने पर, जारी की जावेगी —

(1) मुख्य सचिव (Chief Secretary)
(2) वित्त सचिव (Finance Secretary)
(3) विशेष सचिव (नियुक्ति) (Special Secretary Appointment)
(4) उप सचिव वित्त/लेखा अधिकारी (नियम) जो सेवाओं सम्बन्धी काय कर रहे हों, कमेटी के गैर सदस्य सचिव रहेंगे।

सम्बन्धित विभाग के सचिवों को [1][विचार विमर्श] में भाग लेने के लिए उस समय आमन्त्रित किया जा सकता है जब कि उनके विभागों से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया हो।

7—यह कमेटी अप्रेल जुलाई अक्टूबर व जनवरी के [2][तीसरे सप्ताह] में बुलाई जाया करेगी तथा वह पूर्व माह की अन्तिम तारीख तक सचिव द्वारा प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों पर सिफारिशें करेगी।

8—अनुदान के आवेदन पत्र समिति के सचिव के पास प्रपत्र 'क' में भर कर अपने सम्बन्धित प्रशासन विभागों के द्वारा भिजवाये जाने चाहिए।

प्रपत्र 'ख' में बयान उस समय भरा जायगा जब प्रतिदान (अवार्ड) स्वीकृत कर दिया गया हो।

[3]प्रपत्र (क)

1 (क) मृत सरकारी कर्मचारी का नाम
(ख) अन्तिम पद जो धारण किया
(ग) जन्म तिथि
(घ) अन्तिम वेतन जो आहरित किया
(ङ) मृत्यु की तारीख

2 कुल सेवा (पेन्शन योग्य है या पेन्शन के अयोग्य)

3 उन व्यक्तियों का विस्तृत विवरण जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे—

नाम	सम्बन्ध	आयु

4 मृत व्यक्ति के [4][पिता/भाई/पुत्र या कई पुत्र]

नाम	सम्बन्ध	आयु	वार्षिक आय	वित्तीय सहायता की राशि जिसे वे मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य को देने में समर्थ हैं।

5 क्या परिवार को किन्हीं भी सम्बन्धियों के साथ आवासीय सुविधा में हिस्सा प्राप्त करने की आशा दे दी गई है।

6 आर्थिक या सम्पत्ति लाभ जो प्राप्त किए गए—

(क) राशि जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रितों को उपलब्ध हुई।

(i) परिवार पेन्शन
(ii) उपदान या यदि सरकारी कर्मचारी पेन्शन योग्य सेवा के अधीन नहीं था तो सामान्य भविष्य निधि का योग
(iii) सामान्य भविष्य निधि
(iv) राज्य बीमा विभाग से
(v) जीवन बीमा निगम/किसी भी अन्य बीमा कम्पनी से
(vi) बैंक या पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में नकद शेष
(vii) कम्पनियों, सरकारी समितियों, अल्प बचतों, प्राइवेट श्रेणियों में लगाई गई निधि

---

1 शब्द "विचार विमर्श" वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 7 A (13) वि वि (A) R/59 दि 29-8-61 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 संख्या एफ 7 A (13) वि वि क (नियम) 59 दि 21-11-60 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 वि वि की आज्ञा सं एफ 1 (66) वि वि (व्यय नियम) 69 दि 5-11-69 द्वारा प्रपत्र क के स्थान पर प्रपत्र क व ख प्रतिस्थापित किया गया।

4 वि वि आज्ञा सं० एफ 1(66) वि वि (व्यय नियम) 69 दि 2-11-70 द्वारा निविष्ट और पिता और भाई के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1](viii) अन्य स्रोतों से

(ख) क्या कोई अचल सम्पत्ति पास में है यदि है तो क्या किराये के रूप में कुछ राशि प्रति माह प्राप्त की जाती है। क्या भवन पूर्णरूपेण या आंशिकरूपेण मृत व्यक्ति के परिवार के रहने के लिए काम में आता है यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

7 भवन निर्माण अग्रिम, मध्य आय वर्ग भवन या निम्न आय वर्ग भवन निर्माण ऋण या वाहन अग्रिम के लिए सरकार की ऋण ग्रस्तता।

8 कोषागार का नाम जहां भुगतान चाहा गया है

9 प्रार्थी का पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रपत्र ख विवरण पञ्जी

फोटो

निम्नलिखित से सम्बन्धित सूचना देते हुए प्रार्थी की दो प्रतियों में विवरण पञ्जी —

(क) ऊंचाई

(ख) आयु

(ग) रंग

(घ) व्यक्तिगत चिन्ह हाथ मुंह आदि पर यदि कोई हो।

(ङ) हस्ताक्षर या दाएं हाथ के अंगूठे या अंगुलियों की निशानी।

तर्जनी अनामिका माध्यमिका सकेतिका अंगूठा

टिप्पणी—राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित प्रार्थी की पासपोर्ट साइज की दो फोटो उपयुक्त स्थान पर लगाई जानी चाहिये।

विवरण पञ्जी को प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

जहां प्रार्थी रहता है उस स्थान के जिलाधीश एवं जिला दण्ड नायक से प्रार्थी की वित्तीय स्थिति के बारे में एक अलग से रिपोर्ट।

आगे की जाने वाली टिप्पणी

1 मृत व्यक्ति के कार्य के बारे में वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी

2 क्या मृत्यु सेवा में या सेवा में अधिक लगे रहने के कारण हुई ?

3 अनुदान की राशि के सम्बन्ध में विभाग की सिफारिश

जिलाधीश की रिपोर्ट

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
जिलाधीश के हस्ताक्षर

नियम 174 प्रतिबन्ध (Limitation)—(क) एक राज्य कर्मचारी एक ही पद पर एक ही समय में अथवा एक ही लगातार की जाने वाली सेवा के लिए दो पेंशनें प्राप्त नहीं कर सकता है।

(ख) दो राज्य कर्मचारी एक ही पद के ऊपर साथ साथ अपनी सेवायें नहीं गिन सकते हैं।

सैनिक सेवा (Military Service)

नियम 175 असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए सैनिक सेवा की सगणना (Counting of Military Service for Pension under Civil Rules) —(क) 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद की गई सेवा जो कि सैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन योग्य मानी जाती है लेकिन जो इस सम्बन्ध में पेंशन प्राप्त कर सकने के पूर्व ही समाप्त कर दी जाती है पर जब राज्य कर्मचारी उसके बाद असैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन योग्य सेवा करता है तो उस सैनिक सेवा को राज्य सरकार के निर्णय पर ऐसी सेवा के रूप में गिने जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। परन्तु शर्त यह है कि सैनिक सेवा से हटाने (डिस्चार्ज) के समय या पहिले से पेंशन के बदले में जो भी बोनस या ग्रेच्युटी उसे मिलता हो वह उतनी ही मासिक किश्तों में लौटा दी जावेगी, परन्तु 36 माह से अधिक समय में नहीं चुकाई जा सकेगी तथा उस तारीख से प्रारम्भ की जावेगी जिसे सरकार तय करे।

---

1 वि वि की आज्ञा स एफ 1 (66) वि वि (व्यय नियम) 69 दि 2-11-70 द्वारा निविष्ट।

(ख) सैनिक नियमो के अन्तगत पेन्शन योग्य सेवा यदि उसके लिए पेन्शन प्राप्त करने से पूव समाप्त नहीं की जाती है तो उस असैनिक नियमो के अन्तगत पेन्शन म शामिल नही किया जावेगा।

[1](ग) असैनिक कमचारी जो कि विलीनीकरण राज्यो के अन्तगत स्थाई सेवा म थे, तथा जो महाराजा की सेना के सदस्य के रूप म युद्ध सेवा म सरकार की आज्ञा म उनके लौटने पर सेवा म वापिस लेने की शत पर उपस्थित हुए हो, तथा जो युद्ध से लौटने के बाद असैनिक सेवा म उनकी मूल या पेन्शन योग्य नियुक्ति पर वापिस हो गये हो तो, उनका पूण काल की सन्तोषजनक सेवा के पूर्ण समय को महाराजा की सेना के रूप म गिना जाएगा (इसम योगकाल के समय को भी यदि कोई हो तो शामिल किया जाएगा) यह जो सेवाए महाराजा की सेवा के रूप म शामिल की जावगी वह 3 सितम्बर 1939 अथवा सेवा में प्रविष्ट होने म न्यूनतम अवस्था प्राप्त करने की या किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करने की तिथि से, इनम से जो कोई बाद की हो, तथा 1 अप्रेल 1946 तक अथवा बाद में महाराजा की सेना म बिताए गए तथा उससे विदा होने के समय के पूव तक होगी तथा यह सेवा अवधि असैनिक पेन्शन के लिए इस शत पर स्वीकृत की जावगी कि भारत सरकार से सैनिक सेवा के लिए जो कुछ भी सेवा [पेन्शन सम्बन्धी] लाभ उन्होने प्राप्त किया होगा, उसे वे राजस्थान सरकार को वापिस कर देंगे तथा उसके लिए निम्नलिखित शत का पालन किया जावेगा—

भारत सरकार द्वारा युद्ध सेवा की इनाम के रूप म सेवा ग्रेच्युटी या पेन्शन से भिन्न जो भी युद्ध म ग्रेच्युटी या बोनस स्वीकृत किया जावगा उसे सरकार कमचारियों से नहीं मागेगी।

अकेक्षण निर्देशन—प्रतिनियुक्ति कमचारियो के मामले म नियम 175 (ग) म वणन किए गए अनुसार युद्ध सेवा के गिने जाने के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश एव पेन्शन अशदान देने का प्रश्न आवश्यक नही होगा क्योंकि इसे माफ किया हुआ समझा जाना चाहिए।

[2](घ) असैनिक कमचारी जिन्होने असैनिक पद पर अपनी नियुक्ति के पूव प्रारम्भ म महाराजा की सेना के सदस्य के रूप म कुछ सेवा की थी तथा जो लौटने पर स्थाई आधार पर असैनिक पदो पर नियुक्त हो गए हैं तो उसकी पूर्ण समय की सन्तोषजनक सेवा के पूरे साल महाराजा की सेवा के रूप मे स्वीकृत किये जावेंगे। महाराजा की सेवा के रूप म जो सेवा मानी जावेगी वह 3 सितम्बर 1939 से अथवा सेवा म प्रविष्ट होने म न्यूनतम अवस्था प्राप्त करने की या किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करने की तिथि से जो कोई बाद म हो, एक अप्रेल 1946 तक अथवा उसके बाद म अधिकतम 5 साल तक की होगी तथा यह इस शत के साथ असैनिक नियमो के अन्तगत पेन्शन योग्य मानी जावगी कि भारत सरकार या सैनिक सेवा म उनके द्वारा यदि कोई सेवा (पेन्शन सम्बन्धी) लाभ मिला होगा उसे वे राजस्थान सरकार को लौटा देंगे तथा इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जावेगा—

(i) सैनिक सेवा का पूर्ण काल अधिकतम 5 वष तक गिने जाने के लिए स्वीकृत किया जावेगा।

(ii) ऐसी सेवा के मामले में जिसमे नियुक्ति की न्यूनतम उम्र निश्चित की गई है, कोई भी सेवा जो उस अवस्था के प्राप्त करने म पूव की गई है पेन्शन योग्य नही गिनी जावेगी।

(iii) पेन्शन के लिए अवकाश को सेवा के रूप म गिने जाने के लिए युद्ध सेवा के अतिरिक्त समय को, राजस्थान सेवा नियमो के नियम 204 के अन्तगत कुल सेवाकाल मे शामिल नहीं किया जावेगा।

(iv) भारत सरकार द्वारा युद्ध सेवा का इनाम के रूप म सेवा ग्रेच्युटी या पेन्शन म भिन्न जो भी युद्ध ग्रेच्युटी या बोनस स्वीकृत किया जावेगा, वह कमचारियो से नहीं मागा जावेगा।

अकेक्षण निर्देशन—(1) जब इस नियम के अन्तगत पूव मिलेट्री सेवा को असैनिक पद पर पेन्शन के लिए गिने जाने का आदेश जारी कर दिया जाता है तो इससे यह समझा जावेगा कि इसम सैनिक सेवाओं के बीच के व्यवधान को यदि कोई हो तो क्षमा करना भी शामिल होगा तथा सैनिक सेवा व असैनिक सेवाओ के व्यवधान को भी, यदि कोई हो तो क्षमा करना शामिल होगा बशर्ते कि व्यवधान का समय 2 साल से ज्यादा न हो।

(2) यदि कोई योग्य सेवा जो आदेश के अन्तगत मिलाई जाये उसके सम्बन्ध मे पेन्शन सम्बन्धी दायित्व की राशि का व्यय, एकाउन्ट कोड खण्ड 1 के परिशिष्ट 3 के सक्शन बी (4) के

---

1 स एफ 1 [52] आर/52 दि 30 6 56 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 स एफ 1 (25) एफ (आर)/56 दि 1 8 56 द्वारा निविष्ट।

अवतरण 14 म दिये गये विनरण (Allocation) सम्ब धी सामा य सिद्धाता के अनुसार राज स्थान सरकार के नाम लिखे जायेंगे।

असनिक नियमो के अन्तगत सैनिक सेवा की उच्चतर या चतुथ श्रेणी सेवा मे गिना जाना-

नियम **176** (Counting Military service as sup rior or class IV un der Civil Rules) पूर्वोक्त नियम के प्रयोजन के लिए जो सेवाए सिपाही या जवान या उच्च योद्धा पद पर की जाती है उन्हें उच्चतर सेवा म गिना जावेगा यदि असनिक नियमा के अन्तगत पेंशन वाले उच्च पद पर उनकी नियुक्ति बाद म हो जाती हो। अन्य मामलो मे नियुक्ति की शर्ता क अनुसार जिनम सेवा की जाती है सनिक सेवा को उच्च या चतुथ श्रेणी सेवा मे गिना जावगा। इसम असनिक नियमो के अन्तगत पेंशन योग्य नियुक्ति म निश्चित किए गए सिद्धान्तो को भी ध्यान म रखना होगा। सन्देहप्रद मामले सरकार क पास भिजवा दिए जाने चाहिये।

टिप्पणी फोलाअर" के रूप म की गई सेवा चतुथ श्रेणी सेवा के रूप म समझी जानी चाहिये।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(1) प्राथमिक शत - राज्य कमचारी जब अपना निश्चित कायकाल समाप्त करता है या विशेष परिस्थितियो म उस काल से पूव भी सेवा निवत्त होता है तो उसे इन नियमा के अधीन विश्राम वत्ति या पे शन प्राप्त होती है जो कि उसके जीवन यापन का एक सहारा होती है।

पेंशन स्वीकृति की प्रथम शत यह है कि 'वह सेवा निवत्त राज्य कमचारी भविष्य मे सदाचरण करेगा" राजस्थान सेवा नियमा क नियम 169 की इस प्राथमिक शत का 'राजस्थान राज्य कमचारी गव प शन भागी आचरण नियम 1950 के नियम 24 म इस प्रकार वणन किया गया है —

24 सेवा निवत्त कमचारी (पे शनर) —निवृत्ति वेतन (पे शन) की प्रत्येक कमचारी को स्वीकृति के लिय भविष्य म अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। यदि सेवानिवत्त किसी भयकर अप राध म सजा प्राप्त करे अथवा गभीर दुराचरण का दायी पाया जावे तो राज्य सरकार निवत्ति वेतन अथवा उसके किसी अन्य का वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

स्पष्टीकरण—राष्ट्रद्रोही राजनतिक प्रवत्तिया म भाग लेने या अवधानिक प्रवत्तिया को प्रोत्साहन देने को इस नियम म गभीर दुराचरण माना जा सकता है। (2) राज्य कमचारियो के अन्य नियम सेवा निवत्त कमचारियो पर लागू नही होते।'

इस प्रकार पे शन भोगी द्वारा सदाचरण का जीवन बिताना अनिवाय है।

(2) देय पे शन मे से कटौती एक दण्ड —इन राजस्थान सेवा नियमा के नियम 170 व 170 क के अधीन इस बारे म प्रावधान दिये गये हैं। किन्तु राजस्थान असनिक सेवायें (C C A) नियम 1958 के नियम 14 (4) म पेंशन की दशा म नियमानुसार देय पेंशन म कटौती को पदा वनति के एक रूप म दण्ड माना है।

सेवा निवत्त कमचारी की पेंशन म कमी या कटौती करना घीगडा—काण्ड[1] के मापदण्ड के अनुसार एक दण्ड है। अत इसके लिय उक्त नियमा के नियम 16 के अधीन जाच व निणय की काय वाही की जानी अनिवाय है। सेवा के बदले म नियमानुसार सेवा निवृत्त कमचारी पे शन पाने का अधि कारी हो जाता है और यह अधिकार सविधान के अनुच्छेद 31 के अर्थ म सम्पत्ति का अधिकार होगा। अत यदि अन्यायपूर्ण तरीके स पेंशन म कटौती की गई तो अनु० 31 के भग होने से अनुच्छेद 226 के अधीन सरक्षण प्राप्त होगा[2] किन्तु देय पेंशन म कमी करना पदावनति नही है। अत अनुच्छेद 311 आकर्षित नही होता पदावनति केवल तभी मानी जावेगी जब कि उसे पदावनति के बाद सेवा करनी हो।[3] यदि आरोप सिद्ध हो जावे तो पेंशन म कमी की सजा दी जा सकती है।[4]

देय से कम पेंशन देने पर व्यवहार न्यायालय (Civil Court) म वाद (Suit) किया जा

---

1 AIR 1958 SC 36
2 भगवान सिंह बनाम भारत सघ AIR 1962 Punjab 503
3 एम नरसिंहाचारी बनाम मसूर राज्य AIR 1960, 247, पी सी माधवन बनाम ट्रावनकोर कोचीन राज्य AIR 1957 SC 236

सकता है।[1] किन्तु मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मत को नहीं माना है।[2] अनुच्छेद 302 (रा से नि 248 के समकक्ष) के अधीन पेंशन में कटौती के लिये एक कर्मचारी के सम्पूर्ण कार्यकाल का सर्वेक्षण करके ही निर्णय देना सम्भव होगा कि उसका कार्यकाल पूर्णत संतोषजनक रहा या नहीं। यदि इसके लिये मस्तिष्क से विचार नहीं किया गया, तो उक्त प्रावधान ही स्वीकार नहीं किया जा सकता।[3]

(3) सेवा निवृत्ति के बाद व दण्ड देना —जिस राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच प्रारम्भ हुई या चल रही है। वह उस कार्यवाही के दौहरान हर आवश्यक स्थिति पर एक 'राज्य कर्मचारी' रहना चाहिये।[3] यदि किसी भी समय बीच में वह राज्य कर्मचारी नहीं रहता, तो सरकार को उसके विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।[4]

सेवा निवृत्ति के बाद जाच नहीं चल सकती यह एक सर्वमान्य निर्णय है।[5] प्रार्थी के विरुद्ध नियम (16) के अधीन जाच प्रस्तावित की गई और आरोप पत्र दिया गया। बाद में उस रा से नि 244 (2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया। इस पर प्रार्थी का यह कथन है कि पहले जाच पूरी की जावे और बाद में उसे सेवा निवृत्त किया जावे, न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जिसे सेवानिवृत्त किया जाता है वह सेवा का सदस्य नहीं रहता और न असैनिक पद ही धारण करता है। अत सेवानिवृत्ति की आज्ञा प्रभावित होने के बाद न उसका कोई दण्ड दिया जा सकता है और न ही जाच जारी रखी जा सकती है।[6]

(3) अनिवार्य सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप में—रा से नि 172–क में इस दण्ड का वर्णन किया गया है, जो कि राजस्थान असैनिक सेवायें (C C A) नियम 14 में एक असाधारण दण्ड बताया गया है और इसके दिये जाने से पहले नियम 16 के अनुसार जाच आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों ने निम्न परिस्थितियों में इसे दण्ड माना है—

एक कशियर को 25 वर्ष की योग्य सेवा पूरी करने पर जिलाधीश ने अनिवार्यत सेवा निवृत्त कर दिया। इस पर यह कहा गया कि जिलाधीश को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल ने राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के अधीन मामलों में अपने अधिकार यदि विशिष्ट रूप से किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रदत्त नहीं किये हैं तो किसी दूसरे को उनका प्रयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और क्योंकि ऐसी सेवा निवृत्ति अवैध है अत इस पूर्वकालिक प्रभाव से वैध नहीं किया जा सकता।[7] यद्यपि अपील में सरकार ने असक्षम प्राधिकारी की आज्ञा को भी स्वीकार (Upheld) कर लिया है परन्तु इससे वह आज्ञा सक्षम नहीं हो जाती,[8] 25 वर्ष की योग्य सेवा पूरी करने के पहले यदि बिना शारीरिक या मानसिक अशक्तता या अक्षमता के अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आज्ञा दे दी गई तो वह दण्ड होने से अनु 311 को आकर्षित करती है।[9] यदि कोई आज्ञा कलक लगाती है तो आज्ञा का उद्देश्य कलक लगाना नहीं था कुछ भी अर्थ नहीं रखता। परन्तु कलक है या नहीं यही आवश्यक है। जहा प्रार्थी को कुछ दोषों के लिये उत्तरदायी मानकर कुछ राशि वसूल करने के निर्देश देकर फिर उसे जनहित में सेवा में रखना उचित नहीं समझा गया वहा ऐसी आज्ञा एक दण्ड है।[10]

उदाहरण

(1) एक कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने के 4 माह तक पेंशन प्राप्त करने के बाद सरकार के

---

1 AIR 1962 Punjab 8
2 AIR 1963 Madras 49
3 AIR 1964 Mysore 221
4 AIR 1955 T&C 245
5 AIR 1965 SC 473 AIR 1967 Raj 82
6 1951 *RLW 30*
7 कपूर चन्द बनाम राजस्थान राज्य ILR 1962 *Raj 69*, ILR (1955)5 Raj 214 और AIR 1953 SC 95
8 *ILR* 1962 Raj 69
9 ILR 1961 Raj 371
10 AIR 1962 Raj 258 AIR 1958 SC 1905, *AIR 1958* SC 36,

ध्यान म आया कि वह सवा निवत्ति के 6 माह पहले गबन के मामले म दोषी है। विभागाध्यक्ष न उसमे 500 रु० हानि पेंशन म से वसूल करन की आज्ञा दी।

उत्तर—यह कायवाही नियम 170 (ख) के अनुसार शत (i) व (iii) के अधीन रहत हुए सही है।

(2) एक अधिकारी को दण्ड स्वरूप अनिवाय सेवा निवत्त किया गया। प्रस्ताव है कि उसे 65 रु० मासिक पेंशन दी जाये, जब कि अशक्तता पशन की राशि 120 रु० मासिक होती है।

नियम 172 क के अनुसार इस मामले म अशक्तता पेन्शन की दो तिहाइ यानी 80 रु० मासिक से कम पेंशन देने का प्रस्ताव अनुचित है।

(3) एक तहसील के स्थायी कमचारी पटवारी का पर दुघटना म टूट जाने से वह स्थायी रूप से अशक्त हो गया। उपजिलाधीश ने उसे देखकर यह प्रस्ताव किया कि—उक्त पटवारी अब गिरदावरी आदि काय नही कर सकता। अत उसे अशक्त घोषित कर अशक्तता पेन्शन दे दी जावे।

इस पर नियम 232 (क) के अधीन डाक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त करन के बाद व कमचारी की सहमति लेने के बाद ही कायवाही सभव है।

अध्याय 18

योग्य सेवा की शर्तें

(Conditions of qualifying service)

खण्ड 1 – योग्य सेवा की परिभाषाए

सेवा का प्रारम्भ (Beginning of service)

योग्य सेवा प्रारम्भ होने की उम्र उच्च सेवा—[1](क) क्षतिपूरक ग्रेच्युटी को छोड़कर एक राज्य कमचारी की सेवा उस समय तक योग्य नही होती है जब तक कि उसने 18 साल की उम्र प्राप्त न करली हो।

नियम 177

(ख) अन्य मामलो मे—दूसरे मामलो म जब तक विशेष नियम या शत द्वारा अन्यथा प्रकार से प्रावधान न रखा गया हो प्रत्येक राज्य कमचारी की सेवा उस समय से प्रारम्भ होती है जब वह अपनी प्रथम नियुक्ति पर पद का कायभार सम्भालता है।

नियम 178 चतुथ श्रेणी सेवा—[2](विलोपित)

योग्यता की शर्तें (Conditions of qualification)

योग्यता की शर्तें—एक राज्य कमचारी की सेवाए पेन्शन के योग्य उस समय तक नही होती हैं जब तक वह निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी न करता हो—

नियम 179

प्रथम शत—उसकी सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दूसरी शत—उसकी नियुक्ति स्थाई पद पर स्थाई रूप स होनी चाहिए।

तीसरी शत—सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार का निणय—[3](विलोपित)

---

1 स एफ 1 (51) वि वि A/(नियम)/61 दि 18 12 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 स एफ 1 (51) वि वि A/(नियम) 61 दि 18 12 61 द्वारा विलोपित।
3 स डी 4068/एफ/(99) आर/56 दि 31 8 56 द्वारा विलोपित।

किसी भी सेवा को योग्य सेवा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार की शक्ति—फिर भी

नियम **180** सन्चित निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा के मामले में, चाहे प्रथम या दूसरी दोनों अथवा दोनों में से एक भी शर्त को पूरा न किया जाता हो, सरकार यह घोषित कर सकती है कि किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा या राज्य कर्मचारी द्वारा की गई सेवा ऐसी शर्तों के आधार पर पेंशन-योग्य मानी जावेगी जिन्हें सरकार निश्चित करे।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी जिसकी पूर्ण सेवा अस्थाई है तथा जो अस्थाई स्थापन की कटौती के कारण सेवा मुक्त कर दिया जाता है, उसे नियम 180 के अन्तर्गत पेंशन की स्वीकृति इस नियम की भावना से मना नहीं की जा सकती है। यह रियायत जो इस नियम में दी गई है, इसका अभिप्राय उन अस्थाई राज्य कर्मचारियों के लिए उनकी वृद्धावस्था में सहायता के साधन प्रदान करना है जितनी कि पेंशन के अयोग्य नियुक्ति में लम्बे समय तक एवं विश्वसनीय सेवा इस प्रकार की है जिस पर कि विशेष विचार करना जरूरी है। तब इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुमानित सेवा की अवधि, यदि वह पेंशन के लिए आवश्यक सेवा काल के बराबर सेवा नहीं करता है एक आवश्यक शर्त है इसलिए यह अपने आप स्वीकृत नहीं की जा सकती तथा रियायत करने की अन्य परिस्थितियों को अलग कर देती है। और भी थोड़े समय की स्थाई सेवा के लिए पेंशन देने से मना करने के लिए शर्त को सीमित किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिये कि इस प्रकार के मामले बिल्कुल अपवाद स्वरूप है तथा क्षतिपूर्ति, अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) व अयोग्य पेंशन से साधारण नियमों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों द्वारा ही न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

[1]सरकारी निर्णय सं०—बहुत से राज्य कर्मचारियों को सेवाओं के विलीनीकरण के दौरान में विभिन्न समय तक बिना किसी पद पर अपनी नियुक्ति के रहना पड़ा। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि यद्यपि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 179 में की गई स्थाई पद पर स्थाई सेवा करने की शर्त पूरी नहीं होती है फिर भी क्या ऐसी अवधि को पेंशन योग्य माना जावेगा।

इन अवधियों का वेतन राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य की सचित निधियों से दिया गया था। उन्होंने ऐसी अवधियों में किसी भी पद को धारण नहीं किया। इसका कारण विलीनीकरण के दौरान की आवश्यकता थी। इसलिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 180 के अन्तर्गत शक्तियों का उपभोग करते हुए राज्य सरकार आदेश देती है कि ये विचाराधीन अवधियां पेंशन के योग्य मान ली जावेंगी परन्तु इस शर्त के साथ एवं इस हद तक कि वे किसी अन्य नियम के अन्तर्गत यह अवधि अयोग्य सेवा न कर दी गई हो।

[2]निर्णय सं० 2—भूतपूर्व कोटा राज्य के पटवारियों की सेवाओं को पेंशन योग्य माना जाय या अन्यथा प्रकार से माना जाय इस सम्बन्ध में कुछ बातें महालेखाकार, राजस्थान ने सरकार से पूछी हैं। उनकी जांच की गई तथा यह तय किया गया है कि—

(1) भूतपूर्व कोटा राज्य के आदेश दिनांक 22 9 52 को उन व्यक्तियों के मामलों में पूर्व प्रभाव से लागू (Retrospectively) किया हुआ समझा जावेगा जो कि उन आदेशों के जारी करने की तारीख को पटवारी के रूप में सेवा में थे एवं 22 9 52 से पूर्व उनके द्वारा जो सेवाएं की जावेंगी वह पेंशन के लिए गिना जावेगी।

(2) भूतपूर्व राजस्थान आदेश संख्या 4963 दिनांक 9 4 49 उन आदेशों के अतिक्रमण में जारी किया गया समझा जाना चाहिए जो कि पूर्व राजस्थान सिविल सेवा नियमों (C S R) के नियम 7९(13) में दिए हुए हैं तथा उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के जारी करने की तारीख 1 2 49 से उनकी सेवाओं का पूर्ण लाभ स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) यह मान्यता पुष्ट (कन्फर्म) की जाती है कि सरकार का अभिप्राय आदेश दिनांक 9 4-49 के जारी करने की तारीख के बाद सेवा निवृत्ति के सभी मामलों में पूर्व राजस्थान सिविल सेवा नियमों या राजस्थान सेवा नियमों में जभी भी स्थिति हो निर्धारित की गई दरों के अनुसार, प्रत्येक राज्य कर्मचारी द्वारा की गई योग्य सेवा की अवधि के प्रसंग में इस चीज का ध्यान में लाये बिना ही कि उसने 30 साल की पूर्ण योग्य सेवा की है या नहीं उन्हें पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत करना था एवं

(4) ऐसे मामले जिनमें पटवारी लोग एक अन्य पेंशन योग्य पद पर स्थानान्तरित हो गये हों जिन पर 30 साल की सेवा की शर्त लागू नहीं होती थी तो पटवारी के पद पर की गई सेवाओं का दूसरे पेंशन योग्य पद की सेवाओं के साथ पेंशन/ग्रेच्युटी प्राप्त करने के प्रयोजन से मिला लिया जावे।

1 एफ 23 (2) आर/52 दि 31 5 52 द्वारा निविष्ट।
2 एफ 13 (48) एफ II/53 दिनांक 29 12 53 द्वारा निविष्ट।

[1]निर्णय स० 3—क्या भूतपूर्व अलवर राज्य के पटवारियों की 1 3 46 से पूर्व सेवा के जिससे कि पटवारियों की सेवाएं राजस्व मन्त्री अलवर की टिप्पणी संख्या 112/आर/8 डी ओ 4 दिनांक 26 4 46 के अन्तर्गत पेंशन योग्य कर दी गई हैं पेंशन योग्य सेवा में गिना जाता है या नहीं एवं क्या उन्हें 30 साल की पूर्ण योग्य सेवा किए गए बिना ही पेंशन या ग्रेच्युटी मिल सकेगी यद्यपि वे राजस्थान सेवा नियमों के जारी होने की तारीख 1/4/51 के बाद सेवा से निवृत्त हुए हैं जो कि पटवारियों एवं अन्य राज्य कर्मचारियों को प्राप्य पेंशन/ग्रेच्युटी मे कोई फर्क नहीं डालते हैं इस आशय के प्रश्न पर सरकार द्वारा जांच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि अलवर राज्य के पटवारियों द्वारा 1 3 46 से पूर्व की गई सम्पूर्ण सेवाओं को कोटा राज्य के पटवारियों एवं सिरोही राज्य के कर्मचारियों की सेवा को पेंशन योग्य गिनने में जो निर्णय लिये गये हैं उन्हीं की समानता पर, पेंशन योग्य माना जावेगा। दिनांक 1 4-51 को या इसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले पटवारियों के केसेज राजस्थान सेवा नियमों में दिए गए पेंशन नियमों से निपटाये जावेंगे तथा उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के साधारण नियमों के अन्तर्गत पेंशन योग्य सेवा के अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी मिल सकेगी तथा राजस्व मन्त्री अलवर की टिप्पणी संख्या 112/आर/8 डी ओ आर 46 दिनांक 26 4 46 में उन पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह उन पर लागू नहीं होगा।

[2]निर्णय स० (4)—हिज़हाईनेस राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि पूर्व राजस्थान सरकार के आदेश दि 9 4 49 के जारी होने से पहिले टोंक राज्य के पटवारियों द्वारा की गई सेवायें पूर्व प्रभाव से पेंशन योग्य समझी जावें तथा इसे कोई ध्यान में न रखा जावे कि टोंक राज्य के नियमों के अन्तर्गत उनकी सेवायें पेंशन के अयोग्य थी। उनके मामले में पूर्व राजस्थान सरकार के आदेश दि 9 4 49 को उक्त नियम 75 (13) में दिए गए प्रावधानों के अधिक्रमण (Supersession) में जारी किया गया समझना चाहिए।

[3]निर्णय स० (5)—राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ राज्य कर्मचारी ऐसे हैं जो विलीनीकरण राज्यों के कार्यालयों में स्थाई पदों पर कार्य कर रहे थे तथा जो उसी समय केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिये गए थे तथा जिन्हें एकीकरण के पूर्व अस्थाई विभागों या अस्थाई पदों पर लगाया गया था तथा जो संघ वित्तीय एकीकरण (Federal Financial Integration) के बाद भी उन्हीं पदों पर कार्य करते रहे। कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो 1 4 50 के बाद अस्थाई या कार्यवाहक पदों पर स्थानान्तरित हो गए थे। चूंकि ये व्यक्ति स्थाई पदों पर निश्चित (फिक्स) नहीं किये गये थे इसलिए उनका लीयन किसी भी स्थाई पदों पर न रह सका। अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि इन अस्थाई या कार्यवाहक पदों पर की गई सेवाओं के समय को पेंशन के लिए किस प्रकार समझा जा सकता है तथा पेंशन के लिए औसतन राशि उपलब्धि (Average emoluments) के प्रयोजन के लिए क्या वेतन गिना जाना चाहिये।

उक्त अवधि में सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों के वेतन राज्य की संचित निधि से दिया गया था यद्यपि वे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 179 में दी गई स्थाई नियुक्ति वाली दूसरी शर्त को पूरा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें संघ वित्तीय एकीकरण (फेडरल फाईनेंसियल इन्टेग्रेशन) के दौरान की आवश्यकता के कारण बिना लीयन के छोड़ दिया गया था। इसलिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 180 में प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए हिज़हाईनेस राज प्रमुख ने आदेश दिया है कि विवादग्रस्त समय की सेवा पेंशन के योग्य मानी जावे परन्तु इस शर्त व इस सीमा के साथ कि वह सेवा अन्य नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए अयोग्य न कर दी गई हो तथा यह कि उनकी अस्थाई या कार्यवाहक नियुक्तियों के वेतन के अन्तर को प्रतिनियुक्ति (सेवा) भत्ते के रूप में माना जावेगा अर्थात् राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 के प्रयोजन के लिए वेतन में से उतनी ही कटौती की जाएगी जितनी की राज्य सरकार प्रत्येक मामले पर उसके गुणों को ध्यान में रख कर या सामान्य आदेशों द्वारा निश्चित करना उचित समझे। इसलिए ऐसे मामलों में सेवा निवृत्ति के पूर्व प्रत्येक मामले में 'औसतन राशि' के लिए वित्त विभाग के पूर्व आदेश प्राप्त करने चाहिए जब तक कि मामला किसी ऐसे सामान्य आदेश के अन्तर्गत न आता हो जो कि उस विषय पर जारी किए जा चुके हैं।

---

1 एफ 13 (47) एफ II/53 दि० 17 3 54 द्वारा निविष्ट।
2 एफ 13 (42) एफ II/53 दि० 27 4 54 द्वारा निविष्ट।
3 एफ 13 (34) एफ II/53 दि० 10 6 54 द्वारा निविष्ट।

[1]निर्णय सं० (6)—(1) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10 6 54 के और स्पष्टीकरण में हिजहाईनेस राज प्रमुख ने आदेश दिया है कि जो राज्य कर्मचारी विलीनीकरण राज्यों के अन्तर्गत स्थाई पद पर कार्य कर रहे थे तथा जो अब केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिए गए हैं उनको स्थाई पदों पर लीयन रखने के लिए अधिकाश पद (Supernumerary posts) उसी वेतन दर तथा भत्ता सहित सृजित करा लिए जावें जो कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी उन राज्यों में प्राप्त कर रहा था जो कि बाद में वेतनमान एकीकरण नियमों (Unification of pay scale rules) द्वारा संशोधित कर दिए गये।

(2) ये अधिकाश पद केवल अस्थाई आधार पर उन राज्य कर्मचारियों के लियन रखने के लिए सृजित किए गए हैं जब तक कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अन्तर्गत स्थायी पदो पर न हो जाय। ये पद जैसे जैसे राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति राजस्थान सरकार के अन्तर्गत स्थाई पदों पर होती जावेगी वैसे वैसे ही कम होती जावेगी तथा यह किसी भी तरह इस आदेश के जारी किए जाने से 6 माह के भीतर पूर्ण हो जानी चाहिए।

[2]निर्णय सं० (7)—यदि वेतनिक उम्मीदवार (Paid Candidate), वैतनिक नव सिखुआ (Paid Apprentice) या परिवीक्षाधीन की सेवा के बाद में स्थाई हो जावे तो यह पेन्शन के लिए, उन सभी विलीनीकरण राज्यों के जो राजस्थान में मिल गये हैं, पूर्व कर्मचारियों के मामलों में गिनी जानी चाहिए।

यह आदेश दिनांक 24 12 55 को या उसके बाद तय किए गए पेन्शन मामलों में लागू होगा तथा जो पेन्शन के मामले तय कर दिए गए हैं उन्हें पुनः नहीं खोला जायगा।

[3]निर्णय सं० (8)—पूर्व मेवाड़ एवं पूर्व राजस्थान सरकार मोटर गैरेज के ड्राइवर मैकेनिक खलासी आदि सहित स्टाफ की पूर्ण सेवायें पेन्शन के लिए गिनी जावेंगी।

[4]निर्णय सं० (9)—1 11-38 से पूर्व भरतपुर राज्य के पटवारियों की सेवा पेन्शन के योग्य समझी जावेगी। यह आदेश भरतपुर परिषद् के आदेश सं० 637 दिनांक 3-10 47 का अधिक्रमण करता है।

[5]निर्णय सं० (10)—ठिकाना या जागीर के जो कर्मचारी स्थाई रूप में राजकीय सेवा में ले लिए गए हैं जो राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार सेवा निवृत्त किये जाते हैं उनकी सेवा पेंशन योग्य मानी जावेगी यदि उनकी सेवायें सम्बन्धित ठिकानों या जागीरों में उनके नियमों के अनुसार (या नियमों की शक्ति रखते हुए आदेशों के अनुसार) या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 के नियम 36(5) (ii) में वर्णित उन ठिकानों या जागीरों में प्राप्य सुस्थापित रिवाजों के अनुसार पेंशन योग्य हों।

[6](2) जहां एक ठिकाना या जागीर का कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (C P F) की योजना के अन्तर्गत हो तो उसकी उस अवधि की सेवायें पेन्शन के लिए गिनी जायेंगी जिसके कि दौरान कर्मचारी ने अपना अंशदान का भुगतान ठिकाने की भविष्य निधि में दिया हो चाहे वह सरकार ने जागीरदार से जागीर/ठिकाना के पुनर्ग्रहण की तारीख को समाप्त अवधि तक के लिए भुगतान करने योग्य ठिकानों का अंशदान वसूल किया हो या न किया हो। कर्मचारी के हिस्से के अंशदायी भविष्य निधि का शेष तथा उसका ब्याज, उसके जागीरदार से वसूल हो जाने पर सामान्य भविष्य निधि लेखे में उसके खाते में जमा कर दिया जायगा। कर्मचारी को उसके स्वयं के हिस्से के शेष के भुगतान को सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवा) नियम, 1954 के अनुसार अन्तिम रूप से तय किया जावेगा।

[7]निर्णय सं० (11)—पूर्व करौली राज्य में पटवारियों द्वारा की गई सेवा, पेन्शन नियमों में दी गई साधारण शर्तों के आधार पर, पेन्शन योग्य सेवा के रूप में गिनी जावेगी।

---

1 एफ 13 (34) एफ II/53 दि० 1 6 55 द्वारा निविष्ट।
2 एफ 13 (32) XI/PLO/एफ II/54 दिनांक 24-12-55 से निविष्ट।
3 एफ 4 (1) PLO/55 दिनांक 28 6 55 द्वारा निविष्ट।
4 एफ 13 (32) XVIII/PLO एफ II/54 दिनांक 20 3 56 द्वारा निविष्ट।
5 एफ 13 (32) III/PLO/एफ II/54 दिनांक 28-4-56 द्वारा निविष्ट।
6 वि वि के आदेश सं० एफ 1 (88) (व्यय नियम) 56 दि० 31-3-67 द्वारा [illegible]
7 एफ डी 9806/एफ 4 (3) PLO/56 दि 13/26 12 56 द्वारा निविष्ट।

[1]निर्णय स० (12)—ॐराजस्व विभाग के आदेश संख्या डी 12872 एफ 40 (582) र ए/55 दिनांक 21–12–55 के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया था कि पूर्व जयपुर स्टेट कोर्ट वार्ड्स विभाग की सेवाएं अनिश्चित पूर्व प्रभाव से पेंशन के योग्य समझी जावेंगी । यह और स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के अधीन केवल पूर्व जयपुर स्टेट कोर्ट आफ वार्डस के उन कर्मचारियों की सेवाएं ही पेंशन योग्य समझी जानी है जो कि उच्च सेवा में थे तथा जो अंशदायी भविष्य निधि (C P F) में अंशदान जमा कराते थे । यह सेवा पेंशन योग्य उस तारीख से समझी जा जिसको कि उन्होंने अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करना प्रारम्भ किया है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी राज्य कर्मचारी जो 21–2–55 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो रहे उनकी पेंशन उक्त आदेश के अन्तर्गत गिनी जावेगी ।

(2) उन व्यक्तियों के मामले में जो 21 दिसम्बर 1955 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो गये हों तथा जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि की बकाया (Dues) चुकाई जा चुकी हो उनकी पेंशन भी इसी नियम के अन्तर्गत पूर्व कोर्ट आफ वार्डस विभाग द्वारा अंशदान की राशि मय ब्याज के वसूल करने पर गिनी जावेगी ।

(3) जिन राज्य कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान नहीं किया है उनकी सेवा पेंशन के योग्य एकीकरण की तारीख से अर्थात् 24–3–52 से ही गिनी जावेगी ।

(4) सभी विभागाध्यक्षों से यह ध्यान देने के लिए निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण (2) में वर्णित श्रेणियों के कोर्ट आफ वार्डस कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिए अपने विकल्प इस परिपत्र के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर भर दे दिए जाने चाहिये तथा वे उचित समय में महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के पास पहुंच जाने चाहिये ।

[2]निर्णय संख्या (13)—टोंक स्टेट पेंशन एवं ग्रेच्युटी नियमों के नियम 19 के अन्तर्गत जिस किसी पद की सेवाओं का भुगतान शुल्क (फीस) द्वारा ही होता था चाहे वह कानून से ली जाती हो या राज्य के अधिकृत करने पर मलबा भेंट दामी आदि के रूप में ली जाती हो तो वह सेवा पेंशन के लिए योग्य नहीं होती है । कुछ मामले इस प्रकार के उत्पन्न किए गए हैं कि जब पेंशन योग्य सेवा के समयों के बीच में यह सेवा आती हो तो क्या इसे पेंशन के लिए गिना जावेगा । प्रश्न पर विचार किया गया तथा यह आदेश दिया गया था कि टोंक नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में पूर्ण सेवा को पेंशन योग्य गिना जावेगा ।

[3]निर्णय स० (14)—पूर्व जयपुर राज्य की न्यायिक अदालतों (Judicial Courts) के कर्मचारियों द्वारा प्रतिलिपि कर्ताओं (Copyists) के रूप में की गई पूर्ण सेवाओं को पेंशन के योग्य गिना जाना चाहिए ।

---

1 स० एफ डी 453 F/R/57/एफ 1(153) R/56 दिनांक 22–2–57 द्वारा निविष्ट ।

ॐराजस्व विभाग के मीमो संख्या टी 12872/एफ 40 (582) राज ए/55 दिनांक 21–12–5 की प्रतिलिपि ।

विषय—पूर्व जयपुर कोर्ट आफ वार्डस के कर्मचारियों की पूर्व सेवा को पेंशन के लिए गिना जाना

चूंकि सरकार की नीति सभी या अधिकतम राज्य कर्मचारियों को जो स्थाई हैं पेंशन योग्य सेवा में लाभ की दिखाई देती है एवं चूंकि राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ 19 (9) आर 52 दिनांक 31–8–54 (नियम) 197 के नीचे दिया गया राजस्थान सरकार का निर्णय के अन्तर्गत कोर्ट आफ वार्डस विभाग (ठिकाना के वास्तविक प्रबन्ध में लगे हुआ से भिन्न) की सेवायें पेंशन योग्य मानी जा चुकी हैं अतः पूर्व जयपुर कोर्ट आफ वार्डस के कर्मचारियों की पूर्व सेवा को पेंशन योग्य मानने में राज प्रमुख द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है क्योंकि उपरोक्त राज्य सरकार के आदेश उसके प्रभावशील होने की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए यह आदेश अनिश्चित पूर्वता से प्रभावशील होगा ।

यह अनुमोदित किया गया है कि जो राज्य कर्मचारी पेंशन के लिए विकल्प देते हैं उनके द्वारा गत समय में जो अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान किया गया है उसका निपटारा उक्त विषय पर जारी किए गए वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ डी 7803/एफ 1/53 दिनांक 23–1–54 अनुसार किया जावेगा ।

2 स 4645/वि वि (A)/57 एफ 1(F) (32) वि वि (A) दि० 30–7–57 द्वारा निविष्ट

3 स डी 2174/ वि वि (A) 58/एफ 18 (27) Jud /54 दि 19–4–58 द्वारा निविष्ट ।

[1]यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 19-4-58 से पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले मामलो पर भी लागू होगा। मामले पर विचार किया जा चुका है तथा राज्यपाल ने आदेश दिया है कि आदेश दिनांक 19-4-58 उन सभी प्रतिलिपि कर्ताओं के मामलों में लागू होगा जो कि राजस्थान के निर्माण के बाद अर्थात् 7-4-49 के बाद से सेवा निवृत्त हो गए हैं या होंगे तथा पूर्व जयपुर स्टेट की न्यायिक अदालतो में प्रतिलिपि कर्ताओं के रूप में की गई उनकी पूर्ण सेवा पेंशन के लिए गिना जावेगी।

[2]निर्णय सं० (15)—पूर्व भरतपुर राज्य के पटवारी जो राजस्थान सेवा नियमों के लागू होने के पूर्व परन्तु राजस्थान के निर्माण के बाद अर्थात् 7-4-49 के बाद राजस्थान सरकार की सेवा में शामिल किए जाने के बाद सेवा से निवृत्त हो चुके थे उनकी पटवारी के रूप में की गई स्थाई सेवा को पेंशन के लिए योग्य माना जावेगा। फिर भी पेंशन की प्राप्ति उन विलीनीकरण इकाइयो के पेंशन नियमों के अन्तर्गत तय की जावेगी जिससे कि उनका सम्बन्ध है।

[3]निर्णय सं० (16)-राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 (State Re organisation Act, 1956) की धारा 100 के अन्तर्गत पूर्व अजमेर सरकार के आदेश संख्या 28/4/54 दिनांक 24-8-54 के अतिक्रमण में पूर्व अजमेर राज्य के पटवारियों के मामले में, जो 1 जनवरी 51 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होते हो यह आदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि (1 जनवरी 51) के पूर्व उस राज्य में उनके द्वारा की गई सेवा पेंशन के प्रयोजन के लिए योग्य सेवा के रूप में मानी जावेगी।

[4] निर्णय सं० (17)—पूर्व अजमेर राज्य की न्यायिक अदालतो के कर्मचारियों द्वारा प्रतिलिपि कर्ताओं (सेक्शन राइटर्स एवं हैड सेक्शन राइटर्स) के रूप में की गई पूर्ण सेवा पेंशन के लिए गिनी जानी चाहिए।

यह आदेश उन समस्त प्रतिलिपि कर्ताओं (सेक्शन राइटर्स) पर लागू होगा जो 1-11-56 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त किए जाते हैं।

[5]निर्णय सं० (18)—पूर्व मेवाड़ सरकार के आदेश संख्या 3291 दिनांक 26 6 48 के अन्तर्गत महकमा फौज के कुछ कर्मचारी कम कर दिए गए थे तथा उनकी सेवायें मेवाड़ सिविल सर्विस नियमों के नियम 75 (13) के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार पेंशन योग्य न होने के कारण उन्ही नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाली आधी दर पर उन्हें पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी कुछ कमी किए गए व्यक्ति बाद में सरकारी विभागों में लगा दिये गये थे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा महकमा फौज में की गई सेवा की आधी सेवा को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 180 के अन्तर्गत इस शर्त पर पेंशन योग्य गिनी जावेगी कि महकमा फौज में सेवा करने के फलस्वरूप जो भी ग्रेच्युटी मिली होगी वह सरकार को वापिस लौटा दी जावेगी।

[6]निर्णय सं० (19) नियम 180 के नीचे दिए गए निर्णय संख्या १० के साथ पठित राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण जागीर कर्मचारियों का विलीनीकरण नियम, 1954 के अन्तर्गत उन जागीर कर्मचारियों की जो सरकारी सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त हो गए हैं उनकी गत सेवायें उनमें दी गई शर्तों के आधार पर पेंशन के लिए गिनी जाती है।

ठिकाना व जागीरो के कुछ कर्मचारी अस्थाई पदों पर एन्जोब किए गए हैं। यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को किस रूप में समझा जाना चाहिये जिन्होंने कि अस्थाई पदों पर एन्जाब होने के कारण अपना पेंशन योग्य स्तर खो दिया है। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि यदि जागीर में एक राज्य कर्मचारी की सेवायें पेंशन योग्य थी तो केवल इस तथ्य से उसकी सेवाओं को पेंशन के अयोग्य नहीं किया जाना चाहिए कि वह जागीरो के पुनर्ग्रहण पर सरकार के अधीन अस्थाई पद पर या अस्थाई विभाग में लगाया गया था क्योंकि यह विलीनीकरण किए जाने के दौरान में एक घटना के रूप में है।

---

1 स जी 4732/58 एफ 1 (F) (32) वि वि (A) 58 दिनांक 28 8 58 द्वारा निविष्ट।
2 स एफ 13 (327) निरी/पेंशन 3612 दि 14 6 58 द्वारा निविष्ट।
3 सं० 3039/एफ1(f) (23) वि वि क (नियम) 59 दि० 9-11-59 द्वारा निविष्ट।
4 सं० डी 6795/एफ1(f) (26) वि वि क (नियम) 59 दि० 18-12-59 द्वारा निविष्ट।
5 सं० आइ डी 6895/59/एफ 7A (51) वि वि क (नियम) 59 दि० 13-1-60 द्वारा निविष्ट।
6 सं० एफ 7A (45) वि वि क (नियम) 60 दि० 15-12-60 द्वारा निविष्ट।

इसलिए राजस्थान सेवा नियमो के नियम 180 के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि 31 दिसम्बर, 1961 तक सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों की सेवायें, प्रकरण 2 में दिए गए अनुसार पेंशन के योग्य सेवा में रूप में गिनी जावेगी।

प्रशासनिक विभागों से उनके अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी भी स्थिति में उक्त तिथि तक स्थाई पदों पर एडजस्ट करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया जाता है।

[1]निर्णय सं० (20)—पूर्व जयपुर स्टेट में कुछ व्यक्ति राज्य से तनखा (Tankha) (भूमि की स्वीकृति) प्राप्त करते थे। स्वीकृति (Grant) के साथ शर्त यह हुआ करती थी कि उन्हें राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। राज्य की नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों के वेतन का नियमित करने का तरीका यह था कि जिस पद पर वह व्यक्ति नियुक्त किया जाता था उस पद का वेतन 'तनखा' की राशि से ज्यादा होता था। सम्बन्धित लोगों को पद का वेतन 'तनखा' की राशि काट कर दिया जाता था।

(2) यही पद्धति राजस्थान के निर्माण के बाद तक भी चलती रही। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या नियमों के अनुसार पेंशन की राशि के रूप में तनखा स्वीकृति की राशि को गिना जा सकता है। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि तनखा स्वीकृति की राशि को पेंशन के लिए नहीं गिना जा सकता है तथा उन व्यक्तियों के मामले में जो राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अधीन 'तनखा' के पुनर्ग्रहण (Resumption) के बाद सेवा निवृत्त होते हैं उनकी तनखा की राशि, राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए गिने जाने वाले वेतन में से काट ली जावेगी।

[2]निर्णय सं० (21)—वित्त विभाग के आदेश संख्या 9 11 59 (उपरोक्त राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 16 के रूप में सम्मिलित) के अतिक्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि पूर्व अजमेर राज्य के उन पटवारियों द्वारा 1–1–51 से पूर्व की गई सेवायें पेंशन के प्रयोजन के लिए गिनी है जो 1–11–56 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त होते है।

[3]निर्णय सं० (22)—सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों में आयोजना बजट में समान अस्थाई पदों के सृजन के कारण गैर आयोजन बजट में कुछ स्थाई पदों की कमी कर देने से कुछ स्थाई राज्य कर्मचारी बिना लीयन के ही रह गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बाद में परिवर्तन की उनकी सेवायें पेंशन के प्रयोजन के लिए योग्य नहीं मानी जाती है। इस सम्बन्ध में स्थिति की जांच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में जहां ऐसे राज्य कर्मचारी का लीयन रखने के लिए दूसरा स्थाई पद मौजूद न हो जो कि स्थाई रूप में कमी किए गये पद पर कार्य कर रहा था तो ऐसी स्थिति में गैर आयोजन बजट में स्थाई पद का परिवर्तन योजना बजट में एक स्थाई पद पर किया जाना चाहिये।

जो व्यक्ति पूर्व में ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा स्थाई पदों को धारण किए हुए थे परन्तु प्लान बजट में स्थाई पदों पर उनके पद परिवर्तन करने के फलस्वरूप लीयन रहित रह गये थे उन लोगों द्वारा की गई सेवा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 180 के अन्तर्गत पेंशन के लिए योग्य मानी जावेगी। ऐसे अस्थाई पदों पर प्राप्त किया गया वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 के प्रयोजन के लिए मूल स्थाई वेतन के रूप में समझा जावेगा।

[4][प्लान बजट में स्थाई पद सृजित किये जाने के प्रत्येक आदेश में पूर्वोक्त राज्य सरकार के आदेश की शर्त के अनुसार इस सम्बन्ध की एक प्रतिलिपि दी जानी चाहिए कि स्थाई पद किसी एक ऐसे विशिष्ट अधिकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से है जो कि गैर आयोजन बजट में अपने पद के समाप्त (Abolition) किए जाने के फलस्वरूप बिना लीयन के रह गया है।]

[5]निर्णय सं० (23)—पूर्व अजमेर राज्य के सहकारिता विभाग में कुछ कर्मचारियों को उनका वेतन वेतन निधि (Salary fund) में से दिया जाता था जो कि सहकारी समितियों के आडि

1 सं० एफ 1 (f) (5) वि वि क/59 दि० 23–1–62 द्वारा निविष्ट।
2 सं० एफ 1 (f) (23) वि वि क (नियम) 59 दि० 12–12–62 द्वारा निविष्ट।
3 सं० एफ 1(6) वि वि (व्यय नियम) 63 दि० 20–2–63 द्वारा निविष्ट।
4 सं० एफ 1(6) वि वि (व्यय-नियम) 63 दि० 19–9–63 द्वारा निविष्ट।
5 सं० एफ 1(7) वि वि (व्यय-नियम) 63 दि० 5–3–63 द्वारा निविष्ट।

व निरीक्षण व्यय को सहन करने के लिए बनाया जाता था। जिन कर्मचारियों का वेतन 20/– से कम नहीं था उन्हें अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करना पड़ता था। ये कर्मचारी 1 नवम्बर, 1956 को या उसके बाद राज्य सेवा में ले लिये गए हैं। जिस समय में वे वेतन निधि (Salary fund) से प्राप्त करते थे उस समय की सेवा को किस रूप में गिना जावे यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। उचित रूप से विचार किए जाने के बाद यह निर्णय किया गया है कि राज्य कर्मचारी की जितने समय तक उसने अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान किया है, उतने समय तक की सेवा को पेंशन के लिए इस शर्त के साथ गिना जा सकता है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का उसके नियुक्तक द्वारा उसकी भविष्य निधि में अंशदान की गई राशि को मय उसके ब्याज के जो कि उसे राजकीय सेवा में लेने पर दी गई है वापिस लौटाएगा।

इस आदेश से लाभान्वित होने वाले राज्य कर्मचारियों को नियुक्तक के हिस्से की राशि एक मुश्त (in one lump) इस आदेश के जारी करने से तीन माह के भीतर जमा करा देनी चाहिए। यदि फिर भी व्यक्ति निर्धारित समय में रकम जमा कराने में असफल रहा तो उसकी सेवायें पेंशन के योग्य नहीं मानी जायेंगी। यह राशि निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराई जावेगी—

"XLVIII—पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियां।"

यदि कोई राज्य कर्मचारी पहिले से ही सेवा से निवृत्त हो चुका हो तो वह राशि उसे नियमों के अन्तर्गत प्राप्य पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि में से काट कर एडजस्ट कर ली जावेगी—

[1] यह उन राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा जो कि राज्य के पुनर्गठन अर्थात् 1 नवम्बर 56 से पूर्व अजमेर राज्य में सरकारी सेवा में लग गये थे तथा जो 1 नवम्बर 1956 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो चुके हैं।

[2] निर्णय सं० (24)—कस्टम ड्यूटीज के समाप्त कर देने से कस्टम एवं एक्साइज विभाग के कुछ कर्मचारी सरप्लस कर दिए गए थे। उनके विलीनीकरण को विचाराधीन रखते हुए उन्हें उनका वेतन क्षेत्रीय आयुक्त (Divisional Commissioners) के कार्यालयों से दिलाया गया था। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि जिस अवधि में ये कर्मचारी सरप्लस रहे क्या उसे उनकी स्थाई नियुक्ति अन्य विभागों में हो जाने पर पेंशन के लिए गिना जावेगा? मामले पर विचार कर लिया गया है तथा सरकार निर्णय करती है कि जितनी अवधि में राज्य कर्मचारी सरप्लस रहे उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 180 के अनुसार पेंशन योग्य सेवा में माना जाना चाहिए बशर्ते कि सरप्लस के समय के बाद वह स्थाई सेवा में नियुक्त होता है।

[3] निर्णय सं० (25)—विषय—ठिकाना के कर्मचारियों का राजस्थान सरकार की सेवा में एकीकरण तथा उक्त कर्मचारियों को भुगतान करने योग्य पेंशन/उपदान/अंशदायी भविष्य निधि सम्बन्धी रियायत।

वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (154) आर 56 दिनांक 2 8 60 के अधीन यह स्पष्ट किया गया था कि वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 13(32) III/पी एन/एफII/54 दिनांक 28 4 56 के अनुसार पेंशन के लिए उनकी गत सेवाओं को शामिल किए जाने का लाभ, उन ठिकाना/जागीरों के कर्मचारियों के लिए जो कि (1) जागीर/ठिकाना के परिणामस्वरूप या (2) ठिकाना/जागीर के किसी विभाग को राजस्थान राज्य द्वारा (राजस्थान के निर्माण के पूर्व मर्जिंग प्रबन्ध अन्तर्गत राज्यों को शामिल करते हुए) अपने हाथ में लेने के कारण राजकीय सेवा में स्थाई रूप से एकीकृत हो गये हों, उपर्युक्त आदेशों में प्रावाहित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकार्य होगा।

[4] निर्णय सं० (26)—स्टेट रिआरगनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 100 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान करते हैं कि पूर्व सुनेल टापा (Sunel Tappa) जो मध्य भारत राज्य में था और जिसे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और अब राजस्थान में है के पटवारी जो दिनांक 1–11–56 को या इसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हैं कि दिनांक 1–4–52 के पहिले की सेवाओं को पेंशन के लिए योग्य सेवाएं मानी जावेगी।

---

1 सं० एफ 1(7) वि वि (व्यय नियम) 63 दि० 2-8 63 द्वारा निविष्ट।
2 सं० एफ 1(16) वि वि (व्यय नियम) 63 दि० 25 7 63 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि की आज्ञा सं० एफ 1(6) एफ डी(व्यय नियम)67 दि० 23 2 67, द्वारा शामिल किया गया।
4 सं० एफ 1 (66) वि वि (नियम) 71 दि० 28 10 71 द्वारा निविष्ट।

होती है जो कि सेवा में वास्तव में उस प्रथम दिन उपस्थित नहीं हो जिससे कि कर्मचारी वर्ग की पुर्नानियुक्ति की गई थी।

अस्थाई सेवा को गिना जाना (Counting of temporary service)—एक अस्थाई पद से

नियम 187 स्थाई पद पर स्थानान्तरित अधिकारी अपने अस्थाई पद की सेवा को पेन्शन के लिए शामिल कर सकता है यदि पहिले वह पद प्रयोगात्मक या अस्थाई रूप से सृजित किया गया हो तथा बाद में स्थायी हो गया हो।

टिप्पणियां—इस नियम के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं—

(i) जब पद प्रथम बार अस्थाई रूप से स्वीकृत किए जाते हों तथा बाद में स्थाई कर दिए जाते हों तो अधिकारी या अधिकारियों की अस्थाई या प्रयोगात्मक सृजित पदों की पूर्ण अस्थाई सेवा पेन्शन के लिए गिनी जायगी।

(ii) इस नियम के लाभ को प्राप्त करने के लिए एक ही स्थापन पर एक ही नियुक्ति अस्थाई रूप से स्थाई रूप में बदली जानी चाहिए। एक अधिकारी अपनी अस्थाई नियुक्ति को केवल उस पद से दूसरे एक स्थाई पद पर स्थानान्तरित हो जाने के कारण पेन्शन में शामिल नहीं कर सकता है।

(iii) अस्थाई से स्थाई पद पर स्थानान्तरित एक अधिकारी अपनी अस्थाई पद की सेवा को गिन सकता है यदि वह पद उसके स्थानान्तरण के बाद स्थाई हो जाता है।

2—एक कर्मचारी के अपने अस्थाई या स्थानापन्न पद से निवृत्त होने के बाद उसे उस पद पर स्थाई किया जाना स्वीकार्य नहीं है। [1][यह प्रतिबन्ध वहां लागू नहीं होता है जहां राज्य कर्मचारी स्थाई पद का धारण करता है तथा सेवा निवृत्ति के पूर्व एक उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता है लेकिन जिसके मामले में उसकी सेवा निवृत्ति के बाद ही यह ज्ञात हो कि जिस पद पर वह स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था वह पद अस्थाई या प्राविधिक स्थाई रूप से भरा जा सकता था।]

3—एक राज्य कर्मचारी एक ऐसे अस्थाई पद से स्थाई पद पर स्थानान्तरित किया जाता है जो कि बाद में स्थायी हो जाता है तो वह अपने अस्थाई पद की सेवाओं को पेन्शन के लिए गिन सकता है चाहे वह उसके स्थानान्तरण के समय तक स्थाई न हुआ हो।

4—एक अस्थाई पद जो कई वर्षों से हर वर्ष लगातार नया चालू रहता है वह एक प्रकार से वही पद होता है क्योंकि उसकी स्वीकृति एक बार में एक साल की ही दी जाती है। यदि सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए एक पद का कार्य अस्थाई से स्थाई हो जाता है तो उस पद को धारण करने वाला अधिकारी अपनी सम्पूर्ण प्रथम अस्थाई सेवा को उस सीमा तक पेन्शन में शामिल कराने का हकदार है जिस तक कि उस पद का कार्य उसी प्रकृति का था जो कि उसके लिए स्थायी किए जाने के बाद किया गया।

5—यह तथ्य कि एक कर्मचारी का वेतन एक अस्थाई पद से उठाया जाता था तथा कार्यों के लिए व्यय किया जाता था ताकि लेखों से कार्यों के व्यय की सही लागत मालूम हो सके, इससे राज्य कर्मचारी के अवकाश एवं पेंशन के लाभों के उन अधिकारों में कोई बाधा नहीं पहुंचती है जिनको कि वह उस अस्थाई पद पर अब या बाद में प्राप्त करता। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे कर्मचारी अस्थाई पदों पर अपनी नियुक्ति रखते हों तथा वे स्थापन विवरण पत्र में दिखाए जाते हों एवं यह कि उनकी सेवायें सत्यापन की जाने योग्य हों।

6—नियम 187 का अभिप्राय यह है कि जब एक केडर से असम्बद्ध एक अलग पद प्रथम बार अस्थाई रूप में या प्रयोगात्मक रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा बाद में स्थायी कर दिया जाता है तो उस पद पर एक राज्य कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों की पूर्ण अस्थाई सेवा पेंशन के लिए गिनी जानी चाहिए बशर्ते कि ऐसा राज्य कर्मचारी या ऐसे राज्य कर्मचारी बाद में एक अस्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाते हैं। यह रियायत केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों को दी जाती है जो एक स्थाई पद पर लीयन न रखते हुए अस्थाई सेवा अस्थाई या कार्यवाहक पद पर करते हैं तथा यह रियायत उन राज्य कर्मचारियों के लिए भी है जो एक अस्थाई पद पर अधिक समय तक काम नहीं करते हैं जब वह पद स्थायी कर दिया जाता है।

इस धारा (Article) को लागू करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना चाहिये—

(i) एक ही प्रकार के तथा समान सेवा वाले एवं स्थाई केडर वाले पदों के सहायक अस्थाई

1 वित्त विभाग की आज्ञा स. डी 4671 एफ 7 A (31) वि वि (व्यय) नियम/58 दिनांक 12-8-58 और 30-4-1959 द्वारा निविष्ट।

पद को धारण करने वाले कर्मचारी को चाहे वह उस केडर में स्थाई पद के कार्यों के लिए वास्तवि रूप से नियुक्त किया गया हो, अब भी अस्थाई पद पर सेवा करते हुए समझना चाहिए।

(ii) जब उपरोक्त (i) के रूप में एक स्थायी केडर के पूरक बहुत से अस्थाई पदों में से कु पद स्थायी पदों में परिवर्तित किए जाते हैं तथा वरिष्ठता (Seniority) या चयन द्वारा इन प पर स्थायी नियुक्तियां कर दी जाती है तो इस प्रकार वास्तव में उन्नत किए गए राज्य कर्मचारी क उसी अस्थाई पद को धारण किया हुआ समझना चाहिए जो कि स्थाई पद में बदला गया है तथा उ उन पदों पर की गई अपनी सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

अ के रण निदशन—एक राज्य कर्मचारी जो एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथ किसी एक पद पर अपना लीयन न रखता हो तथा जो उच्च ग्रेड में कार्यवाहक रूप में कार्य करत हो तो वह उसकी अस्थाई सेवा में व्यवधान है। केवल ऐसी अस्थाई सेवा का समय ही पेंशन के लि शुमार किया जावेगा जो वास्तव में अस्थाई पद पर बिताया गया है तथा बाद में जो स्थाई कर दिय गया है।

[1]सरकारी निर्णय सं 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 187 188 के क्षेत्र के अन्तर्ग आने वाले मामलों में एक राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के प्रारम्भ में स्थाई होने से पूर्व जो अस्था या स्थानापन्न सेवा की जावेगी वह पेंशन के लिए इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर गिने जायेगी। जिस समय इस प्रकार की सेवा की जाती है उस समय इस स्थिति का पता सम्बन्धित अधि कारी को साधारणतया नहीं लगता है। राज्य कर्मचारी के सेवा से निवृत्त किए जाने के समय इ प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़े तथा पृष्ठभूमि पूर्ण करने म बड़ी कठिनाई हो जाती है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी अस्थाई या स्थानापन्न सेवा को पेंशन के लिए गिन जाएगा अथवा नहीं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि जैसे ही यह पद स्थाय किया जावे, उसके बाद शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लेना चाहिए तथा कार्यालय के अध्यक्ष क जिससे इस पद का सम्बन्ध है उन्हें उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिये जिन्होंने कि उस पद को धारण किया है तथा इस सूची में पूर्ण विवरण जैसे सेवा के समय आदि दिया जाना चाहि एवं इसे (असम्बन्धित अधिकारियों के सम्बन्ध में उनकी सेवा पुस्तिकाओं के साथ) आडिट आफीस के पास सत्यापन व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 187 के अन्तर्गत पेंशन योग्य समय की स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिये। आडिट आफिस सत्यापन के बाद सेवा पुस्तिका में एक उचित प्रमाण पत्र लिखेगा अथवा हिस्ट्री आफ सर्विस में जैसी भी स्थिति हो तथ्यों का उल्लेख करेगा। कार्यालय के अध्यक्ष को भी इस तथ्य का उल्लेख आवश्यकीय रूप में प्रथम वार्षिक विवरणिका (First Annual Return) में किया जाना चाहिए। उक्त तरीका केवल उन्हीं पदों के सम्बन्ध में अपनाया जावेगा जो इसके बाद स्थाई कर दिए जाते हों। पहिले के समय के सम्बन्ध में कार्यालय के अध्यक्ष को उन व्यक्तियों के सेवा अभिलेख जांच करने के कार्यक्रम को हाथ में लेना चाहिये जो अब स्थाई सेवा में हैं तथा उनमें प्राथमिकता अधिक आयु वाले व्यक्तियों के मामलों में दी जानी चाहिए।

[2]निर्णय सं 2—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या एक स्थाई या अस्थाई राज्य कर्मचारी क जो सेवा से निवृत्त हो चुका है या सेवा में मर गया है या नियम 89 के अन्तर्गत उसे अस्वीकृत अवकाश (Refused leave) स्वीकृत कर दिया गया है या निवृत्ति पूर्व अवकाश या अयोग्यता के बाद नियम 81 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है तो क्या उस स्थायी रिक्त स्थान में जिस एक पद या सेवा में जो कि उसके सेवा से निवृत्त या मृत्यु होने के पूर्व खाली हुआ हो पूर्व प्रभाव स स्थाई किया जा सकता है। निवृत्ति पूर्व अवकाश व अस्वीकृत अवकाश या अयोग्यता के बाद अवकाश पर एक अधिकारी के मामले में यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि वास्तविक सेवा निवृत्ति की तारीख ऐसे अवकाश की समाप्ति की तारीख होगी। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा जो इससे परिणाम प्राप्त किए गए हैं उन्हें सभी सम्बन्धित लोगों के लिए मार्ग प्रदर्शनार्थ नीचे दिया जाता है—

एक अधिकारी का स्थायीकरण एक प्रशासनिक मामला है तथा प्रशासनिक अधिकारी अप अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थायीकरण करने के लिए सक्षम है बशर्ते कि नियुक्ति एवं स्थायीकरण क नियमित करने वाले नियमों एवं निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन पूर्णतया होना हो –

जहां तक एक अधिकारी की वास्तविक सेवा निवृत्ति या उसकी मृत्यु के पूर्व एक स्थायी जगह मौजूद हो तथा स्थायीकरण के नियमों तथा आदेशों का पालन कर लिया गया हो, तो

---

1 स एफ 13 (10) एफ II/53 दि 14-11-53 द्वारा निविष्ट।

2 स डी 2460/60/एफ 7A (8) वि वि क (नियम) 60 दि 3-5-60 द्वारा निविष्ट।

अधिकारी को स्थायी करने मे कोई आपत्ति नही चाह ऐसी जगह के विषय मे वास्तविक पता उस अधिकारी के निवत्ति पूव अवकाश अस्वीकृत अवकाश या अयोग्यता क बाद अवकाश पर चल जान पर या उनक सेवा निवृत्त कर दिए जाने पर या उसकी मृत्यु के बाद म लगता हो । ऐसे मामल म मूल सिद्धान्त यह होना चाहिए कि क्या अधिकारी उस पद पर स्थायी हो सकता था यदि वह वास्तव म ड्यूटी पर रहता तथा क्या उस सम्बन्धित तिथि को वह स्थान रिक्त था जिस पर उसे स्थायी किया जा सकता था । ऐसे पदो के मामलो म जिन पर नियुक्ति चयन द्वारा की जाती है तो जब अधिकारी न पहिले उन पदों पर स्थानीय या शुद्ध अस्थाई प्रबन्ध के अतिरिक्त कायवाहक काय किया हो तो उस पहिले ही इस प्रकार से चयन किया हुआ होना चाहिए । इसके अनुसार चयन द्वारा नियुक्ति तथा वरिष्ठता दोनो मामलों में सक्षम प्राधिकारी एक पद पर उसने पूव प्रभाव स ही स्थायीकरण कर सकता है जब से उसे कमचारी धारण कर रहा हो (शुद्ध स्थानीय या अस्थाई प्रबन्ध के अलावा) या जिसे वह सेवा निवत्ति के या मृत्यु के या निवत्ति पूव अवकाश के या अस्वीकृत किए गए अवकाश क (जसी भी स्थिति हो) या एक निम्न पद पर, जिस पर इस प्रकार ग्रहण किए गए पद से नियुक्ति होती है, पहले ही ग्रहण करता यदि वह उस उच्चतर या समान पद पर नियुक्त नही किया जाता ।

[1]टिप्पणी-इस नियम के प्रावधान उन राज्य कमचारियों पर लागू नहीं होंगे जो 18 दिसम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा स निवृत्त होंगे ।

स्थानापन्न सेवा की गणना (Counting of officiating service)—एक अधिकारी बिना

नियम 188 स्थायी नियुक्ति के एक एस पद पर स्थानापन्न रूप म काय करता है जो कि रिक्त है या जिसका स्थायी कमचारी उस पद से कोई वतन प्राप्त नहीं करता हो, वह अपनी निरन्तर स्थानापन्न सेवा को यदि वह अपनी सेवा के व्यवधान के बिना स्थायी कर दिया जाता है तो, पेन्शन के लिए गिन सकता है ।

टिप्पणियां (1)—निम्नलिखित मामला मे एक अधिकारी बिना स्थाई नियुक्ति के अपनी स्थानापन्न सेवा को पेन्शन के योग्य गिन सकता है—

(क) किसी पद पर जो रिक्त है या एक पद पर जिसका स्थायी कमचारी उस पद से कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा है तथा उस समय के उस पद की सेवा के रूप म नहीं गिनता है, यदि वह बिना किसी व्यवधान क अपन द्वारा धारण किए गए पद के अतिरिक्त अन्य किसी पद पर बाद में स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है ।

(ख) यदि वह इस धारा की शर्तों को पूरा करते हुए रिक्त पदों पर लगातार कायवाहक रूप में काय करता है लेकिन य रिक्त स्थान विभिन्न स्थाई कमचारियों की अनुपस्थिति के कारण हुए हैं तथा वह व्यक्ति बाद म उसी क समान श्रेणी के पद पर सेवा म व्यवधान किए बिना ही स्थाई हो जाता है यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह अपन द्वारा धारण किए गए पदो म से किसी एक पद पर स्थाई हो । जब पूर्ण निश्चितता के साथ उन पदो की प्रकृति के बारे म जिन पर अधिकारी ने काय वाहक रूप म काय किया है निश्चय किया जाना असम्भव हो तो इस नियम का लाभ दिलाने वाली सरकार के आदेश का स्वीकृत किया जा सकता है । एक अधिकारी की एसे पद की कायवाहक सेवा जो कि रिक्त न हो या जिसका स्थायी कमचारी उस पद पर कुछ भाग वतन के रूप म प्राप्त करता है तथा उस पद की अवधि को अपनी सेवा म गिनता है उनस पूव कायवाहक सेवाओं को समाप्त नहीं करता है जो कि इस नियम की शर्तों को पूरा करती थी ।

(2) जब एक अस्थाई नियुक्ति बाद म स्थाई हो जाती है तो इस उसी पूव तारीख से स्थाई सृजित (Cre ted) किया हुआ समझा जावेगा जिसको कि पद का सृजन किया गया था । इसलिए एक स्थाई पद की अपनी सेवा को पेन्शन के प्रयोजन के लिए गिनेगा तथा इस नियम क अन्तगत उसकी स्थानापन्न सेवा सक्रिय सेवा के रूप मे मानी जाएगी ।

इन आदेशों म केवल पेन्शन के लिए सेवा को गिने जान का ही प्रश्न है एव किसी भी रूप म धनराशि तय किये जाने वाले नियमों से इनका सम्बन्ध नहीं है । यह धनराशि अधिकारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किये गये पद क वेतन के आधार पर तय की जावेगी न कि अधिकारी द्वारा अस्थाई सेवा के सम्बन्ध म प्राप्त किए गये वतन के आधार पर गिनी जावेगी ।

(3) वेतन बिलो को नष्ट करने से पूव अस्थाई एव स्थानापन्न सेवा का सत्यापन

---

1 स एफ 1 (51) वि वि एफ (नियम) 61 दि 18-12-61 द्वारा निविष्ट ।

(Verification)—कार्यालय के अध्यक्ष का नियम 187 व 188 के प्रसंग मे आवश्यक विशेष विवरण आवश्यकीय रूप मे भिजवाये जाने चाहिये ताकि आडिट कार्यालय बाद में केवल उन विवरण पत्रों से ही यह निर्णय करने मे समर्थ हो सके कि क्या अस्थाई कार्यवाहक सेवा पेंशन के लिए योग्य मानी जावेगी अथवा नहीं उदाहरण के लिए कार्यवाहक सेवा के मामले मे रिक्त स्थान की प्रकृति जिस पर राज्य कर्मचारी ने कार्यवाहक रूप मे कार्य किया एव अस्थाई सेवा के मामले में क्या अस्थाई पद बाद में स्थाई कर दिया गया इनका वर्णन करना चाहिये ।

अंकेक्षण निर्देशन—(1) जब एक पद के स्थाई राज्य कर्मचारी के अस्थाई सेवा मे हट जाने के कारण रिक्त हुए पद पर एक अधिकारी कार्यवाहक रूप से कार्य करता है तो वह अपनी कार्यवाहक सेवा को इस नियम के अन्तर्गत पेंशन के लिए नहीं गिन सकता है । स्थाई कर्मचारी के बाहरी सेवा में स्थानान्तरण हो जाने के कारण जो रिक्त स्थान हुआ उस पर अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहक एव स्थाई रूप से (Provisional) स्थाई सेवा या तो सीधी इस नियम के अन्तर्गत गिनी जाती है या स्थाई पद को स्थाई रूप से धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू सेवा नियमो के अतिरिक्त अन्य नियमो से सम्बन्धित प्रावधानो के अन्तर्गत गिनी जाती है ।

(2) जब एक नया व्यक्ति एक संवर्ग में रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त कर दिया जाता है तथा वह उस केडर मे किसी भी पद के लिए योग्य है न कि केवल उसी विशिष्ट पद के लिए योग्य है जिस पर वास्तव मे वह स्थानापन्न रूप मे कार्य करने के लिए लगाया गया है तो उस उस पद के सम्बन्ध मे नियम 188 का लाभ दिया जाना चाहिए जिसके (नियम के) अन्तर्गत सेवा पेंशन योग्य गिनी जाती है । उदाहरणार्थ जब इसी प्रकार इस तरह के योग्य दो या दो से अधिक नए व्यक्ति पर संवर्ग के एक स्थाई पद या अवकाश के कारण रिक्त हुए एक या एक से अधिक पदो पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त कर लिये जाते हैं तो इन अधिकारियो मे से सबसे अधिक वरिष्ठ अधिकारी को स्थाई रिक्त पद के सम्बन्ध मे उस धारा का लाभ दिया जाना चाहिये चाहे वह इस पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त न किया जाकर अन्य अवकाश के कारण एक या दूसरे रिक्त हुए पद पर लगाया गया हो ।

[1]टिप्पणी—इस नियम के प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियो पर लागू नहीं होंगे जो 8 दिसम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त होने को हो ।

[2]अस्थाई सेवा की स्थाई हो जाने पर गणना (Temporary service followed by confirmation counts)—

नियम 188क (1) न्यूनतम योग्य आयु प्राप्त करने के बाद राज्य कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन की गई लगातार अस्थाई सेवा की आधी सेवा योग्य सेवा के रूप मे गिनी जावेगी यदि वह पेंशन योग्य पद पर बाद मे स्थाई हो जाता हो फिर भी असाधारण अवकाश एव किसी अस्थाई सेवा या उसके किसी अंश के समयो के सम्बन्ध में यह लाभ नहीं दिया जावेगा जो कि वर्तमान नियमो के अन्तर्गत योग्य सेवा के लिए पहिले से ही पेंशन योग्य सेवा मे गिनी जाती है ।

(2) फिर भी उपरोक्त उप अवतरण (1) मे कुछ दिए गए अनुसार 18 दिसम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा मुक्त होने वाले राज्य कर्मचारियो की राज्य सरकार के अधीन निरन्तर अस्थाई या स्थानापन्न सेवा यदि वह बिना किसी व्यवधान के बाद मे उसी या अन्य पद पर अस्थाई हो जाता है तो निम्नलिखित को छोड़कर पेंशन योग्य सेवा के रूप मे गिनी जावेगी—

(i) पेंशन के अयोग्य के स्थापन (Non Pensionable establishment) मे अस्थाई या स्थानापन्न सेवा की अवधि

(ii) दैनिक वेतन पर काम करने वाले व्यक्तियो की सेवा की अवधि ।

(iii) फुटकर निधि से भुगतान किये जाने वाले पद की सेवा की अवधि ।

शिक्षु एवं परिवीक्षाधीन व्यक्ति (Apprentices and Probationers)

शिक्षु (एपरेंटिस) के रूप मे की गई सेवा, सरकार द्वारा विशेष रूप से आदेश दिये गये मामलो को

नियम 189 छोड़कर, पेंशन के योग्य नहीं गिनी जावेगी ।

---

1 स एफ 1 (51) वि वि व [नियम] 61 दि 18-12-1961 द्वारा निविष्ट ।
2 स एफ 1 [51] वि वि एफ [नियम] दि 18-12-61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परिवीक्षाधीन व्यक्ति—एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो स्थाई पद को धारण करता है तथा स्थाई वेतन

नियम **189क** प्राप्त करता है, उसकी सेवा पेंशन योग्य होती है इसी प्रकार एक अधिकारी की सेवा पेंशन योग्य होती है जो इसी प्रकार एक स्थाई पद के लिए परीवाक्षा पर हो, यदि वह परिवीक्षाकाल को विचाराधीन रखते हुए उसके लिए सुरक्षित रिक्त पद पर नियुक्त हो जाता है तथा उस पर दूसरा अधिकारी साथ में सेवा को नहीं गिनता है।

टिप्पणियां [1] परिवीक्षाधीन सेवा के बाद की सेवा स्थाई न हो तो परिवीक्षाकाल की सेवा पेंशन के लिए योग्य नहीं गिनी जावेगी।

[2] एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हुआ है तथा दूसरे पद पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में स्थानान्तरित हो गया है तो वह अपनी सेवा को प्रोबेशनर के रूप में गिन सकता है। फिर भी यह आवश्यक है कि राज्य कर्मचारी को अपने स्थाई पद पर लीयन रखना चाहिए ताकि वह वहां स्थाई न किये जाने की स्थिति में वापिस अपने पद पर आ सके। जब तक वह दूसरे पद पर स्थाई न कर दिया जाव तब तक उसके द्वारा धारण किय गये पद पर दूसरे कर्मचारी को स्थाई नहीं किया जा सकता है।

[3] एक व्यक्ति जिसकी स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है परन्तु जो कुछ समय के लिए किसी पद पर उसके स्थाई कर्मचारी के अनुपस्थित रहने के कारण, स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो वह अपनी कार्यवाहक सेवा को पेंशन के लिए गिन सकता है यदि उसकी परवर्ती परिवीक्षाधीन सेवा जिसमें कि वह अपनी स्थानापन्न सेवा के साथ नियुक्त हुआ था, नियम 109 की शर्तों का पालन नहीं करती हो और इसीलिये पेंशन योग्य नहीं होती हो।

प्रतिनियुक्त स्थाई अधिकारी (Permanent officer deputed)

अस्थाई सेवा पर प्रतिनियुक्त स्थाई अधिकारी एक स्थाई स्थापन का अधिकारी अस्थाई सेवा

नियम **190** में इस मान्यता के आधार पर अलग किया जाता है कि जब अस्थाई सेवा समाप्त हो जावेगी तो वह अपने स्थाई स्थापन में आ जायगा ऐसी स्थिति में उसकी अलग की गई सेवा (detach.u service) पेंशन के लिए गिनी जाती है।

टिप्पणियां 1—एक स्थाई अधिकारी अस्थाई सेवा करते हुए अपनी अलग की गई सेवा से इस स्थाई पद की सेवा के रूप में गिनता है न कि अपनी अस्थाई सेवा के सम्बन्ध में।

2—इस नियम में प्रयुक्त 'अस्थाई सेवा' का तात्पर्य एक अस्थाई पद की सेवा से है।

3—यह नियम उन अधिकारियों के मामलों का वर्णन करता है जो अस्थाई पद पर सेवा से अलग किए जाते है तथा स्थाई पेंशन के अयोग्य (Non pensionable) पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करने वाले अधिकारी का मामला इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

4—एक अधिकारी जिनका लीयन नियम 17 (ख) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है तो वह अपनी सेवा को नियम 190 के अधीन स्थाई पद की सेवा के रूप में गिनेगा एवं उसकी कार्यवाहक सेवा जो उसके स्थान पर प्राविधिक (प्रोविजनल) रूप से की गई है, पेंशन के अतिरिक्त सब प्रयोजनों के लिए स्थाई रूप में समझी जावेगी।

नियम 190 योग्य सेवा की दूसरी शर्त के अस्थाई रूप से निलम्बित करने की आज्ञा देता है। यह प्रथम

नियम **191** शर्त या तीसरी शर्त में किसी प्रकार की छूट नहीं देता है एवं विशेष रूप से बाहरी सेवा में नियुक्त एक अधिकारी पर लागू होने वाले नियमों के किसी संशोधन का समर्थन इससे किया हुआ नहीं समझना चाहिए।

टिप्पणी राजप्रमुख एवं माननीय सरकार के मंत्रियों के निजी सचिव (Private Secretary) के रूप में की गई सेवा पेंशन के योग्य मानी जाती है बशर्ते कि अधिकारी, निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, राज्य सरकार की असैनिक सेवा से सम्बन्ध रखता हो या ऐसी नियुक्ति के समय एसी सेवा पर नियुक्त किया हुआ समझा गया था।

समाप्त किया गया स्थाई पद (Substantive office abolished)

समाप्त किया गया स्थाई पद—यदि एक अधिकारी का स्थायी पद समाप्त कर दिया जाता है

नियम **192** लेकिन अधिकारी उस समय विशेष सेवा पर हो या अपने पद की समाप्ति पर विशेष सेवा पर प्रतिनियुक्त हो गया हो तो उसके विशेष कार्य की सेवा पेंशन के लिए योग्य मानी जाती है। लेकिन यह कार्य, जो स्थाई नियुक्ति के क्रम में अस्थाई पद पर विशेष रूप

से नियुक्ति के रूप म हानी चाहिए जा कि उस समय रिक्त हा, प शन क लिए योग्य नही हाती है।

फुटकर काय (Piece work)

फुटकर कार्यो के लिए नियुक्त मुद्रणालय का कमचारी (Press servant posted f r work)—एक प्रेस का कमचारी जिसे फुटकर काय के लिए वतन दिया जाता है उसे स्थाई पद धारण किया हुआ समभा जाता है, यदि —

नियम 193

(i) वह आकस्मिक रूप से नियुक्ति किया जाता हो तथा एक निश्चित स्थापन के सदस्य के रूप म नियुक्त किया गया हो एव

(ii) अपनी वास्तविक नियुक्ति के गत 72 माह की अवधि म उसने 24 माह तक बिना किसी व्यवधान के एक पद पर काय किया हो या अपनी स्वय की इच्छा द्वारा या दुराचरण के द्वारा ऐसा न किया गया हो कि उसे इस प्रकार से एक पद पर नियुक्त रखा गया।

सर्वेक्षण एव भूप्रब ध (Survey and Settlement)

सर्वे एव भूप्रबन्ध—(क) भू–प्रब ध विभाग एव सर्वे विभाग म केवल अस्थाई रूप मे नियुक्त किए गए उन राज्य कमचारियो की सेवा पेन्शन योग्य मानी जाती है जो कि [1](स्थायी) आधार पर नियुक्त किए गए हैं या किए गए थे।

नियम 194

(ख) नियमित विभाग एव उक्त निर्दिष्ट सीमा तक के सिवाय सर्वे एव भू प्रबन्ध विभाग की सेवा उस समय तक पेन्शन के योग्य नही मानी जाती है जब तक कि इसके साथ बिना व्यवधान के योग्य सेवा न की गई हो। भू प्रबन्ध सेवा के साथ बिना व्यवधान के, पटवारी फण्ड से भुगतान की गई पेन्शन योग्य सेवा भी पेन्शन योग्य समझी जाती है।

(ग) अधिकारो से रिकार्ड के काम म लगाए हुए भू मापको की सेवा पेन्शन योग्य गिनी जाती है जबकि इसके साथ बिना व्यवधान के कोई योग्य सेवा की जाती है।

[1]**निर्णय संख्या** (1) राजस्थान सेवा नियमो के नियम 194 के अधीन सर्वे एव भूप्रबन्ध विभाग मे की गई सेवा पेन्शन के योग्य मानी गई है बशर्ते कि नियुक्ति स्थाई आधार पर हो तथा सम्बन्धित सरकारी कमचारी केवल अस्थाइ आधार पर नियुक्त नही किया गया हो।

(2) *यह निर्णय किया गया है कि सभी भू प्रबन्ध सगठन जो*

(i) किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिए सृजित नहीं किए गए थे

(ii) यदि मूलत किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सृजित किए गए थे तो भी उन्हे बाद म निर्दिष्ट अवधि के बाद अनिश्चित अवधि तक काय करते रहने की अनुमति दी गई थी

इन नियम के प्रयोजनाथ स्थाई आधार पर समझे जाएगे।

पारिश्रमिक का स्रोत योग्यता का आधार (Source of remuneration basis to qualification)—खण्ड (2) व खण्ड (3) निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाली सेवा उसके भुगतान के स्रोतो के अनुसार पेन्शन के योग्य या अयोग्य मानी जाती है। इस नियम के प्रसग मे सेवा निम्न रूप से वर्गीकृत की जाती है—

नियम 195

[क] सञ्चित निधि [Consolidated Fund] से भुगतान की गई सेवा।

[ख] स्थानीय निधि Local Fund] से भुगतान की गई सेवा।

[ग] उन निधियो से भुगतान की जाने वाली सेवा जिनको कि सरकार ट्रस्टी [न्यास] की स्थिति म धारण किए हुए है।

[घ] कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या आयोग द्वारा वसूल किये गए शुल्को [Fees] से भुगतान की गई सेवा।

[ङ कानून या रीति [Custom] के अनुसार भूमि धारण करने के या काम के अन्य स्रोत के या धनराशि इकट्ठी करने के अधिकार के अनुदान से भुगतान की जाने वाली सेवा।

सञ्चित निधि (Consolidated Fund)

---

1 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 [8] वित्त विभाग 1 [नियम] 69 दिनांक 22 2 69 द्वारा शब्द अद्ध स्थायी के स्थान पर शब्द स्थायी परिवर्तित तथा निर्णय सख्या 1 व 2 प्रतिस्थापित किए गए।

सञ्चित निधि से भुग ान को जान वाली सेवा को शामिल किया जाना—सञ्चित निधि से

नियम **196** भुगतान की जानी वाली सवा पेंशन के लिए योग्य मानी जाती है। यह तथ्य कि एक स्थापन या अधिकारी के व्यय को पूरा या आशिक रूप म सरकार की ओर से वसूल करन का प्रब ध किया गया है इस सिद्धा त के लागू होन म कोई प्रभाव नही डालता है बशर्ते कि स्थापन या अधिकारी सरकार क नियण्त्रण म है तथा उसके द्वारा ही मुगतान किया जाता है।

स्थानीय निधि एव ट्रस्ट (न्यास) निधियाँ (Local Funds and Trust Funds)

स्थानीय निधि एव ट्रस्ट निधि स भुगतान की जान वाली सेवा पे शन योग्य नही गिनी

नियम **197** जाती है—स्थानीय निधि एव ट्रस्ट निधियो से मुगतान की जाने वाली सवा जिसे सरकार ट्रस्टी क रूप मे जसे कोट श्राफ वाड्स के अ तगत या एक कुक की गइ सम्पत्ति क रूप म धारण करती है उस समय तक पेंशन क योग्य नही होती है जब तक कि अ यथा प्रकार म सरकार एसी शर्तो पर जिन्हे वह लगाना उचित समझे विशेष रूप से उन्ह पेंशन क योग्य सेवा म गिनन का आदेश न दे दे।

[1]निणय स 1 – राजस्थान सेवा नियमो के नियम 197 के अ तगत स्थानीय निधि से या एसी निधियो म भुगतान की जानी वाली सवा जिन्ह सरकार ट्रस्टी के रूप जसे कोट आफ वाडस के अ त गत या कुक की गई जायदाद को धारण करती है पशन योग्य नही हाती है जब तक कि अ यथा प्रकार म सरकार एसी शर्तो पर जिन्ह वह लगाना उचित समझे विशेष रूप स उसे पेंशन योग्य सेवा गिनने नहा देती है। इसलिए कोट आफ वाडस कमचारियो क लिए आदश इस नियम क अ तगत निकाले जाते है।

मामले पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निणय किया गया है कि कोट आफ वाडस की प्रशासनिक यवस्था की स्वीकृति (सम्पत्ति के वास्तविक प्रब ध म लगे यक्तियो स भिन्न के सम्ब ध मे) विलीनीकरण विभाग (n egration Deptt) के आदेश दिनांक 24 3 52 के अवतरण 2 म वर्णित काट आफ वाडस विभाग के स्थाई कमचारी वग की सेवा, जिसका मुगतान राज्य की सचित निधि स किया जाता है पेंशन के लिए योग्य सवा के रूप मे पेंशन की योग्यता एव उसकी सवा को गिनने सम्ब धित अ य नियमो की शर्तो पर समझी जा सकती है।

[2]निणय स 2—राजस्थान सेवा नियमो क नियम 197 के अधीन प्रब ध काय के लिए कोट आफ वाड्स विभाग म नियुक्त कमचारियो की सवायें पशन योग्य नही है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा वह निणय किया गया है कि किसी भी कमचारी की सवा जो भूतपूव प्रसविदा तगत राज्यो के कोट आफ वाडस विभाग द्वारा प्रब ध काय के लिए आरम्भ म नियुक्त किय गए थे तथा जो ठिकाना/जागीर के पुन ग्रहण के फलस्वरूप अतिम रूप स सरकारी सवा म आए थे उन्ह अस्थायी समझा जायगा तथा ऐसी अविच्छिन्न अस्थायी सवा क आधा भाग को केवल पेंशन क प्रयोजनाथ अहकारी सवा क रूप म समझा जाएगा।

शुल्क एव कमीशन (Fees and Commission)

शुल्क एव कमीशन स भुगतान की गइ सेवा सिवाए इसके जब शुल्क या कमीशन वेतन के अतिरिक्त

नियम **198** सञ्चित निधि स प्राप्त किय जात हो क वल शुल्को से मुगतान की गई सेवा पेंशन योग्य नही हाती है चाहे य शुल्क कानून द्वारा या सरकार की आज्ञा के अधीन या कमीशन द्वारा क्यो न लगाये गए हो।

टिप्पणी सामा य राजस्वो स भुगतान किए जाने वाले वेतन क अतिरिक्त शुल्को एव कमीशन द्वारा मुगतान की गई सेवा इस नियम क अ तगत पशन क योग्य मानी जाती है लेकिन शुल्क एव कमीशन वेतन म यह निणय करन के लिय शामिल नही किया जाना चाहिय कि वह सेवा उच्च सेवा है या चतुथ श्रेणी सवा है।

भूमि के पट्ट आदि (Tenure in Land Etc)

जमीन क पटटे आदि से मुगतान की गई सवा (Service paid from tenure in land

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 19 (9) आर/52 दि 31 8 1954 द्वारा निविष्ट।

2 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (36) वित्त वि (नियम)/70 दि 24 6 70 द्वारा निविष्ट।

नियम **199** etc) नियम या परम्परा के अनुसार भूमि के पट्टे या आय के अन्य स्रोत या धनराशि इकट्ठी करने के अनुदान से गुगतान की जाने वाली सेवा पेंशन योग्य नहीं गिनी जाती है।

[1]खण्ड (5) (नियम 200 से 202 विलोपित)

अध्याय 19

खण्ड 1–अवकाश एवं प्रशिक्षण की अवधियाँ (Periods of leave and training) सेवा गिनने के नियम (Rules for reckoning service)

योग्य सेवा के लिए गिनी जाने वाली अवकाश-अवधियां—नियम 204 में दिये हुए के अतिरिक्त

नियम **203** उपार्जित अवकाश के अलावा अन्य अवकाश पर बिताया गया समय सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है।

भत्तों सहित अवकाश पर बिताया गया समय (Time passed on leave with allowances)

नियम **204** (क)—उच्च सेवा के मामले में भत्ता सहित अवकाश पर बिताया गया समय के रूप में निम्न प्रकार से गिना जाता है—

यदि अधिकारी की कुल सेवा निम्न से कम न हो	यह अवकाश के समय को सेवा के रूप में गिनता है जो निम्न समय से अधिक नहीं होगा।
15 वर्ष	1 वर्ष
20 वर्ष	1 वर्ष
25 वर्ष	1 वर्ष
30 वर्ष	2 वर्ष
35 वर्ष	2 वर्ष

टिप्पणियां—(1) इस नियम में कुल सेवा का तात्पर्य पेंशन के लिए योग्य सेवा के प्रारम्भ होने की तारीख से गिनी जाने वाली सेवा से है तथा इसमें अवकाश का समय भी शामिल है।

(2) जब अस्पताल या प्रसूति अवकाश चाहे औसतन वेतन पर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसके समन्वय में से (विशेष अयोग्यता अवकाश को छोड़कर जिसके लिए विशेष प्रावधान रखे गये है) लिया हो तथा 120 दिन से ज्यादा हो तो पेंशन के प्रयोजन के लिए कुल अवकाश के समय में प्रथम 120 दिन के समय को ही उपार्जित अवकाश के रूप में गिना जाना चाहिये।

(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्न सीमा तक अवकाश को सेवा के रूप में गिना जावेगा।

(i) सेवा पर बिताए गये समय का 1/22 की दर से उपार्जित अवकाश

(ii) कुल सेवा के 3/80 भाग तक के समय का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश जिसमें से असाधारण अवकाश पर बिताए गये समय को हटा दिया जावेगा।

टिप्पणियां—(1) पेंशन के अयोग्य सेवा, जिस नियम 180 के अन्तर्गत पेंशन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दे दी जाती है तो उस (अयोग्य सेवा को) नियम 204 के प्रयाजन के लिए उस समय तक नहीं गिना जाना चाहिए जब तक कि ऐसा अवकाश, अवकाश के प्रयोजनों के लिए भी स्थाई रूप से नहीं गिना जाता हो।

---

1 वि वि विज्ञप्ति स एफ 1 (58) वि वि-क/नियम/62 दि 21 11 62 द्वारा विलोपित एव दि 1 10 62 से प्रभावशील।

(2) नियम 204 (ख) के अन्तगत प्राप्य भत्तो सहित कुल अवकाश को गिनने मे अस्पताल अवकाश (हास्पिटल लीव) को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसे चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लिया हुआ अवकाश नही माना जाता है ।

[1]सरकारी निणय (1)(i) विलीनीकरण विभाग के पत्र सख्या एफ 401—जी डी/खण्ड II दिनाक 24 6 49 एव सख्या 26/II दिनाक 14 8 49 के अन्तगत बहुत से राज्य कमचारी जो सेवा निवृत्त कर दिये गए थे वे अपना बकाया अवकाश का पूण या आशिक उपभोग करने के पूव ही अस्थायी रूप से पुनर्नियुक्त हो गए थे। उनके द्वारा उपभोग न किए गए अवकाश का उपभोग करने एव इसे पेन्शन योग्य सेवा मे गिने जाने के प्रश्न की सरकार द्वारा जाच करली गई है। मामले के सभी दृष्टिकोणो पर विचार करने के बाद यह निणय किया गया है कि सम्बन्धित राज्य कमचारियो को उस समय तक अवकाश के रूप मे माने जाने की स्वीकृति दी जा सकती है जब तक कि उस पद पर सेवा करते हुए उनका अवकाश समाप्त नही हो जाता है जिस पर वे पुनर्नियुक्त किए गए हैं एव इस मामले म उन्हे अपनी पुनर्नियुक्ति जिन पर निश्चित किए गए वेतन के साथ साथ प्राप्य अद्ध वेतन अवकाश देने की भी स्वीकृति दी जा सकती है तथा वे अवकाश के समय को पेन्शन के लिए गिन सकते है इस प्रकार से पुनर्नियुक्ति जो राज्य कमचारी इस रियायत का लाभ नही उठाना चाहता, पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर अपने अवकाश का उपभोग कर सकते है तथा ऐसे अवकाश समय मे उन्हे पूर्ण अवकाश वेतन दिया जावेगा। उस मामले म कमचारी की सेवा निवृत्ति के पूव से प्रभावशील हुई समझी जावेगी तथा अवकाश का समय पेन्शन के लिए नही गिना जावेगा।

(ii) किसी भी मामले म अवकाश उसकी अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होगा जो कि सम्बन्धित इकाइयो के नियमो के अनुसार निवृत्ति पूव अवकाश के रूप म उपभोग किया जा सकता है।

(iii) अवतरण (i) के सम्बन्ध का विकल्प पेन्शन गिने जाने के पूव कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिए।

[2]निणय सख्या (2)—वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 35(1) आर/52 दिनाक 6 2-52 (निणय सख्या 1) म दिया गया था कि जो राज्य कमचारी विलीनीकरण विभाग के पत्र सख्या 401/जी डी/खण्ड/II दिनाक 24-6-49 के अन्तगत सेवा निवृत्त हो गये थे लेकिन अपने बकाया अवकाश का पूण या आशिक उपयोग करने के पूव ही अस्थाई रूप से पुनर्नियुक्त हो गए थे उन्हें अपने अवकाश के समय को पेन्शन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जावेगी बशर्ते कि वे पुनर्नियुक्त पर निर्धारित वेतन के साथ म प्राप्य अद्ध वेतन अवकाश प्राप्त करते है। यदि राज्य कमचारी पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे अवकाश म अपना पूण वेतन प्राप्त करते है तो अवकाश के समय को पेन्शन के लिए गिनने की स्वीकृति नहीं दी जानी थी तथा सेवा निवृत्ति पुनर्नियुक्ति के पहले से प्रभावशील मानी जाने वाली थी। पेन्शन के स्थान पर जोधपुर राज्य के अशदायी भविष्य निधि नियमो द्वारा शासित राज्य कमचारियो को इस प्रकार की समान परिस्थितियो म किस रूप म समझा जाए यह एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है।

मामले की जाच कर ली गई है तथा यह निणय किया गया है कि उपभोग न किये गये समय के उपभोग करने तथा इसके समय को पेन्शन के लिए योग्य सेवा के रूप म गिने जाने के सम्बन्ध म उपरोक्त वर्णित आज्ञा के प्रावधान उन राज्य कमचारियो पर भी लागू होगे जो जोधपुर राज्य के अशदायी भविष्य निधि से शासित होते हैं तथा समान परिस्थितियो म अस्थाई रूप से पुनर्नियुक्त किये जाते हैं। दूसरे शब्दो म उनका अवकाश का समय भविष्य निधि म नही गिना जायगा यदि पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्ण अवकाश वेतन प्राप्त किया गया हो तथा उस मामले म सेवा पुनर्नियुक्ति के पूव से प्रभावशील हुई समझी जावेगी।

यदि अवकाश पुनर्नियुक्ति की अवधि के साथ साथ लिया जाता है तथा उसका अद्ध वेतन अवकाश प्राप्त किया जाता है तो अवकाश का समय भविष्य निधि के लाभ के लिए गिना जावेगा तथा अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद से सेवा निवृत्ति प्रभावशील हुई समझी जावेगी।

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 35(1) आर/52 दि 6 2 1952 द्वारा निविष्ट।
2 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 35 (1) आर/52 दि 28 10 1953 द्वारा निविष्ट।

[1]निणय सख्या (3)—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 188 क के अन्तर्गत स्थायीकरण (Confirmation) के पूर्व निरन्तर अस्थाई सेवा की आधी सेवा कुछ शर्तों के साथ पेन्शन के लिए गिनी जाती है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसी अस्थाई सेवा की आधी सेवा को राजस्थान सेवा नियमो के नियम 204 के नीचे दी गई तालिका के कालम 1 म वर्णित कुल सवा के गिन जान के प्रयोजन के लिए शामिल किया जा सकता है और क्या उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश को पेन्शन के लिए गिने जाने के सम्बन्ध म उसी तालिका के कालम 2 म निर्धारित सीमा के लिए उसे प्रयोग म लिया जा सकता है। मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि एसी अस्थाई सेवा की आधी सेवा को राजस्थान सवा नियमो के नियम 204 म वर्णित कुल सेवा म नियम 188 क म दी गई शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है तथा नियम 204 के नीचे दी गइ टिप्पणी के कालम 2 म वर्णित सामा उस आधार पर लागू की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए योग्य सेवा के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई पहिले की निरन्तर अस्थाई सेवा की आधी सेवा को कुल सेवा मे सीधी अन्यथा रूप से गिनी हुई के रूप म शामिल करना चाहिये एव इस प्रकार दोनो का योग कुल सेवा होगी।

(2) यह और भी आदेश दिया गया था कि अस्थाई सेवा के लगातार समय म सभी भत्तो सहित प्राप्त किये गये अवकाश को उपरोक्त कहे गये अनुसार अस्थाई सेवा की आधी सेवा क गिने जाने म शामिल किया जाना चाहिये लकिन उस अवधि मे उपभोग किया गया असाधारण अवकाश का कोई समय उस प्रयोजन के लिए शामिल नही किया जावेगा।

(3) सिद्धात के रूप म तथा राजस्थान सेवा नियमो के नियम 203 की समानता के आधार पर अस्थाई सवा के भीतर उपार्जित अवकाश पर बिताए गए समय का आधा समय अपने आप स्वत ही पेन्शन क योग्य गिना जावेगा। अस्थाई सेवा म उपभोग किए गए भत्तो सहित अन्य अवकाश का आधा समय भी राजस्थान सेवा नियमो के नियम 204 म निर्धारित सीमाओ की शत पर स्थाई या अर्द्ध स्थाई सेवा म उपभोग किए गए ऐसे अवकाश के समय के साथ म पेन्शन के लिए गिना जावेगा। फिर भी भत्ता रहित उपभोग किये गये असाधारण अवकाश का कोई हिस्सा किसी भी रूप में पेन्शन के लिए नही गिना जावेगा।

फिर भी नियम 203 एव 204 मे कुछ दिये गये अनुसार (असाधारण अवकाश को छोडकर)
[2]नियम **204 क** भत्तो के साथ अवकाश पर बिताया गया समय उन राज्य कर्मचारियो की सेवा के रूप मे गिना जावेगा जो 25 जनवरी 62 को या उनके बाद सेवा से निवृत्त किए जावेंगे।

[3]निर्णय (1) राजस्थान सेवा नियमो के नियम 204 क के अनुसार असाधारण अवकाश पर बिताए गए अवकाश का पेन्शन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप म नहीं गिना जाता है। यह प्रश्न है कि क्या असाधारण अवकाश पर बिताई गई अवधि को पेन्शन के लिए अर्हकारी सवा के रूप म समझा जाना चाहिये? कुछ समय पूर्व स सरकार के पास विचाराधीन था। राज्यपाल ने अब निर्णय लिया है कि असाधारण अवकाश को भी पेन्शन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप म प्राधिकारी द्वारा उसके निर्णय पर निम्न परिस्थितियो म गिना जा सकता है।

(i) यदि वह चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर ली गयी हो।

(ii) यदि वह सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी न गृह अशान्ति या दैवी प्रकोप के कारण कर्त्तव्य पर उपस्थित होने अथवा पुन उपस्थित होने मे असमर्थ होने के कारण लिया हो किन्तु शर्त यह है कि उसके लेखे म किसी प्रकार का कोई अन्य अवकाश बकाया न हो।

(iii) यदि वह उच्चतर वैज्ञानिक एव तकनीकी अध्ययन के लिए लिया गया हो।

स्थायी नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी इन आदेशो के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी होंगे। ये आदेश इनके जारी किए जाने की तारीख से प्रभावशील होंगे।

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा स डी 5911/56/एफ 7A (8) वि वि (व) नियम/57/दि 7 5 19`` द्वारा निविष्ट।

2 वि वि आज्ञा स एफ 7A (41) वि वि A (नियम) 59 II दि 2 2 1962 द्वारा निविष्ट

3 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (48) वित्त वि (नियम)/70 दि 29 7 70 द्वारा निविष्ट।

राजस्थान सेवा नियमों में उपयुक्त परिस्थितियों में असाधारण अवकाश को पेंशन के लिए गिने जाने के लिए औपचारिक रूप से संशोधन पृथक रूप से किया जाएगा।

[1]निर्णय स० 2—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29–7–1970 (जो सरकारी निर्णय स० 1 के रूप में ऊपर है) की परिधि के बारे में संदेह उत्पन्न किये गये। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि असाधारण अवकाश की अवधि को पेंशन के लिए योग्य सेवा के रूप में गणना की जावे अथवा नहीं के बारे में सक्षम अधिकारी से जब कभी ऐसा मामला उत्पन्न होवे उसी समय स्पष्ट आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए और बाद में नहीं।

उपरोक्त आदेश के उपबन्ध उन समस्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू जो 29–7–1970 को अथवा बाद में राज्य सेवा में है और उनके द्वारा उनके सेवा काल में लिए गये असाधारण अवकाश को पेंशन के लिए योग्य सेवा में गणना करने के प्रश्न पर सक्षम अधिकारी उक्त आदेश में दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर अवधारण करेगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि जो अधिकारी स्थाई नियुक्ति करने में सक्षम है वह पिछले मामलों का पुनरावलोकन करने में भी सक्षम है।

पूर्व में जिन मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुनः नहीं खोला जावे।

नियम 205 प्रशिक्षण में बिताया गया समय (Time spent on training) (क) एक अधिकारी के मामले में (जिसमें राजकीय सेवा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये नया व्यक्ति जो वास्तव में राजकीय सेवा में नियुक्त नहीं हुआ हो वह भी शामिल है) जो कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये चयन कर लिया गया है राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार यह तय करेगी कि क्या प्रशिक्षण में बिताए गए समय को पेंशन के लिए योग्य सेवा के रूप में गिना जावेगा।

(ख) जब एक राज्य कर्मचारी सेवा (Duty) पर भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति हो जाता है तो वह भारत के बाहर अनुपस्थित रहने का सम्पूर्ण समय पेंशन योग्य समझा जावेगा। जब एक राज्य कर्मचारी भारत के बाहर अवकाश पर जाता है तथा अवकाश के समाप्त होने पर उस सेवा पर वहीं नियुक्त कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है तो इस प्रकार की नियुक्ति या ठहरने का समय पेंशन के लिए गिना जाता है।

[2]सरकारी निर्णय स (1)–विचाराधीन पेंशन के मामलों का शीघ्रतम निर्णय करने के उद्देश्य से महाराजाधिराज राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि जो अध्यापक पहिले से ही स्थाई हो चुके हैं तथा 1–12–54 से पूर्व सेवा निवृत्त किए जा चुके है उनके द्वारा प्रशिक्षण में बिताया गया समय उन्हें ऐसी अवधि में अध्ययन वृत्ति दिये जाने पर ही पेंशन के प्रयोजन के लिए योग्य सेवा के रूप में समझा जावेगा तथा शर्त यह है कि वे राज्य की स्थाई सेवा में बिना किसी व्यवधान के निरंतर बना रहे।

[3]निर्णय स (2)—राज्यपाल ने उक्त छूट उन अध्यापकों को भी प्रदान की हैं जो 1–12 54 के बाद सेवा से निवृत्त किए गए हैं।

खण्ड 2 सेवा में निलम्बन, त्यागपत्र सेवा भंग एवं कमियां
(Suspensions, Resignations Breaks and Deficiencies in Service)

नियम 206 [4]निलम्बन में बिताया गया समय— चालू जांच को विचाराधीन रखते हुए निलम्बन में बिताया गया समय पेंशन के लिए पूरा गिना जावेगा यदि जांच कर चुकने पर राज्य कर्मचारी पूर्णतया निर्दोष साबित हुआ हो या जिसको निलम्बित किया जाना पूर्णतः अनुचित् पाया गया हो। अन्य मामलों में, निलम्बन का समय पेंशन योग्य सेवा में शामिल नहीं किया जायेगा जब तक कि नियम 54 के अन्तर्गत आदेश जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी यह स्पष्ट रूप से घोषित नहीं कर देता है कि वह समय पेंशन गिना जावेगा और तब ही यह निलम्बन का समय उतनी ही मात्रा में पेंशन के योग्य गिना जावेगा जितना कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करे।

नियम 207 [5][विलोपित]

---

1 वि वि ज्ञापन स एफ 1(48) वि वि (नियम)/70 दि 9–3–1973 द्वारा निविष्ट।
2 आदेश स एफ 13 (104) PLO/F/11/54 दि 15–1–55 द्वारा निविष्ट।
3 आदेश स एफ डी 1405 वि वि (क) 58/एफ 1 (एफ) वि वि (क)53 दि 28 3 58 द्वारा निविष्ट।
4 स एफ 1 (88) वि वि क (आर)/62 दि 6 8 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
5 स एफ 1 (88) वि वि क (आर) 62 दिनांक 6–8–63 द्वारा विलोपित।

त्याग पत्र एव निष्कासन (Resignation and dismissals)

त्यागपत्र, निष्कासन या दुराचरण के कारण हटाया जाना–(क) सावजनिक सेवा से त्याग पत्र

नियम 208 देना या दुर्व्यवहार के कारण निष्कासित होना या सेवा से हटाना दिवालियापन व या म अदक्षता जो उम्र के कारण न हो या निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकना, आदि पिछली सेवाओ को समाप्त करते हैं।

[1](ख) स्थाई या अस्थाई रूप म अन्य पद पर नियुक्त होने के लिए एक पद से त्याग पत्र दिया जाना जिसमे कि सेवा पूर्ण या आंशिक रूप म पेन्शन योग्य गिनी जाती हैं, सावजनिक सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ नही होता है।

ऐसे मामलो म जिनम कि दोनो नियुक्तिया भिन्न भिन्न स्थानो पर होने के कारण सेवा में व्यवधान होना जरूरी हो यदि यह व्यवधान स्थानान्तरण पर नियमानुसार प्राप्य योगकाल से अधिक न हो तो उसे उतने समय का अपना बकाया किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाकर पूरा किया जावेगा या नियम 212 के अन्तगत उस सीमा तक क्षमा किया जावेगा जो कि अवकाश क स्वीकृत समय स नियमित न होता हो।

[2](क) एक राज्य कमचारी जो राजयकीय सेवा से निष्कासित किया गया है, हटाया गया है या अनिवाय

नियम 209 रूप से सेवा निवत्त किया गया है परन्तु जो अपील या पुनवीक्षा (Revision) पर पुन नियुक्त हो जाता है तो वह अपनी पूव की सेवाओ को पेन्शन के लिए गिनने के लिए अधिकृत है।

(ख) राज्यकीय सेवा से निष्कासित किय जाने या हटाये जाने या आवश्यकीय रूप से सेवा निवत्त किये जाने जसी भी स्थिति हो एव राजकीय सेवा म पुनर्नियुक्त होने के बीच का निलम्बित समय (यदि कोई हो) उस समय तक पशन योग्य नहीं समझा जावगा जब तक कि पुनर्नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा वह समय सेवा या अवकाश के रूप में नियमित कर दिया जाता है।

व्यवधान (Interruptions)

सेवा से व्यवधान गत सेवा को समाप्त करता है अपवाद (Interruption in service

नियम 210 **entails forfeiture of past service exceptions–** निम्न लिखित मामलो को छोड़कर एक राज्याधिकारी की सेवा का व्यवधान उसकी पूव सेवाओ को समाप्त करता है—

(क) अनुपस्थिति का अधिकृत अवकाश।

(ख) अनुपस्थिति के अधिकृत अवकाश के क्रम म अनधिकृत अवकाश जब तक कि अनुपस्थिति रहने वाले का रिक्त स्थान स्थाई रूप से न भर लिया जावे। यदि उसका पद स्थाई रूप स भर लिया गया हो तो अनुपस्थिति रहने वाले अधिकारी की पूव सेवायें पेंशन के लिए समाप्त समझी जाती हैं।

[3](ग) निलम्बन यदि बाद मे शीघ्र ही पुनर्नियुक्ति द्वारा अनुसरण किया जावे चाहे वह उसी पद पर हो या अन्य पद पर अथवा जहा का अधिकारी निलम्बन काल म मर जाता है या उस सेवा निवत्ति की स्वीकृति दे दी जाती है या सेवा से निवत्त कर दिया जाता है।

[4]स्पष्टीकरण—कुछ स्थानो पर सन्देह प्रकट किये गये हैं कि क्या राजस्थान सेवा नियमो के नियम 210 के खण्ड (ग) के प्रावधान राजस्थान सेवा नियमो के नियम 56 (ख) के साथ सम्बन्ध है? यह ध्यान म लाया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 56 (ख) म दिया हुआ है कि एक राज्य कमचारी दुर्व्यवहार के कारण निलम्बित किया गया है उस अनिवाय सेवा निवत्ति की तारीख से प्राप्त करने पर भी सेवा निवत्त नहीं होने दिया जावेगा या सेवा निवत्त होने की स्वीकृति नही दी जावेगी लेकिन उसे सेवा म उस समय तक रखा जावगा जब तक कि उस पर लगाये गये आरोपो की जाच पूरी न हो जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अन्तिम आदेश न दिया जावे। नियम 210

---

1 वि वि स डी 6408/59/एफ 7A (35) वि वि क (नियम) 59 दि 9 12 59 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 वि वि आज्ञा स 441/एफ 7A (5) वि वि क (नियम) 59 दि 30 4 59 द्वारा प्रतिस्थापित

3 आज्ञा स डी 6931/59/एफ 7A (22) वि वि क (नियम) 59 दि 30 11-59 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 ज्ञापन स एफ 7A (22) वि वि क (नियम) 59 दि 3 10 1960 द्वारा निविष्ट।

के परिवर्तित खण्ड (ग) म उन अधिकारियो का वर्णन किया गया है जिन्हें निलम्बित काल मे सेवा से निवृत्त होने की आज्ञा दे दी जाती है या जो सेवा निवृत्त हो गये हैं। इस सम्बन्ध म सन्देह को दूर करने के लिए निम्न प्रकार से स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाता है।

वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील नियमो (C C A Rules) के नियम 14 के अनुसार राज्य कमचारी की सेवा निवृत्ति निलम्बन काल म भी प्रभावित हो सकती है। यह उन मामलो को अपने क्षेत्र के अन्तगत लेती है जो कि नियम 210 (ग) सशोधित रूप म प्रस्तुत करता है। इसलिए यह खण्ड निलम्बन काल म सेवा निवृत्ति के मामलो को अपने क्षेत्राधिकार म लेता है चाहे यह सेवा निवृत्ति जाच पूरी हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेशा के अन्तगत अनिवाय सेवा निवृत्ति के पूव या बाद म की जानी हो। इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियमो के नियम (56) (ख) का अभिप्राय राज्य कमचारी को केवल उसके अनिवाय सेवा निवृत्ति की तारीख आ जाने के कारण, उसके निलम्बन काल म उस समय तक प्रामाणिक रूप से सेवा निवृत्त करने से रोकती है जब तक कि अन्तिम आदेश जारी न कर दिये जाये। निलम्बन काल म राज्य कमचारी को सेवा निवृत्त करने या उसे सेवा निवृत्त होने की स्वीकृति देने का प्रश्न उसी समय उठता है जब कि जाच कायवाही पूण हो चुकी हो न कि इससे पहले। उक्त स्थिति से स्पष्ट होगा कि राजस्थान सेवा नियमा के नियम 210 (ग) एव 56 के प्रावधानो मे कोई मतभेद नही है।

(घ) स्थापन वग (कमचारी वग) की कमी के कारण पद की समाप्ति या नियुक्ति की हानि। (Loss of appointment)

(ङ) सरकार के नियत्रण म एक स्थापन वग का पेन्शन के अयोग्य सेवा मे स्थानान्तरण एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये, लेकिन यदि एक अधिकारी इच्छा पूवक पेन्शन योग्य सेवा त्यागना चाहे वह इस अपवाद का लाभ प्राप्त करने का हक नही रखेगा। एक अनुदान सहायता प्राप्त (Grant in aid) स्कूल म स्थानान्तरण से पूव सेवाओ को पेन्शन योग्य नहीं समझा जाता।

(च) एक पद से दूसरे पद पर जाने के लिए समय, बशर्ते कि अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के आदेशा से स्थानान्तरित किया गया है या यदि वह अराजपत्रित अधिकारी है तो अपने पुराने कार्यालय के अध्यक्ष की सहमति से स्थानान्तरित किया जाना है।

टिप्पणिया—(1) एक राज्य कमचारी जो पद की समाप्ति पर सेवा से हटा दिया (Discharge) जाता है वह इस नियम के खण्ड (घ) का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है चाहे समाप्त किया गया पद वह पद न हो जिस उसने धारण किया हो या कोई विशिष्ट स्थापन का न हो जिस पर वह वास्तव म काय कर रहा था।

(2) अवकाश के बाद ज्यादा दिन ठहरने (Overstayal of leave) का समय पेन्शन के लिय नही गिना जाता है।

(3) एक राज्य कमचारी की पूव सेवा समाप्त कर दी जावेगी यदि नया पद जिस पर यह स्थानान्तरित हुआ है उस समय तक सृजित नही किया गया था जिस समय उसने उस पद पर कायभार लिया था। उस स्थिति म नियम 212 के अन्तगत सेवा को क्षमा किया जाना आवश्यक होगा।

(4) योगकाल पेन्शन योग्य नही होता है यदि उस अवधि के कोई भत्ते उसे न मिलते हो।

विना अवकाश की अनुपस्थिति के समय का भत्तो रहित अवकाश मे रूपान्तरण

नियम 211 (Commutation of periods of absence without leave into leave without allowance)—पेन्शन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी पूव प्रभाव से कालिक विना अवकाश की अनुपस्थिति के समय को भत्ता रहित अवकाश मे रूपान्तरित कर सकता है।

टिप्पणी - बिना अवकाश की अनुपस्थिति के समय को भत्ता रहित अवकाश म रूपान्तरित करने की शक्ति इस नियम के अन्तगत निरकुश है, नियम का प्रयोजन सिफ पेन्शन के प्रयोजन के लिए पूव सेवाओ की समाप्ति को बचाना है।

व्यवधानो एव कमियो को क्षमा करना
(Condonation of Interruptions and Deficiencies)

[1]व्यवधानो की क्षमा ऐसी शर्तों पर जिन्हें प्रत्येक मामलो म डालना उचित समझा जावे, सरकार एक

---

1 अधिसूचना स एफ 1 (75) वि वि क (नियम) 62 I दि 26 11 62 द्वारा प्रतिस्थापित एव 18 12 1961 से प्रभावशील।

नियम **232** राज्य कमचारी की सेवा के व्यवधान को क्षमा कर सकती है। य दिनाक 18 12 61 से प्रभाव म ग्राये हुए समझे जावग।

टिप्पणी स०—(1) इस नियम के अन्तगत क्षमा किये जान की शक्तियो के साथ व्यवधानों पून की गई लेकिन नियम 208 (क) के अन्तगत समाप्त की गई सेवा को, पुन सेवा योग्य बनाने की शक्तिया भी शामिल है।

टिप्पणी स०—(2) व्यवधानो को क्षमा किया जाना उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त उचित कारण मौजूद न हो अथात् यदि यह बतलाया जा सके कि राज्य कमचारी न प्रथम बार म कई उचित कारणो से सेवा से त्याग पत्र दिया है या यदि उस अपने नियत्रण के बाहर के कारणो की मजबूरी से (उदाहरणाथ बीमारी आदि के कारणो) उचित समय से पूव सेवा छोडनी पडी हो तथा पेंशन के लिये उसकी कुछ गत योग्य सेवा को गिन जाने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक समझा गया हो।

टिप्पणी स—(3) क्षतिपूरक भत्ता की स्वीकृति एक प्रकार से दया का काय (act of grace) होने के कारण सेवा की कमियो को क्षमा करने के रूप म और भी रियायत देना उचित नहीं होगा इसलिए यह अवाछनीय है कि स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी को ऐसे मामला म सेवा को क्षमा करना चाहिये।

[1]टिप्पणी स० 4 अस्थायी सेवा एव स्थायी सेवा या अस्थायी सेवा के दो समयान्तरो (two spells) के बीच के व्यवधान को क्षमा करना इस नियम के अधीन स्वीकाय नहीं है।

[2]अपवाद - इस टिप्पणी क उपबन्ध कालेज/स्कूल म अध्यापन करने वाले पक्ष के सरकारी कमचारी पर लागू नही होंगे जो उसी पद पर अपने बाद की पुनर्नियुक्ति के कारण नियम 97 के नीचे राजस्थान सरकार के निणय स० 1 के परा 1 म वर्णित उपबन्धो के अनुसार विश्रामकाल वेतन आहरित करने के लिए अधिकृत है।

ऐसे सरकारी कमचारी के प्रकरण म उसकी अस्थाई सेवा और स्थाई/अस्थाई सेवा जिस बाद मे स्थाई कर दिया गया हो के बीच के अन्तराल को क्षमा किया जा सकता है परन्तु शत है कि—यह सेवा भग नियुक्ति आदेश जारी करने म हुए विलम्ब स उत्पन्न हुआ हो और आगे शत है कि—यह सेवा भग एक माह से अधिक का न हो।

[3]निणय स (1) एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या सरकारी कमचारी की सेवा म व्यवधान यदि कोई हो के क्षमा किए जाने के मामले सरकारी कमचारी के सेवाकाल की अवधि म किसी भी समय विचारे जा सकते है या यह काय केवल सेवा निवत्ति के समय ही किया जाना चाहिए।

मामले की जाच कर ली गई है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 212 के अधीन सेवा म व्यवधान पर साधारणतया सेवा निवत्ति के समय पर ही विचार किया जाना चाहिए लेकिन चूकि एस मामला म निणय लेने म पेंशन कलमो को अन्तिम रूप म निपटाने म विलम्ब होना है इसलिए यह निणय किया गया है कि क्षमा किया जाने वाला सेवा मे व्यवधान के मामलो पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित सरकारी कमचारी के सेवाकाल के भीतर भी विचार किया जा सकता है।

[4]निणय स 2—राजस्थान सेवा नियम के नियम 212 के वतमान प्रावधानो के अधीन सेवा मे व्यवधान को क्षमा करने के बाद सरकारी कमचारी सरकार के अधीन परवर्ती सेवा के साथ अपनी पहिले की सेवा को भी गिन सकता है किन्तु इस शत के अधीन रहते हुए कि यदि उसने कोई सेवा निवत्ति लाभ प्राप्त किये हो तो उन्हें सरकारी लेखे म प्रत्यापित (रिफण्ड) कर दिया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि सामान्यतया सरकारी कमचारी सेवा म व्यवधान को क्षमा करने हेतु सेवा निवत्ति के समय आवेदन करते हैं तथा इस प्रकार वे पर्याप्त लम्बे अर्से तक अपना पूव सेवाओ के सम्बन्ध म सेवा निवत्ति लाभो को अपने पास ही रखते हैं।

अत अब यह निश्चय किया गया है कि यदि पूव सेवा को पेंशन के लिए गिना जाना वांछित हो तो सरकारी कमचारी को सेवा निवत्ति लाभो को जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उन्हें उनके प्राप्त करने

1 वि वि की अधिसूचना सख्या एफ 1(57) वि वि (नियम) 68 दि 24 1 64 द्वारा निविष्ट।
2 विज्ञप्ति स एफ 1 (57) वि वि (नियम) 68 दिनाक दि 7 12 1971 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि की अधि स एफ 1 (34) वि वि (व्यय नियम) 66 दि 12 8 66 द्वारा निविष्ट।
4 वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (67) वित्त विभाग (नियम) 70 दि 27 10 70 द्वारा निविष्ट।

की तारीख से जिस दिन वह रकम वापिस करता है उस समय तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सरकार को प्रत्यापित करना होगा।

ये आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

[1]निर्णय स 3 – वित्त विभाग के ज्ञापन स एफ 1 (67) वि वि (नियम) 70 दि 27-10 1970 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की भूतकाल की सेवायें पेंशन के लिए सगणित करने की अनुमति है यदि सेवा निवृत्ति के परिलाभ की राशि का प्रत्यापण (वापसी) कर लिया जावे मय 5 प्रतिशत ब्याज के जो ऐसे परिलाभ प्राप्त करने के दिनाक से प्रत्यापण करने के दिनाक तक का होगा। इस पर यह प्रश्न उठाया गया कि–यह ब्याज जो कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से वसूल किया जावेगा वह साधारण या चक्रवृद्धि दर से होगा।

इस मामले में विचार करने के बाद यह विनिश्चित किया गया है कि—सरकारी कर्मचारी से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर केवल साधारण होगी।

[2]निर्णय स० 4–राजस्थान सेवा नियमों के नियम 212 के नीचे दी गई टिप्पणी सख्या 4 के अनुसार पेंशन के प्रयोजनार्थ अस्थायी सेवा को गिने जाने हेतु सेवा में व्यवधान को क्षमा करना स्वीकार्य नहीं है।

एक प्रश्न उठाया गया है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो 1 8 45 के बाद अपनी अस्थायी सेवा की समाप्ति पर सम्बन्धित आदेशों के अधीन उपदान के लिए अधिकृत था लेकिन उसे उसका भुगतान नहीं किया गया या भुगतान किया गया किन्तु वापिस लौटा दिया क्योंकि उस उसकी सेवा समाप्ति से एक माह के भीतर समान पद पर नई नियुक्ति प्रदान करदी गई थी क्या उसके मामले में अस्थाई सेवा एव परवर्ती स्थाई सेवा के बीच व्यवधान को क्षमा करने की इजाजत दी जा सकती है?

मामले की जाच करली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि सेवा में रहते हुए ऐसे मामलों को नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा क्षमा किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि व्यवधान एक माह से अधिक का न हो तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी उसकी अस्थाई सेवा समाप्ति पर उसे भुगतान की गई उपदान की राशि यदि कोई हो को वापिस लौटा देता है।

अंकेक्षण निदेशन— एक राज्य कर्मचारी की पेंशन स्वीकार करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस नियम के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी की पेंशन के अयोग्य सेवा के तथा परवर्ती पेंशन योग्य सेवा के बीच के समय के व्यवधान को नियम 187 188 194 (ख) एव 194 (ग) के अन्तर्गत पूर्व सेवा को पेंशन के लिए योग्य बनाने हेतु क्षमा कर सकता है।

कमियों को क्षमा करना (Condonation of Deficiency) —ऐसी शर्तों पर जिन्हे लगाया

नियम 213 जाना उचित समझा जाए एक सक्षम प्राधिकारी निम्न वेतन पाने वाले एस राज्य कर्मचारी की सेवा की कमियों का कन्डोन कर सकता है जो कि असमर्थता या क्षतिपूरक पेंशन (Invalid or Compensation Pension) पर जा रहा हो। यह क्षमादान की अवधि 12 माह से अधिक की नहीं होगी।

टिप्पणियां—(1) कमी (deficiency) शब्द से केवल उतनी ही अवधि को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अधिकारी को पेंशन के लिए योग्य सेवा की न्यूनतम आवश्यक अवधि में कम पड़ती है। लेकिन इसमें पेंशन के लिए उसकी कुल योग्य सेवा के तथा नियमों के अन्तर्गत प्राप्य अधिकतम पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवा की कुल अवधि के बीच के अन्तर को भी शामिल किया जाना चाहिये।

(2) इस नियम का अभिप्राय उन राज्य कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन पर उनकी स्वेच्छा से समय के पूर्व ही सेवा निवृत्त करने से नहीं है जो कि अन्यथा प्रकार से समय पर सेवा से निवृत्त किए जा सकते थे।

(3) इस नियम में पेंशन शब्द का प्रयोग ग्रेच्युटी के विपक्ष में नहीं किया गया है बल्कि उसे इसमें शामिल किया गया है।

---

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (67) वि वि (नियम) 70 दि 30 12 71 द्वारा निविष्ट।

2 वि वि की आज्ञा सख्या एफ 1 (57) वि वि (नियम)/68 दिनाक 3 8-70 द्वारा निविष्ट।

एक राज्य कर्मचारी को एक पद से उस पर एक अन्य अच्छे योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए हटाया

नियम 217 जाना नियम 215 के अर्थ में उस पद को समाप्त किया जाना नहीं होता है। पद को समाप्त करने का तात्पर्य सरकार के व्यय में वास्तविक बचत करना होना चाहिए। क्षतिपूरक पेंशन के प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर, जो उसके पद को समाप्त करने से बचत हुई उसका पूरा विवरण साफ बताना चाहिए। बचत हमेशा क्षतिपूरक पेंशन से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो शायद अच्छा यही होगा कि स्थापन वर्ग की कटौती या पद की समाप्ति को स्थगित कर दिया जावे।

टिप्पणियां 1—इस नियम में वर्णन की गई बचत, पद की समाप्ति के समय में वास्तविक रूप से प्राप्त की गई धनराशि को ध्यान में रख कर निकालनी चाहिए।

[1]2—स्थापन वर्ग के पुनर्गठन की किसी योजना में परिवर्तन करने से पूर्व पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पेंशन की जो मांग पैदा हो सकती हो उन पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए तथा केवल बहुत ही आवश्यकता के मामले को छोड़कर कर्मचारी वर्ग में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि क्षतिपूरक पेंशन के दावे उत्पन्न होते हों एवं जिसका व्यय परिवर्तन के द्वारा की गई बचत से ज्यादा हो।

प्रतिबन्ध (Restrictions)

क्षतिपूरक पेंशन स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध—एक विशिष्ट पद के समाप्त होने पर उप जिला

नियम 218 धीश मुंसिफ या अन्य समान अधिकारी जो अपने विशिष्ट स्थानीय नियुक्तियों के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा से सम्बन्ध रखते हैं, किसी प्रकार की क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी निर्धारित सीमा तक सेवा कर लेने के बाद पद की समाप्ति के

नियम 219 कारण हटाए जाने पर कोई पेंशन नहीं दी जावेगी।

नियम 220 [2]विलोपित

स्कूल के अध्यापक या अन्य अधिकारी जो अपनी अन्य सेवाओं के साथ में किसी भी रूप में डाक विभाग

नियम 221 में नियुक्त हैं ऐसे कार्यों से मुक्त किए जाते समय उन्हें कोई क्षतिपूरक पेंशन नहीं मिलेगी।

विशेष मामले (Special Cases)

सेवा की किस्म में परिवर्तन करने पर सेवा से हटाने के लिए विशेष मामला—यदि एक कर्म

नियम 222 चारी को, उसके पद की सेवा की प्रकृति में परिवर्तन के कारण सेवा से हटाना आवश्यक हो तो मामले को सरकार के पास भिजवाया जाना चाहिए। सरकार इस खण्ड में दिए गए नियमों के अनुसार उसको सेवा मुक्त करने के लिए नोटिस देने एवं क्षतिपूरक पेंशन या ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में विचार करेगी।

यदि एक कर्मचारी दो पदों को धारण किये हुए हो तथा उनमें से एक पद को समाप्त कर दिया गया

नियम 223 हो तथा समाप्त किए गये पद के सम्बन्ध में उसे शीघ्र ही पेंशन दिये जाने की इच्छा प्रकट की गई हो तो मामले को सरकार के पास आदेश प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से भेजा जाना चाहिए।

सेवा से मुक्त करने का नोटिस (Notice of Discharge)

स्थाई राज्य कर्मचारी को पद के समाप्त किये जाने पर उसकी सेवा समाप्त करने के पूर्व पर्याप्त समय

नियम 224 का एक उचित नोटिस दिया जाना चाहिये। यदि किसी मामले में कम से कम तीन माह का नोटिस न दिया जा सके तथा जिस तारीख को उसकी सेवायें समाप्त की जायें उस तारीख को यदि अधिकारी अन्य पद पर नियुक्त न किया जा सके तो उस अधिकारी की सेवायें समाप्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तीन माह से जितने समय का कम नोटिस दिया गया हो उतने समय की ग्रेच्युटी उसे दी जा सकती है। यह ग्रेच्युटी उस पेंशन के

---

1 आज्ञा सं एफ 5 (1) F (आर) 56 दि 11 1 1956 द्वारा निविष्ट।
2 आज्ञा सं 286/वि वि /58/एफ 7 (30) क/आर/57 दि 11 3 58 द्वारा विलोपित।

अतिरिक्त दी जावेगी जिसको वह पाने के लिए अधिकृत है लेकिन पेंशन उसे उस समय की नही दी जावेगी जिसमे कि वह नोटिस के बदले मे ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा।

टिप्पणिया—1—इस नियम म निर्धारित ग्रेच्युटी पद की हानि के लिए 'क्षतिपूरक' क रूप म स्वीकृत नहीं की जाती है, बल्कि राज्य कमचारी को उसके पद को अचानक समाप्त कर देने के कारण जो उसे आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होती है उसे दूर करन के दृष्टिकोण से नोटिस के बदले म दी जाती है। इसलिए जब एक राज्य कमचारी बिना नोटिस दिए हुए एक पद से हटा दिया जाता है पर जिस दिन उसकी सेवायें समाप्त की गई हैं उसी दिन वह अन्य पद पर अन्य नियुक्ति प्राप्त कर लेता है चाहे वह नियुक्ति पेंशन के लिए योग्य हो या अयोग्य, तो वह कोई ग्रेच्युटी पाने के लिए अधिकृत नही है।

2—जब तक इसम अन्यथा प्रकार स कोई स्पष्ट वणन न हो, एक पद या नियुक्ति को समाप्त करन का आदेश उस समय तक प्रभाव म नहीं लाया जावेगा जब तक कि उस अधिकारी को जिसकी सेवायें ऐसे पद के समाप्त होने क कारण समाप्त की जानी है नोटिस देने के बाद तीन माह की अवधि समाप्त न हो जाए। निकटतम कार्यालय का अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष इस बात के लिए उत्तर दायी होगा कि कमचारी को एसा नोटिस देने म किसी भी प्रकार की देर न की जाये। यदि अधिकारी अवकाश पर हो तो आदश उस समय तक प्रभावशील नही होगा जब तक कि उसका अवकाश समाप्त नही हो जाता है।

3—इस नियम म प्रयुक्त 'कुल राशि' (Emoluments) का तात्पय उस धनराशि या अव काश भत्तो (तथा आंशिक रूप म एक व आंशिक रूप म दूसरा) स है जिसे राज्य कमचारी विवादग्रस्त समय मे प्राप्त करता रहता यदि उसे यह नोटिस नही दिया गया होता।

4—यदि सेवा से हटान के बदल म कोई वेतन नहीं दिया जावे तो पेंशन डिस्चाज किये जाने की तारीख से प्रभावशील हुई समझी जावेगी।

5—यदि राज्य कमचारी सावजनिक सेवा की आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए सक्षम प्राधि कारी के आदेशो के अधीन एक पेंशन के लिए अयोग्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो वह उस पेंशन क लिए अयोग्य पद की समाप्ति के कारण डिस्चाज किये जाने पर क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

6—एक स्थाई राज्य कमचारी जिसे सेवा से हटाये जाने का नोटिस दिया जा चुका है, तो नोटिस देने की तारीख मे तीन माह तक उसकी 'कुल राशि' म कोई कटौती नही की जावेगी।

7—एक पद के समाप्त करने पर नोटिस के बदले म भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी उसी विभाग से दी जानी चाहिये जिसम कि उसको वेतन पद के समाप्त करने के पूव दिया जाता था।

[1]सरकारी निर्णय— कुल धनराशि म महगाई भत्ते का अंश भी शामिल है तथा उस महगाई भत्ते को नियमो के अन्तगत नोटिस के बदले म भुगतान करने योग्य ग्रेच्युटी या नोटिस दिये गये व्यक्ति को कुल देय धनराशि तय करने मे शामिल किया जाना चाहिए।

अनुबन्ध के समय मे सेवा से हटाया जाना (Discharge within the period of contract)[1]—अपने अनुबन्ध के समय म शत पर सेवा करन वाले अधिकारी की

नियम 225

सेवा निश्चित किया जाना जब कभी आवश्यक समझा जाय तो अनुबन्ध के निश्चय की विशिष्ट सूचना एव इसे निश्चित किये जाने के आधार की सूचना अधिकारी को लिखित म भेज दी जावेगी।

पुर्ननियुक्ति का अवसर देना (Offer of Re-employment)

पुर्ननियुक्ति का अवसर देना—यदि अधिकारी नोटिस की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर

नियम 226

स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया हो तो जो ग्रेच्युटी नियम 224 के अन्त गत प्रदान की जाती है, वह क्षतिपूरक ग्रेच्युटी पुर्ननियुक्ति पर धारा 341 व 342 क नियम के अनुसार वापिस की जानी चाहिए। लेकिन अधिकारी को इस नियम के अन्तगत अपनी ग्रेच्युटी क उस भाग को लौटान की जरूरत नही है जो कि उसके द्वारा बिना नियुक्ति म विताये गये समय के लिए है जिसकी कि ग्रेच्युटी दी जाती है। यदि अधिकारी केवल अस्थाई रूप से पुर्ननियुक्त किया गया है तो उसे अपनी ग्रेच्युटी का कोई भाग लौटान की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी अस्थाई नियुक्ति का पहिले ही पता हो तो ग्रेच्युटी अनुपात रूप से कम कर देनी चाहिये।

---

1 वि वि आज्ञा स 13 एक (5) एफ II/53 दि 29 8-1953 द्वारा निविष्ट।

नई नियुक्तियां स्वीकृत करना (Acceptance of new appointments)

नए पद की स्वीकृति (Acceptance of a new post)--एक राज्य कर्मचारी जो क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, क्षतिपूरक पेंशन के बदले में सार्वजनिक सेवा के दूसरे पद पर नियुक्त होना स्वीकार कर लेता है तथा पुनः बाद में किसी भी वर्ग की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है तो ऐसी पेंशन की धनराशि उस राशि से कम नहीं होगी जिसके लिए वह इस नियुक्ति को स्वीकृत नहीं करने पर क्लेम कर सकता था।

नियम 227

टिप्पणी– इस नियम में प्रयुक्त पेंशन शब्द में ग्रेच्युटी भी शामिल है तथा यह नियम उच्च श्रेणी पर पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए नियम 201 के अंतर्गत आने वाले नियमों पर भी लागू होता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

क्षतिपूरक पेंशन –स्थापन में हुई कटौती के कारण जब किसी को किसी अन्य योग्य पद के विरुद्ध पद स्थापित करना सम्भव नहीं होता है और उसे सेवा से मुक्त (discharge) किया जाता है तो उसे क्षतिपूरक पेंशन (Compensation pension) स्वीकार की जाती है।

यदि उस कर्मचारी को निम्नतर पद देने का प्रस्ताव किया जाता है और वह उसे स्वीकार करने से मना कर देता है तो भी उसे क्षतिपूरक पेंशन दी जाती है। यदि वह निम्नतर पद को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी पहले पद की सेवायें पेंशन के लिए इस निम्नतर पद पर गिनी जाती है और उस पुराने पद के लिए कोई क्षतिपूरक पेंशन नहीं दी जाती। यह ध्यान देने की बात है कि यह पेंशन केवल तभी देय होती है जबकि पद या स्थापन में कमी हो और जब किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को सेवा से हटाया (removed) जाय तो यह पेंशन देय नहीं होती।

खण्ड 3—अयोग्य पेंशन (Invalid pension)

स्वीकृत करने की शर्त--अयोग्य पेंशन एक राज्य कर्मचारी को उसके सार्वजनिक सेवा से निवृत्त करने पर दी जाती है जो कि शारीरिक दोष या मस्तिष्क की खराबी के कारण सार्वजनिक सेवा करने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो गया हो या केवल उस शाखा की सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया हो जिस पर वह कार्य करता है।

नियम 228

[1]निर्णय एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है जिसमें कि एक राज्य कर्मचारी को उसकी बिगड़ी हुई कार्य दक्षता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निवृत्त किए जाने की इच्छा प्रकट की गई थी लेकिन वह चिकित्सा मण्डल के पास जांच के लिए भेजा गया। चिकित्सा मण्डल ने उसे अग्रिम सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया तथा यह विशेष विवरण प्रस्तुत किया कि उसे 25 साल की अवस्था के बाद सेवा से निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। यहां पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 228 एवं 244 (2) के लागू किए जाने में सन्देह उत्पन्न होता है। नियम 228 एक ऐसे राज्य कर्मचारी को अयोग्य पेंशन दिलवाता है जो कि शारीरिक दोष या मस्तिष्क की खराबी के कारण सार्वजनिक सेवा करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता हो या केवल उस शाखा के लिए सेवा करने में अयोग्य हो गया हो जिस पर वह कार्य करता है। इस नियम के अन्तर्गत 25 साल तक सेवा करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक राज्य कर्मचारी जो शारीरिक दोष या मस्तिष्क की खराबी के कारण सार्वजनिक सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है उसे उसी तारीख से इस नियम के अन्तर्गत सेवा में निवृत्त कर देना चाहिये जिससे कि उसकी अयोग्यता प्रमाणित की गई है।

इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियमों का नियम 244 (2) में एक राज्य कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जाता है जिसने कि 25 वर्ष की योग्य सेवा प्राप्त करली है तथा जिसकी कार्य कुशलता नष्ट हो गई है लेकिन जिसके विरुद्ध कार्य में अदक्षता के औपचारिक आरोप लगाना उचित नहीं समझा गया हो या जो पूर्ण रूप से कार्य कुशलता खो बैठा है लेकिन उस सीमा तक नहीं कि उसे इस नियम के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त किया जाय। इस नियम के नीचे सेवा निवृत्ति तभी की जा सकती है जब राज्य कर्मचारी ने 25 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा करली है।

चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्बन्धी नियम

[2]चिकित्सा प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है तथा किसका आवश्यक होता है (When

---

1 ज्ञापन सं. डी 2656/59/एफ 7 A (43) वि वि क/आर/57 दि 27 8 59 द्वारा निविष्ट।
2 आज्ञा सं एफ 7 A (32) वि वि/क/आर/60 दि 2 1 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम **229** Medical Certificates necessary and from whom)—(क) निम्नलिखित द्वारा अभिलिखित अयोग्यता के चिकित्सा प्रमाण पत्र को छोड़कर अयोग्य पेंशन के कोई भी क्लेम पर विचार नहीं किया जावेगा।

(1) सभी राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में चिकित्सा मण्डल द्वारा अभिलिखित चिकित्सा प्रमाण पत्र, एवं।

(2) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या समान स्तर का चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिलिखित चिकित्सा प्रमाण पत्र।

(ख) सेवा की अयोग्यता के लिए कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रार्थी ऐसा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें यह स्पष्ट हो कि उसके कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने की मंशा से परिचित है। कार्यालय के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा भी जिसके अन्तर्गत प्रार्थी नियुक्त है चिकित्सा अधिकारी के पास एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें सरकारी अभिलेखों के आधार पर ज्ञात प्रार्थी की उम्र का विवरण दिया जावेगा। जहां पर राज्य कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मौजूद हो, वहां दर्ज की हुई उम्र की ही सूचना दी जानी चाहिए।

रोगी का इतिहास संलग्न किया जाना (Case history to be appended)—(क)—

नियम **230** चिकित्सा सम्बन्धी मामले का तथा उसके इलाज का संक्षिप्त विवरण पत्र, यदि सम्भव हो तो, संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) यदि जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी चाहे राज्य कर्मचारी की किसी विशेष बीमारी का पता न लगा सका हो पर साधारण हालत के अनुसार उसे आगे सेवा के लिए सर्वथा अयोग्य विचारता हो जब कि वह 55 वर्ष से कम का ही क्यों न हो तो उसे अपनी राय के सम्बन्ध में विशेष विवरण देना चाहिए तथा यदि सम्भव हो तो ऐसे मामलों में दूसरे चिकित्सा अधिकारी की राय भी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(ग) इस किस्म की विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में, विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष को उसकी विशेष जांच तब ही कराई जाने की आशा की जानी चाहिये जब कि अधिकारी को सेवा के अयोग्य होने का प्रस्ताव किया गया हो।

टिप्पणी – इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस नियम की आवश्यकता पूरी करने की जरूरत नहीं है जो कि 55 वर्ष की उम्र से कम के होने पर भी सामान्य बिगड़ी हालत के कारण सेवा के अयोग्य है तथा उसके लिये चिकित्सा अधिकारी उस अवस्था से ज्यादा का बतलाता हो।

एक अधिकारी के मामले में जिसकी अभिलिखित उम्र 55 वर्ष से कम है एक साधारण सा यह प्रमाण

नियम **231** पत्र देना कि वृद्धावस्था का कारण या स्वाभाविक पतन से वह पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य है पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन एक चिकित्सा अधिकारी जब यह प्रमाणित करे कि अधिकारी सामान्य बिगड़ी हालत के कारण अग्रिम सेवा करने के अयोग्य है तो उसे उसकी उम्र को कम लिखी जाने के कारणों का बयान करने में भी स्वतन्त्रता होगी।

टिप्पणी – वृद्धावस्था सम्बन्धी मोतिया बिन्दु (Senial cataract) धमनी सम्बन्धी परिवर्तन (Asterial change) जो कि वृद्धावस्था में शरीर क्षय के कारण हो सामान्य शक्ति क्षय (General Nervous breakdown) विशिष्ट रोगों के समान समझे जावें जो मनुष्य की उम्र 55 वर्ष होने के पूर्व भी उत्पन्न हो सकते हैं।

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रपत्र – (क) जो राज्य कर्मचारी अयोग्यता के लिए प्रार्थना पत्र दें उन्हें

नियम **232** निम्न प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना चाहिए प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने क ख आत्मज (ग घ) "जो कि ... में है, की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। उसके स्वयं के कहने के आधार पर आयु ... वर्ष है तथा देखने में करीब वर्ष की है। मैं (हम) सोचता/सोचते हैं कि वह (रोग या उसके कारण का उल्लेख करें) के परिणाम स्वरूप विभाग में जिसका उससे सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार की अग्रिम सेवा करने में पूर्ण एवं स्थायी रूप से अयोग्य है। उसकी बीमारी मुझे (हम) उसकी अनियमित एवं असंयमित आदतों के कारण हुई मालूम नहीं होती।'[1]

[1]टिप्पणी—यदि अयोग्यता (Incapacity) असंयमित आदतों (Intemparate habits)

---

1 आज्ञा सं एफ डी 9294/59/एफ 7 A/(33) वि वि क (नियम) 59 दि 20-10-1959 द्वारा प्रतिस्थापित।

क कारण है तो अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्न वाक्य बदल दिया जावेगा। 'मेरी राय म उसकी अयोग्यता सीधी उसकी अनियमित या असयमित आदतो के कारण बढ़ गई है या उत्पन्न हुई है।

यदि अयोग्यता पूर्ण एव अस्थाई प्रतीत नही होती है तो प्रमाण पत्र को स्थिति क अनुसार सशोधित कर लिया जावे तथा निम्नलिखित और शामिल कर लिया जावे- मेरी (हमारी) यह राय है कि 'क ख अग्रिम सेवा म कम मेहनत की प्रकृति के काय के लिये योग्य है जो कि वह कर रहा ह या माह का विश्राम लेकर उससे और भी कम मेहनत की प्रकृति के काय को करने के लिए योग्य है जो कि वह कर रहा है।

(ख (अयोग्यता के इस दूसर प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को यदि सम्भव हो सके तो निम्न पद वेतन पर भी नियुक्त रखा जा सके ताकि उसे पेशन दिए जाने के व्यय से बचा जा सके। यदि उसे निम्न पद पर भी नियुक्त करने के काई साधन नही हो तब उसे पेशन स्वीकृत कर देनी चाहिए। परन्तु इस पर विचार कर लेना चाहिए कि क्या उसकी आशिक रूप म जीविका कमाने की योग्यता को ध्यान म रखते हुए, यह आवश्यक है कि उसे नियम के अन्तगत प्राप्य पूर्ण पेशन स्वीकृत की जावे।

सरकारी निर्णय—[1]विलोपित

पुलिस सेवा मे विशेष सावधानी (Special precaution in the police)—जो व्यक्ति अधिक समय तक सेवा करने के योग्य हैं उन राज्य कर्मचारियो द्वारा अयोग्य

नियम 233 पेशन पर सेवा निवृत किये जाने के प्रोत्साहनो से विपरीत डिप्टी सुपरिटेण्डेण्ट आफ पुलिस को निगाह रखनी चाहिए।

चिकित्सा अधिकारियो को निर्देश—चिकित्सा अधिकारियो को एसे पुलिसमनो की अवकाश की सिफारिश करने तक ही स्वय को सीमित रखना चाहिए जिनको कि अस्पताल म

नियम 234 अधिक समय तक ठहराने से कोई लाभ न होता हो तथा उस समय तक यह प्रमाणित नही करना चाहिये कि अमुक पुलिसमन सेवा करने के अयोग्य है जब तक कि उनसे सरकारी रूप म अग्रिम सेवा के लिए उसकी अयोग्यता पर रिपोर्ट देने के लिए निवेदन न किया जाव।

चिकित्सा अधिकारियो को पेशन के लिए प्रत्येक प्रार्थी की शारीरिक अयोग्यता की जाच म पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एव जब कभी पेशन के लिए प्रार्थियो की सख्या बहुत ज्यादा हो तो वहा यदि सम्भव हो सके तो चिकित्सा सम्बन्धी जाच दो चिकित्सा अधिकारियो द्वारा की जानी चाहिए।

प्रतिबन्ध (Restrictions)

प्रतिबन्ध—एक राज्य कर्मचारी जो अन्य आधार पर सेवा से हटाया गया है वह अयोग्यता पेशन को प्राप्त करने का अधिकार नही रखता है चाहे वह अग्रिम सेवा करने की साक्षी

नियम 235 म चिकित्सा प्रमाण पत्र ही क्यो न प्रस्तुत करे।

यदि अयोग्यता सीधी उसकी अनियमित व असयमित आदतो के कारण हुई है तो उसे कोई भी पेशन स्वीकार नही की जावेगी। यदि यह अयोग्यता सीधे इन आदतो के कारण नही है लेकिन उनके द्वारा बढी है या उत्पन्न हुई है तो यह पेशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर रहेगा कि वह यह निर्णय करे कि उसकी पेशन की राशि म से क्या कमी की जानी चाहिए।

टिप्पणिया—1 नशे की आदतो से जो दिमाग की गम्भीरता नष्ट हुई है वह राज्य कर्मचारी की अयोग्यता का पर्याप्त कारण है।

2—इस नियम म प्रयुक्त 'अनियमित या असयमित' आदतो का अर्थ अनैतिक आदतो से होने वाली बीमारी के कारण अयोग्यता से है। ऐसे मामले जिनमे अयोग्यता अन्य कारणो जैसे सेवा की आवश्यकताओ के कारण अनियमित घण्टों तक काम करना जो कि स्वय की मर्जी से किया गया हो होती हो वह इस नियम क अधीन विचारने के अन्तर्गत नही आती है।

प्रार्थी को सेवा से मुक्त करना (Applicant to be discharged)

विधि (Procedure)—एक अधिकारी जिसने नियम 229 के अन्तर्गत सेवा करने की अयोग्यता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है यदि वह सेवा पर है, तो वह

[2]नियम 236 अपनी सेवाओं से मुक्त करने की तारीख से अयोग्य समझा जावेगा। उसे

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (24) वि वि (श्र 2)/73 दि 30-6-1973 द्वारा

2 आज्ञा स 3025/58/एफ 7 A(12) वि वि क (नियम) 58 दि 30-10-

हटाने का प्रबन्ध चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्राप्त करते ही बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए अथवा यदि उस नियम 81 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो, तो ऐसे अवकाश की समाप्ति पर उस सेवा से हटा दिया जावगा। यदि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने के समय अवकाश पर हो तो उस अवकाश या उसकी वृद्धि, यदि कोई हो जो उसे नियम 81 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है के समाप्त होने पर सेवा के लिए अयोग्य समझा जावेगा।

[1]नियम **236क** जो राज्य कर्मचारी इस खण्ड के उपबन्धों के अध्याधीन दिनांक 31-10-1974 को अथवा इसके पश्चात अयोग्य पेन्शन पर सेवा निवृत्त हो जाता है तो अयोग्य पेन्शन की राशि नियम 268 ग उप नियम (3) के खण्ड (1) में अंकित पारिवारिक पेन्शन की राशि से कम नहीं होगी।

[2]**236ख** इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस सरकारी कर्मचारी की बाबत जो अशक्तता पेंशन (इन्वलिड पेंशन) पर 1-9-76 के पश्चात सेवा निवृत्त होता है तो अशक्तता पेन्शन की रकम नियम 268 (ग) के उप नियम 4 में वर्णित कौटुम्बिक पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

□व्याख्यात्मक टिप्पणी —अयोग्यता पेन्शन (Invalid Pension)

किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण जब कोई कर्मचारी आगे सेवा करने के पूर्णतः अयोग्य हो जाता है तो उसके सेवा से निवृत्त होने पर 'अयोग्यता या अशक्तता पेन्शन' स्वीकार की जाती है। ऐसी पेन्शन किसी राजपत्रित अधिकारी के मामले में चिकित्सक मण्डल द्वारा तथा अन्य मामलों में सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके समान स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अशक्तता का प्रमाण पत्र देने पर स्वीकार की जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि इस पेन्शन की यह शर्त है कि अशक्तता सीधी उस कर्मचारी की अनियमित या अनुचित आदतों के कारणों से हुई हो तो उसे यह पेन्शन नहीं मिलेगी। यदि ऐसी आदतें केवल योगदान करने वाली बात ही हो और मुख्य कारण न हो तो स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी उस पेन्शन में उचित कटौती कर सकता है।

यदि एक अधिकारी अशक्तता का प्रमाणपत्र पेश कर सेवा निवृत्त होने की प्रार्थना करे, तो किसी व्यक्ति को उसका कार्यभार संभलवा कर उसे सेवा निवृत्त कर देना चाहिये। परन्तु यदि वह अवकाश पर हो तो उसे नियम 81 के अधीन दी गई छुट्टी या उसकी वृद्धि के बाद सेवानिवृत्त मानना चाहिए।

[3]नियम **237** एवं **238** [विलोपित]

खण्ड—4 अधिवार्षिकी पेन्शन (Superannuation Pension)

स्वीकृत करने की शर्त—(Condition of grant —अधिवार्षिकी पेन्शन उन राज्य कर्मचारियों के लिए स्वीकृत की जाती है जो नियम 56 के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त किये जाते हैं। यह 1-12-62 से प्रभावशील होगा।

[4]नियम **239**

टिप्पणियां—(1) राज्यकीय वकील इस नियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(2) एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसका जन्म का साल तो ज्ञात है पर वास्तविक दिन ज्ञात नहीं है तो उस साल की प्रथम जुलाई उसकी जन्मतिथि मानी जावेगी तथा यदि साल व माह ज्ञात हो तो उस माह की 16 तारीख को उसकी जन्मतिथि मानी जावेगी एवं ऐसे मामले जिनमें सेवा में प्रविष्ट होते समय केवल अवस्था ही दिखाई हो तो व्यक्ति की सेवा में भर्ती की तारीख को उसके द्वारा बताई गई उम्र पूरी किया हुआ समझना चाहिए तथा उसके आधार पर जन्म तिथि निकालनी चाहिए।

[5](विलोपित) यह संशोधन दिनांक 18-12-61 से प्रभावशील होगा।

---

1 अधिसूचना सं एफ 1 (53) वि वि (ग्र 2) 74 दि 2-12 1974 द्वारा निविष्ट और दि 31-10-1974 से प्रभावशील।

2 स एफ 1 (53) वित्त (ग्रुप 2)/74 दि 1 12 76 द्वारा निविष्ट।

3 वि० वि० आज्ञा स० 3025/58/एफ 7 A (12) वि० वि० (क) नियम/58 दि० 30-10-58 द्वारा विलोपित।

4 स० एफ 1 (84) वि० वि० क (नियम, 62 दि० 31-8-1963 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 1 12 62 से प्रभावशील।

5 वि० वि० अधिसूचना स० एफ 1 (46) वि० वि० क (नियम) 62 दि० 16-7-1962 द्वारा टिप्पणी न 3 विलोपित एवं शेष टिप्पणियों को नये नम्बर दिये। 18-12-1961 से प्रभावशील।

(3) नीति के रूप म सरकार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त राज्य कमचारियो के लिए सेवा म वद्धि स्वीकृत करने के विरुद्ध है सिवाय इसके कि कोई मामला बहुत ही अपवाद स्वरूप स्थिति का हो। जहा प्रशिक्षित एव अनुभवी व्यक्तियो की कमी के कारण सावजनिक हित म राज्य कमचारी को, जो कि अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने वाला है सेवा म रखा जाना आवश्यक समझा जाता हो तो इसका उचित तरीका यही है कि पहिले सम्बधित राज्य कमचारी को सेवा से निवत्त किया जावे तथा बाद मे उसे एक सीमित समय के लिए पुनर्नियुक्त किया जाव। इसलिए सेवा मे वद्धि किए जाने के प्रस्ताव केवल उसी स्थिति म किया जाना चाहिए जबकि सेवा निवत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति कुछ अपवाद स्वरूप एव आवश्यक कारणो से (जिनका उल्लेख किया जावेगा) व्यावहारिक नही पाई जाती हो।

प्रस्तावित वद्धि या पुनर्नियुक्ति के सभी मामले नियुक्ति विभाग को भेजे जाने चाहिए। निश्चित तथि से कम से कम तीन माह पहिले इसका प्रसग चलाना चाहिए।

(4) एक राज्य कमचारी के सम्बन्ध म जिसके लिए एक निश्चित समय की सेवा वद्धि या पुनर्नियुक्ति का आदेश वास्तविक रूप म प्रभाव मे लाया गया ह तो उसकी सेवायें केवल अनुशासनिक कायवाही के आरोप को छोडकर, उस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूव समाप्त नही की जा सकती है जब तक कि उससे स्पष्ट रूप से यह नही कहा जाता है कि उसकी सेवायें सेवा काल मे नोटिस देकर या अन्यथा प्रकार से कभी भी समाप्त की जा सकती है।

जाच निर्देशन—जब एक राज्य कमचारी को एक विशिष्ट उम्र प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त किया जाना हो या रिटायर अथवा अवकाश पर रहने से बन्द किया जाना हो तो जिस रोज वह उस उम्र को प्राप्त करता है वह अकाय का दिन (Non working day) गिना जाता है तथा राज्य कमचारी को उस दिन से उस दिन को मिलाकर सेवा से निवत्त, रिटायर या अवकाश पर रहने से वद (जसी भी स्थिति हो) हो जाना चाहिए।

[1] **निर्देशन**—एक प्रश्न उठाया गया है कि जिस तारीख को राज्य कमचारी अनिवाय सेवा निवत्ति की आयु प्राप्त कर लेता है क्या उसी तारीख को उसकी सेवा निवत्ति स्वत ही हो जाती है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस सम्बन्ध का एक विशिष्ट आदेश निकालना जरूरी होता है जिसमे यह उल्लेख किया जावे कि उसे अमुक तारीख से सेवा से निवत्त हो जाना चाहिए।

अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्युएशन) प्राप्त करने के सम्बन्ध म नियम एव सेवा की शर्तें एक राज्य कमचारी को विशिष्ट उम्र प्राप्त करने पर या विशिष्ट समय तक की सेवा अवधि पूरी करने पर सेवा से अनिवाय निवत्ति का प्रावधान करती है। ऐसे सभी मामलो म सेवा निवत्ति स्वाभाविक है। एव इस सम्बन्ध म जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विपरीत रूप से आदेश न दिए गए हो एक राज्य कमचारी का अपनी वकाया तिथि को सेवा से निवत्त किया गया हुआ समझना चाहिए। फिर भी यह वाछनीय है कि सम्बधित प्रशासनिक अधिकारियो का यह निश्चित करना चाहिए कि उनके अधीनस्थ राज्य कमचारियो को सेवा से निवत्त किए जाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। एक राज्य कमचारी की अनिवाय सेवा निवत्ति की तारीख अग्रिम रूप म ही ज्ञात रहती है इसलिए उसे अग्रिम रूप म आसानी से विदा करन एव उस बीच म आवश्यक प्रबन्ध की कायवाही का जाने मे कोई प्रकार की कमी नही रह सकनी चाहिए। इस काय के लिए सम्बन्धित अधिकारियो को उचित रिकार्ड रखना चाहिये जिसम अगले 5 सालो की अवधि मे सेवा से निवत्त किये जाने वाले व्यक्तियो के नाम प्रत्येक साल की एक जनवरी को दिखाए जावेंगे तथा ऐसी उचित कायवाही करेगा जो नियत तिथियो को सेवा निवत्त करने के साधारण आदेशो के जारी करने के लिए आवश्यक हो। यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योकि निम्न वेतन पाने वाले राज्य कमचारी स्वय यह भूल जाते हैं कि उनकी अधिवार्षिकी आयु की तारीख क्या है?

उसी समय एक राज्य कमचारी अपने काय मुक्त होने के सम्बन्ध म आदेशो के प्राप्त न करने पर यह कह कर लाभ नहा उठा सकता है कि उस सेवाकाल म वद्धि स्वीकृत हो गई है। यदि राज्य कमचारी कोई निवृत्ति पूव अवकाश प्राप्त करना चाहे तो वह उसके लिए पर्याप्त समय पूव निवेदन करेगा। यदि वह आवेदन नही करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि उसे इस तथ्य को कार्यालय के अध्यक्ष के ध्यान म ला देना चाहिए जिसके अधीन वह काम कर रहा है कि वह सेवा के लिए निर्धारित अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर रहा है जिसके बाद कि उसे सेवा से निवत्त किया जाना है। यदि वह स्वय कार्यालय का अध्यक्ष हो तो उसे यह सूचना अपने निकटतम उच्च अधिकारी को देनी चाहिए।

---

1 वि॰ वि॰ ज्ञापन स॰ एफ 1 (4) वि॰ वि॰-क (नियम) 62 दि॰ 7 2-1962 द्वारा निविष्ट।

जब तक वह यह विशिष्ट आदेश प्राप्त न करे कि उसे सेवा में रहना चाहिए, उसे अपने पद का कार्यभार नियत तिथि को कार्यालय के अध्यक्ष को सम्भला देना चाहिए (या ऐसे अधिकारी को सम्भला देना चाहिए जिसे वह मनोनीत करे) या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है तो कार्यालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को कार्यभार सम्भलाना चाहिये जो कि उसकी अनुपस्थिति में कार्यालय में कार्यभार को सम्भाल सके।

यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा के लिए अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर उपरोक्त निर्देशन के बाद भी सेवा में बना रहता है तो इस प्रकार के समय के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर नहीं होगी।

[1]नियम **240** (विलोपित)। [2]नियम **241** (विलोपित)।

[3]नियम **242** 55 वर्ष की अवस्था पर ऐच्छिक सेवा निवृत्ति-विलोपित।
(यह दिनांक 1-12-62 से प्रभावशील होगा)

खण्ड 5 सेवा निवृत्त पेंशन (Retiring Pension)

[4]नियम **243** एक राज्य कर्मचारी जो नियम 244 के अन्तर्गत सेवा निवृत्त होता है या हो गया है उसे सेवा निवृत्ति पेंशन स्वीकृत की जानी है।
टिप्पणी—यह 1-12-62 से प्रभावशील होगा।

[5]नियम **244** बीस वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति
(यह नियम 2-9-1975 से प्रभावशील है)

(1)—एक राज्य कर्मचारी कम से कम तीन माह पूर्व सरकार को लिखित में एक नोटिस देकर सेवा से उस तारीख को जिसको वह 20 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करता है या उस तारीख को जिस दिन वह [6](45 वर्ष) की आयु प्राप्त कर लेता है जो भी पहले आ जाती है अथवा उसके बाद अन्य किसी तारीख को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई हो निवृत्त हो सकता है।

परन्तु यह है कि सरकारी कर्मचारी जो निलम्बित है अथवा जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है को सेवा निवृत्त करने की अनुज्ञा को नियुक्ति प्राधिकारी को रोके रखने का अधिकार होगा।

[7]स्पष्टीकरण एक प्रश्न उठाया गया कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (1) के अधीन स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति होना चाहा है के मामले में, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस जिसमें सेवा निवृत्त होने की इच्छा जाहिर की गई है को सरकार द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता है?

मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति के नोटिस को सरकार द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है और एसे सरकारी कर्मचारी नोटिस की समाप्ति की तारीख से सेवा निवृत्त हुए मान जावेंगे। सक्षम अधिकारी सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित जो भी कार्यवाही आवश्यक है पूरी करेगा—जैसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी ने राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244(1) के अधीन लिखित नोटिस दिया है व० नोटिस में उल्लिखित तारीख से सेवा निवृत्त हो गया है।

फिर भी यह ध्यान रखा जावे कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (1) के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी को दो विशिष्ट कारणों पर सरकारी कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवा निवृत्त

---

1 स एफ 1 (58) वि वि क (नियम) 62 दि 21-11-1962 द्वारा विलोपित एवं दि 1-10-1962 से प्रभावशील।
2 स एफ 1 (28) वि वि क (नियम) 62 I दि 31-7-1962 द्वारा विलोपित।
3 वि वि स F 1(84) FD A (Rules)/62 दि 31-8 63 द्वारा नियम 242 व उसके नीचे टिप्पणी विलोपित।
4 नियम 243 व 244 वि वि स एफ 1 (84) वि वि (ए) नियम/62, दि 31 8 63 द्वारा प्रतिस्थापित
5 आज्ञा स एफ 1 (50) वि वि (श्र-2)/75 दि 26-11-1975 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दि 2-9-1975 से प्रभावशील।
6 स एफ 1 (50) वि वि (श्र 2) 75 I दि 6-9-1976 द्वारा '50 वर्ष" के स्थान पर "45 वर्ष नियम 244 (1) में प्रतिस्थापित किया एवं दि 1-9-1976 से प्रभावशील।
7 स एफ 1 (50) वि वि (श्र-2)/75 दि 9-1-1976 द्वारा निविष्ट।

करने की अनुमति को रोके रखने का अधिकार दिया गया है अर्थात (i) यदि वह निलम्बित है अथ (ii) उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

[यह नियम 2-9-1975 से प्रभावशील है]

(2) (i) सरकार कम से कम तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर किसी सरकारी कर्मचारी को उस दिनांक से सेवा निवृत्त कर सकती है जिस दिन वह 20 वर्ष की योग्य सेवा पूरी कर लेता है या उस तारीख को जिस दिन वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है जो भी पहले आ जाती है य उसके बाद अन्य किसी तारीख से।

परन्तु यह है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को तुरन्त सेवा से निवृत्त किया जा सकता है और ऐसी सेवा निवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी तीन माह के वेतन और भत्ते नोटिस के बदले में क्लेम करने का हकदार होगा।

(ii) यदि सेवा निवृत्ति आज्ञा की पूर्वतर में कर्मचारी पर तामील नहीं होती है तो सरकार राजस्थान राजपत्र में ऐसी सेवा निवृत्ति आज्ञा का प्रकाशित कर सकती है और सरकारी कर्मचारी ऐसे प्रकाशन होने पर सेवा निवृत्त हुवा समझा जावेगा।

[यह नियम 19-8-1972 से 1-9-1975 तक प्रभावशील]

[1] नियम **244** (2)—सरकार कम से कम तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर किसी सरकारी कर्मचारी को उस दिनांक से सेवा निवृत्त कर सकती है, जिस दिन वह 25 वर्ष की योग्य सेवा पूरी कर लेता है या उसके बाद अन्य किसी तारीख से।

परन्तु यह है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से सेवा निवृत्त किया जा सकता है और ऐसी सेवा निवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी तीन माह के वेतन और भत्ते नोटिस के बदले में क्लेम करने का हकदार होगा।

[2]कार्यालय ज्ञापन—पिछले कुछ समय से राज्य सरकार के समक्ष राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के तहत समयपूर्व सेवा निवृत्ति कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु पुनरावलोकन समितियां गठन करने का प्रश्न विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में विभिन्न सेवाओं के प्रभावी कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु अब राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित पुनरावलोकन समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समितियों की सिफारि अंतिम निर्णय हेतु प्रत्येक समिति के सामने अंकित अधिकारियों को प्रस्तुत की जायेगी।

क्रम सं	सेवा का नाम	पुनरावलोकन समितियां का गठन	अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	राज्य सेवाएं — (क) रु 1800/ या उससे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों हेतु	(i) मुख्य सचिव (ii) गृह आयुक्त समस्त सेवाओं के लिए उन सेवाओं को छोड़ कर जिनके वे प्रशासनिक सचिव हैं तथा वित्त आयुक्त उन सेवाओं के लिए जिनके गृह आयुक्त प्रशासनिक सचिव हैं। (iii) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग सचिव संयोजक	मुख्य मन्त्री (सिफारिशें सम्बन्धित मन्त्री के माध्यम से प्रस्तुत की जायगी)
	(ख) आर एस एस/आर ए एस अधिकारी हेतु	(i) अध्यक्ष राजस्व मण्डल (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत आयुक्त श्रेणी के एक अधिकारी (iii) विशिष्ट सचिव कार्मिक विभाग संयोजक	मुख्य मन्त्री (सिफारिशें मुख्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत होंगी)
	(ग) अन्य राज्य सेवाओं हेतु	(i) श्री जी के भाटोत आयुक्त डेयरी विकास समस्त सेवाओं हेतु उन सेवाओं को छोड़कर जिनके वे प्रशासनिक सचिव हैं तथा श्री जे एम मेहता आयुक्त शिक्षा विभाग उन	मुख्य मन्त्री (सिफारिशें मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्री के माध्यम से प्रस्तुत होंगी।

1 स एफ 1 (50) वि वि (अ 2)/75 दि 11-3-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 स प 13 (56) कार्मिक/क-II/76 दि 23-3 1976 द्वारा निर्दिष्ट।

	राज्य सेवाओ के लिए जिनके लिए श्री जी के मानोनीत प्रशासनिक सचिव है। (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत आयुक्त श्रेणी के एक अधिकारी (iii) प्रशासनिक विभाग के सचिव-संयोजक	
2 अधिनस्थ सेवाये	(i) प्रशासनिक सचिव (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक सचिव/विशिष्ट सचिव (iii) सम्बंधित विभागाध्यक्ष संयोजक	सम्बंधित मंत्री (सिफारिशे प्रशासन सचिव के माध्यम से होगी)
3 मन्त्रालयिक सेवाये	(i) प्रशासनिक सचिव (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक सचिव/विशिष्ट सचिव (iii) सम्बंधित विभागाध्यक्ष संयोजक	मुख्य सचिव (सिफारिशे सम्बंधित सचिव द्वारा प्रस्तुत की जायेगी)
4 चतुर्थ श्रेणी सेवाये (क) उन मामलो म जहा पूव म अ तिम निणय विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है।	(i) सम्बंधित विभागाध्यक्ष-संयोजक (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत उप सचिव	सम्बंधित प्रशासनिक सचिव
(ख) उन मामलो मे जहा पूव म अ तिम निणय प्रशासनिक सचिव द्वारा लिया गया है।	(i) प्रशासनिक सचिव (ii) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक सचिव/विशिष्ट सचिव (iii) सम्बंधित विभागाध्यक्ष-संयोजक	मुख्य सचिव (सिफारिशे सम्बंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रस्तुत होगी)

उपरोक्त गठित समितिया भविष्य मे किये जाने वाले समयापूव सेवा निवृत्ति कमचारियो स प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार के अलावा उन कमचारियो के प्रतिवेदनो पर भी विचार करेगी जिनकी सेवा निवृत्ति 25-6-1975 या उसके बाद म की गई है। ये समितिया 25-6-1975 से पूव अनिवाय सेवा निवृत्ति कमचारियो पर विचार नही करेगी।

वे कमचारी जिन्होने पूव में प्रतिवदन दिया था और वह अस्वीकार किया जा चुका है अब पुनरावलोकन समितिया को पुन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही कर सकेंगे। फिर भी ऐसे मामले सम्बंधित समितियो के संयोजक अपनी समिति के समक्ष रख सकेगे व उस मामले मे पुन विचार किया जा सकेगा जिस मामले म समिति इस प्रकार का निणय ले कि यह मामला पुन विचार योग्य है।

सम्बंधित राज्य कमचारी जो राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के तहत 25-6-1975 या उसके बाद समयापूव सेवा निवत्त किये गये हैं अपना प्रतिवेदन इस कार्यालय ज्ञापन के राजस्थान राज पत्र म प्रकाशित होने की तारीख से एक माह भीतर सम्बंधित पुनरावलोकन समिति के संयोजक को प्रस्तुत कर सकते हैं।

[1] विज्ञप्ति—यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित 'कार्यालय ज्ञापन" राजस्थान राज-पत्र म दिनाक 23 मार्च 1976 को प्रकाशित हो चुका है। अत प्रभावी कमचारियो के प्रति[वेद]न दिनांक 23 माच 1976 तक ग्रहण किये जावे।

[2] कार्यालय ज्ञापन—कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ 13 (56) कार्मिक/[ए]सी-आर/76 दिनाक 23 माच 1976 द्वारा राजस्थान सेवा नियमो के नियम 244 (2) के तहत [स]मयापूव सेवा निवत्त कमचारियो से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु पुनरावलोकन समितियो के [ग]ठन के आदेश जारी किये गये। यहा विशिष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नही है कि समितियो को [इ]स काय को सजगता और सावधानी से करना चाहिए। फिर भी इन मामलो पर विचार करते समय [स]मितियो को निम्न कुछ माग दशक बिन्दुओ को सुझाव के रूप मे ध्यान मे रखना चाहिए—

1 स एफ 13 (56) कार्मिक/ए सी आर/76 दि 5-4-1976 द्वारा निविष्ट।
2 स एफ 13 (56) कार्मिक/ए सी आर/76 दिनाक 5-4-1976 द्वारा निविष्ट।

(i) जिस जीवन सत्व से राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) का सशोधन किया गया उसे कायम रखा जाना चाहिए। अर्थात भ्रष्ट और असक्षम व्यक्तियो को बाहर निकालने की आवश्यकता।

(ii) प्रक्रिया की लघु कमियो के बारे म कानूनी पुनविचार नही किया जाना चाहिए।

(iii) विशिष्ट रिपोर्ट को विस्तृत म लिखे जाने की आवश्यकता नही थी और उसम दिये गये निष्कर्षो को सही महत्व दते समय भरसक सावधानी बरती जानी चाहिए यदि अधिकारी के पिछले काय और सेवा लेखा से उसम भिन्न तस्वीर दी गई है।

(iv) चयन समितियो से विस्तत कारण नही मागे गय थे।

(v) पक्षपात पूण दृष्टिकोण और पीडित करन (Victimisation) के बारे म लगाए गये सदिग्ध आरोपो को नही मानना चाहिए। जब ऐसे आरोप लागाये जावे तो यदि सम्भव हो तो लेख्य प्रमाण की प्रतिया साक्षी के रूप म साथ म लगाई जावे।

(vi) पुनरावलोकन का उद्देश्य यह नही है कि चयन समिति द्वारा किय गये निधारण को पलट दिया जावे, वरन ऐसे स्पष्ट मामलो को पकडना है जिनम न्याय का विफल कर दिया गया है।

[1]निर्देश—इस विभाग के समसख्यक परिपत्र दिनाक 28 नवम्बर 1974 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चूकि पुनरावलोकन समितियो का गठन इस विभाग के 'कार्यालय ज्ञापन" सख्या एफ 13 (56) कार्मिक/ए सी आर/76 दिनाक 23-3-1976 द्वारा सभी सेवाओ के लिए मन्त्रालयिक सेवाओ सहित कर दिया गया है इस विभाग के समसख्यक परिपत्र दिनाक 28-11-1974 जो इस विषयक जारी हुआ था को अब वापस लिया माना जावे।

[2] कार्यालय ज्ञापन '— इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सख्या एफ 13 (56) कार्मिक/ए सी आर/76 दिनाक 23 3 1976 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कुछ सेवाओ के लिए गठित पुनरावलोकन समितियो म मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य का प्रावधान है।

यह माना जाता है कि प्रशासनिक विभागो द्वारा इस बारे मे आवश्यक कायवाही कर ली गई होगी। यदि नही की गई है, तो उन्ह राय दी जाती है कि जो विभाग/सेवाए उनके अधीन है उनके लिए मुख्य सचिव से सदस्य को मनोनीत करवाव, जिससे पुनरावलोकन समितियों की बठक शीघ्र बुलाइ जा सक।

[3]निर्णय—इस विभाग के समसख्यक परिपत्र दिनाक 2 9 1975 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस सम्बन्ध म राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) के अधीन सरकारी कमचारियो क मामलो को चयन समिति सभी सदस्यों को भेज कर विचार कर सकती है परन्तु यदि कोइ सदस्य चाहे तो एक बठक विचार करने हेतु बुलानी होगी।

[4]स्पष्टीकरण — राजस्थान सेवा नियम क नियम 244 (2) के अधीन सरकारी कमचारियो को नोटिस अवधि के बदले म वतन और भत्तो का भुगतान करके सेवा निवत्त कर दिये गये के बारे म कुछ मुद्दे उठाय जाकर स्पष्टीकरण हेतु पत्र सन्दर्भित किय गये हैं। उनम से कई मुद्दे परिपत्र सख्या एफ 8 (52) कार्मिक/ए-सी आर/72 दिनाक 17-12-1973 (प्रतिलिपि नीचे) स स्पष्ट हो जाते हैं।

फिर भी निम्नाकित दो मुद्दे उपरोक्त परिपत्र स स्पष्ट नही होते हैं—

(i) क्या मकान किराया भत्ता और सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स तीन महीनो के लिए देय है।

(ii) क्या वेतन और भत्ते जो नोटिस अवधि की बजाय दिय जात हैं वे सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूव म जो आहरित किये जाते हैं उसके आधार पर अथवा वेतन और भत्ते मय वार्षिक वेतन वद्धि यदि कोई हो जो सरकारी कमचारी पाता यदि वह नोटिस अवधि म सेवा म रहता के आधार पर गणना की जावे।

उपरोक्त मुद्दो पर विचार किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि—

---

1 स एफ 14 (49) कार्मिक/ए सी आर/73 दिनाक 16-4-1976 द्वारा निविष्ट।
2 स एफ 13 (56) कार्मिक/ए सी आर/76 दि 22-4-1976 द्वारा निविष्ट।
3 स एफ 14 (63) कार्मिक/ए सी आर/75 दिनाक 24-5-1976 द्वारा निविष्ट
4 स एफ 1 (37) वि वि (नियम)/72 दि 8-7-1976 द्वारा निविष्ट।

(1) सरकारी कर्मचारी जिन्हे नोटिस अवधि की बजाय वेतन और भत्ते दिये जाते हैं वे मकान किराया भत्ता और सिटी कम्पेंसेट्री अलाउंस उस दर पर पाने के हकदार है जिस दर पर वे सेवा निवृत्त होने के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

(II) वेतन और भत्ते जो नोटिस अवधि की बजाय दिये जाते हैं वे वेतन और भत्ते वो होंगे जो वह सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूर्व पा रहा था। चूंकि वेतन और भत्तो का भुगतान होते ही वह तुरन्त सेवा निवृत्त माना जावेगा, वेतन वृद्धि की तारीख के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

प्रतिलिपि परिपत्र संख्या एफ 8 (52) कार्मिक/ए सी आर/71/P II दिनांक 17-12-1973 विषय राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

उक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 3-1-1973 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि का बैंक ड्राफ्ट सेवा निवृत्ति आदेश के साथ में संलग्न किया जाना चाहिए जिनमें उसे तीन माह का नोटिस नहीं दिया गया है। राशि की गणना करते समय ऐसे सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तो से किसी प्रकार की कटौतियां नहीं काटी जावे। ये कटौतियां बाद में सरकारी कर्मचारी की ग्रेच्युटी या/और पेंशन में से काटी जावे।

उपरोक्त उपबन्धो पर भारत सरकार और राज्य के विधि विभाग से परामर्श करके पुनर्विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि चूंकि सम्बन्धित कर्मचारी नोटिस अवधि के बजाय तीन माह के वेतन और भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के तुरन्त बाद सेवा निवृत्त हो जाता है और उसके पश्चात वह सेवा में नहीं रहेगा, पेंशन अथवा तीन माह के वेतन और भत्तो के लिए सेवा निवृत्ति के पश्चात की कोई भी अवधि की गणना करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अतः नोटिस अवधि की बजाय तीन माह के वेतन और भत्ते उस दर पर दिये जावेंगे जिस दर से सम्बन्धित कर्मचारी सेवा निवृत्त होने के तुरन्त पूर्व पा रहा था।

चूंकि अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने के लिए नोटिस अवधि की बजाय तीन माह का जो वेतन और भत्ते दिये जाते है वे 'सवेतन" (Salary) होते हैं। अतः आय कर की कटौती भुगतान करते समय की जानी चाहिए।

पेंशन के भुगतान के बारे में—यह सेवा निवृत्ति की तारीख से भुगतान योग्य है अर्थात नोटिस अवधि की बजाय वेतन और भत्तो का भुगतान, उस अवधि की पेंशन के अतिरिक्त होगी।

उपरोक्त निर्देशो का पालन सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा कठोरता से किया जावे।

[1]निर्णय—राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (1) के उपबन्ध में सरकारी कर्मचारी को 20 वर्ष की योग्य सेवा पूरी करने पर अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो भी पहले आ जाय स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति लेने हेतु अनुमति प्रदान करता है। पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना हेतु 5 वर्ष के सेवाकाल को उस राज्य कर्मचारी के सेवाकाल में जोड़ने का प्रश्न राज्य सरकार के पास कुछ समय से विचाराधीन था जिसका मानपूर्वक सेवाभिलेख है और जिसने समयापूर्व सेवा निवृत्ति मांगी है।

मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किये कि एक राज्य कर्मचारी जिसने स्वेच्छा से राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (1) के तहत सेवा निवृत्ति मांगी है और जिसकी सेवायें सेवाकाल की सम्पूर्ण अवधि में सन्तोषप्रद एवं अच्छी पाई गई है को पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना करने हेतु पांच वर्ष की योग्य सेवा को जोड़ने का लाभ निम्नांकित पैरो में उल्लेख अनुसार दिया जावे—

I सरकारी कर्मचारी जो पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हैं—(1) ऐसे मामलो में सेवा निवृत्ति के लाभ हेतु प्रयोगार्थ योग्य सेवा में पांच वर्ष की योग्य सेवा जोड़कर वृद्धि की जावेगी। कल्पित सेवा (notional service) को जोड़ने के परिणाम स्वरूप जो सेवावधि आती है वह किसी भी हालत में 33 वर्ष की योग्य सेवा से अधिक नहीं होगी अथवा सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की सेवा की जो गणना होती यदि वह अधिवार्षिकी आयु पर सेवा निवृत्त होता, उसमे जो भी सेवा कम हो।

(II) ऐसे मामले जिनमें उक्त पैरा संख्या (I) के अन्तर्गत योग्य सेवा में वृद्धि कर दी गई है राजस्थान सेवा नियम के नियम 250 (ग) में परिभाषित 'परिलाभ (Emoluments) जो राज्य

---

1 सं एफ 1 (50) वि वि (ग्रु 2) 75 II दि 18-9-1976 द्वारा निविष्ट।

कर्मचारी सेवा निवृत्त होने के तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था को पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) के प्रयोजनार्थ गणना की जावेगी।

II सरकारी कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होते हैं—(i) सरकारी अंशदान (बोनस और विशेष अंशदान) में उतनी राशि की वृद्धि कर दी जाय जितनी पांच वर्ष की कल्पित सेवा के जोड़ने से बनती।

(ii) सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूर्व जमा किये गये अंशदान की राशि, जो सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवा निवृत्त होने की तारीख के पश्चात खाते में बिना जमा करवाये, के आधार पर कल्पित अंशदान जोड़ दिया जावे।

(iii) उपरोक्त परिणामस्वरूप वृद्धि किसी भी हालत में उस अंशदान (बोनस और विशेष अंशदान) से अधिक नहीं होगी जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा होती यदि वह 33 वर्ष की योग्य सेवा पूरी करके अथवा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त होता, दोनों में जो भी कम हो।

III उक्त पैरा संख्या 2 में उल्लखित पांच वर्ष की कल्पित योग्य सेवा का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्हें राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) के अधीन सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

4 ये आदेश दिनांक 1–9–1976 से प्रभावशील माने जावेंगे।

[1]निर्णय—कुछ राज्य कर्मचारियों को जिन्हें राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर दिया गया को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा उपरोक्त नियम के अधीन सेवा निवृत्ति के मामलों का पुनरावलोकन करने के फलस्वरूप सेवा में पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह प्रश्न उठाया गया कि सेवा निवृत्ति की तारीख एवं सेवा में पुनः ड्यूटी जोईन करने की तारीख के बीच की अवधि को किस प्रकार नियमित किया जावे।

2 इस विषय पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि जिन्हें सेवा नियम के नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त किये गये और सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी को सेवा में पुनः स्थापित किया जाता है ऐसे कर्मचारियों को मध्यवर्ती अवधि में जो सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रारम्भ होती है और पुनः ड्यूटी जोईन करने की तारीख के तुरन्त पहले समाप्त — जो वेतन और भत्ते दिये जाने है वे राजस्थान सेवा नियम के नियम 54 और इस नियम के नीचे दिये राजस्थान सरकार के निर्णय के अधीन नियमित किये जावेंगे जैसे कि नियम 244 (2) के तहत उसकी सेवा निवृत्ति पूर्णतया न्यायोचित नहीं थी और ऐसी अवधि को सभी प्रयोजन हेतु ड्यूटी पर बिताया गया समय माना जावेगा।

3 राज्य कर्मचारी को उक्त अवधि में वेतन और भत्ता का भुगतान उस दर से किया जावेगा जो समय समय पर प्रभावशील थी—जैसे कि यदि वह नियम 244 (2) के तहत सेवा से सेवा निवृत्त नहीं होता। राजस्थान सेवा नियम के नियम 54 के नीचे टिप्पणी 5 में अंकित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे यदि राज्य कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने से रिक्त स्थाई पद को स्थाई रूप से भर दिया गया हो।

4 राज्य कर्मचारी के सेवा में पुनः स्थापित होने पर उसे तीन माह का नोटिस वेतन मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान (Death cum retirement Gratuity) और पेंशन की राशि, यदि उसे भुगतान की गई है को एक मुश्त में पुनः ड्यूटी जोईन करने की तारीख से एक माह की अवधि में वापस जमा करानी होगी। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त भुगतान की गई राशि वापिस जमा करवा दी जाती है तो किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जायेगा।

टिप्पणियां—(1) नियम 244 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारी के उपभोग का अभिप्राय इसे केवल ऐसे राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उपयोग किया जाना है जिसकी कि कार्य में दक्षता बिगड़ गई है लेकिन जिसके विरुद्ध कार्य में अदक्षता के आरोप लगाया जाना वाछनीय नहीं समझा गया हो या जो बिल्कुल कार्य दक्षता से रहित हो गया हो लेकिन इस स्थिति तक नहीं कि उसको क्षतिपूरक पेंशन पर सेवा निवृत्त किया जावे। इस नियम को वित्तीय अस्त्र के रूप में प्रयोग में लाने की इच्छा नहीं है। अर्थात इस प्रावधान का उपयोग केवल उसी राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में किया जाना चाहिये जो कि सेवा में निजी कारणों से रखे जाने के लिए अयोग्य है न कि वित्तीय कारणों से अयोग्य है।

---

1 सं एफ 1 (41) वि वि (अ 2)/76 दि 23–9–1976 द्वारा निविष्ट।

[1](2) इस नियम के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति संविधान की धारा 311 के खण्ड (2) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं कराती है क्योंकि ऐसी सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप में नहीं समझी जाती है बल्कि यह एक प्रकार से सरकार के सुरक्षित अधिकार का प्रयोग है जो कि एक राज्य कर्मचारी को कुछ नये काल तक सेवा करने के बाद सेवा से निवृत्त कर सकती है। इसके अनुसार सेवा से हटाने के पूर्व राज्य कर्मचारी के विरुद्ध औपचारिक कार्यवाही करने के लिए (राजस्थान सिविल सर्विसेज वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों में दिए गए तरीके का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जाना चाहिए।

[2](3) यह नियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू है जो अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य हों। उनके मामले में, 'योग्य सेवा' का तात्पर्य उस सेवा से है जो उस तारीख से प्रारम्भ समझी जावेगी जिससे कि अंशदायी प्राविधिक निधि में उसने अंशदान देना प्रारम्भ किया है।

सरकारी-आज्ञायें

[3](1) वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 7 A (43) वि वि-क (नियम) 57 दि 13 मार्च 1961 का अपास्त करते हुए राज्यपाल महोदय प्रसन्न होकर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अधीन निम्न अधिकारों का प्रत्यायोजित करते हैं। अपास्त आज्ञाओं के अधीन की गई कार्यवाही समुचित आज्ञाओं के अधीन की गई मानी जावेगी।

शक्ति का प्रकार	सेवा का नाम	प्राधिकारी जिसे अधिकार दिये गये	प्रत्यायोजित अधिकार का प्रसार
1	2	3	4
55 वर्ष की आयु प्राप्ति के बाद राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना	(1) राज्य सेवा (2) अधीनस्थ सेवा राजपत्रित एवं अराजपत्रित के पदों	प्रशासनिक विभाग में सरकार विभागाध्यक्ष	समस्त अधिकार बशर्ते कि नियुक्ति (क 2) विभाग की आज्ञा सं एफ 1 (36) नियुक्ति (क 2) 63 दि 29-9-63 में वर्णित तरीके का पालन किया जाय।
	(3) लिपिक वर्गीय (रा प/अराज पत्रित) पदों	नियुक्ति प्राधिकारी	
25 वर्ष की योग्य सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को निवृत्त करना—	(1) राज्य सेवा	प्रशासनिक विभाग में सरकार	समस्त अधिकार बशर्ते कि (1) नियुक्ति (क) विभाग के परिपत्र सं एफ 24 (55) नियुक्ति (क) 57 दि 18-8-58 में वर्णित तरीके का, मय बाद के परिपत्र दि 17-11-58 व 4-10-53 तथा बाद के संशोधनों के जो राजपत्रित कर्मचारियों के लिये जारी किये गये हैं पालन किया जावे।
	(2) अधीनस्थ सेवा (रा प/अरा प) के पदों—	नियुक्ति प्राधिकारी	(ii) नियुक्ति (क 2 C R) विभाग के परिपत्र सं F 24 (5) नियु (क) 57 Pt I Gr II/CR दि 16 5 1963 में दिये तरीकों का, मय संशोधनों के जो अधीनस्थ (अराजपत्रित) पदों के लिये दिया है पालन किया जावे।
	(3) लिपिक वर्ग (रा प/अरा प) के पदों—	नियुक्ति प्राधिकारी	(iii) नियुक्ति (क 2) विभाग द्वारा अराजपत्रित लिपिक वर्ग के लिये निर्दिष्ट तरीका अपनाया जावे।

[4](2) विषय 55 वर्ष की आयु पर अपरिपक्व निवृत्ति—यह निर्णय लिया गया है कि—अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों का निवृत्त करने से पहले विभागाध्यक्ष व सम्बन्धित शासन-सचिव संयुक्त रूप से इस मामले में निर्णय लेकर सम्बन्धित मंत्री की अनुमति लेकर विभागाध्यक्ष अन्तिम

---

1 सं एफ 10 (1) आर/55 दि 1-2-1955 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 आज्ञा सं एफ 7 A (36) वि वि क/(आर)/60 दि 28-12-1961 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि आज्ञा सं० 1(84) वि वि क (नियम) 62 दि 13 12 1963
4 नियुक्ति [क 2] विभाग सं एफ 1[36] नियुक्ति [क 2]/63 दि 24-8-66 व 3 मई 1967

आज्ञा जारी करेगा, किन्तु आरक्षी व मुख्य आरक्षी के मामले में महानिरीक्षक आरक्षी गृह सचिव की अनुमति लेकर अंतिम आज्ञा जारी करेंगे।

लिपिक वर्ग के स्थापन के लिये नियुक्ति अधिकारी सिफारिश आरम्भ करेंगे और विभागाध्यक्ष प्रभारी मन्त्री की अनुमति लेने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी अंतिम आदेश जारी करेंगे।

[1](3) विषय – स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होना चाहने वाले राज्य कर्मचारियों को निवृत्ति लाभ की स्वीकृति—

समन्वित नियुक्तियां (Combined appointments)

नियम 245 एक राज्य कर्मचारी जो दो से अधिक पदों पर कार्य कर रहा हो राज्य सरकार के वित्त विभाग की स्पष्ट स्वीकृति के बिना एक या एक से अधिक ऐसे पदों से अपना त्याग पत्र उस समय तक नहीं दे सकता जब तक कि वह साथ साथ सार्वजनिक सेवा से भी त्याग पत्र न देता हो। सेवा को एक साथ छोड़ने के लिए दबाव डाले बिना ही, किसी भी समय उसे एक या एक से अधिक पदों के कार्यभार से मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में, जिस पद से वह विदा किया गया है उस पद या पदों की सेवा के लिए उसे प्राप्य कोई पेंशन उस समय तक रोक ली जावेगी जब तक वह अंतिम रूप से सेवा निवृत्त नहीं कर दिया जाता है।

नियम 246 चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए पेन्शनें (Pensions for class IV service) (आज्ञा वि वि म एफ 35 (48) आर/52 दि 9–10–53 द्वारा निरस्त किया गया) [देखिए नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या 3]

व्याख्यात्मक टिप्पणी

सेवा निवृत्ति पेंशन (Retiring Pension)

सेवा निवृत्ति पेंशन एक अधिकारी को उस समय स्वीकार्य होती है जिसे 20 वर्ष की योग्य सेवा पूरी कर लेने के बाद अथवा उस तारीख को जिस दिन वह 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है जो भी पहले आती हो को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाती है, चाहे वह अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचा हो या नहीं। इसी प्रकार सरकार भी किसी अधिकारी को 20 वर्ष की योग्य सेवा पूरी करने पर या उस तारीख को जिस दिन वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है जो भी पहले आ जाती है उसके बाद की किसी दिनांक को जो नोटिस में दी गई हो सेवानिवृत्त कर सकती है। इन दोनों मामलों में तीन माह का नोटिस आवश्यक होगा। नोटिस की बजाय सरकार तीन माह का नोटिस वेतन देकर तुरन्त सेवा निवृत्त कर सकती है।

नियम 244 (2) के प्रावधानों के अधीन दी गई सेवा निवृत्ति राजस्थान असैनिक सेवायें [CCA] नियमों के नियम 14 के स्पष्टीकरण (1) (vi) के अनुसार कोई दण्ड नहीं माना गया है।

महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

राजस्थान सेवा नियम 244 [2] के अधीन सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं माना गया है अतः नियम 16 [CCA] के अनुसार कोई गई जांच की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार की सेवानिवृत्ति से संविधान का अनुच्छेद 311 [2] आकर्षित नहीं होता।[2] इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के कारण अब यह एक स्थापित कानून [Settled Law] मान लिया गया है।[3] और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि–अब इस प्रश्न को वापस नहीं उठाया जा सकता[4] जिन परिस्थितियों में अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आज्ञा एक दण्ड के रूप में होगी उनका वर्णन हम पहले अध्याय [17] की व्याख्या में कर चुके हैं।

---

1 वि वि [नियम] स एफ 1 [99] वि वि/नियम/66 दि 27-12-1969 देखिये इसी पुस्तक के पृष्ठ स 8 पर।
2 ILR 1962 Raj 69, AIR 1954 SC 369, ILR (1961) 11 Raj 37, AIR 1967 SC 892, AIR 1958 SC 36, AIR 1960 SC 36, AIR 1960 SC 1305, ILR 1961 Raj 536, AIR 1963 SC 1323
3 ईश्वरी प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य AIR 1965 Raj 147
4 टी जी शिवचन्द बनाम मसूर AIR 1965 SC 280

अध्याय २१

पेन्शनों की राशि

(Amount of Pensions)

खण्ड 1 सामान्य नियम

राशि किस तरह नियमित होती है (Amount how regulated)—जो धनराशि पेंशन के

नियम 247 रूप में स्वीकृत की जा सकती है वह नियम 256 एवं 257 में वर्णित सेवा की अवधि द्वारा निश्चित की जाती है। [1][अंतिम रूप से गणित पेंशन की धनराशियो आकड़े तथा प्रत्याशित पेंशन की राशियां उससे अगले रुपय तक गणना में परिवर्तित की जानी चाहियें।]

परन्तु यह है कि जो राज्य कर्मचारी 18 दिसम्बर 61 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में एक वर्ष के 6 माह तक का हिस्सा या उससे अधिक समय का हिस्सा उसे प्राप्य किसी भी पेंशन को गिनने के लिए पूरे 6 माह के रूप में समझा जावेगा।

[2]टिप्पणी 1—योग्य सेवा गिनने में आधे दिन के अंश को दूसरा पूर्ण कार्य का अगला दिन मान लिया जावे। उदाहरण के लिये किसी राज्य कर्मचारी ने 29 वर्ष 11 मास 29½ दिन पूरी सेवा की है तो उसमें योग्य सेवा गिनते समय आधे दिन के हिस्से के लिए दूसरा दिन पूरा मान लिया जावेगा।

[3]2—ऐसे मामलों में जहां सक्षम प्राधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 169, 170, 172 क, या 248 के अधीन पेंशन में कटौती करने के आदेश देता है तो कटौती केवल सम्पूर्ण रुपया में ही की जानी चाहिये ताकि परिणाम स्वरूप बनी पेंशन भी कटौती किये जाने के बाद सम्पूर्ण रुपयों में चुकाई जा सके।

राजस्थान सरकार का निर्णय व स्पष्टीकरण—[विलोपित तथा दि० 1-9-66 से प्रभावी]

पूर्ण-पेन्शन देना (Award of full Pension)

अनुमोदित सेवा के लिए ही पूर्ण पेंशन की स्वीकृति (Full Pension admissable

नियम 248 for approved service only)—(क) साधारणतया इस नियम के अन्तर्गत प्राप्य पूर्ण पेंशन नहीं दी जाती है या पूर्ण पेंशन उस समय तक नहीं दी जाता है जब तक कि उसके द्वारा की गई सेवा वास्तविक रूप से अनुमोदित न हो गई है।

[4](ख) यदि राज्य कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएं जो उप नियम (क) में सन्दर्भित की गई है, सन्तोषप्रद नहीं है तो पेंशन स्वीकृत कर्त्ता प्राधिकारी पेंशन अथवा उपदान (Gratuity) अथवा दोनों में से ऐसी राशि की कटौती करने का आदेश कर सकता है जिसे वह प्राधिकारी उपयुक्त समझे।

परन्तु यह है कि पेंशन अथवा उपदान अथवा दोनों में से कटौती करने का आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि राज्य कर्मचारी को इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

टिप्पणी 1 यदि पेंशन पहिले ही स्वीकृत कर दी जाती है, तो वह बाद में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने की घटना पर नहीं घटाई जा सकती है जो कि पेंशन स्वीकृत करते समय नहीं मिला हो पर बाद में मिलता हो एवं जिसमें यह दिया हुआ हो कि पेंशन प्राप्तकर्ता की सेवायें पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं रही है।

---

1 वि वि के आदेश सं 1 (23) एफ डी [व्यय नियम] 66 दिनांक 23-8-66 द्वारा परिवर्तित तथा उसके नीचे दिए स्पष्टीकरण व निर्णय विलोपित। दि 1-9-66 से प्रभावी।

2 वि वि आज्ञा सं एफ 10 (6) एफ 11/53 दि 28-12-53 द्वारा निविष्ट।

3 वि वि आदेश संख्या एफ 1 [23] एफ डी। [व्यय नियम] 66 दि 15-5-67 द्वारा निविष्ट।

4 सं एफ 1(20) वि वि (श्रे 2)/75 दि 5-9-1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

2–जब नियमों के अन्तर्गत अधिकतम प्राप्य राशि से कम राशि पेंशन के रूप में किसी कर्मचारी को दी जाती हो तो जब कभी इस प्रकार के आदेश जारी करने का प्रस्ताव किया गया हो उसमें जन सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा। [1][यह परामर्श उन सेवाओं के सम्बन्ध में किया जावेगा जिनके लिए वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम 17 (ii) के प्रयोजन के लिये जनसेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है]

3–जब एक राज्य कर्मचारी की पेंशन को घटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है तो इस आदेश से प्रभावित होने वाला राज्य कर्मचारी उस अधिकारी के पास अपील करने का अधिकारी होता है जिसके पास कि निष्कासन या हटाये जाने पर अपील की जाती है।

4–(क) दण्डनीय वसूली को लागू करने में नियम 248 का प्रयोग नहीं किया जा सकता परन्तु राज्य कर्मचारी द्वारा किए गए किसी जालसाजी (Fraud) या उसके द्वारा उदासीनता बरती जाने का कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र इस निर्णय का एक आधार बन सकता है कि उसकी सेवाएं पेंशन में कमी करने के लिए पूर्णतया सतोषजनक नहीं रही है।

(ख) नियम के अन्तर्गत पेंशन की राशि में कमी करने का आधार उसी सेवा की सीमा तक होना चाहिए जिस तक कि राज्य कर्मचारी की सेवा पूर्णतया सन्तोषजनक सेवा के स्तर तक नहीं मानी गई है तथा किसी कटौती की राशि राज्य सरकार को पहुचाए गए नुकसान की राशि के बराबर काटना सही नहीं है।

(ग) यह नियम पेंशन की राशि में से साधारण रूप में स्वीकृत करने योग्य स्थाई कटौती काटने का प्रावधान करता है तथा किसी विशिष्ट एक बार की भुगतान करने योग्य पेंशन की कटौती करने के लिए स्वीकृति नहीं देता है।

(5) यह नियम नहीं के बराबर या एक मामूली सी रकम के बराबर साधारण पेंशन की कटौती करने के लिये अधिकार नहीं देता है।

अंकेक्षण निर्देशन टिप्पणी संख्या 4 (क) के अन्तर्गत जब एक बार सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि एक राज्य कर्मचारी पूर्णतया सन्तोषजनक सेवा नहीं कर चुका है तथा वह नियम 244 (ख) के अन्तर्गत पेंशन की राशि काटता है तो आडिट के लिए यह पूछना सम्भव नहीं होगा कि किस आधार पर कटौती की राशि तय की गई है क्या कुल कटौती की गई धन राशि राज्य कर्मचारी द्वारा जालसाजी या उदासीनता बरती जाकर जो सरकार को नुकसान पहुचाया गया है उसकी राशि के बराबर है या उसमें अधिक है अथवा कम। यह सारा मामला पूर्णतया प्रशासनिक अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करेगा एवं इसका सम्बन्ध आडिट से कुछ भी नहीं होगा।

टिप्पणी संख्या 4 (ग) के सम्बन्ध में आडिटर यह देखेगा कि उसमें दिए गए निर्देशनों का पालन पूर्णतः किया गया है।

[2]सरकारी आदेश—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या जहां सेवाएं पूर्णतया सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 248 के अन्तर्गत दण्ड के रूप में पेंशन में कटौती की गई है वहां राजस्थान सेवा नियमों के नियम 257 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली मृत्यु सहित सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी (डथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) की राशि से भी स्वतः ही कटौती की जानी चाहिए।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 248 के अन्तर्गत पेंशन एवं मृत्यु सहित सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी दोनों में से किसी एक में से कटौती की जा सकती है यह कटौती करने वाले अधिकारी के निर्णय पर छोड़ा जाता है कि क्या उसे किसी एक व्यक्तिगत मामले में पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों या किसी एक में से कटौती की जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे अधिकारी को अपनी इच्छा स्पष्टता एवं सन्देह रहित भाषा में स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जहां पेंशन तथा ग्रेच्युटी दोनों या ही प्रतिशत के रूप में या निश्चित राशि के रूप में घटाने की इच्छा व्यक्त की गई हो तो इस इच्छा का आशय को स्पष्ट रूप से जारी किए जाने वाले आदेश में बताया जाना चाहिए एवं जहां जारी किए गए आदेश में कटौती केवल पेंशन की राशि में से ही की जाने के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो वहां ग्रेच्युटी की राशि स्वतः ही कम नहीं की जावेगी।

---

1 वि वि सं एफ 10 (14) एफ 11/54 दि 5–11–54 द्वारा निविष्ट

2 वि वि ज्ञापन सं 7993/58/एफ 7 A (29) वि वि क (नियम) 57 दि 28–2–59 द्वारा निविष्ट।

पेंशन के लिए अधिकृत एक राज्य कर्मचारी पेंशन के बदले में ग्रेच्युटी नहीं ले सकता है।

नियम **249** टिप्पणी[1]-[विलोपित]

खण्ड 2—पेंशन के लिए गिने गए भत्ते (Allowances reckoned for pension)

कुल राशि एवं औसत कुल राशि—(Emoluments and Average emoluments)

कुल राशि (Emoluments) की परिभाषा - (1) जब शब्द कुल राशि इस सेवा नियमों के इस भाग में प्रयुक्त किया जावे तो इसका तात्पर्य उस कुल राशि से है जिसे राज्य कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के बिल्कुल पहले प्राप्त कर रहा था एवं इसमें निम्न सम्मिलित होते हैं—

नियम **250**

[2] (क) सावधिक पद के अतिरिक्त स्थाई रूप में धारण किए गए स्थाई पद का मूल वेतन।

[2] (ख) विशेष वेतन जो एक राज्य कर्मचारी द्वारा [3]सेवा की विशेष रूप से कठिन प्रकृति को देखते हुए या बढ़े हुए काम एवं उत्तरदायित्व को देखते हुए या ऐसी सेवा करने के फलस्वरूप जो कि अपने पद से सम्बन्धित न हो तथा जिसके लिए कोई स्वीकृत पद न हो, प्राप्त किया जाता है।

[4]सरकारी निर्णय—एक प्रश्न उठाया गया है कि नया 'साक्षरता भत्ता' जो पुलिस सिपाहियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा गत तीन साल की अवधि में प्राप्त किया जाता है, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 के अन्तर्गत पेंशन के लिए 'कुल राशि' में गिना जा सकता है? मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि चूंकि साक्षरता भत्ता' विशेष वेतन के समान होता है इसलिए इसे पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए।

[5] (ग) व्यक्तिगत वेतन जो सावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थाई पद के सम्बन्ध में स्थाई वेतन के बदले में स्वीकृत किया जाता है।

(घ) [6] [विलोपित]

(ङ) स्थायी नियुक्ति रहित एक राज्य कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, यदि पदाधिकार सेवा नियम 188 के अन्तर्गत पेंशन के लिए गिनी जाती हो एवं जिसका भत्ता एक ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि प्राविधिक (Provisionally) स्थायी रूप में थोड़े समय (Pro tempore) के लिए स्थायी रूप में नियुक्त किया गया है या जो एक ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता है जो कि स्थाई रूप से रिक्त हो एवं जिस पर किसी कर्मचारी का पदाधिकार नहीं हो, या जो ऐसे पद पर नियुक्त होता है जो कि उसके स्थाई कर्मचारी के बिना अवकाश के भत्ता पर या बाहरी सेवा में स्थानान्तरण पर चले जाने से उसकी अनुपस्थिति में अस्थाई रूप से रिक्त हो।

(2) यदि एक राज्य कर्मचारी जिसकी स्थाई रूप से नियुक्ति की गई हो एवं जो दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता हो या जो स्थाई पद को धारण करता हो, उनके सम्बन्ध में कुल राशि' (Emoluments) का तात्पर्य—

(क) उस कुल राशि से है जो कि इस नियम के अन्तर्गत उस पद के सम्बन्ध में गिनी जाती है जिस पर वह स्थानापन्न रूप में कार्य करता है या उस कुल राशि से है जो कि उसके अस्थाई पद के सम्बन्ध में जैसी भी स्थिति हो, गिनी जाती है, या

(ख) उस 'कुल राशि से है जो कि इस नियम के अन्तर्गत गिनी जा सकती थी यदि वह अपने स्थाई पद पर रहता, इसमें से जो कोई उसे अधिक लाभदायक हो।

टिप्पणियां [1]—निम्नलिखित निर्णय 1 अप्रेल, 1950 से पूर्व की सेवाओं के सम्बन्ध में लागू होंगे—

---

1 आज्ञा सं एफ 1(58) वि वि क (नियम) 62 दि॰ 8-2-63 द्वारा विलोपित एवं 1-10-62 से प्रभावशील।

2 वि वि आज्ञा सं एफ 1 (51) वि वि क (नियम) 61 दि॰ 18-12-61 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 वि वि की अधिसूचना स॰ एफ 1(64) वि वि (नियम) 68 दि॰ 22-2-69 द्वारा संशोधित।

4 ज्ञापन सं एफ 7A (48) वि वि क (नियम)/60 दि 28-1-1961 द्वारा निविष्ट

5 आज्ञा सं एफ 1 (51) वि वि क (नियम) 61 दि 18-12-61 द्वारा प्रतिस्थापित।

6 आज्ञा सं एफ 1 [51] वि वि क [नियम] 61 दि 18-12-1961 द्वारा विलोपित।

(क) एक राज्य कर्मचारी अपने अल्पकालीन भत्ते को कुल राशि मे नही गिन सकता है यदि वह एक वरिष्ठ अधिकारी के अनिश्चित समय के लिए स्वीकृत पद पर नियुक्त हो जाने पर उसके स्थान पर 'अल्प समय' के लिए लगाया जाता है।

(ख) एक राज्य कर्मचारी जो स्थाई रूप से नियुक्त है उसके अल्प कालीन भत्ते को पेंशन के लिए धनराशि के भाग के रूप मे शामिल नही किया जा सकता है यदि वह एक एसे अस्थाई पद को धारण किए हुए राज्य कर्मचारी के स्थान पर जो बाद मे स्थायी कर दिया जाता है, अल्पकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

(ग) अस्थाई रूप से स्थानान्तरित एक कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त एक राज्य कर्मचारी के अल्पकालीन भत्तो को 'कुल राशि' के अंश के रूप मे नही माना जा सकता है।

(घ) एक राज्य कर्मचारी के प्रोबेशन पर स्थानान्तरित होने के कारण उसके पद पर अल्प समय के लिए उक्त राज्य कर्मचारी के अल्पकालीन भत्ते 'कुल राशि' के अंश के रूप मे समझे जावेंगे क्योंकि उस समय के लिए उस स्थानान्तरित राज्य कर्मचारी का लीयन उस पद पर निलम्बित किए हुए के रूप मे समझा जाता है।

[2] जब एक राज्य कर्मचारी अपने अवकाश काल मे एक निम्न पद से उच्च पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर कि वह उस समय तक अपने बढे हुए वेतन का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि सेवा पर उपस्थित नही होता है। यदि वह अपने पद पर पुन उपस्थित हुए बिना ही ग्रेच्युटी के साथ सेवा से निवृत्त हो जाता है तो वह जैसा कि ऊपर कहा गया है अपने अवकाश काल मे उन्नत होने के कारण जो वेतन वृद्धि हुई है उसके आधार पर ग्रेच्युटी के लाभ का क्लेम नही कर सकता है।

[3] नियम 250 के खण्ड [घ] मे प्रयुक्त कुल राशि शब्द की परिभाषा केवल ग्रेच्युटी के मामलो मे ही लागू होती है न कि पेंशन के मामलो पर।

[4] जब एक राज्य कर्मचारी उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश काल मे अग्रिम सेवा करने के लिए अयोग्य होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता हो तो उसके सेवा से हटाने की तारीख तक के अवकाश की अवधि को जब वह चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की तारीख के बाद तक चलता रहे औसत कुल राशि गिनने के प्रयोजन के लिए गिना जा सकता है।

[5] एक स्थाई राज्य कर्मचारी के विदेशी सेवा मे चले जाने के कारण या भत्ते रहित अवकाश पर चले जाने के कारण एक रिक्त पद पर थोडे समय के लिए प्राविधिक या स्थाई रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए इस नियम के खण्ड (2) के द्वारा स्वीकृत की गई रियायत केवल उस राज्य कर्मचारी तक सीमित नही है जो कि प्रतिनियुक्ति या अवकाश पर अनुपस्थित राज्य कर्मचारी के पद पर कार्य करता हो लेकिन इस प्रकार की अनुपस्थिति के कारण रिक्त पदो पर थोडे समय के लिए प्राविधिक या स्थाई रूप से नियुक्त किए राज्य कर्मचारियो पर भी लागू है।

[6] कमीशन प्राप्त करने वाले एक ऐसे राज्य कर्मचारी के औसत कुल राशि की गणना मे जो अपनी सेवा के अन्तिम 3 वर्षों मे कुछ समय के लिए अस्थाई सेवा मे प्रतिनियुक्त किया गया था एवं जिसने वेतन प्राप्त किया था उसके द्वारा कमाए गए तीन साल का कमीशन उस समय से बाटा जाना चाहिए जिस तक कि उसने उन वर्षों मे स्थायी नियुक्ति धारण की। इसमे प्रतिनियुक्ति का समय जोड देना चाहिए।

[7] जब एक राज्य कर्मचारी की जिसकी नियुक्ति रिक्त पद पर प्राविधिक या अस्थाई रूप से हुई है उसके पद से पदाधिकार निलम्बित कर दिया जाता है तो ऐसे सभी राज्य कर्मचारियो का बढ़ा हुआ कमीशन इस नियम के अन्तर्गत पेंशन निकालने के प्रयोजन के लिए औसत कुल राशि के अंश के रूप मे गिना जावेगा।

विशेष सेवा या अस्थाई पद को धारण करने वाले राज्य कर्मचारियो का बढा हुआ पारिश्रमिक पेंशन के लिए गिना जावेगा बशर्ते कि अस्थाई पद ऐसे समान किस्म का न हो जैसा कि एक मौजूद पद है जिसके मामले मे कि पारिश्रमिक की वृद्धि इस नियम के प्रयोजन के लिए विशेष वेतन के रूप मे गिना जानी है।

[8] एक ऐसे राज्य कर्मचारी के मामले मे जो कि एक स्थाई स्थापना मे स्थाई पद को धारण किए हुए हो एवं जो एक ऐसे पद पर कार्यवाहक रूप मे नियुक्त कर दिया गया हो जो कि अस्थाई रूप से रिक्त है या जो स्थाई राज्य कर्मचारी के असाधारण अवकाश या विदेशी सेवा मे स्थानान्तरण पर चले जाने पर उसकी अनुपस्थिति के कारण अस्थाई रूप से रिक्त है। उस कार्यवाहक वेतन प्राप्त करता या

बाद के पद पर कार्यवाहक रूप म काय करन का मासिक वेतन प्राप्त करन की स्वीकृति दी जायेगी। स्थाई वेतन एव काय वाहक वतन या तनख्वाह का जो अ तर हाेगा वह प शन के लिए गिना जावेगा।

[9] इस नियम का खण्ड 3 यह प्रावधान करन के लिए शामिल किया गया ह कि एक राज्य कमचारी जिसकी नियुक्ति स्थाइ है लकिन जो सवा निवृत्ति स पहिल उच्च पद पर काय वाहक रूप म काय करता ह या जो उच्च अस्थाइ पद धारण करता ह वह प शन म या तो उस कुल राशि को गिन सकता ह जो कि नियम के अ तगत उच्च नियुक्ति म गिना जाता ह या उस कुल राशि को गिन सकता ह जो कि प शन म गिनी जा सकती थी यदि वह उस पद को धारण करता रहता, जो भी उसे अधिक लाभदायक हो उसे वह गिन सकता ह। उच्च स्थाई पद पर काय वाहक रूप म काय करने वाले राज्य कमचारी क सम्बन्ध म इस नियम क अ तगत प शन की राशि म गिनी जान वाली कुल राशि केवल इस नियम के खण्ड (2) म वर्णित राशि ही नहीं ह बल्कि इसम व राशिया भी शामिल हैं जिनका वणन उसके खण्ड (1) (स) म किया हुआ ह। एक स्थाई पद को स्थाई रूप से धारण करने वाला व्यक्ति जो कि एक अस्थाइ पद धारण करता ह वह प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता (अर्थात् विशेष वेतन) प्रा त कर सकता ह जो कि खण्ड 1 (ख) के अ तगत पेंशन के लिए गिना जाता ह। खण्ड (3) म वर्णित प्रावधान का अभिप्राय यह ह कि एक राज्य कमचारी की पेंशन उसक उच्च पद पर नियुक्ति होन पर उल्टा प्रभाव न डाले।

[10] [1][विलोपित]-

[11] एक राज्य कमचारी जो एक स्थाई पद धारण कर रहा हो एव जो एक अस्थाई पद पर काय वाहक रूप म नियुक्त कर दिया जाता ह एव जिस पर विशेष वतन मिलता हो तो उसे पशन म गिना जाना चाहिय।

एक राज्य कमचारी जो अपनी गत तीन वष की सेवा की अवधि म एक रिक्त स्थाई पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त कर दिया गया था एव जिसको अपन मूल स्थाई पद पर स्थाइ रूप स लौटना पड़ा था या जिसे परीवीक्षा मे रहत हुय सेवा निवृत्त होना पडा था तो उस समय म प्राप्त की गई धन राशिया को इस नियम के खण्ड 1 (क) एव (ग) के अ तगत पेंशन के लिय गिनी जानी चाहिये।

[12] नियम 17 (घ) के साथ पठित नियम 17 (ख) के अ तगत पदाधिकार निलम्बित किया जा सकता है एव यदि एक राज्य कमचारी एक पद से जिस पर उसका पदाधिकार है कम से कम तीन साल की अवधि तक अनुपस्थित रहने वाला है तो उसक रिक्त पद पर प्राविधिक स्थायी नियुक्ति की जा सकती है। एक राज्य कमचारी को नियम 250 (2) के लाभ के लिए माग करने के पूव उस नियम म वर्णित दोनो शर्तो का पालन करना चाहिये अर्थात

[क] कि सम्बन्धित राज्य कमचारी को पद से अनुपस्थित रहना चाहिय, एव

[ख] कि उसे पेंशन के प्रयोजन के लिय अपन पद स कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिय।

[13] एक प्रश्न किया गया है कि वाण अ शकालिक सवा के लिय केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य कमचारी के लिय जो विशेष वतन दिया जाता है, उसे पेंशन क लिए कुल राशि के रूप म गिना जावेगा? यह निणय किया गया है कि जो केन्द्रीय सरकार न उत्तरदायित्व लेना स्वीकार किया था वह विशेष वतन तक ही सीमित था, इसलिये उस विशेष वेतन को कुल राशि म गिनन के लिये शामिल नहीं किया जा सकता है।

[2][क] यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो म वतमान पेंशन नियमो की व्याख्या राजस्थान सेवा नियमो के इस भाग मे दी गई वेतन या विशेष वतन की परिभाषाओ को प्रकाश म लाते हुए की जानी चाहिये न कि नियम 7 [24] एव [31] म दी गई परिभाषाओ को प्रकाश म रख कर को जानी चाहिये एव वे भत्ते जो स्थानीय क्षतिपूरक भत्ता के रूप म समझे जाते हैं एव जो विशेष वतन के रूप म घोषित नहीं किये जाते हैं एव इस प्रकार जो वेतन के रूप म शामिल कर लिये जाते हैं सरकार की स्वीकृति के बिना नियम के इस भाग के अ तगत पशन के लिए कुल राशि के रूप म गिने नहीं जा सकते हैं एव राजस्थान सेवा नियमो के नियम 168 क म वर्णित पेंशन की औसतन कुल राशि निकालने के प्रयोजन मे भी शामिल नहीं किये जा सकते हैं एव इन्हें नियम 7 [24] में वर्णन किये गये अनुसार शामिल नहीं करना चाहिये।

[14] जब एक राज्य कमचारी का पदाधिकारी उसके पद पर समाप्त कर दिया जाता है तो

---

1 वि० वि० आज्ञा स० एफ 7 [9] आर/55 दि० 10-6-1956 द्वारा विलोपित।

2 वि० वि० आज्ञा 7 (9) आर/55 दि० 10-6-1956 द्वारा निविष्ट।

सभी ऐसे राज्य कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन, जिनकी नियुक्तियां रिक्त स्थानों के क्रम पर प्राविधिक स्थाई रूप में हुई है इस नियम के अन्तर्गत पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए 'औसत कुल राशि के भाग के रूप में गिना जाना चाहिये।

लेखा परीक्षण निर्देशन—(1) विशेष वेतन चाहे स्थाई कर्मचारी द्वारा या एक कार्यवाहक राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया हो उसे बिना किसी शर्त के पेंशन के लिए औसतन कुल राशि में शामिल कर लेना चाहिए।

(2) सभी भत्ता सहित अवकाशों में विशेष वेतन को पेंशन के प्रयोजन के लिए राज्य कर्मचारी की कुल राशि के भाग के रूप में गिना जाना चाहिये यदि इसमें कोई सन्देह नहीं हो कि यदि वह ड्यूटी पर रहता तो विशेष वेतन प्राप्त करता एवं इस सम्बन्ध की एक घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती हो।

(3) इस नियम के खण्ड [2] के अन्तर्गत पेंशन के प्रयोजन के लिए कुल धनराशि' रूप में कार्यवाहक वेतन को गिन जाने की रियायत केवल उन्हीं लोगों को प्राप्य है जो ऐसे पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करते हैं जो कि स्थाई रूप से रिक्त हैं एवं यह उन लोगों के लिए प्राप्य नहीं है जो कि रिक्त स्थानों के क्रम में कार्यवाहक नियुक्त किए जाते हैं। जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थाई रूप से रिक्त पदों पर कार्यवाहक कार्य करने के बारे में दी गई शर्तें पूरी हो जाती हैं। यह स्थिति टिप्पणी संख्या 5 से प्रभावित नहीं हुई है जो कि पद के स्थाई कर्मचारी के भत्ते रहित अवकाश या विदेशी सेवा में चले जाने के कारण उसकी अनुपस्थिति के कारण रिक्त पद पर थोड़े समय के लिए प्राविधिक या स्थाई रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को लाभ प्रदान करती है।

(4) यदि एक राज्य कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के समय दो पदों पर कार्य करता है तो उसे जो भी पद ऊंचा हो उसके औसतन वतन का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

(5) ऐसे मामले में जहां सवर्गीय पदों (जिनमें से कुछ के साथ विशेष वेतन मिलता है) के बारे में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इनमें कौन सा पद को स्थाई समझा जावे जिस पर कि राज्य कर्मचारी बना रहता यदि वह अन्यत्र कहीं कार्यवाहक रूप में नियुक्त नहीं किया जाता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है चाहे विशिष्ट पद कार्यवाहक नियुक्ति के शीघ्र पूर्व ही धारण किया गया हो एवं चाहे एक राज्य कर्मचारी को एक विशिष्ट पद पर या नियम 250 (3) (ख) के प्रयोजन के लिए केडर में एक पद पर लियन रखने की वास्तविक स्वीकृति दे दी गई हो।

[1](6) उन राज्य कर्मचारियों के मामले में जिनको कि सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है [2] एवं जो चार माह तक के औसतन वतन पर अवकाश के समय में या चार माह से अधिक औसतन वेतन पर अवकाश की प्रथम चार माह की अवधि में एक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते हैं जो कि रोकी नहीं जाती है तो राज्य कर्मचारी उस वेतन को जिसे वह प्राप्त करता रहता यदि वह ड्यूटी पर रहता पेन्शन एवं मृत्यु सहित सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी (Dea h cum retirement gra tuity) के प्रयोजन के लिए कुल राशि के रूप में गिन सकता यद्यपि वह बढ़ा हुआ वेतन वास्तव में अवकाश काल में प्राप्त न किया गया हो।

[3](7) भारत सरकार असैनिक सेवा नियमों की धारा 486 के अन्तर्गत महाप्रबेक्षक के द्वारा लिए गए निर्णय को नीचे दोहराया जा रहा है—

महालेखाकार उत्तरप्रदेश ने डाक्टर बालदत्त पांडे के मामले को आडीटर जनरल के पास यह निर्णय करने के लिए भेजा था कि क्या मौलिक नियम 49 (ख) के अन्तर्गत जो अतिरिक्त वेतन मिलता है उसे पेन्शन में गिना जाना चाहिए?

डाक्टर पांडे पी० सी० एम० एस० (PCMS) एसिस्टेन्ट सिविल सर्जन नैनीताल के पद पर कार्य कर रहे थे। वे 500) रु० वेतन तथा लेक्चर देने के लिए 40) रु० प्रति माह विशेष वेतन प्राप्त करते थे। स्थाई सिविल सर्जन जो कि (IMS) केडर का था, उसके स्थानान्तरण हो जाने से जो

---

1 सं 2404/58/एफ 7A [13] वि वि क (नियम) दि 4-6-58 द्वारा निविष्ट।
2 वि वि की अधिसूचना सं एफ 1 (48) वि वि (व्यय नियम) 67 दिनांक 1-4-69 तथा शुद्धि पत्र दिनांक 16-4-69 द्वारा संशोधित।
3 सं डी 5399/58/एफ 7A [18] वि वि क [नियम]/56 दि 30-4-59 द्वारा निविष्ट।

स्थान रिक्त हुआ उस रिक्त पद पर डाक्टर पांडे को अपने काय के अतिरिक्त सिविल सर्जन के काय करने के लिए दिनाक 4 माच 1933 से 14 माच 1934 तक नियुक्त किया गया। डाक्टर पांडे का उक्त पद पर वेतन, जो कि उसकी सेवा के गत तीन वष म पड़ा था, सिविल सर्जन की ग्रेड के न्यूनतम वेतन 600) रु० पर निर्धारित किया गया तथा इसके अतिरिक्त उसे अपने पद का 1/5 भाग 108) रु, 500) रु० वतन व विशेष वतन 40) रु० मौलिक नियम 49 [ख] के अ तगत स्वीकृत किया गया था।

महाअकेक्षक ने स्पष्ट किया है कि असनिक सवा नियमों के अ तगत सम्बन्धित नियुक्तिया के मामल म जो पेंशन राज्य कमचारी को प्रत्यक पद का धारण करने पर मिलती यदि वह उन्ह अलग अलग धारण करता तथा जो अकेली ही पेंशन के लिए गिनी जा सकती थी धारा 492 एव किसी एक नियुक्ति के सम्बन्ध म प्राप्य पेंशन क लिए आवश्यक हाती एसे मामला म यदि 'कुल राशि एक स अधिक पदा पर नियुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त की जाय तो उस सबको पेंशन क लिए कुल राशि' म गिना नहीं जा सकता है। डाक्टर पाडे सिविल सर्जन के पद पर काय वाहक नियुक्ति की कोई राशि पेंशन म शामिल करने के लिए अधिकृत नही है। उसकी पेंशन एसिस्टेन्ट सिविल सर्जन क पद पर स्थाई नियुक्ति के सम्बन्ध म गिनी जान पर, उसकी कुल राशि सिविल सर्विसज नियमा की धारा 486 के अ तगत शामिल करने का अथ या तो [1] उस कुल राशि से है जो उसकी कायवाहक नियुक्ति के पद के सम्बन्ध म धारा 486 के अ तगत शामिल की जाव (अर्थात् 500) रु० मूल वेतन तथा रिक्त स्थान का भत्ता 100) रु० इस प्रकार कुल 600) रु० शामिल किए जावे। या [2] उस कुल राशि से है जो यदि वह स्थाई नियुक्ति पर रहता तो उस नियम 486 के अ तगत शामिल की जाती [अथात मूल वेतन 500) रु० विशेष वेतन 40 रु० कुल 540) रु० जो भी उस अधिक लाभ दायक हो उस ही पेंशन म शामिल किया जाना चाहिए। 108) रु० अतिरिक्त वेतन जो कि उसने यथोचित अपने मूल वेतन (एव अपने कतव्य भत्ते 40) रु० के भाग के रूप म मौलिक नियम 49 (ख) के अ तगत प्राप्त किया था उसे या तो अपनी कायवाहक उन्नति के सम्बन्ध म या बढ़े हुए काम एव उत्तरदायित्व (धारा 23 ग के अ तगत) के रूप म उसके स्थायी या कायवाहक नियुक्ति म नही गिना जा सकता है एव इसलिए उसकी पेंशन को निकालन म यह शामिल नही किया जा सकता है। इस निणय म भारत सरकार न अपनी सहमति दी हुई है।

टिप्पणी—(1) मौलिक नियम 49 (ख), सिविल सर्विसेज नियमों की धारा 49? धारा 486 के नीचे टिप्पणी स० 2 एव धारा 23 (ग) राजस्थान सवा नियमो क नियम 50 (ख) 254 (क) 250 (2) 250 और 7 (31) क समान हैं।

(2) यह व्याख्या इस राजस्थान सेवा नियमो म शामिल किए जान के आदेश जारी करन की तारीख स प्रभावशील होगी। जिन मामलों मे पेंशन पहिले स्वीकृत की जा चुकी है उन्ह पुन चलाने की जरूरत नही है।

[1]सरकारी निणय स० (1)—यह प्रश्न कि क्या एक राज्य कमचारी द्वारा अपने गत तीन वष की सवा अवधि मे प्राप्त किया गया विशेष वेतन या व्यक्तिगत वतन पेंशन की कुल राशि के रूप म शामिल किया जा सकता है पत्र व्यवहार की लम्बी दुविधा उत्पन्न करता है। इस सम्बन्ध मे अनावश्यक देरी से बचने के लिए भविष्य म वेतन की स्वीकृति प्रदान करने म उन कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनको कि ध्यान म रखत हुए विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है एव जब यह हो जाता है तो प्रशासनिक कार्यालय एव आडिट आफिस दाना के लिए निश्चित करना सभव हो जाता है कि अमुक विशेष वेतन सेवा भत्ता या प्रतिनियुक्ति भत्ते की प्रकृति का है या नही।

[2]सरकारी निणय स० (2)—बहुत से राज्य कमचारी जो वेतन मान एकीकरण म (Unified pay scale) प्राविधिक रूप स फिक्स कर दिए गए थे वे स्थाई रूप स निश्चित किये जाने के पूव ही प्राविधिक आधार पर वेतन मान एकीकरण म वतन प्राप्त करते हुए सेवा मुक्त हो गए थे। इसलिए एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या एस प्राविधिक समय म जो निर्धारित वतन प्राप्त किया गया है उसे पेंशन के लिए गिना जाना चाहिये?

राज्य सरकार ने मामले पर विचार कर लिया है तथा यह निणय किया गया है कि वेतन मान एकीकरण म प्राविधिक रूप स जो वेतन प्राप्त किया गया था वह राजस्थान सेवा नियमा के नियम

---

1 ज्ञापन स एफ/13 (10) एफ 11/53 दि० 14-11-1953 द्वारा निविष्ट
2 ज्ञापन स एफ 13 (10) एफ 11/54 दि० 30-4-1954 द्वारा निविष्ट

250 (ख) की समानता पर पेंशन के लिए किया जा सकता है बशर्ते एव इस सीमा तक कि उस द्वारा की गई सेवा किसी नियम के अन्तर्गत अयोग्य सेवा के रूप में न मानी गई हो।

[1]सरकारी निर्णय सं० (3)—एक सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या एक ऐसे अधिकारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 (1) (ङ) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में जिसमें कि उसने वास्तव में किसी संवर्ग के बाहर पद पर कार्य किया हो किसी रिक्त स्थाई पद पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा वास्तव में धारण किया गया हो। स्थिति यह है कि यदि वह अधिकारी पदन रूप से वरिष्ठता या चयन जैसी भी स्थिति हो के आधार पर रिक्त पद को धारण करता लेकिन जिस समय पद रिक्त होता है उस समय वह प्रतिनियुक्ति पर या राज्येतर सेवा पर होने के कारण चयन या नियुक्त नही किया जाता है तो उस अधिकारी का नेक्स्ट बिलो रूल के अधीन जारी किये गए प्रमाण पत्र के आधार पर नियम 250 (1) (ङ) के अधीन लाभ दिया जाना चाहिये।

[2]सरकारी निर्णय सं० (4)—राजस्थान प्रशासनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1961 के अधीन प्रस्तावित संशोधित वेतन मानों में महगाई भत्ते को मिलाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 9 61 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में अस्थाई वृद्धि को चालू रखने या अन्य प्रकार से समझे जाने सम्बन्धी प्रश्न सरकार के पास कुछ समय से विचाराधीन था। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो संशोधित वेतन मान में वेतन उठाते हुए दिनांक 1–9 61 को या उसके बाद किसी अन्य तारीख को सेवा निवृत्त होता है वह वर्तमान आदेशों के अधीन स्वीकार्य पेंशन में अस्थाई वृद्धि के लिए किसी भी रूप में अधिकृत नही होगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में महगाई भत्ता 10 रु० या 20 रु० जैसी भी स्थिति हो जो वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (51) वित्त वि/ए/नियम/61 दिनांक 18 12–61 के अनुसार उठाया जाता है पेंशन एवं उपदान के प्रयोजनार्थ 'परिलब्धि' के रूप मे गिना जाएगा। फिर भी जहां ऐसे सरकारी कर्मचारी की गत तीन वर्षों की सेवा मे ऐसी सेवा शामिल हो जिसमे कि वह वर्तमान में वेतन प्राप्त करता है तो ऐसी अवधि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश संख्या 4641/58 एफ 7 ए (14) वित्त वि/ए/नियम 58 दिनांक 2–3 59 के परा 4 में दिए गए महगाई वेतन को परिलब्धियों के रूप में गिने जाने सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

उपर्युक्त परा 1 में अन्तर्विष्ट आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नही होंगे जो वर्तमान वेतनमान में वेतन उठाते हुए 1 सितम्बर 1966 को या उसके बाद सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे सरकारी पेंशन में अस्थाई वृत्ति के लिए या वित्त विभाग के आदेश सं० 4041/58 एफ 7 ए (14) वित्त वि नियम /58 दि 2–3–59 के परा 4 (ख) के अनुसार पेंशन एवं उपदान के प्रयोजनार्थ महगाई वेतन को परिलब्धियों के रूप में गिनने का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त परा 1 व 2 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति वर्तमान वेतनमान का तात्पर्य राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड पे) नियम 1961 के नियम 5 (1) में यथापरिभाषित वर्तमान वेतन से होगा।

व्यक्ति जो दि 1 9 61 के बाद किन्तु इस आदेश के जारी किए जाने से पूर्व सेवा निवृत्त हुए एवं जो इस आदेश के परा 1 के प्रावधानों से प्रभावित हुए है, उन व्यक्तियों के पेंशन सम्बन्धी मामलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है तथा उन्हें एतदनुसार निपटाया जा सकता है।

[3]यदि एक कर्मचारी जो कि 18 दिसम्बर 1961 को या उसके बाद से सेवा निवृत्त होता है एवं

नियम 250क जिसने नियम 250 (1) (ङ) में दी गई परिस्थितियों को छोड़ कर सेवा निवृत्ति से पूर्व स्थाई पद धारण किया है या एक ऐसा स्थाई पद धारण किया है जो 5 साल या इससे अधिक समय से मौजूद है या जो इतने समय के लिए स्वीकृत किया गया है जब इस पद की वेतन दर मूल स्थाई वेतन से ज्यादा हो तो नियम 251 के अन्तर्गत उसकी औसतन कुल राशि एवं नियम 250 के अन्तर्गत कुल राशि स्थाई वेतन एवं स्थानापन्न वेतन के अन्तर तक बढ़ादी जावेगी बशर्ते कि सेवा निवृत्त होने से पहिले कम से कम उसने उस पद पर एक साल तक लगातार कार्य किया हो।

यह रियायत अवकाश की अवधि में भी प्राप्य होगी बशर्ते कि राज्य कर्मचारी उस पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता रहता यदि वह अवकाश पर रवाना नहीं होता।

---

1 ज्ञापन सं डी 4123/59/एफ 13 (83) एफ 11/53 दि० 9–11–59 द्वारा निविष्ट
2 आज्ञा सं एफ 1 (73) वि वि क (नियम)/62 दि० 28–3–1963 द्वारा निविष्ट।
3 आज्ञा सं एफ 1 (51) वि वि क (नियम)/61 दि० 18–12–61 द्वारा निविष्ट

टिप्पणियां (1) इस नियम के प्रयोजन के लिए सेवा के गत एक वर्ष मे लिए गए सभी प्रकार के अवकाश एक माल की अवधि म गिने जायेंगे यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कर्मचारी उच्च पद पर कार्यवाहक रूप म कार्य करता रहता यदि वह अवकाश पर रवाना नही हुआ होता।

(2) इस नियम के अन्तर्गत स्थानापन वेतन का गिने जाने का लाभ एक राज्य कर्मचारी के लिए नही दिया जावेगा जब उससे एक वरिष्ठ (सीनियर) व्यक्ति उच्चतर पद पर नियुक्त किया जा सकता था। जब तक कि वरिष्ठ व्यक्ति विशेष रूप से सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी द्वारा अतिक्रमित (Superseded) न किया गया हो।

[1]दि० 1 जून 1969 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध म

नियम 250ख

नियम 2‘0 250 क म किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी सेवा नियमो के इस भाग म जब भी परिलब्धि शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका तात्पर्य नियम 7 24) म यथा परिभाषित वेतन' से है जिसे अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहा था।

टिप्पणी 1 - यदि कोई अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति या मृत्यु से ठीक पूर्व भत्तो सहित अवकाश पर सेवा से अनुपस्थित रहता है तो उपदान एवं या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी परिलब्धियां वही समझी जानी चाहिए जिसे वह ड्यूटी पर अनुपस्थित न रहने पर प्राप्त करता।

परन्तु यह कि उपदान की राशि वेतन म जो यथार्थ रूप म आहरित नही किया गया है वृद्धि के कारण नही बढाई गई है तथा उच्चतर स्थानापन या अस्थाई वेतन का लाभ केवल उसी समय दिया गया है जब कि यह प्रमाणित कर दिया गया है कि अवकाश पर रवाना होने के अतिरिक्त वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थाई पद को धारण करता रहता।

टिप्पणी 2 सावधिक नियुक्तियो म आहरित वेतन गिना जाएगा बशर्ते कि सावधिक नियुक्तियो म सेवा विशेष अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति के लिए अहकारी न हो।

टिप्पणी 3—बाहरी सेवा म रहते हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित परिलब्धियां पेंशन एव उपदान के लिए गिनी जाएगी। ऐसे मामले म वही वेतन जिसे सरकारी कर्मचारी बाहरी सेवा म भेजे न जाने पर प्राप्त करता रहता इसमे गिना जायगा।

[2]आदेश—1—नियम 250 ख के प्रावधान नवीन वेतनमाला के प्रभाव म आने की तारीख दि० 1 9-68 से प्रभाव म आयेंगे।

2—इन आदेशो के जारी किए जाने से पूर्व निर्णय की गई मांग पर पुनर्विचार किया जाय तथा उन्हें इन आदेशो के अनुसार निर्णीत किया जाय।

[3](1) (क) नियम 250 250 क 250 ख म कुछ भी प्रावधान होते हुए भी जो राज्य कर्मचारी

नियम 250ग

दिनांक 1 4 70 को या बाद म निवृत्त हो रहे हैं उनके मामले म पेंशन, उपदान व मृत्यु सह निवृत्ति उपदान के सम्बन्ध म प्रयुक्त शब्द परिलाभ (emoluments) का अर्थ होगा नियम 7 (24) म परिभाषित वेतन और उस वेतन के अनुसार उचित महगाई वेतन यदि कोई हो, जो वह अधिकारी अपनी निवृत्ति के तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था, बशर्ते कि

(i) चिकित्सा अधिकारियो द्वारा आहरित नान प्रैक्टिस भत्ता [4][और ग्रामीण भत्ता] वेतन का एक भाग नही माना जायगा जब तक कि वह निवृत्ति के दिनांक के तुरन्त पहले कम से कम तीन वर्ष तक लगातार आहरित न किया गया हो।

(ii) विशेष वेतन, यदि कोई हो जो किसी पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिए अपने पद के कार्य से अतिरिक्त कार्य करने पर स्वीकृत की जाती है, इस नियम के प्रयोजनार्थ नहीं गिनी जावेगी।

[5](iii) जो राज्य कर्मचारी एक्स-केडर पद पर कार्यरत रहते अपने सवर्ग के वेतन के साथ साथ एक्स-केडर पद पर आहरित विशेष वेतन प्राप्त करते है वो इस नियम के अधीन वेतन का भाग गिना

---

1 वि वि की आज्ञा स एफ 1 (40) वि वि (नियम) 67 दि० 12-8-69 द्वारा निविष्ट तथा दि० 1-6-69 से प्रभावी।

2 वि वि की आज्ञा स० एफ 1 (40) वि वि (व्यय नियम) 67 दि० 10 8 70 द्वारा निविष्ट।

3 वि वि विज्ञप्ति स० F 1 (29) FD (Rules)/70 दि 18-3 71 द्वारा निविष्ट एव 1 4 70 से प्रभावशील।

4 स एफ 1(29) वि वि (नियम)70 दि 13 8 74 द्वारा निविष्ट एव 1 10 73 से प्रभावशील।

5 स एफ 1(29) वि वि (नियम)/70 दि० 21 11 1975 द्वारा निविष्ट दि० 1 4 70 से प्रभावशील

जावेगा (यह 1 4 1970 से प्रभावशील है)

[1]परन्तु यह है कि अवकाश पर जाने से रिक्त स्थान पर एक्स केडर पद पर अथवा स्वय के पद के साथ साथ अस्थाई पद का कार्यभार नही लिया था।

(ख) (1) यदि एक राज्य कर्मचारी अपनी निवृत्ति या मृत्यु के तुरन्त पहले अवकाश के कारण कार्य पर से अनुपस्थित रहता है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसका परिलाभ वह होगा जो कि वह अनुपस्थित न होने की दशा मे प्राप्त करता।

(ii) यदि कोई राज्य कर्मचारी अपनी निवृत्ति या अन्यथा और विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी न हुई हो व अन्तिम आज्ञा न दी गई हो, और उसके तुरन्त पहले निलम्बित हो, तो उसका वह परिलाभ जो निलम्बन के तुरन्त पहले था उसे इन नियमो के नियम 170 क के अधीन प्रावधिक पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ गिना जावेगा।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी द्वारा बाहरी सेवा म आहरित परिलाभों को पेंशन और उपदान के लिए नहीं गिना जावेगा। ऐसे मामले वह राज्य कर्मचारी सरकार के अधीन जो वेतन प्राप्त करता यदि वह प्रतिनियुक्ति पर या वाहरी सेवा म नही जाता, केवल वही गिना जावेगा।

(2) ऐसे मामले म जब एक राज्य कर्मचारी किसी अन्य उच्च नियुक्ति पर स्थानापन्न कार्य कर रहा हो या अस्थाई नियुक्ति धारण करता हो और अपने मूल पद पर पदाधिकार रखता हो, तो निवृत्ति के तुरन्त पहले आहरित उच्च स्थानापन्न वेतन का लाभ यदि कोई हो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन परिलाभो के प्रयोजनार्थ निम्न शर्तों की पूर्ति के बाद गिन जावेंगे—

(1) उच्च नियुक्ति स्थानापन्न रूप म किसी सवर्ग या सेवा के पद पर की गई थी, जिससे वह सम्बद्ध था और ऐसी नियुक्ति सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियुक्ति पदोन्नति आदि के विनियमन हेतु बनाये गये नियमो के अनुसार की गई थी या जहा ऐसे सेवा नियम नही बनाये गये हो तो सरकार द्वारा इस हेतु जारी किये गये आदेशो मय एतदर्थ नियुक्ति जो उक्त नियमो या आज्ञाओं द्वारा स्वीकार्य हो, के द्वारा पदोन्नति की नियमित पक्ति म उच्च पद पर नियुक्ति की गई हो।

(ii) उच्च स्थानापन्न वेतन का लाभ उस कर्मचारी को तभी दिया जावेगा जो निवृत्ति के तुरन्त पहले अवकाश पर था या निलम्बित था यदि यह प्रमाणित किया जावे कि वह उस उच्चतर स्थानापन्न या अस्थाई नियुक्ति को धारण करता रहता, किन्तु उसके अवकाश पर जाने या निलम्बित रहने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

(iii) उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्ति किसी अवकाश से हुए रिक्त स्थान पर नहीं की गई थी या अपने स्वय के पद के कार्यों के साथ उच्चपद का कार्यभार अस्थाई रूप से धारण नहीं किया गया था।

[2](3) इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (क) (ख) तथा उपनियम (2) के प्रावधानो की सीमा में रहते हुए दि 31 10 1974 को या इसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के प्रकरण मे शब्द परिलाभ' (emoluments) जो पेंशन, सेवा उपदान तथा मृत्यु सह सेवा निवृत्ति/उपदान के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की गई है से तात्पर्य नियम 7 (24) म परिभाषित वेतन से होगा तथा इसमे महगाई भत्ता महगाई वेतन (जहा ग्राह्य हो) एव दि 31 12 1972 को ग्राह्य अन्तरिम सहायता (एडहाक रिलीफ) भी सम्मिलित की है।

[3](4) इस नियम के उप नियम (1) के खड (क) (ख) के परन्तुक तथा उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए उन सरकारी कर्मचारियो की दशा म जो 1 9 76 के पश्चात सेवा निवृत्त होते हैं शब्द परिलब्धिया जो कि पेंशन सेवा ग्रेच्युटी और मृत्यु एव सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हुआ है से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जसा कि नियम 7(24) म परिभाषित है और जो कि अधिकारी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था।

[4]सरकारी निर्देश

250–ग (2) के अनुसार उसम वर्णित शर्तों को पूरा करने की सीमा के अधीन इस नियम के

---

1 स एफ 1 (29) वि वि (नियम)/76 दि 28 6 76 द्वारा निविष्ट (1 4 1970 से प्रभावशील)

2 स एफ 1 (53) वि वि (ग्रु 2) नियम 74 दि 2 12 74 द्वारा निविष्ट

3 सख्या एफ 1 (53) वित्त (ग्रुप 2)/74 दि 1 12 76 द्वारा निविष्ट।

स एफ 1 (29) वि वि (नियम)/70 दि 10 1-1973 द्वारा निविष्ट

उपनियम (1) के अधीन वेतनादि के प्रयोजन के लिये कार्यवाहक वेतन, जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके सेवा निवृत्त होने के तुरन्त पहले आहरित किया जाता था, को लेखे में लिया जावेगा।

महालेखाकार यह सरकार के ध्यान में लाये है कि—प्रकरण को पेंशन के कागजात भेजते समय पेंशन स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी नियम 250-ग (1) में वांछित प्रमाण पत्र नहीं देते हैं जिसकी अनुपस्थिति में पेंशन के दावे विलम्बित हो जाते हैं।

क्योंकि सरकार इस बारे में इच्छुक है कि—पेंशन के दावे बिना अधिक समय बरबाद किये अन्तिम किये जावें अतः समस्त पेंशन स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों को आग्रह किया जाता है कि—कथित नियम के अधीन वांछित प्रमाण पत्र निश्चय पूर्वक पेंशन के कागजात के साथ संलग्न किये गये हैं, इसका व ध्यान रखें।

औसत कुल राशि (Average Emoluments)—(1) 'औसत कुल राशि का तात्पर्य उस औसत से है जो सेवा के अन्तिम तीन वर्षों पर गिना जाता है।

नियम 251

(2) यदि अपनी सेवा के गत तीन वर्षों में एक राज्य कर्मचारी सेवा से भत्ता सहित अवकाश पर अनुपस्थित रहता है या निलम्बित किये जाने पर बाद में बिना सेवा समाप्त किए पुनर्नियुक्त हो जाता है तो औसत निश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसकी कुल राशि वह समझनी चाहिये जो कि उसके अवकाश से अनुपस्थित न रहने पर या निलम्बित न किये जाने पर होती बशर्ते कि हमेशा (क) उसकी पेंशन वेतन की वृद्धि के फलस्वरूप जो वास्तव में प्राप्त न की गई हो नहीं बढ़ानी चाहिये एवं (ख) यह है कि एक राज्य कर्मचारी अवकाश काल में अपने उन अल्पकालीन भत्ता को कुल राशि के रूप में शामिल नहीं करेगा जिन्हें कि वह नियम 250 के अधीन कर्तव्य पर रहकर इस प्रकार से शामिल करने के लिए अधिकृत होता, यदि एक अन्य अधिकारी इस अवकाश की अवधि में उसी पद पर अल्प काल के लिए नियुक्त किया जाता है।

[1](3) यदि अपने सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में, कोई अधिकारी बिना भत्ते अवकाश पर कार्य से अनुपस्थित रहा है या निलम्बित रहा है जिसकी की अवधि सेवा के रूप में नहीं गिनी जानी है तो उपरोक्त अवकाश या निलम्बन की अवधि को औसत परिलब्धि के गिने जाने में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए तथा उसके बराबर की अवधि तीन वर्ष से पूर्व की सेवा में से इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए।

(4) खण्ड (2) एवं (3) में दिये हुए के अतिरिक्त वास्तविक रूप में प्राप्त की गई कुल राशि गणना में सम्मिलित की जा सकती है। उदाहरण के लिए जब एक अधिकारी को किसी वेतन वृद्धि के समय से गिने जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा वह उस बीच के समय की सामयिक वृद्धियां प्राप्त नहीं करता हो तो इन बीच के समय की वृद्धियों को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

[2]स्पष्टीकरण—राजस्थान असैनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1961 के परिणामस्वरूप एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो निवृत्ति पूर्व अवकाश में हो तथा जिन्होंने रिवाइज्ड वेतन श्रृंखला के लिए अपना विकल्प दिया हो या जो उसके अन्तर्गत ले लिए गये हों, कोई वेतन की वृद्धि यदि कोई हो प्राप्त होगी जो कि ऐसे अवकाश में इकट्ठी होनी है जो कि नियम 251 (2) के अन्तर्गत पेंशन/ग्रेच्युटी आदि के प्रयोजन के लिए ली जाती है। यदि अपनी गत तीन साल की सेवा की अवधि में एक अधिकारी भत्ता सहित अवकाश पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो कुल राशि औसत कुल राशि के निश्चित करने के प्रयोजन के लिए वही गिनी जानी चाहिए जो उसे मिलती यदि वह सेवा से अनुपस्थित नहीं रहता। फिर भी उस नियम के प्रावधान (क) में दिया हुआ है कि ऐसी वेतन वृद्धि को जो वास्तव में प्राप्त न की गई हो उसमें प्रावधान से वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इसलिये स्पष्ट है कि निवृत्ति पूर्व अवकाश में उपरोक्त परिस्थितियों में जो वेतन वृद्धि हो वह पेंशन के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं की जानी चाहिये। फिर भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 251 के नीचे दी गई टिप्पणी सं० 8 नियम 251 के अन्तर्गत औसत कुल राशि की गणना के लिए वास्तव में प्राप्त न की गई वेतन की वृद्धि को शामिल करने की स्वीकृति देती है यदि वह वृद्धि उपार्जित अवकाश के प्रथम चार माह में होती हो। इसी प्रकार की स्थिति नियम 250 की टिप्पणी संख्या 6 के द्वारा ग्रेच्युटी/मृत्यु सहित सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की कुल राशि के निकालने में भी है। इसके अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन की/रिवाइज्ड श्रृंखला में वेतन में रियायत देने के

---

1 वि वि की अधिसूचना सं० एफ 1(57) वि वि (व्यय नियम) 69 दि 19 9 69 द्वारा निविष्ट।
2 ज्ञापन सं एफ 1(45) वि वि (इ आर) 63 दि 19-12-1963 द्वारा निविष्ट।

फलस्वरूप वेतन की वृद्धि पेंशन के प्रयोजन के लिय नियम 251 के अन्तर्गत 'औसत कुल राशि' गिनने मे स्वीकृत की जा सकती है या ग्रेच्युटी/मृत्यु सहित सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए कुल राशि गिनने म स्वीकृत की जा सकती है बशर्ते कि वे व्यक्ति रिवाइज्ड स्केल आफ पे' म आने के लि निवत्ति पूव अवकाश पर हो एव जहा यह वेतन वृद्धि वास्तविक रूप म उसके उपार्जित अवकाश की तारीख से प्रथम चार माह मे होती हो ।

टिप्पणी स० 1 – (1) यह नियम एक मुद्रणालय के कमचारी पर भी लागू होता है जिसे वेतन की निश्चित दर पर भुगतान किया जाता है यदि उसका वेतन फुटकर काय के अनुदान से दिया जाता हो ।

(ii) मुद्रणालय के फुटकर काम करन वाले राज्य कमचारी जो ओवर टाइम काय कर कमाई प्राप्त करत है उसकी राशि इस नियम के अन्तगत औसत कुल राशि' गिनने म शामिल करली जावेगी । लेकिन मुद्रणालय म जो राज्य कमचारी निश्चित दर पर वेतन प्राप्त करते हैं यदि वे ओवर टाइम काय कर ऐसी कमाइ करत हैं तो उनकी राशि 'औसत कुल राशि' गिनन म शामिल नही की जावेगी ।

(iii) यदि एक मुद्रणालय के राज्य कमचारी ने अपन गत 72 माह के सवाकाल म कुछ समय तक निश्चित वेतन पर काम किया हो एव बाकी अन्य समय म फुटकर काय करने वाले कमचारी के रूप म काय किया हो तो ओवर टाइम काय करके जो राशि प्राप्त की जाए वह केवल उतने समय की ही पेन्शन के गिनने म शामिल की जानी चाहिये जिसका कि वह भुगतान फुटकर काय की दर पर प्राप्त करता है ।

टिप्पणी स० 2—जब एक राज्य कमचारी की अपने गत तीन वप की सेवा मे अवकाश पर रहन से औसत कुल राशि म कमी की गई हो तो उसे कमी की गइ दर के अनुसार पेंशन के लिए गिनना चाहिये ।

टिप्पणी स० 3—यदि एक राज्य कमचारी उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश काल मे अग्रिम सवा करन के लिये अयोग्य होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी सेवा समाप्त करन के बाद की अवकाश की अवधि को जब वह चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी चलती रहे औसत कुल राशि क प्रयोजन म गिनना चाहिय ।

टिप्पणी स० 4 – अपनी सेवा के तीन वष की अवधि म जिस तारीख को अ शदान किया जाव उसे 'औसत कुल राशि निकालन म शामिल किया जाना चाहिये । जिस वृद्धि के लिए कोइ अ शदान नही किया गया हो उसे शामिल नही किया जाना चाहिये ।

टिप्पणी स० 5—इस नियम म प्रयुक्त सेवा शब्द का अथ योग्य सेवा से है ।

टिप्पणी स० 6 – यदि एक राज्य कमचारी अपन अवकाश काल मे पदावनत कर दिया जाता है तथा अपन पुराने पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो औसत कुल राशि के लिए उसका वेतन यह होगा जिसे वह प्राप्त करता रहता यदि वह उस तारीख से अवकाश पर नही जाता जिससे कि उसके नए पद पर स्थायी प्रबन्ध किए गये थ ।

टिप्पणी स० 7— औसत कुल राशि की गणना म कारागार म बिताए गए समय को निलम्बन के रूप म समझा जावेगा (चाहे वह परिस्थितियो के अनुसार योग्य या अयोग्य सेवा म हो ।)

टिप्पणी स० 8 – इस नियम के उप अवतरण (2) का तात्पय यह है कि पेंशन म वृद्धि एक एसे वेतन की वृद्धि के कारण नही की जाएगी जो कि एक अधिकारी के अवकाश पर चले जान पर हुई हो लेकिन उसके द्वारा वह उस समय तक प्राप्त नहीं की गई हो जब तक कि वह सेवा पर नहीं लौट आता हो । इस नियम क उप अवतरण (2) म प्रावधान (क) का तात्पय है कि अवकाश म बढे हुए वेतन का जो कि प्राप्त न किया जाय कोई लाभ नही दिया जाना चाहिए ।

[1]अपवाद एसे सरकारी कमचारी के मामले म जो अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों म अवकाश लेता है तथा जो उपार्जित अवकाश चार माह से अधिक का न हो या उपार्जित अवकाश के प्रथम चार माह के अधीन रहते हुए वेतन की उच्चतर दर वाले किसी पद पर स्थाई रूप से पदोन्नत हो जाता है या अन्तिम स्थाई रूप से पदोन्नत होता है या एसी वेतन वृद्धि अर्जित करता हो जो रोकी नही गई हो तो वह अपने अवकाश की अवधि के सम्बन्ध मे उस वेतन को जिसे वह सेवा पर रहकर प्राप्त करता राजस्थान सेवा नियमो के नियम 251 के प्रयोजनार्थ 'परिलब्धि' के रूप म गिनने का अधिकृत

1 आज्ञा स एफ 7A (19) वि वि क (नियम) 60 दि 28 11 1961 द्वारा निविष्ट ।

है चाहे पदोन्नति या वेतन वृद्धि के कारण वेतन म वृद्धि वास्तव मे अवकाश काल मे प्राप्त नही की गई हो।

[1]सरकारी निणय—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 250 के नीचे जाच निर्देशन सख्या 6 के अन्तगत निवत्ति पूव अवकाश या अस्वीकृत अवकाश काल म यदि एक राज्य कमचारी की वार्षिक वद्धि हानी हो, तथा उसे रोका नहीं जाता हो, तो उसे मृत्यु सहित सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी क गिनन म शामिल किया जावगा चाहे वह वेतन की वद्धि उसके द्वारा अपन अवकाश काल म प्राप्त न भी गई हो। इसी प्रकार से एक राज्य कमचारी के मामले म जिसने अपनी पुनर्नियुक्ति के साथ साथ अस्वीकृत अवकाश का भी उपभोग किया है, लेकिन एक प्रशासनिक आदेश क द्वारा उसका अवकाश वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 65 (2) के अन्तगत पूव अनुमानित पेंशन के बराबर की राशि तक सीमित कर दिया गया हो, एव यदि उसके अस्वीकृत अवकाश काल या निवत्ति पूव अवकाश म वतन वद्धि होनी हो तो वह पेंशन एव मत्यु सहित सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी क लिए भी वतन वृद्धि के रूप म गिना जावेगा।

(9) योगकाल की अवधि जो कि राज्य कमचारी की गत तीन साल की सेवाओ म पडती हो वह 'औसत कुल राशि' के प्रयोजन के लिए तीन वष के भाग के रूप म ही मानी जावगी।

यदि योगकाल नियम 138 के खण्ड (क) क अन्तगत आता हो तथा जहा एक विशिष्ट पद का वेतन प्राप्त किया जाता हो तो वास्तविक कुल राशि' (न कि वास्तविक योगकाल भत्ता) जो प्राप्त की जाय उसे औसत कुल राशि के प्रयोजन के लिए हिसाब म शामिल कर लेना चाहिए। ऐसे मामला म यदि योगकाल नियम 138 के खण्ड (ख) के अन्तगत आता हो तथा अवकाश वतन प्राप्त किया गया हो या कोई वेतन या अवकाश वेतन प्राप्त नहीं किया गया हो तो उस वेतन को (कुल राशि) जिसे वह प्राप्त करता (लेकिन जो नियम या आदश के अनुसार जिसम वह स्वीकार न किया गया हो) यदि राज्य कमचारी योगकाल पर न होता, 'औसत कुल राशि' मे गिन जाने के लिए शामिल करना चाहिए।

(10) सामयिक कमचारी वग के सम्बन्ध मे पेंशन के लिये औसत कुल राशि गिने जाने के प्रयोजन क लिये गत तीन सालो की कुल सेवा पेंशन योग्य सेवा म गिनी जानी चाहिए। इसम वह समय भी शामिल है जिसके लिए कोई राशि प्राप्त न की गई हो। केवल वे ही समय शामिल नहीं किए जाने चाहिये जिनका कि उसने वेतन आदि प्राप्त किया है। इस नियम के उप अवतरण (4) के अन्तगत जो कुल राशि गिनी जानी चाहिए वह उस अवधि म वास्तविक रूप मे प्राप्त की गई धन-राशि होनी चाहिए।

[2]सरकारी निणय स० (1)—विस्थापित सरकारी कमचारियो को उनके द्वारा सिन्ध या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रात (N W F P) या बहावलपुर राज्य (पश्चिमी पाकिस्तान) जो अब पूव पाकिस्तान म है, म की गई पूव की अहकारी सेवाओ पर विचार करने क बाद उन्हे अंतिम पेंशन (प्राविजनल पेंशन) देन क सम्बन्ध म अंतिम आदेश जारी किये जाने क समय तक यह आदेश दिया जाता है कि विस्थापित सरकारी कमचारी जो 55 वष की आयु प्राप्त करन स पूव पुनगठन स पूव के राजस्थान राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन पदो या सेवाओ पर दि 1 11 56 से पूव नियुक्त किये गये थ तथा जो ऐसी नियुक्ति क बाद कम स कम 10 वष की अहकारी सेवा पूरा करने के बाद राजस्थान सेवा नियमो के अधीन सेवा निवृत्त हो गय थ उन्हें अंतिम आधार पर दि 1-3 65 स 30 रु० प्रतिमाह (अस्थायी वद्धि) को शामिल करते हुए, न्यूनतम पेंशन दी जाए।

[3]सरकारी निणय स० (2)—विस्थापित सरकारी कमचारियो को जो सिंध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त एव बहावलपुर राज्य से आये थे तथा जो दि 1-11-56 से पूव पुनगठन स पूव स राजस्थान राज्य म सरकारी पदो पर नियुक्त हो गये थे, उनके द्वारा इस समय पूर्वी पाकिस्तान क प्रदेशो म की गई सेवा को ध्यान म रखने के बाद अंतिम (प्राविजनल) पेंशन के देने सम्बन्धी प्रश्न कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन रहा है तथा ऐसे विस्थापित सरकारी कमचारियो को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गये हैं—

---

1 स 240/58/एफ 7 A(13) वि वि व (नियम) 58दि 4 6 58 द्वारा निविष्ट तथा 1 1 1958 से प्रभावशील।
2 वि वि के आदेश स एफ 1(40)वि वि (व्यय नियम) 64 दि 10 5 65 द्वारा शामिल किया गया।
3 " " " दि 22 6 65 द्वारा शामिल किया गया।

राजस्थान सरकार के अधीन अस्थायी या स्थायी रूप म की गई सेवा के साथ पाकिस्तान म की गई अहकारी सेवा के आधार पर सगणित पेंशन उन विस्थापित कमचारियो को दी जायगी जिन्होने पुनगठन से पूव के राजस्थान राज्य म सेवा ग्रहण की थी तथा जो—

(क) सिन्ध या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त या खरपुर राज्य (पश्चिमी पाकिस्तान) की सरकार के अधीन पेंशन योग्य सेवा म थे ।

(ख) *सिन्ध एव खरपुर राज्य म 14 अगस्त 1942 के बाद तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त* मे 1 माच 1947 क बाद उत्पन्न विशेष परिस्थितियो के कारण भारत म स्थाई रूप स आ गये थे ।

(ग) 55 वष की आयु प्राप्त करने से पूव राजस्थान सरकार क अधीन 1–11–56 स पूव नियुक्त हो गये थ ।

(घ) राजस्थान सेवा नियमो के अधीन पेंशन पर निवृत्त होते हैं ।

इस समय पाकिस्तान म स्थित क्षेत्रो मे की गई सेवा यदि उपलब्ध हो सके तो सेवा अभिलेख या वार्षिक स्थापना विवरण या छपा हुई सेवा विवरण से सत्यापित की जाती है । ऐसा न होने पर सम्बंधित सरकारी कमचारी को समान साक्ष्य जसे दो उत्तरदायी सरकारी कमचारियो क प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चाहिये जो पाकिस्तान म उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उनके विशेष विवरणो की जाच कर सकते थे । सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खरपुर राज्य म की गई सत्यापित सेवा के सम्बन्ध म राजस्थान सेवा नियमो के नियम 289 म दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । ऐसे *मामलो म जहा सेवा अभिलेख पूर्ण नही हैं तथा कोई स्वीकार की जाने योग्य समय साक्ष्य उपलब्ध नहा* है वहा पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा चाहे पेंशन सम्बन्धी आकडे कुछ भी निकलते हो उसको ध्यान म रखते हुए स्वय क निणय पर आनुपातिक पेंशन स्वीकृत की जा सकती है ।

राजस्थान सेवा नियमो क नियम 250 250 क एव 251 म वर्णित सामान्य सिद्धात विस्थापित कमचारियो के पेंशन के लिए परिलब्धिया गिनने क प्रयोजनाथ लागू होग । फिर भी यदि विस्थापित सरकारी कमचारी स्थानान्तरण के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर स्थायी नही हुआ है या इस प्रकार से स्थाई होने के बाद स्थायीकरण किए जाने से तीन वष की उस पर उसने सेवा पूरी नही की है तो उसकी पशन सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खरपुर राज्य की सरकारो के अधीन उसक द्वारा धारित स्थायी पद पर स्थाई परिलब्धिया पर पूरी तीन वष की अवधि के लिए या जसी भी स्थिति हो तीन वष की शेष अवधि के लिए सगणित की जायेगी । सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खरपुर राज्य के अधीन स्थाई पदो की परिलब्धियो को गिनने म उक्त किसी भी वेतन वद्धि को गिना जाएगा जो उस वेतनमान म उद्भूत होती यदि कमचारी उस पद पर काय करता रहता लकिन इसम किसी प्रकार की काल्पनिक पदोन्नति की वेतन वद्धि को शामिल नही किया जाएगा । जहा एक विस्थापित सरकारी कमचारी जो राज्य सरकार के अधीन स्थाई किया गया है एव जो भारत की अपेक्षा पाकिस्तान म अधिक परिलब्धिया प्राप्त कर रहा था वहा औसतन परिलब्धियाँ पाकिस्तान म स्थाई परिलब्धियो को ध्यान मे रखते हुए सगणित की जानी चाहिये । जहा औसतन परिलब्धिया पाकिस्तान म आहरित स्थाई वेतन के आधार पर सगणित की जानी हैं—

वहा वित्त विभाग के आदेश स 4641/58 एफ 7 ए (14) वित्त वि (ए) नियम 158 दि 2–3–59 म यथा प्रावहित किये गये पेंशन के प्रयोजनाथ महगाई वतन को गिनने का लाभ केवल *उन्ही मामलो म दिया जाना चाहिये जहा औसत परिलब्धिया राजस्थान म आहरित वेतन पर आधारित हो ।* एसे मामलो मे जहा आशिक रूप म पाकिस्तान म उठाये गये वतन को तथा आशिक रूप म राजस्थान म उठाये गये वेतन को ध्यान म रखा जाता है वहा बाद वाले वेतन पर महगाई वेतन का लाभ या अस्थाई वद्धि जो भी अधिक लाभप्रद हो दिया जाना चाहिये ।

सिन्ध/उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त/खरपुर राज्य म लिए गए सभी प्रकार के अवकाश राजस्थान सेवा नियमो के नियम 203 204 व 204 क के अधीन स्वीकाय सीमा तक पेंशन के लिए अहकारी होग जिस हेतु कमचारी क लिए सलग्नक ख म सलग्न निर्धारित प्रपत्र मे एक हलफनामा देना होगा जिसम यह सभी प्रकार के लिये गये अवकाशो का विवरण होगा जो ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के दण्डनायक द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित होगा एव उस पर पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

सेवा म व्यवधान यदि कोई हो जो स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न बाधाओ से तथा सरकारी कमचारी के राजस्थान सरकार के अधीन उपयुक्त नियोजन प्राप्त करने म असमर्थता के कारण हुआ हो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा 2 वष की अवधि के लिए क्षमा किया जा सकता है । सेवा व्यवधान

की अवधि को अर्हकारी सेवा की कुल अवधि को निश्चित करने में नहीं गिना जायेगा। जिन मामलों में सेवा व्यवधान 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हो वहां प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार एवं पाकिस्तान सरकार के बीच समाधानवत समझौता होने पर, व्यक्ति जो इन आदेशों के अधीन उनकी पेंशनों या बकाया को प्राप्त कर रहे हैं व बाद में स्थानान्तरण से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में पाकिस्तान की सरकार से पेंशन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के हकदार भी सकते हैं। इन आदेशों के अधीन किया गया भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा इस शर्त के अधीन होगा कि वे उस पेंशन सम्बन्धी लाभों के लिये आवेदन करें जो भारत सरकार व पाकिस्तान सरकार के बीच किसी समझौते के अधीन उन्हें देय हो तथा वह राशि जो इस प्रकार प्राप्त हो राजस्थान सरकार के पास जमा कराई जाए। एतदनुसार प्रत्येक विस्थापित सरकारी कर्मचारी जिसे इन आदेशों के अधीन पेंशन स्वीकृत की जानी है वह सलग्नक I के रूप में सलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करेगा। उन पेंशनरों के सम्बन्ध में जो मर चुके हैं, यदि उन्हें इन आदेशों के अधीन पेंशन स्वीकार्य हो तो वह उनके कानूनी उत्तराधिकारी या उनके निष्पादकों को सलग्नक II में करार पत्र निष्पादित कर दिया जाएगा। करार पत्र उपयुक्त मूल्य के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेंशन सम्बन्धी लाभों का दो तरफा फायदा अर्थात इन आदेशों या भारत सरकार की किसी योजना के अधीन एवं पाकिस्तान से भुगतान प्राप्त करने से बचने के लिए पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी इस आदेश के अधीन पेंशन के लिये किसी भी आवेदक को स्वीकार करने से पूर्व पुनर्वास मन्त्रालय के सेंट्रल क्लेम्स आर्गेनाइजेशन से एक यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि प्रार्थी या तो पाकिस्तान सरकार से या सेन्ट्रल क्लेम्स आर्गेनाइजेशन से सेवा पेंशन के रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं कर रहा है या उसने कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया है।

ये आदेश उन विस्थापित कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने से पूर्व पहिले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं। सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन क्लेमों का इन आदेशों के अनुसार पुन निर्धारण किया जाएगा तथा उनके पेंशन क्लेम सेवा निवृत्ति के समय प्रवृत्त पेंशन नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी उपयुक्त पैरा 8 में वर्णित पुनर्वास मन्त्रालय, भारत सरकार के सेन्ट्रल क्लेम्स आर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र व जिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत की गई है उनके द्वारा या उपयुक्त पैरा 7 में वर्णित पेंशनर की मृत्यु होने पर उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादित करार पत्र के साथ पेंशन सम्बन्धी कागजातों को अंकेक्षा अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

पेंशन आदि स्वीकृत करने के आदेश की प्रतियां उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में सेन्ट्रल क्लेम्स आर्गेनाइजेशन को अग्रेषित की जाएगी।

[1]निर्णय सं 3 – राज्य सरकार के एक मामला ध्यान में आया है जिसमें कि राज्य कर्मचारी, उच्चतर दर से निर्णय (Delated Justice) किये जाने के पूर्व ही सेवा निवृत्त (रिटायर) हो गया था। यदि मूल रूप में उसका निर्णय पहिले ही कर दिया जाता तो उसे पेंशन लाभ अधिक दर से प्राप्त होता। इससे सेवा निवृत्त अधिकारी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वित्त विभाग की ज्ञापन संख्या एफ 1 (38) एफ डी ए (नियम) 61 दिनांक 26–10–61 के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी के मामले में जो सेवा में है, यदि उसके सम्बन्ध में निर्णय बहुत देर से (Delated Justice) किया गया हो तो उसका वेतन उच्च पद पर ऐसी स्टेज पर निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर कि यदि निर्णय समय पर किया जाता तो वह पहुंच जाता। फिर भी उस व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो कि (Delated Justice) होने के पूर्व ही सेवा निवृत्त हो गये हैं उनका उच्च पद पर वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें उनके अनुरूप वर्धित पेंशन लाभ स्वीकृत किये जा सकते हैं।

इस मामले पर विचार किया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए नियम 25 के अधीन औसत

---

1 वि वि की ज्ञापन संख्या एफ 1 (73) एफ डी (व्यय नियम) 65 दिनांक 31–12–65 द्वारा जारी किया गया।

कुल राशि एव नियम 250 के अधीन कुल राशि उस काल्पनिक वेतन (Hypothetical Pay) के आधार पर लगाई जानी चाहिये जिस वह मूल रूप म निणय होन पर प्राप्त करता।

इस सम्बन्ध का सशोधन राजस्थान सेवा नियमो म उचित समय म जारी कर दिया जाएगा।

[1]निणय स० 4—यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग क ज्ञात दिनाक 22-6-65 (उपयुक्त निणय सख्या 2 के रूप म प्रयुक्त) को जिसम विस्थापित सरकारी कमचारियो को पेंशन सम्बन्धी लाभ स्वीकृत किया गया है, को भावलपुर राज्य क उन सरकारी कमचारियो पर भी लागू किया जाए जो कि विभाजन के फलस्वरूप भारत म मिल गए थे तथा जो दि 1-11-56 से पूव पुनगठन स पव क राजस्थान राज्य म सरकारी पदो पर नियुक्त किए गए थे।

[2]निणय स 5—यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग का ज्ञाप दि 22-6-65 (समय समय पर यथा सशाधितानुसार) जो उपयुक्त निणय सख्या 2 के रूप म प्रयुक्त किया गया है जिसम विस्थापित सरकारी कमचारियो को पेंशन सम्बन्धी लाभ स्वीकृत किए गए हैं, उसे सिन्ध में स्थानीय निकायो के प्राइमरी स्कूलो क उन विस्थापित अध्यापको पर भी लागू किया जाए जो दि 1-7-23 से पूव स्थायी एव पेंशन योग्य पदो को धारण कर रहे थे तथा जिन्होने—

(i) सिन्ध सरकार से दि 1-4-26 से प्राइमरी शिक्षा क नियन्त्रण के स्थानीय निकायो को हस्तान्तरित करने के कारण पेंशन सम्बन्धी पद्धति के अधीन रहने का विकल्प दिया था।

(ii) सन् 1926 तक या बाद की निधि तक की गई सेवाओ के लिए आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया था तथा उसके बाद अ शदायी भविष्य निधि म योगदान किया था तथा जो लोग विभाजन के फलस्वरूप भारत मे विलीन हो गए थे तथा सरकारी पदो पर—

(क) भूतपव अजमेर राज्य म नियुक्त किए गए थे तथा जिन्होने राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम, 1957 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमो म अन्तविष्ट पेंशन नियमो के लिए विकल्प दिया था।

(ख) पुनगठन से पूव राजस्थान राज्य म दिनाक 1-11-56 से पूव नियुक्त किए गए थे।

[3]निणय सख्या 6—यह आदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश दि 22-6-65 (समय समय पर यथा सशोधित उपयुक्त निणय सख्या 2) को जिसम उन विस्थापित सरकारी कमचारियो को पेंशन सम्बन्धी लाभ स्वीकृत किया गया है जिन्होने भूतपूव अजमेर राज्य म सेवा ज्वाइन की थी ऐसे कमचारियो पर लागू किया जाएगा जिन्होने राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम 1957 के अनुसार राजस्थान सेवा नियमो में अन्तर्विष्ट पेंशन नियमो के लिए विकल्प दिया था।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

यदि तीन वष की अवधि मे एक राज्य कमचारी बिना वेतन के अवकाश पर हो या निलम्बित हो तो वह अवधि सेवाकाल म नहीं गिनी जावेगी और उस अवकाश या निलम्बन की अवधि को गणना म छोड कर फिर पीछे क तीन वष की अवधि 'औसत परिलाभो' (Average emoluments) की गणना के लिए माननी चाहिये। यह नियम 251 (3) के प्रावधानो के अनुसार है।

उदाहरण—सेवा के अन्तिम तीन वर्षों म एक राज्य कमचारी दो माह के लिये बिना वेतन व भत्ते के अवकाश पर रहा। उसके औसत परिलाभो की गणना किस प्रकार होगी?

उत्तर—यह दो माह का अवकाश योग्य सेवा म नहीं गिना जावेगा अत पिछले 36 माह की बजाय 38 माह क परिलाभो को जोडकर उसम 36 का भाग देने से औसत परिलाभ प्राप्त होगे।

यदि उपार्जित अवकाश के पहले चार महिनो म कोई वेतन वद्धि देय होती है तो उस औसत परिलाभो की गणना म शामिल किया जावेगा चाहे वास्तव म वह वेतन वद्धि प्राप्त नहीं की गई हो। यह लाभ उस दशा म नहीं मिलेगा जब कि यह वेतन वद्धि चार माह के बाद उपार्जित अवकाश म आती हो या अवकाश अन्य किसी प्रकार का हो।

---

1 वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (40) वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 दि 6-1-66 द्वारा निविष्ट।

2 वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (40) वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 दि 10-5-66 द्वारा निविष्ट।

3 वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (40) वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 दि 16-7-66 द्वारा निविष्ट।

उदाहरण—एक राज्य कर्मचारी दि 1-1-70 को सेवा निवृत्त हुआ और उसके परिलाभों की गणना 1-1-67 से 31-12-69 तक की गई। उसका वेतन दि 1-3-69 को र 475 है और 15 सितम्बर को 25 र की वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष देय होती है। वह दि 1-6-69 से 30-9-69 तक उपार्जित अवकाश पर रहा, क्योंकि उसकी वेतन वृद्धि उपार्जित अवकाश के बीच, जो चार माह से अधिक नहीं है, देय होती है। अतः दि 15-9-69 के आगे उसका वेतन 475+25=500 गिना जावेगा, यद्यपि उसने यह रकम अवकाश पर लौटने के बाद दि 1-10-69 से ही वास्तव में प्राप्त की है।

वे भत्ते जो शामिल नहीं किए जाते हैं एक राज्य कर्मचारी पेंशन में निम्न भत्तों को शामिल

नियम 252 नहीं कर सकता है—

(1) किसी स्थान की महंगाई को ध्यान में रखते हुए जो भत्ते स्वीकृत किए जावें।

(2) सह भोजन या व्यय सम्बन्धी भत्ते (Messing or sumptuary allowances)

(3) मकान किराया भत्ता या निशुल्क क्वाटर की अनुमानित कीमत।

(4) यात्रा भत्ते एवं दौरा के खर्चों को करने के लिए अन्य स्वीकृत भत्ते।

(5) प्रान्तों की महंगाई के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता।

वास्तविक कुल राशि की गणना (Net emoluments taken[1])—एक राज्य कर्मचारी के

नियम 253 वेतन का कोई भी भाग या धनराशि जो उसकी सेवाओं के आकस्मिक खर्च को करने के लिए दी जाती है उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

इस नियम के लागू करने के लिए निम्न उदाहरण हैं—

(1) जब एक राज्य कर्मचारी के वेतन में से कुछ राशि घोड़ा प्रदान करने या रखने पर खर्च की जाती हो तो उसका उतना ही वेतन शामिल किया जाना चाहिए जो कि घोड़ा न प्रदान करने अथवा न रखने की मंशा पर उसे मिल सकता हो। जब पणिहारे [पानी लाने वाले] के वेतन में बैल रखने के प्रावधान की राशि भी शामिल हो तो उसका वेतन उतना ही शामिल किया जाना चाहिए जैसे कि माना उसे एक बैल न रखने की आवश्यकता पर मिलता हो।

(2) जब एक संचित वेतन में विशेष रूप से याता भत्ता या मकान भत्ता भी शामिल हो तो उसे कुल राशि गिनने में काटा जाना चाहिए।

(3) जब एक राज्य कर्मचारी का वेतन दो दरों पर एक स्थान पर नियत कर्तव्य के समय में निम्न दर पर तथा दौरा पर यात्रा पर बिताए गए समय में उच्च दर पर वेतन निश्चित किया जाता है तो पूर्व की दर की ही कुल राशि की गणना में शामिल करना चाहिए।

जब नियम 190 के अन्तर्गत अस्थाई पद की सेवा पेंशन के लिए गिनी जाती हो तो पेंशन की राशि

नियम 254 निश्चित करने में उस राज्य कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद के वेतन को ही शामिल किया जाता है। अस्थाई नियुक्ति के वेतन को उस समय तक शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि कर्मचारी विशेष वेतन प्राप्त नहीं करता हो।

अंकेक्षण निर्देशन—जब एक स्थाई राज्य कर्मचारी अपनी गत तीन साल की सेवा अवधि में एक ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है जो कि यद्यपि प्रथम बार प्रयोगात्मक या अस्थाई रूप से सृजित किया गया है पर बाद में स्थाई हो जाता है तो पेंशन के प्रयोजन के लिये औसतन कुल राशि राज्य कर्मचारी द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए वेतन पर गिनी जानी चाहिए न कि स्थाई सेवा में प्राप्त किए गए वेतन के आधार पर।

यदि राज्य कर्मचारी ने एक से अधिक ऐसे पदों पर कार्य किया हो जिनको कि यदि वह अलग अलग

[1]**नियम 254क** रूप से एवं अकेला धारण करता तो उसे पेंशन मिल सकती थी। उसे जो पेंशन स्वीकार्य होगी वह उन दो पेंशनों की राशि होगी जो कि उसे प्राप्य होती यदि वह उन पदों को अलग अलग रूप में एवं अकेला धारण करता। इस प्रकार जो संचित रूप से पेंशन उसे स्वीकार्य होगी वह राजस्थान सेवा नियमों में नियम 256 एवं 257 में निर्धारित राशि तक सीमित होगी।

---

1 सं डी 5399/58 एफ 7A (18) वि वि क (नियम) 58 दि 30 4 59 द्वारा निविष्ट

नियम 255 एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य करने से पेंशन में वृद्धि नहीं होगी—(No increase in pension for holding more than one office conjointly) एक राज्य कर्मचारी एक पद की सेवा अन्य पद के साथ करने पर किसी ऐसी पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है जो कि उसे प्राप्त नहीं होती यदि वह हर पद पर अलग अलग रूप से एवं अकेला कार्य करता।

ANNEXURE I

This deed made the day of one thousand nine hundred and sixty Between son of of (*hereinafter called the Principal* debtor which expression shall where the context so admits include his heirs *executors administrators and representatives) of the first part and* son of of (hereinafter called the Surety which expression shall where the context so admits include his heirs executors administrators and representatives) of the second part and the Governor of Rajasthan (hereinafter called the Government which expression shall where the context so admits include his successors and assign) of the third part

Whereas the *Principal debtor* has applied *to the Government for payment* to him from time to time of moneys on account of pension in accordance with the *orders contained in the Finance Department Memorandum No dated in* respect of permanent pensionable service rendered by him in Pakistan AND WHEREAS the Government in pursuance of the aforesaid orders has sanctioned and agreed to make payment of a pension of Rs per month with effect *from* on the *Principal* debtor and the Surety giving such indemnity as is hereinafter mentioned

Now these Presents Witness *that in pursuance of the aforesaid agreement* and in consideration of the Government agreeing to make such payment as aforesaid *the Principal debtor and the Surety jointly and severally agree and undertake* to refund on demand by the Government forth with and without demur any sum which is discovered at any time not to be due to the Principal debtor or which is discovered at any time to be in excess of the amount due to him under the said orders (the decision of the Government as to the amount so to be refunded shall be final) or on an agreement being reached between the Government of India and the Government of Pakistan regarding pensionary and other liabilities in respect of former employees of the Government of the N W F P Sind and Khairpur State the whole or such amount of pension paid to the Principal debtor under the aforesaid orders as may be determined by the Government of *Rajasthan* as the liability of the Government of Pakistan The Principal debtor and the Surety also undertake jointly and severally that on an agreement being reached between the Government of India and the Government of Pakistan regarding *pensionary and other liability in respect of former employees of the Governments* of the N W F P Sind and Khairpur State the Principal debtor shall apply in the *manner laid down for* pension or other benefits due to *him from the Government* of Pakistan and *in the event of his failure to apply for such pension or benefits* within the time prescribed shall cease to be eligible to draw pensions sanctioned by the Government of Rajasthan and refund the full amount of such pension already draw or such portion thereof as may be determined by the Government of Rajasthan

And it is **Hereby** agreed and declared that the Principal debtor and the Surety will at all times save harmless and keep the Government effectually indemnified against all actions proceeding claims demands damages and expenses which may be brought or made against the Government or which the Government may sustain or incur by reason of the Government making such payment to the Principal debtor in pursuance of the aforesaid orders

And it is **Further Agreed** and declared that the liability of the Surety hereunder shall not in any way be impaired or discharged by reason of time being granted or for any forbearance act or omission of the Government or any person autho- [illegible] (whether with or without the consent of

knowledg of the Surety) not shall it be n_cessary to sue or take action against the said Principal d_btor suing or taking action against the Surety

In Witness Whereof the said Principal debtor and th- said Surety have set the r respective hands and the Government of Rajasthan has caused on his b_half to set his hands the day and the year first above written

Signed by in the presence of	(Signature of Principal debtor)
Signed by the said in the presence of	(Signature of Surety)
Signed by for and on behalf of the Governor of Rajasthan	(Signature of the officer executing the deed on behalf of the Governor of Rajasthan)

ANNEXURE II

This deed made the day of One thousand nine hundred and seventy Between the widow/the son (s) of son of (hereinafter called the Principal debtor which expression shall where the context so admits include her/his/their/heirs executors administrators and representatives) on the first part and son of (hereinafter called 'the Surety which expression shall where the context so admits include his heirs executors administrators and representatives) of the second part and th- Governor of Rajasthan (here nafter called the Governm-nt which expression shall where the context so admits include his successors and assigns) of the third part

Whereas the late Shri son of was in receipt of pension at the time of his death in accordance with the rules contained in Rajasthan Service Rules **And Whereas** the Government in pursuance of the Finan_e D partment Memo No dated had sanctioned and agreed to make payment pension at the rate of Rs per month with effect from AND WHEREAS the said Shri died on and th-re was then due him the sum of Rs (for arrears of pension) on account of pension sanc oned in accordance with aforesaid orders which is now payable to the Principal btor (s)

Now these Presents Witness that in pursuance of the aforesaid agreement id in consideration of the Governm nt agreeing to make su-h payment as afore id the Principal debtor (s) and the surety jointly and severally agree and under ike to refund on demand by the Governm-nt forth with and without demur the bove sum or any portion thereof which is discovered at any time not to be due to ie Principal debtor (s) or which is discovered at any time to be in excess of the mount due to him/them (the d cision of the Government as to the amount so to e refunded shall be final) or on an agreement being reached between the Govern n nt of India and the Government of Pakistan regarding pensionary and other iability in respect of former employees of the Governm-nt of N W F P and Sind/ Khairpur State the whole or such amount of arrears of pension paid to the Prin- ipal debtor (s) under the aforesaid orders as may be determined by the Govern ment of Rajasthan as the liability of the Government of Pakistan

And it is Hereby agreed and declared that the Principal debtor (s) and the Surety will at all times save harmless and keep the Government effectually ind - mnified against all actions p-oceedings claims demands damages and exp-nses which may b_ brought or made against the Governm-nt or which the Government may sustain or incur by reason of the Governm-nt making the said payment to the Principal debtor in pursuance of the aforesaid orders

And it is Further Agreed and declared that liability of the Surety hereunder shall not in any way be impaired or discharged by reason of time b_ing granted or for any forb-arance act or omission of the Government or any person authorised by them towards the Principal debtor (where with or without the consent or know ledge of the Surety) nor shall it be n-cessaty to sue or take action against the Sur ty

In Witness Whereof the said Princip il debtor (s) and the said Surety have set their respective hands and the Governor of Rajasthan has caused on his behalf to set his hand the day and the year first above written

Signed by in the presence of	(Signature of Principal debtor (s))
Signed by the said in the presence of	(Signature of Surety)
Signed by for and on behalf of the Governor of Rajasthan	(Signature of the officer executing the deed on behalf of the Governor)

ANNEXURE B

AFFIDAVIT

I SON OF residing at do *hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief* while employed under the Government of Sind/N W F P /Khairpur State I availed my self of extraordinary leave for a total period of years months and days and that the earned leave/leave on average pay exceeding 90 days/4 months at a time together with leave on half pay/half average pay and other leave with allowances availed of by me did not exceed years months days

I understand that in the event of this declaration being proved to be false or inaccurate in any material respect I shall render myself liable among other consequences to the complete stoppage of my pension

Signature of Government servant

Attested
Oath Commissioner
or

Magistrate Ist Class

Countersigned
Pension Sanctioning Authority

अध्याय 22 खण्ड 1

पेन्शन (Pension)

नियम 256 इस भाग म दिये गए नियमो के अनुसार एक राज्य कमचारी की अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) पर सेवा निवत्त (Retiring) अयोग्य व क्षतिपूरक ग्रेच्युटी एव पेन्शन की राशि निम्न प्रकार से है।

क्रम सं 1	योग्य सेवा के पूरे किये गय 6 माहो की अवधि 2	ग्रेच्युटी/पेन्शन की दर 3	अधिकतम पेन्शन (रुपया म प्रति वप) 4
		(क) ग्रेच्युटी	
1		कुल राशि (Emoluments)	
2	1	1/2 माह ,,	
3	1	1/2 ,	

1	2	3	4
4	2	" "	
5	2	1/2 " "	
6	3	" "	
7	3	1/2 " "	
8	4	" "	
9	4	3/8 " "	
10	4	3/4 , "	
11	5	1/8 " "	
12	5	1/2 , "	
13	5	7/8 " ,	
14	6	1/4 " "	
15	6	5/8 " "	
16	7	" "	
17	7	3/8 , "	
18	7	3/4 " "	
19	8	1/8 " "	
		(ख) पे शर्तें	
20	10	/ 80 वां भाग औसत कुल राशि	2700
21	10	1/2 80 "	2835
22	11	/ 80 ,	2970
23	11	1/2 80 "	3105
24	12	/ 80 ,	3240
25	12	1/2 80 "	3375
26	13	/ 80 "	3510
27	13	1/2 80 "	3645
28	14	/ 80 "	3780
29	14	1/2 80 "	3915
30	15	/ 80 "	4050
31	15	1/2 80 "	4185
32	16	/ 80 "	4320
33	16	1/2 80 "	4455
34	17	/ 80 "	4590
35	17	1/2 80 "	4725
36	18	/ 80 "	4860
37	18	1/2 80 "	4995
38	19	/ 80 "	5130
39	19	1/2 80 "	5265
40	20	/ 80 "	5400
41	20	1/2 80	5535
42	21	/ 80 "	5670
43	21	1/2 80 "	5805
44	22	/ 80 "	5940
45	22	1/2 80 "	6075
46	23	/ 80 "	6210
47	23	1/2 80 "	6345
48	24	/ 80 "	6480
49	24	1/2 80 "	6615
50	25	/ 80 "	6750

1	2	3	4
51	25	1/2 80	6885
52	26	/ 80 ,	7020
53	26	1/2 80 ,	7155
54	27	/ 80 ,	7290
55	27	1/2 80 ,,	7425
56	28	/ 80	7560
57	28	1/2 80	7695
58	29	/ 80 ,,	7830
59	29	1/2 80	7965
60	30	/ 80 ,	8100

[1]टिप्पणी स 1—व ग्रेच्युटिया जो नियम 256 (1) व 257 (1) के अधीन स्वीकार की जावें राज्य कमचारी की पूजी होगी तथा धनराशि प्राप्त करने के पूव ही यदि राज्य कमचारी की मत्यु हो जाती है तो वह पूजी उसके वध उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार कानून के अन्तगत दी जावगी। नियम 257 (2) व नियम 258 राज्य कमचारी या उसके द्वारा मनानीत किए गए व्यक्ति दोना को जसी भी स्थिति हो सीधा लाभ प्रदान करते हैं तथा इन अवतरणो के अन्तगत स्वीकृत की गई ग्रेच्युटिया उन व्यक्तियो की पूजी हो जावेगी जिनके पक्ष म स्वीकृति प्रदान की गई है एव न कि यह केवल मत कमचारी की पूजी ही रहेगी।

[2]टिप्पणी स 2—इस नियम के प्रयोजन के लिए औसत वेतन का तात्पय औसत मासिक वेतन स है जिसको कि सम्बन्धित राज्य कमचारी ने प्राप्त किया या जो अपनी सेवाओ के गत तीन साल की अवधि म हटाए जान या सेवा निवत्त किए जाने से पूव अपने द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद या पदो पर प्राप्त करता रहता।

नियम 256क

[3](1) नियम 256 म कोई भी प्रावधान के होते हुए भी दि 1-4-1970 को या बाद म सेवा स निवत्त होने वाले राज्य कमचारी के मामले म अधिवार्षिकी निवत्ति अश क्तता और क्षतिपूरक उपदान (ग्रेच्युटी) और पेन्शन की निम्न राशि ग्राह्य होगी—

योग्य सेवा की छमाही पूर्ण अवधियां	उपदान/पेंशन की दर	अधिकतम पेंशन [रुपयो म] वार्षिक
1	2	3
	(a) Gratuity	
1	1/2 month s emoluments	
2	1 month s emoluments	
3	1½ month s emoluments	
4	2	
5	2½ ,	
6	3	
7	3½	
8	4 ,	
9	4 3/8 ,	
10	4 3/4	
11	5 1/8 ,	
12	5 1/2	
13	5 7/8	
14	6 1/4 ,	
15	6 5/8 , ,	
16	7	

1 स एफ 1 (51) वि वि क (नियम) 61 दि 18-12-61 द्वारा निविष्ट।
2 स एफ 35 (22) धार 51 दि 27-12-1964 द्वारा निविष्ट।
3 वि वि विज्ञप्ति स एफ 1 (29) एफ डी (Rules)/70 दि 18 मार्च 1971 द्वारा निविष्ट।

1	2	3
17	7 3/8	
18	7 3/4 ,	
19	8 1/8 , ,,	
	(b) Pensions	
20	10/80th of emoluments	2,700
21	10½/80th	2 835
22	11/80th ,,	2 970
23	11½/80th , ,	3 105
24	12/80th , ,,	3 240
25	12½/80th , ,,	3 375
26	13/80th ,	3 510
27	13½/80th	3 645
28	14/80 h , ,	3 780
29	14½/80th ,	3 915
30	15/80th ,	4 050
31	15½/80th ,	4 185
32	16/80th ,	4 320
33	16½/80th , ,	4 455
34	17/80th	4 590
35	17½/80th ,	4,725
36	18/80th ,	4 860
37	18½/80th	4 995
38	19/80th	5 130
39	19½/80th	5 265
40	20/89th ,	5 400
41	20½/80th	5 535
42	21/80th	5 670
43	21½/80th , ,	5,805
44	22/80th	5 940
45	22½/80th ,	6,075
46	23/80th	6 210
47	23½/80th ,	6 345
48	24/80th	6 480
49	24½/80th	6 615
50	25/80th	6 750
51	25½/80th	6 885
52	26/80th	7 020
53	26½/80th	7 155
54	27/80th	7 290
55	27½/80th	7 425
56	28/80th	7 560
57	28½/80th ,	7 695
58	29/80th ,	7 830
59	29½/80th	7 965
60	30/80th	8 100

(2) एक राज्य कर्मचारी जो 1–4–70 को या बाद में परन्तु दि 1–4–73 के पूर्व सेवा निवृत्त हो रहा हो, वह, अपने विकल्प से नियम 256 में ग्राह्य दर पर पेंशन प्राप्त करने का चयन कर लेगा यदि वह उस नियम 256 क में ग्राह्य पेंशन राशि की तुलना में लाभप्रद हो। ऐसा विकल्प उसके द्वारा लिखित में नियम 281 के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के समय दिया जावेगा।

[1]नियम **256ख** 'नियम 256 क में वर्णित प्रावधानों के होते हुए भी दि 31–10–1974 को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में,

---

1 आदेश स एफ 1 (53) वि वि (श्रे 2) 74 दि 2–12–74 द्वारा निविष्ट तथा 31 10 74 से प्रभावशील।

अधिवार्षिकी, ग्राह्य सेवा निवृत्ति, अशक्तता तथा प्रतिकर उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न प्रकार होगी—

सेवा की पूरित छः माही अवधियां 1	उपदान/पेंशन की दर 2	अधिकतम पेंशन (रुपया में प्रति वर्ष) 3
	(a) Gratuity उपदान	
1	$\frac{1}{2}$ month's emoluments माह के परिलाभ (इमोलूमेंट्स)	
2	1 months emoluments ,,	
3	1$\frac{1}{2}$ month's emoluments	
4	2 months emoluments ,,	
5	2$\frac{1}{2}$,, ,	
6	3 , ,	
7	3$\frac{1}{2}$,, ,,	
8	4 ,, ,,	
9	4$\frac{5}{8}$,, ,,	
10	4$\frac{3}{4}$,, ,,	
11	5$\frac{1}{8}$, ,	
12	5$\frac{1}{2}$,, ,	
13	6 ,, ,	
14.	6$\frac{1}{2}$,, ,,	
15.	6$\frac{5}{8}$,, ,	
16	7 ,,	
17	7$\frac{3}{8}$,,	
18	7$\frac{3}{4}$, ,,	
19.	8$\frac{1}{8}$, ,,	
	(b) Pension पेंशन	
20	10/80th of emoluments परिलाभ	3750 00
21	10$\frac{1}{2}$/80th of emoluments "	3937·50
22	11/80th , ,	4125 00
23	11$\frac{1}{2}$/80th , ,	4312 50
24.	12/80th ,, ,,	4500 00
25	12$\frac{1}{2}$/80th ,, ,	4687 50
26	13/80th , ,,	4875 00
27	13$\frac{1}{2}$/80th ,, ,	5062 50
28	14/80th ,, ,,	5250 00
29	14$\frac{1}{2}$/80th ,, ,,	5437 50
30	15/80th , ,,	5625 00
31	15$\frac{1}{2}$/80th ,, ,,	5812 50
32	16/80th , ,	6000 00
33	16$\frac{1}{2}$/80th , ,,	6187 50
34	17/80th ,, ,,	6375 00
35	17$\frac{1}{2}$/80th ,,	6560 50
36	18/80th ,, ,,	6750 00
37	18$\frac{1}{2}$/80th , ,,	6937 50
38.	19/80th , ,,	7125 00
39	19$\frac{1}{2}$/80th ,, ,	7312 50
40.	20/80th ,, ,,	7500 00

1	2	3
41	20½/80th ,, ,,	7687 50
42	21/80th ,, ,,	7875 00
43	21½/80th ,, ,,	8062 50
44	22/80th ,, ,,	8250 00
45	22½/80th ,, ,,	8437 50
46	23/80th ,, ,,	8625 00
47	23½/80th ,, ,,	8812 50
48	24/80th ,, ,,	9000 00
49	24½/80th ,, ,,	9187 50
50	25/80th ,,	9375 00
51	25½/80th ,, ,,	9562 50
52	26/80th ,, ,,	9750 00
53	26½/80th ,, ,,	9937 50
54	27/80th ,,	1012[illegible] 00
55	27½/80th ,, ,,	10312 50
56	8/80th ,, ,,	10500 00
57	28½/80th ,, ,,	10687 50
58	29/80th ,, ,,	10875 00
59	29½/80th ,, ,,	11062 50
60	30/80th	11250 00
61	20½/80th ,,	11437 50
62	31/80th ,, ,,	11625 00
63	31½/80th ,,	11812 50
64	32/80th ,, ,,	12000 00
65	32½/80th ,, ,,	12000 00
66	33/80th and above	12000 00

[illegible]

माह हो जाए ।

2—इस आदेश के प्रयोजनार्थ पेंशनों में उसका रूपान्तरित भाग (कम्यूटेड पोरशन) भी शामिल है।

3—यह आदेश राजनीतिक पेंशनों, खानदानी भत्ता या अन्य समान भुगतानों पर लागू नहीं होगा।

[1]आदेश स 2—यह आदेश दिया जाता है कि सरकार के आदेश स एफ 7 (2) आर 15 दि 15-1-51 के अधीन स्वीकृत अस्थाई वृद्धि की दरें 1-4-59 से राज्य सरकार के पेंशनरों सम्बन्ध में निम्न प्रकार बढ़ाई जाएं —

पेंशन की दर	अस्थाई वृद्धि की दर
(1) 4 रु तक पेंशन	पेंशन की रकम से दूनी वृद्धि
(2) 4 रु से अधिक परन्तु 20) से ज्यादा नहीं	8) रु प्रति माह
(3) 20) रु से अधिक पर 60) रु से ज्यादा नहीं	10) रु प्रति माह
(4) 60) रु से अधिक पर 100) रु से ज्यादा नहीं	12) रु प्रति माह

टिप्पणी—(1) जो पेंशनर 100) रु से अधिक किन्तु 112) रु से ज्यादा माहवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो तो उसे अस्थाई वृद्धि 112) रु तक की राशि की स्वीकृत की जावेगी

[2]आदेश स 3—वित्त विभाग के आदेश स डी 7450/58 एफ 1 (70)/56 भाग (क) दि 21 मार्च 1959 (उपर्युक्त आदेश स 2) के आंशिक रूपान्तरण में यह आदेश दिया जाता है कि राज्य पेंशनर्स जो 100 रु प्रति माह से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 1 जनवरी 1967 निम्नलिखित दरों पर पेंशन में अस्थाई वृद्धि स्वीकार की जायगी।

पेंशन की राशि	पेंशन मे अस्थाई वृद्धि की दर
100 रु से ऊपर किन्तु 200 रु प्रति माह तक।	12 रु प्रति माह
200 रु प्रति माह से अधिक	ऐसी अस्थाई वृद्धि जिससे कुल योग 212 रु हो जाये।

ये आदेश उस स्टेट पेंशनर पर लागू नहीं होंगे जो वित्त विभाग के आदेश स 4641/58 एफ 7 ए (14) वित्त वि /ए/नियम 58 दिनांक 26-3-59 एवं स एफ 1 (73) वित्त वि (ए) नियम 162 दिनांक 28-3-63 एवं अन्य किन्हीं आदेशों के अनुसार पेंशन में अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

आदेश स 4

[3]विषय—पेंशन मे अस्थाई वृद्धि

1 वि वि के आदेश स डी 7450/58 एफ 1 (70)/56 भाग (क) दि० 21 3 59 एवं स० एफ 1 (13) वि वि (व्यय नियम)/65 दि० 21 1 67 (नियम 256 रा से नि के नीचे आज्ञा स० 2 व 3 के रूप में निविष्ट) में स्वीकृत अस्थाई वृद्धि के स्थान पर राज्यपाल महोदय प्रसन्न होकर दि० 1 3 1970 से निम्न दरों पर अस्थाई वृद्धि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए लागू की है जो पहले उक्त आज्ञाओं के अधीन अस्थाई वृद्धि प्राप्त कर रहे थे —

पेंशन की दर	अस्थाई वृद्धि की सशोधित दर
रु० 30 तक	रु० 25 00
रु० 30 से अधिक पर 50/ से अधिक नहीं	रु० 27 50
रु० 50 ,, 75 ,,	30 00

---

1 स डी 7450/58/एफ 1 [70] आर/56 दि 21-3-59 द्वारा निविष्ट।

2 वित्त विभाग के आदेश स एफ 1 (13) वित्त वि (व्यय नियम) 65 दि 21-1-67 द्वारा निविष्ट।

3 वि वि आज्ञा स० एफ 1 (11) वि वि (नियम) 70 I दि० 28 4 1970।

रु० 75 ,	, 100 "	32 50
रु० 100 "	" 112 50 ,	रु० 132 50 कुल पशन होने तक की अस्थाई वृद्धि।
112 50	" 200 ,	20 रु०

200 से अधिक उतनी अस्थाई वृद्धि कि कुल पशन 220/ हो जाव।

2 राज्यपाल महोदय ने आग फिर आदेश दिया है कि—

(1) दिनाक 1 3 1970 को अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति, क्षतिपूरक, अशक्त या चोट पेंशन पर निवत्त होने वाले राज्य कमचारियों तथा जो व्यक्ति रा० से० नि० के अध्याय (23) व (23 क) के अधीन पारिवारिक पेशन प्राप्त करने के हकदार हो और वतमान आज्ञाओं के अधीन पेशन म वद्धि पाने के हकदार न हो उनको भी निम्न दरो पर दिनाक 1 3 1970 से अस्थाई वृद्धि पेशन मे दी जाव

पेशन का दर	अस्थाई वृद्धि की सशोधित दर (रुपया म)
रु० 30 तक	15 00
रु० 30 से ऊपर पर रु० 75 से अधिक नहीं	17 50
रु० 75 से अधिक पर 200 से अधिक नहीं	20 00
रु० 200 से ऊपर	वह राशि जिससे कुल पेंशन 220 रु० हो जावे।

3 जो राज्य कमचारी दि० 1 3 70 से पहले अधिवार्षिकी निवत्ति क्षतिपूरक, अशक्त या चोट ानें असाधारण पेंशनें नियमो के नियम 274 के अधीन सेवा निवृत्त हुये हो और रा से० नि० क ध्याय 23 व 23-क के अधीन पारिवारिक पेशन पा रहे हो और दि० 1 3 1970 को पेंशन म ास्थाई वद्धि नही पा रहे हो, उन्ह भी दि० 1 3 1970 से उपरोक्त उपखण्ड (1) म वर्णित दरो पर स्थाई वद्धि पेशन मे दी जावेगी।

[1]विषय—सेवानिवृत्त राज्य कमचारियो को न्यूनतम पेशन

1 राज्य कमचारियो को न्यूनतम पशन के मौजदा प्रावधानो के पुर्नविलोकन के बाद राज्य ाल महोदय ने प्रसन्न होकर निणय लिया है कि जहा पेशन की राशि (मय अस्थाई वद्धि जो वि वि ज्ञाप स० एफ 1 (11) वि वि (नियम) 70 I दि० 29 4 1970 द्वारा स्वीकृत हुई क) 40 रु० ातिमाह स कम आती हो, तो उसे दि० 1 3 1970 से जो राज्य कमचारी अधिवार्षिकी निवत्ति क्षतिपूरक या अशक्तता पेंशनें और रा० से० नि० के अध्याय (23) व (23 क) के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियो के मामलो म 40/ मासिक कर दिया जावे।

2 राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आगे निणय लिया है कि कोई अन्य पेशन, जसे-क्षतिपूरक/अशक्तता/निवृत्ति/अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेशन रा से नि के अध्याय (23) व (23 क) और नियम 275/276 अध्याय (24) नही मिल रही है या जहा राज्य कमचारी सरकार से कोई वेतन नही पा रहा है, तो घायल (injury) होने की पेशन जो असाधारण पेशन नियमो के अध्याय (24) व नियम 274 म वर्णित है 40 रु० मासिक (मय अस्थाई वृद्धि के) से कम नही होगी।

3 ये आज्ञायें (निम्न पर) लागू होगी—

(1) समस्त राज्य कमचारियो पर जो दि० 1-3 70 के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और दिनाक 1 3 70 स पहले अधिवार्षिकी क्षतिपूरक, अशक्तता निवत्ति या घायल और पारिवारिक पेंशन अध्याय (23) म (23-क) रा से नि के अधीन पा रहे हैं और,

(ii) समस्त राज्य कमचारियो पर जो दि० 1 3 70 को या इसके बाद म सेवा निवृत्त हुए हैं या होंगे।

[2]आदेश स० 5

वतमान पेंशनरों को राहत देने का मामला कुछ समय से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्यपाल ने अब प्रसन्न होकर आदेश दिये हैं कि वतमान पेशनर जो 1-9-76 को अधिवार्षिकी

---

1 वि वि ज्ञापन स० एफ 8 (11) वि वि (नियम) 70 II दि० 29 4 70।

2 ज्ञाप स एफ 1(44) वि वि (श्रेणी 2) 76 दिनाक 20-10-76 द्वारा निविष्ट।

आयु सेवा निवृत्ति, अयोग्यता, क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं दा निम्न दरो पर पेंशन म वद्धि की जाती है—

		पेंशन मे मासिक वद्धि की राशि
(1)	रु 100/– प्रतिमाह से कम	रु 20/–
(2)	रु 100/– प्रतिमाह और इससे अधिक परन्तु रु 120/– प्रतिमाह से कम	रु 25/–
(3)	रु 120/– प्रतिमाह और इससे अधिक परन्तु रु 210/– प्रतिमाह से कम	रु 30/–
(4)	रु 210/– प्रतिमाह और इससे अधिक परन्तु रु 500/– प्रतिमाह से कम	रु 40/–
(5)	रु 500/– प्रतिमाह और इससे अधिक	रु 50/–

(2) उपरोक्त प्रयोजनार्थ शब्द 'पेंशन" का अर्थ 'मूल पेंशन" (रूपान्तरित पेंशन की राशि सहित) मय दय अस्थाई वद्धि यदि कोई हो जो 1–9–1976 को प्रभावशील थी। पेंशन म 'अस्थाई वद्धि को दिनाक 1–9–1976 से मूल पेंशन की राशि म सम्मिलित कर लिया गया है। इसके पश्चात् दिनाक 1 9–1976 से पेंशन म वृद्धि जो उक्त परा सख्या 1 मे अंकित है को पेंशन की कुल सगणित जोडा जावेगा।

(3) उपरोक्त आदेश उन पेंशनरो पर भी लागू होंगे जो परिवारिक पेंशन अध्याय XXIII XXIII क और असाधारण पेंशन अध्याय XXIV राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं।

4) ये आदेश निम्न पर लागू नही होंगे—

(i) वद्धावस्था पेंशन राजनतिक पेंशन अथवा अन्य प्रकार की ऐसी ही पेंशन जो सरकार के अधीन दी गई सेवा से सम्बन्धित नहीं हैं।

(ii) राज्य कर्मचारी जो 1–9–1976 के पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हैं।

निर्णय स० 1– सनिक कर्मचारियो पर लागू नहीं—निम्न दर की पेंशनो की अस्थाई वद्धि के सम्बन्ध म वित्त विभाग के आदेश स० एफ 7 (2) आर/51 दिनाक 15 1 51 द्वारा जारी किया गया आदेश सनिक पेंशनरो पर लागू नही होगा।

निर्णय स० 2—केवल सेवा पेंशनरो पर लागू - आदेश स० 1 म स्वीकृत की गई पेंशनों म अस्थाई वद्धि केवल सेवा पेंशनो पर ही लागू होनी है (अर्थात् सिविल पेंशन जिसम राजनतिक एव अन्य विशेष पेंशनें भत्ते आदि जसे रवानगी भत्ते सरकार द्वारा प्राप्त की गई भूमि या जागीरो के बदले म स्वीकृत भत्ते विधवाओ को एव मृत व्यक्तियो के आश्रितो को स्वीकृत क्षतिपूरक भत्ते पालनू खरात स्टाइप्ड आदि शामिल नही है) वित्त विभाग के इस सम्बन्ध की अधिसूचना जारी होने से पूर्व यदि स्वीकृत किए जाने पर बाद की श्रेणी के भुगतान अस्थाई वृद्धि या महगाई भत्ते के साथ निश्चित दरो क अनुसार दिये जाते रहेंगे।

निर्णय स० 3—एकीकृत राज्यो (Covenating States) द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता कम नही किया जावेगा आदेश सख्या 1 म दिये गये आदेश म आंशिक सशोधन करते हुए कहा जाता है कि उन राज्य कर्मचारियो के सम्बन्ध म जो अपनी पेंशना पर अस्थाई वद्धि या महगाई भत्ता, पूर्व आदेशो के अनुसार उन उच्च दरो पर प्राप्त कर रहे थे जो कि उपरोक्त आदेश म वर्णित प्राप्य दरो म उच्च थी तो उस आदेश के परिणाम स्वरूप महगाई भत्ते या अस्थाई वद्धि म कोई कमी नही की जावेगी तथा इस आदेश के जारी करने के पूर्व जिस दर पर वह पेंशन प्राप्त कर रहा हो वह सम्बन्धित पेंशनरो द्वारा प्राप्त की जाती रहेगी।

निर्णय स० 4—यदि एक से अधिक पेंशन प्राप्त की जाती हो तो पेंशनो की कुल राशि पर महगाई भत्ता निश्चित किया जाना – यह प्रश्न कि क्या एकीकृत राज्यो मे की गई सेवाओ के सम्बन्ध म यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा हो तो उसे ऐसी पेंशनों को अलग अलग रूप से प्राप्त करते रहना चाहिये, सरकार द्वारा जाचा गया था।

यह निर्णय किया गया है कि वे पेंशनर जो राजस्थान की विभिन्न एकीकृत रियासतों से एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहे हैं वे ऐसी पेंशन प्राप्त करते रहेंगे तथा आदेश स० 1 के अर्थ मे पेंशन पर अस्थाई वद्धि की राशि पेंशनो की कुल राशि पर दी जावेगी न कि अलग अलग कई पेंशनो पर

गया था कि ग्रादेश स० 1 म स्वीकृत पशना म ग्रस्थाई वद्धि राजनीतिक एव अन्य विशेष पेंशनो पर लागू नहीं होती है। एक प्रश्न उठाया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 के अन्तगत स्वीकृत ग्रसाधारण पेंशना को इस प्रयोजन के लिए विशेष पेंशन माना जावेगा ?

मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा यह निणय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 म वर्णित ग्रसाधारण पेंशनें उपरोक्त वित्त विभाग की विज्ञप्ति के ग्रनुसार विशेष पेंशनें नहीं हैं एव उपरोक्त प्रकार से स्वीकृत पेंशनो म ग्रस्थाई वृद्धिया तथा ग्रादेश स० 1 मे वर्णित स्वीकृत पेंशन म वद्धिया राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 के अन्तगत स्वीकृत की गइ विभिन्न श्रेणी की ग्रसाधारण पेंशनो पर मिलती रहेंगी।

निणय स० 6—प्रत्याशित (Anticipatory) पेंशन पर स्वीकार्य महगाई भत्ता—ग्रादेश सख्या 1 म स्वीकृत दरा पर निम्न दर की पेंशनो म की गई ग्रस्थाई वद्धि उन पेंशनरो को भी दी जायगी जो ग्रपने पेंशन मामला के ग्रन्तिम निणय को विचाराधीन रखते हुए 'प्रत्याशित पेंशन' प्राप्त कर रहे हैं। चूकि प्रत्याशित पेंशन की राशि समायोजन (Adjustment) किये जाने की शत पर होती है इसलिए जब उसका पेंशन का मामला ग्रन्तिम रूप से तय हो जायेगा तब उस समय यह 'ग्रस्थाई वद्धि' भी ऐसी पेंशन के साथ इसी प्रकार समायोजित करने योग्य होगी।

निणय स० 7—नॉन ग्राई० एस० एफ० (Non I S F) व्यक्तियो की पेंशनो के लिए स्वीकृत करने योग्य महगाई भत्ता—निणय सख्या 1 म निम्न दर की पेंशनो म ग्रस्थाई वृद्धि के सम्बन्ध म सरकार द्वारा जारी किय गय ग्रादश उन नान ग्राई० एस० एफ० व्यक्तियो (जसे सिलेजात या तोपखाना) ग्रादि पर भी लागू होंगे जो 31 3 50 के बाद सेवा निवत्त हो गय हैं (जिनकी कि पशनें राजस्थान राज्य की सचित निधि स वसूल की जाती है)।

निणय स० 8—परिवार पेंशना पर महगाई भत्ता—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या ग्रस्थाई वद्धि (महगाइ भत्ता) जहा यह परिवार पशनो या भत्तो म प्राप्य है परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए स्वीकृत पशन या भत्ते की राशि पर ग्रलग ग्रलग गिनी जानी चाहिये या परिवार के लिए स्वीकृत कुल राशि पर गिनी जानी चाहिय। मामले पर विचार कुछ 'ए' श्रेणी के राज्यो पर ग्रपनाई गई पद्धति को ध्यान म रखत हुए किया गया है तथा यह निणय किया गया है कि ऐसे मामलो मे ग्रस्थाई वद्धि परिवार को स्वीकृत की गई पेंशनो एव/या भत्ता की कुल राशि पर स्वीकृत की जावेगी तथा उस वद्धि को सभी प्राप्तकर्त्ताग्रो के बीच म ग्रनुपात से बाट दिया जावेगा।

निणय स० 9—1-1 51 के बाद स्वीकृत की गई पेंशनो पर महगाई भत्ता पूव समय से दिया जाना—निणय स० 3 मे यह दिया हुग्रा था कि उन राज्य कमचारियो के सम्बन्ध मे जो ग्रपनी पेंशना पर ग्रस्थाई वद्धि या महगाई भत्ता पूव ग्रादेशो के ग्रनुसार उन उच्च दरा पर प्राप्त कर रहे थे जो कि ग्रादेश सख्या 1 म वर्णित प्राप्य दरो से ऊची थी तो उस ग्रादेश के परिणाम स्वरूप महगाई भत्ते या ग्रस्थाइ वद्धि म कोई कमी नही की जावेगी तथा इस ग्रादेश के जारी करने के पूव जिस दर पर वह पेंशन प्राप्त कर रहा हो वह प्राप्त की जाती रहेगी। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया था कि क्या सरक्षण उन मामलो म भी दिया जावगा जिनम कि पेंशनें पूव समय से स्वीकृत की गई हो ? निणय सख्या 3 मे दिए गए सरक्षण की इच्छा केवल उन मामलो म ग्रार्थिक हानि से बचाना था जो कि वास्तव मे की गई राशि म कटौती की जाने के कारण होती थी। इसलिए जो पेंशनें 1 1 51 के बाद स्वीकृत की गई हैं चाहे वह पूव समय से ही क्यो न प्रभावित होनी हो पर उनम इस प्रकार की कमी किए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है इसलिए यह सरक्षण ऐसे मामलो म नहीं दिया जा सकता है। एसे मामलो म ग्रस्थाई वद्धि 1-1-51 से लागू एकीकृत दरों को ध्यान म रखते हुए प्रारम्भ से ही निश्चित की जाएगी दूसरे शब्दा म ग्रस्थाई वद्धि पेंशन की तारीख या उसके प्रभावशील होन के दिन से उन मामलो म एकीकृत दरो पर दी जानी चाहिए जिनमें कि ग्रस्थाई वद्धि की राशि, यूनिट ग्रादेशो के ग्रनुसार प्राप्य, दिनाक 1 1 51 से स्वीकृत दरो के बनिस्पत उच्च थी। ग्रभिप्राय यह है कि—

(क) जहा पेंशन दिनाक 1-1 51 से या उसके बाद से प्रभावशील हो वहा सभी मामलो म नई एकीकृत दरें (Uniform rates) लागू होगी।

(ख) जहा प्रथम पेंशन का भुगतान 1 1 51 को या उसके बाद करना होता है लेकिन वह पूव समय से हो तो एकीकृत दरें 1 1 51 से ही लागू होगी। यदि पूव यूनिट ग्रादेशों के अन्तगत स्वीकृत दर (यदि कोई हो) एकीकृत दर से ऊची हो या उसके बराबर हो तो बकाया भुगतानो पर भी नई दर लागू होगी। यदि पहिले की दरें कम थी तो बकाया राशि के भुगतान पर निम्न दर ही

लागू होगी एव नई दर लागू नही होगी एव

(ग) जहा पेशन का भुगतान 1 1 51 से पहिले शुरू हो चुका हो तथा वह नई एकीकृत दरो पर दी गई अस्थाइ वद्धि से ज्यादा हो तो उस 1 1 51 के बाद भी अपनी पुरानी दर पर पेंशन पाने की स्वीकृति दी जावगी। यदि पहिले की कोइ दर न हो या वह पूव दर कम हो तो नइ दर 1 1 51 से लागू होगी।

निणय सख्या 10—1 8 54 के बाद स्वीकृत राजनतिक पेशना आदि पर महगाई भत्ता—समय समय पर सशोधित एव स्पष्टीकरण किए गए आदश सख्या 1 के अ तगत स्वीकृत अस्थाई वद्धि राजनतिक पेंशनो निवाह भत्ता आदि म स्वीकृत नही की जा सकती है। धमाथ विभाग म स्वीकृत किए गए निवाह भत्ता के कुछ मामलो म पूव रियासतो म प्रचलित दरो पर अस्थाइ वद्धि या महगाई भत्ता स्वीकार किया गया है। स्थिति पर दुबारा विचार किया गया है तथा यह निणय किया गया है कि चूकि एस भत्ता की स्वीकृतिया दिनाक 1 4 58 से कुल राशियो के रूप म व्यक्त की जावेगी जिसम जो भी महगाइ भत्ते की राशि आवश्यक समझी जावेगी वह मिलादी जावेगी तथा कोई भी महगाई भत्ता या अस्थाइ वद्धि अतिरिक्त रूप म नही दी जावेगी इसलिए दिनाक 31 7 54 या पूव की स्वीकृति द्वारा अविकृत दर के अनुसार प्राप्य महगाई भत्ता पूव रियासतो की दरो के अनुसार (यदि कोई हो) लागू हुआ समझा जावेगा।

निणय सख्या 11—निणय सख्या 5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसम यह निणय हुआ है कि राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 के अ तगत असाधारण पेंशनें निणय सख्या 2 म वर्णित प्रकार की विशेष पेंशन नहीं हैं एव आदेश सख्या 1 के अ तगत स्वीकृत पेंशन म अस्थाई वद्धि राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 म स्वीकृत की गई विभिन्न श्रेणियो की साधारण पेंशनो पर मिलती रहेगी।

मामले पर पुन विचार किया गया तथा यह निश्चय किया है कि अस्थाइ वद्धि का लाभ एकीकृत रियासतो द्वारा राज्य कमचारियो या उनके उत्तराधिकारियो के लिए स्वीकृत की गइ समान पेंशनो के मामलो म भी दिया जावेगा।

निणय सख्या 12—वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ० 7 (8) आर/51 दि 12 11 51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसम दिया हुआ है कि वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ० 7 (2) आर/51 दिनाक 15 1 51 द्वारा स्वीकृत पेंशनो मे अस्थाई वद्धि केवल सेवा (सिविल) पेंशनो पर ही लागू होगी एव यह कि यह अस्थाइ वद्धि विधवाओ एव मृत व्यक्तियो के आश्रितो के लिए स्वीकृत क्षतिपूरक भत्ता के मामलों पर लागू नही होगी।

कुछ सन्देह व्यक्त किए गए है कि क्या यह अस्थाई वद्धि उन क्षतिपूरक भत्ता के लिए भी स्वीकृत की जावेगी जो कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 172 के अ तगत या रियासतो के नियमो के अ तगत सेवा पेंशनो के स्थान पर राज्य कमचारियो को स्वीकृत किए जाते हैं। मामले की सरकार द्वारा जाच कर ली गई है तथा यह निणय किया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ० 7 (8) आर/51 दिनाक 12 11 51 उन क्षतिपूरक भत्ता के मामलो पर लागू होगी जो कि सेवा पेंशनो के बदले मे स्वय राज्य कमचारियो को स्वीकृत किए जाते हैं एव अस्थाई वद्धि के वे लाभ जो कि एफ० 7 (2) आर/51 दिनाक 15 1 51 के अ तगत स्वीकृत किए गए हैं उनके मामलो पर भी लागू होगे।

निणय सख्या 13—जहा पेंशन वेतन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई हो वहा एक राज्य कमचारी की पुनर्नियुक्ति की अवधि म प्राप्त वेतन या महगाई भत्ते पर पेंशन की अस्थाई वृद्धि स्वीकृत नही की जावगी।

[1]स्पष्टीकरण—यह स्पष्ट किया जाता है कि (1) यह आदेश के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होना चाहिए (2) ये आदेश सरकारी सवा म नियोजित व पुनर्नियोजित दोनो प्रकार के व्यक्तियो पर लागू होते हैं।

निणय सख्या 14—परिवार पेंशनो के लिए अस्थाई वद्धि की स्वीकृति के सम्बध का प्रश्न कुछ समय पूव से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह आदेश दिया जाता है कि दिनाक 1-4-61 से

1 वित्त विभाग के आदेश स० एफ 1 (73) वित्त वि/ए/नियम/62 दिनाक 28 3 63 द्वारा निविष्ट।

वर्तमान दरों पर अस्थाई वृद्धि उन सभी परिवार पेंशनों के लिए (एवं परिवार पेंशनों की प्रकृति के भत्तों के लिए जो पूर्व रियासतों की सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं चाहे किसी नाम से वह कहलाये) स्वीकृत की जा सकती है जो मृत राज्य कर्मचारी के परिवारों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। फिर भी परिवार पेंशनों (एवं परिवार पेंशनों की प्रकृति के भत्तों सहित) पर वहां कोई अस्थाई वृद्धि नहीं दी जावेगी जहां ऐसी पेंशनों की राशि महंगाई भत्ते की राशि के भाग को मिलाकर निकाली गई है।

निर्णय संख्या 15—राजस्थान सिविल सर्विसेज [रिवाइज्ड पे] नियम, 1961 के अन्तर्गत शामिल किए गए परिवर्तित वेतन श्रृंखला में महंगाई भत्ते के मिला देने के कारण, 1 सितम्बर 1961 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशनों पर अस्थाई वृद्धि को चालू रखने या अन्यथा प्रकार उस समझाने के सम्बन्ध का प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन रहा है। मामले पर विचार कर लिया है तथा यह निर्णय किया गया है कि जब एक राज्य कर्मचारी उस समय सेवा से निवृत्त होता है जब कि वह 1 सितम्बर 1961 से या उसके बाद किसी तिथि से परिवर्तित वेतन श्रृंखला [रिवाइज्ड पे स्केल] में अपना वेतन प्राप्त कर रहा हो तो वह वर्तमान आदेशों के अनुसार प्राप्य पेंशन पर किसी भी प्रकार की अस्थाई वृद्धि प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में महंगाई भत्ता 10 या 20 रु. जैसी भी स्थिति हो पेंशन एवं ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए कुल राशि के रूप में गिने जावेंगे जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 [51] एफ डी [ए] आर/61 दिनांक 18-12-61 के अनुसार प्राप्त किया गया है। फिर भी जहां एक ऐसे राज्य कर्मचारी की तीन मास की सेवा में वह समय भी शामिल हो जिसमें कि उसने वर्तमान वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त किया या करता है तो उस समय के सम्बन्ध में महंगाई भत्ते को कुल राशि के रूप में गिने जाने के प्रावधान वित्त विभाग के आदेश संख्या 4641/58 एफ 7 ए [14] एफ डी (ए) नियम/58 दिनांक 2-3-59 के अवतरण 4 में दिए गए अनुसार प्रभावशील रहेंगे।

उपरोक्त अवतरण 1 में दिए गए आदेश उन ऐसे राज्य कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो 1 सितम्बर 1961 को या उसके बाद वर्तमान श्रृंखला में वेतन प्राप्त करते हुए सेवा से निवृत्त होते हैं। ऐसे राज्य कर्मचारी वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 4641/एफ 58/एफ 7 ए (14) एफ डी (ए) नियम/58 दिनांक 2-3-59 के अवतरण 4 (स) के अनुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए 'महंगाई भत्ते' की कुल राशि के रूप में गिनने के लिए अस्थाई वृद्धि को पेंशन में शामिल करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

व्याख्या—उपर्युक्त परा 1 एवं 2 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'वर्तमान वेतनमान' से तात्पर्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1961 के नियम 5 (1) में यथा पारिभाषित वर्तमान वेतन से लगाया जाएगा।

उन व्यक्तियों के पेंशन मामलों पर जो 1-9-61 के बाद किन्तु इस आदेश के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो गए हैं तथा जो इस आदेश के परा 1 के प्रावधानों द्वारा प्रभावित हुए हैं पुनर्विचार किया जाएगा तथा उन्हें तदनुसार निपटाया जाएगा।

[1]निर्णय सं 16—वित्त विभाग के आदेश संख्या डी 7450/58 एफ 1 (70) आर/56 भाग 1 दिनांक 21-3-59 में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश दिया गया है कि स्टेट पेंशनर जो 31-3-64 को या उससे पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हैं एवं जो (उक्त आदेश के अधीन स्वीकृत भत्तों में अस्थाई वृद्धि को मिलाकर) 25) रु तक की पेंशन प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं उन्हें उनकी पेंशन में दिनांक 1-4-64 से 5) रु की अस्थायी वृद्धि स्वीकार की जाती है। ऐसे मामलों में जिसमें पेंशन एवं अस्थायी वृद्धि 25) रु से अधिक है लेकिन 30) रु से कम है तो तदर्थ वृद्धि की राशि ऐसी होगी। कुल पेंशन एवं अस्थायी वृद्धि 30) रु तक हो होगा।

यह और भी आदेश दिया जाता है कि एक स्टेट पेंशनर जो कि वित्त विभाग के आदेश संख्या 4641/58 एफ 7ए (14) एफ डी ए/नियम/58 दिनांक 2-3-59 एवं एफ 1 (73) एफ डी ए रूल्स/62 दि 28-3-63 के अधीन अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार नहीं है उन्हें निम्नलिखित दर के आधार पर 1-4-64 से तदर्थ अस्थाई वृद्धि स्वीकृत कर दी जाए—

पेंशन की दर	पेंशन में तदर्थ अस्थाई वृद्धि
25) रु तक की पेंशन	5) रु प्रतिमाह

1 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (11) एफ डी (व्यय नियम) 64 दि 14-4-64 द्वारा शामिल किया गया।

25) रु से अधिक लेकिन 30) रु से कम प्रति माह की पेंशन — ऐसी अस्थाई वृद्धि जिससे कि पेंशन वृद्धि कुल योग 30) रु हो जाए।

4 उपरोक्त तदर्थ वृद्धि 1–4–64 को या उसके बाद रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। फिर भी वे पेंशन पर अस्थाई वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे यदि वह उनके लिए वित्त विभाग के आदेश संख्या 7450/58 एफ 1 (70) आर/56 पी टी (क) दिनांक 21 3 59 के अनुसार प्राप्त है।

निर्णय संख्या 17—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 14–4–64 उपयुक्त निर्णय सं 16 के क्रम में प्रयुक्त में कुछ रूपान्तरण करते हुए यह आदेश दिया गया है कि जो राज्य कर्मचारी मार्च 1964 के महिने में सेवा से निवृत्त हो गए हैं एवं जिनके मामले में पेंशन की राशि (अस्थाई वृद्धि सहित) 25) रु तक वित्त विभाग के आदेश दि 8–10–64 द्वारा बढ़ा दी गई है, उन्हें दिनांक 1–4–64 से पेंशन में तदर्थ अस्थाई वृद्धि उस अन्तर की राशि के बराबर जो 5) रु एवं उक्त आदेश के अधीन स्वीकृत वृद्धि की राशि के बीच हो स्वीकृति दी जाती है।

[1]निर्णय संख्या 18—यह आदेश दिया जाता है कि जहां पर पेंशन की राशि अस्थाई वृद्धि को मिलाकर 25) रु प्रति माह से कम आती हो वह ऐसे राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में 25) रु तक बढ़ा दी जाय जो कि अधिवार्षिकी (सुपरऐन्युएशन) सेवा निवृत्ति क्षतिपूर्ति या अमान्य पेंशन या 1–3–64 के बाद सेवा से निवृत्त किए जा रहे हों।

यह और भी आदेश दिया जाता है कि जहां पर कोई अन्य पेंशन यथा क्षतिपूर्ति/अमान्य/सेवा निवृत्ति/अधिवार्षिकी/परिवार पेंशन प्राप्त की जा रही हो या जहां पर राज्य कर्मचारी सरकार से कोई वेतन प्राप्त नहीं करता हो तो राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 24 में अन्तर्विष्ट असाधारण पेंशन नियमों के अधीन व्रण (इन्ज्युरी) पेंशन की न्यूनतम दर 25) रु प्रतिमाह से (इसमें अस्थाई वृद्धि भी शामिल होगी) दिनांक 1–3–64 से कम नहीं होगी एवं इसमें इन्ज्युरी पेंशन प्राप्त करने वाले सभी मामले एवं इस तारीख के बाद होने वाले समस्त मामले शामिल होंगे।

[2]निर्णय संख्या 19—यह आदेश दिया गया है कि जहां अस्थाई वृद्धि को शामिल करते हुए पेंशन की राशि 30 रु प्रति माह से कम आती है वह उन सरकारी कर्मचारियों के जो अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति या इनवेलिड या परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे है तथा उन व्यक्तियों के मामले में जो परिवार पेंशन प्राप्त करते है दिनांक 1–3–65 से 30 रु प्रति माह तक बढ़ा दी जावे।

यह और भी आदेश दिया जाता है कि जहां कोई अन्य पेंशन अर्थात क्षति पूर्ति/इनवेलिड/सेवा निवृत्ति/अधिवार्षिकी/परिवार पेंशन प्राप्त नहीं की जा रही हो या जहां सरकारी कर्मचारी सरकार से कोई वेतन प्राप्त नहीं करता हो वहां राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 24 में अन्तर्विष्ट असाधारण पेंशन नियमों के अधीन इन्जुरी पेंशन की न्यूनतम दर (अस्थाई वृद्धि को शामिल करते हुए) 30 रु प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

ये आदेश निम्न पर लागू होंगे—

(1) समस्त सरकारी कर्मचारी जो कि दिनांक 1 3 56 से पूर्व सेवा निवृत्त होते हैं तथा जो अधिवार्षिकी क्षतिपूर्ति सेवा निवृत्ति अथवा असाधारण पेंशन प्राप्त करते हैं तथा वे व्यक्ति जिन्हें 1 3 65 से पूर्व परिवार पेंशन स्वीकृत की गई थी।

(2) समस्त कर्मचारी जो दिनांक 1–3–65 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होते है तथा समस्त व्यक्ति जो उस तारीख को या उसके बाद परिवार पेंशन के लिए अधिकृत होते हैं।

[3]स्पष्टीकरण—(1) वित्त विभाग की आज्ञा दि 15–4–65 (उक्त निर्णय सं 19) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो दि 1–3–65 से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके थे तथा जो पेंशन प्राप्त करता था भुगतान योग्य पेंशन की राशि अस्थाई वृद्धि को शामिल करते हुए 30 रु से कम आई हो वहां वह पेंशन दि 1–3–65 से 30 रु प्रति माह तक बढ़ाई जायेगी।

---

1 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (12) एफ डी (व्यय नियम) दिनांक 8–10–64 एवं 22–1–65 द्वारा शामिल।

2 वित्त विभाग के ज्ञाप सं एफ 1 (12) वित्त वि (व्यय नियम) 64 दि 19–4–65 द्वारा निविष्ट।

3 वित्त विभाग के ज्ञाप सं एफ 1 (12) वित्त वि (व्यय नियम) 64 दि 29–7–65 द्वारा निविष्ट।

एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त आदेश के प्रावधान उन जागीर पेंशनरों पर भी प्रयोज्य हैं जो राजस्व विभाग के आदेश स एफ 4 (361) राजस्व/ए/54 दिनांक 31–1–55 एवं राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहण (जागीर कर्मचारियों का विलीनीकरण) नियम, 1954 के नियम 10 के साथ पठित राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 28 के प्रावधानों के अधीन राज्य की संचित निधि से भुगतान प्राप्त करते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ज्ञाप दिनांक 15–4–65 के प्रावधान जागीर कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

[1](2) वित्त विभाग के ज्ञाप दि 15–4–65 (उक्त निर्णय स 19) के अनुसार न्यूनतम पेंशन 30 रु प्रति माह की दर पर स्वीकार्य है। एक सन्देह उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त आदेश के प्रावधान राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 24 मे अन्तर्विष्ट असाधारण पेंशन नियमो के नियम 275 व 276 के अधीन स्वीकृत असाधारण परिवार पेंशन पर भी लागू होंगे ?

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान ऊपर सन्दर्भित नियम 275 व 276 के अधीन स्वीकृत असाधारण परिवार पेंशन पर प्रयोज्य नहीं है। यह उक्त नियमो के नियम 276 के अधीन इंजुरी पेंशन जो स्वयं सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है, पर प्रयोज्य है।

[2]निर्णय संख्या 20—एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या राजस्थान सेवा नियमो के नियम 256 के नीचे राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 18 के प्रावधान (समय समय पर संशोधनों सहित) उन राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें कि शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त कर दिया जाता है एवं जिन्हें राजस्थान सेवा नियमो के नियम 172 के अधीन पेंशन स्वीकृत की जाती है।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि पूर्वोक्त निर्णय के प्रावधान उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें शास्ति के रूप में सेवा निवृत्त किया जाता है तथा नियम 172 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जाती है।

पूर्व की मांग जिनका कि अन्यथा प्रकार से निर्णय किया जा चुका है उन्हें पुन खोला नहीं जाए लेकिन विचाराधीन मामलो का निर्णय इन आदेशो के अधीन किया जाए।

खण्ड 2—मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान (Death Cum Retirement Gratuity)

(1) एक राज्य कर्मचारी जिसने 5 साल की योग्य सेवा पूर्ण कर ली है उसे

नियम 257 एक अतिरिक्त ग्रेच्युटी उप अवतरण (3) में वर्णित राशि तक जब वह सेवा से निवृत्त हो, स्वीकृत की जा सकती है एवं वह खण्ड 1 के अन्तर्गत ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए हकदार हो जाता है।

(2) यदि एक राज्य कर्मचारी ने 5 साल की योग्य सेवा पूर्ण करली है तथा वह सेवा में ही मर जाता है तो उप अवतरण (3) में वर्णित राशि के बराबर तक की ग्रेच्युटी नियम 260 के अन्तर्गत उस व्यक्ति/या उन व्यक्तियों को दी जा सकती है जिसको कि उसने प्राप्त करने का अधिकार दिया हो। यदि ऐसा कोई प्रावधान न हो तो यह निम्नलिखित तरीके से दी जावे—

(i) यदि परिवार में एक या एक से अधिक जीवित सदस्य हो तो नियम 260 के खण्ड (1) के क्रमांक (1) (2) (3) के रूप में, परिवार के सभी सदस्यो में, सिवाय ऐसे सदस्य के जो विधवा पुत्री हो बराबर बांट दी जावे।

(ii) यदि उपरोक्त (1) के अनुसार परिवार का कोई ऐसा जीवित सदस्य न हो लेकिन एक या एक से अधिक विधवा पुत्रियां एवं/या नियम 60 के खण्ड (1) के क्रमांक (5) (6) व (7) मे दिये गये अनुसार परिवार के सदस्य जीवित हो तो ग्रेच्युटी ऐसे सभी सदस्यो में बराबर बांट दी जावेगी।

यदि एक राज्य कर्मचारी नियम 257 के खण्ड (1) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी के लिये योग्य हो गया हो लेकिन जो ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व ही मर चुका हो तो ऐसे मामलो में ग्रेच्युटी निम्न प्रकार से दी जावेगी—

---

1 वित्त विभाग के ज्ञाप स एफ 1 (12) वित्त वि (व्यय नियम) 64 दि 8 10 68 द्वारा निविष्ट।

2 वित्त विभाग की आज्ञा स 1 (28) एफ डी (व्यय नियम) 67 दिनांक 23–11–67 द्वारा निविष्ट।

(अ) उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसको कि ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार नियम 260 के अन्तर्गत दिया गया हो, या

(ख) यदि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है तो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 257 के खण्ड (2) में दिए गए तरीके के अनुसार।

निर्णय सं० 1—सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें राज्य कर्मचारी निर्धारित मनोनयन पत्र बिना भरे ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका है एवं वैध उत्तराधिकारिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में बड़ी असुविधा होती है तथा पेंशन के मामलों को निपटाने में देर हो जाती है। इस पर जोर दिया गया है कि जिन मामलों में ग्रेच्युटी की राशि थोड़ी होती है वहां उसके लिए वैध उत्तराधिकारिता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक व्यय करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार विचारती है कि निम्न वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारी, जो कि सामान्यतः अशिक्षित होते हैं जहां जिनके आश्रित गण सदस्यों के वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी व्यय व परेशानी उठानी पड़ती है उन्हें कुछ हद तक सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इसलिए महामहिम राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि 30-12-54 को या इससे पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनकी मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए क्लेम की गई ग्रेच्युटी 5000) रु० की सीमा तक राज्य कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। यह स्वीकृति उसी समय दी जायगी जब वह एक प्रतिज्ञा पत्र (Indemnity bond) ऐसी जमानतों के साथ भर कर दे जिसे वह एक हलफनामे के साथ मांगे। उसमें यह लिखा होना चाहिये कि दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी है। यदि सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति के अधिकार व टाइटिल से सन्तुष्ट हो जाता है तथा यह सोचता है कि वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अनावश्यक देर व कठिनाई उत्तराधिकारी को उठानी पड़ेगी तो वह उक्त सीमा तक मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकृत कर सकेगा। फिर भी किसी प्रकार के सन्देह की स्थिति में भुगतान केवल वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही व्यक्ति को किया जा सकेगा।

निर्णय सं० 2—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसी ग्रेच्युटी जो स्वीकृत तो हो चुकी हो पर जिसका भुगतान वास्तविक रूप में नहीं हुआ हो तो क्या उसका भुगतान आदेश संख्या एफ 3561/57/एफ 7 ए (10) एफ डी ए/नियम/57 दिनांक 19 6 57 के अनुसार या इस संशोधन के पूर्व वर्तमान आदेशों के अनुसार किया जा सकता है। मामले पर विचार किया गया तथा आदेश दिया गया था कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई है पर उसका भुगतान दिनांक 19 जून 57 तक नहीं किया गया है तो उनका भुगतान आदेश दिनांक 19 जून 1957 तक करके उन्हें नियमित कर लिया जावे चाहे दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत राज्य कर्मचारी के परिवार का सदस्य हो या नहीं हो परन्तु जिसने उत्तराधिकारिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो या प्रतिज्ञा पत्र भर दिया हो। फिर भी जिन मामलों में आदेश दिनांक 14 जून, 1957 के जारी होने के बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान पहिले ही लेकिन यह भुगतान इस आदेश को प्राप्त करने की तारीख से पूर्व 19 जून 1957 में पूर्व प्रभावशील नियमों के अनुसार कर दिया गया हो उन मामलों को पुनः खोलने की जरूरत नहीं है।

आदेश दिनांक 19 जून 1957 के अन्तर्गत ग्रेच्युटी स्वीकृत करने में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णय पर तय कर सकता है कि क्या क्लेम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मृत राज्य कर्मचारी के परिवार का सदस्य है और क्या किसी व्यक्तिगत मामले में दावेदार द्वारा जमानत सहित या जमानत रहित एवं/या अन्य मुख्तारों के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र (Indemnity Bond) भराया जाना चाहिए या नहीं।

निर्णय सं० 3—विलोपित किया गया।

निर्णय सं० 4—सरकार के ध्यान में एक उदाहरण लाये गये हैं कि जबकि बहुत से राज्य कर्मचारियों की मृत्यु सेवा में हो जाती है लेकिन मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए परिवार के सदस्यों के क्लेमों का निर्णय शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाता है एवं इसमें मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए बड़ी असुविधायें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि जो अराजपत्रित राज्य कर्मचारी स्थाई रूप से नियुक्त हुए हैं एवं जिन्होंने कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी करली है तथा जो सेवा में ही मर जाते हैं (जब वह ड्यूटी पर हो या वेतन सहित या वेतन रहित अवकाश पर हो) तो उनके परिवारों की उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के

लिए पारिवारिक सहायता दी जानी चाहिये । इसलिए पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को उन राज्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए कर्मचारी के दो माह की राशि के वेतन की बराबर *की राशि जो कि उसके अन्तिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन पर आधारित होगी* अधिकतम 500) रु० की शर्त तक स्वीकार करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि यदि पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की राय में राज्य कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके ऊपर आश्रित परिवार असहाय अवस्था में छोड़ दिया गया हो तथा उनके लिए वित्तीय सहायता उस समय देना बहुत जरूरी हो । इस प्रयोजन के लिये वेतन शब्द का अर्थ 'स्थाई वेतन' से है ।

उन राज्य कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने अपनी मृत्यु-सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए मनोनयन नहीं किया है, पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनसे उस परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध की घोषणा प्राप्त करनी चाहिए जिनको कि उपरोक्त अवतरण (1) में वर्णित धनराशि का वितरित किया जाना है । एडवांस दी गई राशि मृत्यु-सह सेवा निवृत्ति की राशि में से काट ली जावेगी जो कि बाद में मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के लिए स्वीकृत की जाती है ।

जिन मामलों में राज्य कर्मचारियों ने अपनी मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए मनोनयन भर दिया हो तो मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दी जावेगी जिसे प्राप्त करते के लिए मृत राज्य कर्मचारी ने मनोनयन किया था तथा उन सब मनोनीत लोगों में उस राशि का इस अनुपात से बांटा जावेगा जैसा कि उसने अपने मनोनयन पत्र में इच्छा प्रकट की है ।

भुगतान के पूर्व इन सभी मामलों में व्यक्ति या व्यक्तियों से यह प्रतिज्ञा लिखवा लेनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि में से एडवांस की राशि काटने के लिए सहमति प्रदान करते हैं ।

इस आदेश के अन्तर्गत भुगतान "S—डिपोजिट्स एवं एडवांस भाग 3 ब्याज रहित एडवांस-एडवांस पुनर्भुगतान करने योग्य एक सिविल एडवांस आपत्ति पुस्तिका एडवांस अराजपत्रित अधिकारी गण (उन अराजपत्रित कर्मचारियों के परिवारों को वेतन के एडवांस जो सेवा में मरते हैं)' मद में *नाम लिखा जावेगा । विभागाध्यक्ष द्वारा जो स्वीकृति दी जावेगी उनमें निम्नलिखित विशेष विवरण* दिया जावेगा ।

(1) कर्मचारी का नाम (अराजपत्रित)

(2) पद एवं कार्यालय जिसमें कि व्यक्ति अन्तिम समय काम कर रहा था ।

(3) अन्तिम प्राप्त किये गये वेतन का विशेष विवरण (स्थाई वेतन एवं अन्य वेतन के अन्य मद, यदि कोई हो तो उन्हें अलग अलग दिखलाया जाना चाहिए)

(4) पेंशन योग्य सेवा का सेवाकाल ।

(5) स्वीकृत एडवांस की राशि ।

(6) प्राप्त करने वाले का नाम ।

स्वीकृति की एक प्रतिलिपि महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को भेजी जावेगी तथा विभागाध्यक्ष कर्मचारी वर्ग के वेतन बिल के फार्म पर स्वीकृति की एक प्रतिलिपि साथ में सलग्न कर धनराशि प्राप्त करेंगे तथा उसे स्वीकृति आदेश में वर्णित प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दे दिया जावेगा । इस पक्ष में एडवांस की राशि के भुगतान का तथ्य उस अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate) *में लिखा जाना चाहिये जो कि मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के कागजों के साथ महालेखाकार के* कार्यालय को भिजवाया जाना है ।

पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि में से एडवांस दी गई राशि का समायोजन कर लिया गया है । यदि मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि प्रारम्भ में स्वीकृत किये गये एडवांस की राशि से कम है तथा यह बकाया रकम अन्त में वसूल न करने लायक समझी जावे तो उसे 57—मिसलेनियस एवं वसूल न करने योग्य अस्थाई ऋण एवं एडवांस जो समाप्त किये गये' मद में सरकार की विशेष आज्ञा द्वारा लिखा जाना चाहिये ।

इन आदेशों के अधीन भुगतान स्वीकृत करने का प्रत्येक आदेश वित्त विभाग व महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के लिए भी पृष्ठांकित किया जावेगा ।

महालेखाकार सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के लिये एवं सभी कोषाधिकारियों के लिए इस सम्बन्ध में उचित सहायक निर्देशन जारी करेंगे ।

क मरने पर या जब मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु के बाद लेकिन ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त करने के पूर्व हुई हो तो उत्तराधिकार मिलेगा।

(ii) मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की पूर्ण राशि या आंशिक प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को मौजूदा तथ्यों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये एवं इसके बाद की होने वाली घटना (जैसे एक विधवा का पुनः शादी करना एक अविवाहित लड़की, बहिन आदि की शादी होना) का प्रभाव उसके अधिकार पर नहीं पड़ेगा। फिर भी एक व्यक्ति जो राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी पाने के लिये अधिकृत था यदि रकम प्राप्त करने के पूर्व मर जाता है तो ग्रेच्युटी की राशि या उसका हिस्सा निम्नलिखित तरीके के अनुसार पुनः बांटा जाना चाहिये—

(क) यदि कोई मनोनयन किया हुआ व्यक्ति न हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति के लिए प्राप्य ग्रेच्युटी की राशि या हिस्सा मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के योग्य जीवित सदस्यों में बराबर बांट दिया जाना चाहिये।

(ख) यदि सम्बन्धित व्यक्ति एक मनोनीत किया हुआ (Nominee) था तो मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि या हिस्सा पाने का अधिकार उपरोक्त निर्णय (1) की शर्तों पर दूसरे मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपा जावेगा परन्तु यदि कोई दूसरा मनोनीत उम्मीदवार न हो तो ग्रेच्युटी की राशि या हिस्सा सम्बन्धित व्यक्ति के सह मनोनीत व्यक्तियों (Co-nominees) में यदि कोई हो बराबर में बांट दिया जाना चाहिये ऐसा न होने पर उपरोक्त (क) के अनुसार मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार के जीवित योग्य सदस्यों में बराबर हिस्सा में बांट देना चाहिये।

[1]उप नियम—(3)—(i) ग्रेच्युटी की राशि प्रत्येक राज्य कर्मचारी की हर पूर्ण वर्ष की योग्य सेवा की राशि का 9/20 भाग होगी लेकिन 'कुल राशि' के पन्द्रह गुने से किसी भी रूप में ज्यादा नहीं होगी। एक राज्य कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसकी ग्रेच्युटी की राशि कुल राशि की न्यूनतम 12 गुना तक होगी परन्तु यह शर्त है कि किसी भी रूप में 24000) रु से अधिक नहीं होगी।

(ii) फिर भी उप अवतरण 3 (i) में कुछ दिये गये अनुसार 18 दिसम्बर 61 को या उसके बाद से सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ग्रेच्युटी की राशि योग्य सेवा से हर 6 माह की पूर्ण अवधि के लिए एक राज्य कर्मचारी की कुल राशि का 1/4 भाग होगी परन्तु कुल राशि के 15 गुना से अधिक नहीं होगी। जब एक राज्य कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवा काल में हो होती हो तो ग्रेच्युटी की राशि राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर 'कुल राशि की न्यूनतम 12 गुना होगी परन्तु किसी भी दशा में यह 24000) रु से ज्यादा नहीं होगी।

[2]'(iii) उपपराग्राफ 3 (i) एवं (ii) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी दि 31-10-1974 को या इसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में उपदान की राशि उस सरकारी कर्मचारी द्वारा सपूरित योग्य सेवा की प्रत्येक छः माही अवधि के लिए परिलाभों (इमोल्यूमेंटस) का एक चौथाई होगी जो परिलाभों के 168 गुना की अधिकतम सीमा में होगी। किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उपदान की राशि उस सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के समय के परिलाभों को बारह गुनी तक की न्यूनतम (कम से कम) सीमा के अधीन होगी। परन्तु यह है कि इस नियम के अधीन देय मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान की राशि किसी भी हालत में रु 30 000/- से अधिक नहीं होगी।

[3]*निर्णय संख्या 1*—*एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि ऐसे मामले में* मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी किस प्रकार निकाली जावेगी जब कि 30 साल की पूर्ण सेवा में दो प्रकार की सेवाओं के समय का सेवा का व्यवधान सम्मिलित कर मिलाया गया हो जैसे कि चतुर्थ श्रेणी सेवा 17 वर्ष 8 माह 23 दिनों की हो एवं उच्च सेवा 12 वर्ष 3 माह 7 दिनों की हो।

यह निर्णय किया गया है कि मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी निकालने के प्रयोजन के लिए उच्चतर ग्रेड में सेवा के व्यवधान के समय को निरंतर श्रेणी की सेवा के रूप में शामिल किया जाना

---

1 वि वि आज्ञा स F 1 (51) वि वि /A/Rules/61, दि 18-12-61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 स एफ 1 (53) वि वि (श्रे 2)/74 दि 2-12-74 द्वारा निविष्ट तथा 31-10-1974 से प्रभावशील।
3 वि वि आज्ञा स D 6458 F 1(49) F D (R)/56, दि 7-1-57 द्वारा निविष्ट।

चाहिए यदि उसकी तादाद उससे बढती हो ।

[1]निर्णय संख्या 2 राजस्थान सेवा नियमो के नियम 353 व 354 के प्रतिबन्ध मृत्यु अवशिष्ट ग्रेच्युटी के भुगतान पर भी उन पुनर्नियुक्त राज्य कर्मचारियो के सम्बन्ध मे लागू होने चाहिए जिन्होने अपनी पूर्व की सेवा की अयोग्य क्षतिपूरक पेन्शन या ग्रेच्युटी प्राप्त की हो । दूसरे शब्दो मे यदि पुनर्नियुक्त राज्य कर्मचारी 5 वर्ष की योग्य सेवा करने के बाद सेवा मे ही समाप्त हो जाता है तो राजस्थान सेवा नियमो के नियम 257 (3) के अन्तर्गत उसके परिवार को देय ग्रेच्युटी की राशि उसके द्वारा अपनी सेवा की प्रथम समयावधि मे वास्तविक रूप मे प्राप्त की गई ग्रेच्युटी या पेन्शन की राशि के बराबर तक सीमित होनी चाहिए । इसी प्रकार यदि एक राज्य कर्मचारी सेवा से अन्तिम रूप मे निवृत्त हो जाने के बाद समाप्त होता है तो राजस्थान सेवा नियमो के नियम 258 के अन्तर्गत यदि कोई अवशिष्ट ग्रेच्युटी (Residuary gratuity) बकाया हो तो उसे उस सीमा तक जहां सम्भव हो और घटाया जाना चाहिए जिस तक कि सेवा की प्रथम अवधि मे वास्तविक रूप से उसने पेन्शन ग्रेच्युटी प्राप्त की थी ।

नियम 257क [2]अस्थाई सरकारी कर्मचारी जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता है या सेवा से मुक्त (डिस्चार्ज) होता है या भावी सेवा के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है या यदि वह सेवा मे रहते हुए मर जाता है तो उसका परिवार उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1/2 माह की दर पर उपदान ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिये हकदार होगा बशर्ते कि उसने सेवा निवृत्ति सेवामुक्ति या अयोग्य घोषित होने या मृत्यु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।

(i) परन्तु यह और है कि इस नियम के अधीन उपदान की स्वीकृति उसे नियुक्त करने मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्तोषजनक समझी जाने की शर्त के अधीन रहेगी ।

(ii) यह कि यदि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र देता है या अनुशासनिक कार्यवाही के रूप मे सेवा से हटाया या निष्कासन कर दिया जाता है तो उसे कोई उपदान स्वीकार नही किया जाएगा ।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजनार्थ वेतन का तात्पर्य नियम 7 (24) मे परिभाषित वेतन से है जिसे सरकारी कर्मचारी सेवा के अन्तिम दिन प्राप्त कर रहा था ।

ये आदेश इनके जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगे किन्तु इस आदेश के जारी किए जाने से पूर्व मामले जो अन्यथा निर्णीत किए जा चुके हैं उन पर पुनर्विचार नही किया जाएगा । विचाराधीन मामलो को फिर भी इन आदेशो के अधीन निर्णीत किया जा सकेगा ।

[3]निर्णय—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 257 क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि अस्थाई सरकारी कर्मचारी को नीचे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान के लिए प्रावधान करता है ।

महालेखाकार राजस्थान के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि नियम 257 क के अधीन भुगतान योग्य उपदान की राशि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को बिना औपचारिक आवेदन या अपेक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही उसी तरीके से आहरित एवं भुगतान की जाए जिस रूप मे कि वेतन के क्लेम आधारित किए जाते है । ये वेतन बिल के प्रपत्र मे आहरित की जानी चाहिए ।

[4]स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 257 क मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार एक अस्थाई सरकारी कर्मचारी जो अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होता है या सेवा से विमुक्त कर दिया गया है या आगे सेवा के लिए अशक्त घोषित कर दिया गया है या उसका परिवार जब कि वह सेवा मे मर जाता है उसकी सेवा के प्रत्येक परिपूरित वर्ष के लिए आधा महीने के वेतन की दर पर उपदान (ग्रेच्युटी) के लिये पात्र है परन्तु शर्त यह है कि—सेवा निवृत्ति विमुक्ति या अशक्तता या मृत्यु के समय उसने पांच वर्ष की कम से कम सेवा पूरी करली हो ।

---

1 वि वि आज्ञा स D 5728/F 1 (177) FD/A/Rules/56, दि 28-3-57 द्वारा निविष्ट ।
2 वित्त वि की आज्ञा स एफ 1 (24) वित्त वि (नियम) 69 दि 29-7-70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1(13) वित्त वि (व्यय नियम) दि 11 5 66 द्वारा निविष्ट ।
4 विज्ञप्ति स एफ 1 (24) वि वि (नियम)/69 दि 11-5-1974 द्वारा निविष्ट ।

(ग्स पर) एक प्रश्न उठाया गया कि क्या अस्थाई सेवाम कम से कम 5 वर्ष की अवधि में अवकाश मय असाधारण अवकाश की अवधियो को गिना जावेगा इस प्रश्न पर परीक्षण कर यह स्पष्ट किया जाता है कि—ग्रस्थाइ सेवा म वत य की अवधि और अवकाश मय असाधारण अवकाश की अवधि या सम्मिलित हैं।

यह पुन स्पष्ट किया जाता है कि एसे सरकारी कमचारी के बारे म जो अपनी सवा निवत्ति विमुक्ति या अशक्तता या मृत्यु के पहल भत्ते सहित या रहित अवकाश पर था (तो) उपरोक्त नियम क प्रयोजनाथ वेतन स अथ राजस्थान सेवा नियमो के नियम 7 (24) म परिभाषित वतन से है, जा एस अवकाश के ठीक पहले आहरित करता था।

निणय—यदि एक अधिकारी खण्ड 1 के अन्तगत पेन्शन या ग्रेच्युटी पाने के लिए योग्य हो जाता है

नियम 258 तथा सेवा से निवत्त होने के बाद मर जाता है तथा मृत्यु क समय उसक द्वारा वास्तविक रूप म प्राप्त की गई 'कुल राशि ग्रेच्युटी या पेन्शन की राशि तथा नियम 257 के *उप अवतरण (1) के अन्तगत स्वीकृत की गई ग्रेच्युटी की राशि एव उसके द्वारा* रूपान्तरित कराई गई पेन्शन के किसी भाग को रूपान्तरित राशि कुल मिलाकर यदि उसकी कुल राशि के 12 गुने से कम है तो उप अवतरण (2) म निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियो के लिए उतनी कम राशि तक ग्रेच्युटी स्वीकार की जा सकती है।

टिप्पणी—इस नियम म वर्णित अवशिष्ट ग्रेच्युटी केवल उसी समय स्वीकृत की जाती है जबकि राज्य कमचारी की मृत्यु उसक सेवा निवत्ति होने के बाद 5 साल के भीतर होती है।

कुल राशि की परिभाषा (Emoluments defined)—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'कुल

नियम 259 राशि 1800) रु प्रति माह तक सीमित होगी। उच्च सेवा म नियुक्त राज्य कमचारियो के मामला म कुल राशि नियम 250 के अनुसार गिनी जावेगी बशर्ते कि यदि किसी राज्य कमचारी की कुल राशि उसकी गत तीन साल की सवाओ म दण्ड के अलावा अन्य रूप से घटा दी गइ हो तो 'औसतन कुल राशि नियम 251 मे वर्णन किए गए अनुसार उस अधिकारी के निणय के अनुसार जिसे स्वीकति प्रदान करने के अधिकार है कुल राशि क रूप म समझी जावेगी।

यह सशोधन दिनाक 1–10–62 से प्रभावशील हुआ समझा जावगा।

निणय एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि यदि एक राज्य कमचारी अपनी सेवा निवत्ति के कुछ समय पूव से ही निलम्बित हो जाता हो तथा जिसके निलम्बन काल को सवा क रूप म गिन जान की स्वीकति नही दी जाती है तो राजस्थान सेवा नियमो के अन्तगत मृत्यु सह सेवा-निवत्ति ग्रेच्युटी गिनने के प्रयोजन के लिये कुल राशि क्या होगी ?

मामले की जाच कर ली गई है तथा यह निणय किया गया है कि ऐसे मामलों म निलम्बित होने की तारीख से पूव प्राप्त की जा रही कुल राशि को ही इस काय के लिए गिना जाना चाहिए।

[1] 'नियम 259 मे वर्णित प्रावधानो के होन हुए भी कि 31–10–1974 को या उसके बाद सेवा

नियम 259क निवृत्त हो रहे सरकारी कमचारी के सम्बन्ध मे इस खण्ड के प्रयोजनाथ परिलाभा की अधिकतम सीमा रु 2500/ प्रतिमाह होगी। परिलाभा की सगणना नियम 250-ग (3) के अनुसार की जावगी।'

[2] **नियम 259ख** नियम 259 और 259 (क) क उपबन्धो के होते हुए भी उस सरकारी कमचारी की बावत जो 1–9 76 के पश्चात सेवा निवत्त होता है इस धारा के प्रयोजनाथ 'परिलब्धिया अधिकतम 2500/–रु प्रतिमास के अध्यधीन होगा। उक्त परिलब्धिया की सगणना नियम 250 ग) के उप नियम (4) के अनुसार की जायगी।

मनोनयन (Nominations)

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए—

नियम 260 (क) परिवार म अधिकारी के निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल हैं—

(1) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध म पत्नी।

(2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध म पति।

---

1 स एफ 1 (53) वि वि (श्रे 2)/74 दि 2–12–74 द्वारा निविष्ट तथा 31–10–1974 से प्रभावशील।

2 सख्या एफ 1 (53) वित्त (ग्रुप 2)/74 दिनाक 1–12–76 द्वारा निविष्ट।

(3) पुत्र।

(4) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियां।

(5) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई एवं अविवाहित एवं विधवा बहिनें।

(6) पिता एवं

(7) माता।

टिप्पणी—उक्त (3) एवं (4) संख्या में सौतेले बच्चे भी शामिल होंगे।

(ख) इस नियम के प्रयोजन के लिए 'व्यक्ति' में निगमित (incorporated) या अनिगमित, किसी कम्पनी या संगठन (association) या व्यक्तियों के समुदाय शामिल होंगे।

(2) कब आवश्यक है—जैसे ही राज्य कर्मचारी 5 साल की योग्य सेवा पूर्ण करता है एक मनोनयन पत्र भरेगा जिसमें वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसी किसी एक ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का अधिकार देते हुए मनोनीत करेगा जो कि उसे नियम 257 के उप अवतरण (?) एवं नियम 258 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सके एवं वह ग्रेच्युटी जो कि उसे नियम 257 के उप अवतरण (1) एवं नियम 256 के अन्तर्गत प्राप्य हो गई है पर मृत्यु से पूर्व उसे नहीं मिल चुकी हो।

परन्तु शर्त यह है कि मनोनयन पत्र भरने के समय यदि अधिकारी का परिवार है तो वह अपना मनोनयन परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में नहीं भरेगा।

टिप्पणी सं. 1—एक अधिकारी स्थायी हो जाने के बाद किसी भी समय मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए मनोनयन पत्र भर सकता है एवं यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त नियम 260 (2) में दिए गये अनुसार 5 साल की योग्य सेवा पूर्ण होने पर ही वह मनोनयन पत्र भरे।

5 साल की योग्य सेवा पूर्ण करने के पूर्व दिया गया मनोनयन भी प्रभावशील माना जावेगा बशर्ते कि वह वैध रूप से किया गया हो तथा अन्यथा रूप में वह ठीक ढंग से भरा गया हो।

टिप्पणी सं. 2—जब एक राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में मनोनयन तथा उसमें ई परिवर्तन साधारण रूप में किया जावेगा तो उसे अपनी सेवा निवृत्ति के बाद भी, यदि वश्यकता पड़ गई हो तो अपने पूर्व मनोनयन के स्थान पर नया मनोनयन भरने की स्वीकृति द जावेगी।

[1]सरकारी निर्देश—इन नियमों के नियम 260 (2) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी एक नोनयन पत्र भरेगा जिसमें वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसी किसी एक ग्रेच्युटी की राशि प्त करने का अधिकार देते हुए मनोनीत करेगा जो कि उसे नियम 257 के उप अवतरण (2) एवं यम 258 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सके।

महालेखाकार राजस्थान जयपुर ने इस विभाग को सूचित किया कि बड़ी संख्या में राजपत्रित धिकारियों ने वांछित मनोनयन पत्र अभी तक प्रेषित नहीं किया है। चूंकि मृत्यु सह निवृत्ति उपदान तु मनोनयन पत्र को महालेखाकार राजस्थान के कार्यालय में भेजना राज्य कर्मचारी के हित में है जिससे पेन्शन के प्रकरणों को निपटाने में विलम्ब न हो। यह सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व कि वह सुनिश्चित करले कि वांछित मनोनयन पत्र उसके द्वारा भेज दिया गया है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से यह आग्रह किया जाता है कि वे इस ज्ञापन को उनके अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं को सूचित करने हेतु आवश्यक कदम उठावें।

(3) यदि एक राज्य कर्मचारी उप अवतरण (2) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करता है तो वह मनोनयन में प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति को दी जाने वाली राशि या हिस्से का इस ढंग से उल्लेख करेगा कि पूर्ण राशि उनमें बांटी जा सके।

---

1 वित्त विभाग के आदेश सं. एफ 1(50) थ एफ़ी 2/73 दिनांक 29-11-1973 द्वारा निविष्ट।

(4) एक राज्य कमचारी मनोनयन म निम्न प्रकार से प्रावधान कर सकता है—

(क) किसी एक विशिष्ट मनोनीत व्यक्ति के सम्बन्ध मे, यह प्रावधान कर सकता है कि यदि अधिकारी के मरने के पूव ही वह मर गया तो उस मनोनीत व्यक्ति को जो अधिकार दिए गये हैं व दूसरे ऐसे मनोनीत व्यक्तियो को सौंप दिए जायेंगे जिसका उल्लेख मनोनयन म किया गया है बशर्ते कि यदि मनोनयन भरत समय अधिकारी का स्वय का एक से अधिक व्यक्तियो का कुटुम्ब हुआ तो इस प्रकार का उल्लेख किया गया व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के अलावा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नही होगा।

(ख) कि मनोनयन उसमे वर्णित आवश्यकताओ के उत्पन्न होने की स्थिति मे अवध हो जावेगा।

निणय—सरकार के यह ध्यान म लाया गया है कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 260 (2) के अन्तगत मृत्यु मह सेवा निवत्ति के मनोनयन म मृत्यु' को कही पर एक आकस्मिक घटना के रूप म बतलाया है जिसके कि हो जाने पर मनोनयन, राजस्थान सेवा नियमा के नियम 260 (4) (ख) के प्रावधाना के अन्तगत क, ख ग, और घ (राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 7) मनोनयन पत्र के अन्त से एक पहिले कालम म अमान्य हो जावगा। ऐसे मामलो म मनोनयन पत्रो का अन्तिम कालम भी उसम उस व्यक्ति का नाम दशाते हुए भरा जाता है जिसको कि राजस्थान सेवा नियमा के नियम 260 (4) (क) म दिए गये अनुसार अधिकारी के पूव ही मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अधिकार सौंप दिया जावेगा।

यह निश्चय किया गया है कि मनोनयन फाम के अन्तिम कालम म किये गये इन्द्राजो को ध्यान म रखत हुए 'मृत्यु का आकस्मिक घटना के रूप मे होना एव जिसके होन पर मनोनयन अमान्य हो जावगा आदि का वर्णन व्यथ एव गलत धारणा पदा करन वाला है। इसलिए, राज्य कमचारियो को सूचित किया जाता है कि उन्ह मनोनयन पत्रो के अन्त क पूव के कालम म मृत्यु को एक आकस्मिक घटना के रूप में नही लिखना चाहिए। फिर भी जिन सम्बन्धित अधिकारियो ने मनोनयन पत्र पहिले से ही भर दिये है तथा जिनको सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृत कर लिया है तथा जिनमें मृत्यु' को आकस्मिक घटना के रूप में लिखा गया है वे अमान्य नही होंगे।

(5) एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया मनोनयन, जिसका कि उसको भरते समय कोई परिवार न हो या मनोनयन भरने की तारीख को जिस अधिकारी का परिवार मौजूद है उसके द्वारा उप अवतरण (4) के खण्ड (क) के अन्तगत केवल एक ही सदस्य के लिए प्रावधान किया जावे तो वह अधिकारी के बाद म परिवार होने पर या परिवार म अतिरिक्त सदस्य होने पर जो, जसी भी स्थिति हो, अमान्य हो जावेगा।

(6) (क) प्रत्येक मनोनयन मामले की स्थिति दखते हुए परिशिष्ट 7 मे दिए गए 'क से घ तक के किसी फाम मे भरा जावगा।

(ख) एक राज्य कमचारी किसी भी समय उचित अधिकारी को एक नोटिस लिखित म देकर मनोनयन को रद्द कर सकता है बशर्ते कि कमचारी, ऐसे नोटिस के साथ इस अवतरण के अनुसार एक नया मनोनयन पत्र भेजेगा।

(7) एक कमचारी जिसके लिए उप नियम (4) के खड (क) के अन्तगत कोई विशेष प्रावधान न किया गया हो उसकी मत्यु होने पर, या कोई एक ऐसी घटना होने पर जिसके द्वारा उस नियम के खण्ड (ख) या उस नियम (5) के अनुसरण मे मनोनयन अमान्य हो जाते हैं अधिकारी इस अवतरण के अनुसार उचित अधिकारी के पास उस मनोनयन पत्र को रद्द करने के लिए एक औपचारिक नोटिस भेजगा तथा उसके साथ एक नया मनोनयन पत्र भर कर भेजेगा।

(8) इस अवतरण के अन्तगत राज्य कमचारी द्वारा प्रत्येक प्रस्तुत किया गया मनोनयन तथा उसे रद्द करने का हर एक नोटिस उसके राजपत्रित होन पर सरकार के लेखाधिकारी के पास भेज दिया जावेगा तथा अराजपत्रित अधिकारियो के सम्बन्ध म कार्यालय के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। कार्यालय का अध्यक्ष उसे प्राप्त करन की तारीख लिखते हुए उस पर अपने प्रति हस्ताक्षर करेगा तथा उसे अपने नियन्त्रण म रखेगा।

(9) एक राज्य कमचारी द्वारा किया गया मनोनयन तथा उसे रद्द करने के लिए दिया गया प्रत्येक नोटिस उस हद तक जहा तक वह मान्य है उस तारीख से लागू होगा जिसको कि वह उप अवतरण (8) म वर्णित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(10) फार्मो म केवल एक अन्य व्यक्ति को मनोनीत किए जाने का ही प्रावधान है एव एक

रा्य कमचारी को मूलत मनानीत व्यक्ति के बदले म एक से अधिक अन्य व्यक्ति मनानीत करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

निणय स 1—सभी विभागाध्यक्षा एव कायालय क अध्यक्षा का ध्यान राजस्थान सेवा नियमो क नियम 260 (2) एव 266 के प्रावधाना की ओर आकर्षित किया जाता है जिनम कि इन नियमा के परिशिष्ट 7 के फाम 'क से 'ड तक म मनोनयन पत्र भरे जान का उल्लेख है। जा कि नियम 257 क उप अवतरण (2) एव 258 के अन्तगत जो भी ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाय उसे तथा नियम 261 से 268 तक जो परिवार पेन्शन स्वीकृत की जावे उसे प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियो द्वारा प्राप्त करने के लिए अधिकार देते हैं एव उनसे निवदन किया जाता है कि व अपने विभाग म काय करने वाले राज्य कमचारियो स ये सब घोषणा पत्र भरवाने के लिए आवश्यक कायवाही करें।

इस प्रकार नियम 260 के अवतरण 6 (ख) के अन्तगत भरा गया प्रत्येक मनानयन एव उसे रद्द करने के लिए दिया गया हर एक नोटिस सभी राजपत्रित अधिकारियो द्वारा महालेखाकार के पास तथा अराजपत्रित अधिकारियो द्वारा कायालय के अध्यक्ष के पास भेजा जाना है। इसके बाद कायालय का अध्यक्ष उस पर प्राप्त करने की तारीख लगा कर प्रतिहस्ताक्षर करेगा तथा इसे अपनी सुरक्षा म रखेगा।

फाम राजकीय मुद्रणालय म स्टाक किये हुए हैं। विभागाध्यक्षों एव कायालय के अध्यक्षो से निवदन है कि वे अपनी अपनी आवश्यकताओ के अनुसार ये फाम मागपत्र देकर अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर से प्राप्त करलें।

राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 25 के खण्ड 5 म नियम 300क के अवतरण (ख) के अनुसार जिन मामला म निर्धारित मनोनयन पत्र नही भरे गये है—या जबकि मनोनीत व्यक्ति जीवित नही है एव जबकि ग्रेच्युटी दी जाने योग्य होती है, तो भुगतान केवल वैध उत्तराधिकारी का ही वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा। चू कि ऐसे मामला म साधारणतया वैध प्रामाणिकता प्रस्तुत करने म दावे प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिया के लिए अनावश्यक असुविधाए उत्पन्न होती हैं तथा मामलो को निपटान म अनुचित देर होती है इसलिए सभी विभागाध्यक्षा पर दबाव डाला जाता है कि राजस्थान सेवा नियमा के परिशिष्ट 7 म दिये गये निर्धारित फाम म वे उन कमचारियो से मनोनयन पत्र भरवाने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाए जिन्होंने कि अभी तक मनोनयन पत्र नही भरा है।

निणय स 2—महालेखाकार, राजस्थान द्वारा यह ध्यान म लाया गया है कि राजस्थान सेवा नियमा क नियम 260 एव 266 के अन्तगत आवश्यक मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी एव परिवार पेन्शना के मनोनयन पत्र मूल म सेवा निवृत्त अराजपत्रित कमचारिया के पेन्शन क कागजातो के साथ लेखा कायालय म भिजवाये जा रहे हैं।

कानूनी दुविधाओ को दूर करने के लिए, जो सम्भावित रूप से उत्पन्न हो सके एतदद्वारा सभी सम्बन्धितो को सूचित किया जाता है कि पेन्शन कागजातो के साथ मनोनयन पत्रो की केवल प्रमाणित प्रतिलिपियां ही भेजी जानी चाहिए तथा मूल मनोनयन पत्र जारी किए जाने वाले कार्यालय म रखे जाने चाहिए।

निणय स 3—राजस्थान सेवा नियमा क नियम 260 (2) के नीचे दी गई टिप्पणी के वर्तमान प्रावधानो के अनुसार एक अधिकारी स्थायीकरण (Confirmation) के बाद कभी भी मृत्यु-सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए मनोनयन पत्र भर सकता है तथा उसके लिए उक्त नियम म दी गई 5 साल की योग्य सेवा पूर्ण होने की शर्त की आवश्यकता नही है। अत यह स्पष्ट है कि मनोनयन अधिकारी को उस समय भरना चाहिये जब वह किसी पद पर काय करता हो तथा सेवा म हो। चू कि पेन्शनर को सेवा निवृत्ति क बाद किसी पद पर काय करने वाले के रूप म नही कहा जा सकता है इसलिए सेवा निवृत्ति के बाद यदि कोई मनोनयन पत्र वह भरता है तो वह वैध नही होता। इसलिए एस मामला म मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी का भुगतान मृत अधिकारी के परिवार के जीवित सदस्यों के लिए वित्त विभाग के आदेश दिनाक 19 6 57 [जो कि राज सेवा नियम 257 (2)] मे दिये गये तरीके के अनुसार किया जाना चाहिए न कि मनोनीत व्यक्ति या मनोनीत व्यक्तियो को उसका भुगतान किया जाना चाहिए।

निणय स 4—वित्त विभाग के ज्ञापन स 2835/58 एफ 7 ए (10) एफ डी ए नियम/57 दिनाक 9-7-58 के अवतरण (1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि अन्य अवयस्को के हिस्से की मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि उनके स्वाभाविक सरक्षको

को दी जानी है तथा स्वाभाविक सरक्षक की अनुपस्थिति म उस व्यक्ति को दी जानी है जो सरक्षता या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे—

ऐसे मामला म जहा नाबालिगो के हिस्मे की मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि स्वाभाविक/कानूनी सरक्षक को दी जानी हो तो उसके पक्ष म भुगतान की आथरिटी जारी करने के लिए महालेखाकार क लिए इस तथ्य को तथा स्वाभाविक/कानूनी सरक्षक के नाम को जानना चाहिए। यदि स्वीकृति के पत्र म उपरोक्त सूचना नही दी हुई होगी है तो महालेखाकार को इस तथ्य पर स्वीकृति प्रदान करने वाल अधिकारी से पूछताछ करनी होती है जिसका यह परिणाम होता है कि मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के भुगतान मे अनिवार्य रूप स देर लगती है। इस विलम्ब को मिटाने क लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारियो से यह सुनिश्चित करने के लिए आवदन किया जाता है कि भविष्य म इस प्रकार के सभी मामलो म स्वय स्वीकृति के आदेश पत्र म उपरोक्त विशेष विवरण अवश्य दिये जावें।

नाबालिगो के स्वाभाविक वध सरक्षक की हैसियत से नाबालिगो के हिस्से किसको दिये जावें इस सम्बन्ध म कानूनी स्थिति की व्याख्या निम्न रूप म की गई है—

(1) जहा मान्य मनोनयन पत्र मौजूद न हो।

(क) जहा हिस्से की राशि अल्प वयस्क पुत्रो या अल्प वयस्क अविवाहित पुत्रियो को दी जानी हो तो वह जीवित माता या पिता को दी जानी चाहिये। सिवाय इसके कि जब जीवित माता पिताओ मे मुस्लिम माता जिन्दी हो। फिर भी जहा कोई जीवित माता पिता न हो या जहा जीवित माता एव मुस्लिम महिला न हो, तो भुगतान उसी व्यक्ति को किया जावेगा जो सरक्षता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

[ख] जब हिस्से की राशि एक विधवा अल्प वयस्क पुत्री (पुत्रियो) को दी जानी है तो एक सरक्षता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ग) जहा पत्नी स्वय नाबालिग हो तो उस भुगतान करने योग्य मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी उसी व्यक्ति को दी जावेगी जो सरक्षता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) जहा पर नियम 260 क अवतरण (1) के उप अवतरण क क्रम स (1) (2) (3) व (4) म वर्णित परिवार के कोई जीवित सदस्य उपस्थित न हो तथा मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी एक अल्प वयस्क भाइ या अल्प वयस्क अविवाहिता बहिन को दिया जाना होता है तो भुगतान पिता को दिया जाना चाहिए या उसकी अनुपस्थिति म माता को सिवाय ऐसे मामलो मे जहा माता मुस्लिम महिला हो। इस मामले म भी यदि माता पिता जीवित न हो या जीवित माता पिता व व्यक्ति हैं जो सरक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हो। यदि हिस्से की राशि विधवा अल्प वयस्क बहिन को दी जानी हो तो सरक्षता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा।

(2) जहा एक मान्य मनोनयन विद्यमान हो—

(क) जहा मनोनयन परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यो के पक्ष मे मौजूद हो तो अवतरण 3 (1) म वर्णन की गई स्थिति लागू होगी।

(ख) जहा परिवार न हो तो अवयस्क पुत्र एक विवाहिता लडकी या विवाहिता बहिन के पक्ष म किया गया मनोनयन भी मान्य होगा। इसलिए ऐसे मामलो म स्थिति निम्न प्रकार होगी—

(1) यदि मनोनीत व्यक्ति एक अवयस्क बच्चा है तो हिस्से की राशि माता को दी जावेगी तथा उसकी अनुपस्थिति मे सरक्षता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी होगा।

(11) यदि हिस्से की राशि अल्प वयस्क विवाहिता लडकी को देनी हो तो वह उसके पति को दी जावेगी।

निर्णय स 5—एक अधिकारी एक व्यक्ति/व्यक्तियो को उसकी मृत्यु की घटना पर उसकी मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा परिवार पेन्शन की राशि प्राप्त करने का अधिकार देता हुआ मनोनयन पत्र भर सकता है। वित्त विभाग के मीमो स 2835/58/एफ 7 ए (10) एफ डी ए (नियम) 57 दिनाक 9-7-58 द्वारा जारी किये गये निर्देशन मे सामयिक मनोनयनो का मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के सम्बन्ध मे पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और उसके अनुसार विभाग के अध्यक्षो को इस तथ्य को स्थाई पेन्शन योग्य राज्य कर्मचारियो के ध्यान म लाने के लिये निवेदन किया गया था।

अनुभव से विदित हुआ है कि जहा कोई मनोनयन नही भरे गये हैं वहा देर बहुत लग जाती है तथा उत्तराधिकारियो को पेन्शन स्वीकृत करने से पहिले बहुत सी उलझनें उत्पन्न हो जाती है। देरी

इसलिए होती है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा परिवार के जीवित सदस्यों की जाच करने की आवश्यकता होती है तथा उलझनें भी पैदा होती हैं कि बहुत से मामलों में मान्य मनोनयन के अभाव में अनेक विरोधी व्यक्ति अपने क्लेम प्रस्तुत करने लगते हैं जिससे उनकी जाच करना जरूरी हो जाता है। यह महसूस किया गया है कि मनोनयनों के सम्बन्ध में वर्तमान प्रावधानों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इसी के अनुसार राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी एव परिवार पेन्शन दोनों के सम्बन्ध में मनोनयन सभी स्थाई राज्य कर्मचारियों द्वारा आवश्यक रूप से भरा जाना चाहिए। इसी के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाता है कि [क] जिन स्थाई राज्य कर्मचारियों ने अपने मनोनयन पत्र नहीं भरे हैं उनसे उचित मनोनयन पत्र भरा लिये जावें [ख] उन अधिकारियों से जो कि स्थाईकरण के साथ स्थाई हो जाते हैं, मनोनयन पत्र भराया जावे।

निर्णय स० 6—एक राज्य कर्मचारी के पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए पुत्र की शादीशुदा पुत्रियों एव बच्चों को उसकी मृत्यु-सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी में से क्या कोई हिस्सा मिलेगा, इस सम्बन्ध का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। वर्तमान नियमों में राज्य कर्मचारियों के उक्त सम्बन्धित लोगों के नाम मनोनयन पत्र भरने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

काफी सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद यह आदेश दिया गया है कि एक राज्य कर्मचारी के पूर्व ही उसके मृत पुत्र की शादीशुदा पुत्रियों एव बच्चों को भी उसकी मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी में से हिस्सा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार से योग्य होना चाहिये—

मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में मनोनयन पत्र भरने के प्रयोजन के लिए राज्य कर्मचारी के परिवार में निम्न सम्बन्धी शामिल होंगे —

(1) पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध में पत्नी।
(2) महिला अधिकारी के सम्बन्ध में पति।
(3) पुत्र मय सौतेले बच्चों के।
(4) अविवाहित एव विधवा पुत्रियां एव गोद लिए हुए बच्चे।
(5) 18 साल से कम उम्र के भाई एव अविवाहित एव विधवा बहिनें।
(6) पिता।
(7) माता।
(8) विवाहित पुत्रियाँ एव
(9) पूर्व में ही मृत पुत्र के बच्चे।

यदि राज्य कर्मचारी उक्त सम्बन्धियों में किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अपनी मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के लिए मनोनयन पत्र भरने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो यह राशि समान हिस्सा में राज्य कर्मचारी के परिवार के उन समस्त जीवित सदस्यों में बाट दी जावेगी जिनका कि उल्लेख उपरोक्त श्रेणी (1) से (4) तक में किया गया है इसमें विधवा पुत्रियां को छोड़ दिया जावेगा। जहां कोई जीवित सदस्य न हो तथा यदि विधवा पुत्रियां एव/या एक या एक से अधिक राज्य कर्मचारी के परिवार के वे जीवित सदस्य मौजूद हैं जिनका उल्लेख परिभाषा में क्रम संख्या (5) से (9) तक में किया गया है तो ग्रेच्युटी ऐसे सब व्यक्तियों को बराबर बाट दी जावेगी।

फिर भी जहां तक परिवार पेन्शन का सम्बन्ध है मनोनयन पत्र भरने के वर्तमान तरीके में उक्त निर्णय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। परिवार पेन्शन उक्त आइटम (1) से (7) में वर्णित एक या समस्त सम्बन्धियों के पक्ष में बाटने के लिए परिवार पेंशन का मनोनयन पत्र भरा जाना चालू रहेगा।

निर्णय सं० 7—नियम 260 के नीचे निर्णय संख्या 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उक्त निर्णय के अवतरण 3 (1) (क) वर्णित 'जीवित माता पिता' में सौतेली माता' (Step mother) भी शामिल है? इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए सौतेली माता' को अल्प वयस्क बच्चे के लिए स्वाभाविक सरंक्षक नहीं समझा जाता है इसलिये वह 'जीवित माता पिता शब्द में उसे शामिल नहीं किया जा सकता है।

निर्णय सं० 8—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि जब एक राज्य कर्मचारी सेवा में मर

है तथा जिसके पीछे राजस्थान सेवा नियमा के नियम 260 म परिभाषित काइ परिवार नही है तथा जिसन कोई भी मनोनयन पत्र नही भरा है ता एसी स्थिति मे उसकी मृत्यु सहित सेवा निवति ग्रेच्यटी की राशि किसको दी जानी चाहिय ?

मामले की जाच की गई तथा एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु सह सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी एक किस्म का उपहार है इसलिए कवल स्वय राज्य कमचारी को ही दी जानी है या उसकी मृत्य होने पर उसके परिवार के सदस्यो को उक्त नियम 260 के अनुसार दी जाती है। जहा एक राज्य कमचारी अपने पीछे काइ परिवार छोड बिना ही मर जाता है तो मत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी, मत राज्य कमचारी द्वारा एक वध मनोनयन पत्र न भरे जाने की स्थिति म अन्य व्यक्तियों के द्वारा अधिकार के रूप मे प्राप्त नही की जा सकती है एव सामान्य रूप म इसे किसी को भी स्वीकृत नही किया जा सकता है। फिर भी सरकार किसी ऐसे एक व्यक्ति को ग्रेच्युटी स्वीकत कर सकती है जो निर्वाह के लिए मृत राज्य कमचारी पर निभर था यदि ऐसा तरीका क्षतिपूरक कारणो पर यायोचित प्रतीत होता हो।

निणय स० 9—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 260 एव 266 एव मीमो सख्या एफ 7 ए ए (46) एफ डी ए) आर/59 दिनाक 1-7-60 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसम कहा गया है कि राजपत्रित कमचारियो के सम्बन्ध म महालेखाकार को एव अराजपत्रित कमचारियो के सम्बन्ध म कार्यालयो के अध्यक्ष को मनोनयन प्राप्त करत ही या मनोनयन रद्द करने का नोटिस प्राप्त करत ही उन प्रमाणो को रिकाड करन के लिए राज्य सरकार के आदेशो के अनुसार उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकार के यह ध्यान म लाया गया है कि राज्य कमचारी की मृत्यु हो जाने पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्राय यह नही जानते हैं कि मृत कमचारी न उनके लिए क्या मनोनयन किया है? वह उसके बारे म कुछ नही जानता है तथा उसके द्वारा किया गया मनोनयन सरकारी रिकाड म कहा रखा गया है? मामल पर विचार कर लिया गया है तथा यह निणय किया गया है कि सम्बन्धित राज्य कमचारी के लिए राजपत्रित कमचारियो के सम्बन्ध मे महालेखाकार को तथा अराजपत्रित कमचारियो के सम्बन्ध म कार्यालय के अध्यक्ष को एक इस बात को निश्चित करत हुए प्राप्ति पत्र भेजना चाहिय कि उसके द्वारा भेजे गए मनोनयन या मनोनयन रद्द करन के नोटिस प्राप्त कर लिए गए है तथा उन्हे सरकारी रिकाड म रख लिया गया है। सभी राज्य कमचारियो को सलाह दी जाती है कि यह उनके मनोनीत व्यक्तियो के हित म होगा यदि वे अपने द्वारा किए गए मनोनयन तथा मनोनयन रद्द करने के नोटिस की एक प्रतिलिपि अपने पास रख तथा उसकी प्राप्ति पत्र को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा या अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रमाण पत्रो के साथ रखें जिससे कि कमचारी की मत्यु के बाद उसके मनोनीत व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकें।

निणय स 10—वित्त विभाग की विज्ञप्ति सख्या 7360/59/एफ 7 ए (46) एफ डी/ए/नियम/59 II दिनाक 15 12 59 (नियम 260 के नीचे राजस्थान सरकार का निणय सख्या (4) के अनुसार अल्प वयस्क बच्चो के हिस्से की मृत्यु सह सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी की राशि, जब कोई जीवित माता पिता न हो या जीवित एक मुस्लिम महिला हो उसी व्यक्ति को दी जानी है जो सरक्षता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। यह देखा गया है कि बहुत से मामलो म सरक्षता प्रमाण पत्र पेश करने म बडी असुविधाए उत्पन्न होती है तथा क्लेमो के निणय करने म बडी देर लग जाती है।

उपरोक्त आदेश मे सशोधन करते हुए यह निणय किया गया है कि 5000) रु० तक की मृत्यु सह सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी (या जहा रकम 5000) रु० से ज्यादा देनी हो वहा पहले पहल 5000) रु० की रकम का भुगतान एक स्वाभाविक सरक्षक के अभाव म नाबालिगो के लिए बिना सरक्षता का प्रमाण पत्र औपचारिक ढग स लिए हुए लेकिन एक प्रतिज्ञा पत्र (Indemnity Bond) उचित जमानतो के साथ स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी की सन्तुष्टि तक, भरने पर किया जा सकता है।

फिर भी यह आवश्यक है कि अवतरण 2 म वर्णित भुगतान करने के लिए क्लेम करने वालो के पास पर्याप्त आधार उसे प्राप्त करने के हो। ऐसे आधार तभी उपस्थित होत हैं जबकि उसके द्वारा एक घोषणा पत्र द्वारा एक वास्तविक (de facto) सरक्षक होने की घोषणा की गई हो तथा उसके निवास स्थान के बारे म निश्चय किया जा चुका हो। यदि अदालत द्वारा सरक्षक नियुक्त न किया गया हो यदि अल्प वयस्क एव उसकी सम्पत्ति कुछ व्यक्तियो की सुरक्षा म हो, तो वह व्यक्ति कानून से एक वास्तविक सरक्षक है। इसलिय भुगतान करने वाले अधिकारियो को उन व्यक्तियो से

जो नाबालिग बच्चों की राशि के क्लेम के लिए प्रस्तुत हो, एक हल्फनामा इस बात का पेश कर अपने को सन्तुष्ट करना चाहिए कि नाबालिग बच्चे की सम्पत्ति उसके चार्ज में है तथा वह इसकी या उसकी देखभाल कर रहा है। यदि अल्प वयस्क के पास ग्रेच्युटी के अलावा कोई सम्पत्ति न हो तथा वह नाबालिग उसकी सुरक्षा एवं साल सभाल में हो तो इस प्रकार का शपथपत्र (affidavit) उचित जमानतों के साथ भर गए प्रतिज्ञा पत्र के अतिरिक्त होगा।

निर्णय सं. 11—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 260 के नीचे प्रयुक्त राजस्थान सरकार के निर्णय सं 6 (जो कि वित्त विभाग की आज्ञा सं एफ 7 ए (46) वित्त वि (नियम) 59 दि 12-8-60 द्वारा निविष्ट किया गया है) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवार की भाषा में 'पिता' एवं 'माता' भी शामिल किए गए हैं। अत एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या परिवार की भाषा में गोद लेने वाला पिता एवं गोद लेने वाली माता भी शामिल किए जाते हैं।

सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि उक्त नापन के परा 2 में आइटम (6) एवं (7) पर परिवार की परिभाषा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'पिता एवं माता' को इस प्रकार से विस्तृत रूप में समझा जाना चाहिये कि उनमें उन व्यक्तियों के मामले में जिनमें इनके निजी कानून दत्तक (गोद लेने) की स्वीकृति देता है गोद लेने वाले पिता एवं माता भी शामिल हो जाए। तदनुसार आइटम (6) एवं (7) के सामने शब्द व्यक्तिगत मामलों में जिनके वैयक्तिक कानून गोद लेने की स्वीकृति देते हैं वहा उनके गोद लेने वाले माता पिता भी शामिल हैं—

(6) पिता } व्यक्तिगत मामलों में जिनके वैयक्तिक कानून गोद लेने की स्वीकृति देते हैं,
(7) माता } वहा उनके गोद लेने वाले माता पिता भी शामिल हैं।

[1]निर्णय सं 12—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 260 के अनुसार मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान केवल स्वयं सरकारी कर्मचारी को या उसकी मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। जहा सरकारी कर्मचारी अपने पीछे परिवार छोड़े बिना ही मर जाता है तो मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान मंत्र अधिकारी द्वारा वध मनोनयन न किये जाने की दशा में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकार के रूप में नहीं मागा जा सकता है तथा साधारणतया वह किसी को नहीं दिया जाता है।

सरकार के ध्यान में एक मामला ऐसा आया है जिसमें कि मृत अधिकारी ने मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान पाने के लिये किसी प्रकार का मनोनयन करने के बजाय अपनी वसीयत किसी एक व्यक्ति के पक्ष में भरा है।

मामले की जाच की गई तथा यह तय किया गया कि जहा सरकारी कर्मचारी द्वारा वसीयत की गई हो तथा वह उसके परिवार के सदस्य न होने पर उस व्यक्ति को मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती हो तथा वह वसीयत सम्बंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल में भरी हो तो उक्त वसीयत को मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मनोनयन के रूप में समझा जाएगा तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान का उस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।

मनोनयन (Nomination)

कोई भी कर्मचारी जब 5 वर्ष की योग्य सेवा पूरी कर या स्थायी (Confirm) हो जाय तो उसे तुरंत अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में मनोनयन पत्र भर देना चाहिये। इसके लिए वह निम्न पारिवारिक-सदस्यों में से किसी के नाम मनोनयन कर सकता है—

(1) पत्नी (2) पति (3) पुत्र (4) अविवाहित या विधवा पुत्रियां (5) 18 वर्ष से कम आयु के भाई या अविवाहित अथवा विधवा बहिनें (6) पिता (7) माता (8) विवाहित पुत्रियां (9) मृतक पुत्र के बच्चे [पोते]।

यदि किसी कर्मचारी के परिवार नहीं है तो वह किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, जिसमें कम्पनी संघ या निकाय शामिल हैं। परन्तु इस प्रकार का मनोनयन परिवार बसाने पर अवैध हो जायगा।

---

1 वित्त विभाग की अधिसूचना स एफ 1 [17] वित्त वि/नियम/67 दि 15 10-69 द्वारा निविष्ट।

मनोनयन के लिये प्रपत्र परिशिष्ट (8) म दिये गये है जो राजस्थान सेवा नियम खण्ड [2] म हैं।

कर्मचारी लिखित म सूचना देकर किसी मनोनयन को रद्द कर नया मनोनयन भी कर सकता है। राजपत्रित अधिकारी अपना मनोनयन पत्र महालेखाकार व अराजपत्रित अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

यदि कर्मचारी की देहान्त बिना मनोनयन किये ही हो जाय तो ऊपर वर्णित स 1 से 4 म [सिवाय विधवा पुत्रिया के] उपदान [ग्रेच्युटी] की राशि समान भागों म वितरित कर दी जावेगी। यदि इस श्रेणी के सदस्य जीवित न हो तो विधवा पुत्रियों एव श्रेणी स 5 स 9 के सदस्यों म उपदान बाटा जावेगा। इस प्रयोजनार्थ गोद देने वाले माता पिता को भी स्वीकार किया जायेगा।

अध्याय 23

परिवार पेंशन (Family Pension)

स्वीकृति की शर्त—नियम 262 म वर्णित राशि की अधिकतम सीमा तक की परिवार की पेंशन उस अधिकारी के परिवार के सदस्यो को 10 साल की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है जो कि सेवा म या सेवा निवृत्ति के बाद मरता है तथा जिसने कम से कम 20 साल की सेवा की हो।

नियम 261

परन्तु शर्त यह है कि परिवार पेंशन के भुगतान की अवधि किसी भी स्थिति म उस तारीख स 5 साल से ज्यादा के लिए स्वीकृत नही की जावेगी जिसको कि मृत राज्य अधिकारी सेवा से निवृत्त हुआ या जिसको वह साधारण रूप म अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता जैसे ही मृत्यु सेवा निवृत्ति के बाद या सेवा म हो उसके अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

टिप्पणी 1— यदि एक अधिकारी जिसके कि सेवा काल मे वृद्धि हुई है तथा वह उस काल में मर जाता है तो उक्त प्रावधान म वर्णित तारीख जिसको वह साधारण रूप मे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता, का तात्पर्य होगा जिस तारीख तक उसकी मृत्यु के पहिले सेवा म वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।

[1]निर्णय—राजस्थान सरकार ने समय समय पर यथा संशोधित राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 23 म अन्तर्विष्ट परिवार पेंशन नियमो के अधीन कर्मचारियो की पत्नियां अल्प वयस्क बच्चो द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त करने सम्बन्धित वर्तमान प्रावधानो म उदारता बरतने के प्रश्न पर विचार किया है। यह तय किया गया है कि उपरोक्त नियमो के अधीन 28-2-64 को परिवार पेंशन को वास्तविक रूप म प्राप्त करने वाली विधवाओ/अल्प वयस्क बच्चो के सम्बन्ध मे ऐस परिवार पेंशन की पात्रता की अवधि (1) विधवाओ के सम्बन्ध म उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह इनमे से जो भी पूर्व हो तक एव (2) बालको के सम्बन्ध म उनके द्वारा वयस्कता प्राप्त करने तक या पुत्रियो के सम्बन्ध मे उनकी शादी तक बढाई जानी चाहिये। यह लाभ उन राज्य कर्मचारियो की विधवाओ/या अल्प वयस्क बच्चो को भी प्राप्त होगा जो कि 1-3-64 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे एव जिनकी इस तारीख के बाद मृत्यु लेकिन सेवा निवृत्त होने से 5 साल के भीतर विधवा पत्नी/अल्प वयस्क बच्चे, उक्त नियमो के अधीन परिवार पेंशन के पात्र हो गये थे।

ऐसे मामलो म पेंशन की दर निम्न प्रकार से निश्चित की जाएगी

(1) उस अवधि के लिए जिसके कि लिये परिवार पेंशन उक्त नियमो के अधीन वर्तमान म प्राप्य है पेंशन का भुगतान वर्तमान दर पर किया जायेगा।

(11) वर्धित (extended) अवधि के लिये पेंशन की दर निम्न प्रकार से होगी—

(क) वही, जैसी कि परिवार पेंशन उसे पूर्व मे प्राप्य थी यदि वह 20 रु या इससे कम है, एव

(ख) न्यूनतम 20 रु प्रति माह की शर्त पर पूर्व म प्राप्य परिवार पेंशन की आधी के बराबर जहां पर कि परिवार पेंशन 20 रु प्रतिमाह से अधिक है।

---

1 वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (48) एफ डी (व्यय नियम) दिनांक 4-1-65 द्वारा शामिल किया गया।

परिवार पेशन की राशि निम्न होगी—

नियम **262** (क) सेवा मे मरने पर अधिवार्षिकी आयु प्राप्त पेंशन की अवधि जो कि उस अधिकारी को प्राप्य होती यदि वह अपनी मृत्यु की तारीख को सेवा निवृत्त होता, एव

(ख) सेवा निवृत्त होने के बाद मृत्यु होने पर, सेवा निवृत्ति पर स्वीकार की गई पेन्शन की आधी राशि ।

परन्तु शर्त यह है कि परिवार पेन्शन की अधिकतम राशि 150) रु व न्यूनतम राशि 30) रु होगी । इसके साथ यह भी शर्त होगी कि न्यूनतम पेन्शन उस राशि से अधिक नही होगी जो वह सेवा निवृत्त होने पर पेंशन प्राप्त करता या ऐसे मामले मे जहा वह सेवा काल मे मर जाता हो, तो उस पेशन की राशि से ज्यादा नही होगी जो कि उसे प्राप्य होती यदि वह अपनी मृत्यु के बाद की तिथि को सेवा से निवृत्त होता । खण्ड (ख) मे वर्णित अधिकारी ने जहा, अपने पेंशन के कुछ भाग को रूपान्तरित कर लिया हो तो पेशन के उस भाग की अरूपान्तरित राशि उपरोक्त प्रकार से गिनी गई परिवार की राशि मे से काट ली जावेगी ।

टिप्पणी—नियम 262 के अन्तिम वाक्य के अन्तर्गत यदि एक अधिकारी ने अपनी पेन्शन का कुछ भाग पहिले मे ही रूपान्तरित करा लिया हो तो पेशन के उस भाग को अरूपान्तरित राशि (Uncommuted value) परिवार की राशि मे से काटनी पडती है जो कि उस अवतरण के पूर्व प्राव[धा]ना के अनुसार गिनी जाती है । अभिप्राय यह है कि परिवार पेंशन की राशि पहिले इस बात का [ख्या]ल कर निकालनी चाहिये कि अधिकारी ने अपनी साधारण पेंशन का कुछ भाग रूपान्तरित कर रखा है [ए]व जो इस प्रकार राशि निकले उसमे से रूपान्तरित पेंशन की राशि काट लेनी चाहिये । उदाहरण [के] लिए यदि साधारण पेंशन 90 रु प्रतिमाह थी तथा अधिकारी ने इसमे से 30) रु रूपान्तरित Commuted) करा रखे थे तो परिवार की परिवार पेशन (90/2 45—30)=15 रु [मा]हवार होगी ।

निर्णय संख्या 1—उन सभी परिवार पेंशनो की प्राप्यता की कुल अवधि एव राशि जो कि [प]हिले ही स्वीकृत की जा चुकी है या जो 1 अप्रेल 1957 के पहिले बकाया हो चुकी है वह इस [आ]देश के अनुसार पुन इस तरह समायोजित की जावेगी कि 1 अप्रेल 1957 से पूर्व का कोई बकाया [रह]ता न पडे ।

उन अधिकारियों के मामले मे जो 1 अप्रेल 1957 से पूर्व तीन साल की अवधि मे मर गये [है] एव जिनके परिवार पेशन के लिए योग्य हो गए होते यदि नियम 261 व 262 मे वर्तमान नियमो [मे] संशोधन मिला दिए होते तथा सम्बन्धित अधिकारी की मृत्यु की तारीख को लागू होते तो उनके [गु]णो को ध्यान मे रखते हुए उन पर विचार किया जावेगा । ऐसे मामले सब प्रकार की सम्बन्धित [सू]चनायें देते हुए उचित अधिकारियों के द्वारा वित्त विभाग के पास भेजे जाने चाहिए ।

अपवाद स्वरूप मामलो मे सरकार उन अधिकारियो के परिवारो को भी परिवार पेंशन देवगी जो कि 20 साल से कम की योग्य सेवा पूर्ण करने के पूर्व परन्तु कम से कम 10 साल की योग्य सेवा पूर्ण करने के बाद मर गए है ।

निर्णय स 2—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसमे कि एक राज्य कर्मचारी 22-12-53 को सेवा निवृत्त हो गया था तथा जिसने उस समय तक 22 साल की योग्य सेवा पूर्ण कर ली थी । वह 1-4-57 को मर गया था ।

एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि राज्य कर्मचारी 22-12-53 को सेवा निवृत्त हुआ था । क्या उसका परिवार नियम 262 मे परिवर्तन किए गए अनुसार परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा क्योंकि यह नियम केवल उन्ही राज्य कर्मचारियो पर लागू होता है जो कि 1-4-57 को या उसके बाद सेवा मे 20 साल की पूर्ण योग्य सेवा करने के बाद मर गए हैं तथा उन पर लागू होता है जो 1-4-57 के बाद मरते हैं ।

प्रश्न की जाच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि परिवर्तित नियम 262 के अनुसार परिवार पेंशन की स्वीकृति मृत्यु की तारीख से निश्चित की जानी चाहिये एव न कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से । इसके अनुसार परिवार, परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत है ।

निर्णय स 3—वित्त विभाग के आदेश संख्या 1460/58/एफ 7 ए (28) एफ डी (ए) 57 दिनाक 28-3-58 द्वारा सम्मिलित राजस्थान सेवा नियमो के नियम 262 के नीचे दिए गए

निणय सख्या 1 के अवतरण (3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसम यह कहा गया था कि सरकार अपवाद स्वरूप मामला म उन अधिकारियो के परिवारो को भी परिवार प शन दवगी जो कि 0 साल से कम अवधि की योग्य सेवा पण करने क पूव परन्तु कम स कम 10 साल की पूण याग्य सेवा करने क बाद मर हैं।

ऐस मामने इस समय वित्त विभाग को भेजे जाने चाहियें। ऐसे मामलों म परिवार पेंशन स्वीकृत करने म दर न लगाने के दृष्टिकोण से यह आदेश दिया जाता है कि परिवार पेंशन स्वीकृत करन की ये शक्तियां सम्बधित प्रशासनिक विभागो को निम्नलिखित सिद्धाता का पालन करते हुए दी जाती हैं—

परिवार द्वारा मत राज्य कमचारी की बीमा भविष्य निधि एव मत्यु सह सेवा निव त्ति ग्रेच्युटी की सब मिलाकर प्राप्त की जान वाली राशि उस राज्य कमचारी द्वारा अपन मरन के पूव प्राप्त किये गए मासिक वेतन के 48 गुन से ज्यादा नही होनी चाहिए। यदि कुल राशि का योग उस निधि म ज्यादा हो तथा मृत राज्य कमचारी के बच्चा की शिक्षा 5 वर्षों म पूण होन वाली नही हो व एस मामला मे उपरोक्त शर्तों का पालन नही किया जाता हो तो परिवार पेंशन की स्वीकृति केवल 5 साल तक ही दी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण—एक मामला वित्त विभाग को भेजा गया जिसम कि एक राज्य कमचारी की मत्यु 18—12—51 को हो गई थी तथा आदश स एफ 1460/58 एफ 7 ए (28) एफ डी ए/नियम 51 दिनाक 28 3-58 के जारी होन के पूव नियमो के अन्तगत (अर्थात राजस्थान सेवा नियमो के नियम 261 व 262 के अन्तगत) उसके परिवार क लिए परिवार पेंशन 19-12-51 स 18-12-56 तक 5 वष क लिए स्वीकृत की गइ थी। विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या ऐस मामला म भी जहा परिवार पेंशन 1-4-57 के पूव बन्द हो गई हो पेंशन की प्राप्यता की अवधि को पुन समायोजित करना पडेगा ?

मामले की जाच भारत सरकार वित्त मन्त्रालय की सलाह से की गइ तथा यह निश्चय किया गया कि मामला उपरोक्त वर्णित वित्त विभाग क आदेश द्वारा सम्बन्धित नियम 262 के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय क अन्तगत आता है एव परिवार पेंशन की प्राप्यता की अवधि को समायोजित किया जावेगा। लकिन 1 अप्रेल 1957 के पूव यदि कोई बकाया देना होगा तो वह नहीं दिया जावेगा।

परिभाषा नियम 263 इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'परिवार' का अथ नियम 260 म वर्णित अथ मे लिया जावगा।

प्रतिबन्ध— नियम 264 निम्न को इस खण्ड के अन्तगत कोइ भी पेंशन नही दी जावेगी—

(क) नियम 265 क खण्ड (ख) म वर्णित एक व्यक्ति एक उचित प्रमाण पत्र इसका प्रस्तुत किए बिना कि वह व्यक्ति निर्वाह के लिए मृत राज्य कमचारी पर आश्रित था।

(ख) राज्य कमचारी के परिवार की एक अविवाहित महिला सदस्य को जब उसकी शादी हो गइ हो।

(ग) राज्य कमचारी के परिवार के सदस्या म एक विधवा स्त्री को जब वह पुर्नविवाह करले। या पुर्नविवाह के समकक्ष परिस्थितिया म रहे।

(घ) एक राज्य कमचारी के भाइ को जब उसकी अवस्था 18 साल की हो जावे।

(ङ) उस व्यक्ति को जो राज्य कमचारी क परिवार का सदस्य नही है।

वितरण का क्रम (Order of allotment) नियम 265—नियम 266 के अन्तगत मनोनयन के प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त—

(क) इस खण्ड के अन्तगत स्वीकृत की गई पेन्शन निम्न को स्वीकृत की जाएगी—

(i) यदि मृत व्यक्ति एक पुरुष राज्य कमचारी है तो सबस बडी विधवा को या यदि मत व्यक्ति एक महिला राज्य कमचारी है तो (विधुर) पति को।

टिप्पणी—उपरोक्त खण्ड (क) (i) मे प्रयुक्त सबस बडी विधवा का अथ राज्याधिकारी की शादी की तारीखों क अनुसार वरिष्ठता के आधार पर लगाना चाहिए एव जीवित विधवाओं की उम्र के आधार पर नही लगाना चाहिय।

(ii) विधवा या पति के न होने की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, सबसे बड़े जीवित पुत्र को।

(iii) उपरोक्त (i) व (ii) में वर्णित स्थितियों के न होने पर सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को।

(iv) इन सबके न होने पर, सबसे बड़ी विधवा पुत्री को, तथा

(ख) यदि खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई पेंशन देने योग्य नहीं होता हो तो पेंशन निम्न को स्वीकृत की जा सकती है—

(i) पिता को,
(ii) पिता के न होने पर माता को,
(iii) पिता व माता के न होने पर 18 साल से कम उम्र वाले सबसे बड़े जीवित पुत्र को,
(iv) इन सबके न होने पर जीवित सबसे बड़ी अविवाहित बहिन को
(v) उपरोक्त (i) से (iv) तक के न होने पर सबसे बड़ी विधवा जीवित बहिन को।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या पेंशन का भुगतान मृत राज्य कर्मचारी के दूसरे पुत्र को या सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को दिया जा सकता है? यदि सबसे बड़ा जीवित पुत्र लिखित में अपनी अनुमति अपने छोटे भाई या बहिन को उसे प्राप्त करने के लिए देता हो तथा उसके द्वारा अपनी मांग समाप्त करता हो तो क्या मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्य को प्राप्य मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के हिस्से को ऐसे दूसरे सदस्य या सदस्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जिसने कि पक्ष में पहिले वाले अधिकृत व्यक्ति ने अपना अधिकार उनको दे दिया हो? मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया तथा यह आदेश दिया गया था कि चूंकि ऐसे मामले में सरकार सबसे बड़े पुत्र या परिवार के अन्य सदस्य से जिनका कि पेंशन पर पहिला अधिकार है एक भली प्रकार से भार मुक्ति प्राप्त नहीं करेगी इसलिए अधिक सुरक्षित एवं उचित तरीका यही होगा कि पेंशन केवल नियमों के अन्तर्गत उस पाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ही स्वीकृत की जावे। इसी प्रकार से जैसा कि इस विभाग के आदेश संख्या एफ 3561/57 एफ 7 ए (10) एफ डी ए (नियम)/57 दिनांक 19-6-57 में दिया गया है ग्रेच्युटी की राशि परिवार के समस्त सदस्यों में बराबर में बांट दी जानी चाहिए चाहे उनमें से कोई सदस्य अपने हिस्से की रकम परिवार के दूसरे सदस्यों के पक्ष में देने की इच्छा प्रकट करता हो।

मनोनयन का विकल्प—एक राज्य कर्मचारी जिसने 20 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो यह इच्छा

नियम 266 करता हो कि पेंशन जो इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है उसके परिवार के किन्हीं सदस्यों को उसके द्वारा लिखे गये क्रम में मिलनी चाहिए तो वह इस प्रयोजन का मनोनयन फार्म (ड) में भर सकता है जिसमें वह जिन परिवार के सदस्यों को पेंशन दिलाना चाहता उनके नामों का उल्लेख क्रमवार करेगा एवं जिस सीमा तक वह मान्य होगी पेंशन ऐसे मनोनयन के अनुसार दी जावेगी बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति पेंशन की स्वीकृति के समय नियम 264 की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। यदि सम्बन्धित व्यक्ति उक्त नियम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हों तो पेंशन आदेश में उल्लिखित नामों के क्रम में दूसरे नीचे लिखे व्यक्ति को स्वीकृत की जावेगी। नियम 260 के उप अवतरण (6) (ख) (8) एवं (9) के प्रावधान इस उप अवतरण के अधीन मनोनयन पर भी लागू होंगे।

पेंशन पुरस्कारों का भुगतान—(क) इस नियम के अधीन पुरस्कृत की गई पेंशन एक समय में

नियम 267 अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को नहीं दी जावेगी।

(ख) यदि इस नियम के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन प्राप्त करने वाले की मृत्यु या विवाह या अन्य कारणों के कारण नियम 261 (1) में वर्णित समय के समाप्त होने के पूर्व ही दिया जाना बन्द कर दिया जाता है तो वह पेंशन नियम 265 के अन्तर्गत आदेश में वर्णित नामों के क्रम में दूसरे निचले व्यक्ति या नियम 266 के अन्तर्गत भरे गये मनोनयन पत्र में वर्णित नामों के क्रम में दूसरे निचले उस व्यक्ति को जैसी भी स्थिति हो दी जावेगी जो कि इस नियम के अन्य प्रावधानों का पालन करता हो।

परिवार पेंशन असाधारण पेंशन या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त चालू रहने योग्य—इस नियम के अन्तर्गत

नियम 268 स्वीकृत की गई पेंशन किसी भी प्रकार की असाधारण पेंशन या ग्रेच्युटी या क्षतिपूर्ति जो कि नियमानुसार राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्य को स्वीकृत की जा सकती है, के अतिरिक्त चालू रहेगी।

नई परिवार पेन्शन (New Family Pension)

प्रयोज्यता- (लागू होने की सीमा)—ये नए योग्य कर्मचारी वग चाहे स्थायी रूप से नियुक्त हो

नियम 268 क या अस्थायी रूप से जो सेवा से 1-3-64 को या उसके बाद में सेवा निवृत्त हो जाते हो या जो उन तारीख या उसके बाद में सेवा में प्रविष्ट होने हों उन सब पर यह अध्याय लागू होगा लेकिन निम्न पर लागू नहीं होगा।

(क) व व्यक्ति जो 1 मार्च 1964 से पूर्व सेवा से निवृत्त हो गए थे लेकिन जो उसी तारीख से या उसके बाद से सेवा में पुनर्नियुक्त हो गए थे।

(ख) आकस्मिक निधि (Contingencies) से भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति,

(ग) दैनिक भत्ता पर लगाये गये कर्मचारी (Work Charged Staff)

(घ) आकस्मिक रूप में नियुक्त श्रमिक (Casual Labour) एवं

(ङ) ठेका पर काम करने वाले अधिकारी (Contract Officers)

स्वीकृत करने योग्य पेन्शन नियम 268 (ग) में वर्णित दरों पर परिवार पेन्शन इस अध्याय के

नियम 268ख अन्तर्गत एक एसे अधिकारी के परिवार को स्वीकृत की जावेगी जो कि 1 मार्च 1964 को या उसके बाद मरता है –

[2](क) जब सेवा में हो एक वर्ष की सेवा से अनाधिक की पूर्ति के बाद, परन्तु शर्त यह है कि एक वर्ष की सेवा की निम्नांकित शर्त प्रकरणों में प्रभावशील नहीं होगी--

(i) स्थायी पदों के समक्ष परीवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों

(ii) नियुक्त (recruited) व्यक्तियों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा अस्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु उनके क्षेत्राधिकार में चयनित किये गये हो।

(iii) राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर के अस्थाई पदों के प्रकरण में सेवा नियमों के कठोर अनुपालन में चयनित व्यक्तियों।

[3](ख) सेवा निवृत्ति के पश्चात मृत्यु की तारीख को यदि उसे पेन्शन मिलती हो।

परिवार पेन्शन की राशि —(1) इस अध्याय के अन्य प्रावधानों की शर्त पर इस अध्याय के अन्तर्गत

नियम 268ग प्राप्य परिवार पेन्शन की राशि निम्न प्रकार होगी –

[4] इस अध्याय के अधीन पेन्शन के लाभ के लिये पात्र प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से दो महीनों के परिलाभों का एक अंश यथा स्थिति [परन्तु] कि 31-10-1974 के पहले सेवानिवृत्त हुए के सम्बन्ध में अधिकतम रु 3600/ के बराबर और कि 31-10-1974 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले के सम्बन्ध में रु 5000/ तक के उपदान जहां ग्राह्य हो, सीमा में रहते हुए की प्रत्यर्पित करना चाहा गया है।

राज्य कर्मचारी का वेतन	विधवा/विधुर (Widower)/बच्चे की मासिक पेन्शन।
800 रु एवं इससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत पर अधिकतम 150 रु तक।
200 रु एवं इससे अधिक लेकिन 800 रु से नीचे	वेतन का 15 प्रतिशत पर अधिकतम 96 रु तथा न्यूनतम 60 रु तक।
200 रु से नीचे	वेतन का 30 प्रतिशत पर न्यूनतम 25 रु तक।

---

1 यह अध्याय वि वि स एफ 1 (12) वि वि (व्यय नियम) 64 I दि० 25-9-64 द्वारा निविष्ट एवं दि० 1-3-64 से प्रभावशील।

2 विज्ञप्ति स (74) वि वि (नियम /71 दि० 12-11-1971 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 1-4-1966 से प्रभावशील

3 स एफ 1/(60) वि वि (श्र 2)/74 दि 16-8-1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 स एफ 1 [53] वि वि [श्रे 2]/74 दि 2-12-1974 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 31-10-1974 से प्रभावशील।

परन्तु उन राज्य कर्मचारियों के लिए जो अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके हों यदि सेवा के काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भुगतान की जाने वाली पेंशन निम्न प्रकार होगी—

(क) उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक जिसको कि अधिकारी यदि जीवित रहता तो अपनी सामान्य अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेता इनमें से जो भी अवधि कम हो उस तक के लिए पेंशन अन्तिम रूप में उठाये गये वेतन का आधी होगी लेकिन वह नियम 268 ग (1) के अधीन स्वीकार्य पेंशन की अधिकतम सीमा तक होगी।

(ख) उसके बाद भुगतान करने योग्य पेंशन उसी दर पर होगी जो कि नियम 268 ग (1) में दी हुई है।

टिप्पणी— एक ऐसे राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में, जो सेवा में वृद्धि किये जाने के काल में मरता है तो उसकी मृत्यु के पूर्व जिस तारीख तक उसे सेवा वृद्धि स्वीकृत की गई है, उसकी सेवा की सामान्य अधिवार्षिकी आयु समझी जायगी।'

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए 'वेतन' का तात्पर्य उस वेतन से है जिसकी परिभाषा नियम 7 (24) में दी गई है एवं जिसे मृत राज्य कर्मचारी अपनी मृत्यु की तारीख को जब वह सेवा में रहकर या अपनी सेवा निवृत्ति से पहले शीघ्र ही प्राप्त कर रहा था। जब सेवा में या सेवा निवृत्ति के कुछ समय पूर्व उसकी मृत्यु की तारीख को यदि राज्य कर्मचारी अवकाश पर (असाधारण अवकाश को मिलाकर) या निलम्बित होने के कारण सेवा से अनुपस्थित रहा हो तो 'वेतन' का तात्पर्य उस वेतन से है जिसे वह ऐसे अवकाश या निलम्बन के पूर्व प्राप्त कर रहा था।

[1]निर्णय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268 ग एवं उसके नीचे 'स्पष्टीकरण' की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1961 के प्रावधानों के अधीन वेतन के वर्तमान वेतनमान को रखा है, वह अभिव्यक्ति 'वेतन' में उन्हें भुगतान किया गया महंगाई वेतन' भी शामिल होगा।

(2) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (11) एफ डी (व्यय नियम)/64 दिनांक 14-4-64 (नियम 256 के निर्णय सं 16) द्वारा जो अतिरिक्त (Ad hoc) अस्थाई वृद्धि स्वीकृत की गई है वह इस अध्याय पर लागू नहीं होगी।

[2](3) (1) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के अन्य प्रावधानों की सीमा में रहते हुए कि 31-10-1974 को या इसके बाद में मरने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन की ग्राह्य राशि निम्न प्रकार से होगी—

सरकारी कर्मचारी के परिलाभ	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1) रु 400/ से कम	वेतन का 30% परन्तु न्यूनतम 60/ तथा अधिकतम 100/ की सीमा में रहते हुये।
(2) रु 400/ से अधिक, किन्तु रु 1200/ से कम	वेतन का 15% परन्तु न्यूनतम रु 100/ तथा अधिकतम रु 160/- की सीमा में रहते हुये
(3) रु 1200/ और अधिक	वेतन का 12% परन्तु न्यूनतम रु 160/- तथा अधिकतम रु 250/- की सीमा में रहते हुए।

(ii) जहां कोई सरकारी कर्मचारी जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 यथा समय संशोधित द्वारा शासित नहीं होता हो अपनी मृत्यु से पहले सात वर्ष से अनाधिक की लगातार सेवा करने के बाद सेवा के दौरान मर जाता है तो देय पारिवारिक पेंशन उसके अन्तिम परिलाभों की 50 प्रति-

1 वित्त विभाग की आज्ञा सं एफ 1 [12] वित्त वि [व्यय नियम] 64 दि 10-12-68 द्वारा निविष्ट।

2 आदेश सं एफ 1 [53] वि वि [श्रे 2]/74 दि 2-12-1974 द्वारा निविष्ट 31-10-1974 से प्रभावशील।

शत या इस उप नियम के खण्ड (1) के अधीन ग्राह्य पारिवारिक पेंशन की राशि से दुगनी जो भी कम हो, होगी।

(iii) इस उपनियम के उप खण्ड (ii) के अधीन पारिवारिक पेंशन की बढ़ाई हुई दर पर राशि (निम्न प्रकार से) देय होगी—

(क) सेवा करते हुए मरने वाले सरकारी कर्मचारी की घटना में मृत्यु के दिनांक से अगले सात वर्ष की अवधि के लिए—या उस दिनांक तक जब कि मृतक सरकारी कर्मचारी 62 वर्ष की आयु का होता यदि वह जीवित रहता, इसमें से जो भी कम हो,

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की घटना पर उपरोक्त उप खण्ड (2) में इंगित बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन उस दिनांक तक देय होगी जब तक यदि वह जीवित रहता तो 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता या सात वर्ष के लिए जो भी कम हो परन्तु किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगा। सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन में पेंशन का वह अंश भी शामिल है जिसे उस सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने संकलित (कम्यूट) करा लिया था।

(ग) उप खण्ड [क] व [ख] उपरोक्त में वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद पेंशन इस उप नियम के खण्ड (1) में दी गई दर पर देय होगी।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम के प्रयोजनार्थ 'परिलाभ' का अर्थ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250-ग (3) में परिभाषित परिलाभ से है जो वह मृतक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान अपनी मृत्यु के दिन या अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था।

[1]आदेश

वर्तमान पेंशनरों को राहत देने का मामला कुछ समय से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्यपाल ने अब प्रसन्न होकर आदेश दिये हैं कि वर्तमान पेंशनर जो 1-9-76 को अधिवार्षिकी आयु सेवा निवृत्ति अयोग्यता क्षतिपूरक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को निम्न दरों पर पेंशन में वृद्धि की जाती है—

		पेंशन में मासिक वृद्धि की राशि
(1)	रु 100/– प्रतिमाह से कम	रु 20/-
(2)	रु 100/- प्रतिमाह और उससे अधिक परन्तु रु 120/– प्रतिमाह से कम	रु 25/–
(3)	रु 120/- प्रतिमाह और उससे अधिक परन्तु रु 210/– प्रतिमाह से कम	रु 30/–
(4)	रु 210/- प्रतिमाह और इससे अधिक परन्तु रु 500/– प्रतिमाह से कम	रु 40/–
(5)	रु 500/- प्रतिमाह और इससे अधिक	रु 50/–

[2] उपरोक्त प्रयोजनार्थ शब्द "पेंशन" का अर्थ 'मूल पेंशन' (रूपान्तरित पेंशन की राशि सहित) में देय अस्थाई वृद्धि यदि कोई हो जो 1-9-1976 को प्रभावशील थी। पेंशन में अस्थाई वृद्धि को दिनांक 1-9-1976 से मूल पेंशन की राशि में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके पश्चात दिनांक 1-9-1976 से पेंशन में वृद्धि जो उक्त पैरा संख्या 1 में अंकित है को पेंशन की कुल संगणित राशि में जोड़ा जावेगा।

[3] उपरोक्त आदेश उन पेंशनरों पर भी लागू होंगे जो पारिवारिक पेंशन अध्याय XXIII, XXIII क और असाधारण पेंशन अध्याय XXIV राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं।

[4] ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे—

(i) वृद्धावस्था पेंशन राजनैतिक पेंशन अथवा अन्य प्रकार की ऐसी ही पेंशन जो सरकार के अधीन दी गई सेवा से सम्बन्धित नहीं है।

(ii) राज्य कर्मचारी जो 1-9-1976 के पश्चात सेवा निवृत्त हुए हैं।

(4) इस नियम के उप नियम [3] के खण्ड [ii] और [iii] के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस अधिकारी की बाबत जो 1-9-76

---

1 आज्ञा सं एफ 1(44) वि वि /(अ पी 2)/76 दिनांक 20-10-76 द्वारा निविष्ट।
2 संख्या एफ 1 [53] वित्त [ग्रुप 2]/74 दि 1-12-1976 द्वारा निविष्ट।

के पश्चात मर जाता है अनुज्ञेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम निम्नलिखित होगी—

सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियां	मासिक कौटुम्बिक पेंशन की रकम
[1] 600/ रु से कम	परिलब्धियों का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 80/- रु और अधिकतम 150/ रु।
[2] 600/ रु और इससे अधिक किन्तु 1600/ रु से कम	परिलब्धियों का 15 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 150/ रु और अधिकतम 220/ रु।
[3] 1600/ रु या इससे अधिक	परिलब्धियों का 12 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 220/ रु और अधिकतम 300/ रु।'

परिभाषा (Definition)—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए परिवार में अधिकारी के निम्नलिखित

नियम **268घ** सम्बन्धी शामिल होंगे—

[क] पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध में पत्नी
[ख] महिला अधिकारी के सम्बन्ध में पति,
[ग] अल्प वयस्क पुत्र एवं
[घ] अविवाहित अल्प वयस्क पुत्रियां

टिप्पणी—(1) (ग) व (घ) में सेवा निवृत्ति के पूर्व वैध रूप से गोद लिए गये बच्चे भी सम्मिलित होंगे।

(2) सेवा निवृत्ति के बाद विवाह को इस नियम के प्रयोजन में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

प्रक्रिया (Procedure)

नवीन परिवार पेंशन नियमों से उत्पन्न मामलों के सम्बन्ध में अपनाये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है—

परिवार के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना—(i) सभी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी जो नवीन परिवार पेंशन के लाभों के लिये अधिकृत हैं उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268 घ में तथा पारिभाषित उनके परिवार के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने होंगे अर्थात् उन्हें प्रत्येक सदस्य की जन्म तिथि तथा उसका सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध बतलाना होगा। इस अभिकथन पर कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा उसे सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में लगाया जाएगा इसके बाद सरकारी कर्मचारी को इस अभिकथन को अद्यावधि संशोधित कर रखना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में परिवर्धन एवं परिवर्तन इस अभिकथन में किये जायेंगे।

(ii) सभी राजपत्रित अधिकारी अपने परिवार के विस्तृत विवरण महालेखाकार राजस्थान को देंगे। इन विशेष विवरणों को अद्यावधि रखने में उनकी जिम्मेदारी होगी। महालेखाकार को इन सूचनाओं के प्राप्त होने की प्राप्ति सूचना भिजवानी होगी।

(iii) ऐसे मामले जहां सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है सेवा में रहते हुए किसी अधिकारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त करने पर प्रशासनिक प्राधिकारी संलग्नक I में निर्धारित प्रपत्र को *मृत कर्मचारी के परिवार के पास भेजेगा तथा उसमें वर्णित आवश्यक प्रमाण मांगेगा।*

[1][नियम 268D के नीचे अंकित प्रक्रिया जो राज्य सरकार की आज्ञा सं एफ 1 (52) वि वि (इ आर) 64 Vol II दिनांक 17-11-64 के पैरा IV को प्रतिस्थापित किया]

(iv) (क) उपरोक्त अनुच्छेद (iii) में प्रासंगिक दस्तावेजों के प्राप्त होने पर इन नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी द्वारा संक्षिप्त रूप में वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को इन नियमों के अधीन स्वीकार्य अधिकतम पारिवारिक पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत तक प्रावधिक पारिवारिक पेंशन के भुगतान करने को अधिकृत करेगा। प्रावधिक पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति एनेक्सर III के फार्म में जारी की जावेगी जो मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष जहां पर मृत राज्य कर्मचारी मृत्यु के समय सेवारत था वह प्रावधिक पारिवारिक पेंशन की राशि फार्म P-5 में प्रत्येक पेंशनर के लिए पृथक पृथक उस कोषालय से आहरित (draw) करेगा जिससे उसने मृत कर्मचारी के वेतन और भत्तों का भुगतान प्राप्त किया है

1 (सं एफ 1 (52) वि वि (श 2)/74 II दि 1-9-1975)

श्रोर जिस माह मे कमचारी की मृत्यु हुई थी उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस का वितरित करने की व्यवस्था करेगा। यदि पेन्शनर अपनी पारिवारिक पेन्शन का भुगतान मनीआर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट से उस स्थान पर प्राप्त करने का इच्छुक है जहा पर वह निवास कर रहा/रही है तो पेंशन की राशि का भुगतान पेन्शनर के व्यय पर मनी आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट से उसे भेजा जावेगा। पेन्शनर को प्रावधिक पारिवारिक पेंशन का भुगतान जिस तारीख को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी होगा।

(ग) प्रावधिक पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति जारी करने के तुरन्त पश्चात् पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी मृत सरकारी कमचारी की सेवा पुस्तिका सहित समस्त दस्तावेजों को महालेखाकार के पास भेजेगा जो बाद में पेंशनर को पेन्शन के भुगतान का आदेश जारी करेगा। प्रावधिक पारिवारिक पेंशन के भुगतान की राशि को पारिवारिक पेंशन की अन्तिम भुगतान की राशि में समायोजित की जावेगी। यदि प्रावधिक पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति और भुगतान की गई राशि महालेखाकार द्वारा निर्धारित की गई पारिवारिक पेंशन की अन्तिम राशि से अधिक पाई जाती है तो पेंशनर को ऐसे अधिक भुगतान को वापिस लौटाने हेतु कहा जावेगा चाहे पेंशनर से सहमति प्राप्त की गई है अथवा नहीं।

ये आदेश जारी होने की तारीख (1-9-75) से प्रभावशील होंगे।

(V) ऐसे मामले जहा सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु होती हो—पेंशनर की विधवा पत्नी को परिवार पेंशन का शीघ्रता पूर्वक भुगतान करने हेतु पेंशन पेमेंट आर्डर को इस प्रकार से संशोधित कर दिया गया है कि जिससे वह उसी पेंशन पेमेंट आर्डर के अधीन परिवार पेंशन प्राप्त कर सके जिसके द्वारा पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय सरकारी कमचारी अपनी पत्नी के साथ की तीन संयुक्त फोटो प्रस्तुत करेगा जिसमें से एक को पेंशन की स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित करने के बाद पेंशन पेमेंट आर्डर में पेंशनर के भाग में लगा दिया जायगा। स्वीकृत परिवार पेंशन की राशि का उल्लेख पेंशन पेमेंट आर्डर में किया जायेगा। कोषागार अधिकारी विधवा/विधुर को परिवार पेंशन का भुगतान करना उस समय प्रारम्भ कर देगा जब वह पेंशनर की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं उसे परिवार पेंशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र (संलग्नक 11) महालेखाकार को सूचित करते हुए प्राप्त होगा। यदि विधवा/विधुर भी न हो तथा परिवार पेंशन उन वयस्क बच्चों को उनके स्वाभाविक संरक्षक के मारफत दी जानी हो तो संरक्षक व लड़के की ओर से आवेदन करेगा तथा अपनी दो प्रतियां एवं अन्य दस्तावेज प्रथम पेंशन पेमेंट आर्डर को समर्पित करते समय प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों में नया पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना होगा।

[1]स्पष्टीकरण—इस विभाग के ज्ञापन स एफ 1 (12) वि वि (व्यय नियम)/64 दि 17-11-64 का प्रसारित हुए उपरोक्त विषय में यह आज्ञा देने का निर्देश हुआ है कि—इस कार्यालय के इस ज्ञापन में पैरा (iv) में यह प्रावधान है कि—पेंशन की स्वीकृति की प्रार्थना पत्र देते समय एक सरकारी कमचारी अपनी पत्नी के साथ एक संयुक्त फोटोचित्र की तीन कापियां पेश करेगा जिनमें से एक पेंशन स्वीकारकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जाकर पेंशन भुगतान आदेश (PPO) पर चिपकाई जावेगी।

तो भी इस विभाग के ज्ञापन स एफ 1 (77) वि वि (नियम) 69 दि 15-5-70 द्वारा प्रसारित फार्म स पी 4 में यह प्रावधान है कि—संयुक्त फोटोचित्र पासपोर्ट साइज की प्रतियों को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जावेगा। समस्त सम्बन्धितों की सूचनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि—कार्यालय ज्ञापन दि 17-11-64 को संशोधित फार्म पी 4 में दिये गये प्रावधानों के द्वारा संशोधित किया गया माना जावेगा। दूसरे शब्दों में यह पर्याप्त होगा यदि संयुक्त फोटोचित्र की कापियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित की गई हों।

निर्णय स 1—राज्य सरकार ने उक्त नियमों द्वारा शासित सरकारी कमचारी द्वारा उसकी सेवा निवृत्ति के समय प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित संयुक्त फोटोग्राफ से पर्दानशीन औरतों को मुक्त करने का निश्चय किया है।

निर्णय स 2—वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (12) वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 VII दि 17-11-64 (नियम 268 घ के नीचे प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त) की ओर ध्यान आकर्षित

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (12) वि वि (व्यय नियम) 64 दि 3-8-1973 द्वारा निविष्ट।

किया जाता है जिसके अनुसार पेंशनर की मृत्यु होने पर, परिवार को परिवार पेंशन भुगतान योग्य हो जाती है तथा कोषागार अधिकारी को इस परिवर्तन की सूचना महालेखाकार को देनी होती है। इस प्रक्रिया में एकरूपता रखने के लिए सलग्नक 11 निर्धारित किया गया है तथा इस प्रपत्र में आवश्यक सूचना कोषागार अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत की जायेगी।

स्वीकृति की शर्त (Condition of grant) परिवार पेंशन निम्न को स्वीकृत की जावेगी।

नियम **268ङ** (क) एक विधवा/विधुर मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो कोई पूर्व में हो

(ख) अवयस्क पुत्र जब तक वह 18 साल की अवस्था प्राप्त न करले

(ग) अविवाहित पुत्रियां जब तक उनकी उम्र 21 वर्ष न हो जाये या शादी न हो जाये इनमें से जो पूर्व में हो।

विवरण का क्रम (Order of Allotment)—इस अध्याय के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन निम्न को

नियम **268च** स्वीकृत की जावेगी —

[1](क) विधवा को यदि मृत व्यक्ति पुरुष सरकारी कर्मचारी हो परन्तु यह है कि जहां सरकारी कर्मचारी के बाद एक से अधिक विधवा हो वहां उन्हें पेंशन बराबर हिस्सा में बांटी जावेगी। किसी भी विधवा की मृत्यु होने पर पेंशन का उसका हिस्सा उसके पात्र अल्प वयस्क बच्चा को भुगतान योग्य होगा। यदि उसकी मृत्यु के समय विधवा के पीछे कोई पात्र अल्प वयस्क बच्चा नहीं रहता है तो पेंशन के उसके हिस्से का भुगतान समाप्त हो जायेगा परन्तु यह और है कि जहां सरकारी कर्मचारी के पीछे विधवा जीवित रहती है तथा साथ ही दूसरी पत्नी से पात्र अल्प वयस्क बच्चा भी जीवित रहता है तो अल्प वयस्क बच्चा वही पेंशन प्राप्त करेगा जिसे उसकी मां प्राप्त करती यदि वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जीवित रहती या

(ख) पति को यदि मृत सरकारी कर्मचारी महिला हो।

[2]टिप्पणी—इस नियम के खण्ड (ग) में प्रावधित किये गये के सिवाय इस अध्याय के अधीन स्वीकृत की गई पेंशन एक साथ कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को भुगतान योग्य नहीं होगी। यह पहिले विधवा/विधुर को स्वीकार्य होगी इसके बाद पात्र अल्प वयस्क बच्चे को स्वीकार्य होगी।

(ग) यदि कोई विधवा/विधुर न हो ऐसी ही स्थिति हो या उसकी मृत्यु पुनर्विवाह के बाद उसके नाबालिग पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियां को उनके स्वाभाविक संरक्षकों के द्वारा तथा सन्देहयुक्त मामलों में उनके वैध संरक्षक को।

[3]स्पष्टीकरण

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268—च (ग) के अनुसार पारिवारिक पेंशन का अधिकार (टान्फिल) विधवा के पुनर्विवाह करलेने की दशा में अवयस्क पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों में उनके नैसर्गिक अभिभावकों के द्वारा और विवादग्रस्त मामलों में उनके विधिक अभिभावकों के द्वारा हस्तान्तरित हो जाता है।

एक प्रश्न उठाया गया कि क्या पारिवारिक पेंशन के नियम यह अधिकार किसी मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चे को भी अभिहित हो सकता है।

इस मामले की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि—पारिवारिक-पेंशन मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चे को भी उसके नैसर्गिक अभिभावक (विधवा माता) के द्वारा देय है चाहे उसने पुनः विवाह कर लिया हो क्योंकि विधवा का पुनर्विवाह करना स्वतः अपने आप से उसके अल्प वयस्क बालक के लिये अभिभावकता के अधिकार को विधि के अधीन वंचित नहीं करता।

[टिप्पणी—विलोपित]

ग्रेच्युटी के अंश का समर्पण या लौटाना (Surrender of portion of gratuity)—

नियम **268छ** प्रत्येक राज्य कर्मचारी जो इस अध्याय के अन्तर्गत पेंशन के लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत है उस जगह प्राप्य हो अपनी ग्रेच्युटी का हिस्सा

---

1 वि वि की अधिसूचना स० एफ 1 (45) वि वि (व्यय नियम) 67 दि० 29-6-67 द्वारा उपनियम (क) प्रतिस्थापित किया गया तथा टिप्पणी निविष्ट की गई।

2 विज्ञप्ति स एफ 1 (12 वि वि (व्यय-नियम)/64 दि० 15-11-1972 द्वारा निविष्ट।

3 स एफ 1(53) वि वि (श्र-2)/74 दि 2 12-74 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 31 10 74 से प्रभावशील

महालेखाकार के पास निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं पहुचाए जा सके, अन उन्हें अवैध समझा गया।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि जब किसी अधिकारी ने विकल्प भर दिया हो तथा वह प्रस्तुत करने के समय उस अधिकारी का प्रस्तुत कर दिया गया हो जिसके कि द्वारा वह विकल्प प्राप्त किया जाता था, तो उस विकल्प को वैध समझा जाएगा।

ये आदेश दिनाक 25–9–64 से प्रभावशील होंगे।

[1]निर्णय स० 6—निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने यह निश्चय किया है कि नवीन वेतनमानों के प्रभावशील होने और महगाई भत्ते के एक अंश को महगाई वेतन माने जाने के कारण उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने 1–11–56 के तुरन्त पूर्व उन पर लागू होने वाले अवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम, 1957 के नियम 11 के अनुसरण में विकल्प दिया था समय समय पर यथा सशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के लाभों को सम्मिलित करते हुए, राजस्थान सेवा नियम में अन्तर्विष्ट अवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाए। यह विकल्प इन आदेशों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छ मास की अवधि के भीतर लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। विकल्प दिये जाने भेजे जाने और अभिलिखित किये जाने की क्रियाविधि वही होगी जो वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (12) वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 III दिनांक 26–9–64 में निर्दिष्ट है (जो राजस्थान सेवा नियम खण्ड I–भाग ख–पेंशन भाग के पृष्ठ 121 नियम 268 ज के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 1 के रूप में दिया गया है)।

ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को सेवा में हैं।

[2]निर्णय स० 7—निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने यह विनिश्चय किया है कि नवीन वेतनमानों के प्रभावशील होने और महगाई भत्ते के एक अंश को महगाई वेतन माने जाने के कारण उन सरकारी कर्मचारियों को जो अंशदायी भविष्य निधि का लाभ उठा रहे हैं समय समय पर यथा सशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियमों के लाभों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान सेवा नियम में अन्तर्विष्ट अवकाश एवं पेंशन नियमों के लिये विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाय। यह विकल्प इन आदेशों के शासकीय राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से छ माह की अवधि के भीतर लिखित में देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। विकल्प दिये जाने भेजे जाने और अभिलिखित किये जाने की क्रियाविधि वही होगी जो वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (12) वित्त विभाग (व्यय नियम)/64 IV दिनांक 26–9–64 में निर्दिष्ट है (जो राजस्थान सेवा नियम खण्ड 1–भाग–ख पेंशन भाग पृष्ठ 124 के नियम 268 ज के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 के रूप में दिया गया है) ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख से सेवा में हैं।

[3]निर्णय स 8—वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (65) वित्त विभाग/नियम/68 II दि 9 5 69 की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है विकल्प देने भेजने व अभिलिखित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (12) वित्त वि (व्यय नियम) 64 IV दिनांक 26–9–64 में निर्धारित की गई है। फिर भी विकल्प का प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अंशदायी भविष्य निधि में योगदान करने वाले सदस्यों द्वारा जो पेंशन नियमों के विकल्प देना चाहते हैं विकल्प सही रूप से भरा जाय, विकल्प का निम्न लिखित प्रपत्र निर्धारित किया गया है।

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (65) वित्त वि (नियम) 68 I दिनांक 9–5–69 द्वारा निविष्ट।

2 वित्त विभाग की अधिसूचना स० एफ 1 (65) वित्त वि नियम/68 II दिनांक 9–5–69 द्वारा निविष्ट।

सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षो से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह निश्चित किया जाता है कि सभी मामलो म अभिदाता द्वारा भरा गया मूल विकल्प उसको स्वीकार किय जाने हेतु तथा अंशदायी भविष्य निधि लेखे को सामान्य भविष्य निधि म हस्तान्तरित करने के लिए महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिए। अराजपत्रित अभिदाताओ के मामले म एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त किया जा सकता है तथा सेवा पुस्तिका म चिपकाया जा सकता है। विकल्प की स्वीकृति के सम्बन्ध म सेवा पुस्तिका म प्रविष्टियां इस सम्बन्ध म महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज की जा सकगी।

सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियो द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सशोधित प्रपत्र मे विकल्प भरकर देना चाहिये। वित्त विभाग का ज्ञापन दि 9-5-69 को राजस्थान राजपत्र म 27 दिनाक 20-10-69 म भाग 4 ग (ii) के पृष्ठ 96, 97 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

जिन्होने पहिले से ही विकल्प भरकर दे दिया है वे उसे नीचे निर्धारित प्रपत्र मे भरकर द सकते हैं। कार्यालय अध्यक्ष/महालेखाकार राजस्थान जयपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी से निर्धारित प्रपत्र म प्राप्त कर लिये गय हैं।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (65) वि वि (नियम)/68 II दिनाक 9-5 69 के अनुसरण म मैं नाम पुत्र श्री — पद जो कि जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि लेखा मैं अभिदाता हू एतद्द्वारा वर्तमान म यथा स्वीकार्य जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि के लाभो के बदले राजस्थान सेवा नियमो जिसम नवीन परिवार पेंशन नियम 1964 भी शामिल है समय समय पर यथा सशोधितानुसार म दिये गये पेंशन नियमो के लिए विकल्प देता हू।

दिनाक माह — वर्ष

साक्षी

हस्ताक्षर — — हस्ताक्षर

दिनाक दिनाक

पूरा नाम (मोटे अक्षरो म) —

पूरा नाम (मोटे अक्षरो म) —

पद नाम पद नाम —

कार्यालय — कार्यालय —

सत्यापित

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

[1]निर्णय स 9—पेंशन नियमो को और उदार बनाये जाने के कारण यह विनिश्चय किया गया है कि उन राज्य कर्मचारियो ने जिन्होन 1 11 1956 के तुरन्त पूर्व उन पर लागू होने वाले अवकाश एव पेंशन नियमो के लिए राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसरण म विकल्प दिया गया था, समय समय पर यथा सशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियमो के लाभो को सम्मिलित करते हुए राजस्थान सेवा नियमो म अन्तर्विष्ट अवकाश एव पेंशन नियमो के लिए विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाय। यह विकल्प इन आदेशो के शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर लिखित म देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। जो व्यक्ति निर्धारित समयावधि म विकल्प भर कर नहीं देंगे 1-11 1956 से पूर्व उन पर लागू होने वाले परिवार पेंशनो के लाभ रखने के लिए विकल्प दिया हुआ समझा जावेगा।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (65) वि वि (नियम)/68 दिनाक 29 जून 1971 के अनुसरण म मैं पुत्र श्री वर्तमान अवकाश एव पेंशन लाभ जो 1-11 1956 के तुरन्त पूर्व प्रयोज्य नियमो के अधीन मुझ पर लागू थे के स्थान पर राजस्थान सेवा नियमो म अन्तर्विष्ट अवकाश एव पेंशन (नये पारिवारिक पेंशन नियम 1964 सहित) के लिए विकल्प देता हू जो कि अब राजस्थान सेवा (सेवा की शर्तों के सरक्षण) नियम 1957 के नियम 11 के अनुसरण म दिये गये विकल्प के अनुसार मुझे स्वीकार्य है।

---

1 आज्ञा स 1 (65) वि वि (नियम)/68 दि 29 6 1971 द्वारा निविष्ट।

साक्षी	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनाक
दिनाक	पूरा नाम मोटे अक्षरो म
पूरा नाम मोटे अक्षरा म	पद
पद	कार्यालय
कार्यालय	

अराजपत्रित कर्मचारियो के मामला म उसके द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियो के मामला म विकल्प महालेखाकार राजस्थान को भेजना होगा। विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारी से प्राप्त होना है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने होग और सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका म चिपका दिया जावेगा।

य आदेश उन राज्य कर्मचारिया पर लागू होग जो 1 9 1968 को राज्य सेवा मे थे।

जो कर्मचारी 1 9 1968 को या बाद म परन्तु इन आदेशो के जारी होन के पूर्व सेवा निवृत्त हो गये है उनके पेंशन के मामला को पुन देखा जावे और उनके पेंशन के दावे राजस्थान सेवा नियमो के अधीन निपटाये जावे यदि इन्होने इन आदेशो के अधीन विकल्प भर कर दिये हैं।

[1]निर्णय स 10—पेंशन नियमो को और उदार बनाये जाने के कारण यह विनिश्चय किया गया है कि उन सरकारी कर्मचारियो को, जो अशदायी भविष्य निधि का लाभ उठा रहे हैं समय समय पर यथा सशोधित नवीन पारिवारिक पेंशन नियमो के लाभो को सम्मिलित करते हुए राजस्थान सेवा नियमो म अन्तर्विष्ट पेंशन नियमो के लिए विकल्प देने का एक और अवसर दिया जावे। यह विकल्प इन आदेशो के शासकीय राजपत्र म प्रकाशित होने की तारीख से छ माह की अवधि के भीतर निम्नाकित प्रपत्र म लिखित म देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

विकल्प का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (65) वि वि (नियम)/68 II, दिनाक 29 जून 1971 के अनुसरण म मैं पुत्र श्री पद जो कि जोधपुर अशदायी भविष्य निधि लेखा म अभिदाता हू एतद्द्वारा वर्तमान म यथा स्वीकार्य सेवा नियमो जिनम नवीन परिवार पेंशन नियम 1964 भी शामिल है समय समय पर यथा सशोधितानुसार म दिये गये पेंशन नियमों के लिए विकल्प देता हू।

साक्षी	
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
दिनाक	दिनाक
पूरा नाम (मोटे अक्षरो म)	पूरा नाम (मोटे अक्षरो म)
पद	पद
कार्यालय	कार्यालय

अराजपत्रित कर्मचारी के मामला मे उसके द्वारा दिया गया विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियो के मामला म विकल्प महालेखाकार राजस्थान को भेजना होगा। विकल्प जब अराजपत्रित कर्मचारियो से प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने होग और सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका म चिपका दिया जावेगा।

जो पेंशन नियमो के लिए विकल्प देते हैं उन व्यक्तियो की सेवाए समय समय पर सशोधित राजस्थान सेवा नियमो के भाग V II म दिये गये पेंशन नियमो के अनुसार पेंशन के योग्य गिनी जावेगी।

कर्मचारी द्वारा जमा कराये अशदान की राशि मय उसके ब्याज की राशि के जो राज्य कर्मचारी की अशदायी भविष्य निधि म उसके पक्ष म जमा होगी, वह राजस्थान सेवा नियमो म दिये गये पेंशन नियमो द्वारा शासित होने के विकल्प देने पर, सामान्य भविष्य निधि म उसके पक्ष म जमा कराने के लिए हस्तान्तरित करदी जावेगी। राज्य सरकार द्वारा जमा अशदान की राशि मय ब्याज के राज्य सरकार के सामान्य राजस्व म जमा करादी जावेगी।

य आदेश उन राज्य कर्मचारिया पर लागू होगे जो 1 9 1968 को राज्य सेवा म थे।

जो व्यक्ति 1 9 1968 को या बाद म परन्तु इन आदेशो के जारी होने के पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हैं उनके मामले पुन देखें जावे और उन्ह इन नियमो के अधीन निपटाये जावे। राज्य सरकार द्वारा

---

1 एफ 1 (65) वि वि I (नियम) 68–II दिनाक 29 6 1971 द्वारा निविष्ट।

कमचारी के प्रशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अशदान की राशि मय ब्याज के जो सरकार द्वारा कमचारी को भुगतान कर दी गई है को इन नियमो के अधीन स्वीकार्य पेंशन/ग्रेच्युटी के एवज म समायोजित करली जावगी यदि उसने इन आदेशो के अधीन पेंशन के लिए विकल्प दे दिया है।

[1]निर्णय स 11—वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 29-6 1971 (जो उक्त निर्णय संख्या 10) के अनुच्छेद 2 म दिये गये उपबन्धो के अनुसार जब विकल्प अराजपत्रित कमचारी स प्राप्त होता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किये जावेंगे और सम्बन्धित कमचारी की सेवा पुस्तिका में चिपका दिया जावेगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अशदायी भविष्य निधि म योगदान करने वाले सदस्यो द्वारा विकल्प सही रूप स भरा गया है समस्त विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षो स इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रभार डाला जाता है कि सभी मामलो म अभिदाता द्वारा भरा गया मूल विकल्प उसको स्वीकार किये जाने हेतु तथा अशदायी भविष्य निधि लेखे को सामान्य भविष्य निधि म हस्तान्तरित करने के लिए महालेखाकार राजस्थान को भेज दिया गया है। अराजपत्रित अभिदाताओ के मामलो म, एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त किया जावे और उसे सेवा पुस्तिका म चिपका दिया जावे। विकल्प की स्वीकृति के सम्बन्ध म सेवा पुस्तिका मे प्रविष्टिया इस सम्बन्ध म महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज कर दी जावे। उपरोक्त आज्ञा म उल्लेखित फार्म म विकल्प दिया जावे।

स्पष्टीकरण—वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25-9-64 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि नये परिवार पेंशन नियमो के सम्बन्ध म निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिये जाते हैं—

(1) परिवार पेंशन की मात्रा पर पेंशन के रूपान्तरण का प्रभाव– Effect of commutation of pension on the quantum of family pension)—पेंशन का रूपान्तरण परिवार पेंशन की मात्रा पर कोई प्रभाव नही डालता है। चूंकि परिवार पेंशन की दर उस वेतन पर आधारित होती है जिसे कि राज्य कमचारी सेवा निवृत्त होने स पूर्व शीघ्र ही प्राप्त कर रहा था न कि स्वीकृत पेंशन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

(2) विधवा विधुर, जो कोई उत्तराधिकारी हीन हो उनकी ग्रेच्युटी से दो माह के वेतन/कुल राशि की वसूली—(Recovery of two months pay/emoluments from the gratuity from widow/widower having no beneficiary)—यदि राज्य कमचारी बिना पत्नी/पति या गोद लिए बच्चा सहित बच्चा के बिना ही सेवा स निवृत्त हो जाता है तो अविवाहित कमचारियो के सम्बन्ध म उनसे दो माह के वेतन/कुल राशि की वसूली नही की जावेगी।

(3) जहा पति एव पत्नी दोनो ही राज्य कमचारी हो तो उनकी मृत्यु पर उनके नाबालिग बच्चो के लिए परिवार पेंशन का भुगतान—परिवार पेंशन नियम एक राज्य कमचारी/पेंशनर को अपने वेतन या पेंशन के साथ म परिवार पेंशन प्राप्त करने स नहीं रोक सकते हैं। पिता व माता की मृत्यु की घटना म जो कि दोनो ही राज्य कमचारी थे तो नाबालिग बच्चे दो पेंशनें प्राप्त करने के हकदार होगे जो कि अधिकतम कुल रु0 150)रु मासिक तक प्राप्त कर सकेंगे बशर्ते कि दोनो कमचारी नए परिवार पेंशन नियमो द्वारा नियमित होने हो।

(4) उन राज्य कमचारियो पर नये परिवार पेंशन नियमो का लागू होना जो कि 29-2-64 को राज्यकीय सेवा मे थे परन्तु 1-3-64 से सेवा निवृत्त हो गये—जो राज्य कमचारी 29-2-64 को राज्यकीय सेवा म थे परन्तु 1-3-64 से सेवा निवृत्त हो गये वे राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 ज म दिये गए प्रावधानो के अनुसार विकल्प देने के लिए योग्य हो सकते हैं।

(5) परिवार पेंशन की योग्यता निश्चित करने मे सेवा के व्यवधान (Break) का समय—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 ख के खण्ड (क) म प्रयुक्त एक साल की सेवा की शर्त म सेवा के व्यवधान का समय शामिल नही है। इस प्रयोजन के लिए सेवा का निरन्तर होना जरूरी है।

(6) उन राज्य कमचारियो द्वारा नए परिवार पेंशन नियमो के लिए विकल्प भराना जो 1-3-64 को या उसके बाद परन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व सेवा से निवृत्त होते हैं- जो राज्य कमचारी 1-3-64 को या उसके बाद से

---

1 स एफ 1 (65) वि वि (नियम)/68 दि 6-4 1972 द्वारा निविष्ट।

लेकिन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व सेवा से निवृत्त होते हैं वे राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 ज मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार विकल्प भरने के लिए योग्य हैं। पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा इन नियमो को सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों के भी ध्यान मे ला देना चाहिए जिससे कि यदि वे चाहें तो इन नियमो के लिए अपना विकल्प दे सकें।

(7) नये परिवार पेंशन नियमों का उन राज्य कर्मचारियों पर लागू होना जो कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 ज के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि मे बिना विकल्प भरे ही दिनांक 1-3-64 को या उसके बाद मे सेवा मे या सेवा निवृत्ति के बाद मर जाता है—वे राज्य कर्मचारी जो सेवा मे या सेवा निवृत्ति के बाद दिनाक 1-3-64 को या उसके बाद से परन्तु वित्त विभाग के आदेश दिनाक 25-9-64 के जारी होने के पूर्व मर जाते है या राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 ज मे वर्णन किए अनुसार राजस्थान राजपत्र से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बाद मे 6 माह की निर्धारित अवधि मे बिना किसी प्रकार का विकल्प भरे ही मर जाते है तो उनके द्वारा नये परिवार पेंशन नियमो के लिए विकल्प भरा हुआ समझा जावेगा।

ज्ञापन

'राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 ज के नीचे प्रयुक्त 'स्पष्टीकरण परा (ii) मे अन्तर्विष्ट प्रावधानो की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

यह और स्पष्ट किया जाता है कि उपदान की राशि मे से दो माह के वेतन/परिलब्धियों की कटौती उन सरकारी कर्मचारियों के मामले मे भी नही की जावेगी जो सेवा मे रहते हुए अपने पीछे परिवार पेंशन हेतु कोई प्राप्तकर्त्ता न छोडते हुए मरते हैं।

परिशिष्ट 1

परिवार पेन्शन का प्रपत्र

राजस्थान सरकार

विभाग -- --

संख्या -- -- ---   दिनांक

विषय—स्वर्गीय श्री/श्रीमती -- के सम्बन्ध मे परिवार पेंशन का भुगतान

मुझे बडे दुख के साथ श्री/श्रीमती जो -- (पद पर) इस कार्यालय/विभाग मे कार्य करते थे की दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है तथा मुझे आपके लिए यह निर्देश देने का आदेश हुआ है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (12) एफ डी (व्यय नियम) 64 I दिनाक 25-9-64 के प्रावधानो के अन्तर्गत आप जीवन पर्यन्त/बालिग अवस्था प्राप्त करने की तारीख तक परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

इसके अनुसार मैं आपको सुझाव देता हू कि परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए औपचारिक क्लेम आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रो के साथ संलग्न प्रपत्र मे भरकर पेश करें।

(1) मृत्यु प्रमाण पत्र

(2) पासपोर्ट साइज की दो फोटोग्राफ की प्रतियां जो कि एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।

(3) जहा पेंशन नाबालिग बच्चो को दी जानी है वहा संरक्षकता का प्रमाण पत्र

(पद)

वास्ते -- -- --

जहा परिवार पेंशन नाबालिग बच्चो को दी जानी हो
(सेवा पुस्तिका मे लगाने के लिए)
पद -- -- --

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म की तारीख	राज्य कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

मैं एतद्द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268 घ में वर्णित किए गये अनुसार मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में विशेष विवरण प्रस्तुत करता हूं तथा जब कभी अवसर उपस्थित होगा तब परिवर्द्धन एवं परिवर्तन की सूचना सूचित कर दी जायेगी।

कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर — राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर
पद

(ख)

बाद में शामिल किए गए परिवार के सदस्यों का विशेष विवरण

क्रम स०	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि	राज्य कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	व्यक्तिगत पत्रावली की पृष्ठ संख्या जहां बाद की घोषणा को अभिलिखित किया गया	कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

[1]सरकारी निर्देश—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (12) वि वि (ई आर)/64 दिनांक 17-11-1964 जो पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया से सम्बन्धित है की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उक्त आज्ञा के अनुच्छेद 1 (i) में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन करते समय राज्य कर्मचारी अपना संयुक्त चित्र पत्नि सहित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा जिनमें से एक को पेंशन स्वीकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाकर पेंशन भुगतान आदेश में चिपकाया जावे।

परन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (77) वि वि (नियम)/69 दिनांक 15-5-1970 द्वारा प्रसारित फार्म संख्या P 4 में यह प्रावधान किया गया है कि पासपोर्ट साईज के संयुक्त चित्र को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जावेगा। समस्त सम्बन्धित अधिकारियों की सूचनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 17-11-1964 में दिये गये उपबन्धों को इस सम्बन्ध में परिवर्तित फार्म P 4 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित समझा जावे। दूसरे शब्दों में यदि संयुक्त चित्र की प्रतियों को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा।

परिशिष्ट 2

प्रार्थना पत्र (Form of Application)

(नये परिवार पेंशन नियम)

स्वर्गीय श्री/श्रीमती ... जो कि ... (पद) पर ... कार्यालय/विभाग में कार्य करते थे उनके परिवार के लिए परिवार पेंशन का प्रार्थना पत्र—

1—प्रार्थी का नाम

2—मृत राज्य कर्मचारी/पेंशनर के साथ सम्बन्ध

3—सेवा निवृत्ति की तारीख यदि मृत व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने वाला था

4—राज्य कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की तारीख

---

1 आज्ञा सं एफ 1 (12) वि वि (ई आर)/64 दि 3-8-1973 द्वारा निविष्ट।

5—मत व्यक्ति के जीवित वशजा (Kindred) के नाम व उनकी अवस्था
(नाम) (ईस्वी सन् के अनुसार जन्म तिथि)
विधवा/विधुर
पुत्र
अविवाहित पुत्रिया
6—ट्रेजरी/सब ट्रेजरी का नाम जहा पर भुगतान चाहा गया है।
7—हस्ताक्षर व बाए हाथ के अगूठे की निशानी
(उनके सम्बन्ध म जो अपना नाम लिखने म पर्याप्त रूप से शिक्षित न हो)
8—स्वर्गीय श्री/श्रीमती के/की विधवा/विधुर/नाबालिग बच्चो का सरक्षक श्री/श्रीमती की विवरणात्मक सूची।
(1) जन्म तिथि
(2) ऊचाई
(3) हाथ या मुह पर व्यक्तिगत चिह्न यदि कोई हो
(4) बायें हाथ के अगूठे की निशानी एव अगुलिया के चिह्न

तर्जनी अगुली	अगूठा की अगुली	बिचली अगुली	सिर्देनिका अगुली	अगूठा

9—प्रार्थी का पूरा पता

द्वारा प्रमाणित किया गया
(1)

साक्षी
(1)
(2)

टिप्पणी

विवरणात्मक सूची (कालम 8) एव हस्ताक्षर या बायें हाथ का अगूठा एव अगुलिया की निशानी परिवार पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ दो प्रतियो म सलग्न (अलग अलग कागजो पर) की जावेगी तथा दो राजपत्रित अधिकारियो या व्यक्तियो स या जिस कस्बे गाव या परगना मे वह रहता है वहां के प्रतिष्ठित दो व्यक्तियो द्वारा प्रमाणित की जावेगी।

[1]परिशिष्ट 2–क

प्रेषक—कोषागार अधिकारी दिनाक 19
प्रेषिती – महालेखाकार राजस्थान जयपुर
विषय—उस पेंशनर की मृत्यु के सम्बन्ध म सूचना जिसने नवीन परिवार पेंशन योजना को चुना है।

आपको सूचित किया जाता है कि पी॰ पी॰ ओ॰ सख्या के धारक श्री/श्रीमती — जो इस कोषागार/उप कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे/रही थी दिनाक को स्वर्गवासी हो गए/हो गई।

2 परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान रु (रुपये मात्र) की प्रतिमाह की दर पर को दिनाक से तक की अवधि के लिए ट्रेजरी वाउचर स दिनाक स किया गया है तथा उसे वर्ष 197 की पेंशन भुगतान अनुसूची मे शामिल कर दिया गया है।

उक्त भुगतान करने से पूर्व मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र व राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन स एफ 1 (12) वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 VII दिनाक 17 11 64 म निर्धारित अन्य दस्तावेज दावेदार से प्राप्त कर लिये गये हैं तथा आवश्यक जाच करने के बाद स्वीकार कर लिए गए हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से दावेदार की पहिचान एव हक के बारे म सतुष्ट हू।

भवदीय
(कोषागार अधिकारी)

1 वि वि के ज्ञापन स एफ 1 (12) वि वि (व्यय नियम) 64 दिनाक 13 7 66 द्वारा निविष्ट।

1–राज्य कमचारी का नाम
2–पिता का नाम (एव महिला राज्य कमचारी के सम्बन्ध म पति का नाम भी)
3–धम एव राष्ट्रीयता
4 स्थापन के नाम के साथ अन्तिम रूप म धारण किया गया पद ।
5 सेवा के प्रारम्भ होने की तारीख ।
6–सेवा समाप्त होने का तारीख ।
7 स्थायी नियुक्ति जो भी हो ।
8–विकल्प किए गए पेंशन नियम/योग्यता ।
9–मृत्यु के पूव निरन्तर योग्य सेवा की अवधि ।
10–वतन जो कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 268 (घ) म वर्णित किया गया है ।
11–प्राप्य परिवार पेंशन की राशि ।
12 तारीख जिससे कि पेंशन प्रारम्भ की जानी है ।
13–भुगतान का स्थान (राजकीय ट्रेजरी या सब ट्रेजरी)

निम्न हस्ताक्षर कत्ता स्वर्गीय श्री/श्रीमती के उक्त विवरण से स्वय सतुष्ट होकर एतद्द्वारा श्री/श्रीमती के लिए रु प्रतिमाह पर परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए आदेश देता है जो कि नियमो के अन्तगत जाच अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सके ।

स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

[1]अध्याय 23 ख

[2]पेन्शन सम्बन्धी विशिष्ट पुरस्कार

प्रयोज्यता–यह अध्याय पेशन योग्य स्थापन वग (पेंशन बिल एस्टाब्लिशमेंट) की निम्नलिखित श्रेणियो पर, चाहे व अस्थाई या स्थाई रूप से ही नियुक्त क्यो न हो, लेकिन जो 5 अगस्त सन् 1965 से सेवा म है या जो सेवा म उस तारीख को या उसके बाद की तारीख को शामिल होते हैं लागू होंगे

नियम 268क

(1) पुलिस के कमचारी चाहे वे राजस्थान सशस्त्र पुलिस (R A C) को सम्मिलित करते हुए कमान्डेंट एव पुलिस अधीक्षक (आई पी एस अधिकारियो को छोडकर) के पद तक नियमित या अनियमित यूनिट म हो लेकिन जो डाकुओ से मुकाबला करते समय मारे जाते हो ।

(2) पुलिस के कमचारी चाहे वे राजस्थान सशस्त्र पुलिस (R A C) को सम्मिलित करते हुए पुलिस अधीक्षक (आई पी एस अधिकारियो को छोडकर) के पद पर नियमित या अनियमित यूनिट म हो एव चतुथ श्रेणी कमचारी एव पुलिस स्टाफ के साथ सलग्न फालोअर एव युद्ध न करने वाले कमचारी जो कि दुश्मन की प्रक्रिया जिसमे पाकिस्तान की ओर से छाताधारी (Paratroo p rs एव घुसपैठियो द्वारा की गई कायवाही भी शामिल है) के परिणामस्वरूप मारे गये है ।

पुरस्कार की प्रयोज्यता

नियम 268 'ट' म निर्दिष्ट दरो पर पुरस्कार इस अध्याय के अन्तगत उन पुलिस कमचारियो पर लागू होंगी जो सेवा म रहते हुए 5 अगस्त 1965 को या उसके बाद डाकुओ म मुकाबला करते समय चोट लगने के कारण मारे जाते है या जो दुश्मन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मारे जाते हैं ।

नियम 268ञ

पुरस्कार की राशि

इस अध्याय के अन्य प्रावधानो के अधीन रहते हुए पुरस्कार की राशि एव इस अध्याय के अधीन स्वीकाय रियायत निम्न प्रकार से होंगी—

नियम 268ट

(1) 8 माह की कुल लब्धियो के बराबर की ग्रेच्युटी

---

1 वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1(74) (व्यय नियम)/65 दिनाक 31 12 65 द्वारा निविष्ट तथा 5 8 65 से प्रभावशील ।
2 समसख्यक आदेश द्वारा दिनाक 10 4 67 द्वारा शीषक प्रतिस्थापित तथा 5-8-65 से प्रभावी ।

(ii) मासिक उपलब्धियों के बराबर परिवार पेंशन जो कि मृत व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय प्राप्त कर रहा था अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने तक की तिथि तक मिलती रहेगी, यदि वह जीवित रहता।

परन्तु शर्त यह है कि आया मृत व्यक्ति अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य होता है बोनस के समान पेंशन सम्बन्धी एवं विशिष्ट अंशदान जो अन्तिम जन्म तिथि की आयु पर संगणित किया जाएगा जैसा कि जोधपुर राज्य सेवा नियमों के अध्याय 2 में दिया गया है, खण्ड (2) के अन्तर्गत देय परिवार पेंशन की राशि में से काट लिया जाएगा।

(iii) अधिकतम वेतनमान की आधी के बराबर की परिवार पेंशन अर्थात जो मृत्यु के समय पर मौजूद थी, एवं जिसमें मृत व्यक्ति द्वारा वेतन स्थायी स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत से प्राप्त किया जा रहा था उस तारीख से देय होगी जिससे कि परिवार पेंशन उक्त खण्ड (2) के अधीन प्राप्य होने से बन्द हो गई हो।

(iv) मृत व्यक्तियों के बच्चे राजस्थान के भीतर सरकारी स्कूलों एवं कालेजों में निशुल्क शिक्षा की सुविधा के पात्र उसी सीमा तक होंगे जिस तक कि उस पर निर्मित नियमों के अनुसार अप वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों के बच्चों को स्वीकार्य होगी।

(v) मृत व्यक्ति का परिवार 100 रु० राशि तक मृत व्यक्ति के दाह संस्कार पर किए गए व्यय का पात्र होगा।

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये—

नियम 268ठ (1) 'परिवार' में वंशानुक्रम में निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल होंगे —
1 विधवा एवं यदि एक से अधिक विधवा हों तो सबसे अधिकायु की जीवित विधवा।
2 अल्प वयस्क बच्चे गोद लिये गये बच्चों को शामिल करते हुए।
3 अविवाहित एवं विधवा पुत्रियां गोद ली गई पुत्रियों को शामिल करते हुये।
4 गोद लिए गए अल्प वयस्क बच्चे।
5 अल्प वयस्क भाई एवं अविवाहित या विधवा बहिनें।
6 पिता
7 माता
8 पूर्व मृत पुत्र के अल्प वयस्क बच्चे

(2) परिलब्धियों का तात्पर्य नियम 7 (24) में परिभाषा किए गए अनुसार वेतन एवं महगाई भत्ते से है (इसमें महगाई वेतन भी शामिल होगा)

स्वीकृत करने की शर्तें—

नियम 268ड (1) इस अध्याय के अधीन पुरस्कार की स्वीकृति अध्याय 22 23 23क एवं 24 के अधीन स्वीकार्य समस्त सेवा के पेंशन सम्बन्धी लाभों के बदले होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार नियम 268 'ठ' (1) में दी गई वंशानुक्रम के आधार पर किसी अधिकारी के परिवार के सदस्यों को देय होगी।

(3) नियम 268 ट के खण्ड (2) व (3) के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार परिवार के किसी पुरुष सदस्य के मामले में 18 साल की उम्र प्राप्त करने पर एवं परिवार के एक महिला सदस्य के मामले में उसके विवाह पुनर्विवाह या विवाह होने जैसी समकक्ष परिस्थितियों में रहने पर, बन्द हो जाता है।

(4) इस अध्याय के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार सिवाय पुनर्विवाह (या पुनर्विवाह जैसी समकक्ष परिस्थितियों के रहते हुए) या विधवा की मृत्यु की घटना को छोड़कर हस्तान्तरण के योग्य नहीं है। नियम 268 ट के खण्ड (2) या (3) के अधीन स्वीकार्य पुरस्कार नियम 268 ठ (1) में दी गई वंशानुक्रम के आधार पर दूसरे नीचे के पुरुष को पुनः स्वीकृत कर दी जायगी।

नियम 268ढ (1) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में इस नियम में प्रावधित किए गए के अतिरिक्त इन नियमों के अन्तर्गत पुरस्कार साधारण पेंशनों से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन उस सीमा तक है जहां तक कि ऐसी प्रक्रिया एवं नियम इस अध्याय में दिये गये नियमों से सम्बद्ध नहीं हैं।

(2) संलग्न क में दिए गए प्रपत्र में पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए आवेदन पत्र मृत कमाण्डेन्ट या पुलिस अधीक्षक की मृत्यु के मामले में उस कमाण्डेन्ट या पुलिस अधीक्षक या इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके कि अधीन मृत अधिकारी मृत्यु के ठीक पूर्व सेवा कर रहा था।

[1](3) पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी अर्थात् कमाण्डेन्ट या पुलिस अधीक्षक [2][उप महानिरीक्षक आरक्षी (मय राजस्थान सशस्त्र पुलिस एव गुप्तचर शाखा)] या महानिरीक्षक, आरक्षी (इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस) जसी भी स्थिति हो आवेदन के प्राप्त करन पर शीघ्र ही निर्धारित प्रपत्र को भरगा तथा आवश्यक पूछताछ करने के बाद पेंशन/उपदान (ग्रेच्युटी) की स्वीकृति के लिए आदेश देगा तथा स्वीकृति एव आवेदन को महालेखाकार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रप्रेषित करेगा—

(1) अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र

[3](ii) किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्यु का प्रमाण-पत्र। "परन्तु ऐसे मामलो मे जैसे कि पुलिस के आदमियो के डाकुओं के साथ मुकाबला करते समय या दुश्मन की प्रतिक्रिया के कारण मारे जाने का विश्वास किया जाता हो लेकिन निश्चित पता न किया जा सकता हो तो कमाण्डेन्ट/पुलिस अधीक्षक/महानिरीक्षक, आरक्षी जसी भी स्थिति हो उक्त व्यक्तियो के बारे म निम्न लिखित प्रमाणपत्र अभिलिखित कर सकते हैं—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद (रैंक) - - -
आत्मज श्री नियुक्त (स्थान पर) के डाकुओं के साथ मुठभेड़ करते समय या पाकिस्तान से आए हुए छाताधारियो एव घुसपैठियो की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एव विश्वास के आधार पर, मारे जाने का विश्वास किया जाता है। श्री
पाकिस्तान मे युद्धबंदियो को वापिस लौटाने की प्रक्रिया म भारत को वापिस नहीं लौटाए गए हैं।'

(3) नियम 294 के अधीन अपेक्षित घोषणा पत्र।

(4) मृत्यु के कारण स्वरूप परिस्थितियो का विवरण-पत्र।

(5) उचित रूप से अनुप्रमाणित दो प्रतियो म दावेदार को बाये/दाए हाथ के अगूठे व अगुलियो की निशानी।

(6) उचित रूप स अनुप्रमाणित दो प्रतियो मे दावेदार के नमूने के हस्ताक्षर।

(7) मुखाकृति पर उचित रूप से अनुप्रमाणित दो प्रतियो म दावेदार के पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ।

उक्त दस्तावेजो के प्राप्त करन पर महालेखाकार पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करेगा।
(य सशोधन दिनाक 5 अगस्त 1965 स प्रभावशील होंगे)

[3]सरकारी निर्णय - पेंशन सम्बन्धी पुरस्कार स्वीकृत करने के सम्बन्ध म वर्तमान नियमो और आदेशो से आंशिक संशोधन करते हुए 5 अगस्त 1965 को अथवा बाद मे पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रमण के दौरान दुश्मन की प्रतिक्रिया जिसमे पाकिस्तान की ओर से छाताधारी (Paratropero) एव घुसपैठियो (in filtratoro) द्वारा की गई कार्यवाही भी सम्मिलित है के परिणाम स्वरूप जो राज्य कर्मचारी मारे गये अथवा जख्मी हो गये उनको नीचे लिखे अनुसार पेंशन का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है—

(1) जो दुश्मन की प्रक्रिया मे मारे गये—	प्रथम सात वर्ष तक अन्तिम वेतन का $\frac{2}{3}$ भाग (जिसमे बच्चों की पेंशन भी सम्मिलित है) और तत्पश्चात विद्यमान हक (existing intitlement) का $1\frac{1}{2}$ गुना जो कि अन्तिम वेतन के $\frac{2}{3}$ भाग के बराबर अधिकतम होगी।
(ii) जो दुश्मन की प्रक्रिया मे जख्मी हुए	बिना माता के शिशुओ के मामले म प्रारम्भ से विद्यमान हक (existing intitlement) की $1\frac{1}{2}$ गुना अधिकतम राशि जो कि अन्तिम वेतन के $\frac{2}{3}$ भाग के बराबर अधिकतम होगा।
(क) जहा अयोग्यता (invalidation) नहीं हुई है	केवल विद्यमान हक (existing intitlement)

---

1 वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 1 (74) एफ डी (व्यय नियम) 65 दिनांक 10-4-67 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 5 8 65 से प्रभावशील।
2 विज्ञप्ति स एफ 1 (26) वि वि (नियम)/72 दि 26-5-1972 द्वारा जोडा गया
3 वित्त विभाग के आदेशसंख्या एफ 1(12) वि वि (ई-मार)/64 दि 24-4 1967 द्वारा

(ख) जहा अयोग्यता (invali विद्यमान हक से 50 प्रतिशत अधिक (अर्थात् क्षति पेंशन या dation हो गई है अयोग्यता पेंशन यदि देय है से 50 प्रतिशत अधिक)

(1) जहा पर विद्यमान हक की राशि उपरोक्त राशि से अधिक होती है वहा पर विद्यमान हक (existing enti lement) की राशि देय होगी।

(2) अन्तिम वेतन के $\frac{2}{3}$ भाग की अधिकतम सीमा से अधिक एव ऊपर कोई तदर्थ वृद्धि की राशि नही दी जावेगी।

(3) जब अन्तिम वेतन के $\frac{2}{3}$ भाग की बराबर सकलित दर से पेंशन सम्बन्धी पुरस्कार स्वीकार कर लिया जाता है इसके साथ मे अन्य किसी प्रकार की पेंशन स्वीकार्य नही है।

(4) उपरोक्त पेंशन सम्बन्धी पुरस्कार के साथ विद्यमान नियमो के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी दी जावेगी।

ये आदेश उन राज्य कर्मचारियो पर लागू नही होगे जो राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय XXIII B मे अन्तर्विष्ट नियमो द्वारा नियमित होते हैं।

सलग्नक 'क'

श्री स्वर्गीय .... विभाग के परिवार के लिए परिवार पेंशन के लिए आवेदन पत्र –

( ) राज्य कर्मचारी का नाम

(2) पद नाम

(3) मृत्यु की तारीख

(4) चोट या मृत्यु की तारीख को परिलब्धिया

(1) स्थायी वेतन

(2) स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो,

(3) विशिष्ट वेतन

(4) वयक्तिक वेतन

(5) भत्ते

(5) पेंशन के लिए प्राथियो की तालिका

क्रम सख्या	नाम	मृत व्यक्ति के साथ सम्बन्ध	जन्म की तारीख	ऊचाई	वयक्तिक चि

(6) ट्रेजरी/सब ट्रेजरी का नाम जहा से भुगतान चाहा गया है।

(7) उचित रूप से अभिप्रमाणित हस्ताक्षर एव बाए अगूठे व अगुलियो की निशानिया (दो प्रतियो मे सलग्न की जाए।

(8) प्रार्थी/प्रार्थिया का पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अगूठे की निशानी

मैं प्रमाणित करता हू कि श्री - मृत/चोट ग्रस्त के सम्बन्ध की एव उसके आश्रितो का उपरोक्त दी गई सूचना जसे मैंने सत्यापन किया है सही है।

(9) निम्नलिखित प्रमाण पत्र सलग्न हैं—

(1) अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र जिसमे परिलब्धियो का विशिष्ट विवरण दिया गया है।

(2) मृत्यु की मेडिकल रिपोर्ट प्रमाण पत्र

(3) पुलिस अधीक्षक/इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस द्वारा मृत्यु के कारण स्वरूप परिस्थितियो का एक विवरण पत्र

(4) उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियों मे बांये/ दाये हाथ के अगूठे व अगुलियो की निशानिया।

(5) उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियो मे आदर्श हस्ताक्षर

(6) मुद्राकन पर उचित रूप से अभिप्रमाणित दो प्रतियो के पासपोर्ट साइज के फोटो।

(7) राजस्थान सेवा नियमो के नियम 294 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप मे घोषणा।

[1](10) विशिष्ट पेंशन सम्बन्धी पुरस्कार (स्पेशियल पेंशनरी अवार्ड) के लिए पेंशन स्वीकृत

1 वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (74) एफ डी (व्यय नियम) 65 दिनाक 10-4-67 द्वारा शामिल किया गया।

करने वाले प्राधिकारी के आदेश ।

स्वर्गीय श्री/श्रीमती के उपयुक्त विवरण से अपने आपको सन्तुष्ट करने के पश्चात निम्न हस्ताक्षरकर्ता उनके द्वारा परिवार पेंशन एवं उपदान जो कि नियमों के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकृत की जा सके देने की स्वीकृति का आदेश देता है। परिवार पेंशन एवं/या उपदान की स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(यह संशोधन 5 अगस्त 1965 से प्रभावशील होगा)

पुलिस अधीक्षक/इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस

अध्याय 24

असाधारण पेन्शनें (Extraordinary Pensions)

प्रयोज्यशीलता इस अध्याय के नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो कि राजस्थान सरकार द्वारा **नियम 269** अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सेवाओं या पदों पर नियुक्त किए जाते हैं या राजस्थान के राज्य कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन पर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compansation Act) लागू होता है। चाहे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां किसी वेतन श्रृंखला में या निश्चित वेतन पर या ठुकर कार्यों की दरों पर स्थाई हो या अस्थाई।

टिप्पणी—(1) भारतीय संविधान के अनु० 320 में दिया हुआ है कि चोट आदि के कारण पेंशन देने एवं ऐसी इनाम की राशि की मात्रा के बारे में प्रस्तुत किए गए क्लेमों पर लोक सेवा आयोग की सलाह लेनी चाहिए। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किए गए प्रत्येक क्लेम पर आयोग की सलाह लेना जरूरी है जो कि अध्याय 24 के नियम 269 से 274 एवं 278 तक के नियमों के अन्तर्गत पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के नियम बनाने के नियन्त्रण के अधीन है या था। जब चोट लगने इत्यादि के कारण पेंशन देने का कोई क्लेम प्रस्तुत किया जाय तो उसके सम्बन्ध में जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह ली जाय तो निम्न पूरक निर्देशनों का पालन किया जाना चाहिये—

(i) सम्बन्धित विभाग एवं आडिट द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाने के बाद आयोग की सलाह ली जानी चाहिए। पद्धति के लिए देखिए नियम 278।

(ii) आयोग की सलाह इस प्रसंग में लेनी चाहिए कि क्या उनकी राय में कोई पेंशन ग्रेच्युटी आदि की रकम स्वीकृत की जा सकती है? यदि हां तो उसकी कितनी धनराशि होगी।

(iii) इस प्रकार आयोग से ली जाने वाली सलाह के लिए आयोग को सरकारी पत्र के रूप में लिखा जाना चाहिए एवं उसके साथ सम्बन्धित कागजात संलग्न कर दिये जाने चाहियें।

[1]टिप्पणी सं 2—टिप्पणी संख्या 1 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने हुए भी असैनिक हैसियत से राज्य सरकार के पुलिस दल में सेवा करते समय किसी व्यक्ति द्वारा सहन की गई चोट के परिणाम स्वरूप परिवार पेंशन के प्रदान करने के मामले में तथा पेंशन की राशि निश्चित करने में आयोग की सलाह लेना आवश्यक नहीं होगा।

परिभाषा

इन नियमों के प्रयोजन के लिए इस अध्याय में जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल **नियम 269क** न दिया हो—

(1) दुर्घटना (Accident) का तात्पर्य

(i) एक अचानक और अनिवार्य दुर्घटना, या

(ii) आवश्यकता के समय में एवं सेवा के समय में कर्त्तव्य के पालन में किसी कार्य को करते हुए हुई कोई दुर्घटना जो कि हिंसा आदि के प्रयोग के अलावा अन्य कारण से हुई हो।

(2) चोट लगने की तारीख (Date of Injury) का तात्पर्य—

---

1 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (72) एफ डी (व्यय नियम) 65-I दिनांक 29-12-65 द्वारा निविष्ट।

(1) हिंसा या चोट के मामले मे वास्तविक तिथि जिस रोज चोट लगी हो या ऐसी तारीख जो कि चिकित्सा मण्डल की रिपोट की तारीख के बाद की नही होगी जिसे राज्य सरकार निश्चित करे एव

(11) बीमारी के होने पर वह तारीख जिसको चिकित्सा मण्डल सूचना देता है या एसी इसन पूर्व की तारीख जिसे सरकार चिकित्सा मण्डल की सलाह को उचित रूप से ध्यान म रखते हुए निश्चित करे।

(3) 'बीमारी से तात्पय —

(1) मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी (Venereal) बीमारी या सेप्टीकेइमिया (Septicaemia) जहा पर एसी बीमारी या सेप्टीकेइमिया चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी छूत की बीमारी से ग्रसित रोगी की अपनी सेवा काल म साल सभाल करने के कारण या उसने उस सेवाकाल म किसी पोस्ट माटम (Post Martem) की जाच करने के कारण हुइ बतलाई गई हो।

(11) बीमारी जो एक मात्र और सीधी एक दुघटना के कारण हुई है।

(111) एक छूत की बीमारी (epidemic disease) जो कि एक अधिकारी को ऐसे स्थान पर सेवा म लगन के कारण हुइ है जहा पर कि वसी बीमारिया होती रहती हैं या जहा वह अपने कत्त यो का पालन कर रहा हो वहा किसी क्षेत्र म एसी बीमारी पर परोपकारी भावनाओ के कारण स्वेच्छा स उपस्थित रहने के फलस्वरूप, वह बीमारी हुई हो।

(4) चोट (Injury) का तात्पय शारीरिक चोट से है जो कि बल प्रयोग दुघटना या बीमारी के कारण हुई हो जो कि चिकित्सा मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार से सवाधिक चोट स कम न बतायी गयी हो।

टिप्पणी—कुछ श्रेणियो की चोटो के उदाहरण परिशिष्ट 6 के भाग 1 मे दिये गये हैं।

(5) वेतन का तात्पय उस वेतन म है जिसकी कि परिभाषा राजस्थान सेवा नियम 7 (24) म की गई है एव जिसे कि एक व्यक्ति मृत्यु या चोट लगने के पूव प्राप्त कर रहा था। बशर्ते कि जहा यदि राज्य कमचारी को पुटकर काय (Piece work) पर वेतन दिया जाता हो, वहा वेतन का तात्पय उसकी मृत्यु या दुघटना की तारीख को समाप्त होने वाली अंतिम 6 माह की औसतन आय से है।

[1]निणय—विभागीय आज्ञा स एफ 1 (7) वि वि (नियम) 69 दि 7-4-69 का प्रसग देते हुए यह आदेश दिया जाता है कि असाधारण पेंशन उपदान जो राजस्थान सेवा नियम के अध्याय (24) के अधीन ग्राह्य है, के प्रयोजनाथ महगाई वेतन को वेतन की तरह सगणित किया जावगा। यह आज्ञा भूतलक्षी प्रभाव स 1 दिसम्बर 1968 से लागू होगी।

(6) पद के खतरे' (Risk of Office)—का तात्पय किसी ऐसे खतरे स है जो कि विशेष खतरा न हो कर एव दुघटना या बीमारी का हो जो कि एक राज्य कमचारी अपनी सेवा के काल मे एव सेवा के फलस्वरूप उससे ग्रसित होता है लेकिन उसे कोई भी पद का खतरा नहीं समझा जावगा जिसका कि भारत मे वतमान अवस्थाओ के कारण सवजन को सामान्य खतरा है जब तक कि ऐसा खतरा निश्चित रूप स किसी किस्म या मात्रा म, राज्यकीय सेवा की प्रकृति उसकी स्थितियो उसके दायित्वो या घटनाओ से नही बढ जाता हो।

टिप्पणी—पद के खतरे म एक राज्य कमचारी की मृत्यु या उस चोट लगने का खतरा भी शामिल है जो कि उसे जब वह किसी दगे (Riot) या सम्बंधित गाव, कस्बे या शहर म आन्तरिक झगडे म अपने पद के कार्यो को पूरा करते हुए काय के दिन या अवकाश के दिन प्राप्त होता है। इसमे उसके आस पास के क्षेत्र भी शामिल हैं एव जब वह अपने निवास स्थान से नियुक्ति के स्थान पर रवाना होता हो या नियुक्ति के स्थान स निवास स्थान पर रवाना होता हो तथा उक्त दगे या आन्तरिक झगडे का शिकार हो जाता है तो भी उसे इसी अथ म शामिल किया जावेगा।

सरकारी निणय—पद के खतरे शब्द म जहा एक राज्य कमचारी उचित अधिकारी की अनुमति द्वारा, जहा आवश्यक हो वायुयान द्वारा कतव्य पर यात्रा कर रहा हो तथा उस समय यदि मृत्यु या चोट सम्बन्धी कोई दुघटना हो तो वह भी शामिल है।

यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से 3 साल की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

---

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (7) वि वि (व्यय नियम) 69 दि 12-7-1973 द्वारा निविष्ट।

(7) 'विशेष खतरे का तात्पर्य'—

(i) हिंसात्मक तरीके के द्वारा चोट इत्यादि से पीडित खतरे से है।

(ii) दुर्घटना द्वारा एक चोट के खतरे से है जो कि एक राज्य कर्मचारी को अपने ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करते समय एवं उनके फलस्वरूप पहुंचती है जो कि अपने पद के साधारण खतरे से बाहर एसी चोट को बढ़ाने में उत्तरदायी हैं।

(iii) छूत की बीमारी जो कि वेनेरियल (Venereal) या सेप्टीकेइमिक (Septicaemic) बीमारी से पीडित रोगी को अपनी सेवा के समय में संभालते समय या अपने कर्त्तव्य के समय में किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम करते समय एक चिकित्सा अधिकारी को हो जाती है।

परन्तु यदि एक पुलिस अधिकारी जिसका वेतन 200) रु प्रतिमाह से कम है, अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण करते समय या उसके फलस्वरूप मृत्यु या चोट के सभी मामले विशेष खतरे के कारण चोट/मृत्यु के मामलों के समान नियमित किये जावेंगे—

(8) बल प्रयोग (Violence) से तात्पर्य एक आदमी के ऐसे कार्य से है जो कि एक राज्य कर्मचारी को निम्न प्रयत्नों द्वारा चोट पहुंचाता है।

(i) कर्मचारी के अपने कर्त्तव्य के पालन करने पर या उसे अपने कर्त्तव्यों के पालन से रोकने या भयभीत करने के लिये उस पर आक्रमण या प्रतिरोध की कार्यवाही द्वारा, या

(ii) एसे राज्य कर्मचारी द्वारा कोई चीज कर देने पर या उसे करने के लिए प्रयत्न करने या अन्य कोई राज्य कर्मचारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का वैध रूप से पालन करने पर बल के प्रयोग द्वारा या

(iii) उसकी सरकारी हैसियत के कारण बल प्रयोग के द्वारा पहुंचाई गई चोट।

पुरस्कार की शर्तें (Conditions of award)—सरकार की स्वीकृति के बिना या एक ऐसे

नियम 270 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना जिसको कि राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वह निश्चित करे इन नियमों के अन्तर्गत अपने में निहित शक्ति प्रदान करती है, इन नियमों के अन्तर्गत कोई पुरस्कार (award) नहीं दिया जावेगा। पुरस्कार देने में सक्षम प्राधिकारी उस राज्य कर्मचारी की ओर से हुई गलती की सीमा या उसकी उदासीनता की मात्रा पर विचार कर सकता है जो कि आघात प्राप्त करता है या आघात के परिणामस्वरूप मर जाता है या मारा जाता है।

इन नियमों के अन्यथा प्रकार से किए गये प्रावधान के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन पुरस्कार का

नियम 271 प्रभाव किसी अन्य पेंशन या ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा जिसको कि पाने के लिये सम्बन्धित राज्य कर्मचारी या उसका परिवार वर्तमान में प्रभावशील अन्य नियमों के अनुसार अधिकृत है तथा इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेंशन, प्राप्त करने वाले को राजकीय सेवा में निरन्तर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर, उसके वेतन को निश्चित करने में शामिल नहीं की जावेगी।

निम्न के सम्बन्ध में कोई पुरस्कार नहीं दिये जावेंगे—

नियम 272 (1) प्रार्थना पत्र की तारीख से पूर्व 5 साल से अधिक समय पहिले की चोट या,
(2) मृत्यु जो कि—

(क) बल प्रयोग या दुर्घटना के कारण चोट लगने से सात साल के बाद हुई हो या

(ख) राज्य कर्मचारी को चिकित्सा सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर उस बीमारी के कारण सेवा के लिये अयोग्य घोषित करने के सात वर्ष बाद हुई हो, जिससे वह मरा हो।

चोटों का वर्गीकरण—इन नियमों के प्रयोजन के लिए चोटों (Injuries) का वर्गीकरण निम्न प्रकार

नियम 273 से किया गया—

'क' श्रेणी— पद के विशेष खतरे के परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना जिसकी वजह से आंख पूर्ण तया नष्ट हो गई हो या जिनकी हालत बहुत ज्यादा हो गई हो।

'ख' श्रेणी—पद के विशेष खतरे या उसके समान खतरे के परिणामस्वरूप चोटें जो कि एक सीमा तक सेवा के अयोग्य बनाती हैं एवं जिनके कारण अंग हानि होती हो या जो बहुत तीव्र हो या चोटें जो कि एसे पद के खतरे के कारण उत्पन्न हुई हो एवं जिसके फलस्वरूप उसकी आंख या अंग पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं या जो अधिक गम्भीर प्रकृति की हैं।

'ग' श्रेणी—पद के विशेष खतरे के फलस्वरूप लगी चोटें जो कि तेज हैं पर इतनी ज्यादा तेज नहीं हैं एवं जो हमेशा बनी रहने वाली हैं या पद के खतरे के फलस्वरूप लगी चोटें जो कि वैसी ही

है जसी कि अग हानि होन के कारण अयोग्यता को उत्पन्न करती है या जो बहुत तेज ह तथा स्थाई रूप से वनी रहने लायक ह।

चोटो के लिए पुरस्कार (Awards in respect of Injuries)– (1) यदि एक राज्य

नियम **274** कमचारी को ऐसी चोट लगती है जा कि नियम 273 के अन्तगत 'क' श्रेणी म आती है तो उसे—

(क) उपनियम (5) म निर्दिष्ट लागू होने योग्य राशि की ग्रेच्युटी दी जावगी

(ख) पुरस्कार चोट की तारीख से 1 साल समाप्त होने की तारीख के बाद अगली तारीख से दिया जावगा।

(1) यदि चोट के कारण एक या एक से अधिक अगो की हानि या आखो की हानि हुई है तो उसे उच्च शृखला पेंशन के लिए उपनियम [5] म निर्दिष्ट लागू होन योग्य राशि की एक स्थाई पेंशन पुरस्कार के रूप म दी जावेगी एव

(11) दूसरे मामलो म एक स्थाई पेंशन दी जावगी जिसकी राशि, उच्च श्रेणी पेंशन के लिए उपनियम (5) म निर्दिष्ट प्राप्त राशि से ज्यादा नही होगी तथा उसकी आधी रकम से कम नहीं होगी।

(2) यदि एक राज्य कमचारी ऐसी चोट प्राप्त करता है जो नियम 273 की ख' श्रेणी म आती हो तो उसे निम्न प्रकार से पुरस्कार मिलेगा--

1) यदि चोट के कारण एक आख या अग स्थाई रूप म नष्ट हो जाता है या वह चोट बहुत नित्ताजनक ढग की हो तो चोट लगने की तारीख से उस राशि तक एक स्थाई पेंशन जो कि निम्न श्रेणी पेंशन के लिए उपनियम (5) म वर्णित प्राप्य राशि स ज्यादा नही होगी तथा उस राशि के आधे से कम नहा होगी।

(11) अन्य मामला मे--

(क) चोट की तारीख से एक साल की अवधि के लिए एक अस्थाई पेंशन जिसकी राशि निम्न श्रेणी के लिए उपनियम (5) म वर्णित प्राप्य राशि स ज्यादा नहा होगी तथा उस राशि की आधी रकम से कम नही होगी एव उसके बाद

(ख) उपखण्ड क) म वर्णित सीमा क भीतर पेंशन यदि चिकित्सा मण्डल हर साल प्रमाणित करता है कि चोट निरतर तीव्रतर वन रही है।

(3) यदि एक राज्य कमचारी को ऐसी चोट लगती है जो कि नियम 273 की 'ग श्रेणी के अन्तगत आती है तो उस उपनियम (5) म वर्णित प्राप्य राशि की एक ग्रेच्युटी पुरस्कृत की जावगी। यदि चिकित्सा मण्डल यह प्रमाणित करता है कि राज्य कमचारी एक साल तक सेवा के लिये अयोग्य रहने लायक है अथवा अनुपातिक राशि पुरस्कृत की जावेगी जो कि इस प्रकार वर्णित राशि की कम से कम चौथाई तक सीमित होगी यदि उसे एक साल स कम समय के लिए अयोग्य रहने लायक प्रमाणित कर दिया जाता है।

परन्तु शत यह है कि जहा चोट उसे अयोग्य करने के बराबर लगी है जिसके कारण कि अग हानि होती है तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन स्वीकृत कर सकती है जो कि इस नियम के उपनियम (2) के खण्ड (11) के अन्तगत प्राप्य राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) इस नियम के अन्तगत पुरस्कृत की गई एक अस्थाई पेंशन का स्थाई शरीरक्षति (injury) पेंशन म बदला जा सकता है--

(1) जब राज्य कमचारी ऐसी अग हानि के कारण सेवा के अयोग्य हो जाता है जिसके लिए कि अस्थाई पेंशन स्वीकृत की गई थी या

(11) जब अस्थाई पेंशन 5 साल से कम समय के लिए प्राप्त नहीं की गई हो या

(111) किसी भी समय यदि चिकित्सा मण्डल प्रमाणित करता है कि उसकी शारीरिक अयोग्यता म कोई देखने योग्य कमी नहीं होगी।

(5) इस नियम म वर्णित अग हानि (injury) ग्रेच्युटी एव पेंशन निम्न प्रकार से होगी—

चोट लगने की तारीख या राज्य कमचारी का वतन	ग्रेच्युटी	मासिक पेंशन उच्च श्रेणी	मासिक पेंशन निम्न श्रेणी
1	2	3	4
1–2000) रु • एव उससे अधिक		300	225

-1500) रु० एव उससे अधिक लेकिन 2000) रु० स नीचे		275	200
-1000) रु० एव उससे अधिक परन्तु 1500) रु० स कम	3 माह का वेतन परन्तु 800) रु० स कम नही हो	200	150
-900) र एव उसस अधिक लेकिन 1000) रु से कम		150	125
-400) र एव उसस अधिक लेकिन 900) र स कम		100	84
-350) रु एव उसस अधिक लेकिन 400) र स कम		85	70
-200) र एव उसस अधिक लेकिन 350) र स कम		67	50
-200) रु स नीचे	4 माह का वेतन	वेतन का 1/3 भाग परन्तु कम स कम 8 रु प्रतिमाह	वेतन का 1/5 भाग परन्तु कम से कम 4 र प्रतिमाह

परन्तु शत यह ह कि नियम 269–क (7) के प्रावधान द्वारा शासित मामला म ग्रेच्युटी की राशि 3 माह का वतन होगा।

[1]सरकारी निणय—जहा राज्य सरकार किसी राज्य कमचारी द्वारा असा (वाउन्ड) या असा धारण पेशन की स्वीकृति के प्रयाजन से एक मेडिकल रिपोट प्राप्त करे तथा वह उस साक्ष्य क आधार पर सन्तुष्ट हो जाय कि चिकित्सक मण्डल न जो उसे जाचा है उसके निणय करने म कुछ कमी भी है तो राज्य सरकार एक दूसरे चिकित्सक मण्डल को, जो कि उन चिकित्सकों से भिन्न चिकित्सकों द्वारा बनाया जाएगा, जिन्होंने कि पहिले उसे जाचा है अधिकारी को जाच करने तथा उसकी रिपोट राज्य सरकार को देने के लिए आदेश द सकती है। अधिकारी को पेंशन दूसरे चिकित्सक मण्डल क निणय क अनुसार स्वीकृत की जावगी।

राज्य कमचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी एव बच्चों को पुरस्कार—नियम 276 के नीचे टिप्पणी म दिए गए प्रावधानों की शत पर राज्य कमचारी की विधवा पत्नी एव बच्चो को पुरस्कार निम्न प्रकार से दिया जावेगा। [2]परन्तु शत यह है कि इसके साथ किन्ही अन्य नियमो के अन्तगत कोई पेंशन/ग्रेच्युटी नही दी जायेगी—

नियम 275

(i) यदि कोई राज्य कमचारी पद के विशेष खतरे के परिणाम स्वरूप की गई चोट के कारण मारा जाता है या मर जाता है तो—

(क) उप नियम [3] मे वर्णित मिलन वाली राशि की ग्रेच्युटी एव

(ख) एक पेंशन जिसकी राशि उपनियम [3] म वर्णित मिलने वाली राशि से अधिक नही होगी।

(ii) यदि राज्य कमचारी पद क खतरे के परिणामस्वरूप पहुचाई गई चोट के कारण मारा जाता है या मर जाता है ता उस पेंशन स्वीकृत की जाएगी जिसकी राशि उपनियम [3] म वर्णित मिलने वाली राशि स अधिक नही होगी बशर्ते कि यदि मृत राज्य कमचारी का वतन 200) रु से कम हो तो मासिक पेंशन या पेंशनो की राशि जो इस नियम के अन्तगत स्वीकृत की जा सकती है उप नियम [3] मे वर्णित दरो को ['न्यूनतम सीमा' सहित] ध्यान म न रखते हुए भी अपने वेतन के आधे वतन स अधिक नही होगी, एव यदि किसी मामले म उप नियम [3] के अन्तगत निकाली गई पेंशन की राशि अपने वेतन की आधी राशि से ज्यादा होनी है तो प्रत्येक व्यक्तिगत पेशन की राशि ऐसे अनुपात म घटाई जावेगी कि उनके घटाने से कुल राशि अपने वतन की आधी राशि तक सीमित हो जावेगी।

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1[37] एफ डी [ई आर]65 दि 19 7 65 द्वारा निविष्ट।
2 वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 [12] वित्त विभाग (व्यय नियम) 64 दिनाक 3-4-67 द्वारा निविष्ट तथा दिनाक 1-1-67 स प्रभावी।

[1](III) उप खण्ड [1] व [2] म वर्णित परिवार ग्रेच्युटी एव पेंशन निम्न प्रकार से होगी—

परिवार ग्रेच्युटी एव पेशन

क-विधवा (Widow)

मृत्यु की तारीख को राज्य कमचारी का वेतन	ग्रेच्युटी	मासिक पशन
1	2	3
1–800) रु एव उससे अधिक	3 माह का वेतन परन्तु कम से कम 800) रु	वेतन का 20 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 275) रु तक।
2–200) रु एव उसस अधिक परन्तु 800) रु स कम		वेतन का 25 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 150) रु व न्यूनतम 75) रु तक।
3–200) रु से नीचे	4 माह का वतन	वेतन का 45 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 75) रु व न्यूनतम 40 रु तक

ख बच्चे (Children)

मृत्यु की तारीख को राज्य कमचारी का वेतन	प्रत्येक बच्चे की मासिक पेशन यदि बच्चा मा के बिना हो	यदि बच्चा मा सहित हो
800) रु एव उसस अधिक	60 रु (साठ रुपये)	25) रु
250) रु एव उसस अधिक लेकिन 800 रु से कम	37 50	13) रु
250 रु से कम	वेतन का 15 प्रतिशत	वेतन का 1/20 भाग परन्तु कम से कम 3) रु तक

(क) परन्तु शत यह है कि नियम 269 क (7) के प्रावधानो द्वारा शासित मामलो म ग्रेच्युटी की राशि 8 माह का वेतन होगी।

(ख) परन्तु यह और भी है कि माता से रहित बच्चे/बच्चो को भुगतान की जाने वाली पेंशन किसी भी दशा म उस पशन की राशि से कम नही होगी जो कि अध्याय 23 क म अन्तर्विष्ट प्रावधान यदि उस पर लागू किये होते तो उसे स्वीकाय हो गई होती।

(ग) परन्तु यह और भी है कि ऐसे राज्य कमचारियो के लिए जो अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके हों यदि सेवा के काल म उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस खण्ड के अधीन विधवा को भुगतान की जाने वाली पेंशन निम्न प्रकार होगी –

(1) उसकी मृत्यु की तारीख से सात वर्ष के लिए या उस तारीख तक जिसको कि यदि अधिकारी जीवित रहता तो अपनी सामान्य अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्युएशन एज) प्राप्त कर लेता इनमे से जो भी अवधि कम हो उस तक के लिए पेंशन अन्तिम रूप म उठाए गये वेतन का 50 प्रतिशत होगी लेकिन वह नियम 268 (ग) (1) के अधीन स्वीकाय पेंशन की दुगनी की अधिकतम सीमा तक होगी।

(2) उसके बाद भुगतान करने योग्य पेंशन उसी दर पर होगी जो कि नियम 268 [ग] [1] म दी हुई है।

टिप्पणी – (1) एक ऐसे राज्य कमचारी के सम्बन्ध में जो सेवा म वृद्धि किये जाने के काल म मरता है तो उसकी मृत्यु के पूर्व जिस तारीख तक उसे सेवा वृद्धि स्वीकृत की गई है उसकी सेवा की सामान्य अधिवार्षिकी आयु समझी जाएगी।

(2) यदि एक राज्य कमचारी अपने पीछे दो या दो से अधिक विधवाओ को छोड जाता है

1 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 [12] वित्त वि (व्यय नियम) 64 दिनांक 3–4–67 द्वारा निविष्ट तथा दि 1–1–67 स प्रभावी।

तो विधवा के लिए इस नियम के अधीन प्राप्य पेंशन या ग्रेच्युटी को सभी विधवाओ मे बराबर बाट दिया जायेगा।

[1]सरकारी निर्णय—राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 24 म दिए गए असाधारण पेंशन नियमो की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। स देह व्यक्त किया गया है कि क्या ऐसे मामले म जिनमे व्यक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना स एफ 1 [12] वित्त विभाग/व्यय नियम/64 दिनाक 3-4-67 द्वारा उदार किये गये उक्त नियमो से नियमित होता है उनके मृत्यु एव सेवा निवृत्ति उपदान से दो माह की कटौती की जानी चाहिए। मामले की जाच की जाकर यह तय किया गया है कि एस मामला म मृत्यु एव सेवा निवृत्ति उपदान की राशि म से दो माह की परिलब्धियो की कटौती किया जाना चाहिए।

(ये आदेश दिनाक 1-1-67 से प्रभावशील होगे।)

मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यो को पुरस्कार (Award to other members of the deceased's family)

नियम 276 —(1) यदि मृत राज्य कर्मचारी के पीछे न तो विधवा न कोई बच्चा ही रहा हो तो पिता एव उसकी माता को व्यक्तिगत रूप मे या सम्मिलित रूप मे पुरस्कार दिया जा सकता है एव पिता व माता के न होने पर नाबालिग भाइयो एव बहिनो को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है यदि वे निर्वाह के लिए राज्य कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हो एव उन्हे आर्थिक सहायता की जरूरत हो।

परन्तु शर्त यह है कि पुरस्कार की कुल राशि उस पेंशन की आधी राशि से ज्यादा नही होगी जो कि उसे नियम 275 के अन्तर्गत विधवा के लिए प्राप्य होती।

और भी शर्त यह है कि प्रत्येक नाबालिग भाई व बहिन का हिस्सा नियम 275 के उप नियम (3) म वर्णित एक बच्चे के लिए, जो माता के बिना न हो, स्वीकृत पेंशन की राशि से ज्यादा नही होगा।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत कोई भी दिया गया पुरस्कार पेन्शनर की आर्थिक स्थिति म सुधार होने पर इस रूप मे पुनर्विचार करने योग्य होगा जैसा कि सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे।

टिप्पणी—यदि एक मृत राज्य कर्मचारी ने अपनी इच्छा द्वारा या वसीयतनामा (Deed) द्वारा अपनी सम्पत्ति का कोई हिस्सा किसी विधवा बच्चे पिता माता या नाबालिग भाई व बहन को देने से मना किया हो तो ऐसा व्यक्ति इन नियमो के अन्तर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्य नही होगा तथा वह लाभाश दूसरे योग्य व्यक्ति के लिए दे दिया जावेगा।

प्रभावशील होने की तारीख (Date from which effective)

नियम 277 —(1) परिवार पेंशन राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के दूसरे दिन से या अन्य ऐसी तारीख से प्रभावशील होगी जिसे सरकार तय करे।

(2) परिवार पेन्शन साधारणतया निम्न मामलो म चालू रहेगी—

(i) विधवा या माता के सम्बन्ध म उस समय तक जब तक उसकी मृत्यु या उसकी पुन शादी, जो भी जल्दी हो न हो जाव।

(ii) नाबालिग पुत्र या नाबालिग भाई के सम्बन्ध म उस समय तक, जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष न हो जाय।

(iii) अविवाहित पुत्री या नाबालिग बहिन के सम्बन्ध मे उस समय तक जब तक उनकी शादी न हो जाय या उनकी अवस्था 21 वर्ष की जो भी जल्दी हो न हो जाए।

(iv) पिता के सम्बन्ध म जीवन भर।

प्रक्रिया या विधि (Procedure)

नियम 278 — (1) तरीके के मामलो के सम्बन्ध म इन नियमो के अधीन सभी पुरस्कार वर्तमान म प्रभावशील साधारण पेन्शनो से सम्बन्धित किसी पद्धति नियमो के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक कि ऐसे पद्धति नियम इन नियमो पर लागू होंगे तथा इनसे असम्बद्ध नही होंगे।

(2) जब शरीर क्षति (Injury) पेन्शन या ग्रेच्युटी या परिवार पेन्शन का कोई क्लेम उत्पन्न होता है तो कार्यालय का अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष जिसमे कि मृत राज्य कर्मचारी नियुक्त था, उस क्लेम को उचित माध्यम द्वारा सरकार के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्रो के साथ भेजेगा—

---

1 वित्त विभाग की सख्या एफ 1 [12] वित्त वि (नियम)/64 दिनाक 12-9-69 द्वारा निविष्ट।

(1) उन परिस्थितिया का पूर्ण विवरण जिनमे कि चोट पहुची थी, बीमारी हुई थी या मृत्यु हुइ थी ।

(11) फाम 'क' म शरीर क्षति पेन्शन या ग्रेच्युटी के लिए प्राथना पत्र या जसी भी स्थिति हो परिशिष्ट 6 म दिग गये प्रपत्र म ख प्रपत्र म परिवार पेन्शन के लिए प्राथना पत्र ।

(111) शरीर क्षति (Injured) राज्य कमचारी के सम्बन्ध म या उस व्यक्ति के सम्बन्ध म जिस एक छूत की बीमारी हो गई परिशिष्ट 6 मे दिये गये फार्मों म फाम ग म चिकित्सा प्रतिवेदन (Medical Rep rt) मृत राज्य कमचारी क सम्बन्ध मे जिसने उसकी मृत्यु का एक चिकित्सा प्रतिवेदन या उसकी वास्तविक मृत्यु का विश्वसनीय प्रमाण यदि राज्य कमचारी की मृत्यु एसी परिस्थितिया म हुई हा कि उसके लिए चिकित्सा प्रतिवेदन प्राप्त नही किया जा सकता ।

(1V) सम्बन्धित जाच अधिकारी की इस सम्बन्ध की रिपोट, कि क्या इन नियमा के अन्तगत उसे पुरस्कार (Award) दिया जा सकता है एव यदि हा तो किस सीमा तक ।

सरकारी निर्णय 1—राजस्थान सवा नियमा क नियम 293 (L) के साथ पठित नियम 278 की ग्रार ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार असाधारण पेन्शन के अनुदान की स्वीकृति भी महालेखाकार द्वारा पेन्शन के प्रमाणित किये जाने पर ही दी जावेगी । महालेखाकार ने यह ध्यान मे लाया है कि कभी कभी असाधारण पेन्शनो म पद्धति का पालन नही किया जाता है एव इससे पेन्शन पेमेण्ट आडर जारी करने की स्टेज पर उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं ।

इसलिए पेन्शन स्वीकृत करने के लिए सक्षम सभी स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियो से निवेदन किया जाता है कि असाधारण पेन्शन के अनुदान तथा साधारण पेन्शन की स्वीकृतिया महालेखाकार द्वारा पेन्शन की राशि क प्रमाणित करने क बाद ही जारी की जानी चाहिए तथा सूचित की जानी चाहिए ।

सरकारी निर्णय 2—अध्याय 24 के अधीन पेन्शन प्रदान करने के तरीके को सरल करने सम्बन्धी प्रश्न पर इस बात को सुनिश्चित करने हेतु जाच की गयी कि उक्त पेन्शनरो के दावो को शीघ्रता पूवक निपटाया जाय । भारत के सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ड) म अपेक्षा की गयी है कि किसी व्यक्ति के सिविल कमचारी की हैसियत से लगी चोट के सम्बन्ध मे पेन्शन के (जिसके कि ग्रेच्युटी भी शामिल है) स्वीकार करने के किसी क्लेम के बारे म तथा ऐसी पेन्शन की राशि के सम्बन्ध म किसी प्रश्न के बारे मे राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामश लिया जायगा । अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य मे पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को असाधारण पेन्शन नियमा के अन्तगत उन समस्त मामलो म जिनमे कि प्रस्तावित पेन्शन या ग्रेच्युटी नियमा के द्वारा स्पष्ट रूप से उनके अन्तगत आती है सीधा सदभ राजस्थान लोक सेवा आयोग से किया जाना चाहिए एव जहा पर आडिट आफीसर प्रशासन विभाग एव राजस्थान लोक सेवा आयोग के बीच पेन्शन प्रदान करने या उसकी मूल्य राशि के बारे म कोई मतभेद न हो तो पेन्शन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर देनी चाहिए ।

एसे मामले जो स्पष्टत इन नियमा के अन्तगत नही आते हैं या जहा पर आडिट आफीसर एव प्रशासन विभाग या उनम एव राजस्थान लोक सेवा आयोग म कोइ अन्तर हो या जहा कोई पेन्शन की स्वीकृति नियमा क अन्तगत स्पष्टत नही आती हो एव जिसे कृपा रूप मे स्वीकृत किया गया हो उन्हें साधारण रूप म वित्त विभाग का उसकी अनुमति के लिए भिजवाया जाता रहेगा ।

[1]अध्याय 25

पैंशन स्वीकार करने हेतु आवेदन-पत्र

अनुभाग I सामान्य

नियम 279 — प्रयोज्यता—(1) इस अध्याय मे य नियम उन समस्त सरकारी कमचारियो पर लागू होंगे जो इन नियमा के अन्तगत पैंशन हेतु आवेदन करते हैं ।

(2) इस अध्याय के प्रयोजन हेतु 'उपदान' (ग्रेच्युटी) से तात्पय मृत्यु एव

1 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (77) एफ डी (नियम) 69 दिनाक 15-5-70 द्वारा सशोधित एव 1-6-70 से प्रभावशील ।

सेवा निवृत्ति उपगत से है तथा इसमें सेवा उपदान (सर्विस ग्रेच्युटी) यदि कोई हो, शामिल है तथा 'महालेखाकार' से तात्पर्य महालेखाकार राजस्थान से है।

अगले बारह माहों के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करना — प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी तथा प्रथम जुलाई को हर छठे माह उन समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो उस तारीख से [1][दो वर्ष] के भीतर सेवा निवृत्त होने हैं। ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रतिलिपि महालेखाकार को अधिकतम उस वर्ष की 31 जनवरी या 31 जुलाई तक, जैसी भी स्थिति हो, भेज दी जाएगी। अधिवार्षिकी (सुपरएन्युएशन) के अलावा अन्य कारणों से सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के मामले में विभागाध्यक्ष उनकी सूचना जैसे ही उस होने वाली सेवा निवृत्ति ज्ञात हो जाए, तत्काल महालेखाकार को देगा।

नियम 280

[2]निर्देश—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 280 के अनुसार [जो वित्त विभाग (व्यय नियम) की विज्ञप्ति सं० एफ 1 (77) वि वि (नियम)/69 दि० 15-5-1970 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है] प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रत्येक छः माह अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रतिवर्ष उन सब राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की एक सूची बनानी हैं, जो उस दिनांक से अगले [1][न वर्ष] में सेवा निवृत्त होने वाले हैं और उसकी एक प्रति उसके द्वारा महालेखाकार राजस्थान जयपुर को 31 जनवरी और 31 जुलाई से पहले, यथा स्थिति, प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी है।

महालेखाकार ने इस विभाग के ध्यान में लाते हुए बताया है कि—केवल कुछ ही विभागों ने प्रकरण को ऐसी सूचियाँ भेजी हैं।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि—

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 280 के अधीन 1 जनवरी को भेजी जानी थी उसे तुरन्त ही इस विभाग को सूचना देते हुए महालेखाकार को भेज दिया जावे। जिन विभागों ने पहले ही ऐसी सूची प्रकरण को भेज दी है, दुबारा न भेजें।

पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया—प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रपत्र P I में पेंशन हेतु एक औपचारिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। राजपत्रित सरकारी कर्मचारी (जिनमें वे भी शामिल [3][नहीं] हैं जिनके वेतन एवं भत्ते एस्टाब्लिशमेंट बिल पर उठाए जाते हैं) अपना औपचारिक आवेदन पत्र सीधे महालेखाकार को तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी उनके नियुक्ति प्राधिकारी को उनकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति से कम से कम [4][दो वर्ष] पूर्व प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें सेवानिवृत्ति की तारीख का अनुमान [4][दो वर्ष] पूर्व में नहीं लगाया जा सकता है वहाँ आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति की तारीख के तय होने के ठीक बाद प्रस्तुत किया जाएगा तथा [4][दो वर्ष] से अधिक सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर रवाना होने वाला सरकारी कर्मचारी उक्त अवकाश पर रवाना होने से पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

नियम 281

पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी—सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से धारण किए गये पद पर नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी ही पेंशन एवं उपदान (ग्रेच्युटी) स्वीकार करने में सक्षम होगा। ऐसा प्राधिकारी नियम 248 के प्रावधानों को उचित प्रकार से ध्यान में रखते हुए प्रपत्र पी-3 में अपने ये आदेश अभिलिखित करेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा पूर्ण पेंशन अथवा उपदान या दोनों की स्वीकृति हेतु अनुमोदित है। यदि की गई सेवा अनुमोदित नहीं है तो उसे उस कारण इन नियमों के अधीन स्वीकार्य पूर्ण पेंशन अथवा उपदान या दोनों में से ऐसी कटौती करनी चाहिये जिसे वह ठीक समझे।

नियम 282

---

1 विज्ञप्ति सं एफ1(77) वि वि (नियम)69 दि 17-6-1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 विज्ञप्ति सं एफ 1 (77) वि वि (नियम) 69 दि 6-7-1972 द्वारा निविष्ट।
3 सं एफ 1 (22) वि वि (श्रेणी 2)/74 दि 9-6-1975 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 1-1-75 से प्रभावशील।
4 विज्ञप्ति सं. एफ 1 (40) वि वि (श्र-2) 74 दि 28-8-1974 द्वारा प्रतिस्थापित

[1]निर्देश—(1) पुरान पेंशन के प्रकरणो को शीघ्र निपटाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने राजस्थान सेवा नियमो के नियम 282 के उपबन्धो म आशिक परिवर्तन करते हुए प्रसन्न होकर समस्त कार्यालयाध्यक्षो को समस्त श्रेणी के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियो के बारे म जो दिनाक 1-4-1970 के पहले सेवा निवृत्त हुये हैं उनके बारे मे पेंशन स्वीकृत करने अधिकार प्रत्यायोजित किये हैं।

यह आज्ञा इसकी दिनाक से एक वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी।

[2](2) राजस्थान सेवा नियमो के नियम 282 के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से धारित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पेंशन एव उपदान (ग्रेच्युटी) स्वीकृत करने के लिए सक्षम है। ऐसे प्राधिकारी को प्रपत्र पी 3 पैरा (ग) के अधीन यह आज्ञा अभिलिखित करने की आवश्यकता है कि क्या (उस) सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा पेंशन और/या उपदान की स्वीकृति के लिए अनुमोदित (approved) है या नहीं।

एक प्रश्न उठाया गया कि प्रपत्र पी 3 मे (उक्त) आज्ञा कैसे अभिलिखित की जायेगी, जहा सरकार (स्वय) नियुक्ति प्राधिकारी होने से पेंशन स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी है। इस पर यह स्पष्ट किया जाता है कि जहा तक सम्बन्धित शासन सचिव द्वारा आज्ञा अभिलिखित करनी है यह प्रपत्र पी 3 के पैरा (ग) के अधीन की जा सकती है कि तु जहा ऐसी आज्ञा प्रशासनिक विभाग किसी अन्य अधिकारी (सचिव के अतिरिक्त) द्वारा अभिलिखित की जाये, तो (ऐसी) आज्ञा को राज्यपाल के नाम से सम्प्रेषित किया जाना चाहिए– अर्थात उसी तरीके से जैसे वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती है।

लिपिकीय भूल का पता लगने के कारण पेंशन का पुनरीक्षण—(1) नियम 169 व 170 के

नियम 283 प्रावधानो के अधीन रहते हुए अन्तिम निर्धारण के बाद एक बार स्वीकृत की गई पेंशन का पुनरीक्षण उस समय तक इस तरह से नही किया जाएगा कि वह सरकारी कर्मचारी के लिए अलाभप्रद हो जब तक कि ऐसा पुनरीक्षण बाद म किसी लिपिकीय या भूल का पता लगने के कारण अनिवार्य न हो जाए। पेंशनर को अलाभप्रद होने वाली पेंशन का पुनरीक्षण किए जाने का आदेश पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा तब ही दिया जाएगा जबकि लिपिकीय भूल का पता स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर मालूम हो जाए।

2) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा जिसमे उससे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर उक्त प्रकार से किए गए अधिक भुगतान की राशि को प्रत्यार्पित (वापस) करने के लिए कहा जाएगा। नोटिस की अनुपालना करने म उसके असफल रहने पर पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी यह आदेश देगा कि अधिक भुगतान को भविष्य म एक या एक से अधिक किश्तो म, जैसा कि उक्त प्राधिकारी आदेश दे, पेंशन म से अल्प भुगतानो द्वारा समायोजित किया जायगा।

अनुभाग 2 राजपत्रित सरकारी कर्मचारी

पेंशन कागजातो की तैयारी प्रारम्भ करना – महालेखाकार प्रपत्र पी 2 म जिस तारीख को

नियम 284 सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता है या जिस तारीख को वह सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश पर रवाना होता है इनमे से जो भी पूर्व हो उससे [3][दो वर्ष] पूर्व पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ म लेगा। इस कार्य म उस समय तक विलम्ब नही किया जाएगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पेंशन हेतु अपना औपचारिक आवेदन पत्र वास्तव मे प्रस्तुत नही करेगा।

राजपत्रित अधिकारियो को पेंशन हेतु औपचारिक आवेदन पत्र का प्रपत्र भेजा जाना—

नियम 285 (1) महालेखाकार नियुक्ति प्राधिकारी का या जहा सेवा निवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी स्वय विभागाध्यक्ष है तो सम्बन्धित प्रशासन विभाग को सूचना देते हुए जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है उससे या यदि

---

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (27) वि वि (नियम)/72 दि 7-6-1972 द्वारा निविष्ट।
2 सख्या एफ 1 (31) वि वि (श्रेणी 2)/73 दि 13-6-1973 द्वारा निविष्ट
3 विज्ञप्ति स एफ 1 (14) वि वि (श्र 2 /74 दि 23-4-1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

यदि सम्भव हो तो उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति की तारीख से [1][दो वर्ष] पूर्व प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के पास प्रपत्र पी-1 (पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र) की एक प्रति इस निवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा कि उसे उचित रूप से भरा जाकर यथा सम्भव शीघ्र उसके पास भेज दिया जाए किन्तु किसी भी दशा में सेवा निवृत्ति की वास्तविक तिथि के बाद तक विलम्ब नहीं होना चाहिए। महालेखाकार राजस्थान जयपुर, सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का ध्यान नियम 301 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित करेगा।

(2) महालेखाकार से पेंशन के औपचारिक आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त होने पर, सेवा निवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी उसे उचित रूप से भरकर महालेखाकार के पास भेजेगा तथा उपनियम (1) में वर्णन किए गए अनुसार उसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष है तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को देगा।

[2]यदि एक राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं का कोई भाग सत्यापित किये जाने योग्य नहीं है तो नियम 288 के उप नियम (C) में दी गई प्रणाली को अपनाया जावेगा और ऐसी अवधि की सेवाओं का वार्षिक सत्यापन का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(3) पेंशन स्वीकृत किए जाने के आदेशों की सूचना— (i) महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी या सरकार के प्रशासनिक विभाग सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर किन्तु किसी भी दशा में सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख तक प्रपत्र पी 3 में महालेखाकार को पेंशन स्वीकृत करने हेतु आदेशों को भेजेगा।

(ii) यदि पेंशन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के आदेश खण्ड (i) में वर्णित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुए तो वह सुनिश्चित करेगा कि सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को पूर्ण पेंशन या उपदान या दोनों जो उक्त नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हैं स्वीकृत की गई है।

(iii) यदि महालेखाकार को स्वीकृति के आदेश की सूचना दिए जाने के बाद, ऐसी कोई घटना होती है जो स्वीकार्य पेंशन की राशि पर प्रभाव डालती है तो तथ्यों की सूचना पेंशन प्राधिकारी द्वारा शीघ्र ही महालेखाकार को दी जाएगी। यदि ऐसी कोई घटना नहीं होती है तो उस सम्बन्ध की एक सूचना खण्ड (i) में वर्णित प्रपत्र पी 3 के प्रेषित किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की सन्तोषजनक प्रकृति के प्रमाण पत्र के साथ सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी।

(4) सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किन्हीं भी सरकारी बकायों का विवरण तथा इस सम्बन्ध में सरकार के हित को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण भी विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार के कार्यालय को सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व भेजा जाएगा।

(5) पेंशन भुगतान आदेश जारी करने की सूचना— जैसे ही महालेखाकार द्वारा पेंशन एवं उपदान का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया जाए एवं पेंशन उसके आडिट सरकिल में भुगतान योग्य है तो वह पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेशों को तथा प्रपत्र पी 2 के भाग 3 में अपेक्षित मूल्यांकन को ध्यान में रखकर पेंशन पेमेन्ट आर्डर तैयार करेगा लेकिन जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है उससे एक पक्ष (पन्द्रह दिन) से अधिक पूर्व उक्त आदेश को जारी नहीं करेगा। पेंशन पेमेंट आर्डर जारी किए जाने के तथ्य की सूचना तत्काल ही पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को भी जाएगी। यदि पेंशन का भुगतान अन्य आडिट सरकिल के भीतर किया जाना चाहा जाए तो महालेखाकार उस सरकिल के आडिट अधिकारी को सम्बन्धित कोषागार में भुगतान की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक भुगतान प्राधिकार (authority) देने की सूचना भेजेगा।

[3]नियम 286 प्रावधिक पेंशन एवं उपदान (प्रोविजनल पेंशन एण्ड ग्रेच्युटी) का भुगतान—

(1) एक राजपत्रित अधिकारी की पेंशन का भुगतान उसके राज्य सेवा से निवृत्ति के दिनांक से प्रारम्भ कर देना चाहिए चाहे उसके पेंशन के कागजात तैयार कर लिए गए हैं और महालेखाकार राजस्थान को पेंशन जारी करने हेतु भेज दिये गये हैं अथवा नहीं। ऐसे मामलों में जहां पेंशन के

---

1 विज्ञप्ति स एफ 1 (40) वि वि (श्र 2)/71 दि 28-8-1974 द्वारा प्रतिस्थापित

2 संख्या एफ 1 (52) वि वि (श्र 2)/74 दि 1-9-75 द्वारा निविष्ट।

3 आज्ञा स एफ 1 (52)/वि वि (श्रेणी 2)/74 I दि 1-9-1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

कागजात तयार नहीं किये गये हैं और महालेखाकार राजस्थान को नहीं भेजे गये हैं पेंशन स्वीकृत क के सक्षम अधिकारी द्वारा वस्तुतः संक्षिप्त रूप में सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात प्रावधिक पें (प्रोविजनल पेंशन) का भुगतान करने हेतु अधिकृत करेगा जो अधिकतम पेंशन की राशि का 75 प्रति तक होगा और वह उपदान (Gratuity) भी जो उसे इन नियमों के अधीन स्वीकार्य है। यदि पें के कागजात तैयार कर लिये गये हैं और महालेखाकार राजस्थान को राज्य कर्मचारी की सेवा निव दिनांक से पूर्व ही भेजे जा चुके हों तो प्रावधिक पेंशन का भुगतान जो अधिकतम पेंशन से अधि नहीं हो स्वीकृत किया जावेगा और उपदान का 75 प्रतिशत जो उसे इन नियमों के अधीन स्वीक है स्वीकृत किया जावेगा जो कि प्रत्येक मामले में स्वीकार योग्य है। प्रावधिक पेंशन के भुगतान स्वीकृति इन नियमों के अधीन पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी सेवा निवृत्त होने की दिनांक के पूर्व अथवा सेवा निवृत्ति की दिनांक तक अवश्य जारी कर देनी चा जो राज्य कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जहां पर वह सेवा निवृत्ति के समय सेवारत है प्राव पेंशन और उपदान की राशि फार्म P 5 में प्रत्येक पेंशनर के लिए पृथक पृथक उस कोषालय से आह (draw) करेगा जिसमें उसने वेतन और भत्ता का भुगतान प्राप्त किया है और अधिकारी को f माह में सेवा निवृत्त किया गया था उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस को वितरित करने का व्यवस्था करेगा। यदि पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान मनिआर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट से उस स्थान पर प्र करने का इच्छुक है जहां पर वह निवास कर रहा है तो पेंशन की राशि का भुगतान उसके व्यय मनिआर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट से भेजा जायगा। पेंशनर को प्रावधिक पेंशन और उपदान का भुग जिस दिनांक को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार राजस्थान को भेजनी होगी।

(3) प्रावधिक पेंशन और उपदान के भुगतान की राशि को अंतिम पेंशन और उपदान राशि के भुगतान में समायोजित किया जावेगा। प्रावधिक पेंशन और उपदान की राशि जो स्वी की गई है और उसका भुगतान राज्य कर्मचारी को किया गया है यदि उस राशि से अधिक पाई जा है जो अंतिम पेंशन और उपदान की राशि महालेखाकार द्वारा निर्धारित की जाती है तो ऐसे अधि भुगतान को नियम 283 में वर्णित प्रणाली एवं शर्तों के अधीन उसे लौटाने हेतु कहा जावेगा।

[1]सरकारी निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 286 और 292 के प्रावधानों ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जो वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (52 /वि (श्रे 2)/74 I दिनांक 1-9-1975 द्वारा निविष्ट किया गया) जो राज्य कर्मचारियों को प्रावधि पेंशन एवं उपदान के भुगतान की व्यवस्था करता है। उपरोक्त नियमों में दिये गये उपबन्धों के अ सार पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि इन नियमों के अधीन स्वीकार्य है की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत है। प्रकरणों में सरकारी कर्मचारियों ने भवन निर्माण अग्रिम लिये हैं और अग्रिम के एक भाग का भुगत मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि से समायोजित करने का विकल्प भवन निर्माण अग्रिम निय के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया है। ऐसे प्रकरण में भवन निर्माण अग्रिम की राशि एक भाग जो बारह माह के वेतन के बराबर होता है को मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि में अथवा विशेष अंशदान की राशि में से जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से शासित होत समायोजन करने हेतु रख लिया जाता है। भवन निर्माण अग्रिम नियमों के उपरोक्त प्रावधानों लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है यदि पेंशन स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति जारी कर दी जाती है। अब समस्त पेंशन स्व कृतकर्ता अधिकारियों पर प्रभाव डाला जाता है कि ऐसे प्रकरण में प्रावधिक मृत्यु सह सेवा निवृ उपदान के राशि के भुगतान की स्वीकृति नियमों के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 प्रतिशत से अधिक न हो ही करे।

प्रावधिक ग्रेच्युटी जो मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की स्वीकार्य अधिकतम राशि का 2 प्रतिशत से अधिक न हो की राशि के भुगतान का स्वीकृति जारी करने से पूर्व पेंशन स्वीकृति सक्ष अधिकारी सतर्कता के तौर पर कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकार्ड से संदर्भित करके अथवा कर्मचारी भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति की प्रति मांग कर स्वयं संतुष्टि कर लेवें।

---

1 आज्ञा सं एफ 1 (52) वि वि (श्रे 2) 74 दि 8-3-76 द्वारा निविष्ट।

पेंशन स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों में एकरूपता लाने के लिये ह निश्चित किया गया है कि प्रावधिक पेंशन और ग्रेच्युटी की स्वीकृतियां जारी करने हेतु फार्म 26 निर्धारित किया जाता है।

(1) नियम 284 से 286 (दोनों सहित) में किसी प्रावधान के होते हुए भी, एक राजपत्रित सरकारी

नियम 286क कर्मचारी जो दिनांक 1-1-1975 को या इसके बाद सेवानिवृत्त हो रहा है और जिसका वेतन एवं भत्ते स्थापना वेतन बिलों पर आहरित किया जाता है अपना औपचारिक प्रार्थनापत्र पेन्शन की स्वीकृति हेतु प्रपत्र-P-1 अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को जमा करा दें या प्रस्तुत करेंगे। उसके मामले में नियम 287 से 294 (दोनों सहित) में वर्णित पेंशन के कागजात तैयार करने व पेंशन स्वीकार करने का तरीका लागू होगा।

(2) जो राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो दिनांक 1-1-1975 को या इसके बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं महालेखाकार राजस्थान द्वारा इस आज्ञा के जारी होने से पहले पेंशन कागजात बनाने की तैयारी आरंभ कर दी गई हो या ले ली गई हो, तो ऐसे मामले उनके द्वारा (महालेखाकार द्वारा) ही निपटाये जावेंगे।

अनुभाग-3 अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन कागजात तैयार करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी

(1) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा

नियम 287 निवृत्त होता है या जिस तारीख को वह सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश पर रवाना होता है उनमें से जो भी पूर्व हो उससे (दो वर्ष) पूर्व पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इस कार्य में उस समय तक विलम्ब नहीं किया जायगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पेंशन हेतु अपना औपचारिक आवेदन पत्र वास्तव में प्रस्तुत नहीं करता है।

(2) सेवा निवृत्ति के समय स्थानापन्न हैसियत से किसी राजपत्रित पद को धारण करने वाले अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका को उक्त सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम दो वर्ष पूर्व यह प्रमाणित करने के बाद कि अराजपत्रित सेवा से सम्बन्धित सत्यापन प्रमाण पत्र दर्ज कर दिया गया है तथा सेवा पुस्तिका सब बातों में पूर्ण है महालेखाकार के पास भेजनी चाहिए। कि अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी उसकी सेवा के अन्तिम वर्ष में किसी राजपत्रित पद पर स्थानापन्न कार्य करने के लिए नियुक्त हो जाय तथा जिसके मामले में पेंशन कागजात तैयार नहीं किये जाकर महालेखाकार को नहीं भेजे गये हैं ऐसे सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका जो सब प्रकार से सत्यापित एवं पूर्ण है शीघ्र ही विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत की जायगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है उस तारीख से या यदि इससे पूर्व सम्भव हुआ तो उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति की तारीख से [3](दो वर्ष) पूर्व प्रपत्र पी 1 (पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र) एक प्रति इस निवेदन के साथ दी जाएगी कि उसे उचित रूप से भरा जाकर यथासम्भव शीघ्र उसके पास भेज दिया जाये किन्तु किसी भी दशा में सेवा निवृत्ति की वास्तविक तिथि बाद तक विलम्ब नहीं होना चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का ध्यान नियम 301 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित करेगा।

सेवा सत्यापित करने के बाद सेवा विवरण तैयार करना—प्रथम प्रयास के रूप में कार्यालयाध्यक्ष

नियम 288 प्रपत्र पी 2 के भाग 2 में आवेदक की सेवाओं का एक विवरण तैयार करेगा तत्पश्चात् निम्न प्रकार से कार्यवाही करेगा—

(क) वह सेवा पुस्तिका को तथा सेवा पंजी को, यदि कोई हो देखेगा तथा अपने आपको इसमें सन्तुष्ट करेगा कि क्या सम्पूर्ण सेवा के लिए सत्यापना के वार्षिक प्रमाण पत्र उसमें दर्ज किये गये हैं।

---

1 आज्ञा सं एफ 1 (14) वि वि (श्रे 2)/74 दिनांक 9-6-1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1-1-1975 से प्रभावशील।

2 विज्ञप्ति स एफ 1 (14) वि वि (श्रे 2)/74 दि 23-4-1976 । प्र[illegible]

3 विज्ञप्ति स एफ 1 (14) वि वि (श्रे 2)/74 दि [illegible] पित।

सवा व असत्यापित भाग या भागा के सम्ब व म वह उसे या उन्ह जमी भी स्थिति हो वेतन जिना गविवट स रालस या अ य गम्बधित अभिलेखा क स हग से सत्यापित करन की भी व्यवस्था करेगा तथा सेवा पुस्तिका य मक्षा ी जमी भी स्थिति हो म आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा।

(ख) यदि किसी भी अवधि की सवा खण्ड क) म निर्दिष्ट ढग से सत्यापित नही हो सकन योग्य हो तो सेवा की उस अवधि के बारे म सरकारी कमचारी न अ य जिस कार्यालय या विभाग म वह सेवा की है उस कार्यालय के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष का जमी भी स्थिति हो सेवा क सत्यापन किए जाने हेतु उस विभाग के स दभ का उल्लेख किया जायगा जिसम उस अवधि के दौरान उस अधिकारी को सवा करता हुआ दिखलाया गया है।

(ग) यदि खण्ड (क) एव (ख) म विनिर्दिष्ट तरीके से किसी भी सरकारी कमचारी द्वारा की गयी सेवा का कोई भाग सत्यापित किए जाने योग्य नही है तो सरकारी कमचारी एक बार कागज पर अपना यह लिखित बयान प्रस्तुत करेगा कि वास्तव म उसने उस अवधि म सेवा की थी तथा उन बयान के नीचे उस बयान की सत्यता के बारे म एक घोषणा करेगा तथा ऐसी घोषणा की पुष्टि म समस्त दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी समस्त सूचना देगा जिसे प्रस्तुत करना उसकी शक्ति के अधीन है। उस सरकारी कमचारी का पेंशन स्वीकृत करने म सक्षम प्राधिकारी लिखित बयान म दिए गए तथ्यो तथा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एव उक्त सेवा अवधि की पुष्टि म उस सरकारी कमचारी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करने के बाद यदि सतुष्ट हो जाय तो सवा की उस अवधि को उस सरकारी कमचारी की पेंशन को गिनने के प्रयोजनार्थ की गई सवा के रूप म समझे जाने की स्वीकृति दे सकता है।

पेंशन सम्बन्धी कागजात पूरे करना—नियम 288 म वर्णित सेवा विवरणो को पूरा करने के बाद

नियम 289 कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी 2 के भाग I को पूरा करेगा। यह काय इस तथ्य को ध्यान म रखे बिना ही किया जाना चाहिये कि सरकारी कमचारी से पेंशन हेतु औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है या नही। यदि एसे समय उक्त औपचारिक आवेदन पत्र सरकारी कमचारी स अभी तक प्राप्त नही हुआ है तो प्रपत्र पी 2 के भाग I म सम्बधित कालम अधूरे छोड देना चाहिए। उक्त औपचारिक आवेदन पत्र क प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही सम्बधित प्रविष्टिया कर दी जाएगी।

प्रपत्र पी 3 मे पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश—नियम 289 की अपेक्षाओ का पूर्ण करने

नियम 290 के बाद शीघ्र ही कार्यालयाध्यक्ष निम्न कायवाही करेगा—

(1) वह प्रपत्र पी 3 म यह प्रमाणित करेगा कि क्या आवेदक का चरित्र आचरण एव गत सेवा ऐसी रही है जिसम पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके बारे म अनुकूल रूप म विचार किये जाने क लिए वह अधिकृत हो सके। वह उसम अपनी स्वय की यह राय भी दज करेगा कि क्या क्लेम की गई सेवा सिद्ध हो गई है या क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं। अवकाश निलम्बन आदि की सभी अवधिया जो सेवा के रूप म नही गिनी गई है, प्रपत्र पी 2 के भाग 2 के अनुभाग 3 म सावधानी पूवक दज की जानी चाहिए। यदि आवेदन पत्र अशक्त पेंशन (इनवलिड पेंशन) के लिए है तो वहा आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र सलग्न किया जाएगा।

(2) प्रपत्र पी 3 म पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने के बाद कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र पी 2 एव प्रपत्र पी 3 को मूल म महालेखाकार के पास प्रपत्र पी 4 म एव कवरिंग पत्र के साथ भेजेगा तथा इनके साथ म वह सरकारी कमचारी की सवा पुस्तिका एव सेवा प जी यदि कोई हो अथवा विधि पूर्ण भर कर तथा अन्य दस्तावेज जिन्हे उनेम की गई सवा के सत्यापन के लिए विश्वस्त समझा जा सके भी एसे ढग से भेजेगा कि उन्हें आसानी स देखा जा सके। वह उपरोक्त प्रपत्रो म से हर एक प्रपत्र की एक प्रति अपने पास अभिलेख के लिए रखेगा। ऐसे मामलो म जहा भुगतान अन्य आडिट सर्किल म चाहा गया हो वहा प्रपत्र पी 2 एव प्रपत्र पी 3 महालेखाकार राजस्थान को दो प्रतियो म भेजे जाएगे।

उन तथ्यो की सूचना जो महालेखाकार के पास पेंशन कागजातो के भेज दिए जाने के बाद

नियम 291 **पेंशन की राशि पर प्रभाव डालने वाले पाए जाए** - (1) यदि महालेखाकार को पेंशन कागजातो के भेजे जाने के बाद कोई ऐसी घटना घटती है जो स्वीकार्य पेंशन की राशि पर प्रभाव डालते हैं तथ्य की सूचना पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार को शीघ्र ही दी जाएगी।

(2) एम मामलो म जहा पेन्शन सम्बन्धी कागजात सरकारी कर्मचारी की वास्तविक सेवा निवृत्ति की वास्तविक तारीख से पूर्व महालेखाकार के पास भेज दिए जाते हैं वहा पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सेवा को स्वीकार करने की तारीख से सेवा निवृत्ति की वास्तविक तारीख तक की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा के सन्तोषजनक होने के बारे में एक प्रमाण पत्र तथा उसकी सेवा निवृत्ति की वास्तविक तारीख का उल्लेख करने वाले आदेश की एक प्रति उसके सेवा निवृत्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर भेजी जायगी। इसके साथ साथ ही सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध बकाया किसी प्रकार की सरकारी देयताओं का तथा इस सम्बन्ध में सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों का एक विस्तृत विवरण भी महालेखाकार, राजस्थान के पास भेजा।

[1]प्रावधिक पेंशन एवं उपदान (प्रोवीजनल पेंशन एण्ड ग्रेच्युटी) का भुगतान – (1) (क)

नियम 292 एक राज्य कर्मचारी को पेन्शन का भुगतान उसके राज्य सेवा से निवृत्ति की दिनांक से प्रारम्भ कर देना चाहिए चाहे उसके पेन्शन के कागजात तैयार कर लिए गये हैं और महालेखाकार राजस्थान को पेंशन जारी करने हेतु भेज दिये गये हैं अथवा नहीं। एस मामले में जहा पेन्शन के कागजात तैयार नहीं किये गये हैं और महालेखाकार को नहीं भेजे गये हैं पेन्शन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी द्वारा यथा सम्भव ही सक्षिप्त रूप में सावधानीपूर्वक जाच करने के पश्चात प्रावधिक पेन्शन (प्रोविजनल पेंशन) को भुगतान करना हेतु अधिकृत करेगा जो अधिकतम पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत तक होगा और उपदान (Gratuity) भी जो उस इन नियमों के अधीन देय है। यदि पेन्शन के कागजात तैयार कर लिए गये हैं और महालेखाकार को राज्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति दिनांक से पूर्व ही भेजे जा चुके हो तो प्रावधिक पेंशन का भुगतान जो अधिकतम पेन्शन से अधिक न हो स्वीकृत किया जावेगा और उपदान का 75 प्रतिशत जो उसे इन नियमों के अधीन स्वीकार्य है स्वीकृत किया जावेगा। प्रावधिक पेन्शन के भुगतान की स्वीकृति इन नियमों के अधीन पेन्शन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की दिनांक के पूर्व अथवा सेवा निवृत्ति की दिनांक तक अवश्य जारी कर देनी चाहिए जो राज्य कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(ख) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जहा पर वह सेवा निवृत्ति के समय सेवारत है प्रावधिक पेन्शन और उपदान की राशि फार्म 15 में प्रत्येक पेन्शनर के लिए पृथक पृथक उस कोषालय से आहरित (draw) करेगा जिससे उसने वेतन और भत्तों का भुगतान प्राप्त किया है और कर्मचारी को जिस माह में सेवा निवृत्त किया गया था उसके बाद के महिने के प्रथम दिवस को वितरित करने की व्यवस्था करेगा। यदि पेन्शनर अपनी पेन्शन का भुगतान मनि आडर अथवा बैंक ड्राफ्ट से उस स्थान पर प्राप्त करना चाहता है जहा पर वह निवास कर रहा है तो पेंशन की राशि का भुगतान उसके पते पर मनि आडर अथवा बैंक ड्राफ्ट से भेजा जायगा। पेन्शनर को प्रावधिक पेन्शन और उपदान का भुगतान जिस दिनांक को किया गया है उसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी होगी।

(2) कार्यालयाध्यक्ष जहा कहीं आवश्यक होगा

(i) उपदान की राशि में से ऐसी राशि वसूल करेगा जो सरकारी कर्मचारी के नवीन परिवार पेन्शन में अंशदान को पूर्ति करने हेतु दो माह की परिलब्धियों या वेतन के, जैसी भी स्थिति हो, बराबर होगा।

(ii) भाग 4 में प्रावधित किए गए अनुसार सरकारी बकाया की वसूली एवं समायोजन के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

(3) यह सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर है कि वह अपने उपदान की शेष चौथाई राशि का भुगतान या तो उस कोषागार से जिस में अन्तिम पेन्शन का भुगतान चाहा गया है या कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करे। यदि सरकारी कर्मचारी उपदान की शेष राशि का भुगतान कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करना चाहता है तो वह सेवा निवृत्ति पर रवाना होने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में अपना विकल्प देगा। कार्यालयाध्यक्ष ऐसे मामले में उपदान की राशि को आहरित एवं वितरित करने की कार्यवाही तब ही प्रारम्भ करेगा जब कि महालेखाकार ने आवश्यक अथारिटी जारी कर दी हो।

[2]सरकारी निर्णय —राजस्थान सेवा नियमों के नियम 286 और 292 के प्रावधानों की ओर

---

1 आज्ञा स एफ 1 (52) वि वि (श्र-2)/74-I दिनांक 1 9

2 आज्ञा स एफ 1 (52) वि वि/(श्र 2)/74 दि 8-3-197

ध्यान आकर्षित किया जाता है (जो वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 52 /वि वि (श्रे 2) /74] दिनांक 1-9-1975 द्वारा निविष्ट किया गया) जो राज्य कर्मचारियों को प्रावधिक पेंशन एवं उपदान के भुगतान की व्यवस्था करता है। उपरोक्त नियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि जो इन नियमों के अधीन स्वीकार्य है की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत है। कुछ प्रकरणों में सरकारी कर्मचारियों ने भवन निर्माण अग्रिम लिए हैं और अग्रिम के एक भाग का भुगतान मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि से समायोजित करने का विकल्प भवन निर्माण अग्रिम नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया है। ऐसे प्रकरणों में भवन निर्माण अग्रिम की राशि का एक भाग जो बारह माह के वेतन के बराबर होता है को मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि में से अथवा विशेष अंशदान की राशि में से जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से शासित होते हैं समायोजन करने हेतु रख लिया जाता है। भवन निर्माण अग्रिम के नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है यदि पेंशन स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत तक ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति जारी कर दी जाती है। अतः समस्त पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों पर प्रभार डाला जाता है कि ऐसे प्रकरणों में प्रावधिक मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान के राशि के भुगतान की स्वीकृति नियमों के अधीन स्वीकार्य ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत से अधिक न हो, ही करे।

प्रावधिक ग्रेच्युटी जो मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की स्वीकार्य अधिकतम राशि का 20 प्रतिशत से अधिक न हो की राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी करने से पूर्व पेंशन स्वीकृति सक्षम अधिकारी सतर्कता के तौर पर कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकार्ड से सन्दर्भित करके अथवा कर्मचारी से भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति की प्रति मांग कर स्वयं सन्तुष्टि कर लेवे।

पेंशन स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों में एकरूपता लाने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि प्रावधिक पेंशन और ग्रेच्युटी की स्वीकृतियां जारी करने हेतु फार्म P 6 निर्धारित किया जाता है।

पेंशन आवेदन पत्र पर अंकेक्षा द्वारा मूल्यांकन (आडिट एनफसमट) —(1) अनुच्छेद 290 के

नियम 293 प्रावधानों के अधीन उस भेजे गए पेंशन सम्बन्धी कागजातों के प्राप्त करने पर, महालेखाकार आवश्यक जांच करेगा तथा प्रपत्र पी 2 में आवेदन पत्र के भाग 3 में अपना अंकेक्षा मूल्यांकन (आडिट एनफेसमण्ट) दर्ज करेगा। यदि पेंशन का भुगतान उसके आडिट सर्किल में किया जाना है तो वह पेंशन पेमेंट आर्डर तैयार करेगा। पेंशन का भुगतान उस तारीख से जिससे कि अन्तिम पेंशन का भुगतान बन्द होता है अगली तारीख से प्रभावी होगा। ऐसी अवधि के सम्बन्ध में जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन आहरित एवं वितरित की गई थी पेंशन की कोई बकाया यदि कोई हो भी महालेखाकार द्वारा भुगतान करने हेतु प्राधिकृत की जाएगी।

(2) यदि उपदान की शेष राशि का भुगतान कोषागार या उप कोषागार से चाहा गया है जिसमें कि अन्तिम पेंशन आहरित की जानी है तो महालेखाकार सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध बकाया राशि का समायोजन करने के बाद उपदान की राशि का भुगतान करने हेतु प्राधिकृत करेगा। यदि सरकारी कर्मचारी ने कार्यालयाध्यक्ष से उपदान की शेष राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु विकल्प दिया है तो महालेखाकार सरकारी कर्मचारी एवं कोषागार अधिकारी को उस राशि की यदि कोई हो जिसे कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी को भुगतान करने से पूर्व समायोजित करेगा, सूचना देते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक प्राधिकारी (authority) जारी करेगा।

(3) पेंशन पेमेन्ट आर्डर तथा उपदान की शेष राशि का भुगतान करने हेतु आदेश जारी करने के तथ्य की सूचना शीघ्र ही कार्यालयाध्यक्ष को दी जाएगी तथा पेंशन कागजात जिनकी आगे आवश्यकता नहीं है उसे लौटा दिए जाएंगे।

(4) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित एवं वितरित अन्तिम पेंशन एवं उपदान का समायोजन उस प्रबन्धक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिनके कि क्षेत्र में अन्तिम भुगतान किए गए थे।

(5) यदि महालेखाकार सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से [1][बारह माह] की अवधि के भीतर अन्तिम पेंशन एवं उपदान की राशि निर्धारित करने में असमर्थ है तो वह इस तथ्य की सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष को देगा तथा उस सम्बन्धित

---

1 आज्ञा स एफ 1 (52)/वि वि/श्रे-2/74] दि 1-9-1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

पेंशनर को ऐसी अवधि तक जिसके लिए जो महालेखाकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अन्तिम पेंशन वितरित करते रहने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(6) महालेखाकार अन्तिम भुगतान किए जाते रहने की अवधि के दौरान भी उपदान की शेष राशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत कर सकता है बशर्ते कि उपदान की राशि का अन्तिम रूप से निर्धारण हो चुका हो तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सरकारी बकायों की कोई वसूली बाकी नहीं है।

(7) यदि पेंशन एवं उपदान की शेष राशि दूसरे आडिट सरकिल में भुगतान की जानी हो तो महालेखाकार प्रपत्र पी 2 एवं प्रपत्र पी 3 प्रत्येक की एक प्रति उसके अंकेक्षा मुआवन एवं यदि प्राप्त हो गया हो तो अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ उस सरकिल के अंकेक्षा अधिकारी को पास भेजेगा जो कि पेंशन पेमेंट आर्डर तथा उपदान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए आदेश तैयार करेगा तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

[1] (8) यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित एवं वितरित अन्तिम पेंशन की राशि महालेखाकार द्वारा निर्धारित अन्तिम पेंशन से अधिक पायी जाय तो महालेखाकार के लिए अधिक राशि को उपदान के शेष में से, यदि कोई हो समायोजित करने या भविष्य में भुगतान योग्य पेंशन के कम भुगतान द्वारा अधिक राशि की वसूली करने के लिए छूट होगी।

महालेखाकार प्रपत्र पी 2 के भाग II में वर्णित की गई किसी भी सेवा को अस्वीकृत करने के अपने

नियम 294 कारणों का संक्षेप में उल्लेख करेगा। अन्य किसी प्रकार की अस्वीकृति को प्रपत्र पी 2 के भाग 3 में उसके कारणों सहित आडिट मुआवन में अभिलिखित करेगा।

अनुभाग 4—सरकारी बकाया एवं पेंशन की स्वीकृति

[1]सरकारी बकायों का भुगतान करना सरकारी कर्मचारी का कर्त्तव्य—

नियम 295 (1) प्रत्येक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व समस्त सरकारी बकायों का भुगतान करे।

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नांकित विभागों/संगठनों से "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" प्राप्त करने के लिए (उन) सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की दिनांक से कम से कम तीन महिने पूर्व पत्र व्यवहार आरम्भ करेंगे -

(i) जन निर्माण (भवन एवं पथ) विभाग—य 'बकाया नहीं प्रमाणपत्र' केवल उसी सरकारी कर्मचारी के बारे में प्राप्त किया जावेगा जो कि सेवानिवृत्ति के समय या सेवा निवृत्ति की दिनांक से तुरन्त एक वर्ष पहले की अवधि में सरकारी निवास में रहा हो। इस 'बकाया नहीं प्रमाण पत्र में भवन किराया बगीचा किराया और फर्नीचर किराया भी सम्मिलित होगा।

(ii) मोटर गरेज राजस्थान जिला पूल यह बकाया नहीं प्रमाण पत्र केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के बारे में प्राप्त करने होंगे जो मोटर गरेज या जिला पूल के वाहनों की माग करने के लिए अधिकृत हो।

(iii) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष—प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सेवा निवृत्ति के समय कार्य कर रहे राजपत्रित/अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए बकाया नहीं प्रमाण पत्र क्रमशः जारी करेंगे।

(3) यदि सेवानिवृत्ति की दिनांक के पूर्व तक बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो पेंशन चाहे प्रावधिक (Provisional) हो या अन्तिम जैसी भी स्थिति हो आवश्यक रूप से जारी करनी होगी क्योंकि 'बकाया नहीं प्रमाण पत्र' पेंशन स्वीकृति के विषय में पूर्ववर्ती शर्त नहीं होगी। ऐसे मामलों में फिर भी मृत्यु सह निवृत्ति उपदान जो महालेखाकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया हो के एक हिस्से को जो अन्तिम पेंशन के नियुक्त करने के पश्चात बकाया पाई जाने वाली सरकारी बकाया की वसूली करने हेतु निम्नांकित सीमा तक रोक लिया जावेगा—

---

1 स एफ 1 (52) वि वि (श्र 2)/74-I दि 1 9 1975 द्वारा नियम 295 प्रतिस्थापित एवं 296 विलोपित।

(i) राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण में — रु 00/
(ii) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण में — रु 200/

(4) (क) उप नियम (3) में प्रावधान होते हुए भी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध सेवा निवृत्त होने के समय सरकारी बकाया हो अथवा अन्तिम पेंशन के जारी होने के पश्चात बकाया पाई जावे तो पेंशन/ग्रेच्युटी की राशि अथवा दोनों से जो सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को जैसी भी स्थिति हो भुगतान योग्य हो या भुगतान कर दी गई हो से वसूल कर ली जावे चाहे सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों से सहमति प्राप्त की गई हो अथवा नहीं। वसूल की गई। वसूली या अन्य सरकारी बकाया के विवरण को सरकारी कर्मचारी को सूचित किया जावे।

टिप्पणी राजस्थान पेंशन एक्ट की धारा '9 क' के अधीन राज्य कर्मचारियों की पेंशन/ग्रेच्युटी अथवा दोनों की राशि से सरकारी बकाया की वसूली को प्रभावित करना अनुज्ञेय (Permissible) है।

4 (ख) जहां सरकारी बकाया की वसूली पेंशन की राशि से की जाती है वहां वसूली मासिक किस्त, जो पेंशन की राशि की एक तिहाई से अधिक नहीं हो में की जानी चाहिए।

[1]निर्णय—वित्त विभाग की अधिसूचना स एफ 1 (59) वि वि (व्यय नियम /६ 3 11 1965 के अधीन यह बताया गया था कि— एक सरकारी कर्मचारी को ग्राह्य पेंशन/उपादान बकाया नहीं प्रमाण पत्र नो ड्यूज सर्टिफिकेट) की कमी से नहीं रोकी जावे और यदि कोई वसूली जो सेवा निवृत्ति पर या बाद में ध्यान में आवे (तो उसे) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को ग्राह्य पेंशन/उपदान में से की जा सकती है।

महालेखाकार राजस्थान से परामर्श के बाद इस पर आगे परीक्षण किया गया और यह निश्चय किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी ने भवन निर्माण अग्रिम वाहन अग्रिम आदि आहरित किये हैं (उनकी) उपदान की राशि की, जब तक उस कर्मचारी के विरुद्ध बकाया वास्तविक राशि का पता न चले विमुक्ति/भुगतान नहीं किया जावे। ऐसी बकाया अग्रिम की पूरी राशि ब्याज सहित नियमानुसार देय उपदान के विरुद्ध समायोजित कर ली जावे। यदि ऐसे समायोजन के बाद (भी) कोई बकाया रह जावे, (तो) उसे पेंशन में से पेंशन के एक तिहाई मासिक किश्तों में समायोजित किया जावे। जहां येनकेन यह देखा जावे कि बकाया बहुत भारी (अधिक) है तो महालेखाकार द्वारा पेंशन स्वीकारकर्ता प्राधिकारी से परामर्श के बाद वसूली की दर बढायी जा सकती है। यदि मृत्यु सह निवृत्ति उपदान में से भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि की राशि समायोजित करने के बाद (भी कोई बकाया रह जाती है तो उसे एक साथ पेंशन के संकलित (Commuted) मूल्य की सम्पूर्ण राशि में से वसूल किया जावे जब कभी (ऐसा) संकलन महालेखाकार के कार्यालय द्वारा अधिकृत करने के लिये पूर्णतः आवश्यक हो जाय।

यह पुनः निश्चय किया गया है कि – ऐसे मामलों में जहां बकाया नहीं प्रमाण पत्र' जारी नहीं किये गये हों वहां बकाया नहीं प्रमाण पत्र की प्रतिक्षा किये बिना उपदान/पेंशन का विमुक्त (release) कर दिया जावे और यदि कोई बकाया राशि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध पायी जावे तो उसे उसकी पेंशन में से पेंशन की एक तिहाई की दर पर मासिक किश्तों में वसूल किया जावे।

[2]नियम **296** [विलोपित]

[3]पेन्शन के दावों को शीघ्र निपटाने हेतु निर्देश

पेंशन के लिये प्रावधान देने तथा पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल वह उदार कर दिया गया है, जिसके लिये पुस्तिका के रूप में प्रकाशित वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (61) वि वि (नियम)/67 दिनांक-16-2-1971 द्वारा पेंशन के दावों को समय पर तैयार करने के लिये सरकारी कर्मचारियों विभाग/कार्यालय के अध्यक्षों के मार्गदर्शनार्थ निर्देश जारी किये गये थे किन्तु इन सब

---

1 विज्ञप्ति स 1 (59) वि वि (व्यय नियम)/65 दि 1 12 1973 द्वारा निविष्ट।
2 स एफ 1 (52) वि वि (अ 2)/74 I दि 1 9 1975 द्वारा नियम 295 प्रतिस्थापित एवं नियम 296 विलोपित।
3 विज्ञप्ति स 1 (77) वि वि (नियम) दिनांक 14 मई 1973

प्रशासनिक बावजूद पेंशन के दावे निपटाने में लगातार विलम्ब हो रहा है। अतः यह पुनः जोर देकर पेंशन स्वीकर्त्ता प्राधिकारियों को आगाह किया जाता है कि वे समय समय पर जारी किये गये निर्देशों की परिपालना का ध्यान रखें। पेंशन के मामलों के निपटारे की प्रगति को ध्यान में रखने के लिए विभागाध्यक्ष अपने सहायक (Deputie) में से एक को नामांकित कर सकते हैं और उनको शीघ्र निपटारे के दृष्टिकोण से विचाराधीन मामलों का मासिक पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं।

2 पेंशन के दावों के निपटाने में विलम्ब के मुख्य कारण हैं—

(1) सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की निश्चित दिनांक से एक वर्ष पूर्व पेंशन के कागजात की तैयारी आरम्भ नहीं करना।

(2) सेवा पुस्तिकायें और अन्य अभिलेख सही व पूर्ण रूप से नहीं रखे जाना और वार्षिक सत्यापन का प्रमाणपत्र अभिलिखित नहीं करना।

(3) महालेखाकार द्वारा मांगे गये दस्तावेजात/सूचनायें शीघ्रता से नहीं भेजना।

वर्तमान निर्देशों को जो समय समय पर पहले जारी किये गये हैं उनको आगे सविस्तृत करने की दृष्टि से विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के मार्ग दर्शन हेतु निम्नांकित और निर्देश जारी किये जाते हैं

(1) (क) पेंशन के प्रकरणों के निपटारे में देरी होने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह है कि विभागीय प्राधिकारियों से अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के प्रकरण बहुत देर से प्राप्त होते हैं। कार्यालयाध्यक्ष किसी कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने के लिए निश्चित दिनांक से एक वर्ष पहले रा. से. नि. के नियम 281 के उपबन्धों के अनुसार, पेंशन के कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में नहीं लेते। वास्तव में, एक वर्ष पहले अग्रिम रूप से कार्य आरम्भ कर देना पर्याप्त नहीं, पेंशन के कागजात अंकेक्षण कार्यालय में सेवानिवृत्ति के कई महिनों पहले पहुंच जाने चाहिए।

राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरणों में पेंशन सम्बन्धी कागजात महालेखाकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 284 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं किन्तु महालेखाकार को सम्बन्धित विभाग/कार्यालयों से सूचनायें या अभिलेखों की आवश्यकता हो सकती है जबकि विशेष रूप से सेवा का कोई अंश अराजपत्रित रहा हो। महालेखाकार द्वारा पेंशन के कागजात तैयार करने के लिये मांगी गई प्रत्येक सूचना या अभिलेख को भिजाने को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रत्येक छः माह यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रति वर्ष समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की सूची रखनी चाहिये जो अगले 12 से 18 माह में सेवानिवृत्त होने वाले हों तथा इस सूची का सम्बन्धित अंकेक्षण अधिकारी को 31 जनवरी या 31 जुलाई यथा स्थिति, को प्रति वर्ष भिजा देनी चाहिए। किन्तु ऐसी सूचियां नियमित रूप से अंकेक्षण कार्यालय को नहीं भेजी जा रही हैं परिणामस्वरूप अंकेक्षण अधिकारी पेंशन प्रकरणों की प्राप्ति का ध्यान रखने की स्थिति में नहीं है जब कि ये प्रकरण कार्यालयों/विभागों में विलम्बित कर दिये जाते हैं।

(ग) पेंशन के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिए जब कर्मचारी वास्तव में सेवानिवृत्त होते हैं यह आगाह किया जाता है कि—जब एक सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा सम्पूर्ण कर लेता है तो राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में सम्बन्धित अंकेक्षण अधिकारी या अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रकरण में सम्बन्धित अंकेक्षण अधिकारी के परामर्श से कार्यालयाध्यक्ष तत्कालीन प्रभावशील नियमों के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं का सत्यापन करेंगे और योग्य सेवा का निर्धारण कर उस निर्धारित योग्य सेवा की अवधि उस (कर्मचारी को) सम्प्रेषित करेंगे। इस प्रक्रिया का अब निश्चयपूर्वक पालन किया जाना होगा क्योंकि यह पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए एक सुविधाजनक व लम्बे समय तक चलने वाली (प्रक्रिया) है।

(2) इसी प्रकार समान रूप से कठिनाइयों और देरी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सेवा पुस्तिकाओं और उससे सम्बन्धित अभिलेख की अत्यन्त असंतोषजनक दशा। जब तक सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां सही और पूरी नहीं की जाती और प्रत्येक स्थिति पर उचित सत्यापन और सत्यापन के प्रमाणपत्र प्रति वर्ष बिना भूल के अभिलिखित नहीं किये जायेंगे, तब तक सेवा निवृत्त होने के समय उत्पन्न होने वाली समस्यायें व्यवहारिक रूप से ठीक करना असम्भव ही रहेगा। सेवा पुस्तिकाओं को संतोषजनक रूप से तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिये और वार्षिक सत्यापन प्रमाणपत्र अभिलिखित करने के लिए उचित आन्तरिक प्रशासनिक कदम लागू करने होंगे।

पहले अंकेक्षण अधिकारी पेंशन की अधिकारिता की रिपोर्ट किया करते थे और उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति दी जाया करती थी। वर्तमान प्रणाली में अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के कागजात अंकेक्षण-कार्यालय को प्रपत्र पत्रक (3) में प्रशासनिक स्वीकृति सहित भेजे जाते

पहले ही पेशन के कागजात तयार करने का काय प्रारम्भ कर देना चाहिए। इस काय म विलम्ब नहीं करना चाहिए जब तक राज्य कमचारी वास्तव म इस विषयक प्रावेदन पत्र प्रेषित नहीं करे। राज्य कमचारियो/विभागाध्यक्ष/कायालयाध्यक्षो को पेंशन के कागजात तयार करने सम्बन्धी निर्देश वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 1 (61) वि वि (नियम)/67 दिनाक 16-2-1971 द्वारा जारी किए गये और जो बुलेटिन के रूप म प्रकाशित किये गये हैं। तत्पश्चात पूरक निर्देश वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 1 (77) वि वि (नियम)/69 दिनाक 14-5-1973 द्वारा और जारी किए गए जिसम यह विशेष रूप से भार डाला गया था कि विभागाध्यक्ष पेंशन के मामलो के निपटारे की प्रगति का ध्यान म रखने के लिए अपने सहायक (Deputies) म से एक को नामाकित करेंगे और उनका शीघ्र निपटारे के दृष्टिकोण से विचाराधीन मामलो का मासिक पयवेक्षण भी करेंगे। पेंशन के नियमो को उदार बनाने और समय समय पर विभिन्न निर्देश/परिपत्र जारी करने के उपरान्त भी पेंशन के माल निपटारे म सारभूत प्रगति नहीं पाई गई है और पेंशन के दावो को निपटाने म विलम्ब होने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

राज्य सरकार इस प्रकार के काय को गम्भीर रूप से देखती है और यह विनिश्चित किया गया है कि भविष्य म उन अधिकारियो के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमो के अधीन अनुशासनिक कायवाही प्रारम्भ की जावे जो प्राविजनल पेंशन एव उपदान के भुगतान की राशि का अधिक्रम करने और पेंशन के दावो का निपटारा करने म उपेक्षा करते हो और विलम्ब के लिए उत्तरदायी हो। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ 1 (9) वि वि (अ 2)/74 दिनाक 25 2-1974 द्वारा मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागो को दोषी अधिकारियो का नाम सूचित करने का काम सौंपा गया है जो पेंशन के दावों का निपटारा विलम्ब से करने के मामलो म उत्तरदायी पाये गये हो। वो प्रारम्भिक जाच एव मूल्यांकन करके उनके विरुद्ध आवश्यक कायवाही करके कार्मिक एव वित्त विभाग को भी सूचित करेंगे।

अत समस्त विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षो को भार डाला जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से यह देखें कि राज्य कमचारियो के पेंशन के दावो का समय पर तयार कर लिये जाते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से पूरे करके नियमानुसार सेवा निवृत्ति की दिनाक से बहुत समय पूर्व ही महालेखाकार को भेज दिए जाते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करें कि पेंशन के दावे जो अकेक्षण विभाग को भेजे गये हैं की बाद म भी प्रगति के साथ लिखते रहे जिससे राज्य कमचारियो को दूर स्थिति म कठिनाई म पड़ने से बचाया जा सके और पेंशन के स्वीकृत होने म विलम्ब को रोका जा सके।

[1]IV

पचायत समिति और जिला परिषद के सेवा निवृत्त कमचारियो को पेंशन और उपदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया

राजस्थान पचायत समितियाँ और जिला परिषद अधिनियम की धारा 87 और राजस्थान पचायत समितिया और जिला परिषद नियम के नियम 35 म यह उल्लेख किया गया है कि पचायत समितियो और जिला परिषदो के सेवा निवृत्त कमचारियो को पेंशन और मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान उसी प्रकार स्वीकृत की जावेगी जैसे राज्य सरकार के कमचारियो को राजस्थान सेवा नियमो के अधीन स्वीकाय है। राज्य सरकार ने आदेश सख्या एफ 36 (62) पी डी/ए डी एफ/61/40 दिनाक 2-1-1976 द्वारा पचायत समितियो एव जिला परिषदो द्वारा राज्य सरकार को भुगतान योग्य पेंशन अशदान की वसूली पचम पचवर्षीय योजना के अन्त तक छोड़ देने का आदेश दिया है। चूकि इन सस्थाओ के कमचारियो के वेतन और भत्तो का भुगतान राज्य के समेकित फण्ड (consolidated Fund) से नहीं किया जाता है जिससे राज्य सरकार के समक्ष इन कमचारियो के पेंशन के दावो को निपटान सम्बन्धी प्रक्रिया का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था। राज्यपाल ने प्रसन्न होकर उपरोक्त लोकल फण्ड सस्थाओ के कमचारियो की पेंशन और उपदान के दावो के दस्तावेजो को तयार करना उनको अन्तिम रूप देकर भुगतान करने सम्बन्धी निम्नाकित प्रक्रिया निर्धारित की है—

(1) आवेदन पत्र की प्रक्रिया—पेंशन के आवेदन पत्र और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का राजस्थान सेवा नियमो के खण्ड I पाट B के अध्याय XXV के अनुसार यथा आवश्यक परिवतन

---

1 एफ 1 (35) वि वि (आर) 76 दिनाक 23-6-1976

प्रत्य विकास अधिकारी, सचिव, जिला परिषद और एडिशनल जिला डेवेलपमेंट अधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जावेगा।

(2) कागजात की तैयारी एवं प्रारम्भ—(i) विकास अधिकारी और सचिव, जिला परिषद उपरोक्त अध्याय के अधीन पेंशन के कागजात तैयार करने हेतु क्रमशः पंचायत समितियों और जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष का कार्य करेंगे। तदनुसार यह उनकी जिम्मेदारी है कि कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व ही पेंशन के कागजात तैयार करने का काम हाथ में ले लेवें। इस उपयोग हेतु वह राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय XXV के सेक्शन I, III और IV में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा।

(ii) पेंशन के कागजात तैयार करने के पश्चात वह फार्म P 2 और P 3 एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट आफिसर को मय सेवापुस्तिका और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ पेंशन की स्वीकृति फार्म P 3 में करने हेतु भेजेगा।

(3) पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी—(i) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 292 के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों के समस्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत करने हेतु एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट ओफिसर सक्षम अधिकारी होंगे।

(ii) ब्लाक डेवलपमेंट ओफिसर से पेंशन के कागजात प्राप्त होने पर एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट आफिसर राजस्थान सेवा नियम वाल्यूम I पार्ट B में अन्तर्विष्ट नियमों के अधीन पेंशन दिये जाने की जांच करने के पश्चात राजस्थान सेवा नियमों के नियम 248 का पूर्ण ध्यान रखते हुए फार्म P 3 में पेंशन स्वीकृत करेगा। इसके पश्चात वह पेंशन के कागजात जो सभी प्रकार से पूर्ण होंगे मय सेवा पुस्तिका और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों सहित फार्म P 4 पत्र के साथ परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (Examiner Local Fund Audit Department) को पेंशन भुगतान आदेश और ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी करने हेतु भेजेगा।

(4) परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कार्य और कर्तव्य—(i) परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर का कार्य और कर्तव्य वही होगा जो राज्य कर्मचारियों के मामलों में पेंशन केसेज पेंशन नियमों के अधीन स्वीकार करने और पेंशन भुगतान आदेश और ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी करने हेतु वर्तमान में महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है।

(ii) पेंशन स्वीकृति सक्षम अधिकारी से पेंशन के कागजात प्राप्त होने के पश्चात, परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर राजस्थान सेवा नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत वांछित जांच और परीक्षा करेगा और आवेदन पत्र फार्म P 2 के भाग III पर अंकेक्षण मुताबिक अभिलिखित करेगा। इस कार्य हेतु वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 293 में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा।

(iii) पेंशन और मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि निर्धारित करने के पश्चात, वह सेवा निवृत्ति की तारीख से एक माह पूर्व पेंशन भुगतान आदेश और ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी करेगा जिसकी सूचना पेंशनर सम्बन्धित कोषाधिकारी और महालेखाकार राजस्थान जयपुर को भेजेगा।

(iv) पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भाग और ग्रेच्युटी भुगतान आदेश की प्रति कोषाधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी जावेगी और उसकी सूचना पेंशनर महालेखाकार राजस्थान जयपुर और सम्बन्धित एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट ओफिसर को भेजी जावेगी।

(5) पेंशन का भुगतान—ट्रेजरी मेन्युल के अध्याय VI में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कोषाधिकारी इन कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान करने की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(6) प्रावधिक पेंशन का भुगतान—जहां पर सेवा निवृत्ति की दिनांक से एक माह पूर्व परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पेंशन नियुक्ति नहीं की जाती है अथवा कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की दिनांक तक पेंशन केस का निपटारा करने की सम्भावना नहीं हो तो एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट ओफिसर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 292 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित फार्म P 6 में प्रावधिक पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृत करेगा और उसकी सूचना परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर पेंशनर कोषाधिकारी और महालेखाकार राजस्थान जयपुर को भेजेगा। एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट ओफिसर द्वारा प्रावधिक पेंशन की राशि उपरोक्त नियमों के प्रावधान के अनुसार आहरित कर एक वर्ष की अवधि तक भुगतान किया

जावेगा।

(7) पे शन केस की रिपोट और निदश करना वित्त विभाग (पेन्शन स ल) के आदेश सख्या एफ 1 (2) वि वि (पेन्शन)/76 दिनाक 16-4-1976 द्वारा निधारित फाम B' और C म दराफ एडिशनल डिस्ट्रीक्ट डवलपमट आफिसर द्वारा पजिका खोली जावेगी और निर्देशक विकास विभाग राजस्थान, जयपुर को त्रमासिक रिटन प्रपित किया जावेगा जो उपरोक्त आदेश मे उल्लेखित विभागाध्यक्ष होने स वित्त विभाग (पेन्शन सल) को रिपोट प्रेषित करेगा।

उपरोक्त आदेश दिनाक 1-7-1976 से प्रभावशील होग और पेन्डिग पेन्शन केसेज पर भी लागू होगे। य आदेश उन राज्य कमचारियो पर लागू नही होत हैं जो पचायत समितिया और जिला परिषदो मे प्रति नियुक्ति पर हैं एसे मामलो म इनके पेन्शन के कागजात का बनाना और उनका निपटारा उनके पैतृक विभाग द्वारा ही किया जावेगा।

पे शन के लिए प्राथना पत्र पी 1

सेवाम को,

विषय पेन्शन के लिए प्राथना पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मै दिनाक स सेवा निवत्त होने जा रहा हू/कर दिया गया हू। मेरी जन्म तिथि दिनाक है। अतएव मैं आपसे निवेदन करता हू कि मुझे स्वीकाय पेंशन तथा मृत्यु सह सेवा निवत्ति उपदान मेरी सेवा निवत्ति तक स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने का प्रयत्न करे। मैं अपनी पेंशन कापालय से प्राप्त करना चाहता हू।

मै यह भी निवेदन करता हू कि यदि मेरी अन्तिम पेंशन तथा मृत्यु सह सेवा निवत्ति उपदान की स्वीकृति उक्त तिथि तक सम्भव नही हो तो मुझे 75% रुपये अप्रत्याशित पेंशन तथा मृयु सह निवत्ति उपदान स्वीकृत करने का श्रम करें।

मैं यह घोषणा करता हू कि मैने इस से पूव न तो पेंशन तथा मृत्यु सह सेवा निवत्ति उपदान के लिए प्रायना पत्र प्रस्तुत किया है तथा न ही प्राप्त की है और न ही भविष्य म करूगा।

मैं इसके साथ निम्नाकित पत्रादि प्रस्तुत कर रहा हू—

(1) मेरे 2 प्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर।
(2) मेरे 2 पासपोट साइज के फोटो।
(3) मेरी पत्नी के साथ सयुक्त 2 फोटो।
(4) मेरे अगूठे तथा अगुलियो के निशानो की 2 पर्चिया।
(5) मेरी ऊचाई तथा पहिचान के चिन्हो के विवरण की पर्चिया।
(6) मेरा वतमान पता
 है तथा सेवा निवत्ति के पश्चात निम्नाकित होगा।

दिनाक

भवदीय
हस्ताक्षर
पद
विभाग

पेन्शन एव उपदान हेतु प्रपत्र प्रपत्र स पी-2

(देखिये नियम 284, 285 (1) 288 289, 290, 292 एव 293)

भाग I

(यदि भुगतान विभिन्न आडिट सरकिल म चाहा गया हो तो दो प्रतिया भेजी जाए।)

1 सरकारी कमचारी का नाम
2 पिता का नाम (महिला सरकारी कमचारी हो तो पति का भी नाम)
3 धम एव राष्ट्रीयता
4 स्थायी आवासीय-ग्राम/कस्बा जिला एवं राज्य का उल्लेख करते हुए

5 वर्तमान या गत नियुक्ति स्थापना के नाम सहित।
(i) स्थायी
(ii) स्थानापन्न, यदि कोई हो।
6 आवेदन की गई पेंशन या सेवा उपदान की श्रेणी तथा आवेदन पत्र का कारण
7 पेंशन नियम जिनके लिए विकल्प दिया गया/वह पात्र है।
8 सरकारें जिनके अधीन सेवाएं की गई हैं (नियोजन के क्रम में)
9 पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की अवधि—
(क) सिविल सेवा की अवधि
(ख) युद्ध/मिलिट्री सेवा की अवधि
(ग) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेंशन/उपदान की राशि एवं स्वरूप
(घ) सिविल सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेंशन/उपदान की राशि एवं स्वरूप
10 (क) औसत परिलब्धियां (ख) उपदान के लिए परिलब्धियां
11 राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) में यथापरिभाषित वेतन
12 प्रस्तावित पेंशन
13 प्रस्तावित उपदान
14 क्या राज्य परिवार पेंशन नियम प्रयोज्य हैं? यदि हां, तो उसकी मृत्यु की दशा में सरकारी कर्मचारी के परिवार के अधिकृत सदस्यों को भुगतान योग्य होने वाली जीवन पर्यन्त परिवार पेंशन की राशि।
15 दिनांक जिसमें पेंशन प्रारम्भ होनी है
16 (क) पेंशन के भुगतान का स्थान (कोषागार/उपकोषागार)
(ख) उपदान के भुगतान का स्थान (कोषागार/उपकोषागार
कार्यालयाध्यक्ष)

टिप्पणी—सेवा निवृत्त होने वाले अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष की मारफत उपदान की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने हेतु विकल्प दे सकते हैं।

17 क्या मनोनयन निम्न के लिए किया गया है—
(क) परिवार पेंशन
(ख) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान
18 क्या सरकारी कर्मचारी ने समस्त सरकारी बकायों का भुगतान कर दिया है? (देखिये अध्याय 25 का अनुभाग 4)
19 (i) सरकारी कर्मचारी (ii) सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति की ईस्वी सन् में जन्म तारीख।
20 ऊंचाई
21 पहिचान के चिह्न
[1]22 (i) सरकारी कर्मचारी की (ii) सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति के अंगूठे एवं अंगुलियों की निशानी।

अंगूठा	संकेतिका (फोरफिंगर)	मध्यमिका (मिडिल फिंगर)
	अनामिका (रिंग फिंगर)	कनिष्ठा (लिटिल फिंगर)

23 दिनांक जिसको सरकारी कर्मचारी ने प्रपत्र पी I में पेंशन हेतु आवेदन किया है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(महालेखाकार राजस्थान)[2]

भाग II

श्री/श्रीमति/कुमारी की सेवा का विस्तृत विवरण
जन्म की तारीख

---

1 व्यक्ति जो अंग्रेजी हिन्दी या सरकारी प्रादेशिक भाषा में अपने नाम लिखने में पर्याप्त रूप से साक्षर हैं उन्हें अपने हाथ के अंगूठे व अंगुलियों की निशानी लगाने से मुक्त किया जाता है बशर्ते कि वे अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
2 केवल राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में।

अनुभाग I

स्थापना	नियुक्ति	स्थायी प्रारम्भ करने अस्थाई की तारीख	समाप्ति की तारीख	सेवा के रूप में गिने जाने की अवधि	सेवा के रूप में नहीं गिने जाने की अवधि	महालेखाकार द्वारा टिप्पणी
				वर्ष माह दिन	वर्ष, माह, दिन	
1	2	3	4 5	6	7	8

सेवा की कुल अवधि

टिप्पणी—इस अनुभाग में मिलेट्री सेवा, यदि कोई हो, की प्रत्येक अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख व समाप्त होने की तारीख भी बतलाई जानी चाहिए।

अनुभाग II (A)

[1]अंतिम तीन वर्षों के दौरान आहरित परिलब्धियां

धारित पद	से	तक	वेतन

वयक्तिक/विशेष वेतन।

औसत परिलब्धियां

अनुभाग II (B)

सेवा निवृत्ति के तुरंत पूर्व आहरित वेतनादि (दिनांक 1–4–1970 को या इसके बाद निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण में)

पद धारित किया	वेतन	महंगाई वेतन जो वेतन के साथ विनियोजित किया गया यदि कोई हो।

[3]प्रक्टिस बंदी भत्ता योग

वेतनादि

(2) प्रपत्र पेंशन (2) के अनुभाग III में वर्तमान शब्द 'मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की गणना' के बाद निम्नांकित और जोड़ा जावेगा—(पृ० 374 पर) नियम 250 (ग) एवं 257 के अधीन पेंशन एवं मृत्यु सह निवृत्ति वेतन की संगणना का ज्ञापन (दिनांक 1–4–1970 को या बाद में सेवा निवृत्ति होने वाले व्यक्तियों के लिये)

पेंशन की राशि

अंतिम वेतनादि × योग्य सेवा की पूरी की गई छमाही अवधियों की संख्या / 160 = रुपये (पेंशन की राशि)

मृत्यु-सह-निवृत्ति वेतन की राशि

(2) अंतिम वेतनादि × योग्य सेवा की पूरी की गई छमाही अवधियों की संख्या × 1/4 = रु० (मृत्यु सह निवृत्ति वेतन की राशि)

—या—

---

1 ऐसे मामले में जहां अंतिम तीन वर्षों में वह कुछ अवधि भी शामिल हो जो औसतन परिलब्धियां के संगठन हेतु नहीं गिनी जाती हो वहां उससे पीछे की उतनी अवधि को औसत परिलब्धियों को गिना जाता है।

2 विज्ञप्ति स एफ 1 (77) वि वि (नियम)/69 दि 27 अक्टूबर 1971 द्वारा निविष्ट एवं दिनांक 1–4–1970 से प्रभावशील।

3 प्रक्टिस बंदी भत्ता यदि कम से कम 3 वर्ष के लिये सेवा निवृत्त होने की दिनांक से तुरंत पहले आहरित किया गया हो तो केवल उसी को इस कालम में दिखाया जावे अन्यथा नहीं।

सेवा निवृत्ति होने के समय
आहरित वेतनादि का 15 गुणा
जो भी कम हो।

परन्तु शर्त है कि—
गे माह के वेतनादि पारि
वारिक पेंशन के बदले में
शुद्ध (Net) मृत्यु सह
निवृत्ति वेतन की अनुग्रह
राशि

रु०

कार्यालय/विभागाध्यक्ष

टिप्पणी—(1) सेवा के दौरान एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के समय वेतन प्राप्ति से 12 गुणे की न्यूनतम सीमा में रहते हुए निवृत्ति वेतन (ग्रेच्युटी) मिलेगी।

टिप्पणी—(2) शब्द 'वेतनादि' (emoluments) का प्रयोग जहां पेंशन, सेवा ग्रेच्युटी व मृत्यु सह निवृत्ति वेतन के लिए किया गया है उसके अर्थ में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) में परिभाषित वेतन तथा उस वेतन के अनुपात में महंगाई वेतन यदि कोई हो, जो अपने सेवा-निवृत्त होने के तत्काल पूर्व वह अधिकारी प्राप्त कर रहा था सम्मिलित होंगे।

परन्तु शर्तें ये हैं कि—

(1) प्रेक्टिस बन्दी भत्ता जो कि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आहरित किया गया इस नियम के प्रयोजनार्थ वेतन का अंग नहीं माना जावेगा जब तक कि—यह सेवा में निवृत्त होने के तुरन्त पहले लगातार कम से कम तीन वर्ष के लिए आहरित न किया गया हो।

(2) विशेष वेतन यदि कोई हो जो किसी पद के अतिरिक्त कर्तव्य को अपने पद के कर्तव्य के अतिरिक्त पालन हेतु स्वीकृत किया गया हो, इस नियम के प्रयोजनार्थ लेखे में नहीं लिया जावेगा।

अनुभाग III

अनहकारी सेवा की अवधि (अवधियां)

-- से तक

1 व्यवधान
2 असाधारण अवकाश जो पेंशन के योग्य न हो।
3 निलम्बन की अवधि जो अहकारी नहीं मानी गई हो।
4 अन्य कोई सेवा जो अहकारी नहीं मानी गई हो।

योग

अनुभाग 4

एक्विटेंस रोल्स के सन्दर्भ में सत्यापित नहीं की गई सेवा की अवधि।

क्या उक्त अवधि नियम 288 (ग) के प्रावधानों के अनुसार सत्यापित की गई है?

एवं यदि नहीं तो क्या सेवा की उक्त अवधि के सत्यापन की आवश्यकता उपयुक्त प्राधिकारी के आदेशों के अधीन समाप्त की गई है?

भाग 3

आडिट मूल्यांकन—(1) अहकारी सेवा की कुल अवधि जो अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/उपदान की स्वीकृति के लिए स्वीकार की गई है तथा यदि कोई स्वीकृत नहीं की गई हो तो अस्वीकृति के कारण (भाग 2 में निर्दिष्ट अस्वीकृति के अतिरिक्त)

टिप्पणी—...... से प्रारम्भ तथा सेवा निवृत्ति तक की अवधि की सेवा अभी तक समाप्त नहीं की गई है। पेंशन पेमेंट आर्डर जारी किये जाने से पूर्व इसे कर देना चाहिये।

2 अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/उपदान की राशि जो स्वीकार की गई है।

3 पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए पेंशन एवं उपदान में कटौती यदि कोई हो को गिने जाने के बाद स्वीकार्य अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/उपदान की राशि।

4 दिनांक जिससे अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/उपदान स्वीकार्य है।

5 लेखा शीर्ष जिसमें अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति/इनवेलिड/क्षतिपूर्ति पेंशन/उपदान वसूल किया

जाना है।

6 सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी कमचारी की मृत्यु होने पर परिवार क गधिकृत सदस्या भुगतान योग्य होने वाली जीवन पय त परिवार पे शन की राशि।

लखाधिकारी

सहायक महालखाकार

(भाग 3 के पीछे की ओर)

1 सरकारी कमचारी द्वारा पेन्शन आवेदा पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख।
2 सरकारी कमचारी का नाम।
3 प शन या उपदान की श्रेणी।
4 स्वीकृति प्राधिकारी।
5 स्वीकृत पन्शन की राशि।
6 स्वीकृत उपदान की राशि।
7 पेंशन के प्रारम्भ की तारीख।
8 स्वीकृति की तारीख।
9 पेशनर की मृत्यु की दशा म स्वीकाय परिवार पेन्शन की राशि।
10 नवीन परिवार पन्शन नियमा क नियम 268 (छ) के अधीन उपदान से वसूल किए ज वाली राशि।
11 उपदान म से ऊपर धारित किए गए सरकारी ऋण।

(राजस्थान सेवा नियम 25 256 257)

पेन्शन एव मृत्यु एव सेवा निवत्ति उपदान क लिए औसत परिलब्धियो की गणना करने सम्ब न्धपन।

(क) अन्तिम[1] तीन वर्षों के लिए पन्शन हेतु औसत परिलब्धिया।

	स	तक	अवधि	वेतन की दर	रु० प०
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					

कुल अवधि
36 माहो की कुल परिलब्धि
एक माह की औसत परिलब्धि

(दिनांक 18–12–61 को या उसक बाद सेवा निवत्त होने वाले व्यक्तिया क लिए)

(ख) एक माह की औसत परिलब्धिया × अहकारी सवा की पूण छमाही अवधिया की सख्या

160

(ग मृत्यु एव सेव निवत्ति उपदान की गणना
अन्तिम परिलब्धिया या वेतन रु
अन्तिम परिलब्धिया या वेतन × अहकारी सेवा की छमाही अवधियो की सख्या × ¼ = मृत्यु एव सवा निवृत्ति उपदान या
सवा निवत्ति के समय अ हरित परिलब्धिया या वेतन का 15 गुना जो भी कम हो।
घटाइए परिवार पन्शन क बदले मे 2 माह की परिलब्धिया या वेतन जसी भी स्थिति हो घटाइए
- स्वीकाय शुद्ध मृत्यु एव सवा निवृत्ति उपदान की राशि

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

1 ऐसे मामले मे अ तिम तीन वर्षों म ऐसी अवधि शामिल हो जो औसत परिलब्धिया सगणित करने के लिए नही गिनी गई हो वहा औसत परिलब्धिया सगणन करने हेतु उसके बराबर की अवधि पीछे की अवधि म से ली जानी चाहिए।

टिप्पणी—सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उपदान उसकी मृत्यु के समय परिलब्धियों के न्यूनतम 12 गुना तक की सीमा के अधीन रहेगा।

पेंशन के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु विविध प्रमाण पत्र

पेंशनर का नाम -
अन्तिम पद जिस धारण किया
कार्यालय/विभाग

1 कोई बकाया नहीं (No Demand)—प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनर के खिलाफ कोई बकाया नहीं है।

2 किसी राजकीय अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता प्रमाणित किया जाता है कि वह किसी राजकीय अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है।

3 स्थायी एवं पेंशन योग्य नियुक्ति—प्रमाणित किया जाता है कि वह अपनी सेवा की अवधि के दौरान पूर्णतया स्थायी एवं पेंशन योग्य नियुक्ति या नियुक्तियों को धारण कर रहा था/रही थी।

4 स्थानापन्न रूप में नियुक्ति—प्रमाणित किया जाता है कि अपनी सेवा निवृत्ति के समय वह निम्नलिखित पदों पर स्थानापन्न कार्य कर रहा था/रही थी।

5 परिवीक्षाधीन सेवा के गिने जाने हेतु प्रमाण पत्र—यह प्रमाणित किया जाता है कि ... को परिवीक्षा पर्यन्त उनके लिए आरक्षित स्पष्ट स्थाई रिक्त पद पर का समाप्त वर्ष/वर्षों के लिए परिवीक्षा पर दिनांक मे प्रथम बार नियुक्त किए गए थे तथा यह कि किसी भी अन्य कर्मचारी न उनके साथ साथ उस अवधि के दौरान उस पद पर अपनी सेवा को नहीं गिना है।

6 गत तीन वर्षों के दौरान स्थानापन्न कार्य करने के मामले मे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 (ड) के अधीन प्रमाण पत्र—प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ने दिनांक से एवं के जिस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है वह स्थायी रूप से रिक्त है तथा उस पर (पदनाम) कोई अन्य सरकारी कर्मचारी ने लीयन धारण नहीं किया है या भत्तों रहित अवकाश पर होने के कारण या राज्येत्तर सेवा पर होने के कारण स्थायी धारक की अनुपस्थिति के फलस्वरूप अस्थायी रूप से रिक्त है।

7 राजस्थान सेवा नियमो के नियम 250 क के अधीन प्रमाण पत्र—प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ने दिनांक से तक — में जिस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है वह पांच या इससे अधिक वर्षों से पदनाम अस्तित्व में है/स्वीकृत है तथा कर्मचारी ने अपनी सेवा निवृत्ति से ठीक एक वर्ष तक उस पद पर स्थानापन्न कार्य किया है। उससे वरिष्ठ कोई भी व्यक्ति उच्चतर पद पर पदस्थापित करने के लिए उपलब्ध नहीं था जब तक कि वह वरिष्ठ व्यक्ति सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी से विशिष्ट रूप से अधिक्रमित नहीं कर दिया गया था। यह और भी प्रमाणित किया जाता है कि वह अवकाश पर रवाना न होने पर दिनांक से तक अस्थाई पद पर स्थानापन्न कार्य करता रहता।

[1]8 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जिसको कि रु० का वाहन भत्ता कार/स्कूटर की खरीद के लिये बैंक के द्वारा (बैंक का नाम) सरकारी कर्मचारियों को वाहन अग्रिम स्वीकार करने के नियमों के अन्तर्गत बैंक ऋण योजना के तहत स्वीकार किया गया था को उसने (कर्मचारी) ब्याज सहित लौटा दिया है है और उस पर इस संदर्भ में कोई बकाया नहीं है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

टिप्पणी 1—जो प्रमाण पत्र प्रयोज्य न हो उसे/उन्हें काट दिया जाय।

2 नियमों द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रमाण पत्र यदि किसी विशिष्ट मामले में प्रयोज्य हो, सविष्ट किया जाना चाहिए।

---

1 वित्त विभाग की अधिसूचना स एफ 1 (77) वि वि 0 1971 द्वारा निविष्ट एवं 1 6 1970 से प्रभावशील।

भाग 4 अनुदेश

1 औसत परिलब्धियों की गणना—भाग I के आइटम स 10 ... की सगणना प्रत्येक माह म अन्तर्विष्ट दिनो की वास्तविक सख्या पर ...

2 क्षतिपूर्ति पे शन या उपदान—(क) यदि आवेदन पत्र लिए है तो की गई बचत के विशेष विवरण को भाग I के आइटम 6 के ... करना चाहिए।

(ख) वर्णन कीजिये कि अन्यत्र नौकरी क्यो नही की गई।

3 इनवेलिड पे शन—चिकित्सीय प्रमाण पत्रो ... का इनवेलिड करने म सक्षम प्राधिकारी का मूल चिकित्सा सलग्न करना चाहिए।

4 सेवा वृत्त—(क) विभिन्न नियुक्तियो पदोन्नतियो की तारीख माह व वर्ष दीजिये। अपूर्ण अवधियो को गिनने गिना जाना चाहिए।

(ग) सभी अवधिया जो सेवा के रूप म नही गिन तथा अभ्युक्ति के स्तम्भ म उन्हें हटाए जाने के कारणो का ...

(घ) यदि सेवा के किसी भी भाग के सत्यापन अप्राप्त हो गयी ह वहा सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित ... पत्र प्रस्तुत करेगा।

मैं दिनाक स ...
म सेवा म था और उक्त अवधि म विभाग/कार्यालय म था और कि उक्त अवधि म मुझ पर लागू होने वाले नियमो कि उक्त अवधि म मेरी सेवा म कोई टूट नही थी।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार करता हू एव घोषणा विश्वास के आधार पर उपयुक्त तथ्य सत्य ह।

दिनाक

इस प्रकार के बयान देने के बाद पे शन स्वीकृति पत्र लिखना चाहिए।
स प्रमाणित किया जाता है कि श्री
तक (भूतपूर्व) पद
राजस्थान सेवा नियमो के नियम 288 (ग) के ...।
मैं सतुष्ट हू कि उपयुक्त वर्णित अवधि म सेवा और कोई नही थी।

(i)		से	तक
(ii)		स	तक
(iii)		से	तक

5 सेवा पुस्तिका—(क) सेवा निवृत्ति की तारीख द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित सेवा पुस्तिका तथा पजी चाहिए।

(ख) उन व्यक्तियो के मामले म जो भूतपूर्व राज्य ... तथा जिन्होने अब राजस्थान सेवा नियमो म दिए गए पेन्शन विकल्प दिया है वहा ऐसे व्यक्तियो द्वारा की गई मूल ...

6 पहिचान के चिन्ह—यदि सभव हो तो कम से कम दो कुछ विशिष्ट चिन्हो का उल्लेख कीजिए।

7 नाम—जहा दखे गए विभिन्न अभिलेखा म सरकारी कमचारी के लघु हस्ताक्षर या नाम सही नही हो वहा अकेक्षा अधिकारी से अनावश्यक पत्र व्यवहार करने से बचने हेतु पेन्शन कागजाता के साथ भेजे जाते वाले पत्र म इस तथ्य का उल्लेख कीजिए।

8 सेवा निवृत्ति की तारीख—सेवा पुस्तिका तथा अतिम वेतन प्रमाण पत्र म दिखाइ जाए।

9 पुनर्नियुक्ति—एस अधिकारी के मामले मे जो निलम्बित किये जाने अनिवाय रूप से सेवा निवृत्त किए जाने निष्कासित किए जाने या बखास्त किय जान के बाद पुनर्नियुक्त किया गया है वहा उसकी पुनर्नियुक्ति के सक्षिप्त विवरण को साथ म सलग्न किया जाना चाहिये। साथ मे पुनर्नियुक्ति के आदेश की एक प्रति भी सलग्न कीजिए।

10 अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र—निर्धारित प्रपत्र मे एक अतिम वेतन प्रमाण पत्र पेन्शन कागजाता के साथ सलग्न किया जाना चाहिय जिसम अतिम भुगतान की तारीख का तथा पेन्शनर के प्रति बकाया सरकारी ऋणा का, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

11 राज्येतर सेवा—ऐसे मामले म जहा पेन्शनर कुछ समय से राज्येतर सेवा मे रह रहा हो वहाँ एसे स्थानान्तरण करने के आदेश की एक प्रति व उस चालान या पत्रों की सख्या एव तारीख का पूरा विवरण जिसके अधीन अवकाश एव पेन्शन की राशि जमा कराई गई थी, तथा चालानो की विधिवत अनुप्रमाणित प्रतिया यदि उपलब्ध हो सलग्न की जानी चाहिये।

12 विविध प्रमाण पत्र—किसी नियम या आदेशा के अधीन अपेक्षित विविध प्रमाण पत्रा या कोई अन्य प्रमाण पत्र भी प्रपत्र पी 2 के साथ सलग्न किया जाना चाहिये।

13 कलेण्डर माह—निम्नलिखित उदाहरण यह बतलाते हैं कि कलेण्डर माहो म वर्णित अवधि सगणित की जानी चाहिय—

उदाहरण—6 कलेण्डर मास की अवधि—

जो दिनाक से प्रारम्भ होनी है	जो दिनाक को समाप्त होती है
28 फरवरी	27 अगस्त
31 मार्च या 1 अप्रेल	30 सितम्बर
29 अगस्त	28 फरवरी
30 अगस्त या 1 सितम्बर	फरवरी का अतिम दिन

तीन कलेण्डर माह की अवधि—

प्रारम्भ होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख
29 नवम्बर	28 फरवरी
30 नवम्बर या 1 दिसम्बर	फरवरी का अतिम दिन

41 परिवर्तन—राजपत्रित सरकारी कमचारियो के दिनाकित लघु हस्ताक्षरों से लाल स्याही से कीजिए।

(नियम 282, 285 (3), 290 293 (7)) प्रपत्र पी 3

पेन्शन स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र

(यदि भुगतान विभिन्न ऑडिट सर्किल म चाहा गया हो तो उसे दो प्रतियो मे भर कर भेजा जाए)।

1 सरकारी कमचारी का नाम

2 पिता का नाम (यदि महिला कमचारी हो तो पति का भी नाम लिखिए)।

3 (क) वतमान या गत नियुक्ति स्थापना के नाम सहित

(i) स्थाई (ii) स्थानापन्न यदि कोई हो।

(ख) प्रारम्भकत्ता प्राधिकारी द्वारा टिप्पणिया—

(1) सरकारी कमचारी के चरित्र व गत आचरण के बारे म अच्छा/ठीक उदासीन/बुरा

(2) निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण

(3) अन्य कोई टिप्पणी

(4) प्रदत्त प्राधिकारी की विशिष्ट राय कि आया क्लेम की गई सेवा सिद्ध होती है एव क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नही

(ग) पेन्शन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश—

निम्न हस्ताक्षरकर्ता स्वय इस बात से सतुष्ट होकर कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...
कि सेवा पूर्णतया सन्तोषजनक रही है एतद्द्वारा पूर्ण पेंशन मृत्यु एव सेवा निवृत्ति उपदान, सेवा उपदान जो नियमो के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकार्य हो की स्वीकृति के लिए एतद्द्वारा आदेश देता है।

या

निम्न हस्ताक्षरकर्ता स्वय इस बात से सतुष्ट हो कर कि श्री/श्रीमती/कुमारी ... की सेवा पूर्णतया सतोषजनक नही रही है एतद्द्वारा यह आदेश देता है कि पूर्ण पेंशन एव/या उपदान जो नियमो के अधीन महालेखाकार द्वारा स्वीकार्य हो, म से निम्न विनिर्दिष्ट राशि या नीचे दिखाई गई प्रतिशत की कटौती की जाएगी —

पेंशन मे कमी की राशि या प्रतिशत

उपदान म कमी की राशि या प्रतिशत

पेंशन एव/या उपदान की स्वीकृति दिनाक से प्रभावी होगी

(घ) श्री/श्रीमती की मृत्यु की दशा म रु की परिवार पेंशन जो कि नवीन परिवार पेंशन नियमो के अन्तर्गत स्वीकार्य है श्रीमती/श्री को स्वीकार्य होगी।

(ङ) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 268 छ के अनुसार उन दो माह की परिलब्धिया या वेतन, जैसी भी स्थिति हो के बराबर का उपदान के भाग का अभ्यर्पण करना होगा। श्री/श्रीमती को भुगतान योग्य उपदान म से आवश्यक वसूली कर ली गई है/की जाएगी।

[1](च) जब तक सरकारी बकायो का निर्धारण एव समायोजन नही हो जाता है तब तक के कारण रु की राशि उपदान म से रोकी जानी है।

यह आदेश इस बात के अधीन है कि यदि यथा प्राधिकृत पेंशन एव/या उपदान की राशि बाद म उस राशि से अधिक पाई जाय जिसके लिए नियमो के अधीन पेंशनर हकदार है, उसे अधिक राशि को वापिस करने के लिए कहा जाएगा।

तारीख पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद नाम

(उन सरकारी कर्मचारियो के मामले म भरा जाए जिन पर अध्याय 25 का अनुभाग 3 लागू होता है)

नियम 292 म दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किए जाने वाले अनन्तिम पेंशन एव उपदान का विस्तृत विवरण—

प्रोविजनल पेंशन र प्रति माह

उपदान (प्रपत्र पी 2 के आइटम स 16 के सामने वर्णित पूर्ण उपदान का 3/4 भाग) र

घटाईये—(I) नवीन परिवार पेंशन योजना म अभ्यर्पण रु ,,
(प्रपत्र का आइटम 3 (ङ) देखिए)

(II) सरकारी बकाया के समायोजन के लिए रोकी गई राशि
(देखिए प्रपत्र का आइटम च) रु ,,

प्रोविजनल रूप से भुगतान की जाने वाली उपदान की शुद्ध राशि रु ,,

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष

(देखिए नियम 290 (2)) प्रपत्र पी 4

सरकारी कर्मचारी के पेंशन कागजातो को महालेखाकार के पास भेजने का प्रपत्र

सख्या

राजस्थान सरकार

विभाग कार्यालय

दिनाक

प्रेषिती—

महालेखाकार राजस्थान

महोदय

---

1 उपदान की कोई राशि रोके जाने की आवश्यकता नही है यदि सरकारी कर्मचारी ने नकद राशि जमा करादी हो या नियम 296 के अनुसार स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत दे दी हो।

मैं इस कार्यालय/विभाग के श्री/श्रीमती/कुमारी के पेंशन कागजातों को इस सूची के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद्सह भेज रहा हूं।

[1]2 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (नाम व पद) जो कि स्थाई राजकीय कर्मचारी है, के द्वारा जमानत Surety फार्म P 6 में, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 296 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हो गई है और विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष " (अधिकारी का पद व नाम) के पास सुरक्षित है।

(यदि अवांछित हो तो पैरा 2 काट दीजिये।)

भवदीय हस्ताक्षर
पदनाम

संलग्नकों की सूची – 1 प्रपत्र पी 2 सेवा आदि के विशेष विवरण के साथ तथा प्रपत्र पी 3 जो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश में सम्मिलित है।

2 (यदि केस इनवैलिड पेंशन के लिए हो तो) इनवैलिडेशन के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र।

3 कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत पूर्ण एवं अनुप्रमाणित सेवा पुस्तिका।

4 पेंशन के लिए औसत परिलब्धियां गिने जाने का ज्ञापन।

5 अंतिम वेतन प्रमाण पत्र।

6 (क) दो नमूने के हस्ताक्षर जो राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित हो या यदि सरकारी कर्मचारी अपने नाम के हस्ताक्षर करने में पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं है तो दो पर्चियां जिन पर उसके अंगूठे एवं अंगुलियों की निशानी हो जो राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, तथा

(ख) पति/पत्नी के साथ की पासपोर्ट साइज के फोटो की तीन प्रतियां जो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित हो।

7 प्रपत्र पी 1 में पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र।

8 प्रपत्र पी 2 व प्रपत्र पी 3 के भेजने में सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत्ति होने की तारीख से एक माह से अधिक का विलम्ब, यदि कोई हो का स्पष्टीकरण।

9 जब सेवा पुस्तिका में अन्य कार्यालय में की गई सेवा का तथ्य संतोषजनक ढंग से ज्ञात न हो तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित सारांश प्रपत्र।

10 आवेदक का विवरण तथा नियम 288 (ग) में यथापेक्षित सहवर्ती साक्ष्य जो पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई हो।

11 कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अवकाश प्रमाण पत्र तथा साथ में अन्य विभागों से प्राप्त अवकाश प्रमाण पत्र।

प्रपत्र पी 5

(राजस्थान सेवा नियमों का नियम 2 2 (1))

राजस्थान सरकार

अनन्तिम (Provisional) पेंशन एवं उपदान के आहरण के लिए बिल

बिल संख्या

वाउचर संख्या ..
सूची संख्या ....

– मुख्य शीर्ष ..
लघु शीर्ष
विस्तृत शीर्ष

निम्न नामांकित व्यक्तियों को अनन्तिम पेंशन एवं उपदान के वितरण के लिए .. रु की राशि सरकारी कोषागार से प्राप्त हुई।

स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	पेंशनरों के नाम	अवधि	पेंशन की दर	पेंशन/उपदान की राशि

1 वित्त विभाग की अधिसूचना सं एफ 1 (77) वि वि (नियम)/69 दि 27 10 1971 द्वारा निविष्ट एवं 1 6-1970 से प्रभावशील।

राशि (शब्दों एवं अंकों में)
हस्ताक्षर
पद

दिनांक

आहरण कर्त्ता द्वारा पृष्ठांकन

कृपया श्री ... को भुगतान करें। इनके नमूने के हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं—

हस्ताक्षर
नमूने के हस्ताक्षर पद
अनुप्रमाणित तारीख

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

कोषागार में उपयोग के लिए

बैंक/कोषाध्यक्ष
रु० ... (शब्दों में) का भुगतान करें।
जांच की एवं दर्ज किया कोषागार अधिकारी
लेखाकार दिनांक
जिला

कोषागार के लिए ... रु का भुगतान किया दिनांक ... को।
प्राप्त कर्त्ता को दिया भुगतान प्राप्त किया दिनांक ...
बैंक के लिए रु का भुगतान किया दिनांक ...

बैंक की मोहर
कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर प्रबन्धक

महालेखाकार के कार्यालय में उपयोग हेतु

वर्गीकरण
स्वीकार किया
आपत्ति की
अंकेक्षक अधीक्षक जांच आफीसर

अनुदेश—

1 यह प्रपत्र अनन्तिम पेंशन/उपदान की राशि [1][बारह] माह तक की अवधि के लिए या महालेखाकार द्वारा अनन्तिम पेंशन के लिए अधिकृत किए जाने की तारीख तक जो भी पूर्व में हो, पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर राशि प्राप्त करने के काम में लिया जायगा।

2 बिल अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों [1][और नियम 286 क के अधीन निहित राजपत्रित अधिकारियों] को अनन्तिम पेंशन/उपदान के भुगतान की व्यवस्था करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरित किया जायगा।

3 पेंशन की प्राप्ति रसीद बिल की कार्यालय प्रति पर भुगतान करते समय कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ली जाएगी।

4 पेंशनर को किए गए भुगतानों के विस्तृत विवरण की सूचना हर माह की 7 तारीख तक महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को पृथक से भेजी जाएगी।

प्रपत्र संख्या पी 6

(नियम 296)

जमानत पत्र का प्रपत्र

---

1 आज्ञा स एफ 1 (52) वि वि (श्रे 2) 74 I दि 1-9-1975 द्वारा अनुदेश 1 में 6 के स्थान पर बारह प्रतिस्थापित तथा अनुदेश 2 में अराजपत्रित कर्मचारियों के आगे 'और नियम राजपत्रित अधिकारियों जोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता, सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) से बकाया नही प्रमाण पत्र क प्रस्तुत किए बिना ही श्री/श्रीमती के अन्तिम लखा को तय करन हेतु राजस्थान के राज्यपाल क (जिसे एतद्पश्चात सरकार कहा जाएगा तथा जिस अभिव्यक्ति म उसके उत्तराधिकारी या अभिहस्तांकिती भी शामिल हैं) सहमत होन के फलस्वरूप उक्त श्री द्वारा किराये के तथा सरकार द्वारा उसे इस समय आवटित आवास भवन के सम्बन्ध मे अन्य बकाया क तथा सरकार द्वारा समय समय पर उक्त श्री को आवटित की जान वाली या की गई किसी आवास सुविधा के सम्बन्ध म बकायो के भुगतान के लिए, मैं एतद्द्वारा जामिन (जिस व्यक्ति म मरे उत्तराधिकारी, निष्पादक एव प्रशासनिक शामिल होगे) उपस्थित होता हू । मैं, जामिन उक्त आवास सुविधा के रिक्त अधिकार जो सरकार को सौंप जाने तक होन वाले समस्त नुकसानों एव हानिया के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करन के लिए सहमत हू तथा उसके लिए प्रतिवचन देता हू ।

मैं एतद् द्वारा वाहन भवन निमाण या अन्य प्रयोजनो के लिए वेतन, भत्तो अवकाश वेतन के अग्रिमभुगतान के रूप म सरकार के उक्त पर बकाया होने वाली किसी भी राशि या अन्य ऋण का भुगतान के लिए जामिन उपस्थित होता हू ।

मेरे द्वारा किया गया यह वचन उक्त श्री को समय मे वृद्धि स्वीकार करने या अन्य कोई उदासीनता बरत जान के कारण समाप्त नहीं होगा या किसी रूप म प्रभावित नहीं होगा ।

यह जमानत नामा निम्न समय तक प्रभावशील रहेगा –

(i) उक्त के पक्ष म अधिशासी अभियन्ता, सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) द्वारा (No Demand Certificate) बकाया नही प्रमाण पत्र' जारी नही किया जाए ।

(ii) कार्यालयाध्यक्ष ने जिसके पास उक्त श्री अन्तिम समय नियोजित थे तथा यदि वह वेतन एव भत्ते राजपत्रित सरकारी कमचारियो के बिल प्रपत्र पर उठा रहे थे तो सम्बन्धित अंकेक्षा अधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि उक्त श्री से सरकार की कोइ बकाया नहीं है ।

इस विलख पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाऐगा ।

जामिन के हस्ताक्षर

उक्त जामिन द्वारा निम्न की साक्षी म आज दिनाक माह वष को पर हस्ताक्षर किय गये एव सौंपा ।

1—साक्षी के हस्ताक्षर
पता एव व्यवसाय
2—साक्षी क हस्ताक्षर
पता एव व्यवसाय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती एक स्थाई सरकारी कमचारी है ।

कार्यालय/विभाग के जिसम जामिन नियुक्त है,
अध्यक्ष के हस्ताक्षर

यह बन्धपत्र एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

(हस्ताक्षर एव पद नाम)
राज्यपाल के लिए एव उसकी ओर से

—————

अध्याय 26

पेंशनों का भुगतान (Payment of Pensions)

साधारण मामला मे भुगतान की तारीख—विशेष आदेशो को छोड़कर अध्याय 24 के अन्तर्गत

नियम **301** असाधारण पेन्शन के अतिरिक्त अन्य पेंशन का भुगतान उस तारीख से किया जाता है जिसको कि राज्य कर्मचारी स्थापन वर्ग में कार्य करना बन्द करता है या जिस तारीख को वह प्रार्थना पत्र देता है इनमें से जो भी बाद में हो। इस दूसरे प्रकार के प्रावधान करने का उद्देश्य प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी को बचाना है। जब देर करने के कारणों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है तो पेन्शन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस सम्बन्ध में नियम में रियायत भी कर सकता है।

विशेष मामलो मे भुगतान की तारीख—पूर्वोक्त नियम साधारण पेन्शन के मामलो पर लागू होता

नियम **302** है न कि विशेष मामलो में। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में, राज्य कर्मचारी के सेवा से निवृत्त होने के पर्याप्त समय बाद उस पेन्शन स्वीकृत की जाती है तो उसे स्वीकृत करने वाली सरकार के आदेशो के बिना पूर्व प्रभाव से (Retrospective effect) नहीं दिया जाना चाहिए। विशेष आदेशों के अभाव में ऐसी पेंशन उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होती है।

असाधारण पेंशन के भुगतान की तारीख—यदि किसी मामले में असाधारण पेन्शन के लिए प्रार्थना

नियम **303** पत्र देने में पर्याप्त रूप से विलम्ब किया गया हो तो वह मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट की तारीख से स्वीकृत किया जावेगा तथा ग्रेच्युटी या पेन्शन के लिए कोई प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा यदि वह घाव या चोट लगने से पाँच साल के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

नियम **304** वि वि आज्ञा स F 7A (41) F D A (Rules)/59 दि 31 3 61 द्वारा विलोपित।

एक मुश्त भुगतान करने योग्य ग्रेच्युटी (Gratuity payable in lump sum)—महालेखाकार की

नियम **305** आज्ञा प्राप्त होने पर ग्रेच्युटी एक मुश्त दी जाती है न कि किश्तो में।

पेंशन के भुगतान के लिए प्रक्रिया (Procedure of payment of pension)—ट्रेजरी

नियम **306** नियमों (परिशिष्ट संख्या 25) में दिए गए नियमो के अनुसार पेन्शन का भुगतान आगामी माह की हर प्रथम तारीख को या उसके बाद किया जावेगा।

टिप्पणीयां—(1) पेन्शन पेमेंट आर्डर प्राप्त करने पर वितरण अधिकारी उसका आधा भाग पेंशनर को दे देगा तथा अन्य आधे भाग को इस तरीके से सावधानी पूर्वक अपने पास रखेगा कि पेंशनर उसे प्राप्त न कर सके।

(2) प्रत्येक भुगतान का इन्द्राज पेंशनर के आधे व वितरण अधिकारी के आधे पेमेंट आर्डर पर पीछे की तरफ इन्द्राज किया जावेगा।

(3) सरकार के विशेष आदेशों के बिना किसी भी रूप में एक साल से अधिक समय की बकायों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में प्रथम बार में नहीं किया जाना चाहिए।

(4) पेंशन उस रोज की भी दी जावेगी जिसको कि वह मरता है।

पहचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति (Personal appearance for identification)—नियम के

नियम **307** रूप में एक पेंशनर को पेंशन पेमेंट आर्डर से तुलना करके पहिचान करने के बाद व्यक्तिगत रूप से पेंशन की रकम प्राप्त करनी चाहिए।

टिप्पणी—वितरण अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठित पेंशनर को निजी रूप में पहिचाना जा सकता है तथा उसे सार्वजनिक कार्यालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती है।

व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट (Exemption from personal appearance) एक पेंशनर

नियम **308** जो सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए मुक्त कर दिया हो, एक महिला पेंशनर जो जनता में आने की अभ्यस्त न हो या एक पेंशनर जो

शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण उपस्थित होने मे असमर्थ हो वह अपनी पेंशन अपने जीवित होने के प्रमाण पत्र पर किसी उत्तरदायी सरकारी अधिकारी द्वारा या अन्य प्रसिद्ध तथा विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने पर प्राप्त कर सकता है या कर सकती है।

टिप्पणी—इस नियम के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति सरकार द्वारा एक ऐसे अधिकारी को दी जा सकती है जो कि एक जिले में जिलाधीश के पद से कम पद का नहीं हो।

जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर्ता प्राधिकारी (Authorities for signing a life certificate)

नियम **309** किसी भी प्रकार का एक पेंशनर जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अन्तर्गत नियुक्त किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित या किसी पेंशन प्राप्त कर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, जो कि सेवा निवृत्ति के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपभोग करता था या किसी मुंसिफ द्वारा या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या कम से कम एक पुलिस स्टेशन के सब इन्सपेक्टर इन्चार्ज के पद से पुलिस अधिकारी द्वारा या एक मास्टर द्वारा या एक विभागीय उप पोस्ट मास्टर या पोस्ट आफिस के एक इन्सपेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त किया जा सकता है।

[1]सरकारी निर्णय—विषय-पेंशन स्वीकृत करने तथा उसका भुगतान करने मे देरी को बचाना

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 309 के अनुसार पेंशन का प्रत्येक क्लेम जो कि नियम 312 में वर्णित मामलों (अर्थात् ऐसे मामले जिनमें पेंशन प्राधिकृत एजेन्ट के जरिए उठाई जाती है) को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया हो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के साथ होना चाहिए।

यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में नियम 312 के अधीन प्राधिकृत एजेन्टों के जरिए पेंशन के भुगतान के मामलों को छोड़कर, जीवन प्रमाण पत्र छह माह में एक बार ऐसे मामलों में प्राप्त किया जाएगा जहां भुगतान किसी एजेन्ट को या पेंशनर के प्रतिनिधि को किया जाना चाहा गया हो तथा वह नियम 309 की शर्त के अनुसार उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्राप्त न किया जाता हो।

एक एजेन्ट द्वारा पेंशन प्राप्त करना (Drawing of pension through an agent)—

नियम **309क** जब एक पेंशनर अपनी पेंशन एक एजेन्ट या प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त करता है तो क्लेम के साथ पेंशनर की एक लिखित आज्ञा उसके द्वारा मनोनीत एजेन्ट या प्रतिनिधि को उसके पक्ष में पेंशन देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में 'पेंशनर द्वारा' भुगतान प्राप्त किया गया एन्डोर्समेंट स्वयं किया जाना चाहिए एवं एक अलग रसीद जिस पर स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं है एजेन्ट या मनोनीत व्यक्ति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वास्तव में प्राप्त किए भुगतान की साक्षी में हस्ताक्षर कर दी जावेगी।

टिप्पणी—(1) प्रत्येक भुगतान के सम्बन्ध मे जीवन प्रमाण पत्र एवं पेंशनर द्वारा हस्ताक्षरित एक रसीद प्रस्तुत करने पर इस नियम के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करने वाला एक एजेन्ट या प्रतिनिधि के लिए नियम 312 (ख) के अर्थ में सरकार की सहमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।

(2) यदि पेंशनर राजपत्रित अधिकारी की स्थिति मे पुनर्नियुक्त हुआ हो तो किसी एक ट्रेजरी से, जहां से पेंशन प्राप्त की जाती है, किसी माह के वेतन के वास्तविक भुगतान के तथ्यों को उस ट्रेजरी से उस माह के लिए पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उचित जीवन प्रमाण पत्र के रूप में समझा जावेगा।

वर्ष मे एक बार पेंशनर के जीवित रहने का सत्यापन करना (Verification of continued existence of a Pensioner once a year)—

310 (क) नियम 308 व 309 में वर्णित सभी मामलों में धोखे (Impositions) से बचने के लिए वितरण अधिकारी को सावधानी बरतनी चाहिए तथा साल में कम से कम एक बार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रभाव के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित रहने के बारे में प्राप्त करना चाहिए।

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (15) एफ डी (व्यय नियम) 67 दिनांक 6-2-67 द्वारा निविष्ट।

(ख) इस काय के लिए उसे (केवल उन मामला को छोडकर जिनम व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाना चाहिए तथा उन सभी पेंशनरा की पहिचान करनी चाहिए (उन महिलाग्रा के अतिरिक्त जा जनता म ग्रान की अभ्यस्त नही है) जो कि इस प्रकार की उपस्थिति म शारीरिक बीमारी या दोष के कारण असमथ न हो, एव सभी मामला म जहा इस प्रकार की असमथता व्यक्त की गई हो उनसे पेंशनर के जीवित हान के प्रमाण के प्रस्तुत किये जान के अतिरिक्त अन्य प्रमाण और प्रस्तुत किए जान के लिए कहा जाना चाहिए।

टिप्पणी—किसी प्रकार के गलत भुगतान के लिए वितरण अधिकारी स्वय जिम्मेदार है। सन्देह के मामले म उस महालेखाकार की सलाह लेनी चाहिये।

पुलिस पेंशनर की पहिचान—पुलिस पेंशनरा को पेंशन का भुगतान इस खण्ड के नियमो के अनुसार

311 किया जाता है परतु यदि वितरण अधिकारी पेंशनर के पहिचानने म किसी प्रकार का सन्देह करता है तो वह पुलिस के स्थानीय इन्सपेक्टर स उसके पहिचान के बारे मे पूछ सकता है। इन्सपेक्टर तब पेंशनर की सही पहिचान के लिए उत्तरदायी होगा।

एक प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा पेंशन प्राप्त करना (Drawing of pension through an

नियम **312** authorised agent)—(क) एक पेंशनर जो भारत म नहीं रहता हो वह अपने उचित प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा भारत म किसी भी ट्रेजरी द्वारा अपनी पेंशन प्राप्त कर सकता है जिसे प्रत्येक अवसर पर मजिस्ट्रेट एक नोटेरी एक बैंकर या एक भारत के राजनतिक प्रतिनिधि द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र इस सम्बन्ध का प्रस्तुत करना चाहिए कि जिस तारीख को उसकी पेंशन क्लेम की गई है उसका पेंशनर जीवित था या उस अधिक किए जाने वाले भुगतान को लौटाने का बोड भरना चाहिए तथा कम से कम वष म एक बार उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(ख) किसी भी प्रकार का एक पेंशनर जो भारत म रहता हो तथा व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त कर दिया गया हो यदि वह सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा या एक ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे सरकार द्वारा शक्ति प्रदान कर दी गई है, अपनी पेंशन प्राप्त करता है तो उसे अधिक भुगतान की रकम लौटाने के लिए बोड भरना पडेगा एव कम से कम साल म एक बार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडेगा जो कि ऐसे प्रमाण पत्र पर नियम 309 के अन्तगत हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है।

सरकारी निणय—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 312 (ख) म प्रस्तुत सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्राधिकृत एजेन्ट के द्वारा वाक्य की व्याख्या के सम्बन्ध म सन्देह उत्पन्न किया है। मामले पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निणय किया गया है कि द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्राधिकृत अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो कि पेंशनर का ... करने के लिए उचित कानूनी आज्ञा (एटोर्नी की शक्ति) प्राप्त करता तथा सरकार द्वारा मान लिया जाने के बाद राजस्थान सेवा नियमो के नियम 312 (ख के प्रयोजन के लिए ... म काय करता है।

टिप्पणी—किसी भी शर्तों के आधार पर जिन्हे वह लगाना उचित समझे ... जिलाधीशो को इस नियम के अन्तगत एजेन्ट अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान कर ...

(ग) एक अधिकारी की पेंशन जो अपने एक ऐसे एजेन्ट के द्वारा प्राप्त ... अधिक भुगतान की रकम को लौटाने का बोंड भरना पडता है अन्त मे प्राप्य किए पत्र की तारीख से एक साल स अधिक समय के लिए नही दी जानी चाहिये एव वितरण अधिकारियो को एक पेंशनर की मृत्यु की प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने ... चाहिये एव उसके प्राप्त हान पर अग्रिम भुगतान उसी समय एकदम बन्द कर देना ...

सरकारी निणय—यदि पेंशनर राजपत्रित कमचारी की हैसियत से सेवा ... जाता है तो किसी एक ट्रेजरी से जहा से वेतन प्राप्त करता है किसी माह के ... के तथ्य को उस ट्रेजरी के उस माह के लिए पेंशन देने के प्रयोजन के लिए ... के रूप म समझा जावगा।

भारत मे एक कोषागार से दूसरे कोषागार मे भुगतान का हस्त ...

नियम **3** Payment from one Treasury in India t... कार या महालेखाकार प्रायना पत्र प्रस्तुत करने पर ...

करने पर भारत म एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी मे भुगतान को हस्तान्तरित करने की आज्ञा दे सकता है। सरकार अपन इस क्षेत्राधिकार को किसी एक प्रशासनिक अधिकारी को सौंप सकती है जो कि किसी जिलाधीश या अ य जिला अधिकारी स नीचे के पद का न हो।

सरकारी निर्णय—महालेखाकार राजस्थान ने सुझाव दिया था कि राजस्थान सरकार के बैंक सम्बन्धी लेन देन का प्रभार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ले लने के परिणाम स्वरूप अब उसके लिए राजस्थान सरकार के पशनरा का जो कि राजस्थान के बाहर रहते हैं इस सरकार के नाम लिखे जाने वाली पेंशना के भुगतान सम्बन्धित महालेखाकार द्वारा किया जाना सुविधाजनक हो गया है एव ऐसे पेंशन सम्बन्धी व्यया का आडिट बाद के महालेखाकार द्वारा किया जावेगा और नामें की रकमा का इन्द्राज बिना वाउचरो एव विशेष विवरणा के ही रेमिटे श एकाउन्ट म कर दिया जावेगा। इसलिए मामला को राजस्थान सरकार से आपसी समझौते म शामिल होने के लिए अ य सरकारो के पास भेजा गया था एव इसके फलस्वरूप आ ध्र प्रदेश, उडीसा पजाब बिहार मद्रास बम्बई, उत्तर प्रदेश आसाम, पश्चिम बगाल एव मसूर की सरकारें उक्त तरीके का पूव प्रभाव से अपनाने के लिए सहमत हो गई हैं।

इसलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बाहर राज्य पेंशना के भुगतान के बारे म पूर्वोक्त अवतरण म दिए गए तरीको को अपनाने मे अपनी स्वीकृति द दी है।

[1]टिप्पणी—जब कोई पेंशनर भारत मे एक कोषागार से दूसरे कोषागार म अपनी पशन के भुगतान का स्थानान्तरण करन हेतु महालेखाकार का या कोषागार अधिकारी को आवेदन करता है तो कोषागार अधिकारी परा 175 क म प्रावहित किय गये के सिवाय तथा एस मामलो म जहा पेंशनर ने उससे आथारिटी प्राप्त करन पर महालेखाकार को इस प्रकार म आवेदन किया है, पेंशन पेमेंट आर्डर के दोना हाल्वस (Halves) को महालेखाकार के पास भेजगा। जहा भुगतान राज्य के बाहर कोषागार स चाहा गया हो वहा दो पर्चिया जिनम पेंशनर क नमून के हस्ताक्षर या अ गूठे व अ गुलियो की निशानी होगी, पेंमेंट आडर के साथ महालेखाकार का भेजी जाएगी।

□व्याख्यात्मक टिप्पणी

राजस्थान कोषागार सहिता (Raj Treasury Manual) के परा 175-क के अनुसार एक कोषाध्यक्ष (T O) अपन कोषागार स राज्य के भीतर किसी दूसर कोषागार म महालेखाकार के हस्तक्षेप के बिना ही पेंशन का भुगतान स्थानान्तरित कर सकता है। इसके लिये पेंशन भागी को कोषाध्यक्ष के यहा प्रार्थना पत्र दना होगा।

नियम 314 (क) पूर्वोक्त नियम के अ तगत राज्य कमचारी द्वारा या अ य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार को भेजनी चाहिए एव उस जिल के जिलाधीश को जहा स कि भुगतान का स्थानान्तरण किया जाना है पेंशन पेंमेंट आडर को लौटाने के लिए निर्देश देना चाहिए।

(ख) महालेखाकार इसके बाद या तो नया पेंमेंट आर्डर जारी करेगा या उस पेमट आर्डर को नये ट्रेजरी मे भुगतान करन के लिए अ कित करेगा तथा उसे उस कोषाधिकारी के पास भेजगा जो कि भविष्य म पेंशन का भुगतान करेगा या यदि ट्रेजरी अ य प्रान्त म हो, तो उस प्रान्त के महालेखाकार को ऐसा करने के लिए लिखेगा।

नियम 315 एक जिला कोषागार के अधीन एक कोषागार से दूसरे कोषागार मे भुगतान का स्थानान्तरण (Transfer of Payment from one Treasury to another under a District Treasury)—एक कोषाध्यक्ष अपन मुख्यालय पर यथोचित आज्ञा के अनुसार भुगतान करने योग्य पेन्शन का अपनी जिला ट्रेजरी के अधीनस्थ बाहर की किसी भी ट्रेजरी को, भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है एव एसी अधीनस्थ ट्रेजरी से जिला ट्रेजरी म या उसी जिले म एक अधीनस्थ ट्रेजरी से दूसरी अधीनस्थ ट्रेजरी मे पेन्शन के भुगतान को स्थानान्तरित कर सकता है।

नियम 316 सेवा नहीं करने का प्रमाण पत्र (Certificate of Non employment)—(क) भारत म पेन्शन प्राप्त करने वाले पेन्शनर के लिए अपने बिल के साथ निम्नलिखित एक प्रमाण पत्र सलग्न करना पड़ता है—

1 वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एफ 14 (3) वित्त वि/नियम 68 दि 26-2-70 द्वारा ।

'मैं घोषणा करता हू कि मैंने किसी सरकार या स्थानीय निधि के अधीन उस समय म जिसके लिए कि इस बिल से पेन्शन की बकाया राशि क्लेम की गई है, किसी भी रूप म सेवा का कोई पारिश्रमिक प्राप्त नही किया है।"

(ख) यदि अध्याय 28 के अन्तगत एक पेंशनर का पुनर्नियुक्ति के बाद पेंशन प्राप्त करन की आज्ञा दे दी जाती है तो इस प्रमाण पत्र को तथ्यो के अनुसार सशोधित कर लेना चाहिए।

(ग) यदि एक पेंशनर एक एजेन्ट की माफत अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा हो जिसने कि सामान्य वित्तीय नियमो द्वारा चाहे गए अनुसार प्रतिज्ञा पत्र (बौंड) भर दिया है वहा उक्त प्रमाण पत्र को सशोधित कर उस पर एजेंट के हस्ताक्षर करन चाहिये। परन्तु शत यह है कि पेंशनर स्वय साल म एक बार प्रमाण पत्र पेश करेगा जो कि उस समय के लिए होगा जिसम कि एजेंट के प्रमाण पत्रो के आधार पर पेंशन प्राप्त की गई थी।

पेंशन भुगतान आदेश का नवीनीकरण (Renewal of pension payment order)—

नियम **317** जब पेंशन पेमट आडर का पिछला भाग पूण भर जाता है तथा जब पेंशन का आधा भाग जीण क्षीण अवस्था म हो जाता है तो दोना भाग कोषाधिकारी द्वारा नए जारी किए जा सकत हैं।

खो जाने पर नया पेन्शन भुगतान आदेश जारी करना यदि पेंशनर का अपना पेंशन पेमट आडर का आधा भाग खो जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा एक नया आदेश जारी

नियम **318** किया जा सकता है। उसे यह देखना चाहिये कि नियम 306 के अन्तगत टिप्पणी सख्या (2) का कठोरतापूवक पालन करते हुए उसके खोए हुए आधे भाग पर कोई भुगतान नही किया गया है। टेजरी म तयार किए गए रजिस्टर के विशेष टिप्पणी कालम मे इस सम्बन्ध की आवश्यक टिप्पणी लिख देनी चाहिए।

समयातीत होना एव समाप्त किया जाना (Lapses and forfeiture)

भुगतान कब बन्द किया जावे (When ceases to be payable)—यदि भारत म प्राप्त

नियम **319** की जान वाली पेंशन एक साल से अधिक समय तक प्राप्त नही की जावे तो पेंशन का देना बन्द कर दिया जावे।

पेन्शन के बकायो का भुगतान (Payment of arrears of pension)—यदि पेन्शनर इसके

नियम **320** बाद उपस्थित होता है तो वितरण अधिकारी उसके भुगतान को फिर से चालू कर सकता है परन्तु बकायो का भुगतान नही किया जा सकता है यदि पन्शन की बकाया प्रथम समय के लिए चुकानी हो या बकायों की राशि 1000) रु० से अधिक हो तो इसके लिए उस अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी जिसके द्वारा पेंशन की स्वीकृति महालेखाकार के जरिए प्राप्त करने के लिए दी गई थी।

यदि भुगतान का निलम्बन किसी सावजनिक अधिकारी की गलती या उदासीनता के कारण हो तो

नियम **321** महालेखाकार सरकार के आदेश प्राप्त किए बिना बकायो के भुगतान के लिए निर्देश दे सकता है।

मृत पेंशन प्राप्तकर्त्ता (Deceased pensioners)

मृत व्यक्तियो के उत्तराधिकारियो को पेंशन का भुगतान—(क) पशनर की मृत्यु हो जाने पर

नियम **322** वास्तविक रूप से बकायो का भुगतान उसके उत्तराधिकारियो क लिए किया जा सकता है बशर्ते कि वे इसके लिए उसकी मृत्यु की तारीख से एक साल के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इसके बाद यह उस अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान नही की जावगी जिसके कि द्वारा पेंशन महालेखाकार के जरिए प्राप्त करने हेतु स्वीकृत की गई थी।

टिप्पणी—सरकार द्वारा स्वीकृत की गई पेंशनो के मामलो मे इस नियम के अन्तगत शक्तिया विभागो के अध्यक्षो एव अन्य अधीनस्थ अधिकारियो को प्रदान की जा सकती।

(ख) परन्तु यदि बकाया 100) रु० से ज्यादा न हो तथा मामले मे कोई विशेष बात नही दी हुई हो तो महालेखाकार स्वय की आज्ञा से उसके बकायों को देने म सक्षम है।

(ग) पेंशन के बकाया के भुगतान की चुकने के बाद पेंशन पेमट आडर महालेखाकार क पास पेंशनर की मृत्यु की तारीख की सूचना के साथ भिजवा दिया जाना चाहिये।

मृत पेंशनर की बकायो का उसके उत्तराधिकारियो के लिए भुगतान—पूर्व नियम के प्रावधानो

नियम 323 की शर्त पर मृत पेंशनर के पेंशन की बकाया जिलाधीश या मुगतान के लिए उत्तरदायी अन्य अधिकारी के आदेशा के अन्तर्गत 500) रु० की सीमा तक बिना किसी वध प्रमाणिकता के प्रस्तुत किए मृत पेंशनर के उत्तराधिकारियों को, उसके दावो के अधिकार एव टाइटिल को पर्याप्त समझते हुए जाच करने के बाद चुकाई जा सकती है। 500) रु० से अधिक की राशि के किसी भी मुगतान के लिए, सरकार के आदेशा क अधीन समान रूप से एक प्रतिना पत्र एसी जमानत के साथ जो चाही गई हो, भरा जाकर किया जावेगा। यदि काम करन वाले के अधिकार एव टाइटिल स सतुष्टि हो जाती हो तथा यह समझा जाता हो कि प्रशासन के पत्रो को प्रस्तुत करने क लिये आग्रह करने पर अनुचित रूप स देर हो जायेगी तथा आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होगी।

सन्देह के किसी भी मामले म भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाना चाहिये जो वध अधिकार पत्र प्रस्तुत करे।

सरकारी निर्णय--पेंशन मामलो को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए हिजहाईनेस राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि उन व्यक्तियो के मामले म जो 31-12-54 को या उसके पूर्व सेवा निवृत हो रहे हैं उनके लिए राजस्थान सेवा नियमो के नियम 323 में प्रयुक्त धनराशि की सीमा 2000) रु० तक बढाई जा सकती है।

जब सेवा निवृत्ति या सेवा मुक्ति (डिस्चार्ज) किये जाने से पूर्व ही राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाये--यदि एक राज्य कर्मचारी सेवा स वास्तविक रूप म निवृत्त हुये बिना ही या हटा दिये जाने पर मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारियों का उसकी पेंशन के सम्बन्ध म सिवाय उस सीमा तक एव उन शर्तों तक जिनका उल्लेख इन नियमो के अध्याय 22 व 23 म किया गया है कोई क्लेम नहीं होगा।

नियम 324

टिप्पणी—उन मामलो में जहा सम्बन्धित अधिकारी की मृत्यु के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाती है वहा मृत पेंशनर के उत्तराधिकारियो के लिए मुगतान करने के पूर्व पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

अध्याय 27

पेन्शन का रूपान्तरण

[Commutation of Pension]

टिप्पणी—उन पेंशनरो के रूपान्तरण के प्रार्थना पत्र, जो कि उन इकाई नियमो के अन्तर्गत सेवा निवृत हो गए थे जिनके अन्तर्गत यह रूपान्तरण स्वीकार्य था उन रूपान्तरण सूचियों (Commutation table s) के अनुसार निपटाए जावेंगे जो कि राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियो पर लागू होती है। उन पेंशनरों के विषय जो जयपुर सिविल सेवा नियमों एव पूर्व राजस्थान सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवा से निवृत्त हुए हैं एव जिन्होंने पहिले से ही अपनी पेंशन का कुछ भाग रूपान्तरित करा लिया है तो पहिले से रूपान्तरित की गई राशि को राजस्थान सेवा नियमो के अन्तर्गत रूपान्तरित किए जाने के लिए ग्राह्य राशि के निश्चित करने म शामिल किया जावेगा।

पेंशन के रूपांतरण की आज्ञा --राज्य कर्मचारी की प्रार्थना पर स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस शर्त के आधार पर कि पेंशन की रूपान्तरित बकाया राशि (Uncommuted residue) 240) र प्रति वर्ष से कम नहीं होगी एक हिस्से के एक मुश्त भुगतान के लिए रूपान्तरण स्वीकृत कर सकता है जो कि उसी नियमो के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली/या दी गई किसी भी पेंशन के 1/3 भाग से ज्यादा नहीं होगा। परन्तु शर्त यह है कि रूपांतरित अवशिष्ट रकम को गिनने म इसके साथ प्रार्थी को मुगतान करने योग्य किसी अन्य स्थाई पेंशन या पेंशनों के रूपांतरित भाग को भी शामिल किया जावेगा।

नियम 325

भी समय रद्द कर सकता है एव इस प्रकार क तथ्य को छिपाकर दिये जाने वाले बयान को राजस्थान सेवा नियमा के नियम 169 के प्रयोजन क लिए गम्भीर दु य वहार के रूप म समझा जावगा।

टिप्पणिया—(1) रूपातरण के लिए प्रार्थना करने वाला पेंशनर जो एक बार चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर रूपातरण के लिए योग्य व्यक्ति न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है या उस अधिकारी की सिफारिश पर उसकी वास्तविक उम्र म कुछ वर्षो की वद्धि किए जाने के कारण जिसने रूपातरण को स्वीकृत करने से मना कर दिया है उस फिर एक बार अपने खर्चो पर चिकित्सा सम्बन्धी जाच के लिए मूल निर्णय या पुन रिवीजन करने के दृष्टिकोण स स्वीकृति दी जा सकती है। परतु शत यह है कि—

(i) प्रथम एव द्वितीय डाक्टरी जाच की तारीखो के बीच का समय एक साल से कम का नहीं होगा, एव

(ii) दूसरी चिकित्सा सम्बन्धी जाच आवश्यकीय रूप से एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जावगी।

वह तारीख जिसे चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा जाच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा रूपान्तरित की जाने वाली उस पेंशन के भाग की राशि क अन्तर के लिए प्रभावशील होने की तारीख समझी जावगी जिसके लिये चिकित्सा जाच की गई है।

पेंशनर की जाच करने वाले चिकित्सा अधिकारी के पास नियमा के अतिम भाग (Concluding portion of Regulations) म वर्णित प्रमाण पत्रो के साथ म उस चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजनी चाहिए जिसने कि उसकी पहिले जाच की थी।

(2) यदि एक पेंशनर जिसकी अवस्था पेंशन के रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक उम्र स ज्यादा बतलाई गई है नियम 326 (1) के प्रावधान म निर्धारित अवधि क भीतर यह प्रार्थना करता है कि रूपातरण की जाने वाली राशि कम कर दी जावे तो इस प्रकार का निवेदन उसके प्रार्थना पत्र को अस्थाई रूप स वापिस करने के रूप म समझा जावेगा तथा उसे रूपातरण के लिए एक नये प्रार्थना पत्र के रूप म समझा जावेगा।

(3) नियम 326 (1) क प्रावधान के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलो म चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा रिपोर्ट की प्रतिलिपि या रूपातरण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि की ग्रान्टिंग आफिसर द्वारा सूचना (उस मामले मे जहा पेंशनर की अवस्था रूपातरण क प्रयोजन के लिए 5 वर्ष स अधिक बढा दी गई हो) यदि डाक द्वारा भेजी जाव तो आवश्यकीय रूप मे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए तथा उसके साथ महालेखाकार को प्राप्त होने वाली प्राप्ति रसीद सलग्न की जानी चाहिए।

(4) व्यक्ति जिस इस पेंशन के किसी भाग का जो 25 रु से अधिक नही होगा रूपातरित करने के लिए अ तिम रूप मे स्वीकृति दी जानी है तथा जो यह अनुमान करता है कि पेंशन की अ तिम राशि जिसे वह रूपातरित करने के लिए अधिकृत होगा 25 रु स अधिक हो सकती है तो वह इस तथ्य का उल्लेख अपने आवेदन म उस समय करेगा यदि वह 25 रु से अधिक राशि का रूपातरित करना चाहता हो। ऐसे मामलो म स्वीकृति प्राधिकारी डाक्टरी जाच के लिए उसी प्रकार स व्यवस्था करेगा जस कि मानो रूपातरित की जाने वाली राशि 25 रु प्रतिमाह स अधिक हो। एस मामला म जहा इस तथ्य की ओर निर्देश न हो सरकारी कर्मचारी को उसके पेंशन की राशि क अ तिम रूप से तय होने पर मूल रूप म रूपान्तरित की गई राशि तथा 25 रु के बीच की अन्तर की राशि को रूपातरित करने की आज्ञा दी जाएगी तथा उसम अ तिम डाक्टरी जाच की जरूरत नही होगी यदि रूपातरित कराई गई मूल राशि उपरिनिर्दिष्ट अन्तर की राशि के साथ 25 रु से अधिक न हो। यदि वह राशि 25 रु स अधिक होती है तो आग जो भी राशि रूपातरित कराई जाएगी उसे नवीन रूपान्तरण क रूप म समझा जाएगा तथा डाक्टरी जाच कराए जाने पर स्वीकृत किया जाएगा।

जिस तारीख को चिकित्सा मण्डल मडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा वही तारीख रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन के भाग या राशि के अन्तर क लिए जिसके कि लिए डाक्टरी जाच कराई गई है प्रभावी होगी।

रूपातरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि (Lump sum payable on Commutation)

नियम 327 —रूपातरण पर भुगतान करने योग्य एक मुश्त राशि परिशिष्ट 11 के अनुसार गिनी जावगी। इस नियम क प्रयोजन के लिए अस्वस्थ व्यक्तियो क जीवन क लिए ऐसी आयु मानी जावेगी जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा बतलाई जाने पर उसकी वास्तविक आयु से कम नही होगी। यदि प्रार्थी पर लागू होने वाली वतमान राशियो की सूची,

रूपान्तरण का प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख एव अंतिम रूप मे होने वाले रूपान्तरण की तारीख के बीच म सशोधित हो गई हो तो भुगतान सशोधित सूची के अनुसार किया जावेगा परन्तु यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर रहगा कि यदि उसे सशोधित सूची के स्थान पर पूर्व की सूची ही अधिक लाभप्रद हो तो वह ऐसी सशोधित सूची की सूचना प्राप्त करने से 14 दिन की अवधि के भीतर लिखित म नोटिस देकर अपना प्रार्थना पत्र वापिस ले सकता है।

मृत पेंशनरो के उत्तराधिकारियो के लिए रूपान्तरित राशि का भुगतान—यदि पेंशनर की
नियम 328 मृत्यु उस तारीख को या उसके बाद होती है जिसको कि रूपान्तरण अंतिम रूप म हो जाता है लेकिन वह रूपान्तरित राशि को प्राप्त नही कर सका हो तो यह उसके उत्तराधिकारियो को दी जा सकेगी।

खण्ड 2

पेंशन के रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र—पेंशन के रूपान्तरण के लिए एक प्रार्थना पत्र परिशिष्ट
नियम 329 11 म फार्म 'क' के भाग 1 म किया जाना चाहिए एव निम्न को दिया जाना चाहिए—

(1) यदि प्रार्थी अब भी सेवा मे हो या सेवा निवृत्त हो गया हो परन्तु उसकी पेंशन अभी तक स्वीकृत नही की गई हो तो उसे अपना प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय के अध्यक्ष के जरिए, जिसम वह नियुक्त है या नियुक्त था या यदि वह स्वय कार्यालय का अध्यक्ष है या था तो अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा उसके पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के लिए दिया जावेगा।

(2) अन्यथा उस अधिकारी को महालेखाकार के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रार्थना पत्र यदि नियम 329 मे वर्णित अधिकारी को दिया जाना हो तो उसे शीघ्र ही महा
नियम 330 लेखाकार के पास भेजा जाना चाहिए जो पेंशन के टाइटिल की रिपोर्ट करेगा।

महालेखाकार के कार्यालय की प्रक्रिया—महालेखाकार को बिना किसी प्रकार की देर किए फार्म
नियम 331 'क' के भाग दो को पूर्ण करना चाहिए एव इसे नियम 333 (2) के अंतिम भाग म वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट की प्रतिलिपियो के साथ, यदि वे उसके कार्यालय के रिकार्ड म हो, रूपान्तरण की स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए चाहे उस अधिकारी का नाम भाग 1 म सही रूप म लिखा हुआ हो या नही।

अकेक्षण निर्देशन—अनावश्यक देर से बचने के लिए तथा पेंशनर को नुकसान से बचाने के लिए महालेखाकार को पेंशन के टाइटिल पर औपचारिक रिपोर्ट करने के पूर्व पेंशन के रूपान्तरण की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए यदि इस औपचारिक रिपोर्ट को प्रार्थी के जन्म दिवस की अगली तारीख के पूर्व पर्याप्त रूप से पहिले ही व्यवस्था करने हेतु जारी किया जाना सम्भव नहीं हो। परन्तु शर्त यह है कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन का हिस्सा सम्भावित स्वीकृत की जाने वाली कुल पेंशन की अनुमानित राशि के 1/3 भाग से स्पष्ट रूप से कम होना चाहिए एव सम्भावित पेंशन की अरूपान्तरित बकाया नियम 32९ म निर्धारित सीमा से पर्याप्त रूप से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसे मामले मे पेंशन के औपचारिक रूप से स्वीकृत होने के पहिले रूपान्तरण अंतिम हो जाता है तो रूपान्तरित राशि का भुगतान उस समय तक अधिकृत नही किया जाना चाहिए जब तक कि पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। लेकिन जब रूपान्तरण के नियम की सूचना पेंशनर को भेजी जानी हो तो उसके साथ पेंशन की स्वीकृति मे देरी होने के कारणो से नुकसान होने की सम्भावना की सूचना उसे भिजवा दी जानी चाहिए।

टिप्पणी—जाच निर्देशन उस स्थिति के सम्बन्ध म है जो कि उस समय उत्पन्न होती है जबकि कोई पेंशन स्वीकृत नही की जाती है अर्थात् यह इस अभिप्राय को प्रकट करती है कि पेंशन के रूपान्तरण पर उस समय तक कोई भुगतान नही किया जावेगा जब तक कि पेंशन स्वय स्वीकृत नही हो जाती है। प्रत्याशित पेंशन के सम्बन्ध म प्रत्याशित पेंशनो के रूप म स्वीकृत पेंशन की राशि की स्वीकृति दी हुई समझी जानी चाहिए क्योकि प्रत्याशित पेंशनें हमेशा साधारण रूप म स्वीकार्य पेंशन की राशि से कम पर स्वीकृत की जाती हैं। इसलिए ऐसे मामलो म जिनम कि प्रत्याशित पेंशन का कुछ भाग रूपान्तरित हो जाता है तो जैसे ही रूपान्तरण अंतिम हो जाता है रूपान्तरण की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए एव यह कि एक प्रत्याशित पेंशन के भाग के रूपान्तरण के टाइटिल की सूचना सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजनी चाहिए जिसको कि वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। प्रशासनिक विभागो को प्रत्याशित पेंशन के भाग के रूपान्तरण ...

सूचना भेजते समय अंतिम पेंशन की स्वीकृति म होने वाली देर क कारण का उल्लेख करना चाहिए जिससे कि व यह निर्णय कर सक कि क्या उन्हे किसी विशेष मामल म रूपान्तरण स्वीकार करना चाहिए या नही। अधिक भुगतान की गई एक प्रत्याशित पेन्शन के भाग की रूपान्तरित राशि के पुन भुगतान को प्राप्त करने के लिए आडिट अधिकारी का रूपान्तरण के टाइटिल की रिपोर्ट करते समय सभी मामलो म उसके रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित फार्म म एक घोषणा पत्र सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

घोषणा का प्रपत्र

"चूकि (यहा रूपान्तरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम लिखें) ने मेरी पेन्शन की राशि सरकार द्वारा निश्चित करन हेतु आवश्यक जाच पूरी होन के पूर्वानुमान म तथा रूपान्तरित की जाने वाले उस पेन्शन के हिस्स क पूर्वानुमान म मुझे अस्थाई रूप मे रु की राशि अग्रिम रूप म देने म अपनी सहमति प्रकट की है मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता हू कि इस एडवान्स की राशि स्वीकृत करन म मुझ पूर्णतया ज्ञात है कि अब भुगतान की गई रूपान्तरित राशि आवश्यक औपचारिक जाच पूर्ण होन की शर्त के आधार पर है एव वादा करता हू कि मैं इस आधार पर परिवर्तन में कोई ऐतराज नहीं करूंगा कि प्रत्याशित पेन्शन के हिस्स की रूपान्तरित राशि के रूप मे मुझे भुगतान की जाने वाली प्राविधिक राशि उसस ज्यादा है जिसे कि बाद मे पाने क लिए अधिकृत होऊंगा एव भविष्य म जो राशि मुझे अधिकृत की जावेगी उसस यदि कोई राशि पहिले मुझे अधिक भुगतान की गई होगी तो उस में या तो नकद म या बाद म किए जाने वाले पेंशन भुगतानो मे से काटने के लिए अपने आपको वचन बद्ध करता हू।'

रूपान्तरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Sanction of Commutation)—

नियम 332 रूपान्तरण स्वीकार करन म सक्षम प्राधिकारी के लिए उस पर फार्म क के भाग 3 म अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना चाहिए।

टिप्पणी—रूपान्तरण स्वीकृत करन म सक्षम प्राधिकारी किसी उत्तरदायी अधीनस्थ अधिकारी को अपने स्थान पर फार्म क क भाग 3 मे अपनी प्रशासनिक स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

नियम 333 इसके बाद स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी के लिए—(1) फार्म क के भाग 2 म दिए गए लेखाधिकारी के प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि फार्म 'ख' पर तथा एक प्रतिलिपि फार्म ग की जिसका कि भाग 1 प्रार्थी द्वारा अपनी डाक्टरी जाच के पूर्व भरा जाना है तथा चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जाना है प्रार्थी को भेज दी जानी चाहिए एव

(2) पूर्ण भरे गए फार्म क' को मूल रूप मे फार्म ग' की एक प्रतिलिपि के साथ तथा उस फार्म के भाग 3 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि राज्य क मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी क पास भेजनी चाहिए एव यदि प्रार्थी को अयोग्य पेंशन स्वीकृत कर दी गई है या पूर्व मे अपनी पेंशन का कोई भाग उसकी वास्तविक उम्र म वर्षों के बढ़ाने क आधार पर रूपान्तरित करा लिया है (या रूपान्तरण स्वीकार करन से मना कर दिया है) या उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया है तो पहिले की डाक्टरी जाच की या उसके मामले के स्टेटमेंटों की प्रतिलिपिया भी साथ म सलग्न की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य परीक्षा (Medical Examination)—

नियम 334 नियम 333 की टिप्पणी मे वर्णित मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के लिए जसी भी स्थिति हो नियम 335 म निर्धारित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की चिकित्सा जाच के लिए प्रार्थी के द्वारा फार्म 'क के भाग 1 मे वर्णित स्टेशन से निकटतम स्थान पर प्रबन्ध करना चाहिए एव निर्धारित समय म यथा सम्भव शीघ्रत ही यह जाच की जानी चाहिए तथा प्रार्थी को इसके लिए सीधी सूचना दी जानी चाहिए। मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के लिए फार्म एव अन्य प्रमाण चिकित्सा अधिकारी क पास भेज देने चाहिए।

नियम 335 (1) प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत रूपान्तरण जब अन्तिम रूप म हो जावे तो प्रार्थी की जाच इसके बाद निर्धारित तरीके के अनुसार उचित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

(2) निम्न मामलो मे चिकित्सा अधिकारी इस प्रकार होंगे—

(क) यदि प्रार्थी इन नियमो के नियम 325 द्वारा शासित होता है जिसे कि अयोग्य पेंशन

(Invalid Pension) स्वीकृत कर दी गई है या की जानी है, तो उसके लिए चिकित्सा अधिकारी एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसके समक्ष प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होना है।

(ख) अन्य प्रार्थी के मामले में जब तक कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल राशि पूर्व में रूपान्तरित की गई राशि या राशियों को, यदि कोई हो, मिलाकर 25) रु. हो या उससे कम हो तो उसके लिए चिकित्सा अधिकारी—

(1) या तो एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसके कि सम्मुख प्रार्थी को उपस्थित होना चाहिए यदि ऐसा बोर्ड स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थी के निवास स्थान के उचित निकटतम स्थान पर जांच करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(ii) ऐसे बोर्ड के न होने पर एक पुनर्जांच बोर्ड (Reviewing Board) होगा जो या तो शासन के मुख्यालय पर स्थाई चिकित्सा बोर्ड (Standing Medical Board) होगा या प्रशासन का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (Senior Medical Officer) एवं सिविल सर्जन के पद के बराबर के स्तर का उसके द्वारा मनोनीत किया गया एक चिकित्सा अधिकारी होगा।

यह अधिकारी कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं जीवन की आशा पर सिविल सर्जन द्वारा या उस क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी जिसमें कि वह रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय रह रहा था द्वारा की गई रिपोर्ट का पुनरीक्षण करेगा एवं जांच अधिकारी से आवश्यक सूचना मंगवाकर अपना अन्तिम आदेश देगा।

(ग) यदि राज्य कर्मचारी खण्ड (ग) द्वारा शासित नहीं होता हो एवं जो एक ऐसी राशि के रूपान्तरण के लिए प्रार्थना करता है जो कि रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल राशि 25) रु. या इससे कम है तो चिकित्सा अधिकारी कम से कम सिविल सर्जन के स्तर का चिकित्सा अधिकारी या उस क्षेत्र का जिला चिकित्सा अधिकारी होगा जिसमें कि प्रार्थी साधारण रूप से रहता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी प्रार्थी से (फार्म 'ग' के भाग 1 में जिस पर उसके सामने हस्ताक्षर किए जाने चाहिए) उसका स्टेटमेंट प्राप्त कर उसकी पूर्ण सावधानी के साथ जांच कर भाग 'ग' के भाग 2 में अपने निर्णय का निर्देश एवं राज्य कर्मचारी ने जो भाग 1 में निर्धारित अपनी चिकित्सा इतिहास एवं आदतों (Medical History and habits) के सम्बन्ध में निर्धारित प्रश्नों का उत्तर दिया है उसकी सत्यता के बारे में अपनी राय प्रकट करेगा। अन्त में वह फार्म 'ग' के भाग 3 में दिए हुए प्रमाण पत्र को भरेगा।

(4) एक प्रार्थी जिसका कि अयोग्य पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है या लगभग स्वीकृत की जाने वाली है उसके सम्बन्ध में अयोग्यता के कारण व चिकित्सा सम्बन्धी बयानों पर चिकित्सा अधिकारी (फार्म 'ग' के तीन भाग में) प्रमाण पत्र या हस्ताक्षर करने के पूर्व विचार करेगा।

[1] (5) एक अकेले चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा मण्डल द्वारा सचालित परीक्षण के लिये राजस्थान चिकित्सा अधिकारी शुल्क नियम 1964 की अनुसूची (1) के बिन्दु 2 के अधीन निर्धारित शुल्क प्रार्थी देगा। इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक मण्डल के सदस्यों द्वारा वसूल किया गया शुल्क सरकार और (उस) अकेले चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक-मण्डल के सदस्यों के बीच उपरोक्त नियमों के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार विभाजित (शेयरेबल) की जावेगी।'

(6) खण्ड (2) में वर्णित अन्तिम चिकित्सा अधिकारी बिना किसी प्रकार की देर किए फार्म 'क' व 'ग' में पूर्ण भर कर मूल में महालेखाकार के पास भेज देगा जिसने कि फार्म 'क' के भाग में प्रमाण पत्र दिया था। फार्म 'ग' की एक प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को एवं फार्म 'ग' के भाग 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को भेजेगा।

टिप्पणियां-(1) एक पेंशनर जिसे डाक्टरी जांच के कारणों के कारण रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया है या जिसने अपनी वास्तविक उम्र में वर्षों की वृद्धि के फलस्वरूप रूपान्तरण को स्वीकार करने से मना कर दिया हो वह अपने स्वयं के खर्चे पर दूसरी बार डाक्टरी जांच के लिए निवेदन कर सकता है यदि उसकी प्रथम बार की गई जांच का समय 1 साल से अधिक हो गया हो। इस प्रकार की पुनर्जांच चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यकीय रूप से की जावेगी।

(2) यदि खण्ड (2) में निर्धारित चिकित्सा अधिकारी की राय में कुछ विशेष जांच आवश्यक हो जिसे वह स्वयं अकेला न कर सके तो वह प्रार्थी का अपने खर्चे पर करानी होगी। चाहे जांच का परिणाम कुछ भी निकले पर सरकार इस व्यय को नहीं देगी।

---

1 स. एफ. 1 (40) वि. वि. (नियम)/70 दि. 10-9-1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

रूपान्तरित राशि का भुगतान—महालेखाकार फार्म 'ख' व 'ग' पूर्ण भरे हुए प्राप्त करने पर उचित नियम 336 रूपांतरित राशि के भुगतान तथा उसके अनुसार पेंशन की कमी के लिए शीघ्र प्रबन्ध करेगा।

टिप्पणी—यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र में यह निर्धारित कर दिया गया हो कि प्रार्थी की वास्तविक उम्र में 5 साल और जोड़ दिए जाने चाहिए तो महालेखाकार रूपांतरण पर भुगतान करने योग्य परिवर्तित राशि की सूचना प्रार्थी को शीघ्र देगा।

व्याख्यात्मक टिप्पणी (उदाहरण)

पेंशन सम्बन्धी नियमों के आधार पर अनेक समस्यापूर्ण प्रश्न उठते हैं। अतः इन नियमों को स्पष्ट करने के लिये आगे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं।

(1) निम्न आंकड़ों के आधार पर पेंशन योग्य सेवा काल की गणना कीजिये—

1 जन्म तिथि 1–6–1905।
2 प्रथम नियुक्ति की तारीख 1–4–1929।
3 पद पर स्थाई होने की तारीख 1–4–1930।
4 कुल सेवाकाल में उपभोगित उपार्जित अवकाश 2 वर्ष 4 माह।
5 अध्ययन अवकाश उपभोग किया (पूर्ण सेवाकाल में) 1 वर्ष 2 माह।
6 अर्द्ध वेतन अवकाश उपभोग किया (पूर्ण सेवाकाल में) 6 माह।
7 उपार्जित अवकाश व रूपांतरित अवकाश कुल 180 दिवस।
8 कर्मचारी के पेंशन पर निवृत्त होने की तारीख 31–5–1963।

उत्तर—चूंकि उक्त कर्मचारी ने 25 वर्ष से अधिक सेवा की है। अतः 18–12–61 से पूर्व के नियम 203 व 204 के अनुसार उपार्जित अवकाश वाली अवधि पेंशन में शामिल रहती है तथा 25 वर्ष से ऊपर की सेवा अवधि होने पर उपार्जित अवकाश के अलावा अन्य अवकाशों की 2 वर्ष तक की अवधि भी सेवा काल में मानी जाती है। उक्त प्रश्न में कर्मचारी ने 1 वर्ष 2 माह का अध्ययन अवकाश तथा 6 माह का अर्द्ध वेतन अवकाश व 60 दिन के रूपान्तरित अवकाश का उपभोग किया है। इस प्रकार यह अवधि 1 वर्ष और 10 माह की होती है जो 18–12–61 से पूर्व के नियमों के अनुसार भी पेंशन की अवधि में शामिल रहती है। 18–12–61 के उपरान्त तो असाधारण अवकाश की अवधि को छोड़ कर अन्य सब प्रकार की अवधि पेंशन योग्य अवधि में गिनी जाती है। इस प्रकार कर्मचारी ने 34 वर्ष 2 माह की पेंशन योग्य सेवा की है।

उदाहरण संख्या 2 एक कर्मचारी की जन्म तिथि 1–10–1908 है। वह 1–6–26 को राज्य सेवा में अस्थाई पद पर नियुक्त हुआ था और यह अस्थाई पद 1–10–40 से स्थाई हो गया और कर्मचारी को भी 1–10–40 से ही स्थाई कर दिया गया। वह 1-9 1946 से एक वर्ष के लिये स्वीकृत नये पद पर कार्यवाहक रहा। 1–9–47 से उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 1–9–47 से ही स्थाई कर दिया गया। वह 1-7–1950 से 30-4-51 तक निलम्बित रहा और आगे बहाल कर दिया गया, किन्तु निलम्बित काल को अर्द्ध वेतन अवकाश माना गया।

कर्मचारी ने समस्त सेवाकाल में 360 दिन का उपार्जित 90 दिवस का रूपान्तरित तथा 200 दिन का अर्द्ध वेतन अवकाश प्राप्त किया है।

इसके अतिरिक्त 70 दिवस का असाधारण अवकाश भी प्राप्त किया जिसमें से 61 दिवस का अवकाश 1–4–62 से प्राप्त किया था।

कर्मचारी 55 वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्त हो गया और 1–3–64 को उसका स्वर्गवास हो गया। वह 1–4–59 से वेतन श्रृंखला 250–25-600 में 500 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था। 1–10-62 से 400–40–800 में कार्यवाहक नियुक्त हुआ और 1–3-63 से स्थाई कर दिया गया।

उक्त तथ्यों से कर्मचारी का पेंशन योग्य सेवाकाल बताते हुए देय पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक बताइये।

उत्तर—उक्त उदाहरण के तथ्यों से निम्न बातें स्पष्ट हैं—

(1) जन्म तिथि 1–10–1908।
(2) सेवा में प्रवेश का दिनांक 1–6–1926।

(3) विश्रामवत्ति पर काय मुक्त करन का दिनांक 1–10–1963 (मध्याह्न पूव मे।)
(4) कुल सेवाकाल 37 वष 4 माह।
(5) अवधि जो कुल सेवाकाल म से घटानी है।

(म) असाधारण अवकाश की अवधि 2 माह 9 दिवस
(ब) 18 वष से नीचे की अवधि 4 माह

योग 6 माह 9 दिवस

शेष सेवा योग्य अवधि— 36 वष 9 माह और 21 दिवस

नोट—(1) नियम 188 क के अनुसार समस्त अस्थाई सेवा पेंशन योग्य मानी गई है।
(2) नियम 177 के अनुसार 18 वष से नीचे की सेवा पेंशन योग्य नही होती।
(3) चूंकि निम्नांकित समय को अद्ध वेतन अवकाश म परिवर्तित कर दिया गया है। अत मानकर चला गया है कि कोई सजा न र ने म यह अवधि भी सेवा योग्य रहेगी।
(4) नियम 204 ए के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि को छोडकर शेष समस्त र क अवकाश की अवधि को पेंशन योग्य माना गया है।
(5) उदाहरण म दिए गये तथ्या स कमचारी को विश्राम निवृत्ति म पूव पिछले 36 माह इस प्रकार वतन मिलेगा।

1–8–60 स 31–3–61	525) मासिक कुल 4200 00
1–4 61 से 31–3 62	5 0) मासिक कुल 6600 00
1–6–62 स 30–9–62	575) मासिक कुल 2300 00
1–10–62 स 30 6–63	640) मासिक कुल 7680 00
	योग 20780 00

(6) नोट—1–10–62 स अधिकारी 400–40–800 की वतन शृंखला म पदोन्नत हो गया। इन्हें नियम 26 ए के अनुसार 640) पर दिनांक 1–10–62 से फिक्स किया जावेगा—नियम ए क परिशिष्ट म यह अधिकारी नहीं आता, एसा मानकर चला गया है।
(7 मासिक औसत राशि 20780/36=577 72 नए पसे।
(8) पेंशन जो देय होनी है 577 22 × 30/80=रुपय 216 45।
(9 मृत्यु एव विश्रामवत्ति आनुतोषिक (डथ कम रिटायरमन्ट ग्रेच्युटी)
640 × 1/4 73=11680) रुपये।

किन्तु नियम 257 के अनुसार यह राशि 15 माह के वेतन की राशि से अधिक नहीं हो सकती। अधिकारी को 9600, रु ही डी सी आर जी मिलगी।

उदाहरण सख्या 3—एक कमचारी जिसकी जन्म तिथि 1–9–1909 थी दिनांक 1 11–31 को 100) मासिक पर अध्यापक नियुक्त हुआ। दिनांक 1–1–47 को वह वाडर हो गया और 1–4 50 स जुनियर क्लर्क हुआ। कमचारी का 1–9 61 से पुनरीक्षित वतन शृंखला म 135) मासिक पर वेतन निर्धारण हुआ और वेतन वद्धि की वार्षिक दिनांक 1 अप्रल रखी गई। इन्हें 5) मासिक मुख्यावास का विशेष वतन भी मिलता है। इन तथ्यो के आधार पर कमचारी का पेंशन योग्य सेवाकाल बतात हुए देय पेंशन व आनुतोषिक की राशि भी ज्ञात। कमचारी 55 वष की आयु पर ही सेवा निवृत्त होना चाहता है।

उत्तर—उक्त उदाहरण मे निम्न तथ्य प्रकट होत हैं—

(1) जन्म तिथि	1–9–1909
(2) सेवा म प्रवेश का दिनांक	1–11–1931
(3) विश्राम वत्ति पर काय मुक्त होने का दिनांक (मध्याह्न पूव)	1–9–1964
(4) उक्त वतन स नियम 251 के अनुसार औसत मासिक राशि	147 00 रु

नोट नियम 252 के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा महगाई भत्ता औसत वतन की गणना म नही लिया जाता किन्तु 1–9–61 के बाद सेवा मुक्त होन वाल उन कमचारियो का महगाई भत्ता जो पुनरीक्षित वतन शृंखला म वतन म लीन हो गया कुल राशि म सम्मिलित होगा।
(5) कुल पेंशन योग्य सेवा काल 32 वष 10 माह।
(6) देय पेंशन 147 × 30/80=55 12 पसे मासिक।

(7) मृत्यु एव विश्राम वृत्ति ग्रानतोपिक 155 × 1/4 × 65 = 2518
अर्थात् इ ह 2325) रु ही मिलेगा जो 15 माह के वेतन स अधिक नही होंगे ।

उदाहरण स 4—एक राज्य कमचारी जिसकी जन्म तिथि 5–12–1901 थी राज्यसेवा मे 10–10–26 को स्थाई पद पर अस्थाई रूप स नियुक्त हुआ । उस 1–4–30 से स्थाई कर लिया गया । कुल सेवाकाल म 60 दिवस का उपार्जित तथा निरन्तरता म 1–1 35 स 60 दिवस का अद्ध वेतन अवकाश प्राप्त किया । दूसरी बार 120 दिन के उपार्जित अवकाश के साथ 60 दिवस का अन्य (नाटडय) अवकाश प्राप्त किया । दिनाक 1–3–37 से निलम्बित किया किन्तु 6 माह बाद बहाल कर दिया और इस अवधि को अद्ध वतन अवकाश माना गया । अध्ययन अवकाश एक वप का, विशेष अयोग्यता अवकाश 60 दिवस का भारत से बाहर उपार्जित अवकाश 90 दिन का प्राप्त किया । सेवा से 1956 म निवत्त हुए । उक्त तथ्यों के आधार पर पेंशन योग्य सेवा बतावें ।

उत्तर—उक्त उदाहरण से निम्न बातें स्पष्ट हैं—

(1) सेवा म प्रवश की तारीख	10–10–1926
(2) सेवा से विश्राम पाने की तारीख	5–12–1956
(3) कुल पशन योग्य सेवा काल	30 वप 1 माह 25 दिन

नोट—कमचारी को स्थाइ पद पर अस्थाई रूप स दिनाक 10–10 26 स नियुक्त किया गया और उस ही स्थाइ पद पर उन्ह 1–4–30 स स्थाई कर लिया गया । अत राजस्थान सेवा नियमों के नियम 187 व 188 के अनुसार इनका 10–10–26 स सेवाकाल पशन योग्य माना जावगा ।

(2) कमचारी ने कुल सवाकाल म 270 दिवस का उपार्जित 35 दिवस का अद्ध वतन 60 दिवस का अन्य, 1 वप का अध्ययन तथा 90 दिवस का विशेष अयोग्यता अवकाश लिया है । सवा नियमो के नियम 204 के अनुसार उपार्जित अवकाश पेंशन अवधि म शुमार होनी है शेष समस्त प्रकार का अवकाश 1 वप और 185 दिवस का रहता है वह भी नियम 204 के अनुसार पेंशन योग्य सेवा-काल म शुमार होगा ।

(3) कमचारी को 1–3–37 को निलम्बित किया और 1–9–37 को बहाल कर दिया गया तथा निलम्बित काल को अद्ध वेतन अवकाश समझा गया । अत नियम 206 के अनुसार यह अवकाश अवधि भी पेंशन योग्य ही मानी जानी चाहिए । कारण कि निलम्बित अवधि को अवकाश मे परिवर्तित करने का नियम 54 के अन्तगत अनुच्छेद 3 के अनुसार अथ है कि उस दोष से मुक्त कर दना । कम चारी को बहाल करने के आदेश म कुछ स्पष्ट नही हो तो एसी अवधि को पेंशन योग्य काल म नही लेनी चाहिए ।

उदाहरण स 5—एक कनिष्ट लिपिक 110) रु मासिक वेतन, 5) रु मासिक विशेष वतन 20) रु महगाई भत्ता व 5 75 शहरी भत्ता पा रहा था । उसकी मृत्यु 1–3 64 का हो गई । मृत्यु के समय कमचारी का तीन वप से कम का अस्थाई सेवाकाल था । क्या उसकी विधवा पत्नी को नये अध्याय 23 क के अनुसार पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है ?

उत्तर—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 260 व 261 के अनुसार उक्त कमचारी के परिवार को पेंशन देय नही होती—कारण कि मृतक का 10 वप का सेवाकाल भी नही है । किन्तु वित्त विभाग की विज्ञप्ति स एफ 1 (12) वि वि – (ई आर) 64 1 दिनांक 25–9–64 के अनुसार नय पारिवारिक पेंशन नियम प्रभावशील किए गए हैं । इस अध्याय के नियम 268 बी के अनुसार उक्त मृतक कमचारी के परिवार को पेंशन मिल सकती है ।

नये अध्याय 23 क के नियमो के अनुसार उस प्रत्येक मृतक राज्य कमचारी के परिवार को पेंशन मिल सकती है जिसने कम से कम एक वप का सवा काल 1–3 64 को पूरा कर लिया है वह सेवाकाल चाहे स्थाई हो या अस्थाइ ।

नये अध्याय 23 क के अन्तगत स्पष्टीकरण दिनाक 17–11–64 के अनुसार यह माना जावेगा कि कमचारी ने नय पारिवारिक पेंशन नियमो का विकल्प दे दिया । अत विधवा को पेंशन मिलेगी ।

कमचारी का मरने से पूव 115) रु वेतन (नियम 7 (24) के अनुसार) था । अत विधवा को इसका 30 प्रतिशत जीवित रहने या पुनर्विवाह जो भी शीघ्र हो, तक पारिवारिक पेंशन के रूप म मिलेगा ।

उदाहरण स 6—राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एक उच्च अधिकारी दिनाक 4–2–60 से सेवा निवृत्त हुआ । वह अपने सेवा निवृत्ति पूव अवकाश की समाप्ति पर तुरन्त ही भारत भ्रमण को

प्रस्थान कर गया। वह 6 6 61 का कोषाधिकारी जयपुर के समक्ष उपस्थित हुआ और अपनी पेंशन की मांग की। कोषाधिकारी ने भुगतान करने से इन्कार कर दिया।

उत्तर—इस उदाहरण से यह स्पष्ट नही होता कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी को कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में स्वीकार की गई।

यदि अधिकारी (पेंशनर) भारत की यात्रा पर जाने से पूर्व ही पेंशन हेतु प्रार्थना पत्र दे गया था तो उन्हें 4-2-60 से ही पेंशन स्वीकृत होगी। यदि प्रार्थना पत्र नहीं दिया, तो पेंशन प्रार्थना पत्र की तारीख से मिलेगी। पेंशन का कोई एरीयर ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा। हम यह मानकर चलते हैं कि अधिकारी का पेंशन 4-2-60 से ही स्वीकृत हुई है।

दिनांक 6-6 61 को पेंशन स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष से अधिक हो गया। इसलिए राजस्थान सेवा नियम 320 के अनुसार इन्हें माह मई 1961 की देय पेंशन तो चुका देनी चाहिए। और इस पूर्व की राशि को पेंशन स्वीकार करने वाले अधिकारी की स्वीकृति से, जो महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषाधिकारी को पहुंचनी चाहिए चुका देनी चाहिए। अत ट्रेजरी आफीसर का पेंशन एरीयर चुकाने को मना करना सही था। अधिकारी केवल अपनी माह मई की पेंशन ही ले सकता था।

उदाहरण स 7—एक अधिकारी दिनांक 13-10-1956 से 200 रु मासिक पेंशन पर सेवा निवृत्त हुआ। उसने माह अक्टूबर व नवम्बर 1956 की पेंशन की एकत्रित राशि (एरीयर) दि 31-1-57 को प्राप्त कर ली और तीर्थ यात्रा पर चला गया और वहां (तीर्थ यात्रा) स 3-2-1959 को वापिस लौटा और कोषाधिकारी के समक्ष 6-2-59 को उपस्थित होकर आगे की पेंशन के भुगतान की मांग की। कोषाधिकारी ने उसको भुगतान कर दिया।

उत्तर—सेवा नियमो के नियम 320 के अनुसार यदि पेंशन की राशि एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं उठाई जावे—या एरीयर की राशि 1000 रु से अधिक हो जावे तो पेंशन स्वीकार करने वाले अधिकारी की आज्ञा जो कोषाधिकारी को महालेखाकार के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए से ही उस 1 वर्ष से अधिक समय तक न उठाई गई पेंशन की राशि को चुकाया जा सकता है।

इस प्रकरण में अधिकारी ने नवम्बर 1956 तक पेंशन उठाई है। वह तदुपरान्त 6-2-59 को कोषाधिकारी के समक्ष पहुंचा। चूंकि पेंशन 200) मासिक थी और अवधि भी दो वर्ष से अधिक हो गई थी। अत पेंशन के एरीयर्स का चुकारा नही किया जा सकता था। यह चुकारा नियम 320 के अनुसार पेंशन स्वीकार करने वाले अधिकारी की विधिवत आज्ञा से ही हो सकता था। ट्रेजरी आफीसर केवल जनवरी 1959 की पेंशन ही दे सकता था। इस प्रकार उसकी कार्यवाही सेवा नियम 320 एवं ट्रेजरी नियमों के विरुद्ध है।

अत ट्रेजरी अधिकारी का इसमे एरीयर का चुकाना नियमानुसार नही था।

उदाहरण स 8—एक अधिकारी जिसने 40) रु मासिक पेंशन 31-10-53 तक प्राप्त कर ली का 3-2-64 को स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के दिन तक की पेंशन के भुगतान हेतु मृत पेंशनर के उत्तराधिकारियों ने 28-1 65 को अपना दावा (क्लेम) प्रस्तुत किया। कोषाधिकारी ने जिलाधीश के आदेशों के अनुसार पेंशन के एरीयर का भुगतान कर दिया।

उत्तर—सेवा नियमो के नियम 322 (अ) तथा 323 के अनुसार यदि कोई पेंशनर मर जावे और उसके वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु के दिन से एक वर्ष की अवधि में पेंशनर को देय एरीयर राशि हेतु प्रार्थना करे तो वह राशि 500, तक होने पर जिले के कलेक्टर की आज्ञा से चुका देनी चाहिए।

इस प्रकरण में पेंशनर 3-1-64 को मर गया। उसने 31 10 63 तक पेंशन उठा ली। उसके उत्तराधिकारियों ने 28 1 65 को प्रार्थना कर दी। इस प्रकार पेंशन एरीयर की राशि 500) रु से कम रही—तथा उत्तराधिकारियों द्वारा प्रार्थना भी समय पर कर दी गई। अत कोषाधिकारी की कार्यवाही उचित है।

उदाहरण स 9—भूतपूर्व देशी राज्य के एक जिलाधीश को एकीकरण (इन्टाग्रेशन) के क्रम में दिनांक 3 11-52 से सेवा निवृत्त कर दिया गया। उन्हें 240) रु मासिक पेंशन स्वीकार की गई। दुर्भाग्य से व 6 6 53 का बिना पेंशन प्राप्त किये ही स्वर्गवासी हो गये यद्यपि पेंशन स्वीकृत की जा चुकी थी। अधिकारी के उत्तराधिकारी ने उस पेंशन की एकत्रित (एरीयर्स) की राशि की मांग की जो 1500) रुपया से अधिक थी। इस राशि के चुकारे के लिए जिला कलक्टर ने आदेश दिया और कोषाधिकारी ने भुगतान कर दिया। क्या यह कार्यवाही उचित है?

उत्तर—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 323 के अनुसार जिले के कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह आदेश द्वारा उस देय राशि का उन वैधानिक उत्तराधिकारियों को चुकारा करा देवे—जो पेंशनर की मृत्यु के 1 वर्ष की अवधि में पेंशनर को देय राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। किन्तु यह राशि 500) रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ (32) पी./एन.-ओ/एफ 2/54/ए दिनांक 21 6 55 जो नियम 323 के अन्तर्गत है द्वारा व्यवस्था की है कि 31-12-54 या इससे पूर्व पेंशन पर निवृत्त किए व्यक्तियों के प्रकरणों में यह राशि 2000) तक हो सकती है। अर्थात् इन मामलों में कलेक्टर 3000) रु तक की राशि को चुकाने के आदेश दे सकता है। अतः यहां उसका आदेश व ट्रेजरी आफीसर की कार्यवाही नियमानुकूल है।

उदाहरण सं 10—एक स्टोरकीपर 12 7 64 से 58 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवा निवृत्त कर दिया गया। महालेखाकार ने उसे पेंशन भुगतान आदेश भी जारी कर दिया; किन्तु आडिट पार्टी द्वारा जांच के समय यह प्रकट हुआ कि उक्त स्टोरकीपर ने लगभग 1200) रु की राजकीय हानि की है। इस पर विभागाध्यक्ष ने आदेश दिया है कि यह हानि, कर्मचारी को देय मासिक पेंशन से वसूल की जावे। क्या यह उचित है?

उत्तर—सेवा नियम 170 के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल ने किसी पेंशन को पूर्णतया या आंशिक रूप से बन्द करने या उससे राजकीय हानि की वसूली करने के अधिकार को अपने में सुरक्षित रखा है। किन्तु राजकीय हानि किसी न्यायिक या विभागीय जांच द्वारा सिद्ध होनी चाहिए। उक्त उदाहरण में यह स्पष्ट नहीं है कि यह राजकीय हानि किस समय हुई। यदि वह हानि जांच आरम्भ होने से चार वर्ष पूर्व की है तो वसूली नहीं हो सकती। अन्यथा जांच द्वारा सिद्ध होने पर 1200) की वसूली स्टोरकीपर को देय पेंशन से की जा सकती है। किन्तु जांच आरम्भ करने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः विभागाध्यक्ष का आदेश नियम 170 के विरुद्ध है।

उदाहरण सं 11—एक कर्मचारी का 18 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण करने पर सेवा में रहते ही स्वर्गवास हो जाता है। विभागाध्यक्ष ने उसके परिवार की आर्थिक दशा तथा छोटे 2 बच्चे छोड़ जाने पर उसकी विधवा पत्नि को कर्मचारी के 12 माह के वेतन के समान आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) स्वीकार कर दी और महालेखाकार ने भी भुगतान आदेश जारी कर दिया। क्या यह नियमानुसार है?

उत्तर—नियम 257 (3) (1) व (2) के अनुसार जब कोई कर्मचारी सेवा में रहते ही मर जाता है—तो उसके परिवार को मृतक कर्मचारी की कुल राशि के 12 गुना तक न्यूनतम आनुतोषिक स्वीकार की जावेगी। अतः विभागाध्यक्ष ने कोई दया या एहसान नहीं किया और न ही महालेखाकार ने कोई नियम विरुद्ध कार्य किया है। इतनी राशि तो मृतक कर्मचारी की विधवा पत्नी को मिलनी ही चाहिए थी।

उदाहरण सं 12—एक अस्थाई वरिष्ठ लेखक जिसने 11-8 56 से राज्य सेवा आरम्भ की थी को कार्य शिथिलता के कारण नियम 23 ए के अनुसार सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया और 20 8 65 से सेवा से पृथक कर दिया गया। कर्मचारी की प्रार्थना है कि उसे उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम वेतन के साढ़े चार गुना राशि तक आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) स्वीकार की जावे। क्या ऐसा किया जाना वांछित है?

उत्तर—वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (53) एफ डी/ए/नियम/61 दिनांक 16 1 65 द्वारा नया नियम 257 क जोड़ा गया है। इसके अनुसार यदि वरिष्ठ लेखक की सेवाएं अनुशासनात्मक कार्यवाही या त्यागपत्र के अलावा अन्य कारणों से समाप्त की जावें तो अस्थाई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से आनुतोषिक स्वीकृत की जा सकती है।

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति

(Re-employment of Pensioners)

खण्ड 1 सामान्य (General)

नर्नियुक्ति पशनरा का वेतन सिविल या मिलेटी से सम्बन्धित किसी भी राज्य कर्मचारी को
नियम **337**- पुनर्नियुक्त किए जाने तथा वेतन के साथ पेंशन पाने के दृष्टिकोण से सेवा निवृत्त नही किया जा सकता है चाहे वह सामान्य सेवा म हो या किसी स्थानीय निधि की सेवा हो।

टिप्पणी - वि वि आज्ञा स D-1760/59 F 1 दि 39-10-59 द्वारा विलोपित।

जहा तक अपवाद स्वरूप मामला म खण्ड (1) का प्रश्न है, एक अधिकारी वित्त विभाग की सहमति स किसी वर्तमान वेतन शृंखला के न्यूनतम से अधिक मान पर नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु किसी भी मामले में यह उस वेतन शृंखला के उच्चतम मान से अधिक पर नियुक्त नही किया जा सकता।

खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिये एक व्यक्ति को एक ही समय म प्रभावशील व अप्रभावशील दोनों ही वेतनों पर नियुक्त नही किया जा सकता है। यह सभव है कि एक पुनर्नियुक्त अधिकारी का वेतन निर्धारण उस वेतन दर पर किया जा सकता है, जिस दर पर कि वह पदच्युत होता है या जो कि उसके मातहत कर्मचारी प्राप्त करते हो। इस स्थिति म कुछ भी अस्वाभाविक व आपत्तिजनक नही है। एक पुनर्नियुक्त पेंशनर आवश्यक रूप से एक नये कर्मचारी के समकक्ष माना जाना चाहिये और उसका वेतन निर्धारण वर्तमान वेतन शृंखलाओं पर किया जाना चाहिये चाहे वह पदच्युत होने के पूर्व इससे अधिक प्राप्त कर रहा था।

सरकारी निर्णय पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन उस पद के लिए निर्धारित वेतन की न्यूनतम शृंखला पर निश्चित किया जाना चाहिये जिस पर कि राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्त हो गया हो।

किसी मामले म जहा यह महसूस किया जावे कि पुनर्नियुक्ति अधिकारी के प्रारम्भिक वेतन निर्धारित वेतन शृंखला की न्यूनतम दर पर निश्चित करने से उसे अनुचित आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी तो उसका वेतन एक उच्चत्तर शृंखला पर उस सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक वृद्धि स्वीकृत कर निश्चित की जा सकती है जिस कि राज्य कर्मचारी ने सेवा निवृत्ति के पूर्व ऐसे पद पर की है जिसका कि स्तर उस पद से नीचे नहा है जिस पर वह नियुक्त हुआ है।

(ख) उपरोक्त क के अतिरिक्त राज्य कर्मचारी को उसे स्वीकृत कोई पेंशन एवं मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी को अलग से प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभों को जिनको पाने के लिए वह प्राधिकृत है, प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है। ये अन्य लाभ जैसे एक अंशदायी भविष्य निधि म सरकार का अंशदान एवं विशेष अनुदान ग्रेच्युटी, पेंशन की रूपान्तरित राशि आदि हो सकते हैं। परन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त क के अनुसार प्रारम्भिक वेतन एवं पेंशन की कुल राशि एवं/या अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभों की बराबर की पेंशन

(1) उस वेतन से ज्यादा नहीं होती हो जिसे उसने अपनी सेवा निवृत्ति (पूर्व-सेवा निवृत्ति वेतन) के पूर्व प्राप्त किया हो या

(2) 3000 रु से अधिक न हो इनमें से जो कम हो वह ग्राह्य होगी।

टिप्पणी संख्या 1—सभी मामलों म जिनमें इनमें से कोई सी भी सीमा अधिक हो, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पूर्ण चुकाए जा सकते हैं तथा वेतन म से आवश्यक समाधान किया जा सकता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वेतन एवं पेंशन सम्बन्धी लाभ की कुल राशि निर्धारित सीमा के भीतर ही है।

उन मामलो म जहा वेतन-न्यूनतम या उच्चतर स्टेज पर निश्चित करने के बाद उक्त समाधान के करने के कारण न्यूनतम से भी कम पर घटा दिया गया हो, प्राप्य वार्षिक वृद्धि

सेवा के प्रत्येक वप के लिए वार्षिक वृद्धिया की जा सकती है जसे कि मानो, वेतन यूनतम या उच्चतम स्टेज पर जसी भी स्थिति हो निश्चित किया गया है।

टिप्पणी सख्या 2 सेवा निवृत्ति के पव अ तिम प्रा त किय गये वेतन को मय विशेष वेतन के यदि कोई हो, मूल वेतन के रूप म समझ जावगा कायवाहक पद पर प्राप्त किये गय वतन को शामिल किया जा सकता ह यदि वह सवा निवत्ति के कम से कम एक साल पूव तक लगातार प्राप्त किया जा रहा हो।

(ग) एसे मामलो म जहा उस पद का यूनतम वतन जिस पर कि राज्य कमचारी पुनर्नियुक्त हुआ ह अ तिम प्राप्त किए वतन स ज्यादा हो तो राजप्रधिकारी का उस पद का यूनतम वेतन प्राप्त करन की स्वीकृति दी जा सकती है जिसम से कि पेन्शन एव अ य सेवा निवत्ति लाभो के बराबर की पशन कम कर दी जावेगी।

(घ) जहा पर इस प्रतिब ध मे कि पुनर्नियुक्ति पर वेतन मय कुल पेंशन/अ य सवा निवत्ति लाभा के बराबर पे शन के अ तिम रूप म प्राप्त किए वेतन से ज्यादा नही होनी चाहिए एसी परिस्थितियो म रियायत किया जाना हो जो कि उपरोक्त उप अवतरण (ग) म वर्णित परिस्थितिया से भिन्न हो तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले म वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

[1]टिप्पणी—(विलोपित) यह दि 1-9-68 से प्रभावी होगी।

(ङ) जब उपरोक्त निर्दिष्ट तरीके के अनुसार पुनर्नियुक्त पेंशनर का प्रारम्भिक वतन निश्चित कर दिया जाता है तो उस अपन नये पद पर साधारण रूप म वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। परन्तु शत यह है कि कुल पेंशन/अन्य सवा निवत्ति लाभ के बराबर पेंशन य सब मिलाकर किसी भी समय मे 3000 र से अधिक नही होनी चाहिए।

जिन सक्षम अधिकारियो को व्यक्तियो को पुनर्नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है वे उपरोक्त 'क ख व ग' अवतरणो म वर्णित सिद्धात के अनुसार उनके अधीन पुनर्नियुक्ति सवा निवत्त राज्याधिकारियो के वेतन निर्धारित करने के लिए सक्षम होग परतु शत यह है कि वह पद जिस पर राज्याधिकारी पुनर्नियुक्त हुआ है की वेतन श्रृ खला पहले से ही स्वीकृत हो। वे मामले जहा पदो की वेतन श्रृ खलाए स्वीकृत नही की गई हो, वित्त विभाग के पास भेजे जावग।

ये आदेश अब से आगे पुनर्नियुक्त होने के मामला पर लागू होग एव पहिले के मामलो पर दुबारा विचार नही करना होगा। व अधिकारी जो पहले से ही पुनर्नियुक्त हो चुके हैं उन पर ये आदेश उनकी पुनर्नियुक्ति की अग्रिम अवधि के लिए लागू होग यदि पुनर्नियुक्ति का वतमान समय बढा दिया गया हो।

[2](च) ये आदश ऐसे सेवा निवत्ति सरकारी कमचारी पर लागू नही होग जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान प चायत समिति एव जिला परिषद् सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष/सदस्य के रूप म पुनर्नियुक्त किया जाए। इन पदा पर सवा निवत्त सरकारी कमचारी की पुनर्नियुक्ति पर वतन राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) नियम 1951 व राजस्थान प चायत समिति एव जिला परिषद (चयन अयोग की सवा की शर्तें) नियम 1960 जसी भी स्थिति हो के प्रावधानो के अनुसार स्थिर किया जाएगा।

निणय स 2—इस सम्ब ध म स देह उत्पन्न किए गए हैं कि क्या एक राज्य कमचारी को अपनी पुनर्नियुक्ति के समय मे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तगत अस्वीकृत अवकाश (refused leave) के उपभोग करन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है?

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि म किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप म अस्वीकृत अवकाश के उपभोग करन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है चाहे पुनर्नियुक्ति की अवधि म ही वह अवकाश क्यो न उपार्जित किया गया हो यदि इस प्रकार का कदम उसके लिए हितकर हो। अवकाश वेतन वही होगा जो कि नियम 65 के नीचे राजस्थान सरकार के निणय सख्या 5 के अवतरण (2) के अन्तगत प्राप्त होगा। लेकिन वह इस प्रकार से अस्वीकृत अवकाश के उपभोग के समय म अवकाश वेतन के साथ म पुनर्नियुक्ति वतन प्राप्त करन के लिए अधिकृत नही होगा।

---

1 वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1(43) वित्त वि (नियम) 65 दि 13-8-65 द्वारा
2 [illegible] की आज्ञा स एफ 1 (43) *वित्त वि (नियम) 65 दिनांक 13*

फिर भी पुनर्नियुक्ति की अवधि म ऐसे अवकाश की स्वीकृति, पुनर्नियुक्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा पुनर्नियुक्ति की अवधि म किसी भी सीमा तक अस्वीकृत अवकाश को स्वीकृत करन की शत पर आधारित होगी।

ये आदेश दिनाक 30-6-59 से प्रभावित होग।

निणय स 3—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक पुनर्नियुक्त राज्य कमचारी द्वारा अपनी सेवा निवत्ति के पहले (अन्य सरकार या विदेशी सेवा म पुनर्नियुक्त होने पर) प्राप्त किये गये पुनर्नियुक्ति भत्ते को उसके द्वारा सेवा निवत्ति के पूव (सेवा निवत्ति के पूव प्राप्त किया गया वेतन) प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन के निर्धारण म शामिल किया जाना चाहिए। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निणय किया गया है कि प्रतिनियुक्ति भत्ते (या प्रतिनियुक्त वेतन) को सेवा निवत्ति के पूव प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन के निर्धारण म शामिल नहीं किया जावेगा सिवाय उन व्यक्तियों के मामले को छोड़कर जो अन्य राज्य सरकार से इस सरकार म प्रतिनियुक्ति पर हो एव जो इस प्रकार से प्रतिनियुक्ति भत्ता (या प्रतिनियुक्ति वेतन) प्राप्त कर रहे हैं एव सेवा निवत्ति के बाद शीघ्र ही पुनर्नियुक्त कर लिए गए हैं। बाद के मामलों म प्रतिनियुक्ति भत्ते (Deputation allowance) की कुल राशि सेवा निवृत्त से पूव प्राप्त किए गए वेतन के रूप म गिनी जावेगी।

उपरोक्त पद्धति के अलावा अन्यथा प्रकार से निपटाये गये मामलों पर पुन विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

निणय स 4—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि यदि एक सेवा निवत्ति राज्य कमचारी निम्न प्रकार के मामलों म अल्पकाल आधार (पाट टाइम बेसिस) पर पुनर्नियुक्त हो जाता है तो उसे क्या वेतन मिलना चाहिए—

(1) जहा पद के वेतन की दर निश्चित की हुई हो।

(2) जहा पद एक समय शृखला (टाइम स्केल) वाला हो।

प्रथम प्रकार के मामले म यह निणय किया गया है कि पाट टाइम बेसिस पर अपनी पुनर्नियुक्ति हो जाने पर ऐसे व्यक्ति का वेतन इस तरह सीमित होना चाहिए कि पुनर्नियुक्ति काल म वेतन एव पेन्शन एव मृत्यु सह सेवा निवत्ति ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन मिलाकर या तो प्राप्त किए गए अन्तिम वेतन से या उस पद के लिए स्वीकृत वेतन की निश्चित दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

दूसरे प्रकार के मामलों के सम्बन्ध म यह निणय किया गया है कि एक व्यक्ति का उसकी पुनर्नियुक्ति पर वेतन राजस्थान सरकार के निणय सख्या (1) के रूप म शामिल किए गए समय पर सशोधित किए गए अनुसार वित्त विभाग के आदेश दिनाक 20-10-59 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।

व्याख्यात्मक-टिप्पणी

जब प्रारम्भिक वेतन तय कर लिया जावे तो पुनर्नियोजित व्यक्ति को मिलने वाले पेंशन लाभों पर विचार किया जाता है। उसे पेंशन व अन्य निवत्ति लाभों को रखने दिया जावेगा किन्तु प्रारम्भिक वेतन + पेंशन की सम्पूर्ण राशि या पेंशन के बराबर अन्य निवत्ति लाभ मिलकर निवत्ति से पहले मिलने वाले वेतन या रु 300 जो भी कम हो से अधिक नहीं होगा। यदि इन दोनों सीमाओं से अधिक राशि होती है तो आवश्यक समायोजन वेतन मे करना चाहिये कि उसे निश्चित सीमा से अधिक राशि न मिले।

जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है उसके वेतनमान म साधारण वेतन वद्धिया उसे ग्राह्य होगी परन्तु वेतन तथा सम्पूर्ण पेंशन या पेंशन परिलाभ मिलकर किसी भी समय रु 3000 प्रतिमाह मे अधिक नहीं होने चाहिये। वेतन वद्धि सदा निश्चित आरंभिक वेतन के अनुसार दिया जावेगा न कि उपरोक्त सीमाओं के कारण समायोजित वेतन के अनुसार।

नियम 338 पेंशनर को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के लिए पेंशन की राशि की घोषणा करना (Pensioner to declare amount of pension to appointing authority)—यदि कोई व्यक्ति जो पहले भारत म किसी सरकार की सिविल या मिलेटरी सेवा मे था जब राजकीय सेवा म या स्थानीय निधि की सेवा म पुनर्नियुक्ति प्राप्त करता है तो उसे अपने पुनर्नियुक्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के लिए जो भी वह अपनी पूर्व सेवा के सम्बन्ध म उसे स्वीकृत की गई किसी ग्रेच्युटी, बोनस या पेंशन की राशि प्राप्त कर रहा होगा उसकी घोषणा करना होगी। उस पुनर्नियुक्त करने वाला अधिकारी पुनर्नियुक्ति के आदेश म वर्णन करेगा

अपनी पूर्व की सेवाओं को गिन सकता है इसके पहिले बीच में जो पेंशन प्राप्त करली जाय उसे लौटाने की जरूरत नहीं है।

टिप्पणियां—(1) एक राज्य कर्मचारी खण्ड (ख) के अनुसार अपनी पूर्व सेवाओं को पेंशन के लिए गिन सकता है यदि पुनर्नियुक्ति होने पर उसकी पूर्ण पेंशन खण्ड (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थगित कर दी जाती है।

(2) इस नियम में दिए गए प्रतिबन्ध उस राजकीय पेंशनर पर लागू होते हैं जो एक कार्य अस्थाई स्थापन वर्ग में पुनर्नियुक्त होते हैं जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है चाहे वह निश्चित मासिक वेतन दर पर चुकाया जाता है या परिवर्तनशील मासिक भत्तों द्वारा चुकाया जाता है।

(3) ये प्रतिबन्ध उस राजकीय पेंशनर पर भी लागू होते हैं जो कि एक ऐसे पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है जिसका कन्टिन्जेन्ट ग्रान्ट से भुगतान किया जाता है।

(4) पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में दो सीमित शर्तें ये हैं—

(क) पद का वेतन जिस पर राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्त किया जाता है एवं

(ख) सेवा निवृत्ति के समय राज्य कर्मचारी का स्थाई वेतन।

जहां एक पुनर्नियुक्त राज्य कर्मचारी को उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किए गए स्थाई वेतन के बराबर (पेंशन सहित) वेतन नहीं दिया जा रहा हो तो इन नियमों के अनुसार इतनी पेंशन उसे स्वीकृत की जा सकती है जो कि प्रारम्भिक वेतन सहित मौलिक वेतन के बराबर हो। वेतन के निर्धारण का मामला सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगा।

तीन माह के भीतर विकल्प दिया जाना (Option to be exercised within three months)

नियम 344 यदि एक राज्य कर्मचारी अपनी पुनर्नियुक्ति के तीन माह की अवधि के भीतर नियम 343 द्वारा चाहे गए अनुसार पेंशन को बन्द करने के लिए तथा अपनी पूर्व सेवा को पेंशन हेतु गिने जाने के लिए अपना विकल्प नहीं देता है तो वह उसके बाद में इसके लिए अपना विकल्प राज्य सरकार की आज्ञा बिना नहीं दे सकता है।

अयोग्यता पेंशन के बाद में (After Invalid Pension)

अयोग्यता पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति—

नियम 345 ऐसे राज्य कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसने कि अयोग्यता पेंशन प्राप्त कर लेने के बाद पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया हो या यदि एक राज्य कर्मचारी सेवा की किसी एक विशिष्ट शाखा में कार्य करने में असमर्थ होने के कारण अयोग्य कर दिया जाता है तो उस सेवा की अन्य अतिरिक्त शाखा में पुनर्नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे एक मामले में नियम ग्रेच्युटी लौटाने, पेंशन प्राप्त करने एवं सेवा गिनने के सम्बन्ध में उसी प्रकार से लागू है जैसे कि क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति के मामलों में है।

सरकारी निर्णय सं० 1—उन भूतपूर्व टी बी बीमारी से पीड़ित राज्य कर्मचारियों को राजकीय सेवा में पुनः नियुक्त करने का प्रश्न जो कि पहिले राजकीय सेवा में थे बहुत समय पहिले विभाग के विचाराधीन था एवं जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह से तय किया जा रहा था। अब यह निर्णय किया गया है कि—

(i) ऐसे भूतपूर्व टी बी से बीमार व्यक्ति जो एक टी बी विशेषज्ञ या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किए गए चिकित्सा अधिकारी द्वारा राजकीय सेवा के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर टी बी बीमारी से प्रभावरहित एवं सेवा के लिए योग्य घोषित कर दिया जाता है वह उसके द्वारा पूर्व में रिक्त किए गए पद पर कार्य करने के लिए योग्य समझा जायेगा यदि वह स्थान रिक्त हो अथवा स्वयं के विभाग में उसके समान पदों पर कार्य करने योग्य समझा जावेगा। उनके मामले में आयु सीमा के सम्बन्ध की साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी।

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति अपने सम्बन्धित विभाग में पदों के स्थान रिक्त न होने के कारण पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हों तो उनके अन्य विभागों में लगाए जाने के मामले पर विचार किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिए एवं उम्र में रियायत करने के प्रयोजन के लिए भी उन्हें कमी किए गए राज्य कर्मचारी (Retrenched Government Servant) के रूप में समझा जावेगा।

(iii) ऐसे व्यक्तियों की उसी पद पर पुनर्नियुक्ति होने पर जिससे वे सेवा से हटाए गए थे, उनके द्वारा पूर्व में की गई वास्तविक सेवा के समय को पेंशन के प्रयोजन के लिए योग्य सेवा के रूप

मे समझा जाना चाहिए। जिस रोज व सेवा से हटाए गए थे एव जिस रोज वे सेवा मे पुर्ननियुक्त हुए इन दानो के बीच के समय को सेवा का व्यवधान किसी भी प्रयोजन के लिए शामिल नही किया जावगा लेकिन सेवा अन्यथा प्रकार स निरतर सेवा मानी जावेगी। अन्य पदा पर नियुक्त होने की स्थिति म ऐसे व्यक्तियो की वरिष्ठता नियुक्ति विभाग की सलाह से निश्चित की जावेगी एव उनका वतन वित्त विभाग की सलाह से तय किया जावगा।

(IV) पुर्ननियुक्त होन पर एस व्यक्तिया को पुन चिकित्सा सम्बधी जाच कराने की जरूरत नही होगी यदि प्रथम नियुक्ति के समय उनकी डाक्टरी परीक्षा की जा चुकी हो। फिर भी उनका स्थाइकरण करन के पूव उन्हे सामान्य डाक्टरी परीक्षा के लिए जाना पडेगा यदि इसे अन्यथा रूप से आवश्यक समझा जाये।

(V) ऐसे मामलो मे जिनमे कि ऐसे व्यक्ति उन सीधी नियुक्ति क पदों पर पुन नियुक्त हुए हैं जिन पर कि नियुक्ति केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जा सकती है तो इस सम्बन्ध म आयोग की साधारण रूप म सलाह ली जावेगी। इस प्रयोजन के लिए ऐस व्यक्तियो के सभी उपलब्ध रिकाड आयोग के पास भेजे जावेंगे। आयोग यदि वे उचित समझे एसे व्यक्तियो को साक्षात्कार भी कर सकते हैं एव ऐस व्यक्तिया की वास्तविक नियुक्ति केवल उसी समय की जावेगी जबकि वे उन पदो पर चुने जान क लिए आयोग द्वारा योग्य प्रमाणित कर दिये गये हा।

सरकारी निणय स० 2—भूतपूव लप्रोसी एव प्लुरीसी (Leprosy and pleurisy) बीमारी से पीडित व्यक्ति जो पहिले राजकीय सेवा म थे पर इस तरह की बीमारी होन पर सेवा से हटा दिए थे, उनको राजकीय सेवा म नियुक्त करने का प्रश्न कुछ समय तक सरकार के विचाराधीन रहा। अब यह निणय किया गया कि नियम 345 के नीचे दिए गए निणय स 1 द्वारा टी बी से पीडित व्यक्तियो को दी गई रियायतें इन व्यक्तियो को भी दी जावेगी।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

एक कमचारी जो क्षतिपूरक या अशक्तता पेशन पर निवत होने के बाद किसी योग्य सेवा में पुर्ननियोजित किया जावे, तो वह या ता अपनी पेंशन ही रख सकता है या उसे प्राप्त करना बद कर सकता है। परन्तु पेंशन रखने पर उसकी पुर्ननियुक्ति के पहले की सेवायें भविष्य की पेंशन के लिए नही गिनी जावेगी। बीच के समय म प्राप्त की गई कोई पेंशन वापस जमा नही करानी होगी।

अधिवार्षिकी आयु या सेवा निवृति पेशन के बाद मे
(After Superannuation or Retiring Pension)

अधिवार्षिकी आयु या सेवा निवति पेशन के बाद पुर्ननियुक्ति—नियम 346 एक राज्य कमचारी जो अधिवार्षिकी आयु या सेवा निवति पेंशन प्राप्त करता है केवल सावजनिक कारणो को छोडकर सचित निधि से या स्थानीय निधि भुगतान से की जाने वाली सेवा में पुर्ननियुक्त नही होगा या उस सेवा मे उसकी नियुक्ति जारी नही रखी जावेगी। पुर्ननियुक्ति की स्वीकृति या नियुक्ति की अवधि म वद्धि निम्न प्रकार से की जा सकती है—

(1) जब एक राज्य कमचारी पेंशनर ने सेवा निवत्ति से पूव एव राजकीय पद पर काय किया हो तो सरकार द्वारा यह अवधि बढाई जावेगी।

(2) उन पेंशनरो के सम्बन्ध म जो ऐसे अधिकारियो के अधीनस्थ स्थानापन्न वग मे नियुक्त होते हैं जिन्हें कि सरकार इस नियम के अन्तगत अपनी शक्ति प्रदान करती है तो यह अवधि उस सरकार के अधीनस्थ कमचारियो द्वारा बढाई जा सकती है।

टिप्पणी (1) सरकार यह घोषणा कर सकती है कि इस नियम म दिए गए प्रतिबन्ध अपने क्षेत्र मे किसी विशिष्ट श्रेणी की स्थानीय निधि या स्थानीय निधिया पर लागू नही होंगे या यह कि वे इस सशोधन के साथ लागू होंगे जसा सरकार निर्देश दे।

(2) जब एक विशेष या अपवाद स्वरूप परिस्थितियो मे एक ऐसे राज्य कमचारी को पुर्ननियुक्त किया जाना वाछनीय समझा गया हो जिसे सरकार के अधीन एक पद पर आनुपातिक

पेन्शन पर सेवा निवृत्त होने की स्वीकृति दे दी गई है तो पद के वेतन मे से उसकी प शन की पूर्ण राशि कम कर देनी चाहिए।

[टिप्पणी स ( ) व (4) विलोपित]

(5 मृत्यु सह-सेवा-निवृत्ति ग्रेच्युटी क बराबर की पेन्शन को केवल फिक्सेशन के प्रयोजन के लिए पुनर्नियुक्ति एव निर तर सेवा के सभी मामलो म दिनांक 1 9 55 से विचारार्थ शामिल किया जा सकता है। किसी भी दशा म 31 8 55 तक की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर पेन्शन के कारण कोई वसूलिया नही की जावेंगी।

मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के समान पेन्शन को गिने जाने के तरीके का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

उदाहरण

एक व्यक्ति की सेवाओं का विवरण इस प्रकार है जिसको कि सेवा निवृत्ति के समय 1755)रु मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप म मिलते हैं—

ज म तिथि	1-10-1898
सेवा निवृत्ति की तारीख	1-10-1953

आगामी जन्म दिवस पर आयु सेवा निवृत्ति के समय 56 वर्ष की होगी।

राजस्थान सेवा नियमो के परिशिष्ट 11 (सी एस न० 51) म कालम रूपान्तरित किए गए वर्षों की संख्या क रूप म व्यक्त रूपान्तरण म 56 वर्ष की आयु के विपरीत 11 55 दिया हुआ है।

इस प्रकार पेन्शन निम्न के बराबर होगी—

$$\frac{\text{ग्रेच्युटी की राशि}}{12\times 11\ 55} = \frac{1755}{12\times 11\ 55} = \text{रु०}12/11$$

(6) उपरोक्त निर्णय सख्या 5 उन व्यक्तियो की पुनर्नियुक्ति के मामलो म लागू नहीं होगा जो कि अ शदायी भविष्य निधि द्वारा शासित हाग एव जहा पर अ शदायी भविष्य निधि (राजकीय अनुदान) का प्रश्न उठता है। ऐसे प्रश्नो का नियमन उपरोक्त टिप्पणी 3 द्वारा किया जावेगा।

सरकारी निर्णय स० (1) सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमो के अध्याय 28 मे प्रयुक्त वेतन शब्द को जो कि पुनर्नियुक्ति पर राज्य कर्मचारियो के वेतन को नियमित करने के प्रावधानो से सम्बन्धित है, केवल स्थाई वेतन तक ही सीमित रखा जायेगा एव क्या सेवा निवृत्ति के समय एक पुनर्नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए कार्यवाहक एव विशेष वेतन को पुनर्नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण म गिना जाना चाहिए। यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सरकार एव अन्य राज्यो या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के मामले म उस राशि को जिस तक पुनर्नियुक्ति पर वेतन निश्चित किया जा सके पुनर्नियुक्ति के समय कार्यवाहक वेतन को मिलाकर राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये वेतन के रूप म समझा जाना चाहिए। फिर भी पुनर्नियुक्ति के पूर्व किसी पद पर विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन प्राप्त किया जा रहा हो तो उसे शामिल नही किया जावेगा।

जिस पद पर पुनर्नियुक्ति की जाती है उसके साथ सलग्न कर्तव्यो के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर विशेष वेतन निर्धारित करना चाहिए। यदि जिस पद पर वह पुनर्नियुक्त हुआ है उस पर विशेष वेतन मिलता हो एव एक अधिकारी साधारणतया उस पद पर नियुक्त होता हो जो कि उस विशेष वेतन पाने के लिए अधिकृत होता हो तो पुनर्नियुक्त राज्याधिकारी को भी विशेष वेतन स्वीकृत किये जाने योग्य समझा जाना चाहिए अन्यथा नही। (शर्त यह होनी चाहिए कि पुनर्नियुक्ति पर कुल वेतन उसे पूर्व सेवा निवृत्ति के वेतन से ज्यादा नही होना चाहिए)।

जो अधिकारी ठेका पर नियुक्त होते हो उनके सम्बन्ध म शर्तें आपसी समझौते के आधार पर तय करनी चाहिए तथा इसके लिए नियमो का कठोरता से पालन नही किया जाना चाहिये।

निर्णय स० 2—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी को वेतन वृद्धि अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति पर सेवा निवृत्त होने के बाद पुनर्नियुक्त होने पर स्वीकृत की जा सकती है

या नियम 346 क नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय के साथ पठित राजस्थान सेवा नियमो के नियम 347 क अन्तर्गत उसके वेतन को निश्चित किए जाने के बाद सेवा निवृत्ति पर पुनर्नियुक्त होने पर वेतन वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए चाहे वह उससे उस स्टाइ वेतन से ज्यादा होती हो जो उसने सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त किया था ।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसा पेंशनर जो उसी पद पर नियुक्त हो गया हो या एक ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिसकी वेतन शृंखला वही हो जो उस पद पर थी जिस पर से वह सेवा निवृत्त हुआ था जो एक उच्चतर पद पर पुनर्नियुक्त होता हो तो उस समय वेतन मान में उसे साधारण वेतन वृद्धि दी जा सकती है । परन्तु शर्त यह है कि उसके वेतन व पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि नियमों से नियन्त्रित कर्मचारियों के मामले में अंशदायी भविष्य निधि के बराबर पेंशन कुल मिलाकर उस पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा नहीं होवे जिस पर कि वह पुन नियुक्त किया गया है ।

पेंशन स्थगित करने की शक्ति (Power to keep Pension in abeyance)- जिस पद पर

नियम 347 पेंशनर नियुक्त होता है उस पद के लिए वेतन एवं भत्ता निश्चित करने में सक्षम प्राधिकारी ही निश्चित करेगा कि क्या उसकी पेंशन का पूर्ण या आंशिक रूप में स्थगित रखा जावेगा । यदि पेंशन पूर्ण या आंशिक रूप में प्राप्त की जानी है तो ऐसा अधिकारी उसे स्वीकृत किए जाने वाले वेतन के निर्धारण में उक्त तथ्य को ध्यान में रखेगा परन्तु शर्त यह है कि (1) जहां सरकार ने अपनी शक्ति नियम 346 के खण्ड (ii) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को सौंप दी है तो विभागाध्यक्ष पद के पूर्ण वेतन के साथ पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए आज्ञा नहीं देगा सिवाय इसके कि जब पुनर्नियुक्ति निश्चित अस्थाई अवधि के लिए हो । यह अस्थाई अवधि 1 साल से अधिक नहीं हो या जब उसकी पेंशन [1]50 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं हो एवं (2) जहां राज्य सरकार ने अपनी शक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंप दी हो तो ऐसा अधिकारी पद के पूर्ण वेतन के साथ में [1]50 रु० प्रति माह से अधिक की पेंशन पूर्ण पाने के लिए स्वीकृति नहीं दे सकता है ।

टिप्पणियां—(1) जब नियुक्ति स्थानीय निधि से भुगतान की गई सेवा में हो, पेंशन को पूर्ण या आंशिक रूप से स्थगित रखने वाला अधिकारी या तो,

(i) स्थानीय निधि को शासित करने वाला प्राधिकारी होगा जिसे इस सम्बन्ध में सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा सरकार से शक्ति प्रदत्त की हुई हो ति या

(ii) किसी अन्य मामले में सरकार या ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे ।

[2](2) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं या एतद्पश्चात् 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होंगे तथा पुनर्नियोजित होंगे उन्हें निम्नलिखित सीमा तक पेंशन की राशि को पुनर्नियुक्ति पर उनके वेतन को स्थिर करने में नहीं गिना जाएगा—

(i) यदि पेंशन की राशि 50 रु० प्रतिमाह से अधिक न हो तो वास्तविक पेंशन

(ii) अन्य मामलों में, पेंशन के प्रथम 50 रु० । जो व्यक्ति 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा निवृत्त होता है, उस पुनर्नियोजित व्यक्ति की पेंशन स्थिर करने में पेंशन की किसी भी राशि को नहीं छोड़ा जाएगा ।

(3 उन व्यक्तियों का वेतन जो दि० 8-4-68 को पुनर्नियोजन पर हैं उन्हें इस तारीख से टिप्पणी सं० 2 के आधार पर पुन स्थिर किया जा सकता है बशर्ते कि वे उससे 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे पुन स्थिर किए जाने हेतु लिखित में विकल्प दें । ऐसे पुन स्थिरीकरण के मामले में उनकी

---

1 वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (80) वित्त वि (व्यय नियम) 65 दिनांक 8-4-68 द्वारा 10 रु० के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (80) वित्त विभाग (व्यय नियम) 65 दिनांक 8 4 68 द्वारा टि स 2 प्रतिस्थापित की गई व टि सं० 3 निविष्ट की गई तथा शेष को पुनसंख्यांकित किया गया ।

शनों को नवीन रुप से उसी रुप में निश्चित करना चाहिए जैसे कि मानो वे उक्त तारीख से पुर्ननियोजित हुए हों। एक बार किया गया यह विकल्प अंतिम होगा।

(4) मंत्री के रूप में नियुक्त एक पेंशनर अपने मंत्री पद के वेतन के अतिरिक्त अपनी पेंशन पाने के लिए प्राधिकृत है।

(5) पूर्वोक्त नियम उन पेंशनरों पर लागू नहीं होते हैं जो कोर्ट आफ वार्डस के अन्तर्गत पुनर्नियुक्त होते हैं।

पेंशन के रूपान्तरण के मामले में (In Case of Commutation of Pension)

पेंशन रूपान्तरित होने पर पुनर्नियुक्ति पर वेतन (Pay on Re employment when Pension commuted) —

नियम 348 यदि एक पेंशनर जो राजकीय सेवा में या स्थानीय निधि की सेवा में पुनर्नियुक्त हो जाता है एवं जो ऐसी पुनर्नियुक्ति के बाद अपनी पेंशन का कुछ भाग रूपान्तरित कराता है तो इस खण्ड के अन्तर्गत नियमों के द्वारा पेंशनर जितनी पेंशन की राशि प्राप्त कर सकता है वह वह राशि होगी जिसे पेंशनर प्राप्त करने का अधिकारी होता यदि उसका कोई रूपान्तरण नहीं किया जाता। इसमें से रूपान्तरित राशि कम करदी जावेगी।

पेंशन रूपान्तरित कब की जाती है (When Pension commuted) —

नियम 349 यदि एक पेंशनर जिसकी पेंशन का एक भाग पुनर्नियुक्ति के पूर्व रूपान्तरित किया जा चुका है तो पेंशन की मूल राशि पुनर्नियुक्ति या निरन्तर सेवा में कुल प्राप्ति की रकम के निर्धारण में पेंशन की मूल राशि को शामिल किया जाना चाहिए न कि सिर्फ अरूपान्तरित राशि को।

नियम 349क पेंशन के एक भाग के रूपान्तरण की स्वीकृति स्वीकृत सीमा के भीतर दी जा सकती है चाहे जबकि पेंशन पूर्ण रूप में स्थगित कर दी गई हो, एवं यदि किसी मामले में यह आंशिक रूप में स्थगित कर दी गई हो पर वह अपनी पेंशन को रूपान्तरित कराता हो तो उसका वेतन पुनर्नियुक्ति काल में उसी दिन से जिसको कि उसका रूपान्तरण प्रभावशील होता है रूपान्तरित पेंशन की राशि को काटकर दिया जावेगा। फिर भी यदि रूपान्तरण आंशिक रुप में स्थगित की गई पेंशन के बारे में किया जाता है तो पुनर्नियुक्ति की अवधि में वास्तविक रूप में जो पेंशन का हिस्सा प्राप्त किया जाता है सबसे पहले वह रूपान्तरण से हटा दिया जाता है एवं अब यदि प्राप्त किया गया वेतन रूपान्तरित की जाने वाली राशि को नियमित करने के लिए पूर्ण नहीं हो तो अन्तर की राशि को स्थगित रखे गए भाग में से निकाल दिया जावेगा एवं उसके सामान कटौती पुनर्नियुक्ति की अवधि में रूपान्तरण के प्रभावशील होने की तारीख से वेतन में से की जावेगी।

खण्ड 3 सैनिक पेंशनर (Military Pensioners)

सैनिक पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति (Re employment of Military Pensioners) —

नियम 350 जहां यह अन्यथा प्रकार से स्पष्ट प्रावधान न किया गया हो इस अध्याय के खण्ड 2 में दिये गये प्रावधान एक सैनिक अधिकारी आफीसर वारंट या नान कमीशण्ड आफीसर या सिपाही पर लागू नहीं होते हैं जो सैनिक नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त कर लेने के बाद असैनिक सेवा में ले लिये जाते हैं उसे असैनिक सेवा में बने रहने की स्वीकृति दे दी जाती है। ऐसे अधिकारी का असैनिक सेवा विभाग में वेतन की मांग नियम 351 द्वारा शासित की जाती है। असैनिक विभाग में सेवा के लिए उसकी पेंशन सैनिक पेंशन द्वारा शासित नहीं होगी।

नियम 351 (क) जब एक व्यक्ति जो पहिले सैनिक सेवा में हो परन्तु जो सैनिक पेंशन स्वीकृत कराने के बाद असैनिक विभाग में नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी सैनिक पेंशन प्राप्त करता रहेगा। लेकिन जिस पद पर वह पुनर्नियुक्त हुआ है उस पद का वेतन एवं भत्ता निर्धारित करने में सक्षम प्राधिकारी उसके पुनर्नियुक्ति के पद पर उसका वेतन निर्धारित करने में उस पेंशन की राशि को शामिल कर सकेगा जिसमें कि इसका रूपान्तरित किया जा सकने वाला भाग भी शामिल होगा।

(ख) एक सैनिक अधिकारी विभागीय अधिकारी वारंट या नान कमीशण्ड अधिकारी या एक सिपाही जिसे सैनिक नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत कर दी गई है जब वह असैनिक सेवा में होगा

ो ऐसी पे शन प्राप्त करेगा। लेकिन असनिक सेवा मे पद के वेतन एव भत्ते के निर्धारण म सक्षम ाधिकारी, पे शन की स्वीकृति की तारीख से ऐसे अधिकारी या सिपाही के वेतन एव भत्ता म से ऐसी ाशि काट सकता है जा कि ऐसी पेंशन की राशि से ज्यादा होगी।

[1](1) ऐसे सरकारी कमचारी के मामले म जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं या एतद्पश्चात् 55 ष की आयु प्राप्त करन पर सेवा निवत्त होंगे तथा पुनर्नियोजित होंगे, उन्ह निम्नलिखित सीमा तक शन की राशि को पुनर्नियुक्ति पर उनके वेतन को स्थिर करने म नही गिना जाएगा।

(i) यदि पेंशन की राशि 50 रु प्रतिमाह से अधिक न हो तो वास्तविक पेंशन

(ii) अन्य मामलो म पेंशन के प्रथम 50 रु०। जो कि 55 वष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा निवत्त होता है, उस पुनर्नियोजित व्यक्ति की पेंशन स्थिर करने म पेंशन की किसी भी राशि को नही छोडा जाएगा।

(2) उन व्यक्तियो का वेतन जो दि० 8-4-68 को पुनर्नियोजन पर हैं उन्ह इस तारीख से टि स 2 के आधार पर पुन स्थिर किया जा सकता है बशर्ते कि वे उससे 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे पुन स्थिर किए जाने हेतु लिखित म विकल्प दें। ऐसे पुन स्थिरीकरण के मामले म उनकी शर्तों को उसी रूप म निश्चित करना चाहिए जैसे कि मानो वे उक्त तारीख से पुनर्नियोजित हुए हो। एक बार दिया गया यह विकल्प अन्तिम होगा।

(3) क्षतिपूर्ति या असाधारण पेंशन सिर्फ पेंशन के नियम के स्वरूप की दृष्टि से, कम या समाप्त की जानी चाहिये और पेंशन पेंशनर की राज्य सेवा स पुनर्नियुक्ति से प्रभावित नही होनी चाहिये।

(4) जब कभी एक मिलेट्री पेंशन स्वीकृत किए जाने के बाद भविष्य म सुरक्षा सेवा मे सिविल कमचारी के रूप म पुनर्नियुक्त हो जाता है या सेवा मे बना रहता है तो उसके वेतन बिल के साथ इस सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र सलग्न कर दिया जावेगा कि उसका वेतन नियम 351 के प्रावधानो को उचित ध्यान म रखते हुए निश्चित कर दिया गया है।

(5) एक भारतीय मिलेट्री अधिकारी या नान-कमीशन्ड अधिकारी या सिपाही के उत्तराधिकारी की पेंशन या चिकित्सा अधिकारी के उत्तराधिकारी की पेंशन किसी सिविल सेवा म नियुक्त होने पर उसके वेतन म मिलाई जावेगी।

जाच निदेशन—(1) इस नियम के खण्ड (ख) के लिए प्रार्थना पत्र के लिए निश्चित की गई घ ना वह तारीख मानी जाती है जिसका कि एक व्यक्ति के लिए मिलेटी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है एव वह तारीख नही मानी जाती ह जब वह सिविल विभाग म अपनी नियुक्ति मूलत प्राप्त करता है।

(2) सिविल विभाग म नियुक्ति प्राप्त करने वाले पेंशनर मिलेट्री से पूर्णतया हटाये जाने को विचाराधीन रखते हुए अवकाश पर हो तो उनके मामलो को नियम 351 (ख) के अनुसार निपटाया जाना चाहिये।

खण्ड 4 नई सेवा के लिये पेंशन (Pension for New Service)

नई सेवा के लिये पेंशन प्राप्त नही करेगा (Pensioners not entitled to a Separate Pension for new Service)—

नियम 352 नियम 350 व 351 म दिये गये प्रावधानो के अतिरिक्त एक राज्य कमचारी जो पेंशन के साथ सेवा से हटाया गया हो एव जो बाद म पुनर्नियुक्त हो गया हो तो वह अपनी नई सेवा को एक अलग पेंशन के लिये नही गिन सकता है। पेंशन (यदि कोई हो) केवल पुरानी सेवा के साथ नई सेवा को मिला कर ही दी जावेगी तथा सम्पूर्ण सेवा केवल एक पूर्ण सेवा के रूप म गिनी जावगी।

बाद की सेवाओ के लिये पेंशन या ग्रेच्युटी की सीमा (Limitations of Pension or gratuity for Subsequent service)—

नियम 353 एक राज्य कमचारी जिसने क्षतिपूर्ति या अयोग्य पेंशन प्राप्त की है यदि वह पेंशन योग्य सेवा मे पुन

---

1 वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (80) वित्त विभाग (व्यय नियम) 65 दिनाक 8 4 68 द्वारा टिप्पणी स 2 प्रतिस्थापित तथा टिप्पणी स 3 निविष्ट शेप को पुनसस्थापित किया गया।

नियुक्त हो जाता है तथा पेंशन अलग से प्राप्त करता है (देखिये नियम 341) तो उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी जो उसकी बाद की सेवा के लिए प्राप्य है वह निम्न प्रतिबन्ध तक सीमित है अर्थात् पेंशन की कुल राशि (Capital value) उस अन्तर से ज्यादा नहीं होगी जो कि अधिकारी के अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त होने के समय दोनों सेवाओं के समय को मिलाकर प्राप्त होने वाली है एवं जो कि पूर्व सेवाओं के लिये पहिले से ही स्वीकृत पेंशन की राशि के बीच में है।

टिप्पणी—पूर्व सेवा के लिये स्वीकृत पेंशन की कुल राशि (Capital Value) राज्य कर्मचारी की अन्तिम सेवा निवृत्ति की तारीख से उम्र के आधार पर गिनी जानी चाहिये।

नियम 354 (क) यदि पूर्व सेवा के लिए प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाया नहीं जाता है तो ग्रेच्युटी या पेंशन, (जैसी भी स्थिति हो) बाद की सेवाओं के लिये स्वीकृत की जा सकती है। परन्तु इसके साथ शर्त यह होगी कि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेंशन की राशि एवं पूर्व ग्रेच्युटी की राशि या पेंशन की वर्तमान राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे प्राप्य होगी यदि उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी की रकम को लौटा दिया जाता।

(ख) यदि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेंशन का वर्तमान मूल्य व पूर्व ग्रेच्युटी की राशि उस ग्रेच्युटी की राशि या पेंशन की वर्तमान राशि से ज्यादा हो जो कि पूर्व में प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाने पर उसे प्राप्य होती तो इस अधिक राशि को अस्वीकृत कर देना चाहिये।

नियम 355 नियम 353 व 354 के प्रयोजन के लिए एक पेंशन की राशि या वर्तमान मूल्य राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 27 के प्रयोजन के लिए निर्धारित सूची (Table) के अनुसार निकाली जावेगी।

खण्ड 5 सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा
(Commercial Employment after Retirement)

नियम 356 [1]यदि पेंशनर, जो सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूर्व राजपत्रित अधिकारी था अपनी सेवा निवृत्ति की दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व भारत में कोई व्यापारिक सेवा स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी सेवा स्वीकार कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि—

(1) उसे सेवा को स्वीकार करने से पूर्व पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी को नियोजक का विवरण सेवा का स्वरूप और पारिश्रमिक जो प्रस्तावित एवं स्वीकार किया गया उसका विवरण सूचित करेगा और

(ii) वह यह भी प्रमाणित करे कि सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूर्व दो वर्ष की अवधि में जहां वह सेवारत था उसने कोई राजकीय व्यवहार नहीं किया है।

(2) उस पेंशनर को कोई पेंशन नहीं दी जावेगी जिसने व्यापारिक सेवा को इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित शर्तों की पालना किए बिना स्वीकार करली है।

(3) इस नियम में —

व्यापारिक नियुक्ति अभिव्यक्ति से तात्पर्य है —

(i) किसी भी रूप में होने वाली नियुक्ति से है जिसमें किसी कम्पनी, फर्म के एजेन्ट या ट्रेडिंग व्यापारिक औद्योगिक वित्तीय या व्यवसायात्मक व्यापार आदि में नियुक्ति भी शामिल है तथा जिसमें ऐसी कम्पनियों की डाइरेक्टरशीप एवं ऐसी फर्मों की पाटनरशीप भी शामिल है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारभूत स्वामित्वप्राप्त या नियन्त्रित निगमित निकाय (corporate body) के अधीन सेवा शामिल नहीं है।

(ii) सलाहकार अथवा परामर्शदाता के स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार की हैसियत से व्यवसाय (practice) स्थापित करना—जिसके लिए पेंशनर —

---

1 आज्ञा स एफ 1 (50) वि वि (श्र 2)/75-I दि 7-9-1976 द्वारा नियम 356 प्रतिस्थापित एवं नियम 356 के नीचे की टिप्पणियां विलोपित की गई ये संशोधन 4-9-1976 से प्रभावशील होंगे।

(क) कोई वृत्तिक योग्यता professional qualifications) नहीं रखता है और जिस विषय मे व्यवसाय (practice) स्थापित करना है अथवा किया जा रहा है वह उसके ज्ञान अथवा अनुभव से सम्बन्धित है अथवा

(ख) वृत्तिक योग्यता (professional qualification) रखता है परन्तु जिस विषय मे व्यवसाय (practice) स्थापित करना है वह ऐसा है जो उसके मुवक्किल को उसकी भूतपूर्व शासकीय स्थिति (पद) से नाजायज लाभान्वित करता है अथवा

(ग) ऐसे कार्य का जिम्मा लेता है जो कार्यालयों अथवा सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क या सम्पर्क से अन्तर्वलित (involving) होता है।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड के प्रयोजनार्थ सहकारी समिति के अधीन सेवा' मे ऐसे किसी पद का धारण करना चाहे वह चयनित हो अन्यथा, जैसे अध्यक्ष चेयरमैन, मैनेजर सचिव कोषाध्यक्ष और ऐसी समितियों मे जिस किसी भी नाम पुकारे जाते हैं सम्मिलित है।

(घ) सेवा निवृत्ति' अभिव्यक्ति से तात्पर्य है--ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवा निवृत्ति के पश्चात सरकार के अधीन उसी पद पर अथवा उसके समरूप पद पर बिना किसी अवरोध के पुन नियुक्ति की गई है--वह दिनांक जब सरकारी कर्मचारी की सरकार के अधीन पुर्ननियुक्ति के बाद अन्तिम रूप से सेवा समाप्त कर दी जाती है।

खण्ड 6 पुर्ननियुक्ति के बाद भारत के बाहर सरकार के अधीन पुर्ननियुक्ति

नियम 357

(क) यदि पेन्शनर जिस पर यह नियम लागू होता है यदि वह भारत के बाहर सरकार के अधीन कोई सेवा करना चाहता है तो उस ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। एक पेन्शनर को उस अवधि की कोई पेन्शन नही दी जावेगी जिसके अन्दर वह बिना सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये ऐसी नौकरी को स्वीकार करता है या इससे अधिक समय के लिये भी यदि सरकार निश्चित करे तो उसे कोई पेन्शन नही दी जावेगी।

परन्तु शर्त यह है कि जब एक राज्य कर्मचारी को अपनी निवृत्ति पूर्व अवकाश मे भारत के बाहर सरकार के अधीन किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा करने के लिये उचित अधिकारी द्वारा आज्ञा दे दी जाती है तो वह सेवा निवृत्ति के बाद ऐसी सेवा मे बने रहने के लिये और अग्रिम स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझेगा।

(ख) यह नियम उस प्रत्येक पेन्शनर पर लागू होता है जो कि अपनी सेवा 'निवृत्ति के पूर्व राजस्थान सरकार का राजपत्रित अधिकारी था किन्तु उपरोक्त खण्ड (1) मे वर्णित किसी नियुक्ति के सम्बन्ध मे उन राज्य पेन्शनरो पर लागू नही होगा जिन्होंने 1-4-51 के पूर्व ऐसी नियुक्तियां स्वीकार की है।

(ग) इस नियम के प्रयोजन के लिये 'भारत के बाहर सरकार के अधीन नियुक्ति' मे एक स्थानीय अधिकारी या निगम या किसी अन्य संस्था या संगठन के अधीन सेवा मे शामिल है जो कि भारत सरकार के निरीक्षण या नियन्त्रण मे कार्य करती है।

नियुक्त हो जाता है तथा पेंशन अनग से प्राप्त करता है (देखिये नियम 341) तो उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी जो उसकी बाद की सेवा के लिय प्राप्य है वह निम्न प्रतिबन्धों तक सीमित है अर्थात् पेंशन की कुल राशि (Capital value) उस अन्तर स ज्यादा नहीं होगी जो कि अधिकारी के अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त होने के समय दोनो सेवाओं के समय को मिलाकर प्राप्त होने वाली है एव जो कि पूर्व सेवाओं के लिये पहिले स ही स्वीकृत पेंशन की राशि के बीच म है।

टिप्पणी—पूर्व सेवा के लिय स्वीकृत पेंशन की कुल राशि (Capital Value) राज्य कर्मचारी की अन्तिम सेवा निवृत्ति की तारीख से उम्र के आधार पर गिनी जानी चाहिये।

नियम 354 (क) यदि पूर्व सेवा के लिय प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाया नहीं जाता है तो ग्रेच्युटी या पेंशन, (जसी भी स्थिति हो) बाद की सेवाओं के लिये स्वीकृत की जा सकती है। परन्तु इसके साथ शर्त यह होगी कि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेंशन की राशि एव पूर्व ग्रेच्युटी की राशि या पेंशन की वतमान राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे प्राप्य होगी यदि उसके द्वारा पूर्व म प्राप्त की गई ग्रेच्युटी की रकम को लौटा दिया जाता।

(ख) यदि ऐसी ग्रेच्युटी की राशि या ऐसी पेंशन का वतमान मूल्य व पूर्व ग्रेच्युटी की राशि उस ग्रेच्युटी की राशि या पेंशन की वतमान राशि से ज्यादा हो जो कि पूर्व म प्राप्त की गई ग्रेच्युटी को लौटाने पर उसे प्राप्य होती तो इस अधिक राशि को अस्वीकृत कर देना चाहिये।

नियम 355 नियम 353 व 354 के प्रयोजन के लिए एक पेंशन की राशि या वतमान मूल्य राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 27 के प्रयोजन के लिए निर्धारित सूची (Table) के अनुसार निकाली जावगी।

खण्ड 5 सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा
(Commercial Employment after Retirement)

नियम 356 [1]यदि पेंशनर, जो सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूर्व राजपत्रित अधिकारी था, अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व भारत म कोई व्यापारिक सेवा स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी सेवा स्वीकार कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि—

(1) उसे सेवा को स्वीकार करने से पूर्व पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी को नियोजक का विवरण सेवा का स्वरूप, और पारिश्रमिक जो प्रस्तावित एव स्वीकार किया गया उसका विवरण सूचित करेगा और

(ii) वह यह भी प्रमाणित करे कि सेवा निवृत्ति के तुरन्त पूर्व दो वर्ष की अवधि म जहा वह सेवारत था उसने कोई राजकीय व्यवहार नहीं किया है।

(2) उस पेंशनर को कोई पेंशन नहीं दी जावेगी जिसने व्यापारिक सेवा को इस नियम के उप नियम (1) मे वर्णित शर्तों की पालना किए बिना स्वीकार करली है।

(3) इस नियम मे —

"व्यापारिक नियुक्ति" अभिव्यक्ति से तात्पर्य है —

(i) किसी भी रूप म होने वाली नियुक्ति से है जिसमे किसी कम्पनी, फर्म के एजेन्ट या ट्रेडिंग व्यापारिक औद्योगिक वित्तीय या व्यवसायात्मक व्यापार आदि म नियुक्ति भी शामिल है तथा जिसमे ऐसी कम्पनियों की डाइरेक्टरशीप एव ऐसी फर्मों की पाटनरशीप भी शामिल है, लेकिन इसम सरकार द्वारा पूर्णत अथवा सारभूत स्वामित्वप्राप्त या नियन्त्रित निगमित निकाय (corporate body) के अधीन सेवा शामिल नही है।

(ii) सलाहकार अथवा परामशदाता के स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार की हैसियत से व्यवसाय (practice) स्थापित करना—जिसके लिए पेंशनर —

---

1 आज्ञा स एफ 1 (50) वि वि (अ 2)/75-I दि 7-9-1976 द्वारा नियम 356 प्रतिस्थापित एव नियम 356 के नीचे की टिप्पणियां विलोपित की गई म सशोधन 4-9-1976 से प्रभावशील होंगे।

(क) कोइ वतिक योग्यता professional qualifications) नही रखता है और जिस विषय म व्यवसाय (practice) स्थापित करता है अथवा किया जा रहा है वह उसके ज्ञान अथवा अनुभव से सम्बंधित है अथवा

(ख) वतिक योग्यता (professional qualification) रखता है परन्तु जिस विषय मे व्यवसाय (practice) स्थापित करता है वह एसा है जो उसके मुवक्किल को उसकी भूतपूव शासकीय स्थिति (पद) से नाजायज लाभान्वित करता है अथवा

(ग) एसे काय का जिम्मा लेता है जो कार्यालयो अथवा सरकारी अधिकारियो से सम्पक या सस्पश से सम्बन्धित (involving) होता है।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ 'सहकारी समिति के अधीन सेवा' मे एसे किसी पद का धारण करना चाहे वह चयनित हो अन्यथा जसे अध्यक्ष चेयरमेन मनेजर सचिव कोषाध्यक्ष और एसी समितियो म जिस किसी भी नाम पुकारे जाते हैं सम्मिलित है।

(घ) सेवा निवृत्ति' अभिव्यक्ति से तात्पय है—ऐसे सरकारी कमचारी जिसकी सेवा निवृत्ति के पश्चात सरकार के अधीन उसी पद पर अथवा उसके समकक्ष पद पर बिना किसी अवरोध के पुन नियुक्ति की गई है—वह दिनांक जब सरकारी कमचारी की सरकार के अधीन पुर्नानियुक्ति के बाद अंतिम रूप से सेवा समाप्त कर दी जाती है।

खण्ड 6 पुर्ननियुक्ति के बाद भारत के बाहर सरकार के अधीन पुर्ननियुक्ति

(क) यदि पेंशनर जिस पर यह नियम लागू होता है यदि वह भारत के बाहर सरकार के अधीन कोई

नियम 357 सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिये सरकार की पूव स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। एक पेंशनर को उस अवधि की कोई पेंशन नही दी जावगी जिसके अन्दर वह बिना सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये एसी नौकरी को स्वीकार करता है या इससे अधिक समय के लिये भी यदि सरकार निश्चित करे तो उसे कोई पेंशन नहीं दी जावगी।

परन्तु शत यह है कि जब एक राज्य कमचारी को अपनी निवृत्ति पूव अवकाश म भारत के बाहर सरकार के अधीन किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा करने के लिय उचित अधिकारी द्वारा आज्ञा दे दी जाती है तो वह सेवा निवृत्ति के बाद ऐसी सेवा म बने रहने के लिये और अग्रिम स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझेगा।

(ख) यह नियम उस प्रत्यक पेंशनर पर लागू होता है जो कि अपनी सेवा 'निवृत्ति के पूव राजस्थान सरकार का राजपत्रित अधिकारी था किन्तु उपरोक्त खण्ड (1) म वर्णित किसी नियुक्ति के सम्बन्ध म उन राज्य पेंशनरो पर लागू नही होगा जिन्होने 1-4-51 के पूव एसी नियुक्तिया स्वीकार की है।

(ग) इस नियम के प्रयोजन के लिये 'भारत के बाहर सरकार के अधीन नियुक्ति' म एक स्थानीय अधिकारी या निगम या किसी अन्य सस्था या सगठन के अधीन सेवा म शामिल है जो कि भारत सरकार के निरीक्षण या नियन्त्रण म काय करती है।